


स.कारेता आन्दोलन में दुर्गंध सहकारिता की भूमें गा
वम् याग-न — इलाहाबाद दुर्गंध उत्पा-कता
स.कारी संघ लिमिटेड के द्वेष्ट्रैट स.र्भ में

इलाहाबाद विश्वावेद अलय, इलाहाबाद की
डॉ० फिल् उपाधि के लिये
प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध



प्रस्तुतकर्ता
दुष्ट चन्द्र यादव

निर्देशक

डॉ० असीम कुमार मुख्जी
उपा-चार्य, वाणिज्य एवम् व्यापार प्रशासन विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

वाणिज्य एवम् व्यापार प्रशासन विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद
1998

	प्राक्कृत्यन	(I- V)
प्रथम अध्याय	सहकारिता का अर्थ, आशय तत्व और सिद्धान्त-एक सामान्य अवलोकन	1 - 26
द्वितीय अध्याय	भारत के आर्थिक विकास में सहकारिता की भूमिका व योगदान	27 - 41
तृतीय अध्याय	विश्व के प्रमुख देशों में सहकारिता का विकास	42 - 124
चतुर्थ अध्याय	भारत वर्ष में सहकारिता का विकास	125-172
पंचम अध्याय	उत्तर प्रदेश में सहकारिता विकास का एक सामान्य अवलोकन	173-223
षष्ठम् अध्याय	भारत वर्ष में दुग्ध सहकारी समितियों का अध्ययन	224-260
सप्तम् अध्याय	उत्तर प्रदेश में दुग्ध सहकारी समितियों का अध्ययन	261-321
अष्टम् अध्याय	इलाहाबाद दुग्ध उत्पादकता सहकारी सघ लिमिटेड का दुग्ध व्यवसाय में योगदान	322-446
नवम् अध्याय	सहकारिता एवम् दुग्ध सहकारिता - समाधान एवम् सुझाव	447-465
	परिशिष्ट	466-469
	सहायक ब्रन्थ सूची	470-474

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में "सहकारिता आन्दोलन में, दुर्गम सहकारिता की भूमिका एवम् योगदान - इलाहाबाद दुर्गम उत्पादकता सहकारी संघ लिमिटेड के विशेष सन्दर्भ में" सर्वप्रथम हमने सहकारिता एवम् दुर्गम सहकारिता के विश्लेषणात्मक पक्ष में सहकारिता एवम् दुर्गम सहकारिता के उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यवहारिक - विश्लेषण का निरूपण यथोचित रूप में किया है, इसके अन्तर्गत सर्वप्रथम सहकारिता के उद्देश्य में "सहकारिता का उद्देश्य मुनष्यों का विकास करना है, ऐसे मनुष्य विकसित करना है जोकि आत्म-सहायता एवम् पारस्परिक सहायता की भावना से ओत - प्रोत हो ताकि व्यक्तिगत रूप से वे एक पूर्ण वैयक्तिक लक्ष्य तक और सामूहिक रूप से एक पूर्ण सामाजिक जीवन तक पहुँच सके।" 1947 तक भारत पर विदेशी राजनीति का प्रभाव नहने से विदेशी सरकार ने सेहकारिता आन्दोलन को प्रोत्साहन सामाजिक कल्याण की भावना से नहीं दिया वरन् जनक्रान्ति के उठते हुए ज्वार को शान्त रखने हेतु दिया था। स्वतन्त्रता बाद सरकार ने अपने दृष्टिकोण में कल्याण कारी राज्य का आदर्श स्वीकार किया इस उद्देश्य की पूर्ति में राष्ट्र के आर्थिक जीवन को नियन्त्रित, सुव्यवस्थित एव सतुलित ढंग से विकसित करने की आवश्यकता को अनुभव करते हुए योजनाबद्ध विकास का नरीका अपनाकर सभी पञ्चवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान कर रही है। इस उत्पादन व वितरण के विभिन्न क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की भौति लागू किया जा रहा है एक सबके लिए कार्य करेगा और सब एक के लिए कार्य करेगे। सहकारिता का उद्देश्य वर्ग, विहीन और जाति विहीन समाज की स्थापना करना होता है। इसमें एक व्यक्ति को एक व्यक्ति की भाति ही समझा जाता है और जाति तथा वर्ग को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। इस प्रकार सहकारिता अपने उद्देश्य में अपने सदस्यों को समानता का पाठ पढ़ाती है, और उनकी आन्तरिक विशेषताओं को जागृत व विकसित करने का प्रयास करती है। सहकारिता का दर्शन "जियो और जीने दो" है अर्थात् समाज में सभी व्यक्तियों को समाज रूप से जीने का अधिकार होना चाहिए। यही सहकारिता का सौन्दर्य है और इसी से सहकारिता को महत्व प्राप्त होता है।

सहकारिता जनतत्र की आधारशिला है। इसमें सभी व्यक्ति समान रूप से मिलते हैं और समान रूप से सगठन का लाभ उठाते हैं। सहकारिता आर्थिक सगठन का न्यूरूप के साथ ही साथ जीवन का एक मार्ग भी है। जिसके माध्यम से व जिसके सिद्धान्तों का पालन करते हुए हम लोग अपने जीवन को सुन्दर, शातिमय और मधुर बना सकते हैं। दूसरी तरफ दुग्ध सहकारिता के उद्देश्य में हम सभी उपभोक्ता वर्ग निश्चुलिखित बाते अपने स्वस्थ शरीर के सर्वांगीण विकास में पाते हैं जो निम्न हैं।

- कृषक समुदाय के आर्थिक विकास हेतु दुग्ध उत्पादों के उत्पादन, उपार्जन, प्रसस्करण एवं विपणन गतिविधियों को प्रोत्साहन।
- डेरी उद्योग के विकास एवं विस्तार से सबधित उन सभी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, जिससे डेरी उद्योग में सुधार हो और दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक उन्नति हो।
- सदस्यों के हितों को बिना प्रभावित किए हुए सदस्यों या अन्य स्रोत से वस्तुओं का उपार्जन या क्रय तथा उसी के संग्रह, प्रसस्करण, निर्माण - वितरण और विक्रय के उद्देश्य के उपार्जन एवं अवशीतन केन्द्रों, तरल दुग्ध इकाइयों, प्रसस्करण सुविधाओं आदि की स्थापना।
- पशु चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान एवं पशु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराकर पशु स्वास्थ्य रक्षा एवं रोग नियन्त्रण सुविधाओं में सुधार तथा सदस्य दुग्ध सघों को इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहयोग।
- विभिन्न स्तरों पर दूध एवं दुग्ध उत्पादों के रख-रखाव हेतु सगठित गुणवत्ता नियन्त्रण तथा अनुसधान व गुणवत्ता नियन्त्रण प्रयोगशाला की स्थापना।
- प्राथमिक दुग्ध समितियों एवं दुग्ध सघों के सगठन एवं उनमें विशेषत दुग्ध व्यवसाय में सहकारी सिद्धान्तों और सहयोग भावना को प्रोत्साहन।

- आवश्यकतानुसार अनुबन्ध करके सदस्य दुग्ध सघो को तकनीकी, प्रशासनिक वित्तीय और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करना ।

- जहां भी आवश्यक हो नये क्षेत्रों का सर्वेक्षण करके दुग्ध उपार्जन की सम्भावनाओं का पता लगाना ।

- अवशीतन केन्द्र व डेरी भवन हेतु स्थान के चयन, ले-आउट की तैयारी, भवन योजनाओं और नये इकाइयों की स्थापना एवं निर्माण कार्य, इकाइयों की टर्न की आधार पर स्थापना एवं परियोजनाओं का पर्यवेक्षण ।

- सदस्य दुग्ध सघो के व्यवसायिक प्रबन्ध, पर्यवेक्षण एवं सम्प्रेक्षण की समस्त कार्य प्रणाली हेतु परामर्श, मार्गदर्शन, सहयोग एवं नियन्त्रण ।

- दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों के सग्रह, भण्डारण एवं परिवहन की व्यवस्था ।

- फेडरेशन द्वारा विपणन किए जाने वाले एवं दुग्ध पदार्थों की गुणवत्ता के मानक का निर्धारण ।

- दुग्ध उत्पादकों और उनसे सबधित दुग्ध समितियों तथा सदस्य दुग्ध सघो की उत्पादकता वृद्धि हेतु मापदण्ड का सुझाव ।

- दुग्ध सघो एवं फेडरेशन के हितों को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण उत्पादन कार्यक्रम की रूप-रेखा तैयार करना ।

- दुग्ध सघो से सम्बद्ध दुग्ध सहकारी समितियों के दुग्ध उत्पादक सदस्यों हेतु दुधारू पशुओं के क्रय की व्यवस्था या सहायता प्रदान करना ।

- दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों या इस हेतु कार्य करने वाले कार्मिकों और सरकारी कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण व्यवस्था ।

- सदस्य दुग्ध सघो या उनके सदस्य दुग्ध समितियों को हरा चारा उगाते हेतु प्रोत्साहन ।

फेडरेशन के उद्देश्यों और गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करना ।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित सहकारिता व दुग्ध सहकारिता के उद्देश्यों के अध्ययन के बाद पाते हैं कि समस्त व्यवसायिक कार्यकलाप वित्तीय परिसीमाओं के द्वारा निर्धारित होते हैं। प्रत्येक व्यवसायिक निर्णय का कोई न कोई वित्तीय पक्ष होता ही है। अत यह भी साथ ही साथ आवश्यक हो जाता है कि सहकारिता आन्दोलन का पक्ष क्या होगा। सहकारिता की प्राप्ति के लिये प्रत्येक व्यवसायिक क्षेत्र को अवश्य ही किसी आर्थिक सगठन का सहारा लेना पड़ता है। शोध प्रबन्ध में इस बात को दर्शाने का पूरा प्रयास किया गया है कि भारतीय सहकारिता आन्दोलन ने भारतीय सहकारिता के पैंजी बाजार क्षेत्र में किस प्रकार सहकारिता की भूमिका निभाकर एक शीर्षक सहकारिता आन्दोलन का दर्जा प्राप्त किया है, दुग्ध सहकारिता अपने उद्देश्य की पूर्ति में विभिन्न क्षेत्रों को किस प्रकार अपनी दुग्ध उत्पादकता के द्वारा विकसित किया है। आदि समस्त योगदान को समावेश करने का पूरा प्रयास किया गया है।

एम०काम० में श्रेष्ठता अक व श्रेष्ठता सूची में उत्तीर्ण करने के बाद पूज्यनीय माताजी व पिताजी (अपरिमित उत्साह के धनी, आर्शीवाद के अक्षुण कलश, कर्मठ पौरुष, आत्मीयता ज्ञान, सदर्शन एव सूक्ष्मबूझ के अथाह सागर) के असीम कृपा से मुक्षमे शोध के प्रति स्वचि उत्पन्न हुई और दोनों के आर्शीवाद से ही मैंने शोध करने का निश्चय किया। प्रस्तुत शोध कार्य में मैं प्रोफेसर जगदीश प्रकाश, विभागाध्यक्ष, वाणिज्य एव व्यापार सगठन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद एव प्रोफेसर शिव प्रताप सिंह, सकायाध्यक्ष, वाणिज्य सकाय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद का आभार प्रकट करता हूँ, जिनके प्रेरणा से एवम् उपाचार्य डा० असीम कुमार मुखर्जी के मार्ग-दर्शन से यह शोध कार्य सम्पन्न हुआ। मैं उनके प्रति श्रद्धावान हूँ। शोध कार्य को पूरा करने में पूज्य उपाचार्य से समय-समय पर महत्वपूर्ण निर्देश मिले। उन्होंने अपना अमूल्य समय प्रदान करके महत्वपूर्ण

सुझावों व दिशा निर्देशन के द्वारा समस्याओं का समाधान किया। उनके मार्ग दर्शन व निर्णयन के लिए मैं सदैव उनका आभारी रहूँगा। शोध प्रबन्ध के लेख में जिन ग्रन्थों एवं पत्र पत्रिकाओं के आकडे व जानकारी मुझे सहायता प्राप्त हुई है उनके प्रति मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ।

अपनी ममतामयी माँ, पिताजी, भैया-भाभी, चाचा, चाची व प्रिय बहन तथा अन्य रिश्तेदारों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ जिन्होंने मेरी सारस्वत-साधना के लिए अनुकूल वातावरण दिया और मैं निश्चिन्त होकर अपना कठिन शोध पूर्ण कर सका। इस शोध प्रबन्ध में मैं अपनी धर्मपत्नी श्रीमती रजना यादव के पूर्ण सहयोग हेतु भी साधुवाद देता हूँ।

शोध प्रबन्ध में हिन्दी टक्कण त्रुटियों को दूर करने का सम्पूर्ण प्रयास किया गया है, फिर भी यत्र-तत्र त्रुटियाँ रह गई हैं जिनके लिए मैं विद्वज्जनों से क्षमा प्रार्थी हूँ।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में "सहकारिता आन्दोलन में दुर्घट सहकारिता की भूमिका एवं योगदान - इलाहाबाद दुर्घट उत्पादकता सहकारी सघ लिमिटेड के विशेष सन्दर्भ में" की महत्त्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हुए कुछ कमियों का दर्शन भी किया गया है। साथ ही साथ उन्हें दूर करने के समुचित उपाय भी बताए गये हैं।

मेरे इस परिश्रम से यदि वाणिज्य - जगत् का कुछ भी उपकार हुआ तो यही मेरी कृतार्थता व कृतकृत्यता होगी।

विनयावनत्

वाणिज्य विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय,

इलाहाबाद

1998

सुरेश चन्द्र यादव

प्रथम अध्याय

सहकारिता का अर्थ, आशय, तत्व और सिद्धान्त
एक सामान्य अवलोकन

सहकारिता का उद्भव एवम् विकास स्वयंभूत होकर सरकारी अधिनियम में सरकारी सरक्षण एवम् नियन्त्रण में हुआ। सर्वप्रथम 1904 में सहकारी साख अधिनियम बना और तदनुसार सहकारी ऋण समितियों का पजीकरण एवम् गठन प्रारम्भ हुआ। इस अधिनियम को अधिक व्यापक एवं बहुउद्देशीय बनाने के लिए 1912 में दूसरा सहकारी साख अधिनियम बना। 1919 में सहकारिता को राज्य सरकारों के अधीन कर दिये जाने के कारण राज्यों ने अपने-अपने सहकारी अधिनियम बनाये। भारत में सहकारिता का विशाल कार्यक्षेत्र राज्यों के सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत विकसित हुआ। आज यह सहकारिता ससार का सबसे बड़ा सहकारी क्षेत्र बन चुका है। 35 लाख समितियों एवम् 15 करोड़ समितियों को अपने में समाहित किये हुए भारत का सहकारी क्षेत्र कृषि उत्पादन, विपणन, प्रक्रिया एवं छोटी बड़ी अनेक इकाइयों को सचालित करता है।

युवकों की चिन्तन शक्ति, उनकी संवेदनशीलता और उनके संवेगी स्वभाव में एक गत्यात्मक प्रवाह होता है। इस प्रवाह को रचनात्मक यह ध्वसात्मक मोड़ दिया जा सकता है। उनकी इस नेसर्गिक शक्ति का सुवाहित उपयोग किया जा सकता है। उनकी नैतिक भावना को संवेगी बल देकर उनके आदर्श मूल्यों को उभारा जा सकता है। उनकी क्रियाशीलता को उत्साहित कर उन्हे कुशलकर्मक बनाया जा सकता है। उनकी स्वनात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित कर उन्हे कुशलकर्मक बनाया जा सकता है। साथ ही उनके पौरूष विम्ब को उद्वेगी उछाल देकर उन्हे ध्वश का कारण भी बनाया जा सकता है। निश्चय ही सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें युवकों को भागीदार बनाकर उनकी शक्ति को संगठित व सार्थक बनाया जा सकता है।

सहकारिता के उद्देश्यों, महत्व तथा सिद्धान्तों एवम् उसकी विशेषताओं का अध्ययन करने के बाद विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सहकारी संगठन एक ऐसे व्यक्तियों का संगठन है जो स्वतंत्र इच्छा से समानता के आधार पर और सामान्य हितों की वृद्धि के लिये संगठित होते हैं। जिससे कि वे अपने सामान्य व सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। इस प्रकार वे अपनी आर्थिक दुर्बलता को पारस्परिक सहयोग द्वारा दूर करने में समर्थ पाते हैं और सीमित साधनों को एकत्रित करके आत्म

में सफल पाते हैं। कारण कि सहकारिता प्रजातात्त्विक सिद्धान्तों पर आधारित है। वस्तुतः यह स्वयं में एक आर्थिक लोकतत्र है जिसमें व्यक्तियों का विशेष महत्व है न कि पूँजी या व्यक्तिगत लाभ का। सहकारी सम्पादन के उद्देश्य से स्थापित नहीं की जाती है। उसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों की तथा समाज व समुदाय की अधिकतम् सेवा करना होता है। इसीलिए हम सहकारिता को जीवन का दर्शन भी कहते हैं।

पारस्परिक सहयोग का ही दूसरा नाम सहकारिता है। साथ-साथ मिलकर कार्य करना या एकाधिक लोगों द्वारा मिलकर कुछ ऐसा काम करना जिससे कि सबको लाभ हो, सहकारिता का प्रथम निर्देशक तत्व है। आज का समाज जटिल है और इस जटिल जीवन की समस्याये उससे भी कहीं अधिक जटिल हैं। ऐसी अवस्था में यह आशा करना व्यर्थ है कि आज हमसे से कोई भी आत्म निर्भर होगा। अपने आप में पूर्ण होगा। स्वयं ही अपनी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के योग्य होगा। अपने सहयोग पूर्ण हाथों को आगे बढ़ाना होगा, दूसरों के उसी भौति सहयोगी हाथों को पकड़ने के लिये, यही सहकारिता है। सहकारिता एक संस्थात्मक सहयोग है। इसका तात्पर्य है कि जब तक कुछ व्यक्ति स्वेच्छा से समानता और सामान्य हितों की प्राप्ति के आधार पर अनेक नियमों से बद्धकर एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। ऐसे सहयोग को हम सहकारिता के नाम से जानते हैं।

वर्तमान समय में सहकारिता हमारे जीवन का एक तरीका बन गया है। साधारण तौर पर साथ-साथ मिलकर किन्हीं कार्यों को करना सहकारिता कहलाता है। परन्तु इतना ही कह देना सहकारिता के महत्व को स्पष्ट नहीं करता है। वास्तव में सहकारिता के अन्तर्गत एकाधिक लोगों द्वारा साथ-साथ मिलकर किये जाने वाले वे कार्य सम्मिलित किये जाते हैं जो मानव हित व आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक हैं। और जो कि पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार किये गये हैं। "इस प्रकार से हम कहते हैं - सहकारिता वह आत्म सहायता है जिसे संगठन के द्वारा प्रभावपूर्ण बनाया जाता है।" हिन्दी में एक कहावत है कि एक और एक ग्यारह होते हैं। मुनष्य अकेला दुर्बल हो सकता है परन्तु यदि बहुत से व्यक्ति एक साथ मिल जायें तो वे सभी आपस में मिलकर असम्भव कार्य को भी सम्भव कर सकते हैं, यही सहकारिता है। इस प्रकार सहकारिता दुर्बल

व्यक्तियों का एक ऐसा शस्त्र है जिसके द्वारा अपनी दुर्बलताओं को नई शक्तियों में बदलने में सफल हो सकते हैं। सहकारी योजना समिति द्वारा "सहकारी समिति एक ऐसा सगठन है जिसमें व्यक्ति समानताधार पर अपने आर्थिक हितों की उन्नति आपस में स्वेच्छा से संगठित होते हैं।" इस प्रकार सहकारिता उस सयोग की ओर सकेत करती है जो कि न्यायपूर्ण साधनों द्वारा आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये बनायी जाती है। सहकारिता का साधारण भाषा में अर्थ है एक दूसरे को सहयोग करना या मिलजुलकर काम करना। आर्थिक सगठन से सहकारिता आर्थिक दृष्टि से व्यक्तियों के उस सगठन का नाम है जो स्वेच्छा से आर्थिक दृष्टि से बनाया जाता है। इस सगठन से आपसी सहयोग, त्याग, आत्मनिर्भरता और मित्रव्ययिता आदि गुणों का विकास होता है। सहकारिता में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नहीं बल्कि सामूहिक उत्तरदायित्व का विकास होता है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन ने भी इसी रूप को सहकारिता के रूप में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि "सहकारिता एक ऐसा सगठन है जिसमें व्यक्ति मानव के रूप में समानताधार पर अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए स्वेच्छा से सहयोग करते हैं।" सहकारिता जीवन दर्शन के साथ ही साथ यह व्यक्ति को स्वार्थ परायणता एवं सकीर्णता से सार्वजनिक सेवा की ओर ले जाता है। प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर पारस्परिक सहयोग से व्यक्ति अपने स्वय के सगठन व भैत्री द्वारा आर्थिक क्रियाओं का सचालन करने लगता है। सहकारिता पूँजीवादी और समाजवादी दोनों व्यवस्थाओं से उत्तम है। सहकारिता के माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए आर्थिक समृद्धि व सार्वजनिक कल्याण के लक्ष्य प्राप्त किये जा सकते हैं। सहकारिता, लोकतान्त्रिक, समाजवाद व आर्थिक नियोजन तीनों में परस्पर गहरा सबध है। सहकारिता से मातृ भावना, समता, आत्म विश्वास, व्यवस्था, कुशलता आदि व्यवहारिक व नैतिक गुणों का विकास होता है जो कि समाज व देश की समृद्धि के लिये आवश्यक है।

वर्तमान समय में दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण व ज्वलत आवश्यकता राष्ट्रों के आर्थिक विकास की गति को तेज करना है। सहकारिता का आर्थिक व सामाजिक विकास, उत्थान से धनात्मक सहसबध है। इन प्रक्रियाओं में सहकारिता का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी अर्थ व्यवस्था में सहकारिता के जन्म के पीछे भीषण अकाल, अत्याधिक

गरीबी, पूँजीपतियों द्वारा अत्याचार, मदी अथवा तेजी, समाज का शोषण व उत्पीड़न तथा अत्यन्त उत्पादित जैसे तत्व रहे हैं। जो कि आर्थिक विकास की गति को हतोत्साहित व समाज को विघटित करते हैं। इंग्लैण्ड में सहकारिता का जन्म उस समय हुआ जब श्रमिक वर्ग घोर कष्ट का अनुभव कर रहा था। जर्मनी में व्यापारियों व ऋणदाताओं द्वारा किये जाने वाले कृषकों के तीव्र शोषण ने सहकारिता को प्रोत्साहित किया। हमारे देश में सहकारिता का जन्म भारतीय ग्रामीणों को साहूकारों एवं महाजनों से छुटकारा दिलाने तथा प्रकृति के प्रकोप से राहत किसानों के लिये किया गया। सहकारिता के माध्यम से आर्थिक निर्माण के क्षेत्र में सामाजिक हितों, न्यायपूर्ण वितरण व सामाजिक बहुत्व की भावना को ध्यान में रखा जा सकता है। कृषि प्रधान देशों की प्रगति के लिए सहकारिता एक साधन है। सहकारिता कृषि विकास की एक प्राविधि है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। सहकारिता का उत्पादन के अतिरिक्त आर्थिक जन-जीवन के क्षेत्र में स्थान है - - जैसे - - उपभोग, विनियम व वितरण। यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामोद्योग एवं रोजगार के विकास में भी सहायक है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि सहकारिता एक ऐसी व्यवस्था है जो किंगी भी अन्य व्यवस्था से विरोध न करते हुये आर्थिक विकास को गति प्रदान करती है। अब सहकारिता ही एक ऐसा माध्यम है जो कि विशेष कर ग्रामीण जन-जीवन को सुखमय बना सकता है।

प्रारम्भिक अवस्था में सहकारिता कृषि सहकारिता के रूप में विकसित हुई। लेकिन बाद में चलकर सहकारिता के कई प्रारूप सामने आये। हमारे देश में आज सहकारी समितियों का प्रारूप मुख्य रूप से त्रिस्तरी है। सहकारिता प्रारूप के अधे भाग पर प्राथमिक समितियों हैं जो विभिन्न प्रकार की सेवाओं की उपलब्धि के लिये कार्य करती हैं। इनमें से लगभग 80% कृषि से संबंधित है अर्थात् वे कृषि सहकारी समितियों हैं, इनमें भी लगभग 60% ऋण समितियों हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश होने के नाते कृषि से संबंधित समितियों का होना स्वाभाविक है। इसके साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि भारत में कृषि वृत्त की समस्या को दूर करने और

ग्रामीण साहूकारों के चगुल से आक्रान्त भारतीय ग्रामीण समाज को मुक्त करने के लिए ही सहकारिता का जन्म हुआ। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वक्षणानुसार 1951 की सिफारिश पर कृषि साख प्रदान करने हेतु एक नियोजित उपागम शुरू किया गया। फलस्वरूप ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक समिति, जिला स्तर पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक और राज्य स्तर पर शीर्ष सहकारी बैंक के रूप में सहकारिता का एक त्रिस्तरीय ढाँचा तैयार किया गया। कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त आज एक गृह निर्माण, उपभोग एवं अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में सहकारी समिति ने अभूतपूर्व प्रगति की है।

हमारे देश में कानूनी सहकारिता के रूप में अग्रेजी शासन के विकास में प्रमुख भूमिका रही है। यूरोप में वैधानिक सहकारिता के माध्यम से सहयोग, उत्पादन में व्याप्त शोषण एवं असमानता को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अग्रेजी सरकार ने उसे भारत में भी लागू करने का प्रयास किया। इसका प्रारम्भ किसानों को साख सुविधा प्रदान करने, उपभोग वस्तु उपलब्ध कराने, वस्तुकारों को कच्चा माल उपलब्ध कराने एवं बाजार की सुविधा की दृष्टि से किया गया। अत इंग्लैण्ड में जन्मी कानूनी सहकारिता के वृक्ष को भारत में भी कानूनी सहायता या मान्यता प्रदान करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार की सहकारिता का सूत्रपात सन् 1904 में किया गया और आजादी के बाद सहकारिता योजना का एक प्रमुख मार्ग बन गई। आज सहकारिता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश कर गई है। सहकारिता मानव जीवन को सुखमय बनाने व समूचे रूप से समृद्धि की ओर ले जाने में लगी हुई है। सहकारिता के माध्यम से कृषि उत्पादन, कृषि विपणन, बनकर, गृह निर्माण, औद्योगिक विकास आदि क्षेत्रों में प्रगति की है। सक्षेप में मैं इतना तो जरूर कर सकता हूँ कि सहकारिता के माध्यम से आर्थिक लाभ के अतिरिक्त सामाजिक एवं नैतिक लाभ भी हुए हैं। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता सफल हुई है वहाँ लोगों में सहयोग व सद्भावना बढ़ी है। मुकद्दमेबाजी वे फिजूल खर्ची कम हुई है। लोगों में आत्मनिर्भरता, ईमानदारी, शिक्षा, मितव्ययिता, स्वालम्बन और पारम्परिक सहयोग की भावना का विकास हुआ है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का

आधार बनाने के लिये क्रान्तिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। मनुष्यों के नेतृत्व स्तर से परिवर्तन लाना होगा जिससे वे समझ सकें कि सहकारिता उनकी स्वभूत की सहकारिता है, स्थिति है। यह उन्हीं के द्वारा सचालित होकर उन्हीं को लाभ देगी। सरकार तो मात्र मार्गदर्शक है। आज की सहकारिता के आधार स्तम्भ सदस्यों को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। सहकारी समितियों की स्थापना उपर से नीचे की ओर न होकर नीचे से ऊपर की ओर होनी चाहिए। अब यह भी देखना जरूरी हो गया है कि क्या किसी सीमा तक परम्परागत् सहकारी एवम् कानूनी सहकारिता में समन्वय सम्भव है यदि सम्भव है तो उस दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए। हमारे राजनेताओं, जनप्रतिनिधियों एवम् आर्थिक योजनाकारों को समझ लेना चाहिए कि हमारी मानवीय कमियों की वजह से हमारे देश में सहकारिता की जड़े जमने में कई दशक लगेंगे। इसीलिए हर वर्ग को जिम्मेदारीपूर्वक सोच-समझकर कदम उठाना चाहिए। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि यदि इन बातों पर ध्यान दिया गया तो निश्चय ही सहकारिता अन्य देशों की भाँति भारत में भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगी।

सहकारिता का आर्थिक विकास से गहरा सम्बन्ध है। आर्थिक विकास में सहकारिता का गहरा सबध है तथा सहकारिता का स्थान बड़ा है। किसी भी सहकारिता के जन्म के पीछे भीषण अकाल, अत्यन्त गरीबी, पूँजीपतियों द्वारा शोषण मदी अथवा तेजी, समाज में उत्पीड़न एवं निम्न आपत्ति जैसे तत्व रहे हैं जब आर्थिक विकास की प्रक्रिया में साधनों का व्यक्तिगत स्वामित्व हतोत्साहित होता है तो उस समय सहकारिता आर्थिक क्रियाओं के सचालन को सबसे अच्छी व्यवस्था करती है। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक के मध्य से सहकारिता आन्दोलन शुरू हुआ। सहकारिता को लाखों गरीब, किसान, खेतिहार मजदूर तथा गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों के आर्थिक रूपान्तरण के लिए एक कारगर हथियार समझा गया और सहकारी आन्दोलन के सूत्रधारों ने हमेशा इसके लोकतांत्रिक स्वरूप पर जोर दिया। इस समय देश के प्रत्येक क्षेत्र में सहकारी आन्दोलन का म०पू० स्थान है। किसानों को सस्ते अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण की सुविधा नगद एवं उर्वरक, कृषि यन्त्र, दवाये आदि वस्तु के रूप में उपलब्ध

कराते हुए अनुसूचित जाति, जनजाति, भूमिहीन तथा लघु सीमान्त किसानों को अनुदान सहित औद्योगिक, दस्तकारी एवं व्यवसायिक सुविधा भी प्रदान कराता है। ग्रामीण जनता को रोजगार देने के लिये ही नहीं बल्कि बड़े उद्योगों के फलस्वरूप शहरों में बढ़ रही आबादी के परिणाम, चायु प्रदूषण, गन्दी वस्तियाँ, मजदूर समस्या आदि का समाधान सहकारिता धार पर ग्रामीण औद्योगिकीकरण से ही सम्भव है। यह ठीक है कि प्राथमिक स्तर की छोटी - छोटी औद्योगिक सहकारी समितियाँ हमारा अभी तक का अनुभव अनुकूल नहीं, लेकिन इसमें सदस्यों का दोष कम और व्यवस्था का अधिक है।

सहकारिता सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा जनमानस का हर भाई, हर जाति के हर व्यवसायी को हर सुविधाएं सुलभ कराते हुए दैनिक आवश्यक वस्तुओं का वितरण कर रही है। जिन - जिन क्षेत्रों में सहकारिता की समितियाँ सक्रिय हुई हैं उनमें उन्हें सफलता मिली है। दूध हो, मछली पालन हो, तिलहन हो, मूँगफली हो, दाल, फल, हरी सब्जी आदि में ज्यादातर लोग लगे हैं। सहकारी चीनी मिलों में जो किसान का गन्ना आता है उसमें यह शिकायत नहीं रहती है कि उनका करोड़ रुपया चीनी मिल मालिकों के ऊपर पड़ा है। इस प्रकार जिस क्षेत्र में सहकारी समितियाँ सफल हुई हैं उनके सदस्यों को आर्थिक लाभ हुआ है।

सहकारिता का मुख्य उद्देश्य उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को निहित स्वार्थी के शोषण से बचाना है। स्वार्थी तत्व न केवल शहरी व ग्रामीण जनता का शोषण करते हैं अपितु वे राष्ट्रीय विकास में भी बोधा पहुँचाते हैं। देश के सीमित साधनों और उसके ऊपर छाये आर्थिक सकट की विभिन्निका से बाण केवल सहकारी समितियों ही दिला सकती है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीयित में सहकारी आन्दोलन देश की अर्थव्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों को अपने अन्दर या अन्तर्गत लाने के लिए अपनी गतिविधियों को विस्तृत बना रहा है ताकि हर गाँव के हर वर्ग का हर व्यक्ति विशेषकर छोटे वे सीमांत कृषि श्रमिकों, ग्रामीण शिल्पियों तथा निम्न व मध्य आय वाले वर्ग को सहकारी परिधि में लाकर हम व्यक्ति के उत्थान से राष्ट्रीय हितको सम्भव कर सकें। ऐतिहासिक

परिपेक्ष्य में 1895 से ही जस्टिस रनाडे के सतत प्रयत्नों के प्रयास से ग्रामीण ऋण को हल करने के लिए कृषि बैंकों की स्थापना की गई। 1909 में डूपर्नक्स की सहायता से ग्रामीण ऋण समितियों के गठन की उल्लेखनीय पहल थी। सर्वप्रथम 1904 में सहकारी साख समिति अधिनियम पास हुआ। तत्पश्चात् 1912 में पुन सहकारी साख अधिनियम पारित होने से समाज में चेतना जागृत हुई। इस अधिनियम के पारित होने के 2 वर्ष बाद लगभग 15000 सहकारी साख समितियों गतिशील थी। 1915 में ऐकलेगन समिति गठित हुई किन्तु इसकी अनुशासा का क्रियान्वयन प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने से न हो सका। 1919 में मार्टिग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के फलस्वरूप सहकारिता को राज्य सरकारों का विषय बनाया गया। 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना से सहकारी समितियों को बल मिला। 1945 की सरेया समिति की अनुशासा से सहकारिता को अधिक गति प्रदान हुई। वस्तुत 1951 से देश में योजनाबद्ध सहकारिता का प्रारम्भ हुआ। स्वीकार्यतया आध से अद्यतन तक इस मानवीय चेतना (सहकारिता) का दिशदर्शन समाज में पूर्णतया परिलक्षित है। सहकारिता एक मानवीय चेतना है इसे राजनीतिक परिसीमा में नहीं परिवेछित किया जा सकता है। न किसी बाद तक सीमित ही किया जा सकता है। सहकारिता मानवीय आवश्यकता के साथ ही साथ विकास की कुजी भी है, जिसमें आर्थिक लाभ के साथ ही साथ नेतिक लाभ भी परिलक्षित होता है। लोगों में मद्यपान, जुआखोरी व बुरी प्रवृत्तियों का अत होता है। इसके स्थान पर परिश्रम, लगन, कर्तव्यनिष्ठा, परस्पर सहयोग एवं स्वालम्बन के गुण परिलक्षित, पल्लवित व पुष्पित होते हैं। इस प्रकार उपरोक्त बातें होने पर निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सभी चीजों के बाद सामाजिक परिवर्तन होकर, समाज में सहकारिता नव जीवन का सचार करती है।

(हजार रु०)

(हजार रु०)

1	आन्ध्र प्रदेश	312	277020	976	982	48860	137226	1787	27
2	असम	99	26274	65248	489	201561	18404	17	
3	बिहार	293	49014	-	1558	179983	1152935	269	
4	गुजरात	190	111927	183513	1037	382480	494420	7240	22
5	हरियाणा	68	43324	427048	71	70687	29422	98	
6	हिमाचल	43	6131	3231	73	17288	91626	6	
7	जम्मू कश्मीर	84	23787	49817	67	24492	306769	7	
8	कर्नाटक	196	271861	9368	1487	562312	69937	1221	32
9	केरल	42	89511	600132	329	148434	427527	163	2
10	मध्य प्रदेश	233	106292	230479	696	266207	513509	780	5
11	महाराष्ट्र	320	420075	1374673	1704	769570	8500	13696	47
12	मणिपुर	15	2387	344	1	537	6410	6	
13	मेघालय	64	1863	1217	56	6332	-	20	
14	नागालैण्ड	-	-	-	-	-	-	-	
15	उडीसा	61	24996	20710	650	203645	99387	0428	2
16	पञ्जाब	117	84872	1209563	85	126534	824489	1692	5
17	राजस्थान	141	58899	7800	107	202046	152770	1646	14
18	तमिलनाडु	116	608316	10918	858	1299872	291317	-	

रुज्य/क्षेत्र	विपणन समितियाँ				उपभोक्ता भण्डार			
	सख्ता	सख्ता	सदस्यता	उपज बिकी (हजार रु०)	सख्ता	सदस्यता	आपूर्ति (हजार रु०)	सख्ता
19 लिपुरा	15	2368	2914	79	8826	9	3	3
20 उत्तर प्रदेश	294	876752	80885	1831	552229	1293374	1355	
21 प० बगाल	307	138342	53853	2316	517410	144726	955	
22 अण्डमान निकोबार	1	120	733	38	16927	-	004	
23 अलण्णान्वत्त	-	-	-	57	8059	-	-	-
24 दिल्ली	4	2546	-	427	135476	93	304	
25 गोवा दमत	-	-	-	59	30463	-	70	
26 और दीप	-	-	-	-	-	-	-	
27 चण्डीगढ़	1	546	-	10	15609	-	-	
28 दादर	-	-	-	2	566	-	002	
योग	3023	3227650	4404610	15804	6293374	6071940	31917	

| "नावाई द्वारा प्रकाशित सहकारी आन्दोलन सब्धी आकड़े 1978-79 से साखार" पेज 29

इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सहकारिता हमारे सामाजिक, आर्थिक एवं धर्मिक सब्दों को दृढ़ आधार प्रदान करने में एक सशक्त माध्यम रही है। 1904 से आज तक अनेकों सहकारी समितियों की स्थापना की जा रही है। वर्तमान में विपणन उपभोक्ता, अधिकोषण, प्रक्रिया एवं आपूर्ति आदि क्षेत्रों में 3 लाख से अधिक सहकारी समितियों अनुमानत 12 करोड़ सदस्यों के साथ भारत देश में कार्यरत है। सहकारी संस्थाओं का निरन्तर विशिष्टीकरण होता जा रहा है। इसके पीछे उनका उद्देश्य अपने सदस्यों के सामाजिक स्तर में सुधार लाना निहित है। सहकारिता आन्दोलन की सफलता राष्ट्रीय जनसंख्या के अधिवर्ग की क्रियात्मक सहभागिता पर निर्भर करती है। इस सदर्भ में भारतीय युवा वर्ग को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भारत सरकार के अनुसार 15 से 30 वर्ष के आयु वर्ग के छात्र, युवा वर्ग सहकारिता को बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यह अवधि युवा वर्ग के मानसिक व शारीरिक विकास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ऐसे समय में युवा वर्ग के सदस्य यह कामना करते हैं कि समाज उनकी उपस्थिति को स्वीकार करे। उनके मान्यताओं वे अधिकारों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए उनके समाज, परिवार एवं स्वयं उनके प्रति उत्तरदायित्वों को मान्यता प्रदान करें। इसके लिए यह वर्ग एक टीम भावना एवं सामूहिक शक्ति से कार्य करने के लिए तत्पर दृष्टिगोचर रहा है। भारत में सामाजिक क्रिया-कलापों के प्रबंध व संगठन में युवा छात्र शक्ति की आत्म निर्भरता एवं उसकी निर्णय क्षमता को प्रभावशाली बनाने के लिये सहकारिता आन्दोलन को एक सफल मत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। यदि हम भारत के सहकारिता आन्दोलन पर दृष्टिपात् करे तो हम पाते हैं कि इस दिशा में सरकार व स्वेच्छिक सहकारी इकाईयों द्वारा पर्याप्त प्रयास किये गये हैं। छात्र उपभोक्ता सहकारी भण्डारों, छात्र सहकारी जलपान गृहों तथा सहकारी बुक बेक्स आदि कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है।

सागर में गोता लगाने पर यदि मोती न मिले तो यह नहीं समझना चाहिए कि उसमें मोती ही नहीं है। मोती को ढूढ़ना ही चाहिए। बिलम्ब निश्चित रूप से अस्तोष को जन्म देता है। समय सबका इन्तजार करता है। सहकारिता भी कई सस्ते ब्याज पर रूपया देने की ही क्रान्ति नहीं है। यह लोगों में घुलमिल जाने, उनका

सगठन करने और उनमें एक दूसरे के साथ मिलकर सामूहिक जिम्मेदारियाँ उठाने, शक्ति पैदा करने की क्रान्ति है। जिसका विकास समय के साथ होता है। भारत कृषि प्रधान देश है किन्तु कृषि को बढ़ाने के लिए देश की प्यासी धरती की प्यास बुझाने के लिए असिचित भूमि की सिचाई करनी होगी। लोहिया जी ने सत्य ही कहा था कि बेकारी और भूख कम करने के लिए भूमि सेना ही प्रभावी तदवीर है। भविष्य कालीन सहकारी या सामुदायिक ग्रामीण जीवन की तीक्ष्ण भूमि सेना ही डाल सकेगी अर्थात् सहकारिता ही अनेक समस्याओं का समाधान है। सहकारिता मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक सिद्धान्त के रूप में कार्य करती है। सहकारिता का विकास पारस्परिक सहयोग से ही सम्भव है। यह सहयोग "एक सबके लिए तथा सब एक के लिए" है। मनुष्य एक सहकारी जीव है सहकारिता भाव में मानव जीवन छिन्न-भिन्न हो सकता है। सहकारिता से ही निर्धन व शक्तिहीन लोग अपनी हेसियतानुसार ऐसे आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो शायद शक्तिशाली पूँजीपति एवम् व्यापारियों को ही प्राप्त होते हैं। गाँवों की दशा सुधारने के लिए सहकारिता की आवश्यकता है। सहकारी समितियाँ ही गरीबी भिटाने, असमानताएँ कम करने, भवन आदि का निर्माण करने की सबसे शक्तिशाली माध्यम हैं। हमारे देश की करीब 80% जनता गाँवों में रहती है। अत सहकारिता का व्यापक प्रचार व प्रसार भी ग्रामीण आँचलों में होना चाहिए।

भगवान शिव के अस्तित्व में जो महत्व शक्ति का है ठीक वैसी ही अगागिता भारतीय कृषि में सहकारिता का है। "कृषि सम्पूर्ण भारत की आत्मा है। कृषि की सम्पूर्ण शक्ति सहकारिता है। सम्पूर्ण भारत में लगभग 1429 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि की जाती है। उत्तर प्रदेश में लगभग 17290 000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र आता है। यह सम्पूर्ण भारत का 12.2% और उ0प्र0 के परिमाप का 58% है। सहकारिता के आधार पर करीब 80% जनता आज भी कृषि के धन्धे से बँधी है। भारत की हरित क्रान्ति में सहकारिता की अविस्मरणीय भूमिका निहित है। अस्तु हमारा कर्तव्य है कि कृषि जो हमारे देश का प्राण है, और हमारी सुख, समृद्धि की

सीढ़ी है उसे उत्तरोत्तर बृद्धि के लिए सहकारी ब्रत ले और "सर्वहिताय व सर्व सुखाय" के लिए अनन्दा धरती को सहकारिता की जल से सींच-सींचकर अन्न, वस्त्र व मकान के अभाव की सम्भवनाओं का उपसहार कर दे। देश के सर्वांगीण विकास के लिए सहकारिता के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प ही नहीं है। आज प्रत्येक स्तर पर सहकारिता बनाम् सहयोग की भावना का महत्व दृष्टिगोचर हो रहा है। लोकमगलकारी भावना विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की ओर सहयोग के आधार पर एक महत्वाकांक्षी प्रयास है। इसमें अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए सहकारी कार्यक्रमों का संचालन और अनुश्रवण नवीन वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर किया जाना चाहिए। इससे शीघ्र औद्योगिक विकास सम्भव है। सहकारी संस्थाओं की प्रगति में संस्थाओं के आकड़ों का अति महत्वपूर्ण योगदान है। सहकारी संस्था जब उत्तरोत्तर प्रगति करती रहेगी तो सुनिश्चित रूप से उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और उसमें आत्मनिर्भरता आयेगी। जब सहकारिता आत्म निर्भर होगी तब शासन व सरकार पर निर्भर नहीं होगी। इसका परिणाम यह होगा कि वह अपने स्वविवेक से जनता की अधिकाधिक सेवा कर सकेगी। ऐसी सहकारी संस्था के माध्यम से सहकारिता समाज में एक प्रमुख स्थान बनाने में अभूतपूर्ण सफलता प्राप्त करेगी। तब सहकारी आन्दोलन जन आन्दोलन बनने में सफल होगी। साथ ही साथ समाजवादी समाज की सरचना भी सम्भव हो सकेगी।

" हमारी पचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सहकारिता को विशेष महत्व प्रदान किया गया। यह विशेषकर कृषि, लघु उद्योग एवं सहकारी प्रक्रिया के क्षेत्र में अधिक है। सहकारिता द्वारा अपने व्यक्तित्व का बलिदान किये बिना हम समाज का भलाकर सकते हैं। यह प्रगति करने एवम् एकाधिपत्य समाप्त करने का एक अनुपम् साधन ही नहीं, बल्कि समाजवाद का माध्यम भी है। हमारा वर्तमान खाद्य आन्दोलन बढ़ाने का कार्यक्रम बहुत कुछ सहकारिता आन्दोलन पर ही निर्भर करता है। " " सहकारी आन्दोलन ने देश के आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सहकारिता के संदेश- " हर एक सबके लिए है और सब लोग हर एक के लिए है। - कि आज हमारे देश को पहले से अधिक आवश्यकता है। यह आदर्श वाक्य हमारी आर्थिक

तथा सामाजिक समस्याओं के सन्दर्भ में बहुत सार्थक तथा महत्वपूर्ण है। यदि हम इस पर सच्चाई से अमल करें तो नि सन्देह राष्ट्र सभी दिशाओं में प्रगति करेगा। "प्रजातंत्र की तरह ही सहकारिता एक जीवन पद्धति है। हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य समाजवादी समाज में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यह तो पूँजीवादी व साम्यवादी व्यवस्थाओं की अतियुक्त और अति नियन्त्रित व्यवस्थाओं के बीच का सबसे उपयुक्त मार्ग है। न्यायमुक्त और समान समाज व्यवस्था का सहकारिता एक साधन है किन्तु इसके लिए एक सक्रिय नेतृत्व, निष्कलक चरित्र, ईमानदारी, सामाजिक भावना, मित्रव्ययिता, व्यवसाय प्रबंध का ज्ञान आदि अत्यन्त आवश्यक है। सही अर्थों में यह एक जन आन्दोलन है और जितनी ही जल्दी सरकार पर निर्भर रहने की पुरानी प्रवृत्ति से छुटकारा हो जाय, उतनी ही जल्दी आत्मनिर्भरता की दिशा में इस आन्दोलन की प्रगति होगी।"

इस उद्घरणों से स्पष्ट है कि आज हम जिस समाजवादी समाज व्यवस्था को अपना लक्ष्य बनाये हुए है उसकी सफलता वस्तुत सहकारिता की भावना पर ही निर्भर करती है। जो दैनिक आर्थिक गतिविधियों में पारस्परिक सहयोग के सिद्धान्त का मूर्तरूप है और संकट का सहारा है। ऐच्छिक सहयोग की भावना संसार में उस समय पैदा हुई जबकि सर्वत्र आर्थिक स्वतंत्रता का बोलबाला था। सहकारिता में जहाँ स्वतंत्रता निहित है वहाँ इससे छोटे आदमी को भी उतना ही लाभ हो सकता है जिनता एक बड़ी व्यवस्था व संगठन से मिलता है। इसका उद्देश्य छोटे आदमी को कम से कम कीमत पर उसकी जल्दत की चीजें व सेवाएं मुहेया कराना है। सहकारिता का ढाँचा सधीय प्रकार का होता है। जिसमें इसकी विभिन्न इकाइयाँ अपनी जिम्मेदारी बनाये हुए सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकती हैं। इसकी समूची व्यवस्थाओं में लचीलापन है।

भारत में सहकारिता सन् 1904 में शुरू हुई। इसका उद्देश्य गरीब किसानों को महाजनों के चंगुल से छुड़ाना है। स्वतंत्रता प्राप्ति तक सहकारिता के कार्य सिर्फ ऋण देना तक सीमित रहा। आजादी के बाद हमने समाजवादी ढग से समाज को स्थापित करने का लक्ष्य अपनाया। इसमें प्रगति का आधार व्यक्तिगत लाभ न होकर सामाजिक लाभ माना गया। इस दिशा में सहकारी आन्दोलन का मुख्य कार्य तकनीकी ढग से

प्रगतिशील अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ती ही गयी। आगे चलकर सहकारी आनंदोलन का मुख्य उद्देश्य सहकारी सामुदायिक संगठन योजना का विकास रखा गया जिसके अन्तर्गत जीवन के सभी अग आ जाते हैं। ग्रामीण जीवन में उत्पादन स्तर बढ़ाने, तकनीकी सुधारों का प्रचार करने और रोजगार की व्यवस्था बढ़ाने के लिए सहकारिता प्रमुख साधन है। इससे समाज के हर व्यक्ति की आधारभूत जरूरतें पूरी हो सकेगी। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सहकारिता को आर्थिक जीवन के प्रमुख अंगों को - जैसे कृषि, लद्दु उद्योग, लघु सिवाई और प्रोसेसिंग, मण्डी, विपणन, पूर्ति ग्रामीण, विद्युतीकरण, आवास व निर्माण और गांव वालों के लिए आवश्यक सुविधाये आदि का आधार बनाना होगा। इसी कारण सहकारिता को राष्ट्रीय विकास में प्रमुख स्थान दिया गया।

जनसाधारण के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए शिक्षा विशेषकर सहकारिता की शिक्षा महत्वपूर्ण है। भारत जैसे विकासशील देश में सदस्यों की शिक्षा का स्तर बहुत ही गिरा हुआ है। सहकारिता आनंदोलन में अब भी स्वार्थी तत्वों तथा शोषक तत्वों का खात्मा नहीं हो पाया है। इसी कारण उसकी कड़ी आलोचना भी हुई है। समाज के सभी वर्गों को फायदा पहुँचाने के उद्देश्य से सहकारिता आनंदोलन को अधिक बढ़ाने के लिए सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत शुरू की गई फसल ऋण योजना में कर्ज की रकम का सबध किसान की सम्पत्ति व साख क्षमता से नहीं बरन् उत्पादन की जरूरत से जुड़ा रहता है। अब वह बहुत से सहकारी गोदामों में अपने माल को इच्छानुसार तैयार कराकर उसे समय तक सुरक्षित रख सकता है जब तक कि उसे खरीदार सतोषजनक कीमत न चुका दें। सहकारी क्षेत्र में इस प्रकार का ज्वलत उदाहरण है चीनी उद्योग।

वैसे तो सम्पूर्ण देश में सहकारिता के माध्यम से उल्लेखनीय कार्य हुए हैं किन्तु विस्तार व कार्य दोनों ही दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सहकारिता ने श्रेयस्कर प्रगति की है। उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन, उत्तर प्रदेश रहकारी सघ, सहकारी बैंक, राज्य भण्डारागार निगम, भूमि विकास बैंक, दुग्ध सघ, सहकारी बीज भण्डार आदि ने समाज के विभिन्न अंगों को परस्पर निकट लाने का सराहनीय कार्य किया है। समाजवादी

समाज की स्थापना के हमारे लक्ष्य की पूर्ति आपसी सहयोग और सहकारिता की भावना से ही सम्भव है। सहकारिता के 3 अंग हैं। 1- उत्पादन, 2- आपूर्ति और 3- वितरण। इन तीनों में तालमेल बैठाने से ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। तब उपभोक्ताओं की कई समस्याएँ अपने आप ही सुलझ जायेगी।

वास्तव में सहकारिता आधुनिक युग के समस्त आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक रोगों की ओषधि है। मध्यम व गरीब जनता के जीने का एक मात्र सहारा है। इस मैंहगाई व परेशानी बाले युग में सहकारिता प्रजातात्त्विक मूल्यों को अक्षुण बनाये रखने में सक्षम है। आज बिन सहकार नहीं उद्धार बाले नारे को सकार करने की आवश्यकता है। सहकारिता आन्दोलन जनता का आन्दोलन है। यह तभी सफल हो सकता है। जब इस राजनीतिक और राजनीतिज्ञों से पूर्णतयाँ अलग रखा जाय जिससे स्वार्थी तत्व इसमें प्रवेश न पा सके। अत आवश्यकता इस बात की है कि सहकारिता आन्दोलन के महत्व को समझा जाय। साथ ही साथ सरकारी तथा सामाजिक हर स्तर पर पारस्परिक सहयोग से इसे सफल बनाने का प्रयत्न किया जाय तभी आज की मैंहगाई और मुद्रास्फीति से पीडित उपभोक्ता को कुछ राहत नसीब हो सकेगी। सहकारिता के माध्यम से अब घर बैठे ही मिट्टी का तेल, चीनी, कन्ट्रोल का कपड़ा, साबुन, तेल, माचिस उचित मूल्यों पर प्राप्त होते हैं। जब ग्रामीण जनता को अपनी बुनियादी जरूरतों का बोझ हल्का महसूस होता है क्योंकि बात-बात पर अब उन्हे शहर की ओर दौड़ना नहीं पड़ता है। अब सहकारिता के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा नगरवासियों व गाँववासियों की सभी प्रकार की आवश्यक आवश्यकता की दैनिक उपभोग की वस्तुएं सस्ते दर पर उचित समय से उपलब्ध कराई जा रही है। 1980 से 81 तक अब तक करीब 5 अरब की वस्तुएं वितरित की जा चुकी हैं। जहाँ एक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सहकारिता के साथ समन्वित करके चलाया जा रहा है वहीं दूसरी ओर खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा भी प्रयास किये जा रहे हैं। सहकारी समितियों को और अधिक आर्थिक ढग से मजबूत किया जा रहा है ताकि वे अधिक से अधिक लोगों की आसानी से सेवा कर सकें। एक विशेष बात और भी है कि सहकारी समितियों द्वारा

सचालित उचित मूल्य की दुकानों से सामान क्रय करने में इसलिये भी कठिनाई नहीं होती, क्योंकि वे हर 5 से 10 किमी¹⁰ क्षेत्र को आच्छादित करती हैं। अर्थिक दृष्टि से कमज़ोर लोग कभी तन ढकने के लिए चिभडो का सहारा लेते थे, अब उन्हे सस्ता कपड़ा मिल रहा है। किसी भी घर में अधेरा न रहे, इसके लिए उन्हे उचित मूल्य पर मिट्टी का तेल, चीनी मिल रहा है। अन्य आवश्यक आवश्यकता की वस्तुएँ भी सहकारिताधार पर उपलब्ध करायी जा रही हैं। गाँवों की काया पलट करने तथा गैववासियों की कठिन जिन्दगी को आसान बनाने में वस्तुत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में सहकारिता की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब यह कहा जा सकता है कि सहकारिता के माध्यम से वह दिन दूर नहीं, जब गाँव में रहने वालों की कठिनाईयों का सिलसिला धीरे-धीरे पूरी तरह से खत्म हो जायेगा।

प्रजातंत्र में निष्ठा रखने वाले लोगों के सगठन के रूप में 'सहकारिता' का उद्भव हुआ। ग्रामीण एवं शहरी जनता के सामाजार्थिक उत्थान में प्रभावी साधन के रूप में यह सतत विकासमान है। सहकारिता के सार्वभौमिक सिद्धान्त सहकारी समितियों को प्रजातात्रिक स्वरूप प्रदान करते हैं। प्राथमिक सहकारी समितियों अपने आम सदस्यों को (जिन्हे एक सदस्य एक वोट का अधिकार है तथा जो निर्णयन प्रक्रिया में समान भागीदारी के लिए प्राधिकृत होते हैं) के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा प्रशासित होते हैं। उच्च स्तरीय सहकारी सगठनों का प्रबंध भी समुचित ढंग से प्रजातात्रिक पद्धति पर ही होना चाहिए। यह भी कल्पना की गई कि प्रत्येक सहकारी समिति में सहकारिता के आर्थिक एवं प्रजातात्रिक सिद्धान्तों व तकनीकों की शिक्षा के लिए व्यवस्था भी सुनिश्चित हो। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सहकारी समिति स्व में प्रजातंत्र की पाठशाला हो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सहकारिता सेवान्तक कम व्यवहारिक अधिक है। अत सरकारी वातावरण व अनुभव ही मुख्य रूप से सहकारी समितियों, संगठनों के मार्ग-दर्शक तथा निर्धारक तत्व है। फिर भी सदस्य, साधन और सुव्यवस्था समिति की 3 क्षमता, स्थिरता एवं विकास के तीन मूल तत्व हैं। सहकारी समितियों/संगठनों के प्रजातात्रिक स्वरूप के संरक्षण तथा उन्नयन के लिए सदस्यों तथा नेतृत्व का अनवरत्

रूप से सचेष्ट रहना अत्यावश्यक है। कोई समिति किस सीमा तक वास्तविक रूप से सहकारी है, हर समिति मच पर इस हेतु रचनात्मक व सार्थक परिचर्चा होनी चाहिए।

" सहकारिता " का उद्देश्य सहकारिता तथा विकास सब्धी योजनाओं और समाचारों का प्रचार करना सहकारिता के उद्देश्य और उपयोग से जनता को परिचित करना तथा देश की आर्थिक समृद्धि के लिए सहकारिता को प्रेरित करना है। इस प्रकार उद्देश्यों के तदुपरान्त हम सहकारिता के अवलोकन पर यह पाते हैं कि सहकारिता के निम्नलिखित सिद्धान्त है - सहकारिता समिति की सदस्यता स्वेच्छक होगी और बिना किसी प्रतिबंध अथवा किसी सामाजिक, राजनीतिक, जातीय या धार्मिक भेदभाव के उन सभी लोगों को उपलब्ध होगी जो इसकी सेवाओं का सदुपयोग कर सकते हों और सदस्यता के उत्तरदायित्वों का भार अपने ऊपर लेने के इच्छुक हों। दूसरे रूप में सहकारी समितियों लोकतात्त्विक प्रबंध है। उनके काम-काज चुने हुए अथवा नियुक्त किये हुए लोगों द्वारा स्वीकार्य विधि से किया जायेगा। और उसका दायित्व उन्हीं पर होगा। प्राथमिक सहकारी समितियों के सदस्यों को मान्य मताधिकार (एक सदस्य एक मत) प्राप्त होगा। और उनको अपनी समितियों से संबंधित निर्णयों में भाग लेने का समान अधिकार होगा। प्राथमिक सहकारी समितियों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की समितियों का प्रबंध उचित ढग से लोकतात्त्विक आधार पर होगा। तीसरे में अशा पूँजी पर व्याज यदि कोई हो दिया जायेगा जो अत्यन्त सीमित होना चाहिए। चौथे में - किसी समिति के कारोबार द्वारा प्राप्त आर्थिक लाभ (बचत) उसके सदस्यों की सम्पत्ति है और उसका विवरण इस प्रकार से होना चाहिए। एक सदस्य को लाभ दूसरे को हानि न पहुँचें। यह विवरण कार्य सदस्यों के निर्णयानुसार निम्न ढग से किया जा सकता है। (ए) समिति के कारोबार के विकास के लिए प्राविधान करके (बी)- सामान्य सेवाओं का प्राविधान करके अथवा (सी)- सदस्यों में उनके द्वारा समिति में किये गये लेन-देन के अनुपात में वितरण करके। चौथे - में - सभी सहकारी समितियों को अपने सदस्यों,

पदाधिकारियों व कर्मचारियों और आम जनता के लिए आर्थिक व लोकतात्रिक दोनों पहलुओं से सहकारिता के सिद्धान्तों एव तकनीकों की शिक्षा का प्राविधान करना चाहिए। पॉचेवे मे- सभी सहकारी संगठनों को अपने सदस्यों एवम् सामुदायों के हितों की सर्वोत्तम् पूर्ति के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय एवम् अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर स्थित अन्य सहकारी संस्थाओं के साथ व्यवहारिक तरीकों से सक्रिय सहयोग स्थापित करना चाहिए।

इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समिति अपने सदस्यों, भावी सदस्यों तथा कृषक बघुओं को शुभ कामनाए प्रेषित करती है तथा उनके लाभ एव आर्थिक विकास हेतु सतत प्रयत्नशील रहकर अधोलिखित व्यवसाय करती है। पहला- अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण वितरण (बी)- रासायनिक उर्वरक व दवाए वितरण (सी)- उपभोक्ता वस्तुओं का व्यवसाय करना (डी)- नियन्त्रित व अनियन्त्रित वस्त्र वितरण (ई)- मे सरकारी गेहूँ खरीद व्यवसाय (एफ)- मे दुधारू पशु भेंसा व मुर्गी क्रय हेतु मध्यकालीन ऋण (जी)- मे बच्चों के लिए उचित शिक्षा हेतु इंटर कालेज का संचालन (एच)- मे सदस्यों के लिए सहकारी शिक्षा की सुमुचित व्यवस्था करना (आई)- मे सदस्यों के लिए गल्लापूर्ति भण्डार की स्थापना करना होता है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि " सहकारिता राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ आधार प्रदान करने तथा सामाजिक जीवन मे जनतात्रिक मूल्यों एवम् मान्यताओं एवम् परम्पराओं को विकसित करने का सर्वोत्तम् और सक्षम साधन है। अत भारतीय जनमानस मे सहकारिता को सागोपाग जीवन प्रणाली के रूप मे विकसित किया जाना आज की सामाजिक आवश्यकता है। " भारत एक गाँवों का देश है अत ग्रामीण जनता की आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना उसकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा समाज के निर्बल वर्गों को सहकारिता की परिधि मे लाने हेतु ग्राम्य स्तर पर सहयोग मूलक एवं संगठनात्मक सहकारी नेतृत्व को विकसित किये जाने की आवश्यकता है। जो मिशनरी भावना व ईमानदारी से कार्य करें। इस फार्म मे सहकारिता संबंधी पत्र पत्रियों सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

" ग्रामोत्थान एवम् ग्रामीण जनता को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने हेतु सहकारिता के माध्यम से कृषकों को खाद, कृषि यत्र, विपणन, विद्यायन, भण्डारण, क्रृषि की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा ग्रामीण जनता को उनके दैनिक आवश्यकताएं उचित मूल्य पर उपलब्ध करायी जा रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सहकारिता से अधिक अच्छा और कोई विकल्प सर्वांगीण विकास व समग्र विकास का नहीं है। " सहकारिता आन्दोलन आर्थिक लोकतत्र और समृद्धि लाने का सशक्त साधन है।

सहकारिता को व्यक्ति और समाज की अनेक समस्याओं के समाधान के लिए एक सशक्त साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। सहकारिता के सफर का इतिहास बहुत बड़ा है। सफलताएं एवं असफलताएं दोनों अपने में समेटे हुए हैं। यदि सफलताओं को हम सहकारिता से की गई आशाओं और अपेक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन करें तो यह सफलतायें हमें संतोषप्रद नहीं लगेंगी अपितु इसलिए सहकारिता की छवि सुन्दर नहीं बन सकी। यही नहीं इसमें अनेक स्थानों पर काले धब्बे आ गये। छवि सुन्दर इसलिए नहीं बन सकी कि हमने अनेक म०प२० बातों को, जो इसे सुन्दर बनाने वाली थी, नजर अन्दाज कर दिया अथवा अपेक्षित ध्यान नहीं दिया। सहकारिता में काले धब्बे, इसमें कतिपय भ्रष्ट राजनीतिक, भ्रष्ट अधिकारियों और स्वार्थी तत्वों के प्रवेश और इनके द्वारा दूषित करने के कारण आ गये।

यदि ऊपर वर्णित स्थिति के सभी कारणों की विवेचना करे तो यहाँ यह सम्भव नहीं है, अत हम खुद प्रमुख कारणों की चर्चा करेंगे।

हमने सहकारिता को व्यक्ति और समुदाय की अनेक समस्याओं के समाधान और इसके बेहतर जीवन के लिए स्वीकार किया, लेकिन इसको सुचालू सचालन द्वारा सुदृढ़ बनाने की दिशा में हर स्तर पर समग्र और सार्थक चितन नहीं किया और यदि कहीं यह चिंतन चला तो उसको साकार नहीं किया गया अथवा व्यवहारिकता नहीं

नहीं प्रदान की गई। विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाएं बनी उनसे शिक्षित और अशिक्षित दोनों वर्ग के व्यक्ति सम्बद्ध रहे। अनपढ़ और अशिक्षित व्यक्तियों की सहकारी संस्थाएं बनाते समय इस तत्त्व को नंजरअदाज कर दिया कि सहकारी संस्था के सफल सचालन के लिए सदस्यों को सुशिक्षित होना आवश्यक है। अत आवश्यक है कि सहकारी संस्थाओं के अशिक्षित सदस्यों को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शीघ्र लाया जावे। यह कार्यक्रम शिक्षा विभाग पचायत एव समाज कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग, उद्योग सचालय के सहयोग से राज्य सहकारी संघ द्वारा किया जा सकता है।

सहकारी संस्थाओं के सुचारू सचालन के लिए 'प्रशिक्षण' की अनिवार्यता को एक मत से स्वीकार किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य सहकारी संघ व जिला सहकारी संघों द्वारा सचालित किये जा रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए सहकारी संघों का सहकारी संस्थाओं से सबंधित विभागों का सहयोग आवश्यक है। साथ ही साथ वहाँ सहकारी संघों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होना आवश्यक है। आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए कि वे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इससे सबंधित व सहकारिता से सबंधित फिल्मों का प्रदर्शन भी कर सके। राज्य सहकारी संघ की तरह जिला सहकारी मासिक या त्रैमासिक पत्रिक सहकारिता के संबंध में प्रकाशित करें जिससे जिले की सहकारी संस्थाओं के विषय में उपयोगी जानकारी मिलें। साथ ही वे फोर्लडसी बुकलेट आदि प्रकाशित कर जिले में सहकारिता के प्रचार-प्रसार में भी अच्छा योगदान दे सकें। सहकारी संस्थाये किसी उद्देश्य या किन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गठित होती हैं। संस्था के उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार या गैर शासकीय एजेन्सी से वित्तीय या अन्य प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है। राज्य सहकारी संघ सहकारी संस्थाओं को व्यवस्थापकों की सेवायें उपलब्ध कराने के लिए राज्य शासन की सहमति एवं राज्य शासन से प्रति वर्ष आवश्यकतानुसार प्राप्त होने वाले अनुदान से 'व्यवस्थापक व्यवस्था कोष' की स्थापना करें एवम् इस कोष से राज्य की सहकारी संस्थाओं उनके कारोबार आदि को देखते हुए राज्य शासन की

अनुमति से नियुक्त व्यवस्थापकों को वेतन, भत्ते आदि उपलब्ध कराये।

राज्य शासन द्वारा गठित राज्य स्तर पर सहकारिता विभाग से संबंधित परामर्श याची समिति की बराबर बैठकों में सहकारिता की प्रगति, दोषों समस्याओं आदि पर पूरी तरह विचार चर्चा आवश्यक है। इस प्रकार उपरोक्त में हमने सहकारिता के सुचारू रूप से संचालन में बाधक तत्वों, कारणों, उनके निराकरण एवं सहकारिता को सुदृढ़ बनाने वाली बातों पर चर्चा की। इन कारणों में कुछ अप्रिय एवं कटु सत्य भी हैं। सहकारिता की सफलता एवं उसकी सुदृढ़ता के लिए आवश्यक है कि हम यथार्थ से मुँह न मोड़े। यदि कोष है तो उसको सामने रखें और उनको दूर करने का प्रयास करें। यहाँ यह कहना अनुचित न होगा कि सहकारिता के कुछ काले पहलू भी हैं तो उज्ज्वल पहलुओं की भी कमी नहीं है। यही कारण है कि सहकारिता का सफर समाप्त नहीं हुआ है। लम्बे सफर के बाद भी सहकारिता का सफर जारी है और आगे भी जारी रहेगा, इसमें जरा सा भी सन्देह नहीं है।

इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सहयोग मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। समाज की समूची उपलब्धि व समृद्धि सहयोगी क्रियाओं का ही प्रतिफल है। व्यापक अर्थों में सहभागी कार्य-कलापों का व्यवस्थापन ही सहकारिता है। यह सहकारिता एक सिद्धिदायी मत्र है, जो स्वेच्छा से किसी पारस्परिक हित के लिए सुगठित होने वाले लोगों के समूह में, एक मौलिक व प्रबल शक्ति बनकर, सफलता के नये सोपान बना देती है। इसमें सहभागी तत्वों को समान महत्व व स्वयत्व प्रदान होता है। इससे सदस्यों में आत्मीयता व चौंकस चेतना बनी रहती है। धीरे-धीरे आज सहकारिता ग्रामीण जीवन की गतिविधियों का केन्द्र बनकर विस्तृत व व्यापक जनान्दोलन के रूप में प्रतिष्ठित हो गई है। सहकारिता की उपयुक्त विशेषताओं को ध्यान में रखकर यदि हम अपने प्राचीन सामाजिक व्यवस्थाओं का दोहन करें तो ज्ञात होगा कि हमारे देश में इस व्यवस्था की जड़ एक लम्बे अतीत की प्रतीतियों और व्यवहारिक अनुभवों

से जुड़ी है। शुरू से ही वे भेरे इतिहास की साक्षी रही हैं, भले ही उनका व पुरातन स्वरूप अपने नाम, रूप, गुण और कार्यशैली, समग्र की माग और आवश्यकता के अनुरूप, अलग किश्म का रहा हो, परन्तु जो कुछ भी या उसको मूल तत्व सहयोग जनित सहकारिता ही है। सच पूछा जाय तो सहकारिता बिना सामाजिक व्यवस्थाएं ठीक तरह से कभी कार्य कर ही नहीं सकती है।

सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें लोग समानताधार पर अपने आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए स्वेच्छा से सम्मिलित होते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार परस्पर सहयोग करते हैं, उनका एक सामान्य हित होता है जिसे वे व्यक्तिगत प्रयास द्वारा पूरा नहीं कर सकते हैं। कारण उनमें से अधिकाश लोगों की आर्थिक स्थिति दुर्बल होती है। इस व्यक्तिगत दुर्बलता पर अपने पृथक-2 साधनों को एकत्र करके पारस्परिक सहयोग द्वारा आत्म-सहायता को प्रभावशाली बनाकर नेतृत्व की तथा निष्ठाधार पर विजय प्राप्त की जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सहकारिता एक ऐसी कार्य प्रणाली है जिसके द्वारा साधनहीन और निर्बल व्यक्ति भी आगे बढ़ सकते हैं। खेतों के छोटे होने के नाते निर्धन एवं सीमात कृषकों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय है तथा इस वर्ग के कृषक स्वयं अपने साधनों से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फलत आवश्यक है कि इस वर्ग के कृषक आपस में मिलकर खेती करें। सहकारी कृषि के द्वारा बड़े-2 कृषकों को मिलने वाले लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार सहकारी कृषि, सहकारी उपभोक्ता समिति, सहकारी सिचाई एवं सहकारी विपणन के माध्यम से इस वर्ग के कृषक अपनी प्रगति का मार्ग स्वयं खोज सकते हैं। इस प्रकार निर्बल एवं सीमात कृषकों के विकास के लिए यह आवश्यक है कि वह सहकारिताधार पर आपस में संगठित होकर आगे बढ़े।

भारत जैसे विकासशील तथा कृषि प्रदान देश के लिए सहकारिता आन्दोलन का विशेष महत्व है। सहकारिता के माध्यम से संसाधन जुटाकर जहाँ एक ओर आर्थिक

विषमता एवं आर्थिक पिछड़ेपन को तेजी से दूर किया जा सकता है वहीं दूसरी ओर सामाजिक निर्बल वर्ग एवं साधनहीन लोगों को सहायता पहुँचाकर उन्हे आर्थिक रूप से सबल एवं आत्मनिर्भरता बनाकर सफलता दिला सकते हैं। सहकारिता आन्दोलन को आगे बढ़ाने तथा उसे आर्थिक विकास का सक्षम साधन बनाने के लिए आज सहकारिता के विषय में लोगों को अधिकाधिक जानकारी देने की आवश्यकता है। प्रजातात्रिक राष्ट्र के लिए सहकारिता एक वरदान है। निर्बलोत्थान एवं सर्वोदय का सहकारिता सर्वोत्तम मार्ग है। सहकारिता आन्दोलन लोगों का और लोगों द्वारा चलाया जाने वाला आन्दोलन इसका तात्पर्य यह है कि इसमें लोग मुक्तरूप से तथा खुलकर भाग लें और सरकार का काम केवल इसकी निगरानी तक ही सीमित हो। वह इसमें रोक-टोक तथा हस्तक्षेप न करें। यदि ऐसी स्थिति आ जाती है तो भारत में सहकारिता आन्दोलन अपने लक्ष्यों तथा उद्देश्यों में शत प्रतिशत सफल होगा। भारत में सहकारिता आन्दोलन का भविष्य उज्ज्वल है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में गरीबी को दूर करना तथा गरीबों व अमीरों के बीच की सामाजिक तथा आर्थिक खाई को पाटना होना चाहिए। सहकारिता आन्दोलन जमाखोरी, मुनाफाखोरी तथा जानबूझकर पैदा की गई अभाव की स्थिति से निपटने का एक अचूक हथियार है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह मिलजुलकर एक समूह बनाकर रहता है। मनुष्य के इस स्वभाव पर ही 'सरकार' का तत्व निर्भर करता है।

" हमारे सामाजार्थिक उत्थान हेतु सहकारिता ही एक ऐसा आधार है, जिसके माध्यम से हमारे किसानों को आसान शर्तों पर अल्प, मध्य व दीर्घकालीन ऋण तथा बीज, उर्वरक, कृषि यत्र आदि उपलब्ध कराये जाते हैं। कृषि उपज को सुरक्षित रखने हेतु सहकारी भण्डार गृहों एवं शीत गृहों की सुविधा के साथ ही विपणन समितियों द्वारा उसके विक्रय की व्यवस्था भी की जाती है। यह निर्विवाद सत्य है कि प्रदेश में हरित क्रान्ति व श्वेत क्रान्ति लाने में विभिन्न स्तर को सहकारी संस्थाओं का अभूतपूर्व योगदान रहा है। ००प्र० सहकारी यूनियन ने सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण व प्रचार-प्रसार योजनाओं

के माध्यम से सहकारी आन्दोलन के विकास में म०प०० योगदान दिया है।

" सहकारिता आन्दोलन के माध्यम से कृषि उत्पादन को बढ़ाने, कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के अतिरिक्त कृषकों, उन्नतिशील बीज, उर्वरक व कीटनाशक दवाइयों, कृषि यत्र, विपरण एवं भण्डारण ऋण की सुविधा प्रदान कर बहुमुखी सुविधा का विकास किया जा रहा है। सहकारिता के ढाँचे में प्रशिक्षित अधिकारियों, कर्मचारियों का बड़ा म०प०० स्थान है। पूर्ण रूप से प्रशिक्षित एवं दक्ष कर्मचारी ही सहकारिता की भावना को समझकर उसका वास्तविक लाभ जनता तक पहुँचा सकता है। इस लक्ष्य से विभाग अपना विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण का कार्य भी कर रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सहकारिता से अधिक अच्छा और कोई विकल्प प्रदेश एवं देश के सर्वांगीण व समग्र विकास का नहीं है।

" हाल के वर्षों में सहकारिता (छोटे अक्षर सी लिखने पर) शब्द का प्रयोग प्रत्येक प्रकार का सहयोग पूर्ण कार्य करने के लिए इतनाधिक प्रयोग किया गया है कि इसका अर्थ ही दृष्टि में नहीं आने पाता है। को-आपरेशन और को-आपरेशन में अतर के लिए दोनों को ही सहयोगपूर्ण कार्य करने के लिए इगित करते हैं और ऐसा सहयोग सामान्य लक्ष्यों की पूर्ति के लिए होता है किन्तु छोटे अक्षर वाली सहकारिता किन्हीं तय की हुई शर्तों के अधीन मान्य की हुई इसके बिना ही सम्मिलित कार्य की सूचक है। वहीं बड़े अक्षर वाली सहकारिता सम्मिलित रूप से कार्य करने की एक विशेष रीति या टेक्नीक को इगित करती है। इस प्रकार से सहकारिता किन्हीं विशेष शर्तों या नियमानुसार जिन्हे मानना पक्षकारों ने स्वीकार्य किया है। मिलकर कार्य करने से होता। "

। वाटकिन्स (डॉ) डब्ल्यू०पी - " आल इण्डिया कोआपरेटिव " मार्च 1955

पेज 549-550 इक्लॉसिएट्स, वैलूम 9-10

" सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें लोग अपने आर्थिक अभिवृद्धि के लिए समानता के स्वेच्छाधार पर सम्मिलित होता है, उनका एक सामान्य आर्थिक उद्देश्य होता है जिसे वे व्यक्तिगत प्रयास द्वारा पूरा नहीं कर पाते हैं। क्योंकि उनमें से अधिकांश की स्थिति दुर्बल होती है किन्तु इस व्यक्तिगत दुर्बलता पर अपने प्रसाधनों को एकत्र कर, पारस्परिक सहायता द्वारा, आत्म सहायता को प्रभावशाली बनाकर और आपस में समैक्यता के सबैं को सुदृढ़ बनाकर विजय प्राप्त कर सकते हैं।"²

" विस्तृत अर्थ में सहकारिता प्रत्येक व्यक्ति के प्रसाधनों व समिश्रण और एकीकरण से है ताकि व्यक्तियों के लक्ष्य संयुक्त प्रयासों द्वारा प्राप्त किये जा सके। "³

इस निष्कर्ष रूप में हम यह सकते हैं कि सहकारिता आन्दोलन उद्देश्य रूप में ऊर्जा, यातायात का विकास, रोजगार का सृजन, जनरुच्या नियंत्रण, शिक्षा, पेयजल की उचित व्यवस्था तथा स्वास्थ्य के सन्दर्भ में सुरंगठित व समुचित विकास करने से होता है। इस योजनार्थ वित्तीय व्यवस्था का मुख्य श्रोत घरेलू बचत व निजी निवेश होंगे। कारण भारत सरकार को वित्तीय घाटे की 6.5% तक छटाकर और घरेलू बचत 21.6% करना जरूरी है। औद्योगिक ढाँचे में बदलाव के कारण निर्यात में 13.6% वृद्धि व आयात में 8% की कमी आ सकती है। आठवीं योजना राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकार की गई है।

2 भारत सरकार - कोआपरेटिव प्लानिंग कमेटी, 1946

3 भारत सरकार - अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 'कोआपरेशन' ए वर्क्स एजुकेशन मेनुअल, 1956 पेज ।

द्वितीय अध्याय

भारत के आर्थिक विकास में सहकारिता की भूमिका

ओद्योगिक क्रान्ति के समय जब कृषकों व मजदूरों का शोषण किया जा रहा था तब 1795 में हल निवासियों ने 1900 श्रमिकों के साथ हल मील विरोधी सुगठन स्थापित कर सहकारिता का एक स्वरूप स्थापित किया गया। सन् 1821 में रार्वट मापन ने सहकारिता एवं आर्थिक समिति की स्थापना की। सहकारिता को विश्व में सबसे पहले नार्वे, फ्रॉस, रूस, चीन, इण्डोनेशिया व इंग्लैण्ड को स्वीकार करने हेतु जाता है। लदन सहकारिता को शुरू करने वाला पहला देश माना जाता है। भारत में सहकारिता आन्दोलन की नीव सर्वप्रथम प्रेडिक निकोलसन ने रखी जिसे आगे बढ़ाने में ट्यूपरेक्स, मेकणासन, क्रास्थेपेट ल्यान के नाम अग्रणी है। इसकी अधिकारिक शुरूआत 1904 में सहकारी कृषि समिति अधिनियम बनने से हुई।

सहकारिता का मूल तत्व स्वालम्बन, आत्मनिर्भरता व पारस्परिक सहयोग होता है। साथ ही साथ सहकारिता को हम निजी व सामूहिक हितों में सम्य स्थापित करना उनके दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन लाना तथा सदियों से चली आ रही लाभ अधिसूचित अर्थव्यवस्था को सेवा प्रेरित आर्थिक अर्थव्यवस्था में अतरित करना होता है।¹ भारत में आर्थिक विकास एक अप्रैल 1951 से पंचवर्षीय योजना के द्वारा अर्थव्यवस्था को विकसित करने हेतु नीति अपनाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे सहकारी और निजी क्षेत्र के सहअस्तित्व के द्वारा विकास की रणनीति तय की गई। हर पंचवर्षीय योजनाओं में निजी उद्योग के महत्व को स्वीकार किया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजनाये सार्वजनिक उद्योगों के निजीकरण पर विशेष बल दिया गया। भारत की विभिन्न चुनौतीपूर्ण समस्याओं में सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण भी आज की एक अत्यन्त विवादास्पद समस्या है। आज समस्त अर्थशास्त्री, बुद्धिजीवी एवम् राजनीतिज्ञ इसको अपने-अपने तर्कों से सही व गलत करने में लगे हुए हैं। वर्तमान में 244 सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में 100,000 करोड़ की पूँजी लगी हुई है। उत्पादन दर 5% से भी कम है। रोजगार क्षेत्र में द्वितीय योजना में सार्वजनिक उपक्रम के क्षेत्र में लगे कर्मचारियों की संख्या 73 लाख थी। यह संख्या सातवीं योजना में 180 लाख हो गई। निजी क्षेत्र में लोगों की द्वितीय योजना

में 50 लाख थी। सातवीं योजना में यह बढ़कर 79 लाख हो गई। उपरोक्त से स्पष्ट है कि विनियोग, पूँजी निर्माण, बचत, घरेलू उत्पाद, रोजगार आदि सभी क्षेत्रों में लोक क्षेत्र निजी क्षेत्र पर हावी रहा है। इसके अतिरिक्त भारतीय आर्थिक विकास में दिनों-दिन जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। अतिरिक्त व वाह्य ऋणों की संख्या भी कम हो गई। मुद्रा स्फीति 14% से 58% पर हो गई। विदेशों में मुद्रा कोष में बढ़ोत्तरी हो रही है।

आर्थिक विकास में अर्थव्यवस्था का एक नजर सर्वेक्षण करने से पता चलता है कि यहाँ सहकारिता आवश्यक है। भारतीय खेती एक सम्पूर्ण स्वालम्बी धंधा है। उसकी प्राकृतिक उत्पादन प्रक्रिया से देश की दोलत का उत्तरोत्तर विकास सम्भव हो सकता है। देश की 70% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। देश की आर्थिक विकास में अर्थव्यवस्था के सामने कोई विकल्प नहीं है वह दूसरे आधारभूत सरचना का निर्माण करे जिसमें बहुसंख्यक आबादी की जीविका चले और यदि कृषि ही जीविका का मुख्य साधन हो तो सहकारिता आवश्यक है। आर्थिक विकास में सहकारिता कृषि के साथ उसी प्रकार जुड़ा हुआ है जिस प्रकार शरीर के साथ आत्मा जुड़ी है।

ए0डी0 गोखाला की अध्यक्षता में ग्रामीण क्रष्ण साख सर्वेक्षण व्यवस्था पर गठित कमेटी ने वर्ष 1954 में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि "आर्थिक विकास में सहकारिता सहकारी आन्दोलन भारत में पूर्ण असफल रहा है। परन्तु भारत जैसे विशाल देश में यहाँ अधिकतर लोग कृषि पर आधारित हैं उनके उत्थान हेतु सहकारिता के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प ही नहीं है।"

भारत में सहकारी आन्दोलन का आकार-प्रकार बहुत बड़ा है। यहाँ लगभग 3,38,000 समितियाँ हैं और सदस्यता 16 करोड़ जबकि अशपूँजी 5242 करोड़ एवम् कार्यशील पूँजी 84152 करोड़ रूपये (91-92) है। कृषि एवम् ग्रामीण साख में सहकारी

स्थाओं का योगदान 40% है। 30% उर्वरक वितरण, 60% चीनी का उत्पादन, 75% अनाज, जूट 10% कपास का क्रय तथा 30% वस्त्र का उत्पादन सहकारी क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। सहकारी समितियाँ प्रतिवर्ष 5000 करोड रूपये का ऋण 4000 करोड रूपये का उपभोक्ता सामग्री, 6 करोड मैट्रिक टन दुग्ध तथा 7000 करोड रूपये का विपणन व्यवसाय कर रही हैं। सरकारी क्षेत्रों में 2 करोड मैट्रिक टन स्टाक क्षमता है। भारत के सहकारी आंदोलन की गतिविधियाँ विस्तृत हो चुकी हैं। इसमें सहकारी साख कृषि विपणन, भंडार, उपभोक्ता, डेयरी, बुनकर, गृह निर्माण, मछलीपालन, श्रमिक एवं टेका, इंजीनियरिंग, चीनी मिलें, रासायनिक खाद, शीतगृह, कर्ताई मिलें आदि अनेक प्रकार की सहकारी स्थाये गठित हो चुकी हैं। देश के कुल चीनी उत्पादन में सहकारी मिलों का योगदान 60% से भी अधिक है। इसी प्रकार सहकारी स्थाए कुल उर्वरक का 34% से भी अधिक भाग वितरित कर रही हैं। देश में लगभग 58% हथकरघा सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं। जो कुल उत्पादन का 30% भाग उत्पादित कर रही हैं।

भारतीय विकास में अर्थव्यवस्था के विकास को समग्र रूप से देखने पर एहसास होता है कि जीविका के विवरण के लिहाज से विकास की दशा उपयुक्त नहीं है। कृषि पर आबादी के दबाव में कोई परिवर्तन नहीं आया है। आज भी भारत में 70% से अधिक लोग खेती से जीवन-निर्वाह करते हैं। देश ने आर्थिक राष्ट्रीय आय बढ़ाने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित किया और कृषि की अवहेलना की। ज्यादातर पूँजी निवेश उद्योगों की तरक्की के लिए किया गया। बृहद उद्योगों की प्रतियोगिता में गृह उद्योग का टिकना नामुमकिन है। सितम्बर 1995 में सहकारिता मन्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें कई म०पू० बात सामने आई। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के०एच० पाटिल ने अपने उद्गार इन शब्दों में व्यक्त किया। "सहकारी सगठनों के प्रति अब सदस्य उदासीन हो रहे हैं। इन सगठनों में पहले जैसा एक जुट होकर कार्य करने की भावना नहीं है। सहकारिता का असली क्षेत्र तो अब सबसे छोटी स्थाओं

से है पर न तो वे ठीक से कार्य कर रही हैं और न इनमें यह कार्य क्षमता ही है। न लगन न सुचारू सचालन।" इस प्रकार लगता है कि आर्थिक विकास में सहकारिता का दर्शन भारतीय अर्थव्यवस्था में फीका पड़ रहा है।

उपरोक्त कथनों के विवरणों से हम पाते हैं कि आज विश्व निजीकरण की प्रक्रिया का हिमायती है। जापान, साइपान, द० कोरिया, हॉगकॉंग, सिंगापुर आदि देशों के अर्थव्यवस्था के अध्ययन से परिलक्षित होता है कि निजीकरण न ही इन देशों को विकास की मजिल पर पहुँचाया है। यह सत्य है कि आज समग्र विश्व निजीकरण की भावना से ओत-प्रोत है और भारतीय अर्थव्यवस्था भी इसे स्वीकारने लगी है। पूर्व निजीकरण को अर्थशास्त्रियों ने बहुत बुरा माना है। इससे मूल्य वृद्धि, कम्पनियों की मनमानी, मुद्रा स्फीति, मदी आदि का भय रहता है जो किसी देश की अर्थव्यवस्था को पगु बना सकता है। अत भारतीय अर्थव्यवस्था यदि दोनों का समन्वय करें और सहकारिता के लाभ को उठायें तो उपरोक्त घातक परिणामों से बचा जा सकता है। विभिन्न अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत सहकारिता ने पुर्ननिर्माण में म०प०० भूमिका निभाती है। आज कृषि, पशुपालन, डेयरी, साख विक्रय, उपभोग आदि सभी क्षेत्रों में सहकारिता का बोलबाला है। अतएव यह निर्विवाद सत्य है कि सहकारी प्रयास ग्रामीण पुर्ननिर्माण में क्रान्तिकारी भूमिका निभाने में सक्षम है। सहकारिता के माध्यम से आर्थिक विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का अर्थ है देश की 80% जनसंख्या की अवस्था में सुधार लाकर भारत के जनसमुदाय एवम् विश्व में आदर्श स्थापित करना।

सभ्यता के विकास में मानव ने निरंतर पग बढ़ाता हुआ आगे बढ़ा। आधुनिक रूप से ही उसने प्राकृतिक शक्तियों से तादात्म्य स्थापित करने में समय लगाया। इससे उत्पादन के साधन व सीमाओं के तहत वह अपने परिश्रम से विकास कर सके। पशुपालन व अन्य अन्वेषणों के कारण शीघ्र ही वह विकास की मजिलों को तय करता गया। अरिन के अविष्कार तथा पशु-पालन की अवस्था में विनिमय के विकास व श्रम विभाजन

तक प्रगति द्वितगति से हुई। फलत सामूहिक ढग से (दैनिक जीवन के कार्य सम्पन्न होते) उपभोग होता था। इतिहास साक्षी है कि आदिम लोगों में मिलजुल कर कार्य करने, भय का एक जुट रूप में सामना करने की क्षमता थी। फलस्वरूप लोगों के मध्य आपस में घनिष्ठ सबंध प्रतिस्थापित हो गये थे। गोत्र समुदायों का अविर्भाव इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

'गोत्र समुदाय' एक ऐसा रूप था जिसमें सभी लोग मिलकर कार्य करते तथा सारी सम्पत्ति साझी होती थी। पुरुषों तथा स्त्रियों द्वारा समस्त आहार "कुल" के लोगों के मध्य विभाजित किया जाता था। विभाजन का निदेशन 'गोत्र प्रमुख' करते थे। मूल रूप से गोत्र की साझी सम्पत्ति कृषि तथा पशुधन होती थी। इस 'गोत्र समुदाय' से ही 'मात्र-समुदाय' की (उत्पत्ति हुई। भूमि सारे समुदाय की) सामूहिक सम्पत्ति थी। सभा सामूहिक चारागाह में अपने पशु चराते तथा सामूहिक शिकार करते थे। काल के व्यतिक्रम में इस समुदायिक कृषि योग्य भूमि को 'टुकड़ों' अर्थात् 'जोतों' में विभाजित कर दिया गया। कालान्तर में समुदाय का स्वरूप परिवर्तित होना प्रारम्भ हुआ अर्थात् गोत्र समुदाय शने-शने ग्रम समुदाय के रूप में प्रदर्शित हुए। इसके सदस्यों को समुदायिक कृषि कहा गया। भूमि पर इनका सामूहिक स्वामित्व होता था।

कुछ समय पश्चात् (कालान्तर) समुदाय के सदस्यों की समानता लुप्त प्राय होने लगी। मुखिया अपने लिए उत्तम कृषि भूमि का चयन करने लगे तथा सम्पन्नता की ओर अग्रसर होने लगे, कुछ अन्य कृषक विपन्नता की ओर बढ़ने लगे। पुरातात्त्विक अवशेष इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। कुछेक कब्रों में मिट्टी के ठीकरे हैं तो कुछेक में बहुमूल्य अभूषण आदि। फलत असमानता की उत्पत्ति ने आदि सामुदाय व्यवस्था को परिवेष्टित कर लिया। उन आद्य निवासियों को जितनी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती वे अपने परिवार के निमित उसका उत्पादन तथा संग्रह करते थे। परिवार के लोगों ने अपना कार्य विभाजन भी कर लिया था। इससे परिवार का सभी सदस्य अपने

अपने कार्यों में लगा रहता था। कालान्तर में इनकी आवश्यकताएं बढ़ने लगी थीं। दूसरे परिवार की वस्तुओं का आदि मानव इच्छुक होने लगा। फलत बदले में देने का विचार उत्पन्न हुआ। इस भाँति अदल-बदल अर्थात् 'बार्टर' का रूप समाज में व्यवहृत होने लगा। मिश्र की सरकार कब्रि पर बाजार में इस 'अदल-बदल' की प्रक्रिया का चित्रण मिलता है। वैदिक साहित्य में भी इस प्रक्रिया की झलक मिलती है। 'ऋग्वेद' एवं 'ब्राह्मण' ग्रंथों में गाय के द्वारा ही वस्तुओं की बिक्री का वर्णन है। यूरोपीय देशों में ऐसिसको तथा चीन में अनाज विनिमय का साधन था।

विकास क्रम में विनिमय का साधन वस्तुएं समझी जाने लगी तथा आभूषणों की गणना भी इस सदर्भ में की जाने लगी। शनै-शनै धातु ने मुद्रा का रूप धारण किया वस्तुत विनिमय के उस साधन को मुद्रा का स्वरूप दिया जो धातुपिंड से निर्मित होता था। विकास क्रम इस रूप में परिवर्तन तथा परिवर्द्धन होता गया। आर्यजन कबीलों का मुखिया 'राजन' कहलाता था। वह कबीले वाले से उपज का एक अश पाता था। यह प्रथमत निर्वाचित सेनानी अथवा मुखिया के रूप में होता था। शनै-शनै: वह सर्वसत्ता सम्पन्न 'राजन' बन गया तथा यह पद वशानुगत हो गया। समाज में वर्गों की उत्पत्ति हो गयी। कृतयुग में तथा उससे पूर्व कोई नरेश नहीं था। मात्र धार्मिक नियमों के अन्तर्गत लोगों का यह अस्तित्व स्थापित था। पाश्चात्य विद्वान् डा० जौली ने नारद स्मृति के 'आदि शब्दों गण संवादि समूह विवक्षया' के आधार पर समूह में रहने वालों को 'गण' के अर्थ में प्रतिपादित किया गया। यह नारद के पारिभाषिक भाव के अनुकूल नहीं है। यद्यपि भावार्थ समीप्य है एवम् अनुकूल है। पाणिनी ने 'गण' को 'सघ' अर्थात् प्रजातंत्र के रूप में ग्रहण किया है। कात्यायन एवम् कौतिल्य ने भी इसी भाँति ग्रहण किया है।

आदि समाज में सम्पत्ति स्वयं की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। बोद्ध सघ में तिजी सम्पत्ति के निमित्त कोई स्थान नहीं था। महाभारत के शतिपूर्ण से विदित

है कि किसी नरेश के पास सम्पत्ति का अधिकार नहीं होता था।

"न हि वित्तेषु प्रभुत्वं कस्यचित्तदा" वस्तुत प्राचीन राज विद्यान में सामूहिकतावाद के अन्तर्गत जनों का संगठन था। 'स्तायी' शब्द से स्पष्ट है कि एक साथ उनमें रहने की भावना विद्यमान थी। फलत कुटुम्ब एक साथ रहता था। "अपस्त्यायते संपत्ति भवति पस्त्ययम"। स्वीकार्य तथा आर्य के 'गोत्र' एवम् गण का मूलरूप एक ही था। एक ही कुल के लोग सामान्य एवम् सामूहिक आर्थिकता से सम्पन्न थे। कालान्तर में मूल आदर्श लुप्त होने से इनमें विभेद उत्पन्न हो गये। व्यक्तिगत उत्पादन व नियन्त्रण के द्वारा सम्पत्ति की विषमता उत्पन्न हुई। फलत धनिक व निर्धन वर्ग की परिणति समाज में हुई। शनै सामूहिकता की भित्तियों जीर्ण होने लगी तथा विनियम की परिसीमा में वर्ग विशेष में धन एकत्रित होना शुरू हो गया। समाज अमीरों व गरीबों में बेंट गया। शनै-शनै विकास क्रम में उत्पादन के साधनों में क्रान्तिकारी परिवर्तन द्वष्टिगत हुए। फलत निजी सम्पत्ति सचय का पूर्ण अवसर मिला जिससे दूसरे वर्गों में असंतोष की भावना बढ़ने लगी। वर्ग सघर्ष के बीज पनपने लगे। ऋग्वेद (10-117) की वह परिकल्पना जिसमें दुख के साथ कहा गया कि "क्या ईश्वर के हाथों से मनुष्य के लिए अकेला दण्ड भूख है? (धनी) मूर्ख के पास खाद्य पदार्थ का सचय होना किसी की भलाई नहीं करता है।"

कालान्तर में विकास क्रम व्यक्तिगत सम्पत्ति, व्यक्तिगत परिश्रम तथा विनियम बाजार के कारण वर्ग सघर्ष बढ़ता गया। सामूहिकता की भावना को ठेस पड़ुंची। आदमियों के मध्य घृणा और ईर्ष्या के भाव पनपने लगे। उत्पादन श्रम के द्वारा उपभोग की भावना पर नहीं बल्कि बाजार में उसकी मांग एवं भारय के अधीन होने लगी। श्रम में उपभोग की भावना नहीं बल्कि श्रम जीवन के लिए तथा बाजार के लिए है। यह भावनाएं पनपने लगीं। निजी सम्पत्ति, निजी सम्पत्ति तथा बदलते सामाजिक मूल्यों के कारण गृह में पुरुष का आधिपत्य स्थापित हुआ। मातृ सत्ता नष्ट हुई। फलत आर्थिक परिक्षेत्र में नारी की पराजय हुई। नारी को मात्र 'जनी' ही समझा गया।

समाज में सत्ता की उत्पत्ति, उत्पादन की नयी शक्ति तथा निजी सम्पत्ति ने एक नया रूप धारण किया साथ ही वर्ण व वर्गों के उदय ने नये परिवार की रचना की। फलस्वरूप निजी सम्पत्ति की प्रवृत्ति में समाज से समाज में वर्ग भेद उत्पन्न हो गये। वस्तुत परिश्रम एवं धन बढ़ने से सधर्ष भी बढ़ता गया। विनिमय ने सामूहिक उत्पादन तथा सामूहिक अधिपत्य को नष्ट कर दिया। वर्ण भेद कालान्तर में वर्ण विभेद में परिवर्तित हो गया। ईषोपनिषद के नियमानुसार कि 'त्याग द्वारा उपभोग करो, किसी दूसरे के धन की इच्छा या कामना न करो।' तेनत्यक्तेन भुजीथा मा गृह्य कस्यस्त्वद्घनम् इसके स्थान पर अब विनिमय के अन्तर्गत निजी सम्पत्ति ने अपना स्थान प्राप्त कर लिया था। फलस्वरूप एकान्तिक परिवार का उदय हुआ। इसमें सामूहिकता की भावना को ठेस पहुँची। जब समाज में सामूहिक सम्पत्ति नष्ट होकर निजी सम्पत्ति बढ़ रही थी उस समय गृह सूत्रों का सृजन हुआ।

धीर-धीर समाज में आर्थिक विकास होना प्रारम्भ हुआ। मौर्य युग तक सिचाई की व्यवस्था हो चुकी थी। दूसरी शती ३००० के एक शिलालेख में चन्द्रमुत्त मौर्य के राज्यकाल में एक जलाशय के निर्मित कराये जाने का उल्लेख है। मौर्य युग में पाटलीपुत्र विशालतम् नगरों में से एक था। अर्थशास्त्र में कर्मशालाओं का उल्लेख होने से इसमें बहुत से शिल्पी कार्यरत थे। निजी उद्यम में कार्य होने से वाराणसी, मथुरा, उज्जैनी में सूती कपड़े बुने जाते थे। भडोच बदरगाह से पश्चिम को कपड़े का निर्यात किया जाता था। गांधार में उनी कपड़ों का कार्य होता था। फलस्वरूप सभ्यता के आद्य स्वरूप से लेकर अद्यतन की विकसित सभ्यता के अन्तर्गत मानव जीवन में सामुदायिक एवं सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति किसी न किसी रूप में विद्यमान थी। राजनीतिक परिपेक्ष्य में सामन्ती एवं शोषण के फलस्वरूप निजी सम्पत्ति करने की भावना को बल अवश्य मिला, लेकिन समाज के लिए श्रेयस्कर न हो सका। कारण कि विकास का तात्पर्य आर्थिक प्रगति का बोध कराना है। विनिमय के द्वारा समाज में ऐसे परिवर्तन लाये जायें, जिससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति की वास्तविक आवश्यकता बढ़ सके। इस्ते

समाज का सर्वांगीण विकास सभावित है। वस्तुत आर्थिक विकास एक बहुमुखी तत्व है, साथ ही विकास (आर्थिक विकास) का निर्धारक तत्व व्यवस्था ही है।

भारत आद्य रूप से ही कृषि प्रधान देश है। यहाँ भूमि सुधार के परिपेक्ष्य में रैयत वारी प्रणाली प्रचलित थी। बहुत सी भूमि, सुधारपूर्ण ही सम्पन्न कृषकों के हाथ में थी। कृषकों ने स्वतन्त्रता संग्राम के साथ ही साथ कम लगान, कम मालगुजारी आदि मार्गों के निमित्व अपना सघर्ष जारी रखा था। किसान सभाए देश के बहुत सी भागों में सक्रिय थी। अधिकतर किसान सभाओं में जनवादी प्रभाव था। अन्तत री एन०जी० रगा और वी०वी० गिरी के प्रयत्नों से अखिल भारतीय किसान संगठन, कांग्रेस के तत्वाधान में हुआ। अगस्त 1936 में कृषकों के अधिकारों का घोषणा-पत्र स्वीकृत हो गया था। इसमें कृषकों का सामन्तों के विरुद्ध सघर्ष निहीत था। कृषक अपने अपने व्यवसाय के प्रति जागरूक तो था ही वह सुधार की ओर भी उन्मुख हुआ। कालान्तर में कृषि क्षेत्र में सहकारी कृषि का रूप निखरा। निजलिंगप्या समिति ने "सहकारी कृषि समिति, कृषकों का ऐच्छिक संगठन है, जिससे मानव समिति की शक्ति व भूमि जैसे साधन एकत्रित किये जाते हैं।" वस्तुत यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें भूमि का संयुक्त प्रबंध कृषि के क्षेत्र में किया जाता है। इस परियोजना में श्रम का सदुपयोग एवम् कृषि भूमि का सुधार सन्निहित है। साथ ही समाज में भावनात्मक एकता का सूत्रपात भली-भांति होता है। ये सामुदायिक जीवन की अभिन्न कड़ी है।

सामुदायिक विकास का प्रत्यक्षत रूप 1952 ई० से परिलक्षित होता है। सामुदायिक जीवन समाज में आर्थिक जीवन का केन्द्र बिन्दु है। फलत शासन की ओर से सामुदायिक विकास योजना का प्रारम्भ हुआ। विकास क्रम में मानव चेतना के अन्तर्गत मूलभूत तत्व सहकारी भावना का ही प्रदर्शन है। वास्तव में साठी०यो० मानव में मिलजुल कर कार्य करने की प्रवृत्ति है। ये मूलभूत भारतीय समाज की आवश्यकता

है। ऐतिहासिक परिपेक्ष्य में 1895 से ही जस्टिस रानाडे के सतत् प्रयत्नों से ही ग्रामीण ऋणों को हल करने के लिए कृषि बैंकों की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश में छूपनेक्स की सहायता से ही ग्रामीण ऋण समितियों के गठन की उत्तेजनीय पहल थी। 1904 में सहकारी साख समिति अधिनियम पारित हुआ। इसके बाद 1912 में पुनर्सहकारी समिति अधिनियम पारित हुआ। इससे समाज में चेतना जागृत हुई। इस अधिनियम के पारित होने के 2 माह बाद ही लगभग 15,000 सहकारी समितियों गतिशील थी। इनका विधिवत् अध्ययन करने के लिए 1915 में भैकलेगन समिति गठित हुई। इसकी अनुशंसा का क्रियान्वयन प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण न हो सका। 1919 में माण्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के फलस्वरूप सहकारिता समितियों को प्रोत्साहन मिला। 1945 की सरेया समिति की अनुशंसा से सहकारिता की अधिक गति प्राप्त हुई। इसलिए 1951 से देश में योजनाबद्ध सहकारिता का विकास हुआ।

स्वीकार्यतया इस मानवीय चेतना (सहकारिता) का आद्य से अद्यतन दिग्दर्शन समाज में पूर्णतया परिलक्षित है। यह मानवीय चेतना है इस राजनीतिक परिसीमा में परिवेष्ठित नहीं किया जा सकता है और न ही किसी बाद तक सीमित किया जा सकता है। यह मानवीय आवश्यकता है। यह विकास की कुंजी होने के साथ ही साथ इससे आर्थिक व नैतिक दोनों लाभ परिलक्षित होते हैं। सहकारिता से समाज में जमाखोरी, चोरी, काला बाजारी, मदपान आदि प्रवृत्तियों का अन्त होता है। इसके स्थान पर परिश्रम लगना, निष्ठा, परस्पर सहयोग एवं स्वालम्बन के गुण पत्त्वित व पुष्टि होते हैं। सहकारिता से सामाजिक परिवर्तन होकर समाज में यह प्रक्रिया नव जीवन का संचार करती है।

प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन के माध्यम से आर्थिक विकास के आवश्यक संसाधनों को जन सामान्य तक पहुँचाने के प्रयास किये गये हैं। उत्पादन वृद्धि के साथ-साथ न्यायोचित वितरण को सुशिचित करने का भी प्रयास सहकारी पद्धति पर

किया जा रहा है। प्रयत्न यही रहा है कि इस व्यवस्था के माध्यम से अभावग्रस्त लोगों, साधन विहीन समुदायों तथा पिछड़े व निर्बल वर्ग के लोगों को विकास के समान सुअवसर प्रदान किये जायें। प्रदेश मे सहकारी सम्पादन एवं निवेशों की पूर्ति कर कृषकों के उत्पादन स्तर मे वृद्धि मात्र ही नहीं कर रही है बल्कि उनके लिए दैनिक उपभोग की सामग्री सुलभ कराकर उन्हें शोषण से भी बचा रही है। बढ़े हुए उत्पादन का अधिकतम् मूल्य दिलाने के कार्य में प्रदेश की सहकारी विपणन एवं विद्यायन समितियों कार्यरत है। मध्यस्थों तथा विचौलियों की कुरुतियों एवम् शोषण की कुप्रवृत्ति से सर्वसाधारण को मुक्ति दिलाने हेतु उपभोक्ता सहकारी भण्डार संगठित किये गये हैं। पशु पालकों एवं दुग्ध उत्पादकों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु दुग्ध सहकारी समितियों कार्य कर रही है। बनुकरों की समस्याओं के निराकरण हेतु विभिन्न प्रकार की सहकारी बूनकर समितियों कार्यरत है। इनके अतिरिक्त कई अन्य प्रकार की सहकारी सम्पादन जैसे - श्रम सविदा, गृह-निर्माण, कृषि, कुक्कुट पालन, शीतगृह तथा रिक्षा चालक, सहकारी समितियों कार्य कर रही है। आर्थिक विकास मे सहकारिता के लिए सहकारी ग्रामीण निर्मित गोदामों का कार्य विशाल स्तर पर किया जा रहा है। उपभोक्ता की व्यवस्था की गई है। अल्प, मध्य व दीर्घकालीन ऋण वितरण व्यवस्था में प्रादेशिक सहकारी आन्दोलन ने नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। समाज के निर्बल वर्ग तक आन्दोलन की सेवा एवं सुविधा का प्रसार किया गया है। इसे सबल बनाने हेतु हमें सुनियोजित, अनुशासनबद्ध, संगठित एव सामूहिक प्रयास करने होंगे। इस पुनीत कार्य मे जनता की भागीदारी आवश्यक है तभी हम पूज्य गांधी जी के सपनों को (समाजवादी समाज हेतु तथा आर्थिक विकासार्थ सहकारिता के लिए) साकार करने में सफल होंगे।

अप्रैल 1951 मे ही भारत मे मिश्रित अर्थव्यवस्था का मार्ग चुनकर पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अपना आर्थिक करना प्रारम्भ किया। नि सन्देह योजना काल मे कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र मे काफी विकास हुआ। फिर भी पूर्णत न बेरोजगारी समाप्त हुई न ही गरीबी। मानव जीवन मे जिस प्रकार सुख-दुख आते रहते हैं,

उसी प्रकार अर्थव्यवस्था में भी गतिशीलता व गतिहीनता की स्थिति उत्पन्न रहती है। गतिशीलता को दूर करने के लिए आर्थिक नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता है। 1990 के दशक में देश में तीव्र बदलाव हुए। इस दिशा में भारत सरकार ने भी जुलाई 1991 में आर्थिक चुनौतियों का सामना करने हेतु आर्थिक विकास के लिए नई आर्थिक नीति को बनाने का विचार आया। भारत ने 21वीं शदी के लिए विकसित राष्ट्र के रूप में तैयार होने का संकल्प लेते हुए तत्कालीन एवं भावी आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए/निदान के लिए नई आर्थिक नीति बनाई जो कि म0प० कदम है।

स्वतंत्रता के पूर्व से ही भारत अर्थव्यवस्था के विकास एवं ग्रामीणों के आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने हेतु सहकारिता आन्दोलन को एक म0प० मार्ग के रूप में स्वीकार किया गया। स्वतंत्रता बाद इस आन्दोलन को और गतिशील बनाने के सुझाव दिये गये। सहकारी समितियों जहाँ एक ओर वित्त (साख) के क्षेत्र में काफी मदद कर रही हैं वही उर्वरक, उत्पादन व वितरण कार्य में अधिक भूमिका निभाते हुए दुग्ध उत्पादन, तिलहन, विधायन, मत्स्य आदि के क्षेत्र में उत्पादक व उपभोक्ता दोनों को लाभ पहुँचा रहे हैं। देश में उत्पादित चीजों का कुल 60% उत्पादन सहकारी क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है। साधारण जूट एवं कपास की प्राप्ति का 75% भाग सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

अप्रैल 1991 से ही भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मार्ग चुनकर पचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अपना आर्थिक विकास करना प्रारम्भ किया। नि सन्देह योजनाकाल में कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र में काफी विकास हुआ। फिर भी पूर्णत न तो बेरोजगारी समाप्त हुई न ही गरिबी। मानव जीवन में जिस प्रकार दुख-दुख आते रहते हैं, उसी प्रकार आर्थिक विकास से सबधित अर्थव्यवस्था में भी गतिशीलता व गतिहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। हम कह सकते हैं कि गतिहीनता को दूर करने के लिए समय-समय पर आर्थिक नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता है। 1990 के दशक

में तीव्र परिवर्तन हुए। इसी दिशा में भारत सरकार ने भी जुलाई 1995 में आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए आर्थिक विकास के लिए नई आर्थिक नीति बनाने का विचार आया। भारत ने 21वीं शदी के लिए विकसित राष्ट्र के रूप में तैयार होने का सकल्प लेते हुए तत्कालीन एवं भावी आर्थिक समस्याओं के निदान हेतु आर्थिक नीति बनाई।

आर्थिक विकास में आर्थिक नीति एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वतंत्रता के पूर्व ही भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास एवं ग्रामीणों के आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार लाने हेतु सहकारिता आनंदोलन को एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में हम स्वीकार करते हैं। स्वतंत्रता बाद इस आनंदोलन को और अधिक गतिशील बनाने के निर्णय लिये गये। सहकारी समितियों जहाँ एक तरफ वित्त (साख) के क्षेत्र में काफी मदद कर रही है वही, उर्वरक, उत्पादन, वितरण कार्य में अधिक भूमिका निभाते हुए दुग्ध उत्पादन, तिलहन, विधायन, मत्स्य आदि के क्षेत्र में भी उत्पादक व उपभोक्ता दोनों को लाभ पहुँचा रही है। देश में उत्पादित कुल चीनी का 60% उत्पादन सहकारी क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है। खाद्यान्न, जूट एवं कपास की कुल प्राप्ति का 75% भाग सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। सहकारिता आनंदोलन आर्थिक विकास में काफी हद तक सफल रहा है। फिर भी अभी बहुत कुछ हमें करना है। आर्थिक विकास के लिए हमें सर्वप्रथम उत्पादन तथा रोजगार को बढ़ाना होगा। सामाजिक प्रतिबंधों तथ कुरुतियों को दूर करना होगा। आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र को मजबूत करना होगा। सामाजिक हित में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना होगा, साथ ही साथ लघु उद्योगों को भी बढ़ावा देना होगा। गावों का समन्वित विकास करते हुए कारीगरों, मजदूरों को शोषण से मुक्त करना होगा।

नयी आर्थिक नीति सहकारिता क्षेत्र के लिए दो तरफा नीति बनाई गयी है। एक तरफ तो कानूनी प्रावधानों में छूट एवं सहकारी हस्तक्षेप को कम कर ही है,

जो सहकारी आन्दोलन के भविष्य में सहायक होगा। दूसरी तरफ सरकारी समितियाँ अभी आर्थिक वृद्धि से सुदृढ़ नहीं बन पाई हैं। सहकारिता को मजबूत एवं प्रबंधकीय वित्त की आवश्यकता है। उत्पादन के क्षेत्र में उदारीकरण कर निजी क्षेत्रों में प्रवेश के लिए द्वार खोल दिया गया है। निजी क्षेत्र के कम्पनियों द्वारा नई तकनीकी एवं आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जायेगा, जिससे कम लागत पर अधिक मात्रा में अच्छी वस्तुओं का उत्पादन होगा, इससे सहकारी क्षेत्र के उद्योग प्रभावित होंगे।

नई आर्थिक नीति के प्रावधानों से सहकारिता आन्दोलन को प्रभावित करने में सफलता अच्छी मिलेगी, यदि हम उद्योग स्थापना में प्रवेश सबधी छूट दे दे। बैंकों में प्रतिस्पर्धा बढ़ा दें, सब्सिडी को कम कर आठवीं पचवर्षीय योजना में किसी प्रकार का उल्लेख न हो। व्यापार में प्राथमिकता न देने से भी सहकारिता में वृद्धि की सम्भावना है।

हमारा देश एक कल्याणकारी देश है। कल्याणकारी रुचि में रहने वाले नागरिकों के कल्याण के लिए प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले ध्यान देना होता है, आर्थिक हित पर बाद में। यह सर्वदा सत्य है कि आर्थिक विकास होना चाहिए, परन्तु अपने सतत संस्कृत सभ्यता और नागरिकों के कीमत पर नहीं। आर्थिक विकास के मामले में हमें अपने मानव संसाधन का उपयोग करना चाहिए। हमारे देश में अधिकांश जनता गरीब है। जनता को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की बात सोची जानी चाहिए। अभी भी देश में काफी बेरोजगार युवक है, इन युवकों को रोजगार देना सरकार का दायित्व बनता है। नये उद्योगों के स्थापना के लिए प्रवेश सबधी छूट तथा लाइसेंस प्रणाली में देय छूट से बाहरी उद्योगपतियों का आगमन हर क्षेत्र में बहुत बड़ी सख्ता में बढ़ेगा। इस बढ़ोत्तरी से सहकारिता के उद्योगों के प्रभावित होने की संभावना है। सहकारी आन्दोलन अपने देश के नागरिकों के कल्याण देतु कार्य कर रहा है।

इस प्रकार उपरोक्त कथनों के परिणामस्वरूप हम कह सकते हैं कि सहकारिता आन्दोलन मानव संसाधनों का उपभोग कर अधिक रोजगार सुजित कर, उत्पादन का भी कार्य कर रही है। यदि, सरकार महसूस करें कि इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है या गति प्रदान करने की आवश्यकता है तो नि सन्देह सरकार को ऐसा करना चाहिए और साथ ही साथ सरकार को भी सहकारिता के द्वारा आर्थिक विकास के कार्य करने के लिए प्राथमिकता के तौर पर प्रोत्साहन देना चाहिए।

तृतीय गद्याय

विश्व के प्रमुख देशों में सहकारिता का विकास

सहकारिता के क्षेत्र में इंग्लॅण्ड को विश्व का पथ प्रदर्शक माना जाता है। वहाँ आन्दोलन का जन्म औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के कारण हुआ। यथार्थ में ये परिस्थितियों ऐसी थी कि इनमें सहकारिता के अतिरिक्त सुधार का दूसरा उपाय न था। क्रान्ति से पूर्व इंग्लॅण्ड में कृषि व उद्योग की दशा प्राय वैसी ही थी जैसे कि स्वतंत्रता के पूर्व में भारतीय कृषि एवं उद्योग की थी। यह भी जनता जीविका के लिए मुख्यतः कृषि पर निर्भर थी। प्रत्येक व्यक्ति का अपने गाव 'मैनोर' की भूमि पर कुछ न कुछ अधिकार होता था। मैनोर के स्वामी को अपने इलाके के लोगों पर बहुत अधिकार होता था। किन्तु साथ ही साथ इनके प्रति उनके कुछ कर्तव्य भी होते थे। वह परम्परागत ढग से व्यवहार करता था। शताब्दियों तक यह प्रबंध चलता रहा। यदि किसी कारण जनता को कभी-कोई असन्तोष होता, तो कुछ दिनों तक उसके निवारण के लिए आन्दोलन चलता और अन्त में समझौता होकर जीवन पुन पुरानी लीक पर चलने लगता। खेती छोटे ऐमाने पर पशुओं की सहायता से की जाती थी। खेत विखरे हुए थे। कुटीर उद्योग विकसित दशा में थे। ये छोटे-छोटे शिल्पियों के द्वारा अपने परिवार की सहायता से चलाये जाते थे। साथ ही साथ गोव की ओजार सबधी आवश्यकता को पूरा करते थे। यातायात के साधन प्राचीन थे और व्यापार व वाणिज्य का अधिक विकास न था।

औद्योगिक क्रान्ति से पूर्व की स्थिति अधिक दिन तक न चली और उसमें परिवर्तन हुए। 'नई दुनिया' का पता चलने के बाद यूरोप में चौंदी का प्रवाह (फ्लो) बढ़ गया तथा हर देश व गोव में चौंदी फेलने लगी। इसके प्रभाव स्वरूप अदल-बदल की व्यवस्था का स्थान मुद्रा व्यवस्था ने ग्रहण किया। प्रत्येक कार्य में मुद्रा का प्रयोग होने लगा। खेती में कार्यरत मजदूरों को भी मजदूरी मुद्रा में मिलने लगी। अत मजदूरों ने बेगार की प्रथा से मुक्ति पाई। भूस्वामियों ने भूमि का घेरा बन्दी करने हेतु कृषकों से इनके भूमि अधिकार क्रय कर लिए इससे विखरी जैते एकत्र होने लगी और खेतों का आकार बढ़ा होने लगा। अब प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार नये तरीकों

से कृषि कार्य करने हेतु स्वतंत्र हो गया। नये-नये ढग से रूपया कृषि करने में बहुत खर्च हुआ। अब कृषि व्यवस्था इंग्लैण्ड की 'निर्वाह नमूने' की न रहकर 'व्यापारिक' एवं 'पूँजीवाद', बन गई। जो लोग धनाभाव के कारण नये ढग से खेती नहीं करते थे उन्हे खेती के धन्ये को छोड़ देना पड़ा। यहीं नहीं, आशिक्षा और निर्धनता के कारण वे अपने परम्परागत अधिकारों की भी रक्षा नहीं कर सके। उनके गाँव पंचायती भूमि, वीरान भूमि और वन संबंधी अधिकार छीन लिये गये। वे अपने ही गाँव में गैर समझे जाने लगे और इस तरह वे अपना गाँव छोड़ने हेतु विवश हो गये।

इधर शहर से निर्मित वस्तुएँ गाँवों में पहुँचने लगी। इनकी प्रतियोगिता में न टिक पाने के 'कारण ग्रामीण उद्योग नष्ट होने' लगे। इस प्रकार गाँव की कुशल कारीगरी में शहर की अपेक्षा बहुत निराशाजनक स्थिति हो गई। तब ये कारीगर शहर की ओर पलायन करना शुरू कर दिये। कृषकों और कारीगरों के नगरागमन से मजदूरों की पूर्ति बढ़ गई और थोड़े ही समय बाद काम की तलाश में फिरने वाले मजदूरों के झुण्ड के झुण्ड नगरों में स्थान पर दिखाई देने लगे। इन दिनों इंग्लैण्ड की स्थिति ऐसी थी कि अमीर व्यक्ति अधिक अमीर व निर्धन व्यक्ति अधिक निर्धन बने रहे थे।

उक्त दुखद स्थिति से सरकार की निर्वाधावादी नीति एक बड़े अश तक उत्तरदायी थी। यह नीति कारखाना मालिकों के हित में थी। कारण इन्होंने इसे शोषण का अवसर दिया। कारखाना मालिक जिन्होंने पूँजी पर बड़ी मात्रा का अधिकार कर लिया था, काम की तलाश में मारे-मारे फिरने वाले मजदूरों से कार्य संबंधी कड़ी शर्तों वाले अनुबंध किये। मजदूरों को कार्य की सख्त आवश्यकता के कारण वे इसके ओचित्य अथवा अनोचित्य पर ध्यान न देकर अपरिचित स्थान पर जेब की पाई-पाई खर्च होने के तदुपरान्त वे किसी भी प्रकार की शर्तों पर काम करने को विवश थे और इसके अलावा उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था।

किन्तु काम मिल जाने पर भी उनकी कठिनाइयों का अन्त नहीं हुआ। यथार्थ में कठिनाई और बढ़ गयी। कारखानों में उन्हे सेनाशाही कठोर अनुशासन के अन्तर्गत कार्य करना पड़ता था। जैसे - तनिक भी सुस्ती करने में देर से आने या जल्दी काम छोड़ देने पर उन्हे कठोर दण्ड दिया जाता था। प्रतिदिन 17-18 घंटे कार्य लिया जाता था। विश्राम के लिए समय नहीं के बराबर मिलता था। लम्बे घण्टे कार्य करने के कारण अनेक श्रमिकों का स्वास्थ बिगड़ गया, कुछ की अकाल मृत्यु हो गई। शेष मजदूरों के सामने बीमारी का सकट खड़ा हो गया। धीरे-धीरे उन्हे अमानवीय परिस्थितियों में रहने की आदत पड़ गई। वे कारखाने के सन्निकट मालिकों द्वारा दिये गये ब्वाटरों में रहते थे। स्थान व धन की कमी के कारण एक-एक ब्वाटर में कई-कई श्रमिक रहने को मजबूर थे। इन गदी, तग और भद्रदी कोठरियों में रहने से मजदूर अपनी सुशीलता और मर्यादा सब कुछ खो बैठे तथा निर्लज्जता, दुराचारी, असत्यभावी, स्वार्थी तथा धोखेबाज बन गये। अब उन्हें समय पालन और पूरा श्रम करने की चिंता छूट गई। वे जब तक मालिकों के आदेश का उलंघन करने लगे। इस पर उन्हें दण्ड दिया जाता पर वे और भी उदण्ड हो गये।

किन्तु यहीं पर अन्त न हुआ। अभी तो एक बड़ा संकट आने को था। उद्योग के क्षेत्र में वृहद् उत्पादन, श्रम विभाजन, यंत्रीकरण और विस्तृत बाजार और प्रतियोगिता के कारण उत्पादन व्यय घट रहे थे। इसके अनुपात में कारखानेदारों की आय बढ़ रही थी। उनकी धन कमाने की आकॉशा और भी उत्कृष्ट हो गई। अधिकाधिक लाभ कमाने के प्रलोभन ने उनकी विवेक, शक्ति को कुंठित कर दिया। वे उत्पादन व्ययों में कमी लाने हेतु उत्पादन बढ़ाने हेतु कठिबद्ध हो गये। उनमें यह होड शुरू हो गई कि देखें कौन सबसे अधिक उत्पादन कर सकता है। यह उत्पादन भविष्य में मोंग के अनुपात में किया जा रहा था। कुछ समय तक अनुमान सही उतरे, किन्तु वे बाद में गलत होने लगे। सहसा मील मालिकों ने पाया कि उन्हें गोदामों में बिना

कर दिया। कुछ ने कार्य के घन्टे घटाए, कुछ ने श्रमिक सख्त्या घटाई और कुछ ने कारखाने बिल्कुल ही बंद कर दिये। इससे निर्धन मजदूरों के सामने काफी सकट उत्पन्न हो गया। कारखानों से छटनी श्रमिकों छटनी श्रमिकों के सामने समस्या आई कि अब क्या क्या करें, कहाँ जायें। वे अपने गोंव को वापस नहीं लौट सकते थे। कारण जमीन गोंव की हाथ से निकल गई थी और वे न तो अपना पुरान कुटीर धन्धा ही कर सकते थे। वे कमाई के दिनों में ही अपने व अपने परिवार का पेट भारी मुश्किल से भर पाते थे, अब वे भूखों मरने की स्थिति में आ गये थे। बहुत से श्रमिक दरिद्रालय में गये। कष्ट सहते-सहते वे धैर्य खो बढ़े। तब उन्होंने संगठित होकर विद्रोह कर दिया- मशीनें तोड़ दी, मिलों को आग लगा दी और कहीं-कहीं मिल मालिकों को मार डाला। इसका बदला उनसे कानून ने लिया। अनेक श्रमिक जेल डाले गये और कितने मृत्यु दण्ड को प्राप्त किये।

जहाँ मजदूरों को उपर्युक्त संकटों का सामना करना पड़ रहा था, वही उन्हे कुछ अन्य कठिनाइयाँ भी झेलनी पड़ रही थी। उन्हे अपनी द्वैनिक आवश्यकता की वस्तुएँ उन्हीं दुकानों से खरीदनी पड़ती थी, जो कि मिल मालिकों ने अपने कारखानों के समीप में खुलवाई थी। उन्हीं मजदूरों को मजदूरी के बजाय कागज चिट्ठ मिलता था, जो इन्हीं दुकानों से भुनती थी। इन दुकानों पर नाप-तौल में उन्हे धोखा दिया जाता था। बेची जाने वाली वस्तुओं में बहुत मिलावट होती थी। थोक व फुटकर कीमतों में बड़ा अन्तर होता था, बीच में मध्यजन बहुत लाभ लेते थे।

उन दिनों इंग्लैण्ड में सघ विरोधी नियम प्रचलित थे जिनके कारण मजदूर परस्पर मिलकर अपनी स्थिति सुधार के लिए कोई प्रयत्न तक नहीं करते थे और न अपनी शिकायतें सामूहिक रूप से मालिकों के सामने रखते थे।

19वीं शताब्दी के प्रारम्भ-में मजदूरी की कठिनाइयाँ बहुत बढ़ गई, क्योंकि

आर्थिक सकट अल्प समयान्तरों पर आने लगा। सन् 1815, 1818 और 1925 के औद्योगिक सकटों ने मजदूरों की दशा को और शोचनीय बना दिया। उनकी इस दीन, हीन दशा को देखकर कुछ दयालु व विवेकशील व्यक्तियों ने अपना ध्यानाकर्षण कर उनकी दशा को सुधारने का प्रयास करने लगे। तुरन्त प्रभाव न पड़कर मजदूरों की दशा को सुधारने में प्रयत्नशील व्यक्तियों के प्रयास 20 वर्ष के बाद दृष्टिगोचर हुआ। जबकि एड्स, स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो ने प्रतियोगिता का सिद्धान्त प्रस्तुत किया। 'रबर्ट ओविन' ने प्रतियोगिता की बुराइयों से बचने के लिए 'समानता के आधार पर संगठन' का जिसमें हर सदस्य समान होता था, मार्ग दिखाया और यही विचार आगे चलकर सहकारी आन्दोलन में प्रचलित हो गया।

रबर्ट ओविन को 'ब्रिटिश सहकारी आन्दोलन' को जनक कहा जाता है। वह एक महान समाजवादी दार्शनिक था। यह स्वयं एक कारखाना मालिक था। मजदूरों को बेहतरीन सुविधा दिलाने की वजह से यह बहुचर्चित हो गया। विदेशों से भी लोग उसके कारखाने देखने आने लगे। यहाँ तक हुआ कि कुछ यूरोपीय देश के शासकों ने ओविन से सलाह लेकर अपने यहाँ समाज सुधार का कार्य प्रारम्भ किया। आगे ओविन के उन विचारों और प्रयासों ने सहकारी आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की है।

यह उन विचारकों में अग्रणी थे जिन्हें सहयोगवादी कहा जाता है। सहयोगवादी मनुष्य के वातावरण को बहुत महत्व देते थे। इनका कहना था कि मनुष्य के सामाजिक वातावरण का उसके मानसिक व नेतृत्व विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक शिक्षित और धनी परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिलती है और उसे उन्नति के अनेक सुअवसर प्राप्त होते हैं। किन्तु एक निर्धन व अशिक्षित परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति को अशिक्षित रहना पड़ता है तथा तरक्की के अवसरों के अभाव में वह कठिनाइयों से भरा जीवन बसर करता है, जिससे उसका नेतृत्व और मानसिक विकास रुक जाता है। वह चिडचिडा, उदण्ड, असंयमी और आलसी बन जाता है। अत व्यक्ति को सुधारने के लिए उसके वातावरण को बदलना आवश्यक होता है। इसी

मान्यता के कारण उसने मजदूरों की भलाई के लिए विविध सम्प्रयोग खोली और अन्य मजदूरों के बातावरण को बदलने का प्रयास किया।

रार्बट ओविन ने प्राकृतिक बातावरण की तुलना में सामाजिक बातावरण को अधिक महत्व दिया। उसका मत था कि प्रकृति ने मनुष्य को न तो अच्छा बनाया है न ही बुरा। वह बड़ा होकर अच्छा निकलेगा या बुरा इस बात पर निर्भर है कि उसका बचपन कैसे सामाजिक बातावरण में व्यतीत होता है। यदि इस बातावरण को उपयुक्त बना दिया जाय तो उसका अच्छा चारित्रिक एवं मानसिक विकास हो सकता है।

बातावरण को सुधारते हुए ओविन ने यह भी कहा है कि मनुष्य जो कार्य करता है उसके लिए व्यक्तिगत उसे ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। वास्तविक जिम्मेदारी उस बातावरण व समाज की होती है जिसमें वह रहता है। अत मनुष्य को इस दुनिया में दण्ड देना अनुचित है। उसने विश्व के सभी धर्मों की आलोचना करते हुए कहा कि सभी धर्मापदेशक व पादरी 'प्राचीन अनेतिक विश्व' के समर्कक बने हुए हैं क्योंकि मनुष्य के लिए प्रचलित बातावरण को जिम्मेदार ठहराने के बजाय स्वयं मनुष्य को ही दोषी ठहराते हैं। इन विचारों के कारण गिरजों के अनेक पादरी जो उसके प्रशस्तकों में थे उसके विरोधी बन गये। इस पर भी लोग उसकी बात को ध्यान से सुनते थे, कारण उन्हें उसके उदार हृदय का समुचित ज्ञान था।

यह मात्र उपदेशक ही नहीं था, उसने अपने विचारों को क्रियात्मक रूप भी दिया। उसने अपने मिल में बहुत से सुधार किये। जैसे दैनिक कार्यों की कार्य घटना समय 16 से घटाकर 10 घण्टे किये। मजदूरी में कोई कटौती नहीं की। 10 वर्ष से कम उम्र के बालकों को काम देना बन्द कर दिया। उनके लिए स्कूल खोल दी। (इन्हीं बच्चों में कुछ बड़े होकर सहकारी भण्डारों के सदस्य और अगुआ तक बने।) छोटी-2 बातों को लेकर कटौती बन्द कर दिया। नकद वेतन देना शुरू कर दिया।

मजदूरों के निशुल्क चिकित्सालय बने तथा उनके बच्चों के लिए पार्क बनाये गये तथा कारीगरों की शिक्षार्थी आयोजन किया गया। ये सुधार ओबिन ने जो निज की प्रेरणा से किये। बाद में विवश होकर अन्य कारखाना मालिकों ने किये। उसके सुधारों ने औद्योगिक संसार में हलचल मचा दी। अनेक मालिकों ने घबड़ाकर ओबिन को पत्र लिखे कि वह सुधार करने में जल्दी न करें तथा कुछ अपने भी हितों का ध्यान करें।

उक्त मिल मालिकों को ओबिन ने निराला जवाब दिया। उसने लिखा कि "आपने अनुभव किया होगा कि एक ऐसे कारखाने में जहाँ हर प्रकार की मशीनें मौजूद हैं तथा सदैव साफ-सुथरी और चालू हालत में रखी जाती हैं, और एक ऐसे कारखाने में जहाँ मशीनें बन्द तलब और बेकार रखी हुई हैं तथा उनसे कठिनाईपूर्वक कार्य लिया जाता है, दोनों में कितना अन्तर है। जब अच्छी हालत में मशीनों के अच्छे परिणाम निकल सकते हैं, तब यदि आप अपने मजदूरों का जो कि बहुत बढ़िया नमूने की मशीनें हैं, ध्यान रखें कि क्या उसका परिणाम अच्छा न होगा। क्या यह बात बिल्कुल स्वाभाविक नहीं है कि यदि मानवरूपी अद्भुत मशीनें जो साधारण मशीनों से सेकेंडों गुना फैसीदी होती हैं, अच्छी दशा में रखी जायें और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाय, तो उनकी कार्य कुशलता बहुत बढ़ जायेगी, जिससे अन्तत लाभ ही है।

ओबिन ने अपने कारखाने में इतने अधिक सुधार किये कि लोग उसके पागल होने की संशय करने लगे और समझने लगे कि उसका प्रगतिशील कारखाना जल्द ही दिवालिया हो जायेगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। यथार्थ में उसके कारखाने का उत्पादन बहुत बढ़ गया और मशीनरी मरम्मत व्यय घट गये। मजदूरों पर अच्छा असर पड़ा। सभा में प्रस्ताव पास किया कि कार्य समय काम करें।

रार्ट ओबिन ने भी अपने साथी कारखानेदारों से अपील व प्रार्थना किया कि वे मेरे सुधारों को अपनाने का प्रयास करें लेकिन कोई प्रयास सफल नहीं हुआ। उसने

विधि निर्माण करने वाले वाले विधि से वार्ता की, शायद कोई कानून ही इस सबध में बन जाय, किन्तु वहाँ से भी उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। इससे उसके स्वाभिमान को चोट पहुँची। उसे विश्वास हो गया कि न तो कारखाना मालिक कुछ करेंगे और न कानून ही कोई सहायता देगा। ऐसी दशा में मजदूरों की दशा तब ही सुधर सकती है जबकि वे स्वेच्छा से संगठित हों और पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता करें। इसी सहयोग के विचार ने आगे चलकर चमत्कारिक प्रभाव दिया एवं दिखाया कि ओबिन को 'सहकारिता के जनक' की पदवी दिलाई। साथ ही साथ न्यूलनार्क के सफल अनुभवों और सहयोग के सफल आदर्श में पूर्ण विश्वास रखते हुए ओबिन ने सहयोगी ग्रामों की योजना बनाकर न्यूलनार्क की बस्तियों की भौति स्वालम्बी बनाना चाहता था। जिससे मजदूर समानताधार पर एक दूसरे से संगठित हो सके जिससे उत्पादक व उपभोक्ता में सीधा सम्पर्क हो सके तथा सहकारिता का लाभ उठा सके।

रार्ट ओबिन की महत्ता उसके सिद्धान्तों एवं आदर्शों में निहित है जो कि उसने विश्व को दिये न कि उन व्यवहारिक योजनाओं में जिनके द्वारा वे इन्हें क्रियान्वित करना चाहता था, ये सिद्धान्त वही हैं जिन पर आगे चलकर सहकारी- आन्दोलन फल-फूल रहा है। कुछ सहकारियों का यह कथन असत्य है कि सहकारी आन्दोलन पर ओबिनवाद का कोई प्रभाव नहीं है। ब्राउटन सोसाइटी का संस्थापक और 'सहकारिता' पत्र का संस्थापक, प्रकाशक डा० विलियम किंग ओबिन के विचारों को अपने पत्र में सम्मान प्रकाशित किया करता था। अवश्य ही ओबिन को 'आधुनिक सहकारी आन्दोलन का जनक' माना जाता रहेगा। क्योंकि उसने आधुनिक सहकारी आन्दोलन के कई सिद्धान्त दिये हैं- सहकारी आन्दोलन पर प्रकाश डालने वाले उसके कुछ मुख्य सिद्धान्त निम्न हैं। ए- व्यक्तिगत लाभ को उन्मूलन बी- उपभोक्ताओं के ऐच्छिक संघों द्वारा उपभोग हेतु उत्पादन सी- सम्मिलित उपक्रम से हुए लाभों के ऐच्छिक संचय के द्वारा उत्पत्ति साधनों पर समन्वय स्वामित्व स्थापित करना। डी- सारे समाज के धन का मनुष्य के चरित्र सुधार एवं सुख के लिए उपभोग करना।

इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति ने वहाँ समाज के 2 वर्ग कर दिये। ए- पूँजीपति व सेवायोजकों का वर्ग औ- मजदूरी करने वालों का वर्ग

यह दूसरा वर्ग पूर्णरूपेण प्रथम वर्ग की दया पर आश्रित हो गया। वहाँ मजदूर वर्ग ने अपने कष्टों के कारण ही इंग्लैण्ड, सहकारी आन्दोलन का अग्रणी हो गया। मजदूर अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए अपने अधिकारों की रक्षा करने तथा निर्दयी सेवायोजकों के अत्याचारों से बचने के लिए श्रमिक सघों में संगठित होना शुरू किया। साथ ही साथ खाद्य एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की ऊँची कीमत और आवास सवारी कठिनाइयों के निवारण के लिए उन्होंने उपभोक्ताओं के रूप में सहकारी भण्डार भी स्थापित किये।

रौकडेल को इंग्लैण्ड में उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन का अगुआ बनने का गोरव प्राप्त है। प्रटनावश वह इंग्लैण्ड के सबसे पिछडे हुए औद्योगिक क्षेत्रों में से था। वहाँ हाथ से कपड़ा बुनने का धन्या प्रमुख था। इसके अलावा दरी, कोयला व टोप आदि के छोटे-2 उद्योग भी चलते थे। सन् 1802 के आस-पास वहाँ कपड़ा बुनने के लिए स्टीम संचालित करघे लगे। उन बुनने में स्टीम के करघों का प्रयोग 1831 से हुआ। फलस्वरूप घरेलू उद्योग की फैक्ट्री उद्योग से प्रतियोगिता होने लगी। जिसमें छोटे से छोटे करघों पर कार्य करने वाले लोगों को पीछे हटना पड़ा। पहले सभी किसान अवकाश के समय अपना कपड़ा बुनने का कार्य किया करते थे। ये खेती भी करते थे। धन्या मदा चलने पर खेती कर लिया करते थे। लेकिन रौकडेल फैक्ट्री उद्योग स्थापित होने पर रौकडेल का वातावरण शहरी बन गया और मजदूर केवल फैक्ट्रियों पर निर्भर रहने लगे।

इधर रौकडेल की जनसंख्या निरन्तर बढ़ रही थी। 1844 में इस कस्बे की जन 25 हजार हो गई। आस-पास गाँवों की जन 40 हजार थी। अत कस्बे

के लोगों को विशेष समस्या का सामना करना पड़ता था। यहाँ के सामाजिक समस्याओं में भाग लेते थे। उन्हें चार्टिस्ट आन्दोलन एवं श्रमिक संघ आन्दोलन से गहरी सहानुभूति थी। मजदूर वर्ग की गतिविधियों के कारण ही इस कस्बे की गणना बैचेस्टर और लीड के साथ की जाती थी। यहाँ कितनी ही बार हड्डताल हो चुकी थी। इसमें बुनकरों ने भाग लिया था। उन दिनों कारखाना मालिक फैली टुक्रे बैकारी का लाभ उठाकर भिन्न-2 मजदूरी देते थे। उनके इन अनुचित कार्यों को रोकने हेतु रौकडेल के बनुकरों ने अपना एक संघ बनाया और हड्डताल की, जो दुर्भाग्यवश असफल रही। इन असफल हड्डताल के कारण उनकी दशा सुधारना तो दूर, उल्टे वह और बिगड़ गई। होलीओक ने 1840 से पहले रौकडेल की स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया। रौकडेल जो अब एक सुहावना और प्रगतिशील नगर है सन् 1840 से पहले इंग्लैण्ड के सबसे पहले निर्जन औद्योगिक स्थानों में था। एक जुलाहे की मजदूरी इतनी भी नहीं थी कि वह अपने परिवार को पाल सके। निर्धनालयों में ही उसका ठिकाना था और उसकी चिंता यह थी कि कहीं ऐसा न हो कि उसके बच्चे पहुँचने से पूर्व ही मर जाय और उसे स्थान के अभाव में उसकी खिड़की के बाहर अपना पांव लटकाकर घर बैठे। "

आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है।" रौकडेल के बुनकर संगठित होकर अपनी दशा सुधारने के लिए विचार करना शुरू किये। 1843 में एक शाम 28 बुनकर एकत्र हुए। उसमें एक ने यह सुझाव रखा कि यद्यपि मजदूरी बढ़ाना सम्भव नहीं है तथापि वे अपना कच्चा माल सामूहिक रूप से क्रय करके अपने व्यय को घटा सकते हैं। सहकारी समिति की स्थापना का प्रस्ताव रखा। उन्होंने इस बात पर भी विचार किया कि पहले की समितियों फेल क्यों हुई? इसके उन्हें निम्न कारण मालूम पड़े। उधार विक्रय करना, बाजार भाव से कम पर बेचना। समितियों में सदस्यों के प्रति निष्ठा का अभाव। रौकडेल के बुनकरों ने इस दोष से बचने के लिए गम्भीर क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक कदम रखा। यहीं से इंग्लैण्ड में स्टोर आन्दोलन का शुभारम्भ

हुआ। आरम्भ में जो प्रयास किये गये वे वित्तीय और अन्य कठिनाइयों के कारण असफल हो गये, किन्तु इन्हीं की राख पर रौकड़ेल का ढाँचा तैयार हुआ।

उपर्युक्त 28 व्यक्तियों ने एक वर्ष में एक - एक पॉड की बचत की ओर 1844 में रौकड़ेल क्वाइटेबिल पायनियर सोसाइटी आरम्भ की। इस फेन्डली सोसाइटी एक्ट के अधीन रजिस्टर्ड कराया गया। उन्होंने 10 पॉड वार्षिक किराये पर रौकड़ेल की एक गली 'टोडलेन' में एक दुकान किराये पर ली और उसे अपनी बचत के धन से संजित किया। इसमें आवश्यक, आवश्यकता की वस्तुएँ (आटा, मक्खन, सावुन, कन्दील, चाय और शक्कर) थोड़ी-2 मात्रा में क्रम से रखी गई। जब उद्घाटन का समय आया तो किसी को दुकान को खोलने का साहस नहीं आया। क्योंकि दुकान के बाहर एक बड़ी भीड़ मजाक उड़ाने के लिए खड़ी थी।

रौकड़ेल के सदस्यों में अदम्य उत्साह, स्फूर्ति व लगन थी, जिस कारण उक्त छोटा सा किराये का स्टोर एक बड़े उपभोक्ता स्टोर आन्दोलन में परिषित हो गया। टोडलेन का स्टोर आज विश्व में सहकारी आन्दोलन के इतिहास के रूप में स्मरण किया जाता है। इसके स्थापकों के पास धनाभाव भले ही रहा हो लेकिन पराक्रम, वीरता, साधारण बुद्धि, धीरज और आत्म विश्वास के भारी गुण थे। "ये निर्धन जुलाहे, जिनके गर्भ से अग्रगामी समिति का जन्म हुआ चित्र की स्थिरता और साधारण बुद्धि से परिपूर्ण थे तथा उन्हें जेम्स डेली, चार्ल्स, हावर्थ और जान हिल जैसे प्रसिद्ध सहकारियों का सहयोग प्राप्त था।" कहा जाता है कि 28 व्यक्ति बुनकर थे। इनमें कुछ व्यक्ति अन्य व्यवसाय के थे, किन्तु जुलाहों की संख्या अधिक थी।

इनके उद्देश्य स्टोर की स्थापना करना, मकान बनवाना या क्रय करना, वस्तु निर्माण करना, वस्तुओं का निर्माण शुरू करना, भूमि क्रय करना व आत्म निर्भर करना, उपनिवेश स्थापित करना, मिताचर होटल खोलनादि। ये उद्देश्य महान और ऊँचे मानवीय

मूल्यों पर आधारित थे।

इंग्लैण्ड के सहकारी आन्दोलन में ओविन के अतिरिक्त कुछ अन्य व्यक्तियों ने सहकारी आन्दोलन पर प्रकाश डाला है। इनमें कुछ पारसी धर्म के हैं। ईसाई धर्म के पादरी भी हैं। फेडरिक, डेनीसन, जॉन मैलकोम, लडली, एडवर्ड, बेन्सीटार्ट, नील, चार्ल्स किस्लो और टोमस हूयूज विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

ब्रिटिश में उपयोग सहकारिता का क्रमिक विकास (फुटकर स्टोर आन्दोलन)

इंग्लैण्ड औद्योगिक क्रान्ति का मसीहा माना जाता है। क्रान्ति ने इंग्लैण्ड में एक ऐसा बातावरण उत्पन्न कर दिया, जिसमें सहकारिता ही संकट का एक मात्र साधन था। इस सबंध में पहला प्रयोग साक्ष्य के साथ सन् 1975 में किया गया। इसका उद्देश्य अनाज के मूल्यों को नीचे गिराना था। हल के निवासियों ने चन्दे के द्वारा लगभग 1400 सदस्यों की एक समिति (हुल एन्टी मिल सोसाइटी) बनाई जिसने अपने सदस्यों को आठा सप्लाई करने का कारखाना स्थापित किया। यह समिति कुछ समय के बाद समाप्त हो गई। हल के समान ही अन्य स्थानों पर भी समितियाँ बनी। उधर रार्बर्ट ओविन 'सहयोग' के महत्व पर जोर दे रहा था। इसके फलस्वरूप 1821 में एक समिति द को-आपरेटिव एण्ड ईकोनामिकल सोसाइटी स्थापित हुई। इसमें 250 सदस्य थे। इसका उद्देश्य सदस्यों को भोजन, वस्त्र, विद्या आदि के लिए आयोजन करना था। इसने अनेक वस्तुओं के स्वयं ही उत्पादन करने का प्रयास किया, ताकि अपने सदस्यों को काम मिल सके।

'सहयोग' जो सहकारिता का मुख्य सिद्धान्त है, धीरे-धीरे श्रमजीवियों के हृदय में घर करता गया। आगे चलकर उक्त नमूने की एक समिति बनी। सन्

1832 में आन्दोलन के नेताओं ने समिति के कार्य संचालन के लिए मूल नियम बनाये किन्तु मार्ग में अनेक कठिनाइयों की वजह से सफलता नहीं मिल सकी। जैसे - श्रमिकों की अशिक्षा, समितियों कोणों की सुरक्षा का अभाव, उल्टे सीधे गेर जिम्मेदार प्रतिनिधियों को व्यापार चलान की वैज्ञानिकता, वस्तुओं को थोक क्रय व विक्रय में श्रमिक अनभिज्ञता, निजी व्यापारियों की ओर से प्रतियोगिता, सदस्यों में सगठन और पारस्परिक प्रतियोगिता 'का अभाव, स्वार्थ भावना आदि।

यह सर्वप्रथम 1843 में ही था कि सहकारिता की दिशा में एक गम्भीर क्रमवद्ध और वैज्ञानिक प्रबंध, रोकडेल के 28 फ्लेनल बुनने वालों ने, जिनमें एक महिला भी थी, अपने को ऊचे मूल्यों से बचाने हेतु किया। इन्होंने एक सहकारी स्टोर खोला, जो 'टोडलेन स्टोर' के नाम से विश्व विख्यात हो गया। इससे अपूर्व सफलता मिली। जिससे प्रोत्साहित होकर अन्य स्थानों में भी स्टोर खोले गये। ये अपने सदस्यों को दैनिक आवश्यकता की वस्तुएँ सप्लाई करते थे। इसका संचालन रोकडेल नमूने पर किया जाता था।

स्टोरों के व्यापार की मात्रा भी बहुत बढ़ गई जिस कारण यह आवश्यक हो गया कि उनका कोई प्रतिनिधि समय-समय पर लन्दन जाये और वहाँ की बड़ी दुकानों से माल क्रय करे। यह क्रय थोक में किया जाता था जिससे स्टोर का लाभ मिल सके। प्राय प्रतिनिधिगण ईमानदार तथा परिश्रमी तो होते लेकिन माल क्रय में अकुशल होने के कारण अधिक दाम दे आते थे। कभी-2 विभिन्न स्टोरों के प्रतिनिधि एक ही समय पर क्रय करने पहुँच जाते थे और अधिक माल क्रय करने के होडवश अधिक दाम देते थे। ऐसी दशा में स्टोरों को हानि भी पहुँच जाती थी। इधर सहकारी स्टोरों के व्यापार की वृद्धि प्राइवेट व्यापारियों के लिए घोर डाह का कारण बन गई। उन्होंने मिलकर बड़ी दुकानों पर प्रभाव डाला कि स्टोर को या तो माल बेचे नहीं अथवा बेचे तो प्राइवेट व्यापारियों को विशेष रियायत दे। इसका फल यह हुआ कि सहकारी स्टोरों

को पर्याप्त माल मिलना कठिन हो गया।

इन कठिनाइयों का एक स्वर्णिम समाधान सहकारी थोक विक्रय समिति की स्थापना से प्रतीत होता आ। यथार्थ में सहकारियों को थोक विक्रय समिति की आवश्यकता प्रारम्भ से ही हो रही थी। ऐसी समिति उनके सगठन का कार्य करेगी और स्टोरों को बड़ी मात्रा में क्रय या उत्पादन के द्वारा मितव्यार्थता सम्भव बन सकेगी। अस्तु इस दिशा में प्रयत्न शुरू हुए। सर्वप्रथम 1831 में एक थोक विक्रय समिति की स्थापना हुई किन्तु व विफल रही। दूसरी बार क्रिस्तानी समाजवादियों ने लन्दन में एक सहकारी एजेन्सी स्थापित की, जो अधिक दिनों तक नहीं चली। तीसरी बार 1852 में रोकडेल अग्रगमियों ने अपने ओर पडोसी स्टोरों के लाभार्थ एक थोक विक्रय विभाग स्थापित किया, किन्तु यह भी अपने द्वेष के कारण असफल रही। अन्तत 1852 में लकाशायर के सहकारियों ने "नार्थ आफ इंग्लैण्ड कोआपरेटिव होलसेल इन्डस्ट्रीयल एण्ड प्रोविडेन्ट सोसाइटी लिंग" स्थापित की जिसका नाम 1873 में कोआपरेटिव होलसेल सोसाइटी (सी०डब्लू०एस०) रखा गया। 1868 में स्काटलैण्ड सहकारी समिति के लिए एक पृथक थोक विक्रय समिति एस०डब्लू०सी०एस० स्थापित की। इन थोक विक्रय समितियों ने रोकडेल योजना को अपने व्यवसाय का आधार बनाया और बहुत सफल हुई। कालान्तर में अनेक प्रकार के कार्य आरम्भ किये। जैसे- फुटकर विक्रय समितियों हेतु माल क्रय करने हेतु विदेशों में डिपो खोलना, माल मगाने बेचने के लिए अपने स्टीमर रखना कुछ वस्तुओं का स्वयं ही उत्पादन करना, कृषि भूमियाँ रखना, बीमा बैंकिंग एवं प्रकाशन विभाग रखना।

1852 से पूर्व सहकारी समिति कानून की दृष्टि में एक निजी स्वामित्व वाली संस्था मात्र थी। प्रथम महायुद्ध शुरू होने के वर्ष 1914 में फुटकर समितियों की संख्या 1385 तक पहुँच गई। 1881 में यह संख्या केवल 971 थी। कुल

सदस्य सख्या में वृद्धि हुई। 1881 में 5 57 लाख से बढ़कर 1914 में 30 54 लाख हो गई। समितियों की ओसत सदस्यता जो 500 से ऊपर थी अब 1914 में 2000 से ऊपर पहुँच गई। युद्ध काल में भण्डार आन्दोलन को मूल्य वृद्धि, जमाखोरी आदि समस्याओं का सामना करना पड़ा। किन्तु आन्दोलन से ही अच्छी या बुरी स्थिति में वृद्धि या प्रगति करने की क्षमता विद्यमान थी। जब युद्ध समाप्त हुआ तो आन्दोलन पहले की अपेक्षा विस्तृत हो गया था। उसने उत्पादन, वितरण व बैंकिंग के क्षेत्र में सभी प्रकार के कार्य किये तथा स्वनिर्मित तथा आयातित वस्तुओं से करेंडो व्यक्तियों की आवश्यकता संतुष्ट की।¹

युद्धजनित तेजी की समाप्ति पर मूल्यों में गिरावट आई। इससे व्यापारियों को भारी हानि उठानी पड़ी। अकेले सी0डब्ल्यू0एस0 को 5 करोड़ पौंड की हानि हुई। किन्तु आन्दोलन की जड़े मजबूत थी। वह पुन सामान्य स्थिति में आ गया। सन् 1919 में 1357 समितियाँ थीं जिनमें 41 31 लाख सदस्य थे। 1914 में नियुक्त साधारण सहकारी सर्वेक्षण समिति जी0सी0एस0सी0 ने ग्रेट-ब्रिटेन के आन्दोलन की प्रत्येक गतिविधि का अध्ययन करके 1919 में अपनी रिपोर्ट दी जिसमें कई उपयोगी सुझाव थे। 1920 की सहकारी कांग्रेस में इन सुझावों पर प्रकाश डाला। कुछ सुझाव स्वीकृत हुए किन्तु लागू करने में उदासीनता बरती गई।

जो भी हो, आन्दोलन प्रगति करता गया। सन् 1926 की आम हड्डताल ने उसे पुन ठेस पहुँचाई। लोगों ने बड़ी राशि में अपना धन समितियों से वापस लिया जिससे उनके समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, किन्तु शीघ्र ही आन्दोलन ने

1- 'कसल भरत भूषण ; ' सहकारिता देश-विदेश में " नवयुग साहित्य सदन, लोहामण्डी, आगरा, चतुर्थ संस्करण 1980
पैज न0 21

शीघ्र ही सुधार कर 1913 से 1935 का समय विशेषत दोनों ओक सगठनों (एस०सी०डब्लू०) और (सी०डब्लू०एस०) के लिए सम्पन्नता का रहा। विभिन्न प्रकार से प्रगति हुई, नयी शाखाये खोली गई। ऐसे भी कार्य किये गये, जिन्हे छोड़ दिया गया था। आन्दोलन ने ग्रामीण क्षेत्रों में सहयोग किया और कृषि समितियों की स्थापना हुई। 1935 की आर्थिक सहकारी कांग्रेस ने आन्दोलन की पुनर्गठन की दिशा में एक 10 वर्षीय योजना बनाई। सेवियत रूप में नियोजन को अपूर्व सफलता मिली थी जिससे प्रभावित होकर कांग्रेस ने सहकारी आन्दोलन को नियोजित करने का सुझाव दिया। उसका लक्ष्य सहकारी उत्पादन, व्यापार और सदस्यता के विस्तार पर केन्द्रित था। इस योजना को समुचित सफलता मिली और सभी क्षेत्रों का विकास हुआ। आज आन्दोलन आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है।

ग्रेट ब्रिटेन में फुटकर सहकारी स्टोरों की प्रगति 88 से 70 तालिका 3।

वर्ष	संगठियों की संख्या	सदस्य संख्या (लाख में)	व्यापार (लाख पौंड)	प्रति सदस्य औसत व्यापार (पौंड)	कर्मचारियों की संख्या
1888	1,367	9 04	240 46	26 59	अनुपलब्ध
1938	1,085	84 04	2,632 65	31 32	2,39,919
1948	1,030	101 62	5,026 16	49 46	2,60,162
1958	918	125 94	9,977 79	79 23	2,92,562
1960	859	129 94	10,327 49	79 71	2,84,278
1961	826	130 43	10,447 99	80 10	2,10,902
1962	801	131 40	10,539 41	80 21	2,72,004
1965	769	132 50	11,000 00	80 51	2,44,162
1966	680	130 65	11,080 00	84 80	2,30,370
1970	287	120 56	11,000 00	-	-

इस प्रकार इंग्लैण्ड सहकारिता आन्दोलन का जन्मदाता कहा जाता है। यहाँ सर्वप्रथम उपभोक्ता सहकारिता का प्रयोग आरम्भ किया गया। इसे भारी सफलता प्राप्त हुई। औद्योगिक क्रान्ति के फ़लस्वरूप पैंजीपति वर्ग तो लाभान्वित हुआ, परन्तु सरकार की ओर से उस पर कोई अकुश न होने के कारण उसने श्रमिक वर्ग का खुलकर शोषण किया। परिणाम यह हुआ कि श्रमिक वर्ग गरीब होने लगे, मजदूरी कम मिलने लगी तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपभोग वस्तुओं के क्रय में उन्हें अनावश्यक अधिक व्यय करना पड़ता था। इन श्रमिकों ने मिलकर उपभोक्ता भण्डारों का गठन किया। इससे इन्हें कुछ बचत हुई। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में इंग्लैण्ड की आर्थिक परिस्थितियों एवं श्रमिक वर्ग की असहाय एवं पीड़ित स्थिति ने सहकारिता को जन्म दिया।

2. जर्मनी में सहकारी आन्दोलन

जिस प्रकार इंग्लैण्ड उपभोक्ता भण्डारों का प्रवर्तक बना, उसी प्रकार जर्मनी (अविभाजित) सहकारी साख समितियों का प्रवर्तक बना। सहकारी साख और क्रृष्ण के क्षेत्र में जर्मनी अग्रणी है। भारत को सहकारी आन्दोलन की प्रेरणा जर्मनी से ही प्राप्त हुई। भारत के समान जर्मनी में भी अकाल, गरीबी, शोषण और क्रृष्णग्रस्तता की परिस्थितियों विद्यमान थी। 19वीं शताब्दी के मध्य में जर्मनी के किसानों और कारीगरों की दशा अत्यन्त सोचनीय थी। उन्हे उधार देने वाले प्राय यहूदी साहूकार थे। ये बहुत ही ऊँची दर पर क्रृष्ण देते थे और सारी उपज को अप ने अधिकार में कर लेते थे। जिसकी कीमत बाजार की कीमत से कम पर दी जाती थी। इस दोहरे शोषण के फलस्वरूप कृषक व कारीगर बहुत ही क्रृष्णग्रस्त हो गये। कहते हैं कि उस समय प्रत्येक मकान व खेत पर जर्मनी का क्रृष्ण बोझ था। बार-2 पड़ने वाले दुर्भिक्षा ने तो निर्धन वर्ग की कमर ही तोड़ दी।

किसानों और कारीगरों की दशा भी तभी सुधर सकती थी, जबकि उन्हे यदूदी साहूकार के शिक्षे से मुक्त कराया जाय। किन्तु यह कठिन कार्य था, क्योंकि किसानों और कारीगरों का काम रूपये के बिना चल नहीं सकता था और इन साहूकारों के अतिरिक्त अन्य कोई स्था ऐसी नहीं थी, जो उन्हे ऋण दे सके। इस विकट परिस्थिति से ब्रवित होकर दो उदार व्यक्तियों हेर फान्ज शुजल और एफ०डब्लू० रेफसन ने गरीबों की सहायता के लिए कुछ प्रयोग आरम्भ किये। जो धीरे-धीरे एक पूर्ण सहकारी आन्दोलन में परिणित हो गया।

शुलज जर्मनी के डिलिज के नाम के छोटे से कस्बे के भेयर और एक न्यायाधीश थे। वे अकाल आयोग के अध्यक्ष भी थे। सरकारी कर्तव्यों को पूरा करते हुए उनका छोटे-छोटे व्यापारियों व कारीगरों के मुसीबतों का अनुमान हुआ। इनके समाधान के लिए उन्होंने सन् 1849 में सर्वप्रथम निर्धनों को रोटी देने के लिए एक धर्मार्थ बैकरी मित्रों की सहायता से स्थापित की। उसी वर्ष उन्होंने चर्मकारों की एक समिति बनाई जिसका उद्देश्य कच्चे माल की पूर्ति करना था। शीघ्र ही उन्हें अनुभव हुआ कि कारीबरों की सच्ची सहायता यह होगी कि उनके लिए सस्ती ब्याज पर ऋण की व्यवस्था की जाय। अत सन् 1850 में उन्होंने डिलीज में प्रथम द्रव्य पूर्ति समिति स्थापित की। इस समिति को उन व्यक्तियों ने कोष प्रदान किये, जिनके पास अतिरिक्त राशि थी। यह डिलीज के गरीब किसानों व दस्तकारों को ऋण देते थे। यथार्थ में उक्त समिति धनी व्यक्तियों और निर्धन व्यक्तियों के मध्य सम्पर्क स्थापित करने वाली एक कड़ी थी और यह उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता थी। शुलज इस दुर्बलता से परिचित थे। वे दान की अपेक्षा स्वयं सेवा और परस्पर सहायता को ऐष्ठ समझते थे। अत उन्होंने यह नियम बनाया कि केवल समिति के सदस्य ही समिति से ऋण ले सकेंगे। तत्पश्चात् एलन वर्ग में उन्होंने एक समिति बनाई। इस समिति में शेयर पैंजी की व्यवस्था की गई और उसे पूर्ण आत्म-निर्भर व सहकारी संस्था बनाने का प्रयास किया गया। इसके अनुभवों के प्रयास के प्रकाश में ही बाद को डिलीज की समिति की समिति भी पूर्ण रूप से सहकारी बना

दी गई।

शुलजे ने लेखों और भाषणों द्वारा अपनी योजना का बहुत विज्ञापन किया, जिसकी चर्चा करते हुए एच०डब्लू० उल्फ़ ने लिखा है कि "उनकी आर्थिक इजील का देश में तूफान आया। 1859 में उन्होंने अपने बैंकों (सहकारी साख समितियों) की एक राधारण सभा बुलाई और इसके निर्णयानुसार एक संघ (जनरल यूनियन चह जर्मन इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटी) बनाया गया। उन्हीं के प्रयास से सन् 1867 में पहला सहकारी अधिनियम बना जो 1889 में पूर्ण हुआ। इसमें प्रत्येक सहकारी कार्य के लिए सीमित दायित्व की नियमावली को स्वीकार किया गया।

दूसरे महानुभाव रेफ़सन पहले फोज में अफसर थे लेकिन आखें खराब हो जाने के कारण वे फोज से अलग हो गये। तत्पश्चात् उन्हें ऐफिजन वेस्टर वाल्ड नामक जिले का वर्ग मास्टर नियुक्त किया गया। यह एक बहुत ही निर्धन इलाही देहाती था। 1846 और 1847 के अकालों ने दुखी कृषकों को और भी ऋत्त कर दिया, किन्तु यहूदी सौदागरों ने बहुत ब्याज कमाया। अन्य उपायों को असफल देख रेफ़सन ने भी यह अनुभव किया कि किसानों की दशा तब ही सुधार सकती है जबकि वे संगठित रूप से प्रयत्न करें। उन्होंने निर्धनों में रोटी व आलू बॉटने के लिए सन् 1848 में एक सहकारी समिति बनाई। इसके द्वारा रोटी उधार दी जाती थी और इसका मूल्य कुछ दिनों बाद वसूल हो गया। यह समिति वेस्टर वाल्ड जिले के निवासियों के लिए एक चरदान रूप में थी। इस समिति में जो धीरे - धीरे एक ऋण समिति बन गई, गाँव के और आस-पास के धनी लोग सम्मिलित थे। ये लोग अपनी सामूहिक और असीमित जिम्मेदारी के आधार पर धन जुटाये थे तथा निर्धन व्यक्तियों को उधार देते थे। आठ वर्ष बाद जब हिसाब हुआ तो पता चला कि किसानों ने अपसा लिया हुआ समस्त ऋण चुकता कर दिया है। तब रेफ़सन ने 1862 में एक और उधार देने वाली समिति एन हाउजन में बनाई, जो पूर्णरूप से सहकारी थी, क्योंकि इसमें उधार देने

वाले सदस्य थे। पहली बार "प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए" का सिद्धान्त लोगों के सामने आया। रेफेसन का सघ सफल हुआ, जो बहुचर्चित हुआ।

आरम्भ में इनकी प्रगति धीमी रही। रेफेसन खुद भी शान्तिपूर्ण कार्य करने के आदी थे। वे शोर मचाकर विज्ञापन नहीं करते थे। उनकी धारणा यह थी कि यदि कार्य अच्छा हुआ, तो वह अवश्य ही फैलेगा। ऐसा हुआ भी जब लोगों को इन संस्थाओं की कार्यशैली ज्ञात हुआ तो उनकी सख्त्या में 1880 के बाद तेजी से वृद्धि हुई। 1877 में इन समितियों का एक सघ बना, जिसका नाम रेफेसन सघ रखा गया। यह अब तक चल रहा है। रेफेसन कार्य सरल नहीं था जैसा कि ऊपर दृष्टि से जाना जाता था। लोग उसके नये - नये सिद्धान्तों के प्रति सन्देह रखते थे और निर्धन लोगों की सहायतार्थ जो प्रारम्भिक उत्साह रेफेसन ने धनी लोगों में भरा था वह शीघ्र ठंडा पड़ गया किन्तु रेफेसन सदा उत्साही रहे। उनका कार्य निर्धनों की सहायता मात्र नहीं था वरन् वह बाइबिल के आदेशों के अनुसार चलाना चाहते थे। अन्य शब्दों में, उनके आन्दोलन का एक धार्मिक आधार था। इसी से उन्होंने समितियों के कार्य में नेतृत्व के पालन का ध्यान रखा और स्वयं सेवा परस्पर सहयोग, सामाजिक समानता, सम्मिलित दायित्व, निर्लभि भावना पर बहुत बल दिया।

ग्रामीण सहकारिता के क्षेत्र में डाओ हास का नाम भी उल्लेखनीय है। हेरहास एक प्रभावशाली अफसर थे। उन्हे ऐसे कृषकों के मध्य कार्य करना पड़ता था, जिन्हे अधिक अच्छी व्यापारिक ट्रेनिंग प्राप्त थी। साथ ही साथ जो अच्छी बिक्री कर लेते थे। हास ने इन बड़े किसानों के लाभार्थ सहकारी समितियों बनाई जबकि रेफेसन की समिति निर्धन कृषकों के लिए थी। इन दोनों प्रकार की समितियों ने जर्मनी के कृषि सहकारी आन्दोलन को बहुत सुट्टू बना दिया। हास ने अपनी समितियों में दायित्व समिति रखा किन्तु शेयर का अनुपात आनुपातिक नियत किया। यह वास्तव में सीमित व असीमित दायित्वों के बीच का मार्ग था। शेयरों की रकम के अतिरिक्त शेयर होल्डर्स शेयरों के दूने या तिगुने धन के लिए गारन्टी भी देते, जिसे जरूरत मुताबिक माँगा जाता था।

प्रारम्भ से ही हास समितियों का केन्द्रित ढाँचा रहा है। 1895 में जब रेफेसन समितियों को बड़ी हानियों उठानी पड़ी, तब उन्हें हास प्रणाली के साथ ही मिला दिया।

दूसरे महायुद्ध के बाद जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया गया- पूर्वी क्षेत्र एवं पश्चिमी क्षेत्र। जबकि पूर्व में केवल एक हिस्सा हुआ रुख का, पश्चिम के तीन हिस्से हुए। अग्रेजी, अमेरिकन और फ्रान्सीसी। पश्चिमी क्षेत्र में विजेताओं की नीति यह रही कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बन न सके। क्योंकि 2 विश्व युद्धों के कारण वे उसे शका की दृष्टि से देखने लगे थे। इस सन्दर्भ में अग्रेजी फौजियों ने सहकारिता की उपयोगिता समझी और पश्चिमी जर्मनी की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए सहकारिता को बढ़ावा दिया। इसमें जर्मनी के उद्योगों और वित्त के केन्द्रीयकरण का भी भय न रहा। इस तथ्य का अमेरिकनों एवं फ्रान्सीसियों ने भी धीरे - धीरे स्वीकार कर लिया।

द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जर्मनी की अर्थव्यवस्था नष्ट-भ्रष्ट हो गई। सहकारी आन्दोलन पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। सहकारी संस्था की लगभग 80% पूँजी सरकारी प्रतिभूतियों में या देश के केन्द्रीय बैंक में लगी हुई थी। 1948 में मुद्रा प्रसार को रोकने हेतु जो मौलिक सुधार किये गये उनके परिणामस्वरूप समितियों के वित्तीय साधन एक ही रात में घटकर 1/19 रह गये। नयी सरकारी प्रतिभूतियों जारी की गई। जिन पर 3% ब्याज मिलता था। सहकारी समितियों के आधार पर क्रूण मिल सकता था किन्तु उस पर उन्हें 4% ब्याज देना पड़ता था जिससे उन्हें और भी घटा हुआ। विभाजन के फलस्वरूप जर्मन का केन्द्रीय सहकारी बैंक भी विघटित हो गया और इस प्रकार सहकारी आन्दोलन को बहुत ठेस पहुँची। सहकारी समितियों की आर्थिक दशा सुधारने और उनकी सहायता करने के उद्देश्य से सन् 1949 में एक शीर्ष बैंक, जिसे जर्मन सहकारी बैंक कहा जाता है, स्थापित किया गया। इस संघीय सरकार, प्रान्तीय सरकार और प्रान्तीय समितियों ने पूँजी दी। बैंक की सहायता हेतु उन फार्मा पर जिनका

मूल्य 6000 मार्क से ऊपर था। 10 वर्ष की अवधि के लिए कर लगाया गया। इसे बैंक ने सहकारी आन्दोलन को बहुत सहायता दी। इसका हेड क्वार्टर फेकफर्ट में है।

पश्चिम जर्मनी में सहकारी आन्दोलन के ये अग्रगमीण समितियाँ, शहरी समितियाँ आवास समितियाँ, उपभोक्ता समितियाँ हैं। हेम्सवर्ग की उपभोक्ता समिति सबसे बड़ी है। इसकी सदस्य संख्या 2 लाख के लगभग है। प्रत्येक की अपने-2 फेडरेशन बने हुए हैं। वित्त प्राप्ति के लिए प्राथमिक समितियाँ क्षेत्रीय केन्द्रीय बैंक ने संगठित हो गई हैं। और ये केन्द्रीय बैंक स्वयं भी जर्मन सहकारी बैंक के सदस्य बने हुए हैं। बैंक में सरकार की साझेदारी 15% है। सरकार इसमें 42% तक अश ले सकती है। अकेक्षण द्वाष्टि से प्राथमिक समिति क्षेत्रीय सभ में और ये सघ रेफरेशन फैडरेशन में संगठित हैं। प० जर्मनी में सहकारी समितियों हेतु अकेक्षण अनिवार्य है। रेफरेशन संघ का कार्य इन संघों का आडिट व निरीक्षण करना है।

दूसरे महायुद्ध के बाद पूर्वी जर्मनी पर रूस का अधिकार हो गया। अत वहाँ के सहकारी आन्दोलन पर साम्यवाद छा गया। 1946 में निजी नेताओं व जर्मानारों के पास जो जर्मन थी उन्हे मुआवजा दिये बिना ही छीन लिया गया। कृषक वर्ग में बॉट दिये गये। रूस प्रभावित सरकार ने सामूहिक कृषि पर बल दिया। जनता का मार्ग-दर्शन के लिए सेकड़ों सरकारी कृषि फार्म बनाये गये। कृषि सहकारी समितियों की सुविधार्थ रूस की भाँति मोटर, ट्रैक्टर एशोसिएशन खोले गये। इन पर कृषि विशेषज्ञ रखे गये।

कृषि सहकारी समितियों के निर्माण के लिए सरकार ने अनेक उपाय¹ किये। जैसे कृषि मशीने और अन्य उपकरण कम किराये पर उपलब्ध करना, कृषि विशेषज्ञों की सेवाएं नि शुल्क प्रदान करना, करों में रियायत देना, आवश्यक अल्पकालीन और

दीर्घकालीन साख की व्यवस्था करना। इन सुविधाओं के कारण कृषि सहकारी समितियों की सख्त्या में तेजी से बढ़ि हो गई।

स्मरण रहे कि कृषि सहकारी समिति में भूमियाँ एकत्र करके उन पर संयुक्त रूप से कृषि की जाती है। किन्तु भूमि का स्वामित्व निजी कृषकों के पास रहता है। प्रबंध के लिए एक साधारण सभा और संचालक मण्डल है। प्रत्येक फार्म पर एक फोरमैन होता है। यह कार्य योजना बनाता है, खाते रखता है। विग्रेड लक्ष्यानुसार कार्य करता है। प्रत्येक सदस्य को न्यूनतम् 150 दिन कार्य करना पड़ता है। लाभ का एक बड़ा भाग अभिन्न-भिन्न कोषों में डाल दिया जाता है। शेष का 80% सदस्यों के कार्याधार पर वितरित किया जाता है। 20% खेत के स्वामियों को भूमियों के अनुपात में मिलता है। कुछ समितियों में ये अनुपात क्रमशः 60% और 40% है।

इस प्रकार पूर्वी जर्मनी में सामूहिक खेती एक बहुत अश तक रूस के सामूहिक खेतों के ही सदृश्य है। अन्तर केवल यह है कि यहाँ स्वामित्व किसानों के पास है। जर्मनी में सर्वप्रथम ग्रामीण बैंक खोले गये। बाद में अनेक कृषि समितियों बनी। छोटे-छोटे कृषकों ने सहकारी समितियों से बहुत लाभ उठाया है। इसके अतिरिक्त जर्मनी में अनेक यातायात समितियों कार्य कर रही है।

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जर्मनी में सहकारिता को प्रत्येक क्षेत्र में अपनाया गया है। अत जबकि इंग्लैण्ड में सहकारिता की केवल सैद्धान्तिक प्रगति अधिक हुई और व्यवहारिक रूप केवल उपभोग के क्षेत्र में ही मिला, जर्मनी में उसे बहुत व्यवहारिक रूप मिला तथा उसकी सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई। जर्मनी में सहकारिता आन्दोलन साख के क्षेत्र में अधिक विकसित हुआ। इसका कारण जर्मनी के कृषकों का बुरी तरह यहूदियों के ऋण में फँसे हुए होना था। यहाँ पर यहूदी ही साख प्रदान करते थे तथा ब्याज अधिक लेते थे। देश का सम्पूर्ण रोजगार और व्यापार यहूदियों

के हाथ मे थे। यही दशा कारीगरों की ही थी। कहा जाता हे कि उस समय जर्मनी के प्रयोग खेत और प्रत्येक परिवार पर ऋण था। इन परिस्थितियों ने शुल्जे साहब ने नगरों तथा रेफीशन महोदय ने ग्रामों मे सहकारी साख बैंकों को जन्म दिया। कुछ समयोपरान्त यहूदियों से अपने को छुटकारा पाने के लिए किसान हित मे सस्थाओं ने अच्छा कार्य किया। इस प्रकार उन्हे विश्व ख्याति मिली।

3 इटली मे सहकारी आन्दोलन

19वीं शताब्दी के मध्य मे जर्मनी के ही समान इटली किसान भी धन संबंधी जरूरत के कारण साहूकार के चगुल मे फँसते गये। इनकी विवश्ता का अनुचित लाभ उठाते हुए अनसे अत्याधिक ब्याज चार्ज करते थे। न केवल ब्याज ही अधिक था वरन् इसके साथ उसके कुरीतियों भी प्रचलित हो गई। जिन्होंने उनसे ऋण लेना भी अपमानजनक बना दिया। जर्मीदार अलग शोषण करते थे। वे अत्याधिक लगान क्षूल करते और किसानों को बोने व खाने के लिए इस शर्त पर अनाज देते थे कि अगली फसल पर उसका डयोढा (15%) वापिस लेंगे। किसानों की स्थिति दास तुल्य हो गयी थी। इसके बाद 1870 मे मदी के कारण कीमते बहुत गिर गई, बेकारी बढ़ गई। फलस्वरूप किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। बहुत से किसान अपना ऋण अदा नहीं कर सके। अत उनकी सम्पत्ति (किसानों की) साहूकार और महाजनों के हाथ चली गयी।

ऐसे सकट के समय इटली मे 2 महान विभूतियों का जन्म हुआ। 1- लुगी जुलाटी 2- ल्यून ओलेम्बर्ग। प्रो० लुजाटी मिलान के एक कालेज मे अर्थशास्त्र के प्रवक्ता थे। वे निर्धनों की दशा से बड़ा द्रवित हुए। उन्होंने इटली के किसानों से सस्ती और पर्याप्त साख संबंधी उत्कृष्ट आवश्यकता को महसूस किया। इसे पूर्ण करने के लिए एक उपाय के रूप मे उन्होंने सहकारिता का अध्ययन किया। उससे प्रभावित हुए।

अत इसके व्यवहारिक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए वे जर्मनी गये जहाँ जर्मनी के शुल्जे डिलीज बैंकों की सफलताओं का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। वे उस सघर्ष से भी प्रभावित हुए जो जर्मन अर्थव्यवस्था में सहकारी आन्दोलन को अपना पैर जमाने हेतु करना पड़ रहा था। इससे उन्हें यह विश्वास हो गया कि इटली में भी सहकारी आन्दोलन निर्धनों को साहूकारों के चगुल से मुक्त करा सकता है।

जर्मनी से लौटकर जुलाटी ने मजदूरों के मध्य औद्योगिक कार्य करना शुरू किया तथा अपने अनुभवाधार पर शुल्जे-डिलीज बैंक में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन किये। निसन्देह लुजाटी ने शुल्जे की भाँति सहकारी आन्दोलन को कोई नये विचार तो नहीं दिये, फिर भी उन्हें सहकारी व्यवसाय का जनक होने का गौरव प्राप्त है। ये सहकारी साख समितियों के सिद्धान्त शुल्जे के चलाये हुए बैंकों को देखकर सीखे थे किन्तु उनकी महानता इस बात में है कि उन्होंने शुल्जे की व्यवस्था में इतने अच्छे और सफल परिवर्तन किये कि उनकी पद्धति विश्व को छोड़कर सारे विश्व में माननीय हो गई।

दूसरे अग्रदूत डा० ल्यून ओलेम्बर्ग ने एक धनी परिवार में जन्म लिया था। उन्होंने ऊँची शिक्षा पाई। सहकारिता का भी अच्छा अध्ययन किया किन्तु वे रेफेसन प्रणाली से अधिक प्रभावी हुए। उन्होंने इटली के कृषकों के मध्य कार्य किया और अन्त में अपनी महान् सेवाओं के लिए राष्ट्रीय मन्त्रिमण्डल में भी ले लिए गये।

जुलाटी ने 1865 में लोदी नामक स्थान पर एक फ्रैन्डली सोसाइटी स्थापित की, जिसने बाद में सहकारी बैंकों का रूप धारण कर लिया। यह अब तक सफलतापूर्वक चल रहा है। सन् 1866 में उन्होंने अपना पहला सहकारी बैंक बाना पोपोलर चह मिलन स्थापित किया। इसकी पूँजी 700 लाइर (28 पौंड) थी। यह संयोग की बात है कि इतनी इनकी पूँजी के बराबर पूँजी से ही रोकडेल के अग्रगामियों ने अपना स्टोर

शुरू किया। बैंक में अधिकाश सदस्य लुजाती के भित्र थे। इन समितियों से सफलतापूर्वक आकर्षित होकर इनकी सदस्यता निरस्तर बढ़ गई। इसके बाद अनेक सहकारी साख समितियों स्थापित हुईं और वे प्रचलित व्याज दर को कम करने में सफल रहे।

लुजाटी और ओलेम्बर्ग दोनों ही सहकारी समितियों में राजनीतिक प्रवेश के विरुद्ध थे। इस पर भी राजनीतिक और धार्मिक संस्थाएं अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए सहकारिता के क्षेत्र में घुस आईं। इसमें कैथोलिकों द्वाया खोले गये ग्रामीण बैंक विशेष उल्लेखनीय है। कैथोलिक आन्दोलन के प्रणेता डान सिर्लटी, जो वैनिस के निकट एक ग्राम में सहायक पादड़ी थे। उसने सन् 1890 में अपना पहला बैंक खोला। सन् 1922 तक 3500 बैंक खुल गये थे। दूसरे ग्रामीण बैंकों की भाँति ये भी सदस्य बनाते थे। कैथोलिक बैंक का दृष्टिकोण सम्प्रदायवादी था। वे कैथोलिक सम्प्रदाय के अलावा अन्य मतावलम्बियों को बैंक का सदस्य नहीं बनाते थे। उन्होंने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया था। वे ग्रामीण साख आन्दोलन के एक भाग पर अपना नियंत्रण जमाना चाहते थे, क्योंकि दूसरे भाग पर समाजवादी हावी हो रहे थे। यही कारण था कि कैथोलिकों ने समाजवादियों की प्रतियोगिता में सहकारी बैंक कायम रहे।

ओलेम्बर्ग के बैंकों के समान कैथोलिक बैंकों ने भी इटली को बहुत लाभ पहुँचाया।

1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात् फासिस्ट का पतन हो जाने के बाद सहकारिता का पुनरुत्थान प्रारम्भ हुआ। इटलियन सहकारी संघ को सन् 1945 में तथा नेशनल लीग आफ कोऑपरेटिव को सन् 1947 में पुनर्स्थापित किया गया। सन् 1947 में सहकारी समितियों की संख्या 22000 थी। इसी वर्ष एक नया सहकारी कानून बनाया गया। इसके अन्तर्गत सहकारी समितियों का केन्द्रीय आयोग

को पुर्नजीवित किया। श्रम मन्त्रालय ने सहकारिता का अपने हाथों में ले लिया। केन्द्रीय आयोग ने सहकारिता को मार्ग-दर्शन प्रदान किया। इसी काल में सहकारी समितियों के संगठन एवं सुसचालन के लिए अनेक नियम बनाये गये।

सहकारी जीवन को पुर्नजीवन प्राप्त होने के बाद इसमें तीव्र गति से विकास हुआ। सन् 1951 तक 25000 सहकारी समितियों स्थापित हो गई और 1961 में इन समितियों का एक सहकारी सघ (सामान्य सघ) स्थापित किया गया। सन् 1962 में इन समितियों की संख्या घटकर 18,791 रह गई। इसमें 44 मि० सदस्य थे। दिसम्बर 1971 में 68474 समितियों थीं। इसके बाद मत्स्य समितियों को छोड़कर सभी प्रकार की समितियों की संख्या में कमी हो गई। इसका मात्र एक कारण समितियों का पुनर्गठन था। यह निश्चुलिखित तालिका से स्पष्ट है।

इटली में सहकारी समितियों के आकड़ों की प्रगति (1971 से 78 तक)

तालिका 32

संख्या	वर्गीकरण	समितियों की संख्या	
		1971	1978
1-	उपभोक्ता सहकारी समितियों	5,853	2,207
2-	कृषि सहकारी समितियों	11,394	7,373
3-	भवन व आवास सहकारी समितियों	30,092	5,514
4-	मत्स्य सहकारी समितियों	717	818
5-	साख सहकारी समितियों	-	1,378

इस प्रकार स्पष्ट है कि इटली में सहकारितान्दोलन की जड़े इसलिए जमी क्योंकि विभिन्न देशों में अत्यन्त निर्धन व गरीब वर्ग के लोग सहकारिता माध्यम से ही ऊँचे उठे थे। सर्वप्रथम चतुर्थ योजना में निर्धन एवं सीमान्त कृषि की उन्नति के लिये सहकारी कृषि, सहकारी सिचाई, सहकारी विपणन आदि के माध्यम से उन्नति की गई। इस लक्ष्य की प्राप्ति में लघु कृषक, विकास एजेन्सी एवं सीमात एजेन्सी की स्थापना की गई। इस योजना में (चतुर्थ योजना) 115 करोड़ रु0 की व्यवस्था की गई। लघु कृषक एवं सीमात कृषक एजेन्सी का प्रमुख कार्य सभी सदस्यों को सिचाई के उपयुक्त साधनों का विकास करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये एजेन्सियाँ कुआँ को गहरा करने, निर्माण करने सहकारी कूपों व नलकूपों की स्थापना करने एवं सिचाई का पम्पादि दिलाने में योग देते हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि सहकारिता द्वारा छोटे एवं सीमात कृषक भी अपने छोटे-छोटे खेतों से वर्ष भर रोजगार प्राप्त करने के साथ ही साथ एक बड़ी मात्रा में कृषि उपज भी प्राप्त कर सकते हैं। नवीन कृषि नीति के अनुसार अच्छे बीज रसायनिक खाद, सिचाई, नवीन कृषि यत्र आदि के उपयोग से वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा करना चाहिए। किन्तु गरीब एवं सीमात कृषक वर्ग के लिए यह तभी सम्भव है जबकि वे आपस में मिलजुलकर कार्य करें। सिचाई सुविधा प्राप्त करने के लिए वे कुछ कृषकों को मिलाकर एक समिति बनावें एवम् फिर सिचाई नलकूप, पम्प लगाने की व्यवस्था करें। इसी प्रकार अच्छे बीज, उर्वरक, खाद, मशीन, फर्नीचर व औजार आदि सम्भव हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सहकारिताधार पर ही सीमात एवं गरीब कृषक अपना विकास सरलता से एवं कम समय में कर सकते हैं।

डेनमार्क में सहकारिता आन्दोलन

डेनमार्क यूरोप के कोने में स्थित स्कैन्डीनेविया का एक पुराना छोटा-सा देश है। प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से देश निर्धन है। यहाँ उद्योगों के लिए कोयला, तेल, लोहा, धातुएँ आदि कच्चे माल उपलब्ध नहीं है। किन्तु जनता विवेकशील और मेहनती है। इन्हीं लोगों के अथक प्रयास से आज डेनमार्क विश्व के प्रगतिशील देशों में से एक है।

पहले डेनमार्क में खेती ही मुख्य धन्धा था। अत पशुपालन भी होता था। सन् 1864 में डेनमार्क के 2 धनी प्राप्त जर्मनी ने छीन लिये जिससे उसके कृषि एवं पशुपालन को ठेस पहुँची। अब उसे अमेरिका के सस्ते खाद्यान्नों की प्रतियोगिता के सामने कठिन था। लेकिन उसने इंग्लैण्ड में मक्खन, मॉस, अण्डे जैसे पदार्थों के लिए तैयार बाजार पाया। अत वह अपनी कृषि नीति बदलने पर मजबूर हो गया। अब वह पशु एवं धन्धा व्यवसाय पर जोर दिया और अन्न उत्पादन करने के बजाय अन्य देशों से आयात करने लगा। पशु खाद्यों का भी आयात किया जाता था। जहाँ डेनमार्क खाद्यान्न व पशुओं का आयात करता था, वहाँ अब अण्डे, मॉस व मक्खन का आयात करने लगा।

डेनमार्क के पशुपालन उद्योग के विकास में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जहाँ अन्य देशों में सहकारी आन्दोलन का प्रसार या तो सरकार के प्रयत्न से हुआ या कुछ उदार हृदय के नेताओं के प्रयत्नों से, वहाँ डेनमार्क में आन्दोलन का प्रसार जनसाधारण के प्रयत्नों का फल है। आर्थिक कठिनाइयों से विवश होकर डेनमार्क के किसानों ने विगत शताब्दी के दुखी अंग्रेज औद्योगिक मजदूरों के समान सहकारिता में ही अपनी कठिनाइयों का समाधान देखा। उन्हे रोकडेल के प्रयोग से बड़ी प्रेरणा मिली और उन्होंने उसके सहयोग के बुनियादी सिद्धान्त को ग्रहण किया।

सबसे पहले 1866 में सहकारी समिति जटलेण्ड के थिस्टेड नाम से कस्बे में स्थापित हुई। यह एक उपभोक्ता भण्डार था जिसे रोकडेल योजना पर चलाया गया। शहरों की अपेक्षा गाँवों में आन्दोलन तेजी से बढ़ा। सन् 1882 में पहली डेरी (सहकारी डेरी) खोली गई। यह पश्चिमी जटलेण्ड के एक गाँव हैडजिंग में स्थापित हुई। पहला सुअर के माँस का कारखाना सन् 1887 में खुला और सन् 1895 में अण्डों के विपणन के लिए एक एशोसियेशन बना। इसके बाद मक्खन के निर्यात, फल व सब्जी के विपणन, कृत्रिम खाद व चारे के क्रय, डेरी के लिए आवश्यक यत्रों के आयात और बीमादि सुधर में सहकारी समितियाँ खोली और आन्दोलन का दिन प्रतिदिन विस्तार हो गया।

डेनमार्क में सहकारी आन्दोलन की शुरूआत एक सामाजिक कार्यकर्ता एच०सी० सोने द्वारा जटलेड में 'थिस्टेड कर्मी समिति' की स्थापना से हुई। इस समिति को सफल बनाने में सोने ने इतना अधिक परिश्रम किया कि वे 'खाद्य सामग्री पादरी' के नाम से प्रसिद्ध हो गये। समिति की स्थापना 1866 में हुई। आधार रोकडेल अग्रगमियों द्वारा चलाई गई योजना ही थी। इस भण्डार ने शीघ्रतापूर्वक प्रगति की, पुस्तकालय व वाचनालय खोले तथा स्वास्थ्य एवं बेकारी की योजना भी चलाई। थिस्टेड समिति से योजना लेकर गाँवों व नगरों में और भी अनेक उपभोक्ता समितियाँ संगठित की गई। लगभग 52% डेनिस परिवार इनके सदस्य बन गये। विक्रय में इनका योगदान 12% व खाद्य पदार्थों के विक्रय में 32% है। फुटकर व्यापार में फुटकर व्यापारियों का भाग 60% है और शृखंलाबद्ध दुकानों का 15% है। प्राय प्रत्येक शहर और गाँवों में ऐसी समितियाँ कार्यरत हैं। कोपेन फुटकर समिति में तो 4 लाख सदस्य हैं और 70% क्रोनर का व्यवसाय कर रही है। आजकल छोटे फुटकर व्यापारों के बजाय व बड़े भण्डारों की स्थापना पर विशेष बल दिया जा रहा है।

जैसे-जैसे आन्दोलन प्रगति करता गया, प्राइवेट व्यापारियों का विरोध भी बढ़ता गया। उन्होंने सहकारी भण्डारों पर यह आरोप लगाया कि वे वस्तुओं का अधिक

मूल्यचार्ज करते हैं। इन विभिन्न बाधाओं को पार करता हुआ विगत शताब्दी के अन्त में जाकर दुष्टापूर्वक जमा हो गया। शीघ्र ही समितियों को एक थोक समिति की आवश्यकता प्रतीत हुई। जिसके लिए कई असफल प्रयासों के बाद अतत 1896 में 'सहकारी थोक विक्रय समिति' (एफ०डी०बी०) स्थापित होकर अनेक बाधाओं को दूर किया। एफ०डी०बी० की सदस्य समितियों इसकी नीतियों पर अपने मताधिकारों द्वारा नियंत्रण किया।

प्रत्येक समिति को 100,000 क्रोनर के तुल्य खरीदारी के पीछे । बोट प्राप्त होता है। इस प्रकार साधारण सभा में 2,000 प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। सचालक मण्डल के चुनाव के आशय से एफ०डी०बी० के कार्यकारी क्षेत्र को 31 जिलों में बाँटा गया है। प्रत्येक जिले में वहाँ की प्राथमिक समितियों 2 वर्ष में एक बार बैठक करती है। ये अपना जिला प्रतिनिधि चुनती है। इनकी एक प्रतिनिधि सभा होती है, जो अपनी त्रैमासिक बैठकों में संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तुत किये गये सगठनात्मक व व्यवसाय सबंधी मामलों पर विचार करती है। थोक सहकारी आन्दोलन को विकसित करने पर 1968 में नियुक्त समिति ने अपनी रिफॉर्म सन् 1971 में प्रस्तुत की थी। इसमें सुझावानुसार सम्पूर्ण देश को इसकी परिधि में लाया जायेगा। इसमें 3 प्रकार की सदस्यता को प्रोत्साहन दिया जायेगा। ए- सदस्य, जिनके अन्तर्गत उपभोक्ता भण्डार होंगे। बी- सदस्य, जिनके अन्तर्गत वे समितियों होंगी, जो कि एफ०डी०बी० से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं, सी- सदस्य, जिनके अन्तर्गत सहकारी संस्थान व सघ होंगे किन्तु इन्हें मतदान का अधिकार न होगा।

इग्लिश कोओपरेटिव होल 'सेल सोसाइटी समान एफ०डी०बी० भी उपभोक्ता व उपभोक्ता भण्डारों के लिए थोक विक्रय और उत्पादन का कार्य करता है। वह भण्डारों के लिए सामूहिक रूप से माल क्रय करता है और उन्हें कम मूल्य पर सप्लाई करता है। इसने देश में विभिन्न स्थानों पर गोदाम खोले हुए हैं। जहाँ

से वह प्राथमिक भण्डारों को वैज्ञानिक ढग से माल सप्लाई करता है। एफ०डी०बी० का कुल विक्रय भण्डार 1968 में 20,000 मि० क्रोनर हुआ, जिसमें 82% खाद्य पदार्थ हैं। खाद्य पदार्थों को सप्लाई करने से पूर्व प्रयोगशालाओं में भलीभांति जाँचा था। सप्लाई साप्ताहिक आधार पर आर्डर के अनुसार की जाती है। अब भण्डारों की सुविधा हेतु एफ०डी०बी० ने रात्रि सेवा चलाई है। उसके प्रयत्नों से लागत-व्यय काफी कम हुए हैं।

एफ०डी०बी० के विक्रय व्यापार में 1/4 भाग स्वयं उसके द्वारा उत्पन्न माल का है। एफ०डी०बी० के 20 कारखाने हैं इसने एक बहुत बड़ी आटा चक्की, पेटुआ से रेशा निकालने की फैक्ट्री, फलों की डिब्बा बड़ी का कारखाना और अन्य कारखाने भी लगाये हैं। सबसे बड़ा कारखाना कहवे के विधायन का है। उत्पादन व विक्रय के अलावा वह अन्य कार्य भी करता है। जैसे अनुसंधान करना, उपभोक्ता भण्डारों को तकनीकी एवं साधारण सलाह मसविरा देना, सहकारी शिक्षा के लिए कालेज चलाना, तपेदिक के अस्पताल का सचालन आदि। वह नई दुकानें बनवाने के संदर्भ में तकनीकी सलाह देता है। उसने भविष्य में भण्डारों की स्थापना के लिए उचित नियोजन करने की दृष्टि से एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराया है। वह नई दुकानों को वित्तीय मदद भी देता है। अकेक्षण सुविधा भी देता है। इस प्रकार एफ०डी०बी० प्राइवेट व्यवसायियों की तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए अपने पथ पर अग्रसर होता ही जा रहा है। इसका विक्रय व्यापार 3000 मि० क्रोनर के लगभग है। |

1972 में कोपेने की सबसे बड़ी फुटकर सहकारी संस्था एच०बी० और एफ०डी०बी० में एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार फल, सब्जियों व खाद्य पदार्थों को सामूहिक रूप से किया जाने लगा है। इसके पहले एफ०डी०बी० को अखाद्य पदार्थों का सामूहिक क्रय करने का अधिकार मिला हुआ है। फुटकर समितियों प्रत्येक देश में व ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रत्येक समिति के औसतन 200 सदस्य हैं एक दुकान भी है। ये समितियों इंग्लैण्ड की समितियों की तुलना में काफी छोटी

है किन्तु आर्थिक दृष्टि से स्वालम्बी है। डेनमार्क का सहकारी आन्दोलन विश्व के अविकसित एवं विकासोन्मुख देशों के लिए एक दृष्टान्त रूप में है जिसके अनुकरण के अधिक लाभ है। डेनमार्क का सहकारी आन्दोलन किसान, उसके परिवार और समूचे राष्ट्र को सम्पन्न बनाया है। उसकी सफलता उसके जन-आन्दोलन में निहित है। सर जान रसेल ने लिखा है कि "सहकारी समितियों की असाधारण सफलता का एक मात्र उदाहरण डेनमार्क ही है। इसकी सफलता में - "वहाँ के निवासियों ने साथ-साथ रहने, काम करने, खेलने, उठने, उपभोग करने, साथ-साथ सोचने आदि की कला सीख ली है। ये सदा याद रखते हैं कि सामूहिक प्रयत्न से ही सामान्य हित की वृद्धि है। इनका उद्देश्य अति सीधा-साधा है जिससे सामाजिक व्यवस्था ऐसी बने कि प्रत्येक व्यक्ति सम्पन्न व सुखी जीवन व्यतीत कर सके।"

इस प्रकार सहकारिता डेनमार्क के निवासियों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर विस्तृत है, जिसकारण इस देश को सहकारिता का देश डेनमार्क कहना सार्थक है।

आयरलैण्ड में सहकारिता

आयरलैण्ड को अपने गौरव से अतीत से अनेक दोष विरासत में मिले जिसके कारण उसकी आर्थिक दशा 19वीं शताब्दी के दूसरे अर्धाश में बड़ा दयनीय और पिछड़ी हुई थी। उसे विदेशी शासकों के अनके आक्रमणों का सामना करना पड़ा। इनसे उसके निर्माण उद्योग, व्यापार व वाणिज्य को भारी चोट पहुँची और वे पंग हो गये। कृषि भी पिछड़ी दशा में रह गई। यद्यपि आयरलैण्ड के प्राकृतिक साधन इतने प्रचुर थे कि इनके सदुपयोग द्वारा वह एक समृद्धशाली देश बन सकता था। किन्तु अब तो वहाँ निर्धनता का एक साम्राज्य बन गया। ब्रिटेन वाले के इस देश में विजयी होने पर भूमि कुछ थोड़े से जमीदारों के हाथ में आ गई। प्रारम्भिक मालिकों को या तो निकाल दिया

गया अथवा काश्तकारों के रूप में परिणित कर लिया गया। उद्योग धन्यों की हीन दशा के कारण लोगों के पास जीविका का कृषि के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं रह गया था।

फलत भूमि का लगान बहुत बढ़ गया। लगान संग्रह करने वाले सम्पन्न होते गये, किन्तु काश्तकार दिनों-दिन गरीब होते गये। वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी साहूकारों से जिन्हे गाम्बीन भैन कहते थे, ऋण लेने को विवश हुए। ये साहूकार उनसे अत्याधिक व्याज चार्ज करते थे, इस प्रकार किसान-2 चक्कों के बीच में पिसने लगा। एक ओर जमीदार दूसरी ओर साहूकार। ऐसी परिस्थितियों में सरकार के हस्तक्षेप की बड़ी आवश्यकता थी, किन्तु तब स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाई गई। लगान में वृद्धि उस समय बड़ी असहाय हो गई जबकि भूमि का काफी भाग चारागाह में परिणित कर लिया गया। बकाया लगान की वसूली के लिए काश्तकारों पर मुकद्दमा चलाया जाता और उन्हे बेदखल कर दिया जाता था। खेतों के छोटे-2 टुकड़े होने लगे। साथ ही साथ भूमि की उपजाऊ शक्ति में कमी होने लगी। संक्षेप में इस प्रकार किसानों की दशा दयनीय हो गई।

बहुत दग होकर किसानों ने जमीदारों के विरुद्ध विद्रोह का मुण्डा उठाया। अन्त में सरकार इनकी समस्या समाधान के लिए वैद्यानिक कदम उठाने को विवश हुई। सन् 1881 में 'इरिस भूमि अधिनियम' बना जिसने काश्तकारों की बेदखली को रोका और उनके लगान की राशि निश्चित कर दी। सन् 1903 में भूमि क्रय अधिनियम बनाया गया जिसने सभी जागीरों को 'कृषक स्वामित्व' में परिणित कर दिया। इस प्रकार आयरलैण्ड अपने आर्थिक ढाँचे को सहकारिता पर निर्मित करने के लिए परिपक्व हो गया।

आयरलैण्ड में सहकारिता दिशा में सबसे पहला प्रयोग 'रार्बट ऑविन' के

प्रभाव के कारण हुआ। साथ ही साथ संबंधित समुदाय स्थापित किया गया। शुरू में इसे बहुत सफलता मिली, जिससे यह प्रगट होता है कि ईरिश किसान अपनी कठिनाइयों को सामूहिक प्रयत्नों से सुलझाने के लिए कितने उत्सुक थे। यह प्रयोग 2 वर्ष तक चला किन्तु इस संक्षिप्त जीवन काल में ही इसने आयरलैण्ड की जनता को एक नई दिशा प्रदान की।

तत्पश्चात् 1847 से 1880 तक का समय आयरलैण्ड के लिए धोर निराशा और अंधकार का युग था। यह दुर्भिक्ष और भुखमरी का काल था और भूमि नियम तो इन कठिनाइयों के आंशिक समाधान मात्र थे। सौभाग्यवश इसी काल में वहाँ एक दृढ़त्री महापुरुष का आविर्भाव हुआ। जिसने एक सहकारी व्यवस्था को जन्म दिया जो आगे चलकर ईरिश अर्थव्यवस्था की नींव हो गई।

हॉरेस प्लकेट सचमुच आयरलैण्ड के सहकारी आन्दोलन के जनक थे। उनके मतानुसार सहकारिताओं का निचोड़ तीन सूत्रों में था - "उत्तम कृषि, उत्तम व्यापार और उत्तम जीवन" "बेटर फार्मिंग, बिजनेश एण्ड बेटर लिविंग" उनका नाय केवल आयरलैण्ड के लिए था, जो आगे चलकर सारे सासार के सहकारियों के लिए एक आदर्श वाक्य बन गया। प्लकेट का विश्वास था कि सहकारिता की दिशा में प्रारम्भिक कदम उपभोक्ताओं की ओर से उठाना चाहिए। किन्तु विरोध स्वरूप इसमें सफलता हाथ न लगी। अब आयरलैण्ड लौटकर उन्होंने दूसरी दिशा में प्रवेश किया। उन्होंने अपने मित्र जेझीओग्रेड के साथ मिलकर जो कि ईंग्लिश कोआपरेटिव यूनियन के सचिव थे। सन् 1889 में पहली सरकारी डेरी खोली। आन्दोलन धीरे-धीरे प्रगति करता रहा। कार्यकर्ताओं ने अब उपभोक्ता संगठनों को छोड़कर अपनी सारी शक्ति मक्खन समितियों में लगा दी।

सन् 1894 तक आयरलैण्ड में 56 डेरी समितियों और इनकी 8 शाखाओं की रजिस्ट्री हो गई। इस बीच सन् 1892 में डेरी समितियों ने मिलकर अपना एक संघ

' इरिश कोआपरेटिव ऐजेन्सी समिति ' स्थापित कर लिया। कुछ अन्य प्रकार की समितियाँ जैसे कृषि समितियाँ, बीज एवं खाद की समिति क्रय समितियाँ, सहकारी भण्डार एवं क्रृषि समितियाँ भी विकसित हो गईं।

आयरलैण्ड में सहकारी आन्दोलन के विकास में वहाँ की सरकार ने काफी 'सहयोग' दिया। सर होरेश प्लेकेट की अध्यक्षता में नियुक्त की गई रीसेस कमेटी की सिफारिश के आधार पर सन् 1899 में सरकार ने एक "कृषि एवं तकनीकी प्रशिक्षण विभाग" डी०ए०टी०आई० खोला और प्लेकेट को इसका उप-प्रधान एवं प्रमुख प्रबंधक बनाया गया। इस विभाग ने ईरिश कृषि भूमि को प्रदर्शनियों और प्रदर्शनों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में तथा सैद्धान्तिक व क्रियात्मक कोर्सेज के संचालन द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में सहायता दी। ग्रामीण बैंकों को क्रृषि दिये और समितियों के लिए प्रारम्भिक पैंसी जुटाई।

प्रथम विश्व युद्ध के काल में साख समितियाँ शियिल पड़ गईं। किन्तु कृषि समितियों में वृद्धि हुई। आन्दोलन के इतिहास में प्रथम बार बहु-उद्देशीय समिति का विचार प्रबल हुआ। 300 समितियों ने मिलकर एक भण्डार स्थापित किया। इसमें अण्डा मौस, किराना और घरेलू सामान की बिक्री होती थी। विपणन और अण्डा समितियों पर युद्ध का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, किन्तु सरकारी नियन्त्रण व यातायात कठिनाइयों के फलस्वरूप मक्खन समितियों की प्रगति रुक गई। प्लेकेट के प्रयत्नों के फलस्वरूप सन् 1914 में एक कोआपरेटिव रिफरेन्स लाइब्रेरी की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य आई०ओ०ए०स० के शिक्षा कार्यक्रमों को बढ़ाना था। इस पुस्तकालय ने बेटर बिजिनेस नामक पत्रिका भी निकाली।

युद्धोपरान्त मंदी में समितियों की हालत खराब होने लगी। सरकार ने नवम्बर 1992 में कृषि सबधी मंदी के अध्ययन एवं तत्संबंधी सुझावों के लिए एक आयोग को

नियुक्त किया, जिसने अपनी रिपोर्ट में कृषि सहकारिता की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। आईओएसओ को विकास आयोग से सहायता मिल रही थी, किन्तु वह अपर्याप्त थी।

विभाजन के बाद प्रगति - स्वतंत्र आयरलैण्ड आईआरआईआई - स्वतंत्र आयरलैण्ड की स्थापना के लिए जो उपद्रव हुए उनमें मक्खन समितियों को बहुत हानि पहुँची थी। अत नई सरकार ने डेरी उद्योग के पुनर्निर्माण के लिए प्रयास किये और आईओआईएसओ के प्रति सहानुभूति व्यवहार किया। उसने सन् 1924 में मक्खन की किस्म पर सरकारी नियंत्रण रखना, चर्बी के अनुसार दूध की कीमत देना और शुद्ध दूध का निर्यात करना प्रारम्भ किया। मक्खन के क्रय-विक्रय के लिए एक सेन्ट्रल मार्कटिंग एजेन्सी स्थापित करने के कई बार प्रयास किये। जो सफल न हुए क्योंकि 'स्थानीय डेरी समितियों' अपना विक्रय अधिकार सेन्ट्रल एजेन्सी को देने को तैयार न हुई। फलत मक्खन के क्रय-विक्रय में प्रतियोगिता बढ़ गई। जो न केवल आपस में होती थी वरन् निजी डेरियों के साथ भी होने लगी। अनेकों अनावश्यक डेरियों थी, जिनसे उत्पादन लागत में बढ़ गयी थी। अधिकांश प्राइवेट डेरियों ने एक सघ बनाया था। इस स्थिति को समाप्त करने की दिशा में डीओटीआईओ ने एक साहसिक कदम उठाया। उसके प्रयत्नों के फलस्वरूप 1928 में पीओ हॉगन्स क्रीमरी एक्ट पारित हुआ। इसके प्रावधानों के अनुसार सरकार ने 2 प्राइवेट डेरियों पर अपना अधिकार कर लिया। इनके सचालन के लिये एक दूसरी डिस्पोजल कम्पनी स्थापित की गई। इस कम्पनी ने अपनी स्थापना से 4 वर्षों के भीतर ही 50 डेरियों (प्राइवेट) खरीद ली क्योंकि इनकी आर्थिक दशा बहुत खराब चल रही थी। बाद में इन्हे सहकारी समितियों को, जिनका सगठन आईओएसओ ने सरकार से ऋण लेकर किया था, सौप दिया गया। इस प्रकार आज कल ईरिश फ्री स्टेट में प्राइवेट डेरियों बहुत कम मिलती है।

सहकारी डेरियों के विक्रय संबंधी नियंत्रण के लिए एक संस्था ईरिश एसोशियेटेड

क्रिमेरीज लिमिटेड (आई०ए०सी०) स्थापित की गई। एक समझौते के अनुसार सदस्य समितियों ब्रिटेन को निर्यात के लिए जो मक्खन बनायें, उसका विक्रय आई०ए०सी० के द्वारा होना था। आई०ए०सी० ने सन् 1928 में कार्य करना प्रारम्भ किया। किन्तु इंग्लैण्ड में दुग्ध वस्तु कीमत गिर जाने से इसको बहुत घाटा हुआ। फलस्वरूप 1930 में बद हो गई।

सरकार ने अन्य तरह से भी डेरी आन्दोलन को प्रभावित किया। आयरलैण्ड की समितियों मुख्यत घास पर निर्भर करती थी। जो गर्मी के दिनों में बहुत होती थी। फलस्वरूप गर्मी में दूध, धी व मक्खन प्रचुर मात्रा में होते थे। जाडे में कम होती थी। अत गर्मी के दिनों इनका निर्यात किया जाता था और जाडे के दिनों में आयात किया जाता था।

इस विषमता को सुधारने की दृष्टि से सरकार ने मक्खन के आयात पर कर लगा दिया जिससे विवश होकर डेरियों को शीत भण्डार खोलने पड़े। प्रतिकार¹ स्वरूप उन देशों ने भी जो गर्मियों में आयरलैण्ड से मक्खन मेंगाते थे, इस पर कर लगाया इससे आयरलैण्ड में शीत भण्डारों की व्यवस्था को और भी प्रोत्साहन मिला।

सन् 1931 से 1941 की 10 वर्षीय मध्यावधि में सभी प्रकार की समितियों की सख्ता व सदस्यता में कमी हो गई। जहाँ तक हिस्सा पूँजी का प्रश्न है, डेरी समितियों और विविध समितियों की पूँजी में ओर वृद्धि हुई। कृषि समितियों के व्यापार में वृद्धि मासूली हुई।

द्वितीय महायुद्ध में ईरिश डेरी उद्योग को पुन क्षति पहुँची। इन दिनों गेहूं का विदेशों से आयात कम हो गया। कृषक पशुपालन की अपेक्षा गेहूं की कृषि में, अधिक रुचि लेने लगे। इस प्रकार से दूध की पूर्ति 6 से 15% कम हो गई। अत डेरी समितियों को हानि उठानी पड़ी। सहकारी समितियों ने अपनी पूँजी बढ़ाने के लिए

लाभों को सुरक्षित कोष में डालना प्रारम्भ किया, बोनस देना बन्द कर दिया। सन् 1941 में एग्रीकल्चरल ईरिलैण्ड का प्रकाशन शुरू हुआ। (इसका नाम आजकल ईरिश फारमर हो गया है।) सन् 1943 के द क्रीमीरीज (एक्स्प्रूशीजन) ऐक्ट के अधीन डेरी डिस्पोजल कम्पनी को बची-खुची प्राइवेट डेरियों को क्रय करने और पुन निकटतम् सहकारी डेरियों को सौंपने का अधिकार मिला।

सन् 1946 में सरकार ने डेरी उद्योग की उन्नति के लिए एक पचवर्षीय योजना बनाई। आई०ए०ओ०ए०स० ने कृत्रिम प्रजनन सहकारी समितियों के द्वारा पशु नस्ल सुधारने के प्रयत्न किये गये जिससे फार्मिंग अधिक कुशल बन सके। पशुओं के निर्यात के लिए भी एक समिति बनाई गई।

सन् 1957 में सरकार ने एक कृषि उपज विपणन सलाहकार कमेटी नियुक्त की। इसने यह सुझाव दिया कि उपज के विपणन में कृषकों को भविष्य में अधिक अवसर दिये जाय, जो तब ही सम्भव है जबकि उत्पादक अपना व्यवसाय सहकारी समितियों के द्वारा करे। सहकारी डेरियों ने यू०के० को निर्यात होने वाले दूध पाउडर के केन्द्रीय-करण के उद्देश्य से सन् 1962 में आइरिस मिल्क पाउडर एक्सपोर्ट लिमिटेड स्थापित की। शाक सहकारी समितियों भी बनी। टमाटर व अन्य सब्जी को श्रेणियों में बाँटने व पैक करने के लिए डबलिन में एक स्टेशन बनाया गया।

देश में सहकारी समितियों की संख्या तो अधिक नहीं बढ़ी है, किन्तु उनके व्यवसाय का मूल्य तिगुना हो गया है। मक्खनशालाओं और कृषि समितियों का सहकारी आन्दोलन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने अच्छी प्रगति की, जो यथार्थ में आई०ए०ओ०ए०स० के ही अनवरत् प्रयत्नों का सुफल था।

उत्तरी आयरलैण्ड में सहकारी आन्दोलन की देख रेख अल्सटर एग्रीकल्चरल

आर्गनाइजेशन सोसाइटी कर रही है। इसकी स्थापना देश विभाग (1922) के बाद हुई। सन् 1952 में यूएओएस० और अल्स्टर फारमर यूनियन ने मिलकर अल्स्टर ऊन उत्पादक लिमिटेड स्थापित की है। यह उन ब्रिकी परिषद के एजेन्ट के रूप में कार्य करती है, देश के कुल ऊन उत्पादन का लगभग 50% जमा करती है और उसे ग्रेडों में बाँटती है। सन् 1967 में इसने एजेन्सी कार्य के साथ-साथ अपनी ओर से भी व्यापार आरम्भ किया।

अल्स्टर में सहकारी आन्दोलन की स्थिति बहुत दुर्बल है। सरकार उसे कोई वित्तीय सुविधा नहीं दे रही है। यहाँ तक कि यूएओएस० भी प्राय सदस्य समितियों से प्राप्त शुल्कों और मित्रों के चन्दों पर आश्रित है। किन्तु अल्स्टर का किसान उत्साही है। उसमें सहकारिता की भावना मोजूद है। यदि आवश्यकता है तो केवल उसके सहानुभूति और मार्ग-दर्शन की।

प्रगति

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् सरकार द्वारा सरकारी आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिये जाने के कारण सहकारी डेरियों ने तथा अन्य संस्थाओं ने 1967 के अन्त तक पर्याप्त प्रगति की नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है।

आयरलैण्ड में सहकारी संस्थाओं की प्रगति

तालिका 3 3

द्वितीय विश्व युद्ध बाद 1967 के अन्त की स्थिति

संख्या	सहकारी संस्थाएँ	संख्या	सदस्यता	प्रदत्त पैंजी (पौंड में)	ऋण पौंड में करोड़	विक्रय पौंड में करोड़
1 - मक्खनशालाएँ	173	5,04,421	7,74,896	5 43	6 85	
2 - कृषि आपूर्ति समितियाँ	62	18,602	1,24,310	05	4 35	
3- पशु मार्ट	29	16,162	2,89,258	05		52
4- विविध	77	37,760	12,13,471	2 15		2 87
योग		341	1,27,045	24,05,935	8.55	14.59

सहकारी डेरियों एवं मक्खनशालाओं की प्रगति का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि सन् 1931 की अपेक्षा जबकि मक्खनशालाओं की अपेक्षा 227 थी, सन् 1967 में इनकी संख्या 173 ही थी। सन् 1941 तथा 1951 में इनकी संख्या 214 तथा 193 थी। परन्तु इसके विपरीत इनकी संख्या में (सदस्यता) सन् 1951 की अपेक्षा वृद्धि हुई। साथ ही साथ इनका व्यापार भी बढ़ा। बढ़ता व्यापार तथा संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार उनकी आर्थिक सुदृढता को मजबूत करता है। सहकारी संस्थाओं की अश पैंजी में पर्याप्त प्रगति हुई। इस सब प्रगति का ऐय वहाँ के शासन के सक्रिय सहयोग तथा आइरिश कृषि संगठन समिति की देख-रेख का परिणाम

3- डा० माथुर वी०ए० - "सहकारिता" साहित्य भवन, आगरा, सप्तम संस्करण, 1984

है। इसके अतिरिक्त इन संस्थाओं की सफलता के अन्य कारण उनके द्वारा वैज्ञानिक योजनाओं को अपनाना तथा सदस्यों का प्रशिक्षण भी है।

अल्सटर में सहकारी कृषि आन्दोलन का एक मुख्य कारण धीमी प्रगति से है। क्योंकि वहाँ की सरकार इस आन्दोलन को कोई संरक्षण प्रदान नहीं करती है। उसने इस आन्दोलन को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की है। अल्सटर कृषि संगठन सभिति स्वयं अपने साधनों पर निर्भर करती है।

इस प्रकार आयरलैण्ड की सहकारिता के विकास में आश्वरिश आन्दोलन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

स्वीडन में सहकारी आन्दोलन

इस देश में सहकारी आन्दोलन की शुरूआत 1860 व 1870 के मध्य शुरू हुआ। सर्वप्रथम उपभोक्ता आन्दोलन शुरू हुआ और बाद में अन्य क्षेत्रों में भी आन्दोलन चल निकला। पहिले पहल उपभोक्ता स्टोर्स रोकडेल नमूने पर स्थापित करने के प्रयास किये गये थे किन्तु असफल रहे, क्योंकि उन दिनों स्वीडन में कोई ठोस औद्योगिक क्षेत्र नहीं बन पाया था। स्टोर्स के विफल होने के बाद सहकारिता प्रेमियों ने जर्मन मॉडल के सहकारी बैंकस संगठित करने के प्रयास किये किन्तु ये भी विफल रहे। कारण अभी तक न तो देश में औद्योगिक उन्नति आरम्भ हुई थी और न जर्मनी जैसे शिल्पकार ही स्वीडन में थे जिन्हें कि रूपया उधार लेने की आवश्यकता हो। अन्त में उन्होंने उपभोक्ता स्टोर्स पर ही ध्यान दिया।

सन् 1870 तक स्वीडन एक कृषक देश था। जब इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति हुई, तो इस देश में भी औद्योगिक आरम्भ हो गया। साथ ही साथ नये-2 उद्योगों का विकास होने लगा। अब कृषि उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पन्न करने लगी।

विद्युत उत्पादन तेजी से बढ़ने के फलस्वरूप गाँवों में विद्युतीकरण तेजी से हुआ। लकड़ी और खनिज निर्भर उद्योगों की तेजी से प्रगति हुई। उद्योगों का विकास तेजी से होने के फलस्वरूप आन्दोलन बढ़ा और अन्य प्रकार की सहकारी समितियों की स्थापना भी होने लगी। कृषि क्षेत्र में सहकारी डेरी, अण्डा विपणन समितियों, बन समितियों आदि का निर्माण हुआ। स्वीडिश सहकारी आन्दोलन की महत्वपूर्ण विशेषता उपभोक्ता व उत्पादकों के संगठन एक दूसरे के हितों की रक्षा करते हुए राष्ट्र को समृद्धिशाली बनाने में संलग्न है।

औद्योगिकरण के साथ-साथ श्रमिकों की सख्त्या भी बढ़ने लगी और अन्य कठिनाइयों के साथ-साथ उनके समक्ष उपभोग वस्तुओं के क्रय की समस्या भी उदय हुई। इन दिनों देश में कार्टलों और मूल्य निर्धारण परिषदों की भरमार हो गई। अधिकाधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से इन्होंने पूर्ति को नियंत्रण करके वस्तुओं के मूल्य बढ़ा रखें थे। वस्तुओं के लिए ब्राड नियत कर दिये गये थे और वे निर्धारित ऊँची कीमतों पर ही बेची जाती थी। उपभोक्ताओं को सही मूल्य का ज्ञान नहीं था। जिस कारण वे वस्तुओं की सही तुलना नहीं कर पाते थे। अत ऊँची कीमत देने के लिए विवश थे। इस प्रकार स्वतंत्र प्रतियोगिता शून्य थी। एकाधिकार का प्रभुत्व था। इनकी शोषणपूर्ण कार्यवाहियों से तंग आकर उपभोक्ताओं ने यह प्रयास किया कि इनके मुकाबले में ऐसी संस्थाएँ खड़ी की जायें जो वस्तुओं के मूल्य निराने में सहायक हों। फलत 1900 और 1914 में फुटकर समितियों बड़ी सख्त्या में बनाई गई। इन्हीं के साथ थोक समितियों की व्यवस्था भी कर दी गई।

उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन का संगठन और ढाँचा अत्यन्त सरल है। सबसे ऊपर एक केन्द्रीय संस्था के ००एफ० कोऑपरेटिव फोरबन्डेट है। यह अपने विभिन्न विभागों के द्वारा थोक व्यापार, उत्पादन, शिक्षा, संगठन और सहकारी शिक्षा का कार्य करती है। इसी के अन्तर्गत २ बीमा समितियों (फाल्केट और स्मार्टबेट) भी कार्यशील हैं। चूंकि विभिन्न कार्य एक ही संस्था में कार्यशील है, इसीलिए यहाँ उपभोक्ता

आन्दोलन बहुत सुसंगठित और सुदृढ़ है। इसके लिए स्वीडन उचित रूप से ही गर्व कर सकता है। केओएफओ के नीचे काउन्टी समितियों और सबसे नीचे प्राथमिक उपभोक्ता समितियों हैं।

इस प्रकार स्वीडन, यूरोप के स्कैण्डनेविया के तीन विकसित देशों में एक अत्यन्त विकसित देश है। यहाँ के निवासियों का मुख्य पेशा कृषि है। कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ सहकारिता का क्षेत्र अधिक विकसित हो सका है। आज यहाँ की लगभग 36-37% जनसंख्या कृषि और सहकारिता की पूरिधि में सम्मिलित की जा चुकी है। स्वीडन में सहकारिता आन्दोलन ने उपभोक्ता सहकारिता, गृह निर्माण, समितियों सहकारिता तथा कृषक या कृषि उपज विपणन समितियों सहकारिता को तो विकसित एवं प्रोत्साहन किया है, परन्तु उत्पादन सहकारिता एक प्रकार से तो उपेक्षित रही है और सामूहिकीकरण (कलेक्टीविजेशन) पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कृषि के साथ-साथ इस देश के सहकारिता आन्दोलन की प्रमुख विशेषता यह है कि उसने सरकारी सहायता, प्रभाव एवं हस्तक्षेप के बिना ही इतनी प्रगति की है कि उसका सात रंगों का झण्डा प्रत्येक स्थान पर लहरा रहा है। इसका अपना विशेष निशान प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अपना स्थाई स्थान बना चुका है। वास्तव में इस देश का सहकारी आन्दोलन स्व-संगठित तथा आत्म-निर्भर है, जो सहकारिता की भावना को पूर्णरूपेण अभिव्यक्त करता है।

" स्वीडन के उपभोक्ताओं को सहकारी आन्दोलन की प्रमुख विशेषता यह है कि इसने अपने विकास के लिए एक दर्शन का विकास करने के साथ-साथ ठोस व्यापारिक आधार भी तैयार किया है। "

" स्वीडन वास्तव में सहकारी संसार का 'मक्का' बन गया है। " अत सच तो यह है कि चाहे किसी भी दृष्टिकोण से स्वीडन के सहकारी आन्दोलन का मूल्याकन किया जाय, यह स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ आज यह आन्दोलन एक महान् व आर्थिक

शक्ति है।

स्वीडन में सहकारिता आन्दोलन का विकास ओद्योगिकीकरण बृहत उत्पादन तथा पैंजीवाद एवम् स्वतंत्र व्यापार नीति के अस्वचिकर परिणामों को दूर करने के लिए किया गया था। आरम्भ से ही इसका नेतृत्व ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया गया था जो उच्च आदर्शों को प्राथमिकता देते थे। ऐसे अग्रगामी आशावादी, स्वतंत्रता प्रेमी एवम् व्यवहारिक थे और वे एक ऐसी व्यवस्था के इच्छुक थे जिससे वर्तमान सामाजिक उग्र अनियमितताओं का कोई स्थान न हो, जहाँ जीवन सुखमय हो तथा जहाँ अत्याचार तथा वर्ग संघर्ष एव वर्ग घृणा के स्थान पर भाई चारे की भावना को महत्व दिया जाता हो। इस प्रकार स्वीडन के सहकारी आन्दोलन का एक मुख्य उद्देश्य न केवल सदस्यों तथा समाज हितों की रक्षा करना है वरन् समाज को इस प्रकार परिवर्तित करना है कि वहाँ के निवासी कार्यात्मक एकता की भावना से कार्य कराते हुए सुखी जीवन जी सके। इस भावना से प्रेरित होकर यहाँ के निवासी आशावादी, स्वतंत्रता प्रिय, व्यवहारिक एवम् चतुर निवासी इस आन्दोलन को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके हैं।

इस प्रकार स्वीडन के निवासियों को सहकारी आन्दोलन हेतु पांच क्षेत्रों (जैसे- उपभोक्ता, सहकारिता, कृषि सहकारिता, गृह निर्माण सहकारिता, साख सहकारिता तथा सहकारी शिक्षा) में बौटा गया है।

इस प्रकार स्वीडन के सहकारिता आन्दोलन की श्रेष्ठता का श्रेय वहाँ के कुशल एव प्रशिक्षित नेतृत्व को है जिसने स्वीडन के निवासियों में पारस्परिक सहयोग एवम् सहकारिता की भावना को जागृत करके एक सहकारी राष्ट्र का निर्माण किया है। अत स्वीडन में सहकारिता का क्षेत्र अधिक व्यापक है। वहाँ के विशिष्टीकरण के आधार पर तथा उपयोगितावाद की नीति के आधार पर अनेक सहकारी संस्थाएं संगठित की गई हैं।

इन्टरनेशनल कोआपरेटिव एलायन्स हास बैंकाक मे नवम्बर, दिसम्बर मे (1981) एक गोष्ठी आयोजित की गई है जिसमे स्वीडन मे सहकारी आन्दोलन की समीक्षा की गई है। गोष्ठी के मत मे, 'स्वीडन मे सहकारी संस्थाएँ पेशेवर प्रबंधकों एवम् प्रशिक्षित कर्मचारियों से युक्त हैं और इनका स्वीडन के सहकारी आन्दोलन के विकास मे योगदान रहा है।

कनाडा मे सहकारी आन्दोलन

कनाडा सदार का दूसरा विशाल देश है। यह क्षेत्रफल मे भारत से तिगुना है। यहाँ जनसंख्या अनुपातत कम है। इसमे लगभग 45% ब्रिटिश बंशज, 25% फ्रांसीसी शेष यूरोप की अन्य जातियों हैं। जो लोग कनाडा मे आकर बाहर से बसे उनमे सहयोग की प्रवृत्ति होना स्वाभाविक था। अत यहाँ सरकारी प्रयत्नों के उदाहरण प्रारम्भ से ही मिलते हैं। इस पर भी सहकारी आन्दोलन की वास्तविक शुरूआत 1870 से लगभग हुई। चौकि यहाँ के निवासियों का मुख्य धन्धा कृषि है, इसलिए सहकारी संस्थाएँ सर्वप्रथम किसानों मे ही स्थापित हुईं।

सहकारी प्रयत्न विपणन के क्षेत्र मे अधिक सफल हुए। सन् 1900 से पहले कृषि उपज के विपणन का कार्य पूर्णत प्राइवेट व्यापारियों के पास था। वे कृषकों से अनाज क्रय कर निर्यात करते थे। उनके पास गल्ला भराई के यत्र थे। उन्हे रेलों व जहाजों मे गल्ला लादने का एकाधिकार था। सन् 1900 मे यह एकाधिकार उत्पादकों को भी मिल गया। किन्तु किसी के पास गल्ला निर्यात के लिए गल्ला न्यूनतम् मात्रा मे नहीं था जिस कारण वे पृथक - 2 रहकर इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते थे। अत उन्होंने दल बनाये, जो शीघ्र ही सहकारी संगठनों मे परिणित हो गये।

¹ उत्पादकों का पहला संगठन - गल्ला उत्पादक संगठन - सन् 1906 मे बना।

1911 में सरकार की सक्रिय सहायता से एक अन्य संगठन - सस के चचान भार उत्थापन यत्र को - का जन्म हुआ। इन संगठनों की सदस्यता शीघ्र ही हजारों पहुँच गई। उन्होंने अपने कार्यक्षेत्र के कुल 25% गल्ले को सभाला। सन् 1919 में सरकार ने एक गेहूँ परिषद (व्हीट बोर्ड) बनाई, जिसने गल्ला निर्यात के कुल कार्य को अपने हाथ में ले लिया। आयातक देशों की सरकारों से सीधे सोदे किये।

कनाडा में सहकारी आन्दोलन को जो सफलता मिली है उसका श्रेय नव कस्कोर्शिया के एन्टोगोनिश सेंट फ्रासिस जेवियर विश्वविद्यालय द्वारा सचालित सहकारिता प्रसार कार्य को है। यह कार्य 1930 में रेवरेंड एम०एम० कोडी के नेतृत्व में छोटे-छोटे अध्ययन दलों के रूप में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य स्थानीय आर्थिक समस्याओं पर विचार करना था। अब इस आन्दोलन ने एक पूर्ण विकसित शिक्षा कार्यक्रम का रूप ग्रहण कर लिया है। जिसमें अल्पावधि वाले शिक्षा कार्यक्रम, पुस्तकालय सेवा तथा अध्ययन क्लब जैसे विषय आते हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो विचार विमर्श होते रहते थे, उनके फलस्वरूप अनेक सहकारी संस्थाएँ स्थापित हुईं तथा सहकारी विचारधारा का प्रचार हुआ।

वर्तमान समय में कनाडियन कृषि अर्थव्यवस्था में सहकारी आन्दोलन का महत्वपूर्ण स्थान है। कुल ग्रामीण जनसंख्या का 40% आन्दोलन से प्रभावित है। यहाँ सभी प्रकार की सहकारी समितियों की संख्या 2,500 से अधिक है। इसमें लगभग 20 लाख सदस्य हैं। इनमें विधन और उपभोक्ता समितियों सर्वप्रथम हैं। कनाडा के सहकारी आन्दोलन में सम्मिश्रण तथा अन्य लम्बे वे क्षेत्रिज प्रकार के संयोजनों की प्रवृत्ति चल रही है। स्नोडेन रिपोर्ट की सिफारिशोंनुसार कनाडा में सहकारी शिक्षा का अधिक विस्तार किया जा रहा है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में सहकारिता

संयुक्त राज्य अमेरिका में साथ-साथ मिलकर कार्य करने वाले व्यक्तियों में सहकारिता का प्रयोग उतना ही पुराना है जितना कि उसका उपनिवेशीकरण एवं व्यवस्थापना। परन्तु सहकारिता की इस प्रारम्भिक प्रवृत्ति के बावजूद सहकारी व्यवसाय एवं स्थाओं का सर्वथा अभाव था। लोगों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों को तथा फार्मों पर कार्यरत व्यक्तियों को एक साथ मिलकर कार्य करने की केवल शिक्षा दी जाती थी। पारस्परिक बीमा के क्षेत्र में सन् 1752 में बेन्जामिन फेकलिन द्वारा प्रथम सहकारी समिति स्थापित की गई थी। प्रथम फार्म पूर्ति सहकारी समिति सन् 1863 में न्यूयार्क राज्य में संगठित की गई। प्रारम्भिक राज्यों में दुर्घशालाओं के व्यापारियों ने सर्वप्रथम सहकारिता को गति प्रदान की जिसके फलस्वरूप 1867 तक दुर्घशाला के उत्पादकों को प्रसंस्करण करने वाली 400 समितियाँ स्थापित हो चुकी थीं।

रोकडेल सिद्धान्तों के आधार पर सन् 1868 में 'ग्रेन्ज आन्दोलन' के सुगठन के साथ सहकारी आन्दोलन का आरम्भ हुआ जिसने एक साथ क्रय-विक्रय करने तथा सामान्य रूप से एक साथ कार्य करने की धारणा का विकास किया था। बैंकिंग तथा बीमा के क्षेत्र में ग्रैंज के प्रयासों को अत्याधिक सफलता मिली। इस आन्दोलन ने किसानों का एकता एवं सुगठन में एकता का पाठ पढ़ाया।

सहकारी आन्दोलन से कृषक सघ को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला है। प्रारम्भ से ही इस सघ का यह विश्वास था कि सहकारी व्यापारिक क्रियाओं से कृषकों का आर्थिक कल्याण सम्भव है। कृषि सबधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहकारी क्रय की दिशा में किये गये प्रयत्नों से काफी बचत हुई जिससे पारस्परिक प्रतिस्पर्धा भी समाप्त हो गई।

गत शताब्दी के अन्त में उपरोक्त प्रयासों के बावजूद अमरीकी कृषक की कोई शक्तिशाली संस्था नहीं थी। उनके सब का प्रभाव धीरे-2 पूर्णरूप से समाप्त हो गया। ग्रेन्ज की शक्ति भी कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रह गई थी। सन् 1900 से पूर्व संगठित की गई सहकारी समितियों असफल हो गई। इन समितियों में से कुछ समितियों की क्रियाएँ स्थानीय तथा अव्यवस्थित थीं। उनमें से कुछ तो सफल हुई, परन्तु आशिक समय तक कार्यशील रहीं।

कृषि सहकारी समितियों का विकास सन् 1920 के पश्चात् प्रारम्भ हुआ। अमेरिकन सोसाइटी आफ इक्यूटी एण्ड द फार्टनर्स एजूकेशनल यूनियन ने अनेक सहकारी उपक्रमों को संगठित किया। सन् 1919 में 'अमरीकी फार्म ब्यूरों सब' स्थापित किया गया, जिसने सहकारी विपणन तथा सहकारी समितियों के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। सन् 1935 के पश्चात् से विद्युत शक्ति का विवरण करने के लिए सहकारी समितियों का तीव्रगति से विकास हुआ। सन् 1938 से चिकित्सा की ऊंची लागत के विरुद्ध स्वास्थ्य सहकारी समितियों का संगठन आरम्भ किया गया। सहकारिता के विकास हेतु अमेरिकन इन्स्टीट्यूट आफ कोआपरेशन भी कार्यरत है।

कृषकों की सहकारी समितियों अमरीकी सहकारिता की आधारशिला मानी जाती है। कृषि अमरीकी समाज के किसी बड़े वर्ग ने सहकारी संगठनों का इतना अधिक लाभ नहीं उठाया है जितना कृषक परिवारों ने। वर्तमान में राष्ट्र के तीन मिलियन फार्मों के प्रत्येक 4 संचालकों में से 3 संचालक ऐसे हैं जो तीन या अधिक सहकारी समितियों के सदस्य हैं। ये अपनी सहकारी समितियों के माध्यम से 25% पेट्रोलियम उत्पाद तथा 20% उर्वरक तथा अन्य आवश्यक वस्तुएँ क्रय करते हैं। वे अपनी कृषि उपज तथा पशु उत्पादों का 25% भाग इनके माध्यम से बेचते हैं और प्राय अन्तिम उपभोग का प्रसंस्करण भी इन्हीं समितियों द्वारा किया जाता है। ये समितियों अपने सदस्यों को साख, बीमा, विद्युत शक्ति, टेलीफोन तथा अन्य प्रकार की सुविधाएँ व सेवाएँ प्रदान करती

है। वास्तव में कृषि उत्पादकता में बढ़िया करने की दिशा में इन समितियों ने अमूल्य सहयोग प्रदान किया है। यह उल्लेखनीय है कि अमरीका में यू0एस0डी0ए0 ने कृषि सहकारिता को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभागों के अनुमानों के अनुसार १९६३ ऐसी समितियाँ थीं जिनकी कुल सदस्यता लगभग ७२ मिलियन थी। इन समितियों की साधेक्षिक स्थिति इस प्रकार से है -

संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषक सहकारी समितियों की संख्या तथा सदस्यता १९६०-६१

तालिका - ३४

संख्या	संघ संख्या	प्रतिशत	सदस्यता संख्या(मिलियन में)	प्रतिशत
१	५,७२७	६३	३ ५	४८
२	३,२२२	३५	३ ७	५१
३	२१४	०२	० ५	०१

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि इन सहकारी संघों में २/३ से कुछ कम विपणन सहकारी समितियाँ थीं। १/३ समितियाँ फार्म आपूर्ति समितियाँ थीं। ऐसी सेवा समितियों की संख्या, जो सामान्य परिवहन, संग्रहण, फलों की खेंकिंग आदि संबंधी विशिष्ट सेवाये प्रदान करती थीं। अपेक्षाकृत कम थीं। १९६०-६१ के पश्चात् कृषि समितियों की संख्या में निरंतर कमी हुई। १९७८ में इन समितियों की संख्या केवल ७,७८६ तथा सदस्यता ६२ लाख रह गयी।

आज अमरीका में अनेक प्रकार की सहकारी समितियाँ कार्यशील हैं। विश्व में शायद

4- डा० माथुर वी०ए० - "सहकारिता" साहित्य भवन, आगरा सप्तम संस्करण १९८४

ही कहीं इतने प्रकार की सहकारी समितियों पायी जाती है। वहाँ कृषि उत्पाद के विपणन तथा कृषकों को बीजों, उर्वरक, तेल, ट्रैक्टर, टायर व इयूब, घेरलू आवश्यक वस्तुओं, फर्नीचर एवं वस्तुओं तथा वस्त्रों की आपूर्ति करने की निमित्त सहकारी समितियों हैं। विद्युत शक्ति के वितरण तथा टेलीफोन की सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए भी सहकारी समितियों हैं। इनके अलावा गृह निर्माण सहकारी समितियों, उपभोक्ता भण्डार, सामूहिक स्वास्थ्य समितियों तथा विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की राहकारी समितियों भी हैं। कृषि उपज को विभिन्न प्रकार से होने वाली क्षति तथा मोटर दुर्घटनाओं से होने वाली क्षतिपूर्ति करने हेतु भी सहकारी समितियों तथा पारस्परिक बीमा समितियों भी सगठित की गई हैं। आज इन सहकारी समितियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से सुनुक्त राष्ट्र अमेरिका के 15 मिलियन लोग लाभान्वित होते हैं।

आज इन समितियों में कुछ समितियों बहुत ही बड़ी हैं। इनमें से सबसे बड़ी समिति जो एक क्षेत्रीय कृषि आपूर्ति सहकारी समिति है, अपने सदस्यों के लिए तेल कूपों तथा शुद्धीकरण कारखानों, उर्वरक तथा रसायनिक फेन्ट्रीयों, पशु पालन परीक्षण केन्द्रों, अण्डों के संवेष्ठन का संयन्त्र तथा आदर्श फार्म का सचालन करती है। ॥ राज्यों में इसके सदस्य हैं तथा इसका व्यवसाय 250 मिलियन डालर से भी अधिक का है। परन्तु फिर भी इन समितियों का कुल व्यापार राष्ट्रीय व्यापार का 3% के बराबर का ही है।

वर्तमान स्थिति तो यह है कि राष्ट्र के 3 मिलियन फार्मों के प्रत्येक 4 सचालकों में से 3 सचालक ऐसे हैं जो एक या अधिक सहकारी समितियों के सदस्य हैं। ये सदस्य अपनी-अपनी सहकारी समितियों के माध्यम से ही 25% ऐट्रेलियम्¹ उत्पाद तथा 20% उर्वरक तथा अन्य आवश्यक वस्तुयें क्रय करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि अमेरिका में यूएसडॉलरों ने कृषि सहकारिता को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया है।

ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अमेरिका में 2% से कम व्यक्तियों के पास 30% निजी सम्पत्ति है तथा 50% कम्पनी के स्टाक तथा राज्य एवं स्थानीय सरकारी के ऋण पत्र है। टेरिबूरीज ने ठीक ही लिखा है कि "संयुक्त राज्य अमेरिका, में बड़े आदमियों के समाज में 'सहकारिता' छोटे व्यक्तियों का ही चुनाव है।"

इस प्रकार सहकारिता संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, "सहकारिता एक कठिन व्यवसाय हैन कि एक आदर्शमूलक धर्मन्युद्ध।" सहकारिता वहाँ के लोगों का एक निजी उपक्रम से ही एक विशिष्ट अग है और सहकारिता तथा पूँजीवाद में कोई संबंध न होने के कारण दोनों साथ-साथ चल सकते हैं। सहकारी आन्दोलन का मूलभूत उद्देश्य वहाँ व्यापार के अन्य स्वरूपों को प्रतिस्थापित करना या उनसे आगे बढ़ना नहीं है वरन् उसको वास्तविक रूप में प्रतिस्पर्धात्मक बनाये रखना है।

चीन में सहकारी आन्दोलन

यह सबसे पहले चीनी नेता थे जिन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि चीनी जनता की दरिद्रता का नितान्त उन्मूलन करने के लिए सहकारी रीति ही सबसे उपयुक्त रहेगी। अत सन् 1912 में जबकि शासन की बागडोर उनके हाथों में आई, उन्होंने आन्दोलन के प्रारम्भ के लिए आवश्यक कदम उठाये। इन्हीं के प्रभाव से सन् 1919 में प्रो० हेने सघाई में एक राष्ट्रीय सहकारी बैंक स्थापित किया। सहकारी अनुभवों और विचारों के प्रसार के लिए साप्ताहिक पत्र भी निकाला गया। इनके तीन वर्ष के भीतर ही चीन में अनेक ग्रामीण साख समितियों भी स्थापित हो गईं।

सन् 1921 में समूचे उत्तरी चीन में एक अकाल पड़ा जिसके कारण कृषकों की दशा बिगड़ गई। सूखे के कारण फसले नष्ट हो जाने से कृषकों के बीच भूखमरी फैलनी शुरू हो गई। कुछ विदेशी संस्थायें भी भूखे लोगों में खाद्यान्नों का वितरण करके

चीनी जनता को सकट से पार होने में सहायता कर रही थी। इन्होंने लोगों को यह परामर्श दिया कि वे पारस्परिक साख समितियों का निर्माण करें। इससे उनकी स्थिति सुदृढ़ हो जायेगी। फलत साख समितियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई। उन्हें चीनी अन्तर्राष्ट्रीय अकाल निवारण आयोग ने सन् 1922 में सहायता प्रदान की। तत्पश्चात् चीनी सहकारिता की चमत्कारिक प्रगति हुई। जनता की आर्थिक दशाये सुधारने हेतु सुझाव देने के लिए एक आयोग साख नियुक्त एक कमेटी ने भी यह मत प्रगट किया कि देश में सहकारी आन्दोलन का प्रसार करना चाहिए। तदनुसार आयोग ने उत्तरी चीन में कृषकों की सहकारी साख समितियों संगठित करना शुरू किया। ये समितियों रेफेसन नमूने पर बनाई गयी थी। नानकिंग विश्वविद्यालय ने भी अकाल आयोग से प्राप्त अनुदान की सहायता से साग-भाजी उत्पादकों की फेगकेन सहकारी साख समिति बनाई। इन समितियों को अकाल आयोग और चीनी बैंकों से भी आर्थिक सहायता मिली।

प्रो० हे ने सन् 1927 में सारे देश के लिए एक योजना बनाई जिसका उद्देश्य सहकारी समितियों की उन्नति करना था। इसे राष्ट्रीय सरकार ने स्वीकार कर लिया, किन्तु धनाभाव के कारण वे योजना को शुरू नहीं कर सके। इस वर्ष के बाद से विभिन्न प्रान्तीय सरकारों ने भी सहकारी समितियों के निर्माण को प्रोत्साहन देना प्रारम्भ किया। प्रत्येक प्रान्त में एक सहकारिता कमेटी या ब्यूरों बनाया गया। इनके अधीन भ्रमण करने वाले इन्स्पेक्टरों और आर्नाइजरों का एक स्टाफ रखवा जाता था। जबकि सहकारिता ब्यूरो एक सहकारी संस्था थी। सहकारिता कमेटी में एक गेर सरकारी व्यक्ति होते थे। ये दोनों ही संस्था ऋण देने में कृषक या व्यापारिक बैंकों की सहायता करती थी। अनेक बैंकों ने अपने निजी आर्नाइजर्स रखे हुए थे तथा सस्ती व्याज दरों पर ग्रामीण सहकारी समितियों को ऋण दिया करते थे। सन् 1928 में एक सहकारी यूनियन की भी स्थापना हुई। इसका कर्तव्य सहकारिता के सिद्धान्तों एवं प्रगतियों का अध्ययन करना तथा देश में उनका प्रचार करना था।

सन् 1931 मे यार्ट्सी नदी मे भयकर बाढ आई। इससे चीनी कृपकों को पुन आर्थिक सकट का सामना करना पड़ा। अत सहकारिता आन्दोलन को एक नया बल मिला तथा ऋण समितियों की सख्ता तेजी से बढ गई। अन्य प्रकार की सहकारी समितियों भी बनाई जाने लगी। स्पष्टत भारत के सामने जहाँ सहकारिता आन्दोलन किसानों को धोर ऋणग्रस्तता को समाप्त करने की आवश्यकता के कारण उदय हुआ था, चीन मे सहकारिता आन्दोलन को उत्तरी चीन के अकालों एव बाढों से बल मिला। इन्हीं देशों के राजनीतिक नेताओं मे आपसी झगड़े शुरू हो गये। इनसे भी जनता की कठिनाइयों मे वृद्धि हुई। किन्तु सहकारी आन्दोलन ने जनता के कष्टों को पर्याप्त कम कर दिया।

सन् 1931 मे एक ऐक्ट बनाया गया। इसी के द्वारा सहकारी समितियों को राजकीय सहायता का पूर्ण वचन मिला। तब से सहकारी आन्दोलन के विकास मे अधिकाधिक रुचि सरकार ने ली है और सन् 1935 तक आन्दोलन विशुद्ध रूप से सरकारी आन्दोलन बन गया। सन् 1935 मे एक अधिनियम ने सहकारी समितियों को 4 श्रेष्ठियों मे बाँटा और दुर्बल, अकुशल समितियों को हटाने के उद्देश्य से जो समितियों चतुर्थ श्रेणी मे आई उन्हे खत्म कर दिया। केवल कियान्सु प्रान्त मे समितियों की सख्ता 1935 मे 1,793 से घटाकर सन् 1936 मे केवल 1,102 रह गई।

सन् 1936 मे सहकारी बैंकों के लिए भी नियम बनाये गये, जिन्होने इसको 3 वर्गों मे बाँट दिया। राष्ट्रीय, प्रान्तीय और देहाती। इन बैंकों को सरकार द्वारा वित्त प्रबंधित साख स्थाओं के रूप में संगठित किया जाना था। यद्यपि नियमों मे सदस्यों की सख्ता निर्धारित नहीं की गई है तथापि जब तक 60 सदस्य न हो जायें तब तक इसका निर्माण सामान्यत नहीं किया जाता। प्रत्येक सदस्य के लिए एक शेयर क्रय करना अनिवार्य है। इसका 1/4 मूल्य प्रवेश के समय चुकाना पड़ता है। शेष किश्त मे किसी एक सदस्य के पास कुल दत्त अश-पूँजी के 20% से अधिक भाग नहीं होना

चाहिए। 'गारन्टी' के द्वारा सीमित दायित्व' की प्रथा को प्रोत्साहित किया जाता है। प्रत्येक सदस्य का एक बोट होता है तथा प्रोक्सी देने की अनुमति है। रिजर्व फण्ड में लाभ हस्तान्तरण के पहले भी लाभाश दिये जा सकते हैं। सहकारी साख समितियों के सदस्य अपनी समितियों के नाम में सहकारी बैंक से ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। हाँ, उन्हें अपने चरित्र और ऋण के सुदृपयोग का विश्वास दिलाना पड़ता है।

सन् 1936 में सम्पूर्ण चीन में सहकारी समितियों की संख्या 37,000 के लगभग थी, लेकिन संगठनात्मक सुधारों एवं प्रयत्नों के फलस्वरूप यह संख्या बढ़कर सन् 1937 में 47,000 हो गई।

प्रत्येक व्यक्ति से पृथक्-2 व्यवहार करना उचित और सम्भव न था। अत स्काटलैण्ड से शिक्षा प्राप्त एक स्थानीय विद्वान् सी०एफ०व्य० ने कारीगरों को लघु सहकारी समितियों में संगठित करने की एक योजना बनाई। इसके लिए राज्य से आवश्यक धन राज्य से सहायता प्राप्त एक केन्द्रीय समिति द्वारा दिया जाना था। तत्कालीन ब्रिटिश राजदूत ने भी च्यांगकार्डेशेक को ओद्योगिक सहकारी समितियों की योजना के बारे में बताया। अगस्त 1938 में शार्डाई प्रवर्तन समिति स्थापित की गई। इस समिति ने चीन में 30,000 ओद्योगिक सहकारी समितियों गठित करने का सुझाव दिया।

सर्वप्रथम वू ने ही एक ओद्योगिक सहकारी समिति बनाई जिसमें 9 शरणार्थी सदस्य थे। इसकी कुल पूँजी 140 चीनी डालर नगद तथा 36 डालर के ओजार थे। इसे सरकार ने 20 पौंड का ऋण दिया। समिति ने बहुत जल्दी प्रगति की और अपना सारा ऋण 14 माह के भीतर चुका दिया। तत्पश्चात् हेनान के 30 मोजा बुनने वालों की एक समिति बनी। फिर साबुन व मोम बत्तियों बनाने वालों, छापखाने वालों और अन्य कारीगरों ने भी समितियों बनाई। जुलाहों ने अपनी समितियों अलग बनाई। सेनार्थ कम्बल का उत्पादन शुरू किया। इन समितियों को जिन यत्रों व करघों की जरूरत

हुई उन्हे बढ़यों की समिति ने बनाया। ये समितियाँ चीनी जनता के लिए बहुत लाभप्रद प्रमाणित हुई। इन्होंने युद्ध सामग्री का निर्माण शुरू किया। इस प्रकार जनता को जापानी आक्रमण से उत्पन्न राष्ट्रीय खतरे का दृढ़तापूर्वक सामना करने में शक्ति बनाया, बेरोजगारों को काम दिया। टेक्नीकल शिक्षा प्रदान की। इस प्रकार उन्हे अपना व अपने परिवार वालों का जीवन निर्वाह करने योग्य बनाया गया। आजकल शघाई प्रोमोशन कमेटी 'इन्डस्ट्री' के नाम से लोकप्रिय है। सन् 1938 में विभिन्न प्रकार का सामान बनाने वाली 350 सहकारी समितियाँ थी। इनके 4300 व्यक्ति सदस्य थे तथा इनकी अश-पैंडी 12 लाख चीनी डालर थी। सहकारी समितियाँ साधारण व्यवसाय के साथ ही साथ औद्योगिक, समितियों को अपने यन्त्रादि स्थानान्तरित करने के लिए यातायात सुविधायें देती थी।

सन् 1937 में एक केन्द्रीय सहकारिता प्रशासन भी स्थापित किया गया। जिसका उद्देश्य सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा देना था। अभी तक लोगों की सहकारी शिक्षा और ट्रेनिंग के लिए जो आन्दोलन को सफल बनाने के लिए अत्यावश्यक थी, कोई कदम नहीं उठाये गये थे। क्रय-विक्रय समितियों के विकास पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। अत इनके विकास पर भी बल दिया जाने लगा। तदनुसार सन् 1939 में सहकारी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग के लिए एक केन्द्रीय सहकारी विद्यालय स्थापित किया गया। औद्योगिक तथा उपभोक्ता समितियों की सहायतार्थ एक 'राष्ट्रीय थोक सहकारी संस्था' भी गठित की गई। इसने चीन के विभिन्न प्रान्तों में अपनी कई शाखायें खोली तथा अन्य सम्बद्ध थोक संगठन स्थापित किये गये। सन् 1940 में कोआपरेटिव लीग आफ चाइना भी स्थापित की गई। यह योजना बनाने वाली संस्था रूप में कार्य करती है।

सन् 1940 में स्थानीय सहकारिताओं के नियोजित विकास के लिए एक ऐक्ट बनाया गया। इस ऐक्ट ने गाँव में अनेक समितियाँ, जिला स्तर पर एक बहुउद्देशीय

जिला समिति और प्रत्येक 40 जिला समितियों के लिए एक सहकारी यूनियन बनाने की व्यवस्था की। एक बहुकार्य समिति अनेक प्रकार के (जैसे- उत्पादक, उपभोक्ता एवं विपणन समितियों के लिए) कार्य करेगी। अन्य शब्दों में, यह ग्रामीण समितियों के लिए ग्राम सहकारी केन्द्र के रूप में परिणित करने का एक प्रयास था। नई नीति के अनुसार ही आन्दोलन का पुनर्गठन किया गया और देश में अनेक बहु कार्य समितियों स्थापित हो गई। ये समितियों कृषि उत्पादन का सगठन करने में सहायता देने के लिए डाक्टरी सुविधाएं, साख व शिक्षा सबधी सुविधाये, भवनों के निर्माण के लिए ऋण और विवाह के लिए इच्छुक व्यक्तियों को आर्थिक सहायता भी देती थी।

सन् 1937 में सहकारी समितियों की संख्या 47,000 थी और 1938 में 64,000 हो गई थी। जिस समय चीन ने जापान से मुक्ति पाई, अर्थात् 1940 में 120 हजार सहकारी समितियों थी। द्वितीय महायुद्ध के अन्तिम वर्षों में यह संख्या 160,000 तक पहुँची। सदस्य संख्या में भी यथेष्ट वृद्धि हुई। जबकि 1940 में यह सदस्य संख्या 6 मिलियन थी। सन् 1944 में वह 15 मिलियन से भी अधिक थी। प्रति समिति सदस्य संख्या भी बढ़ती गई। इस समय तक चीनी सहकारी आन्दोलन में विविधता आने लगी। साख सहकारिता धीरे-धीरे विकसित हो रही थी। लेकिन इतनी प्रगति होने पर भी सहकारी आन्दोलन जनसंख्या के 3 या 4% से अधिक के भाग को स्पर्श नहीं कर पाया था। वह राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में वेसी भूमिका न ले सका था जैसी उससे आशा की गई थी। सन् 1949 में चीन में सहकारी समितियों की संख्या 1,85,000 थी। इनमें साख समितियों 75,850, कृषि उत्पादन समितियों 31,430, उपभोक्ता समितियों 23,050, विपणन समितियों 18,500 और औद्योगिक उत्पादन समितियों 9,250 थी। सन् 1951 में पुनर्गठन योजना के फलस्वरूप सहकारी समितियों की संख्या घटकर 42,425 रह गई। इसमें 86.7% कृषि एवं विपणन समितियों 9.5% उपभोक्ता भण्डार, 2.4% उत्पादक समितियों और 1.4% अन्य समितियों थी।

गणतन्त्र चीन में भी सहकारिता को सर्वसाधारण कार्यों में भी पूर्ण महत्व प्राप्त है। चीन के लोकतन्त्रात्मक गणराज्य का पहला संविधान 20 सितम्बर 1954 को बना, जिसमें देश के समस्त उत्पादन में (विशेषत कृषि एवं घरेलू उद्योग धन्दों में) समाजीकरण का कार्य सहकारी संस्थाओं को सुरुद्द कर दिया गया था। भारत सरकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था सबधी नीति संस्थाओं को सुरुद्द कर दिया गया था। हमारी पचवर्षीय योजनाओं में भी सहकारिता को हर क्षेत्र में स्थान दिया गया है। चीन की तरह भारत सरकार भी पहले सहकारिता के द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। बाद में उचित अवसर आने पर वह सामूहिक उत्पादन की रीति को लागू करेगी।

चीन सहकारी आन्दोलन विश्व में सर्वोपरि है। इसका सुगठनात्मक ढाँचा लगभग ऐसा है जैसा कि अन्य देशों में देखा जाता है। सबसे ऊपर एक राष्ट्रीय संघ है, जो सर्वोच्च सहकारी संस्था है। इसे अखिल चीनी सहकारी संघ कहते हैं। इसकी स्थापना सन् 1950 में हुई थी। सबसे नीचे स्थानीय समितियों होती हैं जो सब काउन्टी, काउन्टी प्रोविन्शियल और रीजनल फेडरेशन में वर्गित की गई हैं। इस समय 6 रीजनल और 28 प्रोविन्शियल फेडरेशन हैं। ये फेडरेशन अनेक प्रकार के कार्य-कलापों में भाग लेते हैं। सदस्य समितियों के कार्य में समन्वय स्थापित करते हैं तथा राजकीय व्यापारिक संस्थाओं में व्यवसायिक संबंध बढ़ाते हैं। सन् 1937 में जापान-चीन युद्ध ने उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों की संगठन को प्रोत्साहित किया और इसके बाद से ही यह आन्दोलन गैर साख आन्दोलन बन गया है।

उपरोक्त विवरण के साथ ही साथ चीन में कृषि सहकारिता, औद्योगिक सहकारिता प्रमुख रूप से कार्य कर रही है। सहकारिता के साथ ही साथ ग्रामीण आपूर्ति एवं विपणन समितियों, नगरीय उपभोक्ता सहकारी समितियों तथा साख समितियों भी कार्यरत हैं।

फ्रान्स में सहकारिता

फ्रान्स ने सहकारी उत्पादन के सबध में सबसे अधिक कीर्ति प्राप्त की है। सहकारी उत्पादन के क्षेत्र में फ्रान्स को यदि जन्मदाता भी कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। यहाँ पर केवल सहकारी उत्पादन के अकुर ही उत्पन्न नहीं हुए बल्कि सहकारी उत्पादन ने पूर्ण स्वरूप विकसित किया। सहकारी उत्पादन राष्ट्रीय लाभ के लिए है। यह केवल उत्पादन को ही बढ़ावा नहीं देता बल्कि इसके अतिरिक्त पूँजीवादी उत्पादन व्यवस्था के दोषों को भी दूर करती है। मजदूर वर्ग को प्रसन्न व खुश रखती है। हम, इतिहास से ही देखते आये हैं कि मजदूर वर्ग असतुष्ट रहता है तो वह क्रान्ति की ओर अग्रसर होता है। इसी सहकारिता आन्दोलन ने एक ओर मजदूर वर्ग को संतुष्ट किया है और दूसरी ओर पूँजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास भी किये हैं।

फ्रान्स में सहकारिता उत्पादन का विकास किस प्रकार हुआ? इसका इतिहास भी जानना आवश्यक है। फ्रान्स में मजदूर समाज का जन्म नहीं हो सका था, क्योंकि वे आधुनिक उद्योगों से अपरिचित थे। वह नहीं जानते थे कि आधुनिक उद्योगों से उनका क्या सबध है। जैसे-2 पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की बुराइयों का एकाधिकार हुआ? औद्योगिक वर्ग संघर्ष बढ़ता गया। इसी औद्योगिक असंतोष ने मजदूर वर्ग का जन्म हुआ। परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि फ्रान्स में इसके पहले कोई प्रयत्न किये गये थे। सहकारी अकुर तो फ्रान्स में पहले से ही थे किन्तु उचित अवसर आने पर पूर्णरूप से अग्रसर हुआ। जिस प्रकार इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति ने रार्बट ओवन जैसे आलोचक को जन्म दिया था, उसी प्रकार फ्रान्स में पहला दाश्निक चाल्स फेरियर था। यह विश्व औद्योगिक के सुजन का स्वप्न देखता था। उसने फ्रान्स के आर्थिक दशा की आलोचना की और उसने ऐसी योजनाओं का निर्माण किया जो तत्कालीन सामाजिक

परिस्थितियों में प्रयोग की जा सकती थी। फेरियर समाजवादी उपनिवेशों अथवा फेलेस्टेयरों द्वारा देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में पूर्ण परिवर्तन करना चाहता था।

चार्ल्स फेरियर का जीवन कडे सघर्षों में बीता था। वह सामाजिक व आर्थिक वातावरण से काफी प्रभावित हुआ। उस समय की दुखद आर्थिक व सामाजिक दशा को देखकर उसने पूर्ण परिवर्तन करने का प्रयास किया किन्तु वह उन परिवर्तनों को लाने के लिए व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत सम्पत्ति या उत्तराधिकारों को समाप्त करने की नहीं सोचता था। उसका उत्तराधिकार धन की असमानता में अटल विश्वास था। उसके अनुसार निर्धनता ईश्वरीय देन है जिसे समाप्त करना असम्भव है।

यह समाजवादी उपनिवेश शहर से दूर खुले हुए थे। इन उपनिवेशों के सभी सदस्य एक परिवार के सदस्यों की तरह मिल जुलकर कार्य करते थे। इस प्रकार समाजवादी उपनिवेश में डेढ़-2 हजार व्यक्ति या 300 में 400 परिवार उत्तम मकानों में रहते थे। ये मकान लगभग 3 वर्गमील क्षेत्र के अन्दर बनाये जाते थे। इन उपनिवेशों में मिला-जुला भोजनकक्ष, स्कूल, पुस्कालय, औषधालय और दूसरी सुविधाये प्राप्त थी। वहाँ पर एक विशाल पैलेस होटल था, जहाँ एक ही मेज पर सभी लोग भोजन कर सकते थे। महिलाओं की की प्रतिष्ठा के संबंध में फेरियर के विचार काफी ऊँचे थे।

श्रम को आकर्षक बनाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए चार्ल्स फेरियर ने मजदूरों को सहकारी उत्पादन समिति बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने श्रमिकों को संगठित करके सहकारी स्वामी बनाने पर जोर दिया। इस प्रकार श्रम करने वाले व्यक्ति को 3 रूप से पारिश्रमिक देने की व्यवस्था की गई। श्रमिक रूप में, पूँजी के स्वामी के रूप में तथा प्रबंध समिति सदस्य के रूप में। इस सहभागिता की योजना द्वारा फेरियर ने श्रम और पूँजी के बीच सघर्ष को पूरा करने का प्रयास किया और चूंकि फेलेस्टेयर में उपभोक्ता सभ की भी सुविधा रखी गई थी। इसलिए उपभोक्ताओं एवं उत्पादकों के

मध्य की सम्भावना नहीं रही। यह सामाजिक उपनिवेश उपभोक्ताओं के सब का भाग नहीं था वरन् उसमे उत्पादन भी होता था। भोजनालय के चारों ओर 400 एकड़, विस्तृत रखा जाय जिससे कि उत्पादन कार्य में सुविधा भी रहे। साथ ही साथ उपनिवेश भी आत्मनिर्भर बनें।

विस्तृत क्षेत्र को रखने का मुख्य उद्देश्य मध्यस्थी को हटाना था, विस्तृत क्षेत्र होने से विभिन्न देश आपस मे विनियम नहीं कर सके। अत उपनिवेशों की स्थापना 'सामाजिक आकर्षण' के अनुसार की जाय। इस कार्य का मुख्याधार सहकारिता हो और एक रूपता भव। प्रतिस्पर्धा का कोई स्थान न हो जिससे कोई मतभेद भी पैदा न हो सके। भोजन, बिजली और स्थान भी मिले-जुले हों जिससे कम आय वाले व्यक्तियों को उचित स्थान प्राप्त हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि लोगों को कम आय मे पूर्ण आराम एवं विलासिता की वस्तु प्राप्त हो सके। सामाजिक रूप से लोगों मे सहानुभूति, प्रेम, मातृत्व भावना रहे। इस प्रकार यह एक आदर्श योजना थी, जो कि सहकारिता पर आधारित थी।

उपभोक्ता सहकारिता, उत्पादक सहकारिता, सहकारिता श्रम और सहजीवन इस योजना का मुख्य उद्देश्य था जिससे कि उपनिवेशों का पूर्ण जीवन सहकारिता के आधार पर निर्भर था। चार्ल्स फेरियर अपने उपनिवेश ऐसा वातावरण उत्पन्न करना चाहता था जिसमे श्रम को अभिशाप न समझा जाय। लोग किसी आर्थिक या सामाजिक आवश्यकता के दबाव मे श्रम न करें वरन् कार्य मे पूर्ण स्वचि लें और प्रेमपूर्वक कार्य करें। इस योजना के अन्तर्गत लोगों को कार्य चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और इसे वे चाहे अकेला करें या लोगों के साथ मिलकर करें।

चार्ल्स फेरियर निजी सम्पत्ति को समाप्त नहीं करना चाहता था किन्तु इसने इनके प्रबंध के लिए सयुक्त स्कन्ध प्रणाली का आविष्कार किया। उन दिनों संयुक्त

स्कन्ध संस्थाओं की स्थापना नहीं हुई थी। अत सुयुक्त पद्धति के अनुसार निजी सम्पत्ति की व्यवस्था करने का विचार मौलिक कहा जा सकता है। उसने श्रम, पूँजी और साहस में लाभ के वितरण का अनुपात 5,4,3 निश्चित किया। उपनिवेश का प्रबंध चुने हुए सदस्यों की समिति के हाथ में रहता था।

पूँजी और श्रम के बीच भेदभावों को पूरा करने के लिए उसने इस बात पर बल दिया कि श्रमिकों को केवल मजदूरी कराने वाला ही नहीं समझना चाहिए वरन् सहकारी स्वामी भी समझा जाना चाहिए।

फेरियर और उसके अनुयायियों ने इस प्रकार के उपनिवेश चलाये, पर इस प्रकार के उपनिवेश के लिए धन की सहायता आवश्यक थी जो कि उन्हे प्राप्त नहीं हो सकी। अत उसके प्रयत्न विफल हो गये। वास्तव में देखा जाय तो उसके ये सामाजिक, आर्थिक प्रयत्न आदर्शत्मक थे न कि प्रयोगात्मक। सदस्यों ने बहुत अधिक रुचि थी नहीं ली और उसमें अनुशासन की भी कमी न थी। अत फेरियर अपने जीवनकाल में ही अपने स्वप्न को पूरा नहीं कर सका। उसके मृत्योपरान्त असख्य लोगों में इस सिद्धान्त की प्रशंसा की एवं फालन्स्टर की स्थापना के लिए फ्रान्स में असख्य प्रयत्न किये गये।

फान्स के सहकारी आन्दोलन में लुई ब्लैक के प्रयास भी काफी प्रशसनीय है। लुई ब्लैक समाजवाद का सर्वश्रेष्ठ संस्थापक था। सन् 1841ई0 में लुई ब्लैक ने श्रम के कल्याण एवं हित के बारे में जो विचार व्यक्त किये उससे बहुत ही छ्याति प्राप्त हुई। सन् 1848 की क्रान्ति के पश्चात् वह प्रान्तीय सरकार का सदस्य बन गया। फ्रान्स की क्रान्ति ने उसके विचारों को परिवर्तित किया। उसने मजदूर वर्ग की गरीबी का कारण जाना।

- लुई ब्लैक ने लोगों को इस बात के लिए आकर्षित किया कि आर्थिक बुराइयों

ऐसे गरीबी, बेकारी, अपराध, औद्योगिक आपत्तियों और अन्तर्राष्ट्रीय युद्धों का मुख्य कारण आर्थिक क्षेत्र में फैली हुई प्रतियोगिता है। अत लुई ब्लैक का यह अटल विश्वास था कि यदि इन बुराइयों को दूर करना है तो सर्वप्रथम प्रतियोगिता की भावना को पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहिए और इसके स्थान पर सधों की स्थापना करनी चाहिए। उसका विश्वास था कि यह सध लोगों को आर्थिक लाभ की ओर ले जायेगे। सधों से उसका आशय 'ओद्योगिक सामाजिक समितियों' से था। ब्लैक ने ओद्योगिक सहकारिता की पहली योजना बनायी। इन सामाजिक उपनिवेशों का सबध सामाजिक कारखानों से था। इनमें एक ही जैसा उद्योग करने वाले व्यक्ति जैसे बढ़द, चमार आदि सदस्य हो सकते हैं। इन मजदूरों के पास उत्पादन के लिए मशीन और औजार होते थे। सामाजिक कारखानों और साधारण कारखानों में अतर यह था कि उनका प्रबंध जनतान्त्रिक था और लाभ का विभाजन और लाभ का विभाजन समानता पर आधारित था। ये कारखाने कुछ अधिक वस्तुओं का उत्पादन करने और बाजार में बेचने के लिए थे।

बुखेज की योजना और ब्लैक की योजना में अन्तर था कि बुखेज छोटी औद्योगिक इकाई के पक्ष में था। ब्लैक विस्तृत क्षेत्र में कारखाना स्थापित करने के पक्ष में था। ब्लैक की राय में सामाजिक कारखानों में ऐसे बीज थे जो एक दिन समूहवादी समाज के रूप में विकसित हो जायेगे अर्थात् सम्पूर्ण समाज एक सामूहिक स्वामी बन जायेगा। उसके विचारानुसार मजदूरों के पास मशीनरी और दूसरे औजार भी सामाजिक कारखानों में होने चाहिए किन्तु मजदूरों के लिए यह दुर्लभ कार्य था। उसने आवश्यक पूँजी एकत्रित कर सरकार से यह आशा की कि सरकार सामाजिक कारखानों को केवल धन की सहायता न दे, वरन् कारखानों को बनाने एवं चलाने में भी सहायता दे। जिससे मजदूर स्वयं अपने कारखाने विकसित करें। उसको कहना था कि प्रथम वर्ष तो स्वयं सरकार उसका प्रबंध कर बाद में प्रबंध समिति में से ही चुनाव कर दे। प्रत्येक व्यक्ति को समान मजदूरी मिले। शुद्ध लाभार्थ हिस्से किये जाय, जिसमें से एक मजदूरी

बढ़ाने में दूसरा वृद्ध तथा अपाहिजों की सेवार्थ तीसरा नये सदस्यों के लिए औजार क्रय करने में प्रयोग किया जाय। जब ऐसे अनेक सामाजिक कारखाने बन जाये, तो वे एक फेडरेशन बना लें जो सब कारखानों की क्रियाओं पर नियन्त्रण रखे तथा उसमें समन्वय रखें। अतएव एक राष्ट्रीय कारखाना भी बनाया जाय और विभिन्न उद्योगों का एकीकरण किया जाय, जिससे वे परस्पर प्रतियोगिता न करते हुए एक दूसरे के लिए सहायक बनें।

फ्रान्स में उत्पादक सहकारी समितियाँ सन् 1831 और 1841 में प्रारम्भ हुई जिसे कि 2 नेता कुचेज और ब्लैक की प्रेरणा मिली, किन्तु 1848 की क्रान्ति के बाद जब सरकार ने मजदूरों के अधिकार को जाना और श्रम से सचित लाभों को बांटने के लिए उन्हें संयुक्त किया, तब यह आन्दोलन निश्चित रूप से सामने आया। अधिकतर इन समितियों के सदस्य बहुत ही कम श्रम पूँजी लाते थे और मुख्य रूप से ये समितियाँ पूँजी की कमी से निष्क्रिय थीं।

किन्तु अधिकांश समितियाँ सन् 1851 के बाद सदस्यों की अनुशासनहीनता के कारण सफल रही। असफलता के दूसरे कारण सदस्य का चुनाव ठीक नहीं था, संचालक अनुभवहीन थे। सरकारी सहायता के के लोभ में अनेक ढीली-ढीली समितियाँ इन समितियों के सदस्यों ने कभी भी औद्योगिक क्षेत्र के लिए गभीरतापूर्वक नहीं सेवा और अनुशासन को भी प्रधानता नहीं की। इसके पश्चात् भी कुछ समितियाँ चलती नहीं। जिनमें कि प्यानों, कुर्सिया और चशमा बनाने वाली समितियाँ सम्मिलित थीं। सन् 1863 में पुन आन्दोलन हुआ। जबकि फ्रान्स में इन समितियों की संख्या 16 थी। सन् 1867 में फ्रान्स में इन सभी समितियों को प्रोत्साहन देने के लिए एक कानून पास किया गया जसके अनुसार विभिन्न समितियों की पूँजी व्यवस्था के लिए जोर दिया गया। सन् 1884 में इन समितियों की संख्या 60 थी। यद्यपि इन समितियों को राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही थी। फिर भी आवश्यकता महसूस की गई कि इन

समितियों को बैंकों से साख प्रदान की जाय। सन् 1893 में पेरिस में एक बैंक की की स्थापना की गई जो कि उत्पादन सहकारी समितियों को पूँजी प्रदान करते थे। इस बैंक के निर्माण से सहकारिता को काफी प्रोत्साहन मिला।

फ्रान्स में उत्पादक सहकारी आन्दोलन का बहुत है। सन् 1893 में श्रम मन्त्रालय ने समितियों की सहायता के लिए आवश्यक बजट बनाया। ऋण द्वारा भी सहायता की। कुछ नगर पालिकायें भी इन समितियों के सहायतार्थ सामने आईं। निम्न तालिका से समितियों के विकास दर्शित है -

फ्रान्स में विकास - श्रम सहकारिता की प्रगति (1913 से 1957 तक) की स्थिति
तालिका 3 5

संख्या	समितियों की संख्या वर्ष	सदस्यता में समिति सदस्य संख्या	वर्ष सदस्यता
1	1913	476	20,000
2	1919	700	40,000
3	1938	478	-
4	1945	697	-
5	1949	478	35,000
6	1957	750	32,000

इस प्रकार 1957 तक 750 मजदूरों की समितियों विभिन्न प्रकार के शिल्प

5 डा० माधुर वी०एस० - "साहित्य भवन, हास्पिटल रोड, आगर सप्तम संस्करण 1984 पैज 126, तालिका 5

व व्यापार उत्पादन में लगी हुई थी। इन समितियों के अतिरिक्त भवन समितियों की संख्या भी काफी थी। छापने वाली समितियों भी काफी सफल रही किन्तु उन्हे आधुनिक मशीनों की जल्लरत थी। कपड़ा बनाने वाली समितियों और मशीनरी बनाने वाली समितियों भी काफी महत्वपूर्ण है किन्तु उन्हे सामग्री बनाने वाली समितियों का सामना करना पड़ा। दूसरे कारखाने में सहकारिता पायी जाती है। जैसे-धातु, टिम्बर, परिवहन आदि में। मजदूरों की उत्पादक समितियों सभी राज्यों में व कारखानों में पायी जाती है।

फ्रान्स में मजदूरों की सहकारी आन्दोलन 20वीं सदी के मध्य क्रियाशील रही। किन्तु समितियों की सदस्यता व साधन कम थे। 1936-37 में आन्दोलन की पुनर्स्थापना के लिए 'कदम उठाये गये। विभिन्न प्रकार के सघ व समितियों बनाई गयी। द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ जाने पर सन् 1939 में सहकारिता को आगे बढ़ने का भोका मिला। सन् 1945 के अन्त में इस आन्दोलन के लिए पर्याप्त अवसर मिले और इस आन्दोलन के पुनर्निर्माण के लिए कदम उठाये गये। दो वर्ष के अन्दर समितियों की 680 हो गई। इस आन्दोलन के विभिन्न प्रकार के उद्देश्य जो कि पहले बनाये जाये पूरे हो गये।

फ्रान्स में आधुनिक दुकानों की स्थापना के लिए वित्त उपलब्ध कराने हेतु पट्टे सोसाइटी वाली समितियों स्थापित की गई। देश में अकेक्षण समितियों स्थापित की गई, यहाँ की सहकारी समितियों सहकारी प्रयोगशालाएँ भी चलाती है।

सन् 1978 में फ्रान्स में 102 मत्स्य सहकारी समितियों थी। वर्षान्त में 248 गृह निर्माण समितियों थीं। इनके सदस्यों की संख्या 23,8752 थी। फ्रान्स में सहकारी शिक्षा के विकास पर भी बल दिया जा रहा है। इस प्रकार फ्रान्स ने सहकारी उत्पादन में बड़ी ख्याति पाई है। सहकारी उत्पादन कार्य यहीं से शुरू हुआ। इस दिशा में चार्ल्स फेरियर और लुई ब्ला ने जो प्रारम्भिक प्रयास किये हैं उनका फ्रान्स के सहकारी आन्दोलन के इतिहास में अनुपम स्थाई स्थान प्राप्त है।

फिलिस्तीन (इजराइल) में सहकारी आन्दोलन

फिलिस्तीन मुख्यतः 'एक छोटा-सा देश है। यहाँ मुख्यतः 3 जातियों का निवास है। मुसलमान, यहूदी और इसाई। सन् 1918 तक यहूदी यहाँ अल्प संख्या में थे, किन्तु धार्मिक कारणों से उनमें परस्पर बहुत प्रेम था। इस जाति के लोग प्राय विश्व के सभी क्षेत्रों में फैले हुए हैं किन्तु ये हमेशा फिलिस्तीनी पवित्र भूमि को अपना स्थाई निवासी मानते रहे हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से ही यहूदी एक पृथक राष्ट्र के लिए आन्दोलन करते रहे हैं। उन्हे फिलिस्तीन में स्थाई रूप से बसाने के लिए प्रथम प्रयास सन् 1855 में किया गया। जबकि एक व्यक्ति मोजेज मोट फेरे ने जाफा के निकट बस्ती स्थापित करने हेतु भूमि क्रय की। 1855 में बेरन एडमण्ड की रोथ्सचाइल्ड ने जिन्हे यहूदी बस्ती निर्माण आन्दोलन का जनक माना जाता है। फिलिस्तीन यहूदी औपनिवेशीकरण सघ स्थापित किया गया। इसने एक लाख से भी अधिक भूमि क्रय करके 40 बस्तियाँ बनाई और उसमें 50,000 यहूदी बसाये।

सन् 1897 में विश्व यहूदी संगठन स्थापित हुआ। यह यहूदियों को फिलिस्तीन में संगठित रूप से बसाने लगा। इसने 1901 में 'राष्ट्रीय यहूदी कोष' बनाया, जिसका उद्देश्य फिलिस्तीन में यहूदियों को बसाने के लिए भूमि क्रय करना था। सारे विश्व में फैले हुए यहूदी परिवारों ने इस कोष में धन दिया। 1920 में 'यहूदी आधार कोष' के नाम से अन्य कोष बना, जिसका उद्देश्य फिलिस्तीन में बसने वाले यहूदी जन को दीर्घकालीन ऋण देना था। प्रथम महायुद्ध काल में यहूदियों को इजराइल में बसने के अधिकार को स्वीकार किया गया। जब जर्मनी में नानी सरकार की स्थापना हुई तो वहाँ यहूदियों पर बड़े अत्याचार किये गये। इस कारण फिलिस्तीन में यहूदियों की संख्या बढ़ने लगी। 1929 में विश्व यहूदी संगठन ने एक यहूदी एजेन्सी बनाई जिसमें सभी लाइनों के यहूदियों का प्रतिनिधित्व था। 15 मई 1948 को यहूदी फ्री स्टेट

की स्थापना हुई। इजराइल का वह भाग, जो यहूदियों को मिला वह इजराइल कहलाता है। इजराइल राज्य की स्थापना के बाद यहूदियों का आगमन तेजी से होने लगा। जहाँ 1948 में जनसंख्या 6,00,000 थी वहीं आज यह जनसंख्या 25 लाख से भी अधिक है। कुल जनसंख्या में यहूदियों के जनसंख्या का अनुपात बढ़ गया है।

उपर्युक्त विचित्र स्थितियों में ही सहकारी आन्दोलन का विकास हुआ। यहाँ का सूत्रपात यहूदी सगठनों के फल उत्पादकों और शरब विक्रेताओं ने सामूहिक सौदा शक्ति को बढ़ाकर अपनी आर्थिक दशा में सुधार करने की दृष्टि से किया। इसके बाद अन्य सम्प्रदाय भी स्थापित हुई जिनका उद्देश्य सामान्य व्यक्तियों की सामान्य आवश्यकताओं के लिए कम ब्याज पर पैंचूजी का प्रबंध करना था। कृषि एवं औद्योगिक आवश्यकताओं के क्रय के लिए कम ब्याज पर पैंचूजी का प्रबंध करना था। कृषि एवं औद्योगिक आवश्यकताओं के क्रय के लिए भी सहकारी समितियों संगठित की गई। इन प्रयत्नों ने 1920 के पूर्व कोई विशेष प्रगति नहीं दिखाई किन्तु इस वर्ष यहूदी आधार कोष की स्थापना के बाद तेजी से प्रगति होने लगी।

1920 में एक अलग यहूदी श्रम सघ स्थापित किया गया। यह राष्ट्रीय स्तर पर श्रम सघों का संगठन है। इसकी सदस्यता सभी व्यक्तियों - कृषि श्रमिक हो, चाहे औद्योगिक श्रमिक के लिए खुली है। वर्तमान में इसके 10 लाख से भी अधिक सदस्य है। लगभग आधी वयस्क जनसंख्या इसके अन्तर्गत आ गई है। इसका मुख्यालय तेल अवीव में है और इंग्लैण्ड व अमेरिका जैसे देशों में शाखा कार्यालय भी हैं। यह आव्रजकों को कृषि भूमि पर बसाने के लिए सभी सुविधाये देता है। वह कृषि बस्तियों के कार्य की देख-भाल करता है तथा उनके लिए तकनीकी व वित्तीय सुविधा की भी व्यवस्था करता है। 1923 में एक अन्य समिति की भी स्थापना की गई। इसका नाम हेवट पोण्डम था। इसकी सदस्यता वहीं है जो हस्तादूत की है। यह भी एक कारण है

कि उक्त समिति सहकारी आन्दोलन के बीच सम्पर्क कड़ी का कार्य करता है।

जो यहूदी इजराइल में आकर वसे उनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय अधिकांश भूमि कृषि के अयोग्य एवं बंजर पड़ी हुई थी। यातायात के साधन नगण्य से थे। यहूदियों को कृषि करने का अनुभव शून्य था। उन्हे शारीरिक श्रम की आदत भी न थी। अत प्रारम्भ में यहाँ बसने वाले यहूदियों में से कुछ की दशा इतनी खराब हो गई कि उन्हे देश छोड़ना पड़ा। अत मे इसका समाधान यह हुआ कि वे अपना नया जीवन सामूहिक रूप से शुरू करें। इस शुभ सकल्प मे अनेक यहूदी संस्थाओं ने भाग लिया तथा देश मे कई प्रकार की सहकारी बस्तियाँ बनी। उन्हें हस्ट्रादुत ने प्राविधिक सहायता की और यहूदी राष्ट्रीय कोण, यहूदी आधार कोण एवं यहूदी एजेन्सी ने वित्तीय सहायता प्रदान की।

इजराइल मे कृषि सहकारी समितियों, उच्च गृह प्रबंध समितियों, प्रोवीडेन्ट समितियों, उपभोक्ता समितियों और औद्योगिक समितियों भी है। कुल राष्ट्रीय उत्पादन मे सहकारिता का योगदान 28% है। अर्थव्यवस्था का 1/3 भाग सहकारिताधार पर संगठित है। कुछ क्षेत्रों मे तो उसकी विशेष भूमिका है। जैसे- सड़क, परिवहन पूर्णत सहकारी संस्थाओं के हाथ मे है। कृषि उपज के 75% भाग का विपणन सहकारिताओं द्वारा किया जाता है। कृषि पूर्ति का 50% व्यापार उपभोक्ता सहकारिताओं के हाथ मे है। 30% से अधिक जनसंख्या उपभोक्ता सहकारिता से जुड़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों मे यह % अधिक है। बाल्टर प्रेस - "इजराइल के लिए सहकारी आन्दोलन का विशेष महत्व है क्योंकि वहाँ उत्पादक जनसंख्या का 7 5% है। यहाँ सहकारिता से जुड़ी है। यह पिछले 100 या इससे अधिक वर्षों मे विकसित होने वाले समाजवादी आन्दोलन मे महत्वपूर्ण है।

इजराइल की विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाओं में सहकारिता का विशेष

स्थान है। इजराइल ने सहकारी आन्दोलन में विशेष प्रगति की है। इस देश में सामूहिक तथा सहकारी खेती जिस रूप में विकसित हुई है, वह नये ढग से रहने तथा कार्य करने की विधि बताती है तथा उन व्यक्तियों में सहयोग एवं सहचर्य की भावना को प्रोत्साहित करती है जिनके आर्थिक, राजनैतिक, धर्मिक विचार एक सटूशा है। जिस सीमा तक पारस्परिक विश्वास तथा सहयोग की भावना की अपेक्षा यह आन्दोलन करता है, वह निश्चय ही काल्पनिक प्रतीत होता है।

'इजराइल में सहकारी तथा सामूहिक खेती का इतिहास बड़ा ही रोचक है तथा इस दिशा में प्राप्त की गई सफलता प्रशसनीय है।'

इस संबंध में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा कि विश्व के अन्य भागों की तरह इजराइल में सहकारी आन्दोलन के विकास की आवश्यकता, परम्परागत परिस्थितियों के कारण महसूस नहीं की गई थी, वहाँ आन्दोलन शोषण से सुरक्षा की अपेक्षा प्रमुखत आर्थिक विकास के यत्र के रूप में विकसित हुआ है। इजराइल में सहकारी आन्दोलन वर्तमान अर्थव्यवस्था को परिवर्तित करने में न कि एक अर्थव्यवस्था का निर्माण करने में सलग्न है। इस प्रकार हम लोग न किसी चीज को बदलने जा रहे हैं न सुधारने। हम लोग प्रारम्भ से हर चीज को प्रारम्भ करने जा रहे हैं।" कृषि वस्तियों का कार्मिक सुधार एवं विकास इजराइल की अर्थव्यवस्था में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका का सूचक है।

युद्धोपरान्त ^१ फिलिस्तीनी प्रशसनीय उपलब्धियों में यहूदी समुदाय द्वारा सहकारी आन्दोलन का विकास अद्वितीय है। पर्याप्त साधनों के बिना अद्वितीय कुछ आदर्शवादियों के मार्ग-दर्शन में कुछ व्यक्तियों द्वारा एक महान आर्थिक ढाँचा का निर्माण निश्चय ही स्वयं में एक रोमांस्युक्त घटना है।" किबूट्ज तथा आदर्श समुदायों में विशेष अन्तर नहीं है। परन्तु इन समानताओं के बावजूद किबूट्ज को आदर्श समुदायों में नहीं रखा

जा सकता है। इस प्रकार इजराइल में सहकारी आन्दोलन की सफलता निश्चय ही प्रभावकारी रही है। सभी क्षेत्रों में सहकारी सफलता मिलने पर ही सभी कार्यों में सहकारिता लागू की जा सकती है।

रूस में सहकारी आन्दोलन

रूस एक विशाल देश है जिसका क्षेत्रफल 2 करोड़ 24 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी 30 करोड़ से अधिक जनसंख्या है। जल स्रोतों का अपार भण्डार है। यहाँ खनिज पदार्थों की भरमार है। यह राष्ट्र संसार में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है।

रूस में सहकारिता का विकास अत्यन्त धुघली अवस्था में हुआ। इसकी सफलता/असफलता और अनेक प्रयोगों के साथ रूप की अर्थव्यवस्था का क्रमिक इतिहास जुड़ा है। रूस के सहकारी आन्दोलन की 2 विशेषताएँ प्रथम - यह आन्दोलन रूस में क्रान्ति से पहले और क्रान्ति के बाद भी बना हुआ है। द्वितीय- रूस की 90% जनसंख्या की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। रूस के सहकारी आन्दोलन का पक्ष उससे कहाँ अधिक महत्वपूर्ण है, जो इसे विदेशों में समझा जाता है। निसन्देह आन्दोलन को सरकारी बैंकों और सरकारी ट्रस्टों से साख मिलती है। अधिकाश कार्यशील पूँजी सदस्य शेयर-होल्डर ही प्रदान करते हैं। अत यह कह सकते हैं कि आन्दोलन को अपनी शक्ति प्रत्यक्ष रूप से जनता से ही मिलती है।

सन् 1917 की क्रान्ति से पूर्व रूस में जनता की दशा बड़ी दयनीय थी। वहाँ जार की सरकार जनता की इच्छा का विचार करते हुए अपने मनमाने ढग से कार्य करती थी। लगभग 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहकर गांवों में रहती थी। उनमें घोर निरक्षता छोड़ी थी। दास प्रथा को समाप्त हुए कुछ ही समय बीता था। किसान

निर्धन और आधुनिक कृषि पद्धतियों से अनभिज्ञ थे। भूमि छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित थी। अधिकाश अधिकार अच्छी भूमि पर अधिकार भूमिपतियों का था। ये स्वयं खेती न करके भूमि किसानों को मजदूरी पर या बटाई पर दे देते थे। अधिक कृषक परिवारों को दोनों समय भरपेट भोजन नहीं मिलता था और जब फसल मारे जाने पर अकाल पड़ जाता तो भूख से अनेक लोगों के प्राण चले जाते थे। परिवहन के साधनों की भी कमी थी। अत सभावग्रस्त इलाकों में सादान्न योजना कठिन कार्य था। शहरों में मजदूरों की दशा अच्छी न थी। उन्हें बहुत ही न्यून भोजन मिलता था।

इंग्लैण्ड में रोकडेल अग्रगमियों को बड़ी सहायता मिल रही थी। इसके समाचार रूप भी पहुँचे, वहाँ भी लोगों में सहकारी समितियों स्थापित करने की प्रेरणा हुई। सर्वप्रथम सन् 1854 में उरला और रीगा में प्रयास हुए। बाद में अन्य स्थानों पर भी सहकारी समितियों बनी। लेकिन उन दिनों रूस में औद्योगीकरण एवं पूँजीवाद का अधिक विकास नहीं हुआ था, जिस कारण श्रमिकों ने इनमें कोई विशेष स्वर्त्ति नहीं ली। परिणामतः अनेक समितियों बन्द हो गई और आन्दोलन ठप हो गया।

किन्तु सन् 1890 में पूँजीवाद उग्ररूप से सामने आ चुका था। इससे श्रमिकों में पुन यहकारिता के प्रति जागृति आई। जब आन्दोलन दुबारा चला तो इसमें न केवल श्रमिकों ने वरन् ऊँचे वेतन पाने वाले कर्मचारियों एवं भद्र पुरुषों ने भी भाग लिया। प्राय ऐसा हुआ कि समितियों पूँजीपतियों के प्रभाव में आ गई। इनमें सहकारिता के सिद्धान्तों का पालन करना कठिन था और इसलिए सहकारी सम्प्रदायों और पूँजीवादी सम्प्रदायों में कोई अधिक अंतर नहीं रह गया। लडाई में तो उसे बहुत प्रोत्साहन मिला। 1917 में इनकी संख्या 25,000 हो गई।

सन् 1888 में एक सरकारी आदेश पर मास्को में डेरी समितियों का एक सघ बना। इसे अन्तत सरकार ने अपने नियन्त्रण में ले लिया। रूसी आन्दोलन के थोक

भण्डार के साथ मिलकर एक नई संस्था सेन्ट्रोसोजस बनाई जो समस्त रूसी उपभोक्ता समितियों का सघ है। क्रान्ति से पूर्व रूस की परिस्थितियों ऐसी थीं कि किसानों में बहुत असतोष रहा करता था। उन्हे क्रान्ति से दूर रखने तथा इनके सहकारी आक्रोशों को आन्दोलन द्वारा ठण्डा रखने के लिए सरकार ने इस आन्दोलन को मान्यता दे दी, किन्तु प्रोत्साहन देने में सकोच करती थी और चुपचाप रोड प्रगति में अटकाती थी।

1917 की अक्टूबर क्रान्ति द्वारा रूस में जार का सदियों पुराना शासन समाप्त हो गया। शासन सत्ता बोल्शेविकों के हाथ में आई। इन्होंने बड़े-बड़े इलाकों के जमीदारों से संबंधित खेत छोटे-छोटे किसानों में बांट दिये। भूमि पर सरकार का स्वामित्व घोषित किया गया। उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से सहकारी कृषि को मान्यता दी गई। किन्तु वैयक्तिक कृषि से सामूहिक कृषि पर बल दिया गया। इससे कृषक सहकारी विधियों में प्रशिक्षित होते गये और उपभोक्ता समितियों एवं उत्पादन समितियों तेजी से होन लगी। 1918 में एक सरकारी आदेश के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सहकारी समिति की सदस्यता अनिवार्य बना दी गई और सरकार ने सहकारी समितियों को अपने अधिकार में ले लिया। बाद में जब आर्थिक नई नीति प्रचलित हुई, सहकारी समितियों को पुनर्स्वाधीन बना दिया गया और उनकी सदस्यता ऐच्छिक बना दी गई। यही नहीं पुरानी समितियों की जब्त की हुई सम्पत्ति भी उन्हे लौटा दी गई और पुराने सहकारी सघ पुनर्स्थापित किये गये।

1917 तक रूस में सहकारी समितियों की संख्या 54,000 थी। इनमें 16,500 साख समितियों, 8,000 कृषि समितियों 25,000 उपभोक्ता सहकारी भण्डार और 4,500 सहकारी समितियों थीं। 1921 में आर्थिक नीति को अनुसरण किया गया। 1925 में सहकारी समितियों में 66 लाख कृषक शामिल थे। सबसे अधिक संख्या साख सहकारी एवं उपभोक्ता सहकारी समितियों की है। 1928 के बाद नियोजित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई। सोवियत संघ के संविधान की धारा 10 के अनुसार, 'रूस के आर्थिक

सगठन में उत्पादन के साधनों का राज्य सम्पत्ति एवं सामूहिक कार्य व सहकारी सम्पत्ति के रूप में समाजवादी स्वामित्व है।

रूस में सहकारिता के 4 रूप (कृषि सहकारिता, उपभोक्ता सहकारिता, गृह सहकारिता और सहकारी शिक्षा) देखे जाते हैं।

अब तक अध्ययन से यह भली-भौति स्पष्ट हो जाता है कि 1980 की तुलना में 1985 में फुटकर सहकारी व्यापार 125% तक बढ़ गया। रूस के सहकारी आन्दोलन में रूस का इतिहास बड़ा रग-विरग और कठिनाइयों से पूर्ण रहा। इसने एक बहुत ही नम शुरुआत की। इसके मार्ग में सरकार से बाधाएं उत्पन्न होती रही। इसका प्रयोग मध्य वर्ग द्वारा श्रमिकों का शोषण करने के लिए हुआ। इस प्रकार रूसी सहकारी आन्दोलन जो प्रारम्भ में एक बुर्जुआई साहस के रूप में था, क्रान्तिकारियों के हाथ में एक शक्तिशाली हथियार बन गया। इसे कुछ काल के लिए केनेस्की सरकार से सहायता मिली और वह सोवियत शासन का अभिन्न अंग बन गया। द्वितीय महायुद्ध में वह एक शक्तिशाली आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा। तत्पश्चात् इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और ऐच्छिक आन्दोलन के रूप में वह पूर्णतः लोप हो गया। किन्तु वह प्रगट हुआ और बड़ी हुई शक्ति विश्व की एक सरकार के समक्ष है। सक्षेप में रूस में सहकारी आन्दोलन का रूप वहाँ की सरकार और आर्थिक नीतियों के परिवर्तनों के साथ बदलता रहता है।

सन् 1939 में कृषि पर कुल जनसंख्या का 66% भाग कार्य में था। 1979 तक सामूहिक कृषि फार्म की संख्या 26,500 थी इसमें 15 मिलियन व्यक्ति कार्यरत थे। इसी वर्ष इन फार्मों का कुल उत्पादन कृषि में 40% का योगदान रहा। सामूहिक कृषि फार्म ने राष्ट्र के उत्पादन तथा विपणन योग्य उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने कुल उत्पादन में उत्पादित अनाज, शक्कर, आलू और कपास क्रमशः 55%, 90%, 67% तथा 78% योगदान रहा है। इनका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण

स्थान है। 1978 के अन्त में उपभोक्ता भण्डारों की संख्या 7,157 थी जिसमें 6 करोड़ 22 लाख सदस्य थे। इन भण्डारों में 29,94,000 कर्मचारी कार्यरत थे। इसी वर्ष इन भण्डारों की बिक्री 10,574 करोड़ डालर के बराबर थी। उपभोक्ता भण्डारों का कुल फुटकर व्यापार में योगदान 30% था, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 90% योगदान था। 1978 में 15 गणराज्य सघ, 153 क्षेत्रीय उपभोक्ता सघ 903 जिला उपभोक्ता सघ व 2,212 जिला उपभोक्ता समितियाँ थीं।

मास्काऊ कोआपरेटिव इन्स्टीट्यूट सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए विश्वविद्यालय है। देश में कुल 5 उच्च शैक्षणिक संस्थायें हैं इसमें 32,000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। 116 विद्यालय हैं जिनमें 1 लाख 70 हजार विद्यार्थी अध्ययनरत् हैं। 12 प्रशिक्षण केन्द्र तथा 120 तात्रिक स्कूल, 10 अकेक्षकों के स्कूल और 123 व्यवसायिक स्कूल हैं। इस प्रकार सहकारिता समाजवादिता के समीप है।

जापान में सहकारिता

विगत सौ वर्षों में जापान ने अपने उद्योगों का निर्माण करने में तीव्र प्रगति की है। जापान पूर्वी देशों में अग्रणी देश है। इसे कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। जापानी कृषि अत्यन्त गहन है। एशिया में चावल की प्रति एकड़ उपज जापान में सर्वाधिक है। जापानी कृषक अधिकाधिक यान्त्रिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं जैसे विद्युत तथा मोटर से चलने वाले उपकरण, दबाने की मशीन आदि।

बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सहकारी जापान में उपभोक्ता भण्डारों के रूप में शुरू हुआ। पहला उपभोक्ता भण्डार 1879 में शुरू हुआ। अगले कुछ वर्षों में कुछ और भी भण्डार बन गये। 19वीं शताब्दी के अंत में युद्धजनित

परिस्थितियों के कारण कीमतों में पुन वृद्धि होने लगी। तब श्रम सघों ने अनेक उपभोक्ता भण्डारों का प्रवर्तन किया। साथ ही जापान के तत्कालीन गृहमत्री के निर्देश पर जिन्होंने जर्मनी में सहकारिता का अध्ययन किया था, रेफेसन नमूने की साथ समितियों भी स्थापित की गई। प्राथमिक समितियों की वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु एक केन्द्रीय सहकारी बैंक की स्थापना 1920-21 में केन्द्रीय सहकारी बैंक कानून बना।

सन् 1900 में औद्योगिक सहकारिता सन्नियम इन्डस्ट्रीयल कोआपरेटिव ला बना। यह जर्मन कानून की रूपरेखा पर बनाया गया था। सहकारी यूनियन की स्थापना हुई। इसने सहकारी समितियों के पक्ष में व्यापक प्रचार किया। फलस्वरूप समितियों की संख्या एव सदस्यता तेजी से बढ़ गई।

शीघ्र ही प्राथमिक समितियों को अपनी द्वितीयात्मक समितियों संगठित करने की आवश्यकता अनुभव होने लगी। 1909 में प्राथमिक सहकारी समितियों के फेडरेशन के लिए राहकारिता कानून में संशोधन किये गये। 1905 में स्थापित राहकारी यूनियन को कानूनी मान्यता मिल गई। इस ऐक्ट को पुन 1923 में संशोधित किया गया। जिसके फलस्वरूप क्षेत्रीय ओर राष्ट्रीय स्तरों पर विभिन्न प्रकार के फेडरेशन की स्थापना हुई। जैसे- 1923 में सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डस्ट्रीयल एशेसिएशन संगठित हुआ जो कि सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक फार एग्रीकल्चर एण्ड फोरेस्ट्री का अग्रणी बना। यह बैंक देश की साथ व्यवस्था के लिए वित्त व्यवस्था करता है। 1923 में राष्ट्रीय क्रय सहकारी रंघ बना। इरने आर्गनिक खाद्य के बजाय रासायनिक खाद्य के प्रयोग को बहुत प्रोत्साहन दिया। 1925 तक देश में उपभोग हो रही कुल उर्वरक मात्रा का 11% सप्लाई करने लगी थी। यह प्रतिशत 1937 में 39 हो गया और आजकल 95 है। 1931 में, सहकारी समितियों के कृषक सदस्यों को चावल बेचने की बेहतर सुविधाये प्रदान करने हेतु 'राष्ट्रीय चावल क्रय एव विपणन संघ' बना। इससे प्रोत्साहन पाकर सहकारी समितियों का कुल चावल व्यापार में भाग सन् 1930 में 7% से बढ़कर

1936 में 27% हो गया और आजकल जो चावल वसूली सरकार करती है उसका 93% सहकारी समितियों द्वारा सभाला जा रहा है।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद जापान की दशा कृषि मदी और वित्तीय साधनों की कमी के कारण बिगड़ गई और अपनी कृषि अर्थव्यवस्था के पुर्नगठन हेतु उसने सन् 1932 में पचवर्षीय सहकारी विकास योजनाये बनाई। प्रत्येक गाँव व कस्बे में सहकारी समितियों संगठित की गई। प्रत्येक कृषक एव सकटग्रस्त व निर्वल व्यक्ति को इनकी परिधि में लाया गया। लोगों की सहायता हेतु सरकार ने अनेक सिविल इन्जीनियरिंग कार्य शुरू किये और कम ब्याज पर दीर्घकालीन ऋण एवं क्षतिपूर्ति राशि देने की व्यवस्था की। चूंकि ये कार्य सहकारिता के द्वारा किये गये थे, इसलिए उनकी स्थिति सुदृढ़ हो गई।

तीसा के आरम्भ में विश्वव्यापी मदी के कारण कृषि क्षेत्र में जो गम्भीर रांकट उत्पन्न हो गया उरारे निपटने में सहकारी आन्दोलन बहुत सहायक हुआ। कृषकों को आपद ऋण सरकार ने सहकारी समितियों के माध्यम से ही दिये। सन् 1937 में चीन जापान युद्ध छिड़ने के कारण सरकार ने उदार नीतिया छोड़कर कड़े नियन्त्रण की नीति अपनाई, जिसका सहकारिताओं के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सन् 1943 एंग्रीकल्चरल आर्गनाइजेशन ला बनाया गया और सहकारी समितियों को कृषि संघों में एकीकृत कर दिया गया। उनकी सम्पत्तिया संघों को हस्तान्तरित कर दी गई। इस प्रकार सहकारिता के विकास का मार्ग अवरुद्ध हो गया। ये कृषि संघ वैज्ञानिक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए थे, किन्तु उन्होंने धनी जमीदारों के प्रतिनिधि के रूप में ही कार्य किया और उनका स्वरूप शासकीय था।

द्वितीय महायुद्ध के बाद कृषकों की दशा बहुत दयनीय हो गई और सहकारिता की आवश्यकता पहले से भी अधिक अनुभव की जाने लगी। फलस्वरूप आन्दोलन

का बहुत विकास हुआ और वह विविध मुखी बन गया। इस तरह जापान का सहकारी आन्दोलन इस कहावत को प्रमाणित करता है कि "सहकारिता आपातकालीन एकता" है। कोआपरेशन इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी " सन् 1947 मे कृषि सहकारी समिति कानून बनाया गया और इसके द्वारा प्रजातात्रिक आधार पर विकास की एक नई प्रक्रिया शुरू की गई। सहकारी समितियों को ऐच्छिक एवं लोकतात्रीय संस्थाओं के रूप मे संगठित एवं स्थापित करने की व्यवस्था की गई।

इस प्रकार जापान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मे सहकारी आन्दोलन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ समस्त किसान कृषि सहकारिताओं के सदस्य बन गये है। उनको दिये गये कुल ऋणों का 75% भाग कृषि सहकारिताओं के द्वारा ही दिया गया है। विपणन के क्षेत्र मे सहकारिताओं का भाग इस प्रकार है।

चावल 93% गेहूँ, जो 82%, बीज के आलू 87%, फल-सब्जियाँ 16%, सुअर 21% अण्डे 31%। आपूर्ति के क्षेत्र मे सहकारिता का भाग इस प्रकार है। उर्द्दरु 84%, कृषि रासायनिक पदार्थ 84%, कृषि यन्त्र 56%, मिश्रित बीज 44%, उपभोक्ता वस्तुए 11%।

इस प्रकार सहकारी आन्दोलन के प्रति 3 प्रकार की सहकारिता संगठित की गई है।

- (अ) प्राथमिक स्तर पर बहु-उद्देश्यीय कृषि समितियों, एवं कुछ विशेष सहकारी समितियों। जैसे- रेशम उत्पादन, उद्यान कृषि, डेरी, पशु पालन एवं भूमि विकास संबंधी समितियों।
- (ब) इनके ऊपर अर्थात् प्रीफेक्चरल स्तर पर कार्यकारी अथवा सहायक सघ।
- (स) शीर्ष स्तर पर राष्ट्रीय सघ।

सदस्यों द्वारा सहकारी विपणन सेवाओं का उपयोग निम्न दर से किया गया।

जौ की शराब	82 2%	आलू	63 1%
सोयाबीन	51 1%	टमाटर	35 4%
मीठे आलू	51 2%	प्याज	54 0%
सेब	41 0%	नाशपाती	48 5%
अगूर	60 5%	खट्टे फल	52 8%
अण्डे	35 2%	दूध	45 3%
सुअर	44 0%	मॉस के जानवर	38 8%

जापान में कृषि की भूमिका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग की उपेक्षा साधारण है। वर्नों और मत्स्य व्यवसाय की आय को सम्मिलित करते हुए कृषिगत आय कुल राष्ट्रीय आय का मात्र 12% है। यहाँ 80% भूमि पर पहाड़ और नदियाँ हैं। अत केवल 17% भूमि को ही वास्तविक कृषि के अधीन लाया जा सकता है। औसत जोत प्रति परिवार 2.5 एकड़ है। इस पर कृषि बहुत महत्वपूर्ण है। कारण 33% जनसंख्या इसमें सलग्न है तथा यह 80% घेरलू खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

कृषि सहकारी समितियों की राष्ट्रीय यूनियन ने सदस्यों की साथ क्षमता के निर्धारण हेतु निम्नांकित मानक नियत किया है।

वैयक्तिक तत्व (पूर्णक 100%)	भौतिक तत्व (पूर्णक 100%)
1- मानसिक आदतें 100% में	सम्पत्ति 20%
2- परिश्रमी स्वभाव	शुद्ध सम्पत्ति 20%
3- नेपुण्य	आय 20%
4- मितव्ययिता	मकान 20%
5- परिवार एव स्वास्थ्य	सहकारी समिति के लिए अश 20%

सन् 1948 में उपभोक्ता आजीविका सहकारी समिति कानून बना, जिसके अधीन फुटकर समितियाँ, बीमा समितियाँ, सेवा समितियाँ, फुटकर बीमा समितियाँ और फुटकर सेवा समितियाँ एवं बीमा समितियाँ गठित पजीकृत हुई। इनकी स्थिति उपलब्ध आकड़ोनुसार इस प्रकार से है -

तालिका 3 6

	सच्चा	सदस्य सच्चा (मिलियन में)
फुटकर	563	1 92
सेवा	121	0 25
बीमा	71	5 25
फुटकर स-सेवा	371	1 51
फुटकर स-बीमा	7	0 25
सेवा एवं बीमा	5	43
अन्य	34	45
	1,172	10 00

6- कंसल भरत भूषण - " सहकारिता देश व विदेश में " नवयुग सहित्य सदन, लोहा मण्डी, आगरा - 2, चतुर्थ संस्करण 1980
पै 205

उद्देश्यीय सहकारी समितियों के निक्षेपों में वृद्धि -

तालिका 3 7

वित्तीय वर्ष	निपेक्षों की रक्षि (प्रति समिति) (यैन मिलियन में)	वृद्धि दर % में
1972 - 73	1,725	128 4%
1973 - 74	2,229	122 3%
1974 - 75	2,739	115 0%
1975 - 76	3,219	116 8%
1976 - 77	3,785	113 7%

सन् 1977 में जापान में बहु-उद्देशीय सहकारी समितियों के अतिरिक्त कुछ एकल उद्देशीय सहकारी समितियाँ भी कार्यरत हैं।

तालिका 38

एकल उद्देशीय समितियाँ	संख्या
सामान्य सेवा मे सलग्न समितियाँ	244
रेशम उत्पादन मे सलग्न समितियाँ	1,444
पशुपालन मे सलग्न समितियाँ	570
डेयरी समितियाँ	665
मुर्गी पालन समितियाँ	269
आगवानी मे रंगगन रागितियाँ	584
ग्रामीण उद्योग समितियाँ	242
निवास व्यवस्था करने वाली समितियाँ	574
आन्ध्र रागितियाँ	1,332
योग -	5,924

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि एकल उद्देशीय समितियों मे सर्वाधिक संख्या रेशम उत्पादन मे सलग्न समितियों की है। इसमे 24% समितियाँ रेशम उत्पादन मे सलग्न है।

इस प्रकार दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान मे कृषि उत्पादन मे बहुत वृद्धि हो गई। इसमें सहकारिता का भारी योगदान है। जापान मे विभिन्न क्रिया कलाओं

के एक सीमा तक समन्वय रहता है तथा वे एकीकृत रूप से कार्य करती है। प्राथमिक समितियों, क्षेत्रीय साख यूनियनों, जेनोरेन और केन्द्रीय बैंक के मध्य घनिष्ठ सब्ब है। 92% भूमियों कृषक स्वामियों द्वारा जोती जा रही है। कृषि समितियों के केन्द्रीय सगठन के द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार " सहकारिता का अभियान अधिकतम् किसान को सगठित करने तथा व्यवसाय उन्नयन के कारण विशेष रूप से प्रशसनीय रहा है। यह सही है कि व्यवसायिक क्रियाओं की उन्नति में सहकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का योगदान सदस्य किसानों की अपेक्षा अधिक रहा है। " इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए सन् 1976 में एक योजना " क्योडो - काहूडो कोया " प्रारम्भ की गई जिसमें सदस्य किसानों के योगदान को बढ़ाने पर बल दिया गया।

अत यह स्पष्ट है कि जापान में सहकारी आन्दोलन आद्योगिक एवं कृषि वितरण की आधारशिला है। सहकारिता का विस्तृत जाल इस तत्त्व का परिचायक है कि वहाँ सहकारी अर्थव्यवस्था इतनी वृद्धि सुदृढ़ है कि लोग एक दूसरे की सहायता करके व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित होते हैं। वहाँ प्रत्येक क्षेत्र तथा प्रत्येक ज़र्तिक्ष्य में सहकारिता एवं सहयोग की झलक मिलती है और यही एक महत्वपूर्ण कारण है कि आर्थिक दृष्टि से जापान की गणना एक बड़े विकसित राष्ट्र के रूप में की जाती है।

चतुर्थ अध्याय

भारत में सहकारिता का विकास

सामाजिक सास्कृति आन्दोलन के अनुगमी नहीं होते हैं वरन् विधान उनका अनुगमन करते हैं। व्याकरण से भाषाये जन्म नहीं लेती है वरन् उनको व्यवस्थित करने के लिए व्याकरण बनाये जाते हैं। व्याकरण के नियम के विकास से आन्दोलन की दिशा सुविचारित तथा गति तीव्र जल्द हो जाती है। भारतीय सहकारी आन्दोलन भी इसका अपवाद नहीं है। सन् 1904 में सरकारी विधान बन जाने के बाद सहकारी आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। मगर प्रयास तो बहुत ही पहले शुरू हो गये थे। जब फ्रेडरिक निकल्सन विदेश में भ्रमण करने के बाद भारत आये तो उचित सहकारी ढाँचे खोज रहे थे। ठीक उसी समय श्री डुपरनेक्स उत्तर प्रदेश में कुछ कृषक बैंक बनाकर सहकारी आन्दोलन के लिए जमीन तैयार कर रहे थे। मगर इसके भी पहले, पंजाब के होशियारपुर जिले के ग्राम पंजौर में एक सहकारी समिति का गठन हो चुका था। यह जरूरी नहीं कि सहकारी आन्दोलन को महिमामणित करने के लिए हम प्रत्येक सामूहिक, प्रयत्न या संगठन को 'सहकारिता' का नाम दें। मगर जब सहकारी आन्दोलन के सभी मान्य सिद्धान्तों का पालन जिस ढग में किये जावे, वह नि सन्देह सहकारी संगठन हुआ करता है। पंजौर में एक समिति को सहकारी सिद्धान्त के अनुरूप उप-नियम सहित, फैजीकूर्ल करवाकर यह काम किया गया था। एक अनपढ़ अगर बुद्धिमान कृषक श्री हीरा सिंह को भारत की प्रथम सहकारी समिति का प्रथम अध्यक्ष कहा जाता है।

भारतीय सहकारी आन्दोलन का सूरज शिवालिक पर्वतमाला के मध्य बसे जिस पंजारे ग्राम में हुआ वह पंजाब के होशियारपुर जिले की ऊना तहसील में स्थित है। वर्ष 1892 में तो इस ग्राम की कुछ जमीन तो जमीदार के काश्त में भी भूमि का अधिकाश भाग पड़ता था जिसे गाँववासियों का साझी माना जाता था। वैसे भूमि उपजाऊ थी मगर उचित प्रबन्ध व देख-रेख के अभाव में बेकार पड़ी थी। जैसा जिसके मन में आता जैसा उपयोग करता। लोग अपने जानवरों को चराते थे और उस पर लगे वृक्ष भी काट ले जाते थे। साझी सम्पत्ति की चिन्ता किसे नहीं। मगर हीरा सिंह नामक एक व्यक्ति से मह दुर्दशा नहीं देखी गई। बहुत चितन-मनन के बाद वह अनपढ़ व्यक्ति इस

नतीजे पर पहुँचा कि इस भूमि का प्रबंध सहकारी ढांचे पर किया जाय। अपना विचार उन्होंने गाँव वाले के सामने रखे। सभी की सहमति मिलने पर एक समिति का गठन हुआ, जो वर्तमान सहकारी सिद्धान्तों पर सचालित हुई। यह भारत की प्रथम सहकारी समिति थी। इस सहकारी का एक विवरण श्री विद्या सागर शर्मा ने सन् 1954 में प्रकाशित अपनी पुस्तक सहकारिता का उदय तथा विकास में दिया है।

समिति बनने से पहले इसके वसूल निर्धारित कर लिये गये थे। समिति बराबरी के कायदे के मानेगी। किसी व्यक्ति का कितना ही हिस्सा हो हर एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार था। नुकसानी में हर सदस्य व्यक्तिगत व सामूहिक जिम्मेदार होगा। 21 वर्ष वी आयु के रादर्य होंगे। रार्वोपरि अधिकार आग रुग्म को होगा। ये वसूल सहकारी आन्दोलन के मान्य सिद्धान्तों के अनुरूप थे। सब निवासियों ने इनको मान लिया तो कार्य सचालन के लिए सात सदस्यों की एक कमेटी (सचालक मण्डल) बना दी गई। श्री हीरा सिंह इसके प्रथम प्रधान (अध्यक्ष) बने। उन्होंने इस सोसायटी तथा नियमावली को साधारण रजिस्ट्रेशन के अधीन पंजीकृत भी कराया। सामलात की सारी भूमि, भले ही वह कृषि हेतु उपभोगी हो या पडत कह समिति के प्रबंध तंत्र के अन्तर्गत लाई गई। भूमि की सूची को पंजीकरण आवेदन के साथ नत्यी किया गया। भूमि के रिकार्ड को, जिसमें जमाबारी, खसरा, गिर्दावरी, वृक्षगणना सूची, लगान रजिस्टर, खेतों के नक्शे आदि थे जिसे व्यवस्थित किया गया। इस समिति के अधीन 4 एकड़ भूमि थी। हिसाब-किताब का वर्ष माह ज्येष्ठ से अषाढ रखा गया।

आय का चौथा भाग सुरक्षित कोष में जाता था। साढ़े सात प्रतिशत भूमि सुधार में तथा इतना ही जनहित कार्य में खर्च किया जाता था बाकी बची रकम भूमिदारों में उनके हिस्से के अनुपात में बांट दी जाती थी। पहले वर्ष समिति को 2000/- रुपये तथा दूसरे वर्ष 10,000/- रुपये आय हुई। दसवें वर्ष में यह आय 25,000/- हजार रुपये हुई। आय हमें यह बड़ी राशि नहीं लगती मगर आज से सो (100) वर्ष

पहले की तुलना करें तो यह एक बहुत बड़ी व उल्लेखनीय रकम थी।

ईमानदारी व लगन का परिणाम यह हुआ कि 2 वर्ष में ही सारी भूमि हरी-भरी हो गई। शीशम, आँवला, कींकर आदि वृक्ष लगा दिये गये। ऊँची-ऊँची घास पैदा होने लगी, वह भी इतनी कि गाँव की आवश्यकता के अलावा दूर-दूर तक बेची जाने लगी। बहुत सी भूमि खेती योग्य बनी। वर्षा, औंधी, बाढ़ से सुरक्षा मिली। दस वर्ष में एक विशाल जगल खड़ा हो गया। जगल की छटवाई करकर ईट के भट्टे लकड़ी से लगे। पक्के ईटे लाभ रूप में समिति सदस्यों को बाटी गई। सभी के पक्के मकान बने। जनहित की राशि से पक्की सराय बनीय, गलियों में सड़के बनी। पजौर तब सुविधा व स्वच्छता की दृष्टि से कई शहरों से बेहतर बन गया। समिति ने ग्रामीणों का सामत ऋण भी चुकाया। पूरे गाँव को लगान भी समिति ही देती थी। इस प्रकार पंजौर एक सहकारी जीवन का उदाहरण बना तथा हीरा सिंह जी इसके नायक। एक अन्य पड़ोसी गाँव बढ़ेरा के नेतृत्व में हीरा सिंह को बुलाया गया तथा वहाँ भी समिति के नायक के रूप में इन्हें जिम्मेदारी दी गई।

इस प्रकार सहकारिता एक समर्पण भावना है जो निष्ठा से साकार रूप धारण करती है तथा नेतृत्व इसको निरन्तरता प्रदान करती है। श्री हीरा सिंह की मृत्युपरान्त सहकारिता साख में गिरावट आने लगी। आन्दोलन को भाग्य नेतृत्व नहीं मिल पाया। कानून तथा शासन का कोई भी सहयोग इस मशाल को बनाये रखने में नहीं मिल पाया। सहकारी कृषि का सहयोग विखरने लगा। सामलाती भूमि का बैंटवारा होने से 15 वर्ष तक चलने के बाद इस देश की प्रथम सहकारिता समिति का अवसान हो गया। मगर इसने देश में सहकारी आन्दोलन के बीजारोपण का महान् कार्य किया। नई-नई सुभावनाओं की धरती इस समिति ने तोड़ी थी। हीरा सिंह के सहयोग से बनी यह पगड़डी अब सड़क (राजमार्ग) बन गई है।

वर्तमान प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता और गांवों की प्रजातात्रिक व्यवस्था से

जोड़ने तथा अधिकोषीय अभिकरणों में जनसामान्य की भागीदारी सुनिश्चित करने की सुविचारित नीति के अन्तर्गत एक लम्बे अन्तराल के बाद सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराये गये। इन चुनावों के सम्पन्न हो जाने के बाद एक अन्य पक्ष की ओर भी ध्यान आकर्षित होता है। इन चुनावों में चुनकर आये हुए नेता सहकारी नेतृत्व वर्ग की दूसरी या तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। इन्हीं को दायित्व सौंपा गया है जो अत्यन्त ही सूझबूझ, दृढ़-प्रतिबद्धता, जागरूकता और दृढ़ सकल्प तथा नैतिक ईमानदारी का कार्य है। इन नये सहकारी नेताओं में एक ललकपूर्ण उत्साह है। कुछ अच्छा कर पाने की उमंग एवं स्वविवेक से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता भी है। एक बड़े काल खण्ड के अन्तराल में सहकारी संस्थाओं की व्यवस्था सरकारी अधिकारियों के द्वारा सचालित होती है। सरकारी अधिकारियों की रीति-नीति, कार्य-व्यवहार एवं कार्य सचालन की पद्धति¹ सरकार चलाने की पद्धति से प्रभावित होती है जो एक स्वाभाविक तत्त्व है।

सहकारी क्षेत्र उन दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन है जिसमें भागीदारों की हानि और उनके लाभ से जुड़ा होता है। इसलिए सहकारी संस्थाओं को सरकारी दृष्टि से परिचालित किये जाने से सहकारी आन्दोलन लक्ष्य को पूरा होना स्वाभाविक नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार को सहकारी नेतृत्व का नया सर्वर्ग विकसित करना है। इसलिए सरकार ने इस आन्दोलन को सरकारी प्रभाव से मुक्त करके जनान्दोलन की ओर मोड़ने का प्रयास किया है। इसे एक प्रशसकीय प्रयास किया जाना चाहिए। अत सरकार को चाहिए कि इन चुनावों में जनता द्वारा चुनकर आये हुए नये नेतृत्व वर्ग को अनुभवी विशेषज्ञों से गठित प्रशिक्षण केन्द्रों पर कम से कम 3 महीने का सघन व्यवहारिक प्रशिक्षण आवश्यक रूप से दिये जाने की व्यवस्था करें। ताकि सहकारिता क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकता, संस्थाओं का प्रबंधन प्रभावी ढंग से किया जा सके। तभी सहकारी आन्दोलन और जन सामान्य को सहकारी संस्थाओं का वांछित लाभ प्राप्त हो सकता है।

सहयोग मानव की प्रवृत्ति है। समाज की समूची उपलब्धि और समृद्धि, सहयोगी

क्रियाओं का ही प्रतिफल है। व्यापक अर्थों में सहकारी कार्य-कलापों का व्यवस्थापन ही सहकारिता है। यह सहकारिता एक सिद्धिदायी मत्र है। यह स्वेच्छा से पारस्परिक हित के लिए सगठित होने वाले लोगों के समूह में एक मौलिक एवं प्रबल शक्ति बनकर् सफलता के नये सोपान बना देती है। इसमें सहभागी तत्वों को समान महत्व और स्वायत्व प्राप्त होता है। इससे सदस्यगणों में आत्मिक तत्परता और चौकस चेतना बनी रहती है। वर्तमान स्वरूप में सहकारिता, 19वीं शदी के आरम्भ में ग्रामीण जीवन की व्यापक आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रभावी हथियार के रूप में सगठित की गई है। प्रारम्भ में यह व्यवस्था देश के बहुसंख्यक किसानों की कृषि सबंधी आधारभूत साधनों की व्यवस्था हेतु सहभागी आर्थिक सुविधा जुटाने के उद्देश्य से अस्तित्व में आई। यही नहीं इस प्रयत्न के पीछे देश में जोक की तरह फैली साहूकारी प्रथा के शोषणकारी चंगुल से साधारण किसानों को मुक्तक कराने का साहसिक भाव भी निहित था।

धीरे-धीरे आज सहकारिता ग्रामीण जीवन की गतिविधियों का केन्द्र बनकर् विस्तृत और व्यापक जनान्दोलन के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। अपनी लोकतांत्रिक विशेषताओं के कारण उसने हमारी सहभागी क्रिया-कलापों में एक मौलिक आयाम जोड़कर् अपना स्मरणीय स्थान बना लिया है। सहकारिता की उपर्युक्त विशेषताओं को ध्यान में रखकर् यदि हम अपने प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्थाओं का दोहन करे तो ज्ञात होगा कि हमारे देश में इस व्यवस्था की जड़ एक लम्बे अंतीत की प्रतीतियों और व्यवहारिक अनुभवों से जुड़ी हुई हैं। शुरू से ही वे हमारे इतिहास की साक्षी रही हैं, भले ही उनका वह पुरातन स्वरूप अपने नाम, रूप, गुण और कार्यशैली समय की मांग और आवश्यकता के अनुरूप, अलग किस्म का रहा हो, परन्तु जो कुछ भी था, उसका मूल तत्व सहयोग जनित सहकारिता ही था। सच पूँछा जाय तो सहकारिता बिना सामाजिक व्यवस्थाये ठीक तरह से कभी भी कार्य कर ही नहीं सकती है। यही कारण है कि जीवन के आस्तित्व के साथ ही साथ किसी रूप में सहकारिता की सहभागिता

हमारे प्राचीन समाज में बदस्तूर कायम थी। जातक कथाओं में 9 प्रकार के पेशेवाले सधों की चर्चा मिलती है। यह पूर्णरूप से सगठित थे। गाँव का कारोबार व व्यापार श्रेणियों के माध्यम से सचालित होता था। ये श्रेणियों छोटी समितियाँ होती थीं। बौद्धिक साहित्य में इन्हे गणों या श्रेणियों के द्वारा नियन्त्रित और परिचालित होती थी। रामायण तथा महाभारत में भी इन श्रेणियों में इन श्रेणियों के कार्यों का सचालन परिलक्षित होता है। अर्थशास्त्र के विवरणों से पता चलता है कि गाँव में व्यापार एवं कारोबार का कार्य गाँव में एक समिति द्वारा होता था। लेख तथा सृतियों में ऐसी चर्चा मिलती है कि गाँव वाले अपना एक व्यवस्थित समुदाय बनाते थे। वे निर्वारित नियमों का कठोरता से पालन करते थे तथा लाभालाभ के लिए जिम्मेदार रहते थे। नारद के नियमों के विरुद्ध कार्य करने वाले श्रेणी सदस्यों के लिए कठोर आचरण संहिता का उल्लेख किया है, जिसका उलंघन करने पर हानि की भरपाई करनी होती थी।

"प्रमादान्नाशितम् दाप्यम् प्रतिसिद्धम् कृतम् च यत्।"

वास्तव में प्राचीन लेखों में श्रेणी का विकास व उल्लेख व्यापक रूप से दुर्लभ है। गुप्तकाल की मोहरों में भी स्थानीय व्यापारिक सम्प्रदायों का उल्लेख मिलता है। शिल्प व कला की अलग श्रेणी हुआ करती थी। काशिका में श्रेणी से आशय होता है कि -

"एकेन शिल्पेन वरायेनव जीवन्ति तेषाम् समूहा श्रेणी।"

आगे चलकर यह श्रेणियों गतिशील संस्थाये बन गई। किसी एक स्थान पर यदि उन्हें अपने व्यापार में घाटा होता था तो वे वहाँ से हटकर अन्य स्थान पर अपना व्यवसाय व व्यापार कर सकती थी। जनता का समिति के कार्यों में पूर्ण विश्वास होने के नाते, समिति से जितना लेना-देना होता था, वह पूरा-पूरा सुरक्षित बना रहता था। इस बात के पूर्ण व प्रचुर ऐतिहासिक प्रमाण हैं कि ये समितियों निश्चित नियमों का पालन करती थीं। उनका एक कार्यालय तथा मुहर होती थी। - - - वेशाली की मुहरों में नेगम सभा का नाम मिलता है। यह नेगम श्रेणी के लिए ही

प्रयोग किया गया है। समिति के सदस्यों की सख्या निश्चित न होने से कार्यानुसार उनकी सख्या निश्चित की जाती थी। श्रेणी सभा के सदस्य अपने कार्यों में निपुण होने के नाते साधारणतया 5 श्रेणियों का उल्लेख लेखों में पाया जाता है। भिन्न-भिन्न गुण वाले गुणियों की अलग-अलग श्रेणियों संगठित की जाती थी। बुनने, गाने, धर्मचर्चा, ज्योतिष आदि के लिए पृथक श्रेणियाँ हुआ करती थी। श्रेणी के कार्यालय को थाना कहा जाता था। समिति का मुखिया सेट्ठी व उप-प्रधान को अनुसेट्ठी कहा जाता था। गाँव के महचर की तरह सेट्ठी का समिति के कार्यों पर पूर्ण नियन्त्रण हुआ करता था। सेट्ठी सभा का समर्थन प्राप्त करके किसी विशेष कार्य का सम्पादन करता था। जातकों के अध्ययन से पता चलता है कि अनाथ पिण्डक नाम सेट्ठी ने चेत वन को बुद्ध का निवास बनाने के लिए क्रय किया था। श्रेणी के कार्यों में स्थानीय व्यापार, रूपया जमा करना, दान देना, क्रण वितरण, सिक्कों का प्रचलन, व्यवसायिक शिक्षा प्रबन्ध, न्याय करना, शासन को सहयोग देना आदि प्रमुख हैं। चातकों के अनुसार गाँव के लोहार, कुम्हार, तथा कपड़ा बुनने वालों का व्यवसाय मुख्य था। एक स्थान या गाँव में बना सामान दूसरे गाँव या स्थान को भेजा जाता था। दक्षिणी भारत में श्रेणी के सुदूर व्यापार करने का वर्णन मिलता है।

उल्लेखनीय है कि प्राचीन काल में आजकल प्राचीन काल में आजकल की तरह बैंकों का प्रचलन और सिक्कों की समुचित व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। एक समय यह कार्य यहीं श्रेणियाँ ही किया करती थी। गाँव में जितना अग्रहर दान भूमि अथवा धन मिलता था वह सब श्रेणी के पास जमा हो जाता था। इस रूपये और सम्पत्ति का उपभोग समिति करती थी। उसका सूद ग्राम-सभा को किसी कार्य विशेष के लिए दान स्वरूप दिया जाता था और गाँव सभा उस दान के ऐसे को उन्हीं मद हेतु खर्च करती थी, जिसके लिए दी जाती थी। गुप्त काल के इन्दौर के ताम्र-पत्र में श्रेणी धारा धन को सुरक्षित रखने का विवरण मिलता है। इसके वार्षिक सूद से मंदिर में दीपक जलाये जाते थे। नासिक गुहा में शक महापान का लेखा मिला है, जिसमें व्यापारिक समिति के पास तीन हजार सिक्के जमा करने का वर्णन है। इसके सूद से साधुओं को

भोजन उपलब्ध किया जाता था। चोल राज्य में तजौर के राज राजेश्वर मंदिर के लिए धन जमा करके श्रेणी को उसके उपयोग का अधिकार दिया गया था। राष्ट्रकूट के लेखों में श्रेणी को सौ भेडे दिये जाने का उल्लेख है। यह एक पशु सेट्ठी को सौंपा गया था। इससे प्राप्त धन से मंदिर में दीपक जलाये जाते थे।

इस अध्ययन से पता चलता है कि जातकों में उल्लेख है कि ग्राम सभाये सार्वजनिक कार्यों के लिए श्रेणी से रूपये उधार लिए तथा सूद 16% दिए श्रेणी अपने वर्ग तथा सदस्यों के कार्यों के संबंध में न्याय कार्य भी करती थी तथा राज काज में भी सहायक थी। कभी-कभी एक श्रेणी दूसरी श्रेणी से मिलकर साझेदारी में भी व्यापार करती थी। सृष्टि ग्रन्थों में इसका विशेष उल्लेख है। ये लाभालाभ में बराबर बंधे रहने के कारण साझेदारी नियमों से भी बंधे हैं। याज्ञवलक्यानुसार -

"समवायेन वाणिज्यम् लाभार्थम् कर्मम् कुर्वताम् ।

लाभालाभो यथा' द्व्यम्, यथा वा सविदोऽकृतो । "

यदि किसी सदस्य की गलती से हानि होनी है तो उसी को हानि की पूर्ति करनी पड़ती थी। नियम के प्रतिकूल कार्य करने वाले को साझेदारी से अलग कर दिया जाता था। साझेदारों में से यदि कोई नया काम शुरू कर देता था तो उसमें सभी की साझेदारी समझी जाती थी। किसी कार्य के विरुद्ध कोई शिकायत बर्इमानी की होती थी, तो उस व्यक्ति को सभा के सामने शपथ उठाकर अपनी ईमानदारी का प्रमाण देना पड़ता था। साझेदार की मृत्यु होने पर नियमानुसार शासन द्वारा उसका हिस्सा उसके उत्तराधिकारियों को दिया जाता था। नारद जी के अनुसार सभा में व्यापार संबंधी खर्च को सभी साझेदारों को वहन करना पड़ता था। डॉ कुमार स्वामी ने लिखा है कि प्रत्येक व्यापारिक संघ प्रजातंत्र या सामाजिक भावों को लेकर संस्था के रूप में व्यवस्थित की गई थी। जातीय गुण और ग्रामीण व्यवसाय इन संस्थाओं के माध्यम से फलता-फूलता नजर आता रहा, जिससे आम लोगों को सुविधा होती रही। आचरण पर नियंत्रण होने

के कारण कभी भू समाज में कदाचार की सम्भावना नहीं थी। अत क्षति किसी को न होती थी।

इस प्रकार अब इन ऐणियों का सहकारी सगठन इतिहास में गायब हो गया, इसका कोई तार्किक और सगत विवरण नहीं है। सम्भव है कि विदेशी आक्रान्ताओं की आपाधापी और संस्कृत के संक्रमण से न केवल भारतीय समाज की प्राचीन ख्यावियों एक-एक करके समाप्त हो गई। बल्कि कई तरह की विकृतियों ने उनका स्थान ले लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकार और जमीदार गौववासियों का शोषण करने लगे जिससे साधारण किसान साधनहीन व विपन्न होता चला गया। स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए सहकारिता का एक अभिनव (वर्तमान) युग का स्वरूप समाज में पुर्णजीवित किया गया। यह ठीक है कि आज हम पीछे नहीं लौट सकते, किन्तु इतना स्पष्ट है कि सहकारिता से हमारा पुस्तेनी नाता है। अत हम भारतवासियों को अपने प्राचीन गुणधर्म के अनुरूप अपने वर्तमान गिरते हुए आचरण के प्रवाह को रोकने की प्रेरणा लेनी चाहिए। वर्तमान विकसित समाज की सहकारिता के बाटिका के पीछे फ़ैले भे यदि पीछे मुड़कर कुछ देखने समझने के साथ ग्रहण करने की चाह पैदा हो जाय तो आज स्पष्ट नष्ट होने के कगार पर है वे बच जायेगी और इससे हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को अनुरक्षित रख सकेंगे।

भारत का सोच गहरा और महान था। इसका पता लगाने के लिए हमें वैदिक मत्रों का सहारा लेना पड़ता है। वेद भारत के प्राण है। इन वैदिक मत्रों में हमारे ऋषि-मुनियों ने मानव कल्याण की भावना से जो उपदेश दिये हैं, सर्वग्राह्य हैं। इन सभी वैदिक मत्रों को यदि एक जगह एकत्रित किया जाये तो उनके अदर से सहकारिता की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना कर मानव को ऐश हेतु रचा तथा इसी यश की प्रक्रिया द्वारा सुखी जीवन जाने का सूत्र दिया। यही यश की

प्रक्रिया सहकारिता का मूल मत्र है। बिना त्याग के सुख नहीं प्राप्त होता है। कड़ी मेहनत और परिश्रम से हम सुखी रह सकते हैं। साथ ही साथ दूसरों को भी सुखी रख सकते हैं। थोड़ी-थोड़ी पूँजी से वृहत् पूँजी बनाकर रखने में जिस प्रेम व निष्ठा की आवश्यकता होती है वही सहकारिता की सफलता के लिए अपरिहार्य है। गीता में स्वयं कृष्ण ने तीसरे अध्याय ग्यारहवें श्लोक में परस्पर भावयस्त के मूलमत्र को आधार मानकर देवताओं व मनुष्यों के बीच परस्पर सहयोग की शिक्षा दी है। यह शिक्षा प्राणी मात्र के लिए आज भी अत्यस्कर है। आज विश्व एक परिवार के रूप में बन गया है। हमारी आवश्यक आवश्यकताये एक सी होने के नाते हमारी मान्यताएँ भी एक-सी ही होती जा रही हैं। सभी का अभीष्ट है कि प्राणी मात्र सुखी व सम्पन्न बनें। इसके लिए सहकारिता ही मात्र एक मगल मत्र है। हमारे वैदिक मत्रों में " सह भुनक्तु सह अश्ववाम् है। " अर्थात् साथ-साथ भोजन करो व साथ-साथ बैठो के उपदेश के माध्यम से सहकारिता पर बल दिया है। इसी प्रकार हम दूसरे मत्र के माध्यम से " यावत् भियेत जठरम् सर्व दोहिनाम् " अधिकम् अभिमन्यते स्तेनो/इण्डम् वहति। अर्थात् जितने से पेट भरे वह हर एक प्राणी का अधिकार है। जो इससे अधिक की चेष्टा करता है वह चोर है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। इस वैदिक मत्र का यह वाक्य मनन करने योग्य है। भूख मानव की पहली आवश्यकता है, इस भौतिक सत्य को हमारे मनीषियों ने बहुत पहले ही जान लिया था। वे यह भी जानते थे कि यदि समाज में आवश्यकता से अधिक सचय की प्रवृद्धि होती तो जन सधारण की भूख की समस्या हल करना दूभर हो जायेगा। इसी कारण अधिक जानकारी जमाखोरी को हमारे मनीषियों ने चोरी की संज्ञा है।

सहकारिता के विषय में यह सोच कि यह पाश्चात्य चिंतन की देन है सर्वथा एकांगी है। हमारे संविधान निर्माताओं ने पंचायती राज की कल्पना की थी। वर्तमान सरकार भी सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके गाँव स्तर तक ले जाना चाहती है। इन सपनों को साकार रूप देने के लिए हमें सहकारिता की मूलभूत सिद्धान्तों की शिक्षा

विद्यार्थी जीवन से ही दी जाय। प्रेम, सहयोग, करुणा, दया आदि मानवीय गुणों को सारभूत बताने वाली कहानियों और चरित्रों का पाठ्यक्रम का आधार बनाना होगा जिससे आज का विद्यार्थी कल देश "का नागरिक बनकर सहकारी जीवन जीने का स्वभावत अभ्यस्थ बन सके। हमें विश्वास है कि हमारी सरकार पाठ्यक्रमों में सहकारिता व सहकारी जीवन पर बल देने वाली विषय सामग्री को समुचित ध्यान देगी। वेदिक स्त्रृति किसी जाति व धर्म पर आधारित न होकर मानवीय मूल्यों पर आधारित है। यही कारण है कि महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानन्द आदि मनीषियों ने भारतीय स्त्रृति के इन मूलभूत सिद्धान्तों को विश्वमें उजागर कर भारत की साख को बढ़ाया था। आज भारत को स्वयं इस दिशा में आगे बढ़कर एक सुखी जीवन जीना है। विश्व के लिए एक आदर्श बनना है। हमें विश्वास है कि इस दिशा में हम भारतवासी स्वामी विवेकानन्द के उत्तिष्ठ जागृति वरान् निराधत के सद उपदेश को ग्रहण करते हुए उठे, जागे और बुराईयों पर विजय प्राप्त करें। इसके लिए सहकारिता ही हमारा एक विकल्प है।

भारत में सहकारिता द्वारा मिलकर कार्य करने की भावना को हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण स्थान है। यह सबके लिए एक और एक सबके के लिए के दर्शन पर आधारित है। सहकारिता से त्याग, आनन्द और सहानुभूति आदि भावनाओं को बल मिलता है। सहकारिता से विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। आदिकाल से ही सहकारिता मानव समाज का अभिन्न अंग रही है। भारत में सर्वप्रथम 1895 में सर फ्रेडरिक निकल्सन ने सहकारी साख के विकास पर अधिक बल दिया। उन्होंने यह निर्णय कृषकों ऋणग्रस्तता को ध्यान में रखते हुए लिया। भारत सरकार ने सन् 1900 में सर एडवर्ड ला की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया। इसमें सहकारी समितियों की स्थापना पर विशेष बल मिला। फलस्वरूप देश में सहकारी आन्दोलन का आरम्भ भारतीय दुभिक्षि आयोग की सिफारिश पर सन् 1904 सहकारी साख समिति अधिनियम पास किये जाने से हुआ। सन् 1912 में एक विस्तृत सहकारी साख अधिनियम पास किया गया। 1919 में सहकारी साख समितियों को विकसित

करने का भार राज्य सरकारों को सौंपा गया। तभी से सहकारी समितियों के कार्य में तेजी से सुधार हुआ। आजादी से पूर्व देश में सहकारिता आन्दोलन निम्नलिखित चरणों में होकर गुजरा -

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1- प्रथम चरण (1904 से 1911) | - आन्दोलन का प्रारम्भिक काल |
| 2- द्वितीय चरण (1912 से 1918) | - द्वितीय दुष्टगति से विस्तार काल |
| 3- तृतीय चरण (1919 से 1929) | - अनियोजित विस्तार काल |
| 4- चतुर्थ चरण (1930 से 1938) | - सुदृढ़ीकरण व पुर्णसंगठन काल |
| 5- पंचम चरण (1939 से 1947) | - पुनरुत्थार काल । |

स्वतंत्रता से पूर्व देश में सहकारिता आन्दोलन मुख्य रूप से पूर्व बम्बई, मद्रास कलकत्ता तथा पंजाब प्रान्तों तक ही सीमित रहा। तत्कालीन सहकारितान्दोलन अनियोजित था। आजादी के बाद देश में बुनकरों की समितियाँ, गृह-निर्माण, कृषि साख, दुग्ध वितरण व यातायात सहकारी समितियाँ स्थापित की गई। 1950 में देश में सहकारी समितियों की संख्या 175 09 हजार थी। इनकी सदस्य संख्या 125 61 लाख तथा कार्यशील पैूँजी 233 10 करोड रूपये थी। आर्थिक विकास व आर्थिक न्याय में महत्वपूर्ण मानते हुए सहकारिता को प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में प्रमुख स्थान दिया गया। बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में भी सरकार ने बहुत प्रोत्साहन दिया। फलस्वरूप आज देश में सहकारिता के विकसित रूप के दर्शन होते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 2 4 लाख समितियाँ थीं। आज करीब 3 लाख से ऊपर समितियों कार्यरत हैं। इनकी सदस्य संख्या 12 करोड से अधिक है। भारत में सहकारी आन्दोलन विशेष रूप से गाँवों में रहता है। समितियों की व्यवस्था लोकतात्त्विक होने के नाते किसान वर्ग सहकारी समितियों के सदस्य बनकर लाभ उठा सकते हैं। समिति का सदस्य जब अध्यक्ष या सरपंच के पद पर रहता है, तब वह प्रबंध समिति की स्वीकृति सदस्यों के ऋण स्वीकार करके ऋणदाता की भूमिका अदा करता है।

इस प्रकार हम भारतवासी अपने विकास कार्यों द्वारा अपनी उन्नति और अधिक समानता लाना चाहते हैं। हम आर्थिक शक्ति को कुछ लोगों के हाथ में केन्द्रित होने से रोकना चाहते हैं। इसलिए हमें निजी क्षेत्र की तुलना में सहकारी क्षेत्र और साथ ही साथ सहकारी क्षेत्र के विकास में अधिक मदद करनी चाहिए। सहकारिता द्वारा सरकारी क्षेत्र व निजी क्षेत्र दोनों का लाभ मिलते हैं। इसमें मामूली आदमी के विचारों को महत्व दिया जाता है। साथ ही साथ उनमें भागीदार होने की भावना आती है। सहकारी समितियों स्वेच्छिक संगठन और प्रजातात्त्विक नियंत्रण पर आधारित होती है। साथ ही इनके द्वारा बड़े पैमाने पर उद्योग के आधुनिक तरीकों से प्रबंध का पूरा फायदा उठाया जा सकता है। भारत के पिछले 60 वर्ष के सहकारिता के ऐतिहास से यह सिद्ध होता है कि जब भी आन्दोलन मजबूत रहा है तो उसका कारण लगन वाले वे व्यक्ति थे तो राजनीति के प्रलोभन से अपने आप को बचा सके। उन्होंने जनता की सेवा सहकारिता का एक साधन माना। आज देश में जीवन के हर क्षेत्र में नि स्वार्थ व्यक्तियों की जरूरत है। इस प्रकार राजकारिता में राजाजिक द्वितीय स्वोच्च के साथ ही साथ इसमें एक सामाजिक नियंत्रण भी है। इससे सम्पूर्ण भारतवासियों को सहम्यता मिलती है। हमारी सरकार सहकारी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बचनबद्ध है। हम इस क्षेत्र को अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। सहकारी क्षेत्र को अपनी आतंकिक शक्ति और हानि से बचाने के साधन बढ़ाने चाहिए। अपनी कार्यविधि को सरल बनाना चाहिए और सदस्य सच्या बढ़ाकर अपना आधार मजबूत और विस्तृत करना चाहिए। इसके साथ ही साथ सहकारी समितियों पर मुट्ठी भर लोगों का प्रभुत्व कायम नहीं रहने देना चाहिए।

सहकारिता की विचारधारा का ऐतिहासिक अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि सहकारिता की प्रवृत्ति आदिकाल से ही मानव समाज में रही है। यद्यपि प्रारम्भ में इसका जन्म पारस्परिक सहयोग एवं नीतिकता की भावना के कारण हुआ। कालान्तर में समाज के कर्णधारों ने रीति-रिवाज के आधार पर समाज का आधारभूत

तत्व मान लिया। भारत में सहकारिता कोई नवीन प्रणाली नहीं है। यद्यपि यहाँ की बदली हुई परिस्थितियों तथा परतन्त्रता ने इसके मूल स्वरूप को समाप्त करके एक नये रूप में इसका विकास करने का प्रयत्न किया। भारतीय सस्कृति आदिकाल से ही विश्व बधुत्व, भाईचारा, सहकारिता एवं सगठन का समर्थन करती आई है किन्तु ब्रिटिश काल में यह परम्परा नष्ट कर दी गई और देश में प्रदेश, भाषा, वर्ण, जाति आदि कारणों से लोगों में दूषित विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ तथा सदियों से चली आई भाई-चारे की मनोभावना को समाप्त कर दिया। विदेशी उद्योग नयी भूमि-व्यवस्था के अन्तर्गत जो अग्रेजो की देन थी, समाज में विशेषकर कृषकों का शोषण जमीदारों, ताल्लुकदारों के द्वारा करना प्रारम्भ कर दिया। इन सब कारणों से देश में आर्थिक एवं सामाजिक जीवन अधिक भयकर हो गया। विशेषकर कृषकों का इन सबको दृष्टिगत रखते हुए 1892 में फ्रेरिक निकल्सन को सहकारी साख की विकास सम्भावनाओं पर अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया। उन्होंने 3 वर्ष बाद 1895 में अपनी प्रस्तुत रिपोर्ट में भारतीय रागाज के उत्थान के लिए उहकारी साख की आवश्यकता पर बल दिया। इसी रिपोर्ट के आधार पर 1904 में सहकारी साख अधिनियम लागू हुआ। इसी को हम भारतवर्ष में सहकारी आन्दोलन की नींव समझते हैं। इसका मूल उद्देश्य किसानों को सस्ते दर पर ऋण तथा औद्योगिक ऋण की समस्या का निदान करना था। तथापि इस अधिनियम में काफी त्रृटिया होने की वजह से किसी बैंक की व्यवस्था न होने की वजह से इन सारी त्रृटियों को दूर करने के लिए 1914 में सरएडवर्ड मैकलेगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, समिति को वर्तमान में 1904 द्वारा पारित अधिनियम की तमाम कमियों का जिक्र करते हुए अपने सुझाव दिये। मैकलेगन कमेटी की रिपोर्ट भारतवर्ष में सहकारिता आन्दोलन में अत्यधिक महत्वपूर्ण रिपोर्ट मानी जाती है। हालांकि सरकार ने इस रिपोर्ट को कोई विशेष महत्व नहीं दिया। प्रथम विश्व युद्ध बाद 1919 में मान्टेग्यू चेम्पफोर्ड के सुधारों को लागू करने वाले अधिनियम में सहकारिता को प्राप्त सरकारों के अधीन कर दिया गया। यहीं से सहकारिता का नियोजित

विकास शुरू हुआ। साथ ही साथ सहकारिता के लिए एक मत्री की नियुक्ति का प्राविद्यान किया गया। स्वतंत्रतापूर्ण सहकारिता आन्दोलन बाढ़ में फैसी नोका की तरह उल्टा-पुल्टा रहा। लेकिन स्वतंत्रता 'बाद सन् 1947 के बाद प्रथम पचवर्षीय योजना (1950-55) जब चालू किया गया तो इस योजना में सहकारिता आन्दोलन को जनतात्रिक आन्दोलन का एक अनिवार्य उपकरण माना गया। इस काल में 50% गाँवों तथा 30% ग्रामीण जनता को सहकारिता आन्दोलन की परिधि में लाने का लक्ष्य रखा गया। हालांकि प्रथम योजना काल में सहकारी आन्दोलन अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पडाव आया। 1954 में प्रकाशित भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट जिसमें ग्रामीण साख का आधार सहकारितान्दोलन को ही माना। इतना ही नहीं समिति ने सहकारिता आन्दोलन को नव-जीवन देने और इसे अन्दर तथा बाहर से मजबूत करने के लिए "ग्रामीण साख की एकीकृत स्कीम प्रस्तुत की गई।" यह स्कीम सहकारिताधार पर ही थी। सन् 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद की नीति संबंधी प्रस्ताव में कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के निर्माण में सहकारितान्दोलन की भूमिका पर विचार किया गया तथा सहकारितान्दोलन के माध्यम से परिषद ने प्रत्येक परिवार का सदस्य बनाने, रासायनिक उर्वरक, साखादि की अनेकों सिफारिशें की। सहकारिता क्षेत्र में उचित प्रशासन के लिए 1963 में सरकार दुबारा श्री बी0एल0 मेहता की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। जिसमें सहकारिता के प्रशासनिक ढाँचे को मजबूत बनाने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सन् 1965 में प्रो0 एस0एल0 बप्तवाला की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। यह विशेषज्ञ समिति विभिन्न कृषि उपजों के विपणन, उत्पादन और उपभोक्ता वस्तु की आपूर्ति के विचार हेतु नियुक्त किया गया। समिति ने विपणन समितियों के कुशल संचालन के लिए बहुत ही उपयोगी सुझाव दिये, जिसमें द्विस्तरीय ढाँचे मिश्रित सदस्यता और मण्डी केन्द्रों पर प्राथमिक विपणन समितियों की स्थापना पर बल दिया। सन् 1964 में भारत सरकार ने श्री आर0एन0 मिर्धा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसे वर्तमान में सहकारिता की

कार्यक्षमता तथा अकुशल समितियों को समाप्त करने तथा वर्तमान अधिनियम की कमियों का पता लगाने के लिए कहा गया। समिति ने 1965 में अपने 9 महत्वपूर्ण सुझाव के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की। शने - शने सहकारिता आन्दोलन अपने प्रगति के पथ पर बढ़ता रहा और आज सहकारिता आन्दोलन बन गया। यह इसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20 सूत्रीय कार्यक्रम में सहकारितान्दोलन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आज देश में विभिन्न प्रकार का लगभग 250 लाख समितियों देश की लगभग 95 करोड़ जनता को साथ लेकर सहकारितान्दोलन के माध्यम से 21वीं सदी की ओर छुतगति से अग्रसर है।

सहकारिता सामाजिक संगठन का ऐसा स्वरूप है जो किसी शासन व्यवस्था में अपना औचित्य सिद्ध कर लेता है। अर्थव्यवस्था का स्वरूप चाहे पूँजीवाद हो या समाजवाद हो, व्यक्तियों का एक बड़ा वर्ग आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर एवं श्रमप्रधान होता है। इस वर्ग को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता रहेगी। इसकी पूर्ति सहकारिता द्वारा ही सम्भव है। इस आधार पर सहकारिता उन व्यक्तियों की उन प्रतिकूल परिस्थितियों की उपज है जब मनुष्य को दूसरे के सहयोग के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह क्रम मानव के प्रारम्भिक काल से होता चला आ रहा है और भविष्य में अनवरत् चलता रहेगा। हाल के वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो नाटकीय परिवर्तन हुआ है इसकी कल्पना शायद किसी ने की हो। इन परिवर्तनशील परिस्थितियों में किसी भी तंत्र ने सहकारिता में परिवर्तन करने या समाप्त करने की बात नहीं की है। अत भविष्य में सभी राष्ट्रों के विकास में सहकारिता बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी।

सहकारिता की जन्म स्थली जर्मनी व इंग्लैण्ड है, किन्तु भारतीय अर्थव्यवस्था रूपी जलवायु में यह अच्छी तरह पल्लिवत होकर वट वृक्ष बन गयी है, जो कि भारतीय

अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। सन् 1878 में बाम्बे प्रान्त के कुछ कर्जदारों ने साहूकारों के विरुद्ध अन्दोलन प्रारम्भ किया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि तत्कालीन सरकार को इस समस्या के निवारण हेतु एक 'आई0सी0एस0' अधिकारी सर फेडरिक निकल्सन की जर्मनी की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने हेतु भेजना पड़ा। वहाँ पर सफल सहकारिता रूपी प्रणाली का अध्ययन करने पर भारतीय कृषकों के स्वालम्बन हेतु कृषि साख समितियों के गठन की सिफारिश करते हुए नारा दिया कि "फाइन्ड आऊट ऐफिसीजन" वउ इण्डियन विलिजेस। इस आधार पर भारत में सहकारिता ने जन्म लिया। सहकारी समितियों के कुशल सचालन व नियन्त्रण हेतु सन् 1904 में सहकारिता अधिनियम पास कर इसके पश्चात् सहकारी समितियों को सर्वसर्वा मान लिया। अपने सफल जीवन के एक शताब्दी पूर्ण कर भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र का महत्वपूर्ण अग बन चुका है। आर्थिक क्रियाओं का 1/4 भाग सहकारिता के माध्यम से सञ्चालित है। राष्ट्रीय सहकारी संघ मर्यादिक (एन0सी0यू0आई0) द्वारा 1991 में प्रतिपादित आकड़ों के आधार पर सहकारिता की घर्तगान स्थिति निम्न प्रकार है।

भारत में सहकारिता की प्रगति (1991-22 तक)

तालिका 4.1

अ-	समितियों की कुल संख्या	3 5 लाख
ब-	सदस्य संख्या	16 करोड़
स-	कार्यशील पैंची	70 हजार करोड़
द-	कृषि साख का विवरण	40 प्रतिशत
(व्यापारिक अधिकों की तुलना)		

1 - डा० जैन०पी०सी० - " द कोआपरेटर " भारत में सहकारिता का प्रबंध, ॥

जनवरी 92 यू०पी० यूनियन लि० 14 फूलपाल मार्ग,
लखनऊ, विशेषांक अक्टूबर-नवम्बर 92 पृ० 66

क-	खाद का वितरण	30 %
ख-	नाइट्रोजन एवं फास्फेट का वितरण	23%
ग-	शक्कर का उत्पादन	60% कुल उत्पादन
घ-	सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन	21%
ड-	खाद्यान्न, जूट, कपास इत्यादि	75%
त-	हैण्डलूम	58%
थ-	कुशल कारीगरी का सामान	30%
द-	ओद्योगिक सहकारी समितियाँ	30,000
ध-	ग्राम सहकारिता परिधि में	98%

स्रोत - कोआपरेटर वायलूम - XXIX

नो ।। जनवरी 1992

तालिका से स्पष्ट है कि सहकारिता राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस बृहद सफल संगठन के संचालन के लिए सहकारी प्रबंध का स्वरूप कैसा हो, क्या वर्तमान स्वरूप उपयुक्त है या इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। इन सभी प्रश्नों को आधार मानकर प्रस्तुत आलेख में विचार व्यक्त किये गए हैं।

सहकारी प्रबंध का आशय सहकारी रूपी संगठन को इस प्रकार संचालित करना है जिससे निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सके और सिद्धान्तों का पालन भी होता रहें। सहकारी संगठन निजी व्यापार एवं सार्वजनिक क्षेत्र से भिन्न है। निजी व्यापार का

मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है जिसका सगठन एवं प्रबंध निजी हाथों में होता है। सार्वजनिक क्षेत्रों में सरकार की अपार धैर्यी विनियोजित रहती है। अत प्रबंध संबंधी सभी तकनीकी उपलब्ध करायी जाती है। इसके विपरीत सहकारी सगठन का स्वरूप जनतात्रिक होता है। इसका उद्देश्य लाभ कमाने के साथ-साथ सेवा भाव व जन कल्याण का होता है। इसमें वित्तीय सीमाओं के अन्दर ही कार्य करना होता है। इन सभी सीमाओं के भीतर रहकर निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बीच व्यापार करना कुशल सहकारी प्रबंध द्वारा ही सम्भव है।

वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय सघ (आईओसीओ) द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर सहकारिता प्रबंध जनतात्रिक है। अर्थात् सदस्यों द्वारा चयनित प्रतिनिधि समितियों के कार्य सचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। कार्य नियमानुसार हो एवं सदस्यों के हितों का संरक्षण हो इसके लिए शासन की ओर से पंजीयक सहकारी समितियों की नियुक्ति की जाती है। मध्य प्रदेश में सहकारिता के विकास व वर्तमान स्थिति को देखा जाय तो ज्ञात होता है कि अंकीय दृष्टि से सहकारिता ने प्रत्येक क्षेत्र में विकास किया है, किन्तु गुणात्मक दृष्टि से देखने पर ज्ञात होता है कि कृषि साख सहकारिता तो कछुए की चाल चल रही है। किन्तु गेर कृषि साख सहकारिता मरणासन्न स्थिति में सरकारी सहायता रूपी आक्सीजन पर रखी हुई है। इस स्थिति में लाने का दोषाहेपण पंजीयक एवं प्रतिनिधि प्रबंध एक दूसरे पर थोप रहे हैं। पंजीयक का कहना है कि अयोग्य निजी स्वार्थी एवं राजनैतिज्ञों की शरण स्थली बनने के कारण सहकारिता का यह हाल हुआ है। जबकि समितियों के नियाचित प्रतिनिधियों का यह कहना है कि सरकार की सामान्य से अधिक दखलन्दाजी के कारण सहकारिता का पूर्णतया सरकारीकरण हो गया है। यह ऐसा है तो नियाचित सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। प्रदेश में सन् 1984 से समितियों के विधिवत् चुनाव न होना इसकी मिशाल है। जो भी हो, यह सुनिश्चित है कि सहकारिता अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्णतया असफल रही है। मुख्य समस्या सहकारी प्रबंध के उचित प्रतिपादन की है। सहकारी प्रबंध का व्यवसायीकरण

करना समय की माँग है। वर्तमान परिस्थितियों में सरकार के बढ़ते हुए दायित्व एवं सहकारिता के बढ़ते हुए दायित्व इस ओर इशारा कर रहे हैं। समय रहते यदि व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो 'एक दिन सहकारिता में बदल जायेगा या सहकारिता का वह हाल होगा जो रोबियत रांघ में रागाजवाद वा हुआ हे।

भारत में सहकारिता आन्दोलन का विकास व प्रारम्भ सर्वप्रथम किसानों को महाजनों के चगुल से मुक्त कराने के लिए किया गया। भारत में सहकारिता आन्दोलन के जन्मदाता 'सर विलियम वेडरवर्न एवं श्री महादेव गोविन्द रानाडे को माना जाता है। इन्होंने 1882 में सहकारी कृषि बैंक का सुझाव दिया था। 1891 में मद्रास सरकार ने "कृषि एवं भूमि बैंक" स्थापित करने की आवश्यकता पर अपनी राय प्रस्तुत करने के लिए सर फेडरिक निकल्सन समिति की नियुक्ति की। सन् 1907 के अकाल आयोग ने सहकारी समिति की स्थापना का सुझाव दिया तथा सहकारी समिति की स्थापना हुई। यान् 1901 में ही राहकारी समितियों स्थापित करने के संबंध में एक विधेयक बनाया गया। यह 1904 में 25 मार्च को "सहकारी साख समिति" कानून के रूप में पास किया गया। इस तरह 1904 में सहकारिता साख का जन्म हुआ। वैसे इस अधिनियम में बहुत कमियाँ थीं। इन कमियों को दूर करने के लिए सन् 1912 में सहकारी समिति अधिनियम पारित किया गया। इसके अन्तर्गत गेर साख-समितियों को भी नियंत्रित किया गया। वर्तमान समय में इस अधिनियम में बीमा, गृह-निर्माण एवं वस्तुओं का क्रय-विक्रय करने वाली समितियों की स्थापना की थी व्यवस्था की गई। भारत सरकार के 1919 के सुधार कानून ने सहकारिता को प्रान्तीय सरकार का विषय बना दिया। इसके अनुसार सर्वप्रथम बम्बई में सन् 1924 ₹10, मद्रास में 1932 ₹10, बिहार में 1935 ₹10, बगाल में 1941 ₹10 में सहकारी समिति अधिनियम पारित किया गया।

अवसाद काल (1929-30) में सहकारी आन्दोलन पर बुरा असर पड़ा। सहकारी

समितियों की स्थिति मजबूत करने के लिए एवं कृषि साख की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सन् 1944ई0 में प्रो0 डी0आर0 गाड़िगिल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तत्पश्चात् 1945 में श्री आर0डी0 सौरगा की अध्यक्षता में सहकारी समिति की नियुक्ति हुई। सन् 1940-50 में ग्रामीण बैंकिंग जॉच समिति ने यह विचार व्यक्त किया कि भारत में सहकारिता का ढाँचा सुदृढ़ नहीं है। इस प्रकार सन् 1950ई0 से सहकारिता की प्रगति का दायित्व योजनाओं पर आ गया।

नियोजन काल में सहकारिता का वास्तविक विकास मिलता है। प्रथम पच वर्षीय योजना से लेकर वर्तमान समय तक भारत में सहकारिता की प्रगति निम्न रूपों में प्राप्त होती है। "नियोजित काल में नियोजित विकास की योजना के एक अंग के रूप में सहकारी क्षेत्र का निर्माण करना राष्ट्रीय नीति के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।"² सन् 1907 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के तदुपरान्त भारत का विभाजन दो उपखण्डों में हो गया। देश का विभाजन होने से देश की आर्थिक स्थिति छावाड़ोल दो गई। नियोजन से पूर्व सहकारिता पर निर्धारित समितियों की स्थापना पर जोर 1882 में सर विलियम वेडर वर्न ने दिया था। कृषकों को ऋण देने की सिफारिश की थी। यह सहकारी कृषि बैंकों की स्थापना के सन्दर्भ में थी। भारत में योजना काल के 37 वर्षों की अवधि में सहकारिता की प्रगति निम्न प्रकार से हुई।

भारत में योजना काल के 37 वर्षों की अवधि में सहकारिता की प्रगति
तालिका 4 2

सं0	विवरण	ईकाई	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष
			1950-51	1970-71	1980-81	1987-88
1-	कुल सहकारी समितियों	लाख	1 8	2 3	3 3	3 5
2-	समितियों की सदस्यता	लाख	173	644	1,176	1,500
3-	कार्यशील पूँजी	करोड़ रु0	276	681	25,119	4,8000

इस तालिका से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 37 वर्षों के नियोजन काल में सहकारी समितियों की संख्या 2 गुनी हो गई। समिति सदस्यों की संख्या 8 गुनी व कार्यशील पैंडी में एक से चौहत्तर गुने की वृद्धि हुई है। जो इस बात का प्रमाण है कि अब सहकारिता की जड़ें जम गई हैं और उनसे अच्छे फल निकलने की अच्छी सम्भावना है।

नियोजन काल में सहकारिता का विकास

"नियोजित काल में नियोजित विकास की योजना के एक अग के रूप में सहकारी क्षेत्र का निर्माण करना राष्ट्रीय नीति के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।"³

सन् 1907 में भारत को स्वतंत्र मिलने के तुम्हारन्त भारत का विभाजन 2 खण्डों में हो गया। देश का विभाजन होने से देश में अनेक सामाजिक व आर्थिक समस्याये उत्पन्न हो गई। समस्याओं का प्रभाव सहकारी आन्दोलन पर भी पड़ा। सहकारी समितियों की संख्या 9.4% से घट गई और बगाल तथा आसाम में इसकी स्थिति और दयनीय हो गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद ही लाखों की संख्या में विस्थापित रिफ्यूगीज के आने पर सरकार को उन्हें बसाने, आर्थिक सहायता देने तथा अन्य कई प्रकार की सुविधाएं दिलाने में सहकारी आन्दोलन ने सरकार का बहुत हाथ बटाया। सहकारी समिति बनाकर शरणार्थियों के लिए भूमि, मकान, ऋण आदि की व्यवस्था की गई। औद्योगिक तथा कृषि व गृह निर्माण सहकारी समितियों बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहन दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध बाद लोटे हुए अवकाश प्राप्त सेनिकों को बसाने तथा कार्य दिलाने में भी सहकारी समितियों ने प्रशंसनीय कार्य किया। कई प्रकार की सहकारी समितियों की स्थापना होने से सहकारी समितियों की संख्या बढ़ने से सहकारिता आन्दोलन का क्षेत्र भी बढ़ा। आर्थिक जीवन के क्षेत्र में सहकारी समितियों स्थापित

होने से उनका स्थान महत्वपूर्ण हुआ। उत्पादन क्षेत्र में बुनकर सहकारी समितियाँ, औद्योगिक समितियाँ, कृषि उपकरणों, खाद, रासायनिक उर्वरकों के वितरण के लिए बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ, दूध वितरण के लिए दूध वितरण सघ, मोटर - ट्रान्सपोर्ट, गृह-निर्माण समितियाँ, फलोत्पादक सहकारी समितियाँ, गन्ना उत्पादक सहकारी समितियाँ, विपणन सहकारी समितियाँ इत्यादि।

संविधान बनने और कल्याणकारी राज्य की स्थापना की स्वीकृति के बाद देश के लिए विकास की योजनाये बनाना आवश्यक हो गया। सहकारी नियोजन समिति में " सहकारी को, जनतात्मक आर्थिक नियोजन के लिए, एक सबसे महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में भूमिका निभानी होगी। यह एक ऐसी स्थानीय इकाई है जो कि, योजना के पक्ष में जनमत को शिक्षित करने और योजना को कार्यान्वित करने की दोहरी जिम्मेदारी उठा सकती है। "⁴ अत सन् 1951 में जब प्रथम नियोजित अर्थ-व्यवस्था का काल पंचवर्षीय योजना को चालू करने से हुआ तब सहकारी आन्दोलन ने एक नये युग में प्रवेश किया। आर्थिक नियोजन का काल प्रारम्भ होने से पूर्व 1950₹० के जून के अंत में सहकारी आन्दोलन की स्थिति समितियों की संख्या (000 में) 137 09 बाजार सदस्यता 125 61 (लाख संख्या) तथा कार्यशील पैंजी 230 करोड़ रु० थी।

प्रथम पंच वर्षीय योजना में सहकारिता (1950-51) प्रथम पंच वर्षीय योजना । अप्रैल 1951 से चालूकर सहकारिता आन्दोलन को जनतंत्र के अन्तर्गत नियोजित कार्य-कलाप का एक अत्भाज्य उपकरण बनाया गया। " पारस्परिक सहायता का सिद्धान्त, जो कि सहकारी संगठन का आधार है और मित्यता एवं आत्मनिर्भरता का व्यवहार, जो कि इसका पोषण करता है, आत्मनिर्भरता की वह उत्कृष्ट भावना उत्पन्न

करता है कि जनतानिक ढग के जीवन-यापन के लिए अति महत्वपूर्ण है।

अपने अनुभव व ज्ञान का एक स्थान में एकत्र करके तथा एक दूसरे की सहायता करके सहकारी समितियों के सदस्य अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को तो सुलझा ही लेते हैं, साथ ही साथ व श्रेष्ठ नागरिक भी बन जाते हैं।⁵

योजना में कृषि को विकसित करने के लिए सहकारी समिति को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। पचायतों व सहकारी समितियों के समन्वय पर बल दिया गया। सहकारिता विकास, हेतु बनाये गये। कार्यक्रमों के अधीन सहकारी कृषि फार्म, बहुउद्देशीय समितियों औद्योगिक सहकारी समितियों, उपभोक्ता व गृह निर्माण समितियों की स्थापना को विशेष बल मिला, पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता पर बल मिला कृषकों को पैदावार का उचित मूल्य दिलाने हेतु कृषि विपणन विकास पर बल दिया गया। फलस्वरूप 1956 तक सब प्रकार की सहकारी समितियों की संख्या 2 40 लाख तक पहुँच गई। इसमें 17 6 लाख सदस्यों के अलावा इनकी कार्यशील पौंजी 469 करोड़ के लगभग हो गई। इस प्रकार समितियों की सदस्य संख्या व सदस्यों की संख्या में क्रमशः 40% और 39% की वृद्धि कर सहकारिता के प्रत्येक अर्गों में प्रगति की गई। इस योजना में 6 16 करोड़ रुपये खर्च किये गये।

पहली योजनावधि में सहकारी आन्दोलन की प्रगति (1950 से 1956 तक)

तालिका 4.3

संख्या	विवरण	1950-51	1955-56
1-	प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या	1,15,462	1,59,939
2-	सदस्यता (लाखों में)	51 54	77 91
3-	प्रति समिति औसत सदस्यता	45	59
4-	सेवित ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत	10 30	15 60
5-	दिये गये ऋण (करोड रुपये में)	22 90	50 16
6-	प्रति सदस्य औसत ऋण (रुपये)	4 45	64
7-	प्रति समिति औसत पूँजी (रुपये)	727	1,1051
8-	औसत कार्यशील पूँजी (रुपये)	3,547	4,946
9-	प्रति समिति औसत जमाए (रुपये)	391	441
10-	शेष ऋणों से अतिवेदों का प्रतिशत	21 00	25 00

उपर्युक्त आकड़ों से पता चलता है कि 1956 के जून के अंत तक ग्रामीण समाज का लगभग 15.6% भाग सहकारिता क्षेत्र में आया था। 1951 की अपेक्षा 1956 में ऋण की मात्रा दोगुनी हो गई थी। समिति एवं सदस्य संख्या में 32 तथा 51% वृद्धि हुई। यह प्रगति संतोषप्रद हुए भी गुणात्मक रूप से असंतोषप्रद थी। अधिकतर राज्यों में ए और बी वर्ग की समितियों का % थोड़ा था। कुल समितियों की संख्या में सी वर्ग

की समितियों % म0प्र0 मे 85%, तमिलनाडु मे 79, आन्ध्र प्रदेश मे 74 एवं उडीसा मे 67 था। अखिल भारतीय साख सर्वेक्षण समिति के अनुसार सहकारी साख के विकास मे टीका करते हुए रिपोर्ट मे 'कहा गया कि " वह न तो अच्छी सहकारिता की शर्तों के "पूरा करती है न ही स्वस्थ्य साख की आवश्यकता को। "⁶ इस योजना मे 75% गोंव सहकारिता क्षेत्र मे प्रभावित हुआ। सन् 1953 मे कोआपरेटिव डेवलपमेन्ट कापरेशन की स्थापना की गई।

द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना अवधि मे सहकारिता (1956-61)

द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना का व्यापक लक्ष्य एक समाजवादी समाज की स्थापना करने के अन्तर्गत प्रगति के मूल्यांकन की कसोटी 'निजी लाभ' नहीं बल्कि 'सामाजिक लाभ' का होता है। विकास की रूपरेखा और सामाजिक आर्थिक संबंधों का ढाँचा इस तरह सुनियोजित करते हैं जिससे न केवल राष्ट्रीय आय और रोजगार मे बृद्धि हो बल्कि आय और सम्पत्ति के विवरण मे भी पर्याप्त समानता आये। इसमे एक प्रयत्न द्वारा विकास की अपार सम्भावनाओं को देखने व भाग लेने का अपार अवसर मिला है, भविष्य मे अपने लिए उच्चतर जीवन-स्तर और देश के अधिक सम्पन्नता के हित मे अपना सक्रिय योगदान देने मे समर्थ बन सके। इसकी पूर्ति मे सहकारिता को एक प्रभावकारी एजेन्सी माना गया है। योजनानुसार "जनतंत्रीय आधार पर आर्थिक विकास सहकारिता के अनेक रूपों मे प्रयोग का एक विशाल क्षेत्र प्रस्तुत करता है। समाजवादी समाज नमूने का समाज, कृषि व उद्योग दोनों ही क्षेत्रों मे विकेन्द्रित इकाइयों एक बड़ी संख्या मे स्थापित करना चाहता है। इन इकाइयों का पारस्परिक सहयोग के द्वारा पेमाने

व सगठन के लोभ प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार भारत में आर्थिक विकास का स्वभाव सामाजिक परिवर्तन पर बदलते हुए सहकारी क्रिया के सगठन के लिए एक विस्तृत क्षेत्र प्रदान करना है और सहकारी सेक्टर का निर्माण करना हमारी राष्ट्रीय नीति का निर्माण करना हमारी राष्ट्रीय नीति का प्रमुख उद्देश्य है। ”

सन् 1956 की ओद्योगिक नीति प्रस्ताव में यह जोर दिया गया था कि जहाँ जहाँ सम्भव हो सके सहकारिता सिद्धान्त लागू करना चाहिए साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर को अधिकाधिक सहकारी आधार पर ही सगठित करना चाहिए। सरकार का सहकारी उपक्रमों में विशेष सहायता देनी चाहिए। समाजवादी समाज के नमूने की स्थापना सभी ढग से तभी सम्भव होती है जब एक विस्तृत व शक्तिशाली सेक्टर बनाया जाय। सहकारिता सबंधी विकास कार्यक्रम अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वक्षण कमेटी की सिफारिशों पर निर्धारित होकर सहकारिता पर द्वितीय योजना में 47 करोड रुपये की व्यय निर्धारित किया गया था। इसी के विकास के हेतु । सितम्बर 1956 को 'राष्ट्रीय सहकारिता विकास और गोदाम बोर्ड स्थापित किया गया। देश में गोदाम सुविधाओं के सम्बद्धन हेतु बोर्ड को सहायता देने के उद्देश्य में 25 मार्च 1957 को उक्त अधिनियम के अधीन एक केन्द्रीय गोदाम निगम स्थापित किया गया। इसमें 40 गोदाम बनवाये गये और 79020 टन भण्डारण क्षमता उत्पन्न की। सभी राज्यों में राज्य गोदाम निगम स्थापित कर 2 78 लाख टन क्षमता के 266 गोदाम बनवाये गये।

योजना काल में सब प्रकार की सहकारी समितियों की संख्या 2 40 लाख से बढ़कर 3 32 लाख तक पहुँच गयी। इसमें सदस्य संख्या 176 लाख से बढ़कर 342 लाख और कार्यशील पूँजी 469 करोड से बढ़कर 1,312 करोड रुपये पहुँच गई। सरकार का लक्ष्य बड़े आकार की समितियों के बजाय छोटे आकार की समितियों की स्थापना करते हुए 150 लाख सदस्य बनाने का पूरा हो गया। (यह कदम मसूरी सम्मेलन 1956 निर्णयानुसार उठाया गया।) इस योजना में 80% गौव सहकारिता क्षेत्र में आया।

आन्दोलन की प्रगति तालिका 2 में द्वितीय पच वर्षीय योजना की अवधि में सहकारी आन्दोलन की सम्पूर्ण प्रगति का दर्शन कराया गया है।

द्वितीय पच वर्षीय योजना काल में सहकारी समितियों की प्रगति (1955 से 1961 तक)

तालिका - 4

संख्या	विवरण	1955-56	1960-61
1-	समितियों की संख्या (लाखों में)	2 40	3 32
2-	प्राथमिक समितियों की संख्या (लाखों में)	176	342
3-	अंश पैंजी (करोड रुपये में)	77	321
4-	कार्यशील पैंजी (करोड रुपये में)	469	1,312
5-	प्राथमिक समितियों द्वारा दिये गये ऋण (करोड रुपये में)	50	203
6-	परिधि में आये हुए गाँव (प्रतिशत में)	75	80
7-	प्राथमिक साख समितियों द्वारा सेवित ग्रामीण जनता (%)	12	24
8-	प्रति सदस्य देय ऋण (रुपये में)	64	119
9-	प्रति समिति और सदस्यता	49	00
10-	प्रति समिति औसत दत्त पैंजी (रुपये में)	1,051	2,722
11-	प्रति समिति औसत कार्यशील पैंजी (रुपये में)	4,966	12,913

स्रोत - द्वितीय पच वर्षीय योजना

द्वितीय योजना काल में विकास परिषद, बहुत सी समितियों तथा अध्ययन दलों ने सहकारी कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं की कार्य विधि का मूल्यांकन किया है। । नवम्बर 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का निर्माण करने में सहकारी आन्दोलन की भूमिका पर विचार किया। योजनाकाल में विभिन्न समितियों एवं अनेक कार्यकारी दलों ने विभिन्न पहलुओं के कार्य सचालन पर अपनी रिपोर्ट दी है। श्री बी०एल० भेहता में नियुक्त समिति ने सहकारी साख में विकास पर महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। एक अध्ययन दल ने पंचायतों तथा सहकारी समितियों के कार्यों के समन्वय पर विचार व्यक्त किया है। सहकारी प्रशिक्षण में एक दल का विचार था कि सहकारी प्रशिक्षण एवं शिक्षा का पूर्ण विकास किया जाना चाहिए। उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं के संगठन पर विचार करने के लिए नियुक्त की गयी समिति ने अपने विचार में कहा कि सरकार को उपभोक्ता आन्दोलन की दिशा में विकास करने के लिए समुचित कार्यवाही करनी चाहिए। राज्यों के सहकारिता का चौथा सम्मेलन आयोजित कर सहकारी साख और विषयन के कुछ पहलुओं पर विचार करने के लिए सहकारिता मन्त्रियों ने जयपुर में सन् 1960 में एक सम्मेलन आयोजित किया।

भारत में सहकारिता को एक अन्य क्षेत्र सामुदायिक विकास को सौंपकर ग्रामीण भारत का सर्वांगीण विकास करना था। नयी समितियों खोलकर पुरानी समितियों को सुदृढ़ करते हुए विकास कार्य पूरा किया गया।

तृतीय पंच वर्षीय योजना में उद्दर्श्य (1961-1966)

तृतीय पंच वर्षीय योजना में भी प्रथम 2 योजना के समान आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में लोगों के आर्थिक जीवन में सुधार लाकर देश में समाजवादी

लोकतात्रिक शासन को मजबूत करना है। सामाजिक स्थिरता, रोजगार अवसरों में वृद्धि और तेजी से आर्थिक विकास हेतु एक द्वृतगति से बढ़ता हुआ सहकारी सेक्टर, जिसमें किसानों, मजदूरों और उपभोक्ताओं की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया गया। इस योजना में सरकार अपने कार्यक्रमों व लक्ष्य के लिए देश के सभी गाँवों को सेवा सहकारी समितियों की परिधि में लाकर, 60% कृषक परिवारों को सहकारी साख उपलब्ध कराकर, 680 करोड़ रूपये के अल्पकालीन ऋण, मध्यम एवं दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था कर प्रत्येक राज्य हेतु एक भूमिक्वाचक बैंक की व्यवस्था कर और नये प्राथमिक भूमिक्वाचक बैंक खोलना और नये अनेक प्राथमिक भूमि बद्धक खोलकर, उपभोक्ता भण्डारों का संगठन और पुनर्गठन कर, प्रत्येक मण्डी के सन्निकट एक विपणन समिति की व्यवस्था कर कृषि उपज के विपणन के नियम हेतु 680 नयी सरकारी मिलों की व्यवस्था कर, सहकारी विपणन, विधायन और साख को संबंधित करना, 3,200 कृषि समितियों खोलना, राज्य सरकारों द्वारा सेवा सहकारों की पूँजी में भाग लेना, प्रबंध अनुदान देना व विशेष दूबते ऋण में कोष बनाने की सहायता देना होता था। साथ ही साथ सहकारी आन्दोलन की सफलता के लिए सरकार सभी स्तरों पर सरकार सभी सहकारी संस्थाओं में साझेदारी ग्रहण करेगी। सहकारिता के विभिन्न संगठनात्मक स्तरों पर कार्य-कर्ताओं के अभाव की पूर्ति करने के व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया। सहकारिता की शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर राज्य एवं जिला स्तरों पर सहकारी सघों के विकास का निर्णय लिया गया। सहकारी समितियों के सदस्यों में ईमानदारी और बचत की भावना उत्पन्न करने पर बल दिया गया। योजनाओं में सहकारिता के विकास के लिए 70 करोड़ रूपये की व्यवस्था कर विकास कार्य को (पहली व दूसरी योजना के क्रमशः 7 करोड़ व 34 करोड़ से) आगे बढ़ाया गया।

तीसरी योजना के सहकारिता विषयक कार्यक्रमों की क्रियान्वित को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार ने कई कमेटियों और कार्यकारी दल स्थापित किये।

इनका कार्य आन्दोलन की वर्तमान प्रवृत्तियों और समस्याओं का अध्ययन करना तथा वांछित दिशा में सहकारी आन्दोलन का विकास करने का सुझाव सुझाना था। इस योजना में विकासार्थ सर्वप्रथम सहकारी प्रशिक्षण विषयक अध्ययन दल श्री एस०डी० मिश्रा की अध्यक्षता में गठित हुआ। इसने सहकारिता के क्षेत्र में कई उपयोगी सुझाव दिये। तत्पश्चात् राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं गोदाम बोर्ड द्वारा गठित इस समिति ने 1961 में अपनी रिपोर्ट उपभोक्ता समितियों के सबधी हेतु अनेक उपयोगी सुझाव दिये। फिर बाद में पंचायतों एवं सहकारी समितियों के संबंध में गठित कार्यकारी दल ने जनतात्रिक विकेन्द्रीकरण के आधार पर अनेक सुझाव दिये। तत्पश्चात् भारत सरकार के सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मंत्रालय द्वारा सन् 1962 में श्री बी०पी० पटेल की अध्यक्षता में तकाबी ऋणों पर समिति बनी। तत्पश्चात् भारत सरकार द्वारा नियुक्त रेलों एवं डाक तार विभाग के अधीन सहकारी समितियों से सबधित अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट सन् 1963 में अनेक सिफारिशों के साथ दी। साथ ही साथ औद्योगिक सहकारी समितियों से सबधित कार्यकारी दल ने 1963 में अपनी रिपोर्ट देकर नई समितियाँ गठित करने के साथ ही साथ पुरानी समितियों को स्फूर्तवान बनाना चाहिए। समितियों के स्फूर्तवान बनाने के लिए समितियों के अनेक फेडरेशन बनाये गये। तत्पश्चात् श्री बेकुण्ठ लाल मेहता की अध्यक्षता में नियुक्त सहकारी प्रशासन के संबंध में समिति ने विभिन्न राज्यों की विद्यमान विभागीय ढाँचों की परीक्षा करके इनके कार्य संचालन को सुधारने में अनेक सुझाव दिये गये। मई, 1963 में ही नियुक्त शहरी साख के संबंध में अध्ययन दल ने अनेक सिफारिशें (जैसे- शहरी एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में सहकारी बैंकों का संगठन हो, वैतनिक कर्मचारियों के लिए गठित साख समितियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हो) प्रस्तुत की। तत्पश्चात् सन् 1963 में सहकारी आवास समितियों के संबंध में कार्यकारी दल ने कई उपयोगी सुझाव दिये हैं। साथ ही साथ 1964 में यातायात सहकारी समितियों पर अध्ययन दल ने अनेक सुझाव देते हुए कहा है कि इन समितियों के कार्य की निगरानी के लिए भारत सरकार को विशेष विभाग रखना चाहिए। तत्पश्चात् 1965 में भारत

सरकार द्वारा नियुक्त प्रो० शम निवास मिर्द्धा की अध्यक्षता में सहकारिता पर मिर्द्धा समिति का गठन करके अनेक सुझाव प्राप्त किया गया। तत्पश्चात् सन् १९६४ में भारत सरकार द्वारा एक सहकारी विपणन पर दत्तवाली समिति प्रो० एम०एल० दन्तवाला की अध्यक्षता में गठित करके अनेक सिफारिशों प्राप्त की गई। इसमें सहकारिता पर ७७ करोड़ रूपये खर्च किये गये।

उपरोक्त सभी अध्ययनों ने अपने-अपने क्षेत्रों से सबैदित सहकारिताओं के विकास पर अनेक मूल्यवान सुझाव दिये हैं। इनके आधार पर सहकारी कार्यक्रमों का निर्धारण किया गया है। तृतीय योजना के अन्तर्गत तात्कालिक ५ (१९६५-६६) सहकारी आन्दोलन की प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार थीं।

तृतीय पंच वर्षीय योजना में सहकारी आन्दोलन की प्रगति (१९६५ से ६६ तक)

तात्कालिक ५

संख्या	विवरण	रु०
१-	प्राथमिक कृषि साख समितियाँ	२६१ करोड
२-	सहकारिता आन्दोलन के अधीन आये कृषक परिवार	४०%
३-	अल्प एवं मध्यावधि ऋण	३४२ करोड
४-	दीर्घकालीन ऋण	५८० करोड
५-	विपणन समितियों द्वारा विक्रीत कृषि जन्य पदार्थ	३६० करोड
६-	सहकारी चीनी मिलें	७८ सख्त्या
७-	अन्य कृषि विधायन समितियाँ	२०४९ करोड
८-	राष्ट्रकारी रागितियों द्वारा उर्वरकों की विक्री	८० करोड
९-	सहकारी भण्डारण क्षमता	२४ लाख टन
१०-	ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं की विक्री	१९८ करोड
११-	शहरी उपभोक्ता भण्डारों द्वारा फुटकर विक्री	२०० करोड

चतुर्थ पञ्च वर्षीय योजनाकाल में सहकारिता (1969-74)

चौथी योजना काल में 'स्थिरता के साथ विकास' का लक्ष्य रखा गया। अत इसमें सहकारिता के विकास की स्ट्रेटजी में कृषि व उपभोक्ता सहकारी समितियों को बहुत महत्व दिया गया। कृषि का विकास सघन खेती से ही सम्भव है। इसके लिए साख सुविधाओं और कृषि इनपुटों में वृद्धि की ज़रूरत है। इसमें विभिन्न स्थाओं के माध्यम से किसानों को सेवाये प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सहकारी विकास कार्यक्रमों के लिए 178.57 करोड रूपये का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही साथ 90 करोड रूपये केन्द्रीय क्षेत्र योजना में भूमि विकास बैंकों के सामान्य ऋण पत्रों की सहायतार्थ रखा गया। पशु-पालन एवं पशु विकास एवं पशु डेरी सहकारी संस्थाओं के लिए पशुपालन एवं डेरी योजनाओं में व्यवस्था की गई।

इस प्रकार चौथी योजनान्त तक सहकारिता ने पर्याप्त प्रगति किया। योजना के अन्तिम वर्ष तक 93% गाँव और 43% ग्रामीण परिवार सहकारी क्षेत्र में आ गये। सहकारी साख समितियों ने अपना 750 करोड रूपये अल्पावधि एवं मध्यावधि ऋण देने का लक्ष्य पार करके भूमि विकास सबधी बैंकों का ऋण देने का लक्ष्य भी पूरा कर लिया गया। परन्तु अन्य क्षेत्रों में प्रगति सतोषजनक नहीं रही। सहकारी समितियों ने केवल 350 करोड रूपये का उर्वरक ही वितरित किया जबकि लक्ष्य 650 करोड रूपये का था। उपभोक्ता समितियों ने 400 करोड रूपये की लक्ष्य के तुलना में केवल 300 करोड रूपये के माल की बिक्री किया।

अनेक राज्यों में सहकारिता की प्रगति असमान देखी गई। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु व पंजाब में 71% सहकारी ऋण दिया गया। असम, उडीसा, राजस्थान व पंजाब में सहकारिता की स्थिति अतोषजनक रही। मुख्य समस्या अवधि पार ऋणों की रही।

इनके बढ़ते रहने से सहकारी समितियों का काम-काज कई राज्यों में ठप सा पड़ गया है। योजना में अन्य प्रकार की जैसे दुग्धालय, मुर्गी-पालन और मत्स्य-पालन, सहकारी समितियों पर भी ध्यान दिया गया। चौथी योजना में ग्राम एवं विपणन समितियों के द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण को ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तृत एवं विविधकृत किया गया। सहकारी समितियों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण योजना के अन्त में 500 करोड़ रूपये का होगा तथा शहरी उपभोक्ता समितियों द्वारा फुटकर विक्रय 400 करोड़ रूपये तक पहुँच जायेगा। चौथी योजना के भौतिक कार्यक्रम के चुनिदा भौतिक लक्ष्यों को तालिका 6 में दिखाया गया है।

चतुर्थ पञ्च वर्षीय योजना काल (1969-79) में सहकारिता का विकास (1960 से 74 तक)

तालिका 4 6

संख्या	कार्यक्रम	इकाई	प्राप्त स्तर		प्रत्याशित 1973-74
			1960-61	1965-66	
1-	प्रथमिक कृषि साध समितियों की सख्ता प्रथमिक कृषि साध समितियों की सदस्यता	(लाख) (मि०)	2 12 17	1 94 27	1 68 30
2-	कृषक परिवार प्रभाव क्षेत्र में अल्पकालीन एवं मध्यावधि ऋण	(करोड रु०) (करोड रु०)	30 200	42 342	45 450
3-	दौर्घटकालीन ऋण	(करोड रु०)	11 6	58	100
4-	सहकारी समितियों द्वारा विक्रय (फ़सलें)	(करोड रु०)	175	360	475
5-	सहकारी स० द्वारा कृषि उत्पादक संस्थान	(करोड रु०)	28	80	260
6-	सहकारी भाण्डारण	(मि० टन)	2 3	2 4	2 6
7-	सहकारी प्रेसेप्शन इकाईयों ग्रनीण क्षेत्रों में उपभोग वस्तुओं का वितरण	(सख्त्य) (करोड रु०)	1,004 16 7	1,500 198 ।	1,600 275
8-	शहरी उपभोक्ता समितियों द्वारा बिक्री	(करोड रु०)	40	200	275
9-					400
10-					500
11-					400

पच वर्षीय योजना काल में सहकारिता 1974-80

पाँचवीं योजना में एक सशक्त और स्फूर्तवान सहकारी सेक्टर (जिसमें कृषकों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं की आवश्यकता पर विशेष ध्यान देना था) का निर्माण करना राष्ट्रीय नीति का एक प्रमुख उद्देश्य था। सहकारिता द्वारा वर्तमान दशाओं में वांछित परिवर्तन लाना सम्भव है। साथ ही साथ सहकारिता सामाजिक चेतना का एक साधन है। योजना की रूपरेखा में यह कहा गया था कि "देश में विद्यमान दशाओं की वांछित सामाजिक, आर्थिक चुनौतियों प्रस्तुत करने के लिए सहकारिता सबसे उपयुक्त एजेन्सी है। कोई अन्य एजेन्सी इतनी अधिक शक्तिशाली एवं सामाजिक उद्देश्य से ओत-प्रोत नहीं जितनी की सहकारिता है।"

पाँचवीं योजना में सहकारिता के क्षेत्र में सर्वप्रथम कृषि सहकारी समितियों (आण, राप्शाई, विपणन व विधियन) को सुदृढ़ करना, ताकि एक सम्बद्ध समय तक कृषि का विकास होता रहे। दूसरे दृष्टिकोण में सहकारिता का विकास उपभोग में निर्माण, जिससे उपभोक्ताओं को उचित दर समाज मिलता रहे। तीसरे दृष्टिकोण में सहकारी विकास विशेषतया सहकारी कृषि साख के सब्द में क्षेत्रीय असतुलन को दूर करना था। चौथे दृष्टिकोण में सहकारी समितियों का इस तरह पुनर्गठन करना था कि छोटे और सीमात व कमजोर कृषकों के लाभार्थ कार्य किया जा सके। पाँचवीं योजना के सहकारिता विकास कार्यक्रमों पर सार्वजनिक परिव्यय कुल 423 करोड रुपये रखा गया जबकि चौथी योजना में मात्र 258 करोड रुपये थी। सहकारिता के क्षेत्र में परिव्यय राशि का विभाजन, राज्य एवं संघीय क्षेत्र में 286 करोड रुपये, केन्द्र प्रवर्तित क्षेत्र 44 करोड रुपये और केन्द्रीय सेक्टर में 93 करोड रुपये रखा गया। 'इफको' का एक

उर्वरक कारखाना फूलपुर (इलाहाबाद) में स्थापित किया गया।

1975-76 तक देश के 95% तथा 45% गाँव तथा ग्रामीण जनता सहकारी आन्दोलन की परिधि में आ गया। सहकारी संस्थाओं की सदस्य संख्या 65 करोड़ तक पहुँचकर अशपूजी 1,050 करोड़ रुपये और कार्यशील पूँजी 8,585 करोड़ रुपये हो गई। 1975-76 में प्राथमिक ऋण समितियों ने 1,013 करोड़ रुपये के अल्पावधि ऋण दिये। मध्य कालीन साख 64 करोड़ तक दी गई। भूमि विकास बैंकों ने 24 करोड़ रुपये ऋण बघि के दिये। सहकारी विपणन व्यापार 1,384 करोड़ रुपये हुआ। बीस सूत्रीय कार्यक्रमों के अधीन परिवार नियोजन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए सहकारी संस्थाओं ने प्रयास किये। अल्प विकसित राज्यों में सहकारिता के विकास हेतु साख, विपणन और विद्यायन क्षेत्र में विशेष केन्द्रीय सेक्टर स्कीम लागू की गई। तालिका ७ में सहकारी कार्यक्रमों के लक्ष्य दिखाये गये हैं।

पांचवीं पंचवर्षीय योजनाकाल (1974-80) के सहकारिता संबंधी प्रभति (1973 से 79 तक)

तालिका 47

संख्या	कार्यक्रम	इकाई (करोड़ रु०)	उपलब्ध स्तर (1973-74)	निर्धारित लक्ष्य (1978-79)
1-	कृषि साख समितियों द्वारा अल्पकालीन ऋण	700	1,300	
2-	कृषि साख समितियों द्वारा मध्यकालीन ऋण	200	325	
3-	भूमि विकास बैंकों द्वारा दीर्घकालीन ऋण	900	1,500	
4-	समितियों द्वारा कृषि उपज का वार्षिक विपणन	1,100	1,900	
5-	सहकारी प्रोसेसिंग इकाईयों	1,500	2,150	
6-	सहकारी संगठितों द्वारा वितरित उर्वरक का वार्षिक मूल्य(करोड़ रु०)	350	380	
7-	संग्रह क्षमता योजनान्तर	33	68	
8-	सहकारी उपभोक्ता समितियों द्वारा फुटकर बिक्री (वार्षिक)	300	800	

छठवीं योजनाकाल में सहकारिता - 1980 - 85

छठवीं योजनाकाल में सहकारिता विकास कार्यक्रमों के लिए 914 13 करोड़ रूपये खर्च करने का प्रावधान किया गया। इसमें से 330 15 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार व शेष 584 08 करोड़ रु0 राज्य सरकारे व्यय करेगी। इस योजनाकाल में निश्चुलिखित कार्यक्रमों के लिए कार्य किया गया। प्राथमिक ग्राम समितियों के लिए कार्यवाही कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए इसमें बहु-उद्देशीय इकाईयों के रूप में उचित कार्य होगा और अपने सदस्यों की उचित आवश्यकता को पूर्ण करेगी। दूसरी नीति में वर्तमान सहकारी नीतियों व तरीकों का पुनर परीक्षण किया जायेगा जिससे निश्चित हो सके कि सहकारिता के प्रयत्न एक क्रमबद्ध तरीके से ग्रामीण गरीबों की आर्थिक स्थिति उठाये जाने के लिए किये जा सके। तीसरी नीति में सधीय संगठनों की भूमिका का पुर्णस्थापन व संघनन किया जायेगा। चौथी नीति में प्रबंधकीय पदों के लिए पेशेवर मानव शक्ति व उचित पेशेवर कैडर का विकास करना था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में नियोजित कार्यक्रम के विकास मार्ग को अपनाया। सहकारिता आन्दोलन को लोकतन्त्रीय नियोजन का अत्याज्य साधन और देश के सामाजिक आर्थिक जीवन के पुनर्गठन का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नियोजित विकास की स्कीम के एक अंग के रूप में सहकारिता के क्षेत्र का निर्माण करना राष्ट्रीय नीति का एक प्रमुख उद्देश्य है। इस योजनाकाल में सरकार आन्दोलन के माध्यम से साख और गैर-साख दोनों ही क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति की है। इस काल में ही कई प्रकार की औद्योगिक सहकारी समितियाँ (जैसे - बुनकर सहकारी समितियाँ) दुग्ध सहकारी समितियाँ, परिवहन सहकारी समितियाँ तथा गृह निर्माण सहकारी समितियाँ स्थापित हुईं। कई वर्षों के प्रयासों के बाद सहकारिता को एक

मजबूत ढाँचा खड़ा किया जा सका है। साख के क्षेत्र में सब राज्यों में एक शीर्ष बैंक है। सम्पूर्ण देश में केन्द्रीय बैंकों के पुनर्गठन एवं विवेकीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। गैर साख क्षेत्रों में भी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर शीर्षस्थ संस्थाये स्थापित कर दी गई हैं। संघीय ढाँचे के अन्तर्गत संघीय संस्थाओं ने प्रवर्तन तथा नियंत्रण संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायित्व को स्वयं अपने हाथों लिया है। सगठन की दृष्टि से ये सभी प्रकार की सहकारी समितियों की प्रतिनिधि संस्थायें बन गई हैं। छठवीं योजना के अन्तर्गत सहकारिता के अन्तर्गत कुछ लक्ष्य निम्न ढग से हैं -

छठवीं पंचवर्षीय योजना (1980-85) सहकारिता सब्की प्रगति (1979 से 85 तक)

तालिका 4 8

संख्या	कार्यक्रम	इकाई (करोड रु०)	उपलब्ध स्तर (1979-80)	निवारित लक्ष्य (1984-85)
1-	अल्पकालीन ऋण		1,300	2,500
2-	मध्यकालीन ऋण	" "	125	240
3-	दीर्घकालीन ऋण	" "	275	255
4-	सहकारिता माध्यम से कृषि पदार्थों का विपणन	" "	1,750	2,500
5-	सहकारिता माध्यम से खादों का वितरण	" "	900	1,600
6-	सहकारिता माध्यम से गाँवों में उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण	" "	800	2,000
7-	सहकारी माध्यम से शहरों में उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण	" "	800	1,600
8-	गोदामों का निर्माण (क्षमता)	लाख टन में	47	82
9-	शीत भण्डारों का निर्माण (क्षमता)	" "	2 14	7 48
10-	प्रोसेसिंग इकाईयों की स्थापना			
क-	चीनी मिल		142	185
ख-	बुनाई मिल		62	90
ग-	तेल मिल		304	390
घ-	अन्य मिल व कारखाने		2,037	2,359

इस प्रकार सहकारिता आन्दोलन का उद्देश्य ऊर्जा, यातायात का विकास, रोजगार का सृजन, जनसंख्या नियन्त्रण, शिक्षा, पेयजल की व्यवस्था तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुसंगठित व समुचित विकास करने से होता है। इस योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था का मुख्य स्रोत घरेलू बचत व निजी निवेश होंगे क्योंकि भारत सरकार को वित्तीय घटे को 6.5% तक घटाकर औसत घरेलू बचत 21.6% करना जरूरी है। ओद्योगिक ढाँचे में परिवर्तन के कारण निर्यात में 13.6% बढ़ि व आयात में 8% की कमी आ सकती है। आठवीं योजना राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकार की गई है।

सातवीं योजनाकाल में सहकारिता की प्रगति (1985-1990)

सातवीं योजनाकाल में भारत में सहकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। सामान्यता छठवीं योजना में चलाये गये कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाया गया। इस बात का भी प्रयास किया गया कि बहुउद्देशीय समितियाँ अधिक से अधिक स्थापित की जाएं। सातवीं योजना में कुल 1400 करोड रुपये सहकारिता कार्यक्रमों पर व्यय किये जाने का प्रावधान था। राष्ट्रीय विकास परिषद 12, 13 जुलाई 1984 की बैठक में इसे स्वीकार किया गया। इस योजना में 12 सूत्रीय उद्देश्य के साथ ही साथ खाद्य सामग्री, रोजगार, उत्पादन, विकास, न्याय, सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भरता इत्यादि पर बल दिया गया।

तालिका 4 9

सातवीं सहकारी पंचवर्षीय योजना 1984 से 1990 तक प्रगति

संख्या	कार्यक्रम		इकाई	आधार वर्ष	योजना लक्ष्य
				1984-85	1989-90
1-	अल्पकालीन ऋण	करोड रु०	2,500		5,540
2-	मध्यकालीन ऋण	" "	250		500
3-	दीर्घकालीन ऋण	" "	500		1,030
4-	सहकारिता माध्यम से कृषिगत उत्पादन का विपणन	"	2,700		5,000
5-	सहकारिता के गोदाम से उर्वरक की फुटकर बिक्री				
1-	गांव	गिट्रिक टन	3 60	8 33	
2-	मूल्य	करोड रु०	1,500	3,400	
6-	ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण	' '	1,400	3,500	
7-	सहकारिता माध्यम से शहरों में उपभोक्ता वस्तु वितरण	" "	1,400	3,500	
8-	सहकारिता में निर्भित गोदामों की क्षमता	मिट्रिक टन	8 00	1,000	
9-	सहकारी चीनी स्थापित किये जाने वाले कारखाने	संख्या	185	220	
10-	सहकारी बुनाई मिल स्थापित किये जाने वाले	" "	90	130	
11-	शीत गृह स्थापित किये जाने वाले	" "	185	250	

स्रोत - सातवीं पंचवर्षीय योजना

इस प्रकार स्पष्ट है हिंक उपर्युक्त तालिका से वर्तमान समय में सहकारिता जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में प्रगति कर रही है। भारतवर्ष का सहकारिता आन्दोलन समितियों की सख्त्या के ड्रॉटिकोण से विश्व में सबसे विशाल है। विभिन्न प्रकार की 350 लाख से अधिक सहकारी समितियों आर्थिक क्रियाओं में रह है। देश में 14 करोड़ से भी अधिक व्यक्ति इनके मालिक हैं। 18% देश के गाँव इनकी परिधि में सम्मिलित किये जा चुके हैं। सहकारिता का कार्यात्मक विकास नवीन क्षितिज को प्राप्त कर रहा है। प्रत्येक आर्थिक क्रिया में सहकारिता का प्रवेश हो चुका है। देश के चीनी उत्पादन में सहकारिता का योग लगभग 55 प्रतिशत है।

देश के उर्वरक उत्पादन में भी सहकारिता का योगदान उल्लेखनीय है। भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्थान सम्पूर्ण एशिया में सबसे बड़ी सहकारी समिति है। यह देश के उर्वरक उत्पादन में 40% योगदान करती है। देश में 60% उर्वरक राष्ट्रकारी रास्थाओं द्वारा वितरण किया जाता है। देश के अन्तर्राज्यीय और विदेशी व्यापार में भी सहकारी विपणन संस्थायें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अब तो सहकारिता सभी यत्रों के उत्पादन में भी अपना स्थान स्थापित कर चुकी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में सहकारिता ने देश के आर्थिक ढाँचे को सुदृढ़ आधार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है और साथ ही साथ आगे भी भारत में सहकारिता का भविष्य उज्ज्वल है। इस योजना में कुल व्यय 322366 करोड़ रु0 खर्च किया गया।

आठवीं योजना काल में सहकारिता की प्रगति (अप्रैल 1992 - मार्च 1997)

भारत की आठवीं योजना । जनवरी 1990 से शुभारम्भ होकर 1995 के अंत तक चलती, लेकिन ससाधनों में कमी और केन्द्रीय सरकार में परिवर्तन होने से, योजना आयोग में पुर्णगठन होने से इसकी प्राथमिकताओं और विकास रूप रेखा में नीतिगत

परिवर्तन होता रहा और योजना आयोग का अन्तिम स्वरूप तैयार नहीं हो सका। अब एक अप्रैल, 1992 से आठवीं योजना आरम्भ की गई। आठवीं पचवर्षीय योजना आरम्भ के समय विश्व के आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य कर कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। जिसमें यू.एस.एल.एस आर का विघटन और विश्व की विभिन्न विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का खुलेपन की ओर अग्रसर होना प्रमुख है। पिछले वर्षों में भारत की अर्थनीति भी खुलेपन की ओर अग्रसर हुई है। इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए आठवीं योजना के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। आठवीं योजना हेतु कुल 7,98,000 करोड़ रूपये का विनियोग निर्धारित किया गया है। इसमें 3,61,000 करोड़ रूपये सार्वजनिक क्षेत्र पर व्यय किया गया है और शेष राशि का विनियोग निजी निगम क्षेत्र की ओर और परिवार क्षेत्र की ओर होगा। इस विनियोग राशि के आधार पर आठवीं योजना पर सकल घरेलू उत्पाद में 5.6% प्रतिवर्ष वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। यह संवृद्धि दर सातवीं योजना की वास्तविक संवृद्धि दर के लगभग समान है। 1980-90 के दशक में आर्थिक संवृद्धि की दर लगभग 5.5% समान प्रतिवर्ष रही है। इस प्रकार 1992-97 की आठवीं योजना के लिए लक्ष्य 5.6% प्रतिवर्ष का निर्धारित लक्ष्य अधिक महत्वाकांक्षी नहीं है। छठी और 7वीं योजना का निष्पादन स्तर यह भी सकेत करता है कि अब "हिन्दू संवृद्धि दर" की लक्ष्मन रेखा को भी पार किया जा चुका है।

योजना पूरा करने की सबसे महत्वपूर्ण समस्या वित्तीय साधन को प्राप्त करने की होती है। आठवीं योजना के कुल परिव्यय 7,98,000 करोड़ रूपये घरेलू उत्पाद का 23% भाग वार्षिक विनियोग दर के रूप में परिकल्पित है। परन्तु अगले 5 वर्षों के लिए अनुमानित बचत दर सकल घरेलू उत्पाद का 21.6% आंकी गई। इस प्रकार उपलब्ध साधन निर्धारित परिव्यय से 1.4% अर्थात् 50,000 करोड़ रूपये कम है। इस कमी को अन्य देशों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से ऋण लेकर पूरा किया जाता है। सातवीं योजना में भी विनियोग दर एकल घरेलू उत्पाद की 22.9% रही है। जिसमें 20.5% अश घरेलू बचत से और शेष 2.4 प्रतिशत अश विदेशी बचत

अर्थात् अन्य देशों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सम्पदों से ऋण लेकर पूरा किया गया था। इस प्रकार सातवीं व आठवीं योजना की विनियोग मुक्ति में मुख्य अन्तर यह है कि आठवीं योजना में विनियोग के अपेक्षाकृत कम प्रतिशत अश के लिए विदेशी बचत पर निर्भर रहना होगा।

पूँजी उत्पादन अनुपात अर्थव्यवस्था की क्रियाशीलता के समानता का आइना होता है। पिछली योजनाओं में पूँजी प्रधान औद्योगिकी के प्रति अधिक झुकाव, उत्पादन के सरल अवस्थाओं के विदोहन हो जाने, आगतों की ऊची कीमत और विनियोग के चालू परिव्यय बढ़ने से वृद्धिशील पूँजी उत्पादन अनुपात अधिक हो गया था। उत्पादन के प्रति इकाई हेतु अधिक व्यय करना पड़ रहा था। आठवीं योजना में वृद्धिशील पूँजी अनुपात 41 रखने का लक्ष्य रखा गया। ताकि परिकल्पित विनियोग के 5.6% प्रतिवर्ष के आर्थिक सम्बृद्धि दर प्राप्त कर सके। पूँजी उत्पादन अनुपात में कमी करने का प्रयास योजना की बड़ी विशेषता है। इन समष्टिगत आयामों के साथ आठवीं योजना के लक्ष्यों का निर्धारण 3 बातों को ध्यान में रखकर किया गया है। प्रथम योजना के वित्तीयन हेतु घेरेलू समाधानों पर निर्भरता बढ़ायी जाय। द्वितीय विज्ञान और प्रयोगिकी के विकास हेतु तकनीकी क्षमता बढ़ायी जाय। तृतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना तथा इसे प्रति रूपर्थात्मक बनाना ताकि भारतीय सामान दूसरे देशों के बाजारों में बेचा जा सके और इससे सार्वजनिक विकास के लाभ प्राप्त हो सके। इनके साथ बेरोजगारी में कमी, जनसंख्यों द्वारा जनसंख्या नियंत्रण प्राथमिक शिक्षा का सावधानीकरण, पेयजल और प्राथमिक स्वास्थ्य, सेवाओं का प्रसार कृषि का विकास और विविधकरण तथा अवस्थापन सुविधाओं को यथा ऊर्जा, परिवहन, संचार और सिचाई का विकास योजना के मुख्य लक्ष्य रखे गये हैं।

रोजगार सृजन आठवीं योजना का प्रमुख लक्ष्य है। पिछले दशक में रोजगार अवसरों में 22% प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई। इससे बेरोजगारी बढ़ती गयी। आठवीं योजना

मेरोजगार के पर्याप्त अवसर सूजन होने से वर्तमान शताब्दी के अत तक सबको रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य सर्वोपरि है। अवशिष्ट बेरोजगारों और श्रम शक्ति की आगामी वृद्धि को ध्यान मेरखते हुए योजनाकाल मेर 3% वर्ष वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। योजनायोग के उपाध्यक्ष श्री प्रणव मुखर्जी ने बजट र चर्चा के लिए आयोजित गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए कहा था कि अगले दस वर्षों मेरद करोड श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे। "कृषि का विविधीकरण, कृषि एवं वानिकी देतु व्यर्थ पड़ी भूमि का लघु आकारीय विनिर्माण इकाईयों का विकास आदि की पहचान रोजगार वृद्धि देतु की गई है। अभी तक देश के सभी गाँवों मेरे पेयजल की व्यवस्था नहीं की जा सकी है। सातवीं योजनान्त तक 8365 गाँव इस प्रकार थे, जहाँ पेयजल व्यवस्था नहीं थी। कई गाँव इस प्रकार हैं कि पेयजल अत्यन्त न्यून है। उन्हे 16 किमी⁰ की दूरी से पानी लाना पड़ता है। आठवीं योजना मेरे यह लक्ष्य भी रखा गया है कि योजनान्त तक सभी गाँवों मेरे जलापूर्ति कर दी जायेगी और वे गाँव जो 16 किमी⁰ से दूर हैं उन्हे अनेक निकट जल स्रोतों से जोड़ा जायेगा। इसी प्रकार योजना मेरे यह लक्ष्य रखा गया कि 15-35 वर्ष की आयु के समस्त लोगों को साक्षर बनाया जायेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगभग 11 करोड लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए राजस्थान, बिहार, म0प्र0, हरियाणा और उत्तर प्रदेश मेरे विशेष प्रयास की आवश्यकता है।

अब भी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधारिक व्यवसाय है। योजनाविधि मेरे कृषि को विविधीकृत करने तथा कृषि उत्पादन और उत्पादकता मेरे व्याप्त क्षेत्रीय असतुलन को कम करने तथा कृषि उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। हरित क्रान्ति का प्रभाव अभी उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भाग तक सीमित है। योजना मेरे देश के अन्य भागों विशेषकर उत्तरी-पूर्वी भाग मेरे फैलाने का प्रयास किया जायेगा। जहाँ पर्याप्त वर्षा होती है। मिट्टी मेरे प्रचुर उर्वराशक्ति है। देश का 2/3 क्षेत्र कृषि का अभी भी वर्षा पोषित है। इसलिए बरनी खेती के विकास पर विशेष बल दिये जाने

का प्रावधान है। तिलहन, उत्पादन में यद्यपि हाल के वर्षों में वृद्धि हुई है। तथापि इसको बढ़ाया जा सकता है और विदेशी विनियम की प्राप्ति में सहायक होगा। अत इसके विकास के लिए विशेष प्रयास किये जाने चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र के विकास में निजी क्षेत्र का दायित्व बढ़ता जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के कई औद्योगिक स्थानों का निजीकरण किया जा रहा है। इसलिए औद्योगिक क्षेत्र में प्रति योजना दायित्व कम हो रहा है। परन्तु अवस्थापनागत सुविधा मुहैया करने और उसे मजबूत बनाने का दायित्व सरकार का है। अवस्थापनागत सुविधाओं का प्रसार औद्योगिक विकास की रीढ़ और पूर्वपिक्षा है। इस दृष्टि से सार्वजनिक उद्यमों की औद्योगिक विकास में आधारिक भूमिका बनी रहेगी। योजना में यह स्वीकार किया गया कि अवस्थापनागत सुविधाओं के विकास और उसकी माँग पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र की निर्णायक भूमिका बनी रहेगी। परन्तु सरकारी उद्यमों की क्रियाविधि बाजार व्यवस्था पर आरम्भ करने का प्रावधान है जिसमें कीमत निर्धारण लागत के अनुसार और लागत निर्धारण क्षमतानुसार होगा।

योजनार्थ रौशन जुटाने हेतु विदेशी बचत पर जो निर्भरता प्रदर्शित की गई है एक चिन्तनीय विषय है। खर्च का कुछ भाग ऋण लेकर पूरा करने से देश पर ऋण भार बढ़ेगा। सन् 1992-93 के बजट में केवल ब्याज के भुगतान पर 32,000 करोड़ रूपये सार्वजनिक व्यय प्रदर्शित किया गया है। योजना खर्च के लिए ऋण लेने से ब्याज भुगतान की समस्या जटिल हो जायेगी। तब भी योजनाकाल में यदि कृषि और ग्रामीण विकास के उच्चतर प्रतिमान प्राप्त कर लिए जाय तो अर्थव्यवस्था का हित साधन हो जायेगा, रोजगार अवसर बढ़ जायेगे तथा गरीबी कम हो जायेगी। परन्तु इसके लिए कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर 5 से 6 प्रतिशत प्रति वर्ष करना होगा।

तालिका 4.10

प्रबन्ध सेवाओं में भारत की सहकारिता प्रगति (1950 से 77 तक)

क्रमांक	विवरण	पञ्च - वर्षीय योजना के अंतिम वर्ष			चतुर्थ 1975-76		
		1950-51	प्रथम	द्वितीय			
1-	सभी प्रकार की सहकारी समितियों की(सख्त)	1,24,083	1,78,924	2,34,428	2,14,012	1,78,070	1,59,782
2-	कुल सदस्य सख्त (लाखों में)	77 85	123 35	241 36	356 05	556 68	613 90
3-	कुल सहकारी क्षण समितियों की करोबार पैंडी (करोड़ रुपये में)	अप्राप्त	अप्राप्त	1,096	2,336	6,865	8,767
4-	वितरित सहकारी क्षण योजना के अंतिम वर्ष के अनुरूप (लाख रु0)	71 84	123 98	342 32	655 65	1,638 49	2,019 36
5-	सभी क्षण समितियों के निषेप जमा (लाख रु0 में)	99 38	152 18	295 85	605 20	1810 18	2,482 88

प्रति सुहकारी ऋण समिति औसत

क्रमांक	विवरण	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66	1973-74	19975-76
1-	सुदस्य सख्ता	45	49	80	136	227	293
2-	अश धूनी (हजार रु0)	1	1	3	6	18	24 2
3-	निशेप (हजार रु0 में)	-	-	1	2	6	8 4
4-	लगा हुआ ऋण (हजार रु0 में)	2	3	10	18	69	96

यादव मुलायम सिंह - आधिक प्रजातन का शस्त्रकत माह्यम, "सुहकारिता" 1979 यूपी0को0आ0 यूनियन मासिक पत्रिका, ऐज 196
 (सुहकारी सन्ताह विधेषंक, अकट्ठूर - नवम्बर)

पंचम अध्याय

उत्तर प्रदेश में सहकारिता विकास का एक समान्य अवलोकन

उत्तर प्रदेश मे सहकारिता

उत्तर प्रदेश मे सहकारितान्दोलन वर्तमान सदी के प्रथम चरण (1904)मे ग्रामीण जनता को महाजनों के चगुल से छुड़ाने के लिए प्रारम्भ किया गया। प्रारम्भ मे सहकारितान्दोलन का उद्देश्य सीमित एवम् सगठनात्मक व्यवस्था अपर्याप्त थी। गोंदों मे लघु आकारी साख समितियों का सगठन कृषकों को ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया। यह स्थाये छिटपुट इकाई के रूप मे अवैतनिक प्रबव के आधार पर सीमित साख व्यवस्था प्रदान करती थी। अनुभव यह किया गया कि जब तक प्रारम्भिक स्तर से शीर्ष स्तर तक पूर्ण सगठनात्मक ढाँचा नहीं होगा और साख समितियों के साथ-साथ गेर साख समितिया सगठित नहीं की जाती है, तब तक आन्दोलन अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है। अत 1912 के सहकारी अधिनियम के पारित होने के फलस्वरूप प्रारम्भिक समितियों के साथ-साथ केन्द्रीय समितियों एवं गेर-साख समितियों का सगठन प्रारम्भ हुआ। वर्ष 1919 एवं 1937 मे अपनाये दये सौक्यानिक सुधारों सहकारिता पर गठित नियोजन समिति एवं ऐक ऐकलागान समिति तथा कृषि पर शाही आयोग की सिफारिशों, भारतीय रिजर्व बैंक के गठन एवम् स्वदेशी आन्दोलन का सहकारिता आन्दोलन पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। सहकारी समितियों की संख्या में वृद्धि हुई परन्तु स्वतंत्रता से पूर्व आन्दोलन अधिकतर समस्याओं का शिकार रहा। युद्धकालीन स्थिति एवम् मदी का आन्दोलन पर विपरीत प्रभाव पड़ा। बकाया धनराशि मे वृद्धि होती गई। इस अवधि मे राशनिग एवम् नियन्त्रण नीति से समितियों मे अवश्य थोड़ी जान आई, परन्तु आन्दोलन को प्रदेशव्यापी नियोजित स्वरूप नहीं मिल सका। संगठनात्मक व्यवसायिक क्षमता का अभाव बना रहा।

वर्ष 1946-47 मे कार्यरत समितियों की कुल संख्या प्रदेश स्तर पर 23,496 थी। उनकी सदस्यता 18,85,90। तथा कार्यशील पूँजी 8.5। करोड रूपये थी। वित्तिरित

ऋण की मात्रा । 25 करोड रूपये थी। जिला/केन्द्रीय सरकारी बैंक की भी कार्यशील पूँजी एवं निक्षेप क्रमशः 94 87 तथा 54 92 लाख रूपये थी। विकास खण्ड तथा जनपद स्तर पर सहकारी सघ संगठित किये गये। 1948-49 में 384 नये बीज भण्डार खोले गये। स्वतंत्रता प्राप्त होते ही विभाजन, शरणार्थी एवम् खाद्य समस्याये आ गई। आन्दोलन पर आवश्यक ध्यान न देने से आन्दोलन के विकास में नियोजित एवम् ठोस प्रयासों का अभाव बना रहा। इसी बीच 1953-54 में "अखिल भारतीय ग्रामीण साख-सर्वक्षण समिति" ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। समिति ने अपनी रिपोर्ट में सहकारी आन्दोलन की सगस्याओं को दर्शाते हुए भावी विकास के लिए योजना एवं नीति पर अपने सुझाव दिये। समितियों में राज्य की साझेदारी, साख-विपणन एवम् अन्य आर्थिक क्रियाओं में समन्वय तथा कुशल प्रबंध की विचारधारा को अपनाया गया। 730 दीर्घाकार समितियों का सगठन प्रदेश में किया गया। भूमि बद्धक बैंक स्थापित किये गये, राष्ट्रीय विकास परिषद के सुझाव पर 1959-60 से साधन सहकारी समितियों का सगठन किया गया। वर्ष 1959-60 में साख समितियों की संख्या बढ़कर 57,126 हो गई। सहकारी आन्दोलन के विकास को पंच-वर्षीय योजनाओं में बल मिला। समितियों को आर्थिक बनाने के लिए पुर्णगठन एवं मास्टर प्लान योजना बनाई गई। संवहन (सम्मेलन) एवम् विलयन प्रक्रिया में समितियों को अन्तोगत्वा न्याय पंचायत स्तरीय स्वरूप प्रदान किया गया। निर्बल वर्ग को प्रतिनिधित्व प्रदान करने तथा सेवाओं में विविधिता एवं उपयोगिता लाने की ट्रूष्ट से किसान सेवा समितियों बनाई गयी। पहाड़ी तथा जन जातियों के क्षेत्र में विशेष प्रकार की समितियों "लैम्स" गठित की गई। सहकारी बैंक की शाखायें खोली गयी। विभिन्न प्रकार की विधायन समितियों गठित की गई। शीत भण्डार बनाने से प्रदेश स्तर पर आन्दोलन के क्षेत्र में प्रसार एवं विस्तार हुआ। सहकारी न्यायाधिकरण एवम् संस्थागत सेवा मण्डल बनाये गये। सहकारिता के क्षेत्र में धीरे-धीरे नयी विधियों स्वत मिलती गई।

सहकारी आन्दोलन के प्लेटफॉर्म जुबली के अवसर पर उत्तर प्रदेश सहकारी

आन्दोलन की वर्तमान प्रगति, कीर्तिमान उपलब्धियों एवं नवीन आयामों का चित्रण प्रस्तुत करने में हमें हर्ष एवं गौरव का अनुभव प्रतीत हो रहा है। कुछ समय पूर्व तक इस प्रदेश की गणना सहकारिता की दृष्टि से पिछड़े प्रदेशों में होती थी। परन्तु आज सहकारी बन्धुओं, शासन कार्मिकों एवं अधिकारियों के सयुक्त प्रयास से उत्तर प्रदेश को सहकारिता की दृष्टि से विकसित राज्य का गौरव प्राप्त हो रहा है। प्रदेश में साख सुविधा के प्रसारण हेतु सहकारी आन्दोलन में 2 अलग - अलग परन्तु विशिष्ट श्रोतों का निर्माण किया गया है। 'प्रथम स्रोत में', राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक एवं प्रारम्भिक सहकारी समितियाँ हैं। कृषकों को अल्प, मध्य तथा उपभोग सुविधाये देने के अतिरिक्त कृषि निवेशों की आपूर्ति एवं उपभोग सामग्री का विवरण करती है। इसी ढाँचे के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों तक अधिकोषण सुविधा का प्रसारण किया गया है। द्वितीय श्रोत में; उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक एवं इसकी अनेक शाखाये हैं। कृषकों को भूमि सुधार, सिंचाई के साधनों का निर्माण एवं अन्य पूँजीगत आवश्यकताओं के लिए दीर्घकालीनऋण की सुविधाये प्रदान करता है।

सहकारी विपणन एवं विधायन के अन्तर्गत प्रदेश में कृषक सदस्यों की उपज का न्यायोचित मूल्य दिलाने का प्रावधान किया गया है। इस उद्देश्य हेतु शीर्ष स्तर पर $यू0पी10$ कोआपरेटिव फेडरेशन जनपद स्तर पर जिला सहकारी संघ तथा मण्डी स्तर पर प्रारम्भिक क्रय-विक्रय समितियों का व्यापक स्थागत ढाँचा निर्मित किया गया है। कृषि उत्पादनों के अलावा ये संस्थाये उत्पादनों की पूर्ति, उपभोक्ता सामग्री का विवरण, बन्धुओं का विधायन वितरण भण्डारण एवं उत्पादन भी करती हैं। प्रदेशिक सहकारी आन्दोलन का यह द्वितीय श्रोत है। उत्तर प्रदेश सहकारी संघ द्वारा प्रदेश में कुल वितरित रासायनिक उर्वरक के 40% भण्डारण एवं विक्री व्यवस्था की जाती है। प्रदेश में लगभग 4076 विक्री केन्द्र सहकारी उर्वरक विक्री केन्द्र के रूप में हैं। इस समय 1341 सहकारी कृषिपूर्ति भण्डारों द्वारा अच्छे बीजों का वितरण किया जाता है। इनके द्वारा लगभग 780 लाख कुन्तल सवाई बीज का वितरण किया गया है। 237

सहकारी क्रय-विक्रय समितियों कार्यरत है। सहकारी क्षेत्र में विद्यायन इकाईयों की की भी स्थापना कृषकों की आय में बढ़ि एव सुविधा हेतु की गई। इन इकाईयों की स्थिति निम्नवत् है।

शीत गृह	-	44
धान मिल	-	22
दाल मिल	-	19
तेल मिल	-	04
कृषि सेवाई केन्द्र	-	11

इनके अतिरिक्त 50 नये शीत गृह, 2 चावल मिल, 3 दाल मिल, 18 कृषि सेवाई केन्द्र तथा 10 वर्ष फेक्टरी के स्थापित किये जाने की योजना है। 6 शीत गृह निर्माणाधीन हैं। अधिक विद्यायन इकाईयों स्थापित किये जाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं जिससे कृषकों को कृषि उपज का अच्छा मूल्य दिलाया जा सके और उपभोक्ता को शुद्ध वस्तुये उचित मूल्य पर दिलाई जा सके।

प्रदेश की जनता को न्यायोचित दर पर उपभोक्ता सामग्री दिलाने का कार्य सहकारी उपभोक्ता ढाँचे द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश स्तर पर केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार, सहकारी संघ, जनपद स्तर पर प्रारम्भिक एव केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार नियन्त्रित एवं आवश्यक वस्तुओं का वितरण कर रहे हैं। प्रादेशिक उपभोक्ता संघ प्रदेश में अपनी- 17 शाखाओं के माध्यम से थोक वितरण का कार्य करता है। केन्द्रीय भण्डार थोक एवम् फुटकर दोनों व्यवसाय में तल्लीन है। ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता सामग्री का वितरण प्रारम्भिक साख समितियों के माध्यम से कराया जा रहा है। नगरों के अनेक भागों में आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य प्रारम्भिक उपभोक्ता भण्डारों तथा जनता दुकानों

के माध्यम से कराया जा रहा है। प्रदेश के बड़े - बड़े नगरों में सुपर बाजार अपना बाजार बड़े स्तर पर उपभोक्ता सामग्री का फुटकर व्यवसाय कर रहे हैं। मूल्य नियन्त्रण की दिशा में इन बाजारों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभायी जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में सुपर बाजारों की रख्या 5 ऐं अधिक है। ग्रामीण उपभोक्ता योजनान्तर्गत 171 लीड एवं 3483 लिंक समितियों कार्यरत हैं। 3275 सस्ते गल्ले की दुकानें सहकारी संस्थाओं द्वारा चलायी जा रही हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं द्वारा 270 13 लाख रूपये की उपभोक्ता वस्तुओं जनता को वितरित की गई। उक्त क्षेत्रों की भौति प्रदेश में सहकारिता का विकास अन्य क्षेत्रों में भी उत्तरोत्तर हो रहा है। दुग्ध उत्पादन व वितरण, ग्रामीण उद्योग, नगरीय अधिकोषण, गृह-निर्माण आदि प्रमुख हैं।

राज्य की 1981-82 तक अल्पकालीन ऋण की पूरी आवश्यकता 415 करोड रूपये निर्धारित की गई। छठी पच-वर्षीय योजनान्तर्गत 355 करोड रूपये अल्पकालीन ऋण के वितरण की योजना थी। 5 लाख से अधिक के व्यवसाय करने वाली साधन सहकारी समितियों को किसान सेवा समितियों के रूप में परिवर्तित किया गया। 1982-83 के अन्त तक 400 किसान सेवा समितियों को संगठित किया गया। प्रारम्भिक सहकारी समितियों के सदस्यता स्तर को 130-48 लाख तक छठी पच-वर्षीय योजनाकाल में बढ़ाना है। इन समितियों के अश पूँजी व निक्षेप में क्रमशः 7000 व 25000 लाख रूपये की वृद्धि की गई। छठी पचवर्षीय योजना काल में 125 करोड रूपये मध्य कालीन ऋण वितरित किये गये, जिसमें निर्बल वर्ग के लोगों को 30% आरक्षण का प्रावधान था। जिला सहकारी बैंक के संबंध में अश पूँजी एवं निक्षेप के स्तर को 82-83 के अंत तक 40 एवं 200 करोड तक किया गया। इस अवधि में इन बैंकों की 177 अतिरिक्त शाखायें खोली गई। 521 शाखाओं का आधुनिकीकरण किया गया। भूमि विकास बैंक की शाखाओं में 305 से अधिक की वृद्धि की गई। छठी पच-वर्षीय

योजनाकाल में 380 करोड रूपये दीर्घकालीन ऋण वितरित किये गये। 692,000 नई अल्प सिचाई योजनाये पूर्ण की गई। इनसे 32-10 लाख हेक्टेयर भूमि की सिचित क्षमता में वृद्धि की गई। इसके अलावा 3240 हेक्टेयर क्षेत्र में उद्यान लगाने, 180 दुग्ध विकास योजनाओं को स्थापित करने 8625 हेक्टेयर क्रय करने हेतु दीर्घकालीन ऋण की योजना को पूरा किया गया था। योजना काल में 49 नगरीय बैंक खोले गये थे।

सहकारी विपणन क्षेत्र में 30% कृषक परिवारों को समिति की सदस्यता में लाया गया तथा क्रय-विक्रय के व्यवसाय में 70 करोड की वृद्धि की गई। 20 नई क्रय-विक्रय की समितियाँ खोली गई। योजनान्त तक 250 करोड रूपये उपभोक्ता सामग्री वितरित की गई। 25 रिक्षा चालक व 57 बन पदार्थ समितियों के संगठन का प्रावधान हुआ था। हम कह सकते हैं कि प्रदेश के सामाजिक व आर्थिक उत्थाने में सहकारितान्दोलन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इतने से ही सहकारी बघुओं, अधिकारियों, कर्मिकों को संतोष कर लेने की आवश्यकता नहीं है। आन्दोलन में संगठनात्मक, वित्तीय प्रबंधात्मक एवं अनुशासनात्मक सुधार लाने की आवश्यकता है। यह कार्य निश्चय ही कठिन है पर सभी संबंधित लोगों के सहयोग, कार्य लगन एवं लक्ष्य सकल्प से इसे सुगम बनाकर सहकारी संस्थाओं के मध्य विभिन्न स्तरों पर विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग एवं समन्वय लाना अति आवश्यक है।

तालिका 5.1

उत्तर प्रदेश की सहकारिता प्रगति फ्ल पर (1974 से 79 तक)

क्रमांक	कृषकों एवम् कन्य को सुविधाये जो उपलब्ध की गई	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-
1-	कृषि ऋण समितियों में सदस्यता (लाख में)	67 20	69 95	72 31	76 31	85
2-	सहकारी ऋण समितियों की संख्या	21933	12994	9257-	8201	8201
3-	अल्पकालीन ऋण वितरण (करोड रुपये में)	71 03	91 35	123 90	143 72	165
4-	मध्यकालीन ऋण वितरण (करोड रुपये में)	3 77	3 74	11 76	15 25	16
5-	दीर्घकालीन ऋण वितरण (करोड रुपये में)	30 43	23 17	39 34	51 11	42
6-	ऋण की वसूली का प्रतिशत सदस्य व समिति के मध्य					
क-	अल्पकालीन ऋण/मध्यकालीन ऋण (प्रतिशत)	46 3	70 0	63 9	66 2	69
ख-	दीर्घकालीन ऋण (प्रतिशत)	74 0	83 8	76 0	73 4	72
7-	रिजर्व बैंक से अल्पकालीन की स्थीकृत ऋण सीमा					
क-	बैंकों की संख्या	47	50	55	55	55
ख-	धनरक्षि (करोड रुपये में)	36 60	66 35	82 17	99 97	111

क्रमांक कृषकों एवम् अन्य को सुविधाये जो उपलब्ध की गई

1974-75 1975-76 . 1976-77 1977-78

8-	शीर्ष बैंक के निक्षेप (करोड रुपये में)	55 17	75 30	104 66	118 73
9-	रिजर्व बैंक के एल टी ओ से याज्य साहेदारी हेतु प्राप्त वित्तीय सहायता(लाख स्टोर्मे)	66 815	91 32	232 50	340 09
10-	पूर्व निर्भित शीत गृह भण्डारों की कुल संख्या	25	34	36	41
11-	नियक्ति कर्पोरेट का व्यवसाय (करोड रुपये में)	21 51	20 38	12 11	9 29
12-	गेहूँ क्रय (लाख टन में)	3 20	9 68	1 95	6 20
13-	उर्वरक वितरण ए- मूल्य(करोड रुपये में)	31 25	40 00	55 93	80 40
	बी- तत्व (मीटन में)				
	एन० -	97007	102364	116918	167283
	पी० -	14182	19075	26295	43729
	कें० -	11267	9769	13932	22426
14-	शामीण गोदामों की संख्या	1108	1251	1405	2069
15-	जिला सहकारी बैंकों की शाखाये मुख्यालय रहित	633	681	770	861

समितियों द्वारा सदस्यों को देय अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण क्रमशः 1950-51 में 2 28 करोड रूपये, 1960-61 में 30 98 करोड रूपये, 1970-71 में 51 34 करोड रूपये, 1975-76 में 95 09 करोड रूपये, 1976-77 में 135 67 करोड रूपये, 1977-78 में 157 97 करोड रूपये तथा 1978-79 में 180 31 करोड रूपये दिये गये थे।

उत्तर प्रदेश एक विशाल जनसंख्या, समतल भूमि और प्रकृति अनुकूलित प्रदेश है। इसके पर्वतीय भाग अनुपम सौन्दर्य और अथाह वन-सम्पदा से युक्त है। प्रदेश का मैदानी भाग कृषि और उससे सबैधित उद्योगों के लिए पूर्णरूप से अनुकूल है। इसके बावजूद भी यह शास्त्रीय कारण है। प्रदेश की 90% जनशक्ति छोटे-छोटे गाँवों में विभक्त है। इसका मुख्य उद्योग कृषि है। कृषि का पिछड़ापन भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का मात्र कारण एक ही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्राम प्रधान व्यवस्था ही इस प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर कर सकती है। ग्राम - प्रधान अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन की सुदृढता के लिए सहकारिता से बढ़कर अन्य कोई विकल्प नहीं है। अस्तु प्रदेश की सहकारिता का विकास प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास से ही प्रदेश का आर्थिक विकास सम्भव है। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सहकारी साख समितियों स्तम्भ का कार्य करती है। प्रदेश के सहकारी ढोचें को सुदृढ़ और विकासोन्मुख बनाने के लिए समय-समय पर अनेक विकास किये जाते रहे हैं जिससे सहकारी साख स्थाओं को ग्रामोन्मुखी बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढता प्रदान करने का अविकल्पित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

ग्रामोन्मुखी सहकारी ऋण व्यवस्था को सुदृढ़ और व्यापक रूप देने के लिए बारह सूत्रीय कार्यक्रम अपनाया गया। इसमें सहकारी समितियों को न्याय पंचायत स्तर

पर पुर्नगठन, इनमे पूर्णकालिक सचिवों की नियुक्ति प्रबंधकीय अनुदान की व्यवस्था समिति के लिए गोदाम और कार्यालय भवन का निर्माण, समितियों की आर्थिक दशा सुधारने के उद्देश्य से अशपैंजी का विनियोजन, इनकी वार्षिक योजना तैयार करना जिला सहकारी बैंकों को 'नाम ओवर इयूज कवर' बनाये रखने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, निर्बल सहकारी बैंकों का पुर्नगठन निक्षेप एकत्र करने के लिए अभियान चलाया, इस कार्य के लिए सहकारी बैंकों की शाखाओं पर काउन्टर आदि की सुविधा प्रदान करना, प्रबंधकीय क्षमता में वृद्धि लाने के लिए बैंकिंग प्रशिक्षण तथा रिश्क फण्ड की व्यवस्था की गई है। सार्वजनिक सदस्यता के सिद्धान्त पर सहकारी अधिनियम में परिवर्तन भी किया गया है। ऐसा करने से जनसामान्य की समिति में सदस्यता के लिए किसी समिति का सचालन मण्डल बाधा डाल नहीं सकता है।

सहकारी समितियों के कार्यों में अधिकाधिक न्याय, निपुणता, कार्यक्षमता और प्रमाणिकता उत्पन्न करने की दृष्टि से प्रशासनिक ढाँचे में विशेष सुधारात्मक परिवर्तन लाये गये हैं। प्रशासनिक नियंत्रण हेतु पृथक-पृथक तीन प्राधिकारी सघों का गठन किया गया है। इस प्रकार समिति के सचिवों, सहकारी पर्यवेक्षकों तथा बैंक के प्रशासनिक सचिवों के प्रशासनिक नियंत्रण की सुदृढ़ता प्रदान की गई है। कृषि उत्पादन हेतु सहकारी समितियों से सहकारी ऋण, सदस्यों को आवश्यकतानुसार सुलभ कराया जाता है। अल्पकालीन ऋण फसल के लिए 12 माह तक आवश्यकतानुसार प्रदान किये जाते हैं। यह ऋण जुलाई के पूर्व बैंकर फसल तैयार होने के बाद आदायगी की जाती है। मध्य कालीन ऋण 2-5 वर्ष के लिए दी जाती है। यह ऋण कृषि यत्रों की मरम्मत, खरीद, सिचाई साधनों का निर्माण करने, गोबर गैस प्लॉट लगाने तथा पशु क्रय हेतु दी जाती है। आद्या एकड़ खेत वाले किसानों के लिए खेतिहर मजदूरों तथा अन्य कार्य में लगे अन्य कागजोर वर्ग के सोगों हेतु जन्ग-गृन्तु, बीगारी, शिक्षा, विवाह आदि कृत्यों के लिए उपभोग ऋण प्रदान करने की व्यवस्था है किन्तु सर्वाधिक बल कृषि हेतु दिया जाता है।

कृषि उपज का समुचित भण्डारण एवं वैज्ञानिक भण्डारण एक अतिआवश्यक कार्य है। इस कार्य को सहकारी क्षेत्र में तत्परता के साथ अपनाया गया है। इस पुनीत कार्य हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम तथा सरकार से ऋण एवं अनुदान प्राप्त करके ग्रामों तथा मण्डी स्थलों पर गोदामों का निर्माण किया गया है। इस कार्य में प्रियंक बैंक परियोजना का कार्य सराहनीय है। उपभोक्ता सहकारी समितियों का सहकारी आन्दोलन में एक विशिष्ट स्थान है। ये समितियों उपभोक्ता सामग्री के कृत्रिम अभावों को समाप्त करने तथा खाद्य वस्तुओं की शुद्धता बनाये रखने में एक अति महत्वपूर्ण भूमिका जदा कर रही है। उपरोक्त विवेचन से हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सहकारिता का विकास तीव्र गति से हुआ है। आशा एवं विश्वास किया जाना चाहिए कि निकट भविष्य में राहकारिता देश की अर्थव्यवस्था को 'गुद्रुढ गार्ग' का आधार प्रदान कर मार्ग प्रशस्त करके ही रहेगी।

1. राहकारितान्दोलन में जुऐ तापाण गगाज गेपियों की निर-परिविन वाणी से यह मुख्यरित है कि भारत में सहकारितान्दोलन के अभ्युदय के बाद उत्तर प्रदेश में सहकारी आन्दोलन का स्थापित करने में पी सी यू के गठन के उपरान्त सहकारितान्दोलन सचालन हेतु सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश सहकारी सघ की स्थापना ।। जून 1943 को हुई थी। सघ के गठन के सबध में श्री राजेश्वरी प्रसाद की अभिव्यक्ति यह है कि जब वे सहायक निबधक सहकारी समितियों ३०प्र० मेरठ थे और श्री एन०बी० बनर्जी, आई सी एस जिलाधीश थे, तब 1941 के शरद काल में जिलाधीश ने उन्हें बुलाया था। द्वितीय विश्व युद्ध की विभिन्निका से त्रस्त अकाल ग्रस्त मेरठ में 'आटा' वितरण की जिम्मेदारी 'डिपो' खोलकर उन्हें दी गई थी। इस कार्य को पूरी निष्ठा के साथ श्री राजेश्वरी प्रसाद जी ने पूरा किया था। जिलाधीश बहुत सतुष्ट हुए और इस वर्ष इस कार्य में 80 हजार का लाभार्जन भी किया गया। श्री सिद्दीकी हसन तत्कालीन निबधक, सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश एवं श्री राजेश्वरी प्रसाद के बीच विचार विनियम

हुआ कि इस 80 हजार लाभ की धनराशि जनकल्याण में खर्च किया जाय तभी प्रदेश स्तरीय विपणन सघ की स्थापना का विचार कर प्रादेशिक सहकारी विपणन सघ (पी एम एफ) जिसे आज उत्तर प्रदेश सहकारी सघ और १००% कोआपरेटिव फेडरेशन संक्षिप्त नाम पी सी एफ से जाना जाता है का निबध्न हुआ।

पी सी एफ ने वर्ष 1943 मे 178 सदस्यों की अत्यन्त अल्प पूँजी रु 13,600 मात्र से सहकारिता आन्दोलन मे भागीदारी प्रारम्भ की और 30 लाख का व्यवसाय किया। तब से अब तक पी सी एफ प्रत्येक वर्ष निरतर प्रगति के पथ पर प्रत्येक वर्ष नये आयाम और कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पी सी एफ ने वर्ष 1988-89 मे 708 77 करोड, वर्ष 1989-90 मे 825 95 करोड, वर्ष 1990-91 मे 994 76 करोड, वर्ष 1991-92 मे 1096 17 करोड और 1992-93 मे 1320 96 करोड रूपये का व्यवसाय किया। वर्ष 1993-94 मे 1500 करोड रु 0 तथा 1994-95 मे 1720 करोड रु 0 का अकल्पनीय व्यवराय किया। पी सी एफ की यह व्यवसायिक उपलब्धि वित्तीय नहीं अपितु प्रदेश के शोषित, पीडित, लघु एवं सीमात कृषकों, शहरी एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं की सेवा के रूप मे स्वीकार किया गया है।

उत्तर प्रदेश मे सहकारिता आन्दोलन के सबल आधार के लिए उत्तर प्रदेश सहकारिता सघ अपने अथक प्रयास से मासिक प्रतिवेदन (रिपोर्ट) की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की है - जो निश्चुलिखित है।

तालिका 5 2

उत्तर प्रदेश सहकारिता की मासिक प्रगति प्रतिवेदन (माह सितम्बर 93)

(धनराशि करोड रु०)

क्र स	नाम व्यवसाय	वार्षिक लक्ष्य	मासिक उपलब्धि	पूर्व वर्ष की मासिक उपलब्धि	माह के अंत तक की उपलब्धि	पूर्व वर्ष के माह के अंत की उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
1	उर्वरक	650	31 04	29 35	209 02	203 97
2	बीज	40	5 87	2 05	11 82	10 09
3	कृषि रक्षा उपकरण	1 20	0 06	0 03	0 45	0 57
4	कृषि यत्र	0 10	-	0 01	0 05	0 06
5	कृषि रक्षा रसायन	14 50	0 30	0 69	4 98	3 71
6	विपणन	30 00	2 39	0 74	23 84	30 96
7	मूल्य समर्थ योजना	145 60	0 11	-	291 84	19 67
8	लेवी चीनी	550 50	47 46	44 75	258 06	216 56
9	कोयला	5 00	-	-	0 51	02 92
10	पुष्टाहर	-	0 11	0 08	0 39	0 17
11	पामोलिन	-	-	0 01	-	0 16
12	सोयाबीन यूनिट	20 0	0 67	2 11	11 30	10 85
13	वनस्पति यूनिट	35 0	1 82	0 54	10 07	17 25
14	बिनको	0 50	-	0 10	0 11	0 55
15	सी0डी0ए०	0 30	0 04	-	0 15	0 06

1	2	3	4	5	6	7
16	रेजिनी फैब्री	0 10	-	-	0 42	0 18
17	प्रिटिंग प्रेस	0 75	0 09	0 05	0 35	0 34
18	फर्टीप्लॉट	0 60	0 30	0 10	0 38	0 17
19	कृषि यत्रशाला	0 10	-	-	0 01	0 04
20	बाम्बे शो रूम	0 20	0 01	0 02	0 05	0 07
21	भण्डारण	4 00	0 38	-	2 15	2 10
22	शीतगृह	1 45	0 04	-	0 24	-
23	अन्य विद्युत मोटर	0 10	-	0 01	0 02	0 07
योग		1500 00	90 69	80 64	826 20	520 52

2- बैंकटाचलम, वी० - ' यू०पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड सहकारिता आई ए एस विशेषांक, अक्टूबर - नवम्बर 93, पेज 18

पी०सी०एफ० की स्थापना के मुख्य उद्देश्यों में कृषि तथा सम्बन्धित उपजों का क्रय-विक्रय तथा विधायन, उन वस्तुओं का निर्माण तथा वितरण जिसकी आवश्यकता कृषकों को उत्पादक के नाते होती है। जीवन की मूल आवश्यकताओं की कुछ प्रमाणित वस्तुओं का वितरण और विकास कार्य जैसे - गोदामों तथा भण्डारों का निर्माण आदि है। पी सी एफ अपने इस मूल उद्देश्य में विस की कड़ी में पूरी तरह जुड़ा हुआ है। आज पी०सी०एफ० के निजी गोदाम जो जिला, तहसील एवं ब्लाक स्तर पर बनाये गये हैं, की संख्या 616 भण्डारण क्षमता 9054750 मी० टन है। साथ ही साथ 23 गोदाम भण्डारण क्षमता 53000 मी० टन निर्माणाधीन है। इस प्रकार पी सी एफ ने प्रदेश में भण्डारण सुविधा सुलभ कराने के लिए निर्धारित कार्याजनानुसार 639 गोदाम भण्डारण क्षमता 1107750 मी० टन उपलब्ध करायेगा। गोदामों की भण्डारण क्षमता के आधार पर पी सी एफ ने यू पी स्टेट वेयर हाऊसिंग कोआपरेशन की भी भण्डारण क्षमता से भी अधिक भण्डारण सुनित की है।

कृषकों के आलू फल आदि के भण्डारण के लिए पी सी एफ ने 14 शीतगृह भण्डारण क्षमता 52800 मी० टन स्थापित की है। एक शीतगृह महाराष्ट्र में स्थित बासी में स्थापित किया है। इसकी भण्डारण क्षमता 4000 मी० टन है। इस प्रकार पी सी एफ ने विकास की कड़ी में 15 शीत गृह भण्डारण, क्षमता 56,800 मी० टन सचालित करके सघ के द्वारा व्यापक रूप से खोल दिये गये हैं। विकास की ही कड़ी में पी सी एफ ने प्रदेश के विभिन्न अचलों में उत्पादन इकाईयों की स्थापना कर सचालन कर ही है। इन उत्पादक इकाईयों में जहाँ एक तरफ बेरोजगारी को रोजगार मिले हैं, वहीं दूसरी तरफ जीवनोपयोगी विरुद्ध गारन्टी युक्त वस्तुये भी सुलभ करायी गई हैं। पर्वतीय क्षेत्र में सोयाबीन एवं वनस्पति परियोजना हल्दूचौड हल्द्वानी, कोआपरेटिव रोजिन एवं प्रोसेसिंग फेक्ट्री हल्द्वानी, कोआपरेटिव इंग्स फेक्ट्री रानीखेत का सचालन किया जा रहा है। सोयाबीन एवं वनस्पति परियोजना का सचालन वर्ष 1985

से प्रारम्भ हुआ। इसमें सोयाबीन की घेराई की जाती है और दैनिक उपयोग के बरी एवं कवरी का उत्पादन किया जाता है। 15 किलो का टीन सोयाबीन के नाम से 5 किलों का डिब्बा एवं । किलों का पौली पाइच हिमालय नाम से आम जनता को उपलब्ध कराया जाता है। रोजिनी फेक्ट्री में लीसा की प्रोसेसिंग करके तारपीन का तेल तेयार किया जाता है। इंग्स फेक्ट्रीय में 138 किस्म की आरुर्वदिक दवाइयों, भस्म, आसव, तेल, दत्तमजन, च्यवनप्रास एवं तृप्ति पैय का उत्पादन किया जाता है। कृषकों को लाभकारी मूल्य दिलाकर तिलहन की खरीद करके वेजीटेबल इण्डस्ट्रीज काम्पलेक्स बदायूँ में सन् 1970 से की जा रही है। इसमें खाद्य तेल का उत्पादन किया जाता है। कृषकों को खाद की जरूरत पूरी करने के लिए फर्टिलाइजेशन ग्रेनुलेशन प्लान्ट बाराबकी में वर्ष 1978 से एफ पी के 15 15 71/2 का उत्पादन हेतु कृषि यत्रशाला यत्र मेरठ में 1982 से सञ्चालित है। मुद्रण के कार्य हेतु 32 स्टेशन रोड लखनऊ पर वर्ष 1958 से प्रिंटिंग प्रेस का सञ्चालन किया जा रहा है। इस प्रेस में अत्याधुनिक छपाई मशीन 'मोनोआफसेट' की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पी सी एफ द्वारा अनवरत् अविराम प्रयत्न जारी है।

तालिका 5.3

विभाग 5 वर्षों के व्यक्तिगत लक्ष्य की उपलब्धियाँ (1988 से 93 तक)

क्रमांक	व्यवसाय का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-	उर्वरक	175.08	245.93	250.00	323.00	325.00	355.00	425.00	540.94	500.00
2-	बीज	2.73	9.07	12.00	17.34	16.65	16.86	18.50	24.04	21.00
3-	कृषि रक्षा रसायन	-	0.46	0.80	2.66	3.0	3.51	3.85	8.13	4.25
4-	कृषि रक्षा उपकरण	-	0.46	0.60	0.80	0.56	0.56	0.60	0.96	0.70
5-	कृषि यन्त्र	-	0.09	0.35	0.24	0.30	0.20	0.55	0.28	0.25
6-	विद्युत मोटर	1.89	0.06	1.00	0.54	0.60	0.26	0.25	0.29	0.25
7-	विपणन	21.75	39.69	25.0	31.09	42.0	20.87	24.0	25.46	25.0
8-	गेहू़	147.80	27.99	165.0	48.19	156.0	156.26	36.0	36.80	35.0
9-	धान	-	-	-	-	-	0.074	-	-	-
10-	आलू विपरण	0.24	0.79	0.30	0.04	-	0.07	-	0.06	-

)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	लेखी - चीनी	308	80	336	47	325	0	344	38	350	0
12.	कोयला	2	68	7	21	3	0	5	40	8	0
13.	पुष्टाहार	-	-	1	50	1	83	-	2	78	-
14.	पामौलिन	-	-	-	-	-	-	2	59	-	4
15.	सोयाबीन यूनिट	7	90	7	86	10	0	0	54	12	54
16.	वर्जस्पति यूनिट	30	53	26	06	28	75	22	25	30	0
17.	चिनको	4	80	3	11	5	50	4	01	1	79
18.	सी0आरी0एफ0	0	49	0	39	0	75	0	24	0	75
19.	सी0आर0पी0 रोजिना	0	17	0	26	0	35	0	52	0	40
20.	प्रिटिंग प्रेस	0	57	0	60	0	65	0	57	0	72
21.	फर्टी प्लाट	1	22	0	39	1	00	0	37	1	0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	कृषि यन्त्रशाला		0 50	1 24	1 0	0 85	1 40	0 16	0 50	-	0 25
23	बांधे शो रुम	0 18	0 18	0 30	0 12	0 30	0 13	0 30	0 12	0 15	
24	राइस एवं दाल मिल	-	-	-	-	-	0 14	-	0 01	-	
25	शीत गह	-	-	-	-	-	-	-	1 46	1 37	
26	भण्डारण	-	-	-	-	-	-	-	2 81	3 75	
27	अन्य	-	-	-	10 79	-	1 08	0 90	12 08	0 40	
	योग	707 22	708.77	832 85	825 95	950 71	994 76	968 85	1096 17	1069 87	

3- बैंकटाचलम बी0, आई0ए0एस0 - 'यूपी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0' राहकरिता विशेषक, अक्टूबर - नवम्बर, 93

मूलत पी सी एफ प्रदेश की सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को कृषि निवेशों की आपूर्ति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं का विवरण भारत सरकार के घोषित समर्थन मूल्य पर गेहूं व धान आदि की खरीद तथा कृषकों से तिलहन, दलहन का विपणन प्रमुखत कर रहा है। पी सी एफ ने 1992 में 16 61 लाख मी० टन मूल्य रु 540 94 करोड, वर्ष 1992-93 में 16 18 लाख मी० टन मूल्य रु 681 75 करोड तथा वर्ष 93-94 में सितम्बर 93 तक 6 61 लाख मी० टन मूल्य रु 209 02 करोड रु० उर्वरकों का प्रेप्य किया है। कृषकों को 91-92 में 3580 मी० टन, 92-93 में 355। मी० टन व वर्ष 93-94 में सितम्बर 94 तक 3384 मी० टन जिक सल्फेट की आपूर्ति की गई है। अच्छी उपज हेतु तराई बीज एवम् विकास निगम से प्रभाणित बीज क्रय करके किसानों को उपलब्ध कराया गया। वर्ष 91-92 में 3 77 लाख कुन्टल मूल्य, रु 24 04 करोड, वर्ष 92-93 में 5 33 लाख टन कुन्टल मूल्य रु 11 82 करोड के बीज कृषकों को वितरित किये गये। 91-92 में 96 करोड, 92-93 में 1 27 करोड, 93-94 में 04 करोड के कृषि रक्षा उपकरण वितरित किये गये। 91-92 में 28 करोड, 92-93 में 08 करोड, वर्ष 93-94 में सितम्बर 93 तक .05 करोड कृषि यत्र वितरित किये गये। 91-92 में 8 13 करोड, वर्ष 92-93 में 19 92 करोड, 93-94 में 4 48 करोड के कृषि रक्षा रसायन वितरित किये गये। 91-92 में 29 करोड, 92-93 में 10 करोड, 93-94 में 02 करोड के विद्युत मोटर कृषकों को उपलब्ध कराये गये।

भारत सरकार के घोषित समर्थन मूल्य पर पी सी एफ द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से सीधे कृषकों से वर्ष 91-92 में 1360।। मी० टन, वर्ष 92-93 में 605 74 मी० टन एवम् 93-94 में 759625 मी० टन गेहूं क्रय की गई है। इस प्रकार कृषकों को समर्थन मूल्य का सीधा लाभ दिखलाया गया है। वर्ष 91-92 में 25 46 करोड, 92-93 में 44 68 करोड, वर्ष 93-94 में सितम्बर 93 तक 23 84 करोड मूल्य

के तिलहन, दलहन एवम् अन्य खाद्यान्नों की खरीद, कृषकों से क्रय-विक्रय करके किया गया है। सर्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पी सी एफ चीनी मिलों से लेवी की चीनी खरीद कर ग्रामीण क्षेत्रों में आर एफ सी एवम् शहरी क्षेत्रों में राशन की दुकानों के माध्यम से मासिक कोटा का वितरण करता है। भारत सरकार लगभग 55572 मी० टन मासिक कोटा उ०प्र० के लिए निर्धारित किया गया जिसे प्रत्येक माह मिलों से उठाकर उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जाता है। पकाने के लिए ईट भट्ठा मालिकों को स्लेक कोल, कोयले की दुकानों से या खदानों से मगाकर वितरित किया जाता है। शासन की बाल - विकास परियोजनाओं को साकार रूप प्रदान करने के लिए पी सी एफ बन्दरगाह से प्रदेश के विभिन्न अंचलों में पुष्टाहार के परिवहन एवम् विभिन्न जनपदों में स्थानीय स्तर पर पुष्टाहार की पूर्ति करता है। पी सी एफ के उत्तरदायित्व के आधार पर शासन के विभिन्न विभागों से आवश्यक तालमेल रखकर पच-वर्षीय योजना तैयार की गई है। आगामी ५वे वर्ष पी सी एफ लगभग 24 अरब का व्यवसाय कर सकेगा, ऐसी सरकार की कोशिश है।

उत्तर प्रदेश में वित्तीय साधनों की कमी तथा प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता है। उत्तर प्रदेश के किसानों की गरीबी एव उनका जीवन स्तर ऊँचा उठाने का एक मात्र सर्वात्म साधन सहकारितान्दोलन ही है। उत्तर प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन ने बहुआयमी प्रगति की है। इसलिए ग्रामीण जन-जीवन को भी उन्नत दिशा मिली है। सहकारितान्दोलन को सहकारी अधिनियम 1904 के अन्तर्गत संगठित करके अपने उद्देश्य आपसी सहायता से किसानों को कृषि धन का सही व्याज दरों पर ऋण प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश में सहकारितान्दोलन का विकास बहुत से क्षेत्रों में हुआ है। जैसे कि विपणन क्षेत्र, उपभोक्ता आवास, दुग्ध, गन्ना विकास, इससे आन्दोलन को लोकप्रियता प्राप्त होने के साथ ही साथ जनता का आन्दोलन (सहकारिता) के प्रति अट्ट विश्वास हुआ

कि सहकारिता माध्यम से ही जनता का विकास हो सकता है। शासन को भी इस बात की जागरूकता है कि शासन द्वारा जो धन विकास कार्यों पर खर्च किया जाता है, उसका सही उपयोग सहकारिता से ही सम्भव है। सहकारिता के धन से सहकारी संस्थाओं के माध्यम से जनता को सीधे लाभ पहुँचता है। सहकारिता के माध्यम से पूँजी निवेश का कम अपव्यय होता है। इससे धन का लाभ नीचे स्तर के लोगों को सीधे पहुँचता है। सहकारी संस्थाएं लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि इनका स्वरूप कल्याणकारी है। इन सभी संस्थाओं का एक मात्र उद्देश्य देश व प्रदेश विकास ही होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सचालित करने का निर्णय 1981 में लिया, जानते हुए कि इसका सचालन लाभ भावना से नहीं प्रगति व समझाव भावना से इंगित है। शासन ने इस विशाल कार्य हेतु सहकारी संस्थाओं को कोई वित्तीय सुविधा प्रदान नहीं की है। शासन संस्थाओं में नि सकोच निवेश के माध्यम से जनहित कार्य में लगा है। सहकारी संस्थाये किसी व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति न होकर जनता की अपनी सम्पत्ति होती है। इस प्रकार मेरे विचार से संस्था की स्थिति मजबूत होने से इसका प्रत्यक्ष लाभ जनता को ही पहुँचता है। सहकारी संस्थाओं का नेतृत्व जनतात्रिक है, सहकारी संस्थाओं का प्रबंध निर्वाचित, गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार संस्था के कार्य-कलापों से सीधे जनता प्रभावित रहती है। यदि किसी वजह से संस्था द्वारा ठीक से कार्य सम्पादित नहीं हो रहा है तो शासन को इन संस्थाओं पर नियन्त्रण भी है। जिस व्यवस्था के अन्तर्गत नियंत्रक सहकारी समितियाँ, मुख्य लेखा परीक्षक सहकारी समितियाँ, पुलिस अधीक्षक विशेष अनुसंधान शाखा सहकारी समितियों को कठिपय गडबडियों को पकड़कर दोषी व्यक्तियों को ढंडित भी करते हैं।

यद्यपि सहकारी आन्दोलन ने अप्रत्याशित प्रगति की है। फिर भी विकास कार्य अनन्त होने से बहुत कुछ कार्य होना बाकी है। सहकारिता में कृषि कार्यों हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जो कि सहकारी समितियाँ सम्पादित करती है।

सहकारी समितियों में कृषि ऋण व्यवस्था के अन्तर्गत सामूहिक जहरतों को पूरा करने के लिए कृषि उपज को कीटाणुओं तथा बीमारियों से बचाने के लिए ऐरियल स्प्रे की व्यवस्था की जाती है। इससे उचित मात्रा, सही ढग से छिड़काव तथा कम दवा खर्च में अधिक छिड़काव होता है। जानकार व्यक्ति द्वारा छिड़काव से इसके प्रयोग में भितव्यिता बनी रहती है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी सम्पन्न कृषक आज तक अपनी निजी भूमि हेतु विमान क्रय करके ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं पाया है जबकि यह आधुनिक कृषि प्रक्रिया मानी जाती है। अब सहकारी समितियों ग्रसर व हरवेस्टर कम्बाइंड के माध्यम से फसल को बहुत जल्द काटकर व मर्डाई कराकर कृषक को अपनी उपज का अनाज बाजार भेजवाकर जल्द पैदा, मुहेया करती है।

स्पष्ट है कि हमें उपरोक्त बातों का अमल करते हुए व्यक्तिगत से हटकर सामूहिक लाभकारी योजनाओं की ओर जाकर कैनाल से सिर्चाई की व्यवस्था, जल के क्रय एवं विवरण हेतु सहकारी समितियों कार्य करती है। सहकारिता के माध्यम से हम निजी नलकूपों को लगवाकर सार्वजनिक नलकूप से लाभ प्राप्त करें। गाँव में ईधन व प्रकाश की व्यवस्था के लिए गोबर गैस संयन्त्र तथा आधुनिक सौर ऊर्जा का संयंत्र प्रयोग किया जाता है। सहकारिता के माध्यम से कृषकों को विपणन सहायता समुचित मात्रा में विपणन समितियों से प्रदान की जाती है। विपणन समितियों का सामजस्य उपभोक्ता भण्डार तथा उपभोक्ता सघ से ही हो पाता है। उपभोक्ता भण्डार तथा उपभोक्ता सघ द्वारा कृषि उपज की गेहूँ, आलू, चना, मटर, धान की वस्तुओं का क्रय किया जाता है। विपणन में सहकारिता का योगदान से सेब, आलू उत्पादन विपणन हेतु शीर्ष स्थ्या का गठन किया गया है। सहकारी समितियों का किसानों से इतना मधुर सब्द है कि किसान अपनी उपज का घोषित मूल्य समिति को लिए ऋण का भुगतान करके करते हैं। मण्डी परिषद द्वारा सम्पादित कार्य को सहकारी समितियों द्वी श्रेष्ठता गुणाक पर कर पाने में सम्भव है।

शासकीय संगठन जैसे पुलिस, जेल, हरिजन एवं समाज कल्याण निरक्षरता आदि प्रचुर मात्रा में कृषि उत्पादन का उपभोक्ता सघ व उपभोक्ता भण्डार द्वारा करते हैं। चावल के उत्पादन व विक्रय पर शासन ने कई शर्तें प्रतिबंधित हैं। इसके नियन्त्रण हेतु शासन द्वारा खाद्यान्न निरीक्षण नियुक्ति प्राप्त किये गए हैं। आज प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों अपने को बहुधन्धी बनाये हैं। इससे ग्रामीण जीवन का केन्द्र बिन्दु सहकारी समितियों है। उपभोक्ता व्यवसाय को सुदृढ़ करके यह व्यवस्था करनी होगी कि सहकारी समिति स्तर पर ही कृषकों को आम जल्दत की चीजें समिति स्तर पर ही मिल जाय। समिति कृषक उपज क्रय करे तथा जहाँ आवश्यक हो उपज को भण्डारण व शीत गृह में रखने की व्यवस्था करें। समिति मिनी बैंक के रूप में कार्य करे, जहाँ कृषक अपनी अल्प बचत आसानी से जमा कर ऋण प्राप्त कर सके। इसके लिए यह जरूरी दोगा कि जो सुविधाये अल्प बचत योजना डाकघर उपलब्ध कराता है उसी स्तर पर सहकारी समितियों प्रदान करें। यदि सहकारी समितियों सुदृढ़ हो जाये तो मेरे विचार से पचायती राज व्यवस्था खत्म करके सहकारी समितियों को मान्यता प्रदान की जाय।

जनतांत्रिक प्रणाली की जो तीन स्तरीय व्यवस्था है उसके अन्तर्गत ग्राम सभा के बाद सबसे नीचे स्तर की सहकारी समिति कड़ी रूप में हो। यदि यह व्यवस्था मेरे विचार से हो जाय तो पचायती राज व्यवस्था को समाप्त करके सरकारी समितियों को तदनुसार मान्यता प्रदान की जाय इससे पचायती राज पर होने वाले खर्च से हम बचेंगे तथा पैसा हम सीधे विकास योजनाओं में लगा सकेंगे। इसके बाद की मेरी कल्पना यह होगी कि सहकारी समितियों अन्य ग्रामीण स्तरीय कार्यक्रम अपने जिम्मे लें, जैसे प्रौढ़ शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्यादि।

उपरोक्त बातें तो भावी कार्यक्रमों से संबंधित हैं। वर्तमान में सहकारी समितियों से जो कार्य किया जा रहा है वह अपने आप में महत्वपूर्ण एवं विशाल है। चूंकि

हमारा कार्य सामान्य आदमी से बहुचर्चित एवं सर्वधित है। परन्तु समाचार पत्रों एवं अन्य समाचार के श्रोतों में आन्दोलन की कमियाँ ही उभर कर आयी हैं और आन्दोलन द्वारा सम्पादित कार्यों की विशालता का मेरे विचार में पूर्ण ज्ञान न होने के कारण ऐसा हुआ है। यह ज्ञान लोगों को नहीं है कि प्रदेश में 8000 से अधिक प्रारम्भिक ऋण समितियों कार्यरत हैं, जिनके द्वारा 250 करोड़ से अधिक धनराशि अल्पकालीन ऋण में वितरित की जाती है। इतना ही धन सतुरित उर्वरक में वितरित होता है। सभी सहकारी संस्थाओं का व्यवसाय मिलाकर मेरे ख्याल से 1500 करोड़ का व्यवसाय एक वर्ष में किया जाता होगा। सहकारी समितियों पर बकाये की ऋण वसूली में अल्पकालीन पर 40%, मध्यकालीन पर 60% वसूली है। एकीकृत ग्राम विकास योजना में 82-83 से 35 करोड़ रूपये का वितरण किया गया जो सर्वाधिक सम्पूर्ण भारत में द्वितीय स्थान पाने वाले राज्य तमिलनाडू से पूरा दुगुना था। इसी प्रकार विशेष मात्राकरण योजनान्तर्गत 30% सहकारी बैंक की उपलब्धि सारे देश में अधिक थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 90% दुकानों का सचालन सहकारी संस्था द्वारा किया जा रहा है। गेहूं क्रय योजनान्तर्गत 50% से अधिक खरीद पीसी एफ द्वारा की जाती है। पर्यावरण क्षेत्रों में बूटी के विवरण, मार्किटिंग एवं विकास का कार्य सहकारी समितियों द्वारा ही किया जाता है। सहकारी समितियों को मेरे विचार से अपने प्रचार + प्रसार माध्यम से अपने द्वारा प्रदत्त सुविधाओं से जनता को अवगत कराये तथा अनेक सतुष्टिगुण से ही हमारी संतुष्टि व उपलब्धि हो जायेगी। ' सहकारिता द्वारा हमें अपने प्रेम की परिधि इतनी बढ़ानी चाहिए कि उसमें गौव आ जाय, गौव से नगर, नगर से प्रान्त हो इस प्रकार सहकारिता रूपी प्रेम का विस्तार सासार तक होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अचलों में सहकारी आन्दोलन का शुभारम्भ करते हुए (1904) सहकारिता के माध्यम से आसान किश्तों पर कर्ज दिलाने की व्यवस्था अधिकारिक रूप से शुरूआत वर्ष 1904 में " सहकारी ऋण समिति " बनने से हुई। यह अधिनियम

सहकारिता के सदर्भ में पहला कदम था। तत्पश्चात् सहकारी आन्दोलन बहुमुखी प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1965 नया सहकारिता एक्ट पारित किया गया। समस्त सहकारी समितियों उत्तर प्रदेश में इसी अपने कार्यों का निष्पादन इसी के अन्तर्गत कर रही है। सहकारिता विभाग के सगठन का दृष्टिकोण प्रदेश के विभिन्न अचलों में ग्रामीण तथा शहरी निर्बल जनता व निर्धन जनता को समृद्धि बनाते हुए उनके स्तर को ऊँचा उठाने का कार्य करती है। मार्च 1990 के अत तक 8663 ग्रामीण गोदामों का निर्माण किया गया। आलू वित्तीय वर्ष में 514 ग्रामीण गोदामों का निर्माण कार्य और किया गया।

सातवीं पंच-वर्षीय योजना के अंतिम वर्ष 1989-90 में विभाग का परिव्यय (आडिट) विभाग को छोड़कर) 20, 25, 32 हजार रूपये निर्धारित था। आठवीं पंच-वर्षीय योजना 1990-91 के प्रथम वर्ष यह परिव्यय 19,10,000 निर्धारित किया गया। 1988-89 तक 65% कृषक परिवारों को सहकारी समिति सदस्य बनाया गया। सहकारी वर्ष 1989 के जून तक अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण का वितरण क्रमशः 362, 19, 2783 तथा 119, 06 करोड़ रहा। 1988-89 में पुराने तथा निर्बल शीत गृहों के अलावा अशपूर्जी तथा ग्रामीण गोदामों को पूर्ण कराने हेतु राज्य योजनान्तर्गत सहायता दी गई। उपभोक्ता योजनान्तर्गत राज्य में उपभोक्ता भण्डारों को पुन गठित करने एवं उपभोक्ता वस्तुओं की उचित मूल्य पर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र एवं निगम द्वारा पुरोनिर्धारित योजनाओं के अन्तर्गत बड़े पेमाने पर राजकीय सहायता प्रदान की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ता समितियों के माध्यम से चीनी खाद्यान्न तथा मिट्टी के तेल आदि के वितरण का कार्य भी त्वारित गति से चल रहा है।

आलू उत्पादकों को व्यवसायियों द्वारा किये जा रहे शोषण से मुक्ति दिलाने हेतु प्रदेश सरकार के निर्णय पर विभाग में 'उ0प्र0 आलू विकास एवं वितरण सहकारी मंच

का गठन किया जा चुका है। इसमें कृषकों को उनके पैदावार का उचित मूल्य प्राप्त होता है। इस संघ को आत्म निर्भर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। वर्ष 1988-89 में राष्ट्रीय सहकारी विपणन द्वारा हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पुरोनिधानित योजनान्तर्गत संघ को सुदृढ़ करने हेतु ₹ 91,000 का धन विनियोजित किया गया है। इसी प्रकार संघ के व्यवसाय को वृद्धि करने हेतु 5,000 के अश का विनियोजन राज्य क्षेत्र में भी किया जाता है। प्रदेश में तिलहन उत्पादन एवं विपणन को व्यवस्थापक रूप देने हेतु "उत्तर प्रदेश तिलहन उत्पादन एवं प्रक्रियण सहकारी संघ" की स्थापना भी की गई है। इस संघ को 1988-89 में ₹ 5000 हजार की वित्तीय सहायता अनुदान रूप में दी गई है। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की सहायता से झासी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, फरुखाबाद, फतेहपुर एवं कानपुर जनपदों में तिलहन उत्पादनों की सहकारी समितियाँ बनाकर तिलहन विकास का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में निर्बल आजादी में 30% लोग (निर्बल वर्ग) और 30% अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग हैं, जिनके पास इतने साधन उपलब्ध नहीं हैं कि वे सहकारी ऋण संस्थाओं के सदस्य बनकर प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता से अपनी सहकरिता की परिधि में लाकर उनका सामाजिक स्तर ऊँचा उठाकर "स्पेशल कम्पोनेट प्लान" योजनान्तर्गत विभाग द्वारा व्याज रहित मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार की विकेन्द्रीयकरण वित्तीय नीति के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 में जिला योजना कार्यान्वयन की गई है। जिला योजनान्तर्गत वर्ष 1987-89 का परिव्यय ₹ 38,618 हजार तथा वर्ष 1989-90 में यह परिव्यय ₹ 32,232 हजार का ही निर्धारित किया गया है। वर्ष 1990-91 में यह परिव्यय 270,000 हजार प्रस्तावित किया गया था। भारत सरकार की ऋण राहत योजनान्तर्गत प्रदेश की सहकारी ऋण संस्थाओं के माध्यम से किसानों तथा अन्य वर्ग के लोगों को बोट गये ऋणों की लगभग 35,000 करोड़ रूपया

या इतने अधिक अतिदेयों को माफ करने से जो वित्तीय क्षति इन ऋण संस्थाओं की होगी, उनकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित रूप के अधार पर (50% केन्द्र सरकार तथा 50% राज्य सरकार) करने हेतु वर्ष 1990-91 में 350,000 रु0 हजार की व्यवस्था अनुदान के आय-व्यय में की गई है। इसे सहकारी क्षेत्र के माध्यम से उन्मुक्त किया जायेगा। इस योजनान्तर्गत कृषकों को, दस्तकारों को शिल्पकारों भूमिहीन ऋण संस्थाओं में लिये गये ऋण के 10,000 के अतिदेयों से राहत दिलाते हुए उन्हें माफ कर दिया जायेगा।

सहकारिता के विकास हेतु राज्य सरकारों ने यूरिया के प्रति बोरा मूल्य को बढ़ाने नहीं दिया गया। इसकी बिक्री पूर्ववत् 110 10 रु0 ही किये जाने के आदेश दिये गये थे। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि नगरीय सहकारी बैंक प्रत्येक जिला मुख्यालय पर स्थापित किया गया है। इनका लाभ छोटे उपभोक्ताओं को ही मिलता है। ऋण राहत योजनान्तर्गत सहकारी कर्जदार 36 लाख किसान परिवार लाभान्वित होंगे। किसानों को वर्तमान में दी जा रही बैंक सुविधा को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया है। इस वर्ष 650 गोदाम निर्माणाधीन हैं। इनके बन जाने के बाद इन गोदामों की संख्या 10,028 हजार हो जायेगी। भूमि विकास के माध्यम से 700 करोड़ रूपये ऋण वितरण का कार्य किया गया था। पहली बार बैंक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण कार्यों के लिए ऋण देने की व्यवस्था की गई थी। इसमें 8 करोड़ रूपये का प्रावधान भवन निर्माण हेतु उपलब्ध था। जनतत्र शासन में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए सहकारिता की प्रगति में उत्तरोत्तर साथ देना निश्चयत जरूरी है। इसके लिए मेरे विचार से सहकारिता को उतनी ही प्राथमिकता देनी होगी जितनी की उद्योग धन्यों व कृषि को दी जाती है। तब कहीं यह देश-व्यापी कार्य हाथ में लिया जा सकता है। समय कम है, जनता को स्वयं यह सहकारी काम का आनंदोलन हाथ में लेना चाहिए। इससे हमें कुछ समय तो मिल जायेगा और जनता सरकार को प्रेरित कर सकेगी।

अत इस सहकारिता प्रचार व प्रसार कार्य को तुरन्त हाथ मे सभी प्रदेश वासियों को उठा लेना चाहिए।

सहकारिता आन्दोलन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक प्रमुख राज्य है। यहाँ पर सहकारी आन्दोलन की शुरूआत देश मे फैले हुए ऋणग्रस्तता को कम करने के लिए हुआ। 1982 मे बम्बई राज्य मे सर्वप्रथम 'सर विलियम बेडरवर्न' ने कृषि बैंकों की एक योजना बनाई। यह योजना अधिक सफल नहीं हुई परन्तु अनेक राज्यों ने अनुसरण करते हुए सयुक्त प्रान्त (अब उत्तर प्रदेश) सरकार ने मि० ड्यूपरनेक्स ने 'योरोप मे सहकारी समिति के अध्ययन हेतु भेजा जिससे प्रदेश मे सहकारिता का विकास किया जा सके। मि० ड्यूपरनेक्स ने अपने प्रस्तावों को एक पुस्तक "उत्तरी भारत के लिए जन बैंक" के माध्यम से प्रस्तुत किया।

मि० ड्यूपरनेक्स के सुझावों के आधार पर प्रयोगात्मक रूप से कुछ समितियों का संगठन करके 1000 के सरकारी अनुदान के साथ शुरू किया गया था। 1904 मे ये समितियों अपनी 223 संख्याओं के साथ ग्रामीण बैंकों के रूप मे कार्य करके किसानों को सस्ते दर पर ब्याज का ऋण देकर उनकी वसूली करना था। इनकी ओसत सदस्यता और कार्यशील पैंजी 76 और 39। रूपये अर्थात् 5 रूपये प्रति सदस्य थी। 1904 मे देश मे सहकारिता साख अधिनियम समितियों के लिए पारित होने से देश मे सहकारितान्दोलन को वैधानिक दिशा मिली। इन समितियों को निबध्न 1905 मे शुरू किया गया। शुरू में बड़े आकार की समितियों का संगठन करके फिर बाद मे "एक गाँव एक समिति" को सर्वोत्तम संगठन माना गया। 1911-12 मे प्रान्त मे सहकारी साख समितियों अपनी 1946 संख्या तथा 99 हजार सदस्य संख्या एवम् 71.6 लाख कार्यशील पैंजी के रूप में कार्यरत थी। 1904 मे सहकारिताधिनियम मे कुछ कमियों से 1912 में पुन अधिनियम देश मे लागू किया गया। इस समिति मे केन्द्रीय समिति थी गेर-साख समिति को भी संगठित करके इनका वर्गीकरण दायित्वाधार पर सीमित और असीमित किया गया।

इस ऐक्ट के आने से केन्द्रीय बैंक की संख्या में वृद्धि हुई और जिला बैंक जो पहले शहरी बैंकों में (समिति रूप में) थे अब केन्द्रीय बैंक के वर्ग में रखे जाने लगे थे।

1913-14 में सहकारी आन्दोलन पर पहले अकाल फिर प्रथम महायुद्ध छिड़ जाने से बुरा प्रभाव पड़ा। 1915 में 'मैकलगान कमेटी' की रिपोर्ट पर सहकारी आन्दोलन प्रान्तीय सरकारों को सौंप दिया गया, इससे सुयुक्त प्रान्त की सरकार इनका शासन व प्रबंध करने लगी। सितम्बर 1925 में सुयुक्त प्रान्त की सरकार ने 'ओकडेन कमेटी' सहकारी आन्दोलन की असफलता को ज्ञात करने तथा सुधार हेतु सुझाव देने के लिए की। इसने प्रदेश में प्रान्तीय सहकारी यूनियन की स्थापना करने का सुझाव दिया। 1925-26 में देश में सहकारी समितियों की संख्या प्रान्त में 6,236 तथा सदस्य संख्या 1,65 लाख और कार्यशील पैंजी 1,89 करोड़ रुपये थी।

1926-39 में समय में ओकडेन कमेटी की संस्तुति पर सहकारी विभाग द्वारा पुर्नगठन की नीति अपनाई गई। 1928-29 में मदीकाल में शुरू होने से कृषि की स्थिति गम्भीर हो गई। 1929-30 में प्रथम भूमि बधक समिति की स्थापना गाजीपुर जिले के सेदपुर में की गई। 1933-34 में तीन और समितियाँ फेजाबाद, गोरखपुर तथा जालोन में तथा 1934-35 में एक और समिति जौनपुर जिले में स्थापित की गई। ये समितियाँ इस काल के अत तक चलती रहीं। इस काल की महान उपलब्धि 1928-29 में यू०पी० सहकारी यूनियन की स्थापना थी। 1938-39 के अत में सभी प्रकार की समितियों की संख्या 11,558 और सदस्य संख्या 6,85 लाख तथा कार्यशील पैंजी 32। करोड़ रु० थी।

1939-45 के द्वितीय महायुद्ध काल में विभिन्न प्रकार की गैर साख, समितियों की प्रगति हुई जैसे - उपभोक्ता समितियाँ, औद्योगिक समितियादि। 1944 में प्रान्तीय सहकारी बैंक की स्थापना की गई। इस काल में 2 अन्य शीर्ष संस्थाएँ जैसे प्रान्तीय

सहकारी विपणन और विकास सघ (1942-43) तथा प्रान्तीय ओद्योगिक सघ (1940-41) की स्थापना की गई। 1944-45 के अत तक प्रान्त में सभी प्रकार के सहकारी समितियों की संख्या 18,308 हो गई थी। इनकी सदस्य संख्या 7 57 लाख तथा कार्यशील पैूँजी 3 97 करोड रुपये हो गई थी।

1946-50 के उत्तर युद्ध तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त काल में सहकारी आन्दोलन का महत्वपूर्ण विकास हुआ। 1947 में देश स्वतन्त्र होने से प्रदेश में सहकारिताओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु सहकारी विकास योजना का व्यापक कार्यक्रम बनाया गया। जून 1948 में कृषि विकास कार्यक्रमों में तीव्रता लाने के लिए कृषि विभाग के 567 बीच गोदाम प्रान्तीय सहकारी विपणन सघ के माध्यम से खण्ड विकास सहकारी यूनियनों को सौंप दिये गये। 1948-50 की अवधि में 500 से अधिक उपभोक्ता भण्डारों का संगठन किया गया। इन्हीं शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः राशन के खाद्यान्नों का वितरण करना था। 1948-49 में सहकारी खेती में कार्य आरम्भ करके झाँसी जिले के 2 गांवों के 900 एकड़ भूमि पर सहकारी आधार पर खेती की गई। 1949-50 में 9 भूमि बन्दोबस्तु समितियों का संगठन किया गया। इससे सेना के कर्मचारियों, शरणार्थियों और राजनीतिक पीड़ितों के पुनर्स्थापना कार्यक्रमों को पूरा करना था।

प्रथम पंच-वर्षीय योजना (1951-52) में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहकारिता द्वारा पुनर्स्थापित करने पर जोर दिया गया। सहकारी साख तथा वितरण की योजनाये बनाई गयी। इसके अतिरिक्त अन्य योजनाये जैसे - सहकारी खेती, दुग्ध योजना आदि बड़ी संख्या में बनाई गई। सहकारिता पर । 37 करोड़ सरकार द्वारा विकास हेतु रखा गया। योजनाकाल में ही सहकारी साख सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित जिसके आधार पर द्वितीय पंच-वर्षीय योजना पर सहकारिता पर जोर दिया गया। प्रथम पंच-वर्षीय योजना में सभी प्रकार की समितियों की संख्या 55,638 सदस्य संख्या 38 लाख तथा कार्यशील पैूँजी 38 करोड रु० थी।

द्वितीय पंच-वर्षीय योजना (1956-61) में सहकारिता के समस्त विकास कार्यक्रम अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी की सिफारिशों को ध्यान में रखकर बनाये गये। इसमें सहकारी साख खेती, विपणन तथा भण्डारण, दुग्ध योजनाओं तथा प्रशिक्षण तथा शिक्षा पर 6.93 करोड़ रुपये खर्च किये गये। प्रत्येक गाव सहकारिता के क्षेत्र में लेने तथा 30 लाख सदस्य बनाने का प्रयास था। योजनाकाल में 6-1/2% दर पर 40 करोड़ रुपये वितरित किये गये। 100 सहकारी खेती समितियों स्थापित करके 1959 में प्रदेश में सहकारी समितियों (गन्ना तथा ओद्योगिक को छोड़कर) की संख्या 65 हजार थी। सदस्य संख्या 46.3 लाख तथा कार्यशील पैूँजी 117.57 करोड़ रु० थी।

तृतीय पंच-वर्षीय योजना (1961-66) में सहकारिता क्षेत्र पर तीव्र गति से विकास करने के महत्व पर अधिक बल दिया गया। इससे कृषकों, श्रमिकों तथा उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को विशेष ध्यान रखते हुए सामाजिक स्थिरता, रोजगार बढ़ाने तथा त्वरित आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साधन माना गया था। 35% ग्रामीण तथा 75% कृषक परिवार को सदस्य बनाकर 35 लाख नये सदस्य बनाये गये। 100 सहकारी विपणन समितियों गठित की गई। 100 श्रमिक समिति तथा 8 सहकारी समितियों रिक्षा चालकों हेतु सगठित की गई। 27 थोक उपभोक्ता भण्डारों की स्थापना 20 शाखाओं के साथ की गई। 4.50 खेती सहकारी समिति 45 जिलों में सगठित कर दी गई। 50 भण्डारागारों का गठन किया गया। तृतीय योजना में समितियों की संख्या 48308 थी, सदस्य संख्या 68.81 लाख थी। निजी पैूँजी 53.59 करोड़ रु० तथा कार्यशील पैूँजी 235.07 करोड़ रु० थी।

चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना (1969-74) आन्दोलन में स्थिरता बनाये रखने के साथ विकास पर बल दिया गया। इस योजना के प्रमुख लक्ष्य एवं उपलब्धियों इस प्रकार थीं।

तालिका 5 4

चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना (1969 से 74 तक) लक्ष्य की उपलब्धियाँ

क्र0स0	मद कृषि साख	एकक/एकक	लक्ष्य	उपलब्धियाँ
1 -	स्वालम्बी समितियों का गठन	संख्या	2500	2605
2 -	सदस्यता	लाख मे	17	25
3 -	अशदान मे वृद्धि	लाख रु0 मे	550	1179
4 -	अश पूजी मे वृद्धि	" "	250	547
5 -	अल्पकालीन साख	" "	6000	6450
6 -	मध्यकालीन साख	" "	3500	3483
7 -	दीर्घकालीन साख	" "	14000	11923
अन्य				
1 -	लघु आकार की प्रक्रिया का गठन	संख्या	8	8
2 -	ग्रामीण गोदाम	" "	200	375
3 -	क्रय-विक्रय समितियों का गठन	" "	7	10
4 -	कृषि यंत्रों का गठन क्रय	मिलियन रु0	315	522
5 -	सहकारी खेती समितियों का गठन	संख्या	40	49
6 -	सहकारी खेती समितियों का पुर्णगठन	" "	100	56
7 -	विश्वविद्यालय मे उपभोक्ता भण्डारो का गठन	" "	2	2
8 -	मध्यम प्रकार के फुटकर केन्द्रों का गठन	" "	20	11
4 -	तृतीय पंच-वर्षीय योजना, ग्रन्ता,डा० अम्बिका प्रसाद	" भारत मे सहकारिता आन्दोलन " उ०प्र० हिन्दी ग्रंथ	अकादमी, लखनऊ, 1977 पैज 389	

इस योजना में साधनहीन व आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के कृषकों को समितियों में अश क्रय हेतु बैको के माध्यम से अल्पकालीन ऋण प्रदान किये गये। इस योजना में सभी प्रकार के सहकारी ऋण वितरण में चेक पद्धति लागू की गई। चेक वितरण उद्देश्य में किसानों को ऋण नकद व वस्तुओं के रूप में समय से प्राप्त हो सके। दूसरी ओर ऋण वितरण की बुरी प्रणाली पर रोक लगाई गई। इसके अतिरिक्त, समितियों में अनियमितता व दुरुपयोग के मामलों की तत्परता से जाँच हेतु विभाग में पुलिस विशेष अनुसंधान शाखा स्थापित की गई। इस योजनात में सभी सहकारी समितियों की सच्चा (गन्ना व औद्योगिक समितियों को छोड़कर) 37 761 थी तथा सदस्य संख्या 93 55 लाख थी। इनकी निजी पैंजी 122 06 करोड रूपये थी तथा कार्यशील पैंजी 69। 66 करोड रूपये थी।

पचवर्षीय योजना (1974-79)- इस योजना का प्रमुख उद्देश्य समितियों का पुर्नगठन कर उन्हें स्वातंत्र्य बनाना, लघु एवं रीगात कृषकों के आर्थिक विकास हेतु योजनायें क्रियान्वित करना तथा इस वर्ग के लोगों को सहकारी समितियों के अन्तर्गत लाने हेतु तीव्र कार्यक्रम चलाना था। इसमें पूर्व गठित समितियों का विस्तार और उनको सुदृढ़ करने के कार्यक्रम भी सम्मिलित किये गये हैं।

वर्तमान स्थिति में 30 जून 1975 को समस्त प्रकार की समितियों की संख्या 36,985 थी तथा सदस्य संख्या 95 67 लाख थी। समितियों की निजी पैंजी 135।। करोड रु० तथा कार्यशील पैंजी 765 43 करोड रु० थी। प्रदेश का सहकारी आन्दोलन इस समय प्रत्येक सहकारी क्षेत्रों में प्रवेश किया है। एक ओर जहाँ कृषि सहकारी समितियाँ, दुग्ध उत्पादन समितियाँ, शीत गृह बनस्पति मिल, उर्वरक कारखाने आदि स्थापित किये गये हैं वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता सहकारी समितियाँ, रिक्शा चालक समितियाँ, विद्युत आपूर्ति समितियाँ, श्रम सहकारी समितियाँ गठित की गई हैं। इनमें से कुछ

प्रमुख क्षेत्रों में हम प्रदेश सहकारी स्थिति का वर्णन करता हूँ।⁵

तालिका 5 5

प्रमुख क्षेत्रों में उ0प्र0 सहकारी स्थिति का विवरण

क्र0सं0	साख		उपलब्धियाँ
1-	स्वाश्रयी समितियों का गठन	सख्या	4,200
2-	सदस्यता में वृद्धि	लाख रु0	30
3-	सदस्यों द्वारा अश पैंजी में वृद्धि	" "	600
4-	निक्षेप में वृद्धि	" "	500
5-	अल्पकालीन साख	" "	5,500
6-	मध्यकालीन साख	" "	2,500
7-	दीर्घकालीन साख	" "	19,000
अन्य.			
1-	क्रय-विक्रय समितियों का गठन	सख्या	27
2-	बड़ी, मध्यम, लघु आकारीय सहकारी प्रक्रिया समितियों का गठन	" "	91
3-	शीत गृह	" "	22
4-	सहकारी खेती समितियों का गठन	" "	100
5-	सहकारी खेती समितियों का पुर्नगठन	" "	100
6-	बड़े आकार के विभागीय भण्डार	" "	5
7-	लघु आकार के विभागीय भण्डार	" "	10
8-	फुटकर विक्री केन्द्र	" ..	72
5-	गुप्ता, डा० अम्बिका प्रसाद " भारत में सहकारिता " उ0प्र0 हिंदी ग्रन्थ अकादमी, लखनऊ 1977 पैज 39।		
6-	उ0प्र0 में सहकारिता - 1976 पर आधारित प्रकाशन निबधक सहकारी समितियों, उत्तर प्रदेश ।		

सहकारी कृषि साख के अन्तर्गत सहकारी समितियों द्वारा ऋण प्रदान करने का कार्य अल्प एवं मध्यकालीन ऋण तथा दीर्घकालीन ऋण के अन्तर्गत प्रदान किया जाता है। अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण व्यवस्था निस्तरीय है। ग्राम स्तर पर ग्रामीण ऋण साख समितियों, जिला स्तर पर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा प्रदेश स्तर पर ३०% सहकारी बैंक है। कृषि ऋण वितरण व्यवस्था को शीर्ष स्तर के रूप में ३०% राज्य सहकारी बैंक, अपनी १५ शाखाओं सहित कार्य स्तर पर है। जिला स्तर पर ५६ जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्य कर रहे हैं। इनकी ६०२ शाखाएं कार्य में लगी हैं जिससे किसानों को कृषि साख सुविधा दी जा सके।

अल्पकालीन ऋण मुख्यतः । वर्ष हेतु फसलोत्पादन हेतु दिया जाता है। मध्यकालीन ऋण ३ वर्ष से ५ वर्ष के लिए बेल, दुधारू पशु क्रय करने व पंपसेट लगाने, कृषि यंत्रों के क्रय करने आदि हेतु दिये जाते हैं। वर्ष १९७४-७५ में ७१.५८ करोड़ रु० अल्पकालीन ऋण तथा ३०६ करोड़ रु० मध्यकालीन के दिये जये थे। दीर्घकालीन साख हेतु किसानों की सुविधा में उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। इसने प्रदेश की प्राय हर तहसील, मुख्यालयों पर अपनी २०९ शाखाएं खोली हैं और इनके द्वारा ऋण वितरित करता है। ३० जून १९७५ तक बैंक ने १९४.९४ करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण वितरित किये हैं। इनमें से ९५% अल्प सिचाई कार्यों तथा शेष अन्य कृषि सबधी कार्यों हेतु दिया गया है। इस ऋण राशि से १५८,३५९ कुएं तथा ३३००० रहट १५५८२० पम्पिंग सेट १९५,६००० नलकूपों का निर्माण तथा १७,८१० ट्रैक्टरों का क्रय किया गया था।

प्रदेश के २६ जिलों में लघु सीमात कृषक सेवा अभिकरण कार्यरत है। इनमें एक-एक कृषक सेवा सहकारी समिति गठित की गई है। प्रधानमंत्री के २० सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत गोरखपुर, आजमगढ़, बाराबकी, रायबरेली, फर्रुखाबाद और मुरादाबाद

बैंकों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के निर्बल वर्ग किसानों को सुविधाये प्राप्त होती है।

सहकारी खेती छोटी जोत वाले कृषकों को सघन एवं आधुनिक खेती के लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सहकारी खेती एक ऐसी पद्धति है जो जनशक्ति एवं सीमित साधनों के एकीकरण द्वारा स्वेच्छा एवं प्रजातात्रिकाधार पर उपरोक्त समस्या का एक समाधान करती है। 30 जून 1974 को प्रदेश में 1320 संयुक्त खेती समितियों तथा 120 सामूहिक खेती समितियों थी। इनकी सदस्य संख्या 29,150 थी, जिसमें से 18,860 भूस्वामी तथा 10,280 भूमिहीन सदस्य थे। इनकी कार्यशील पैंगी 381.72 करोड़ रुपये थी। इनके पास भूमि 79.। हेक्टेयर जमीन थी इनमें से 573 ने लाभ पर कार्य करके 42 लाख रु0 लाभ अर्जित किया।

प्रदेश में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विपणन समितियों का गठन आरम्भ किया गया। इससे किसानों को मध्यस्थों से शोषण न हो उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाता है। इस समय देश में कुल 296 विपणन समितियों हैं। भण्डारण की दृष्टिकोण से किसानों को उनकी उपज का सुरक्षित एवं वैज्ञानिक विधि से संग्रह हेतु ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण गोदाम एवं मण्डी स्तर पर विपणन समितियों द्वारा गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। यह कार्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम तथा शासन द्वारा क्रृषि व अनुदान से प्राप्त धनराशि से किया जाता है। ग्रामीण गोदाम को 22,100 रु0 तथा मण्डी गोदाम हेतु 37,500 रु0 प्रति गोदाम सहायता दी जाती है। इसमें 62.5% क्रृषि एवं 37.5% अनुदान होता है। अभी तक शासन द्वारा 233 मण्डी गोदाम एवं 1584 ग्रामीण गोदामों हेतु निर्माण सहायता प्रदान की गई है। इनमें 194 मण्डी गोदाम एवं 1168 ग्रामीण गोदामों का निर्माण किया जा चुका है। प्रत्येक ग्रामीण एवं मण्डी गोदामों की भण्डारण क्षमता क्रमशः 100 टन व 250 टन है। पंचम पंचवर्षीय योजना में 1000 ग्रामीण

गोदाम बनाये गये थे। कृषि उत्पादकों को सुरक्षित रखने में भण्डारण कार्यक्रम में उ0प्र0 का भण्डारण निगम अभीष्ट स्थान रखता है। 31 मार्च 1976 तक प्रदेश में इस संस्था के 116 भण्डारागार एवं उप भण्डारागार प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। इनकी भण्डारण क्षमता 9 लाख टन थी। प्रदेश में 25 शीत गृह कार्यरत है जिन्हे 1975-76 में 27 46 लाख अशपूर्जी रूप में प्रदान किये गये हैं।

सहकारी प्रक्रिया के अन्तर्गत कृषकों को उचित मूल्य दिलाने तथा प्रक्रिया को सुविधा दिलाने हेतु स्थानीय आवश्यकतानुसार प्रदेश में गन्ना, धान, मूँगफली, रब तथा तेल आदि प्रक्रिया इकाइयों की स्थापना सहकारी क्षेत्र में करके इस समय 58 लघु आकार 34 मध्याकार तथा 2 मध्यमाकार की सहकारी प्रक्रियात्मक इकाइयों कार्यशील है। इसके अलावा 11 लघु आकार की इकाइयों को निर्मित किया गया है।

सहकारितान्दोलन के अन्तर्गत अधिकाधिक अन्न उपजाओं हेतु कृषकों को रासायनिक खाद उपलब्ध कराने हेतु देश में लगभग 2900 खाद विक्री केन्द्र चलाये जा रहे हैं। 1975-76 में 12 लाख टन नक्तनिक, 19000 टन फासफ्रेटिक और 9800 टन पोटाशिक खाद का वितरण किया गया। फसली ऋण योजनान्तर्गत ऋण का एक भाग उर्वरकों को वितरित किये जाने के कारण इस कार्य में तीव्र गति से वृद्धि व प्रगति हुई। 1975-76 में 40 करोड़ रु0 के अल्पकालीन ऋण खाद के रूप में बोट गये थे। इसके अलावा 26 हजार कुन्तल उन्नत गेहूं के बीज सहकारी बीज भण्डारों द्वारा बोटा गया।

बाजारों की प्रचलित अर्थव्यवस्था में उत्पादक से उपभोक्ता तक उपभोक्ता सामग्री पहुँचते-पहुँचते उसके मूल्य में यथेष्ठ वृद्धि हो जाती है। फलस्वरूप उपभोक्ता वर्ग को अधिक मूल्य देने पड़ते हैं। विकासशील भारत जैसे देशों में यह बात अधिक दृष्टिगोचर

होती है। अत निर्माणकर्ताओं से उपभोक्ता वर्ग को सरक्षण दिलाने हेतु मध्यस्थ व्यापारी वर्ग सहायक होते हैं। इस दिशा में उपभोक्ता सहकारी समितियाँ अचूक सिद्ध हुई हैं। ये राशन तथा नियन्त्रित वस्तुओं के उचित मूल्य तथा समान मूल्य पर वितरण का एक प्रभावी एवम् सशक्त माध्यम है। इस समय उत्तर प्रदेश के 52 नगरों में केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार तथा 1145 उपभोक्ता सहकारी भण्डार कार्य कर रहे हैं। केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डारों द्वारा वर्ष 1973-74 में 867 लाख रु० तथा वर्ष 1974-75 में 1512 रु० लाख मूल्य का व्यवसाय किया गया। लखनऊ, इलाहाबाद कानपुर, भेरठ एवम् देहरादून के केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों द्वारा नया बाजार (सुपर बाजार) चलाया जा रहा है।

प्रधानमंत्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के साढे तीन लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े नगरों तथा कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, भेरठ, लखनऊ, गाजियाबाद एवम् बरेली में औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों, विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज के छात्रों एवम् कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता समितियों पर विशेष बल दिया गया था। इसी प्रकार एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले 22 नगरों में स्थित विश्वविद्यालय, डिग्री कालेजों के छात्रावासों को दैनिक उपभोक्ता वस्तुओं की सपूर्ति व्यवस्था सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की मदद से करने की व्यवस्था की गई। यह योजना अगस्त 1975 से शुरू की गई और इसके अन्तर्गत अल्पावधि (जनवरी 76 तक) 19 76 लाख रु० मूल्यों की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति छात्रों एवम् कर्मचारियों को दी गई।

प्रदेश के नैनीताल जिले में दिल्ली योजना के अनुरूप आदर्श योजना 2 अक्टूबर 1975 से शुरू की गई। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में सहकारी संस्थाओं का अधिकाधिक उपयोग किया गया। इस जिले में 103 सरकारी सर्टें गल्ले की दुकानें सहकारी संस्थाओं को आवंटित की गई थीं। प्रत्येक उपभोक्ता

को वस्तुये वितरण हेतु विकास खण्डों में सहकारी समितियों खोली गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण का व वितरण का उत्तरदायित्व सहकारी विपणन समितियों, साधन सहकारी क्षेत्रीय समितियों तथा विकास संघों को सौंपा गया है। इन संस्थाओं द्वारा वर्ष 1973-74 में 8 करोड़ उपभोक्ता मूल्य की वस्तुओं को ग्रामीण अचलों में वितरित किया गया था।

4

नवम्बर 1972 से सरकार ने नियन्त्रित वस्त्र के वितरण का उत्तरदायित्व सहकारिता क्षेत्र को सौंप दिया था। इससे समाज के निर्बल वर्ग को राहत की सास मिली थी। इस योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश सहकारी उपभोक्ता संघ प्रदेश हेतु नियन्त्रित वस्त्रों का एक मात्र वितरक नियुक्त है। संघ नियन्त्रित वस्त्रों के थोक वितरण का कार्य 8। केन्द्रों के माध्यम से करना शुरू किया था। नियन्त्रित वस्त्रों की फुटकर विक्री हेतु प्रदेश में 6163 विक्री केन्द्र सहकारी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे हैं। इसमें 473 केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 1,433 शहरी क्षेत्रों में स्थित थे। ग्रामवासियों को नियन्त्रित वस्त्र सुलभ कराने हेतु 2 न्याय पंचायतों के मध्य एक फुटकर विक्री केन्द्र स्थापित किया गया था। वर्ष 1974-75 में 21 50 करोड़ रु० मूल्य का वस्त्र वितरित किया गया था।

प्रदेशीय स्तर पर सहकारी उपभोक्ता समितियों की शीर्षस्थ संचया उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ है। राज्य के 50 सहकारी केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार, 10 जिला सहकारी विकास संघ, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ व राज्य सरकार इसके सदस्य हैं। यह संस्था आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं को उत्पादकों तथा निर्माता से प्राप्त करके अपने सदस्य उपभोक्ता समितियों को उपलब्ध कराने एवम् उनके व्यापारिक पथ-प्रदर्शन का कार्य करती है। इस संस्था की इस समय पैंगी अशपैंगी 39 72 लाख रु० है। संघ का व्यवसाय निरतर बढ़ने से 1974-75 में संघ ने 284 80 लाख रु० का व्यवसाय

किया। बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत सघ ने नियन्त्रित कागज से तेयार की गई, अभ्यास पुस्तिकाओं की पूर्ति स्कूल तथा कालेज के विद्यार्थियों को किया। सघ सहकारी उपभोक्ता भण्डारों को सोडाएस, साइकल, टायर ट्यूब, साबुन, दाल, ब्लेड्स, बिजली के पखे तथा बैट्री, सेल आदि माग के अनुसार पूर्ति कर रहा है। उपभोक्ता सघ निकट भविष्य में अपनी नई शाखाये तथा फुटकर विक्री केन्द्र खोलकर अपने सदस्य उपभोक्ता भण्डारों को व्यवसायिक परामर्श देने एवं उनके मार्ग-दर्शन हेतु एक तकनीकी अनुभाग स्थापित किया।

आद्योगिक समितियाँ अपने कपास उत्पादकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु वर्ष 1964 में बुलंदशहर में 25,000 तकुओं की क्षमता की एक सूत्री मिल स्थापित की गई थी। यह मिल 1970 से 7,200 तकुये लगाकर कार्यरम्भ किया। इस समय मिल 12999 तकुओं पर कार्यरत है। मिल द्वारा 12860 तकुये और लगाने हेतु 185 लाख रु0 की योजना से 115 लाख रुपये भारतीय आद्योगिक विकास वित्त निगम से प्राप्त कराने हेतु निगम को राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति दी। मिल में 500 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं।

वनस्पति मिल जिला बदायूँ के वितरोई स्थान पर उत्तर प्रदेश सहकारी सघ द्वारा 3 चरणों में कार्य शुरू करके स्थापित की गई थी। इसी प्रकार की एक मिल हरदोई जिले में स्थापित की गई है। इसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने 66 67 लाख रु0 देकर 350 किलोवाट विजली स्वीकृत कराके स्थापित किया है। वर्ष 1972-73 में नेनीताल जिले में काशीपुर तथा सहारनपुर में रामपुर मनिहारिन में 10 लाख रु0 के अनुमानित लागत से चावल मिलों स्थापित की गई।

सहकारी क्षेत्र में फूलपुर, इलाहाबाद जिले में इण्डियन फारमर्स फर्टीलाइजर

कोआपरेशन द्वारा लगभग 150 लाख रु० से एक बहुत उर्वरक कारखाना किसानों के हितार्थ लगाया गया है। यह कारखाना लगभग 900 टन अमोनियम तथा 1500 टन यूरिया तैयार करता है। इस उर्वरक कारखाने में राज्य सरकार ने 6 करोड़ रु० विनियोजित अश में किया था।

प्रदेश में सहकारी संस्थाओं द्वारा 2 कृषि यन्त्र निर्माणशालाओं तथा ॥ कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना किया है। इन केन्द्रों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य छोटी जोत वाले किसानों को कम किराये पर जुताई हेतु ड्रैक्टर उपलब्ध कराना तथा कृषि यंत्रों की मरम्मत की सुविधा उपलब्ध कराता है। वर्ष 1976-77 में एक काटन स्पाइनिंग मिल्स, दो दाल मिलें, एक जूट वेंडिंग मिल्स तथा आयल काम्पलेक्स स्थापित किया गया।

उपेक्षित एवं निर्बल वर्ग के सहायतार्थ प्रदेश के नगरों में 362 श्रम सहकारी समितियां व 86 रिक्षा चालक समितियाँ पंजीकृत हैं। वर्ष 1973-74, 1975-76 तक श्रम सहकारी समितियों को । 10 लाख रूपये प्रबंधकीय अनुदान और । 63 लाख प्रबंधकीय विनियोजन तथा 3 33 लाख रु० कार्य सचालक हेतु ऋण शासन द्वारा प्रदान किया गया था। राज्य स्तर पर 1972-73 में उत्तर प्रदेश श्रम संविदा सहकारी सघ का गठन श्रम समितियों का मार्ग दर्शन हेतु उनकी समस्याओं का समाधान करने हेतु किया गया था, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 59 हजार रु० अनुदान । 50 रु० अशपौंजी प्रदान की गई। रिक्षा चालक समितियों में सदस्य संख्या 6,650 थी, इन समितियों द्वारा 3,745 रिक्षा सदस्यों को उपलब्ध कराये गये थे। राज्य सरकार ने इन समितियों को वर्ष 1974-75 में 3 75 लाख रूपये तथा वर्ष 1975-76 में 5 82 लाख रूपये की वित्तीय सहायता दी गई थी।

लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सपूर्ति करने में विद्युत सहकारी आपूर्ति

समिति कार्यरत है। समिति कार्यक्षेत्र में कुल 618 गाँव हैं, जिनमें सभी गाँव विद्युत आपूर्ति से भरपूर हैं तथा इन गाँवों में 2,295 नलकूपों, पम्पसेटो, 377 औद्योगिक इकाईयों, 5,729 घरेलू पंखा बत्ती व सड़क की बत्तियों के कनेक्शन इस समिति द्वारा दिये गये हैं।

सहकारी शिक्षा के अन्तर्गत सहकारिता के सिद्धान्तों, सहकारी समितियों के कार्य सचालन एवं सहकारी आन्दोलन के महत्व, उसमें होने वाले लाभों तथा विभिन्न क्षेत्रों में आन्दोलन द्वारा की गई प्रगति से जनसाधारण एवम् समाज के प्रबुद्ध वर्ग को अकात करने हेतु सहकारी शिक्षा प्रचार व प्रसार कार्यक्रम अत्यत उपयोगी व महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों को विषय ज्ञान व कार्यकुशलता एवम् दक्षता प्रदान करने हेतु 2 विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र बिलारी (मुरादाबाद) तथा कुडवार (सुल्तानपुर) में कार्यरत हैं। इन प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा अधीनस्थ कनिष्ठ वर्गीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों की बढ़ती हुई निरंतर संख्या तथा समस्त कर्मचारियों को शीघ्र प्रशिक्षित करने के उद्देश्य के महत्व को ध्यान में रखते हुए एक नया प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है। इसके अलावा सहकारी क्षेत्र में 2 महाविद्यालय एक राजपुर (देहरादून) तथा दूसरा मौसमबाग (लखनऊ) में कार्य कर रहे हैं। उच्च स्तरीय विभागीय एवं स्थागत अधिकारियों का प्रशिक्षण आर बी आई के कृषि ऋण विभाग तथा राष्ट्रीय सहकारी यूनियन द्वारा सम्पन्न होता है। सहकारितान्दोलन से जन-जागरण के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसकी भावी नीतियों एवं कार्यक्रम से जनमानस को लाभान्वित करने के उद्देश्य से समय-समय पर सहकारी प्रदर्शनियों, मेलों एवं गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है।

सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्यक्रम के अतिरिक्त सहकारी समितियों के सदस्यों, भावी सदस्यों और पदाधिकारियों, मन्त्रियों एवम् गणकों, को प्रशिक्षित करने

का काम सहकारी यूनियन द्वारा जिलों में कार्यरत 57 शिक्षा प्रशिक्षकों द्वारा किया जा रहा है। अप्रैल 1975 से 1976 तक 957 गणक मत्री, 4827 सदस्य, 11,167 गेर सदस्य अर्थात् कुल मिलाकर, 62,862 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। महिलाओं को सहकारिता के महत्व विशेषकर सहकारी उपभोक्ता योजना से अवगत कराने एवं उन्हे प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। स्कूलों तथा कालेजों के छात्र-छात्राओं तथा अध्यापिकाओं को सहकारिता की जानकारी कराने के उद्देश्य से 24 अध्ययन मण्डल का आयोजन कार्यक्रम भी शुरू है। इस आन्दोलन के व्यापक प्रचार एवं प्रसार हेतु प्रादेशिक सहकारी यूनियन, लखनऊ सहकारिता मासिक एवं साप्ताहिक पत्र एवं अक्टूबर विशेषाक प्रति माह, सप्ताह तथा वार्षिक प्रकाशित करता है।

सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल सहकारी संस्थाओं को कुशल एवं योग्य कर्मचारी उपलब्ध कराने तथा पक्षपात रहित चयन प्रक्रिया अपनाने एवं उनमें एकरुक्ता लाने के दृष्टिकोण से कार्यरत है। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भाँति अभ्यार्थियों के चयन की प्रक्रिया अपनाकर कुशल एवं योग्य कर्मचारी सहकारी संस्थाओं को उपलब्ध कराता है। वर्ष 1974-75 में 200 अभ्यार्थियों का चयन किया गया था, जिसमें 17 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी सम्मिलित थे। निर्बल वर्ग को विशेष सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सामान्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से साक्षात्कार शुल्क आधा लिये जाने का प्रावधान है।

उत्तर प्रदेश सहकारी न्यायाधिकरण के माध्यम से सहकारितान्दोलन में समितियों के सदस्यों तथा पदाधिकारियों के मध्य वादों को सुलझाने तथा सहकारी अधिनियम 1965 की धारा 97 एवं 98 के प्रावधानों के अन्तर्गत आदेश, निर्णय तथा अभिनिर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई हेतु उ0प्र0 सहकारी न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। वर्तमान समय में न्यायाधिकरण एक रादस्त्रीय है और इसके अध्यक्ष एक वरिष्ठ जिला जज है।

वर्ष 1973-74 में इस न्यायाधिकरण के समक्ष 12 अपीलें वर्ष 1974-75 में 35 अपीलें, वर्ष 1975-76 तक में 45 अपीलें, 76-77 में 56, 1978-79 में 81 तथा 1980 से 1989 तक में अब तक 779 अपीलें सुनी गई हैं।

सहकारी संस्थाओं से प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित है। इससे कृषि उत्पादन में उत्तरोत्तर बढ़िया हो रही है। सहकारी संस्थाये न केवल कृषि उत्पादन बढ़िया हेतु आवश्यक ऋण एवं साधनों की व्यवस्था कर रही हैं अपितु कृषि जन्य माल के विक्रय एवं प्रकृति द्वारा किसानों की आय बढ़िया की दिशा में अपना महत्वपूर्ण एवं सक्रिय योगदान दे रही है। नगरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों, वेतन भोगी समितियों, गृह निर्माण समिति, श्रम सहकारी समितियों, रिक्षा चालक समितियों नागरिकों की दैनिक आवश्यकताओं की उचित मूल्य पर पूर्ति करने, अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों को ऋण सुविधा प्रदान करने तथा समाज के निर्बल एवं साधनहीन वर्ग की आर्थिक दशा सुधारने व उन्हें सबल वर्ग के शोषण से बचाने की दिशा में सहकारिता आन्दोलन अपने अथक प्रयास से अनवरत् (देश, समाज व कृषि कार्य हेतु) कार्य कर रही है।

उत्तर प्रदेश में सहकारिता के कारण देश की कृषि अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। सहकारिता के कई समितियों की सहायता से कृषकों को कई महत्वपूर्ण सेवायें उपलब्ध कराई गईं, जिससे देश की तरकी में बहुत लाभ हुआ है। सहकारिता से देश में कई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना से कृषकों की आर्थिक उन्नति हुई है, जो आर्थिक विकास में सहायक हुई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सहकारिता न सिर्फ अधिक विकास में ही सहायक है, अपितु सामान्य क्षेत्र के विकास में भी सहायक है। सहकारिता देश में बधुत्व भावना के विकास के साथ ही साथ सामाजिक उन्नति में भी सहायक सिद्ध हुई है। इस प्रकार सहकारिता को पूर्णरूप से सहयोग देने पर देश में नई कृषि क्रान्ति आयेगी, क्योंकि भारत की प्रमुख अर्थव्यवस्था

कृषि ही है। कृषि कार्य में प्रगति होने से देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती होने के साथ ही साथ देश की आर्थिक उन्नति भी होती है। इस प्रकार सहकारिता से संस्थागत प्रयास के रूप में 'ग्राम-विकास' को गतिशीलता एवं स्थाइत्व प्रदान होता है। सहकारिता विकास के परिपेक्ष्य में "सहकारिता का" एक सबके लिए और सबके लिए " पर आधारित पारस्परिकता का विचार एवं कार्यक्रम है। सहकारिता राष्ट्र व समाज प्रत्येक अग को प्रभावित करती है। जीवन का हर पक्ष सहकारिता से प्रभावित होता है। सहकारिता से व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान होने के साथ ही साथ कुल उत्पादन में वृद्धि तथा सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को स्थाइत्व प्राप्त होता है। इस प्रकार सहकारिता सहकारी आधार पर नियोजित कार्यों से कहीं बढ़कर सामाजिक संरचना एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को संतुलन की दिशा प्रदान करती है। सामाजिक मनुष्य अपने उत्थान के लिए ही नहीं बल्कि अपनी नेतृत्व, सामाजिक और शारीरिक उन्नति हेतु भी सहकारिता को ग्रहण करते हैं।

उत्तर प्रदेश एक समाजवादी विधारधारा का लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर बेरोजगारी तथा गरीबी अधिक होने से 40% जनसख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रही है। यहाँ के लोगों की विचार धारायें व मान्यतायें होने से लोग व्यैक्तिक सम्पत्ति त्यागने के लिए तैयार नहीं हैं, जिससे उत्पादन का स्तर निम्न बना रहता है। हमारे प्रदेश में उत्पादन के समस्त साधनों का अनुकूलतम् प्रयोग नहीं हो पा रहा है। भारत में श्रम का अधिक्य होने से श्रम प्रधान उत्पादन प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार की सभी समस्याओं के निराकरण का माध्यम सहकारिता है। देश व प्रदेशों में सहकारिता के महत्व को महात्मा गांधी ने स्वीकार किया था। देश के समस्त राजनेताओं, मनीषियों, विचारकों, विशेषज्ञों तथा प्रशासकों ने सहकारिता के पक्ष में अपने - अपने उद्गार व्यक्त किये हैं। आधुनिक युग में सहकारिता के आधार पर ३०प्र० में नई-नई आर्थिक नीतियों, कार्यक्रमों व नियोजनों का ढौंचा तैयार कर समाज

को दिशा प्रदान किया है। सहकारिता स्वस्कृति रूप में विकसित होकर अधिक स्वाभाविक आकार को ग्रहण किया है। इसका महत्व आर्थिक से अधिक नेतृत्व व सामाजिक मूल्यों में है। ऐसी विचारधारा 'का सृजन सहकारिता है, जहाँ प्रत्येक नागरिक को स्वत योगदान की असीमित सम्भावनाये है। स्पष्टत सहकारिता का महत्व स्व-महत्व से सीधा जुड़ा है।

यदि " हम सहकारिता के माध्यम से व्यक्ति की स्वतत्रता को याद करते हैं तो व्यक्ति की स्वतत्रता को बनाये रखने तथा साथ ही मुनाफा एव सम्पत्ति बढ़ाने की धुन में डूबे समाज को छुटकारा दिलाने, व्यक्ति के प्रयासों में सफलता पाने, ढाँचे के निर्माण को सुदृढ़ बनाने में सहकारिता एक अचूक औषधि का कार्य करती है। "

आज हम स्वतत्रता का स्वर्ण जयन्ती वर्ष 44वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह प्रथम दिन 14 नवम्बर, 1997 आजादी के 50 वर्ष और सहकारिता के रूप में मना रहे हैं। यदि हम कहें कि यह आजादी सहकारिता की ही देन है तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। भारत में सहकारिता आन्दोलन लगभग एक शतक पुराना है। उत्तर प्रदेश में सहकारितान्दोलन एक लोकतात्रिक पद्धति एवं उद्दत्त जीवन मूल्यों पर आधारित एक सामाजिक, आर्थिक जनान्दोलन के रूप में जाना जाता रहा है। यह आन्दोलन मूल रूप से सहयोग की भावना पर आधारित एक ऐसा जनान्दोलन है जिसकी नींव दूसरों की भलाई में स्वयं अपनी भलाई निहित है, के आदर्श पर टिकी है। आज देश में सहकारिता ' हरित क्रांति से लेकर श्वेत क्रान्ति ' तक जो भी सफलता प्राप्त की है, उससे भारतीय किसान व ग्रामीण समुदाय में आशा की नई किरण का सचार हुआ है। वे सामूहिक प्रयासों से न केवल अभावों से उबर सकते हैं वरन् कृषि में हम आव्युतिक साधनों का उपयोग कर उत्पादन बढ़ाते हुए प्रगति के मार्ग पर चल सकते हैं।

हमारे प्रदेश में जब सहकारिता की बात होती है तब उसे साख आन्दोलन

तक ही सीमित कर चर्चा की इति श्री कर देते हैं। जबकि यह आन्दोलन प्रक्रिया और विपणन के क्षेत्र में उतनी ही अग्रणी है। सहकारी आवास सघ हो या उपभोक्ता भण्डार, सार्वजनिक विकास प्रणाली हो या ऋण वितरण हर क्षेत्र में सहकारिता ने जनमानस को लाभ पहुँचाया है। सहकारिता ने कृत्रिम मैहर्गाई, अनुपलब्धता, जमाखोरी से सदस्यों को लाभ पहुँचाया है। सहकारी आन्दोलन की निरतर वृद्धि आजादी के इन 50 वर्षों में देश में 35 लाख से अधिक सहकारी समितियों अपने 17 करोड़ से अधिक सदस्यता के साथ है। यह सफलता की परिचायक है। विश्व के किसी भी देश की सहकारी आन्दोलन की सदस्य सख्या भारत के बराबर नहीं है।

सहकारिता विश्व की समस्त प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं तथा राजनीतिक विचारधाराओं में विकसित हुई है। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में आर्थिक उदारीकरण सहकारिता हेतु आज संरक्षणात्मक व्यवस्था से हटकर स्वतंत्र एवं उन्मुक्त प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था में विकास की एक चुनौती है। 1950 में राहकारिता की उपलब्धियों ऐ यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि सहकारिता उच्च कोटि की गुणवत्ता, उत्पादकता एवं व्यवसायिक प्रबंध व्यवस्था से उच्च स्थान पर पहुँच चुकी है। हमें यह जान लेना चाहिए कि आजादी देश में सहकारितान्दोलन काफी सशक्त एवं समृद्ध हो चुका है। इसमें सदैह नहीं है कि सहकारितान्दोलन 21वीं सदी की चुनौतियों को भी स्वीकार करने में सक्षम हो गया है। इस प्रकार अत मे हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र सहकारी आन्दोलन जहाँ लोकतात्रिक मूल्यों को बनाये रखेगा, वही अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में भी यह अधिक सफल सिद्ध होगा। इस प्रकार इसमें कोई शक नहीं रह जाता है कि सहकारिता का स्वर्णिम युग आने वाला है।

सहकारिता के विभाग के प्रशासनिक ढाँचे को हम सहकारी समिति निवंधक विभाग, विभाग का विभागाध्यक्ष होता है। उसकी सहायता हेतु 5 अपर निवंधक व

एक सयुक्त निबधक नियुक्त होते हैं। निबधक के कार्यालय का कार्य विभिन्न योजनाओं के अनुसार अनुभाग में बैटा होता है। प्रत्येक निबधक को 4 या 5 अनुभागों का नियन्त्रण तथा उच्च पर्ववेक्षक का कार्य दिया गया है। अपर निबधकों के सहायतार्थ प्रत्येक योजना के लिए प्रथम श्रेणी का योजनाधिकारी नियुक्त है। इन्हे एक से अधिक योजनाओं का कार्य सौंपा गया है। (सहकारिता विभाग छह स्तरों - प्रादेशिक, मण्डलीय, जिला, तहसील, खण्ड व ग्राम) पर कार्य कर रहा है। सहकारिता सब्धी आकड़ा एक दृष्टि में।

तालिका 5 6

सहकारिता विभाग के प्रादेशिक, प्रांडलीय, जिला, तहसील, खण्ड व ग्रम स्तर पर सहकारी सब्जी आकड़े वर्ष 1985 से 1995 तक की स्थिति

क्र०सं०	विवरण	85-86	86-87	87-88	88-89	89-90	90-91	91-92	92-93	93-94
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-	सब प्रकार की सहकारी समितियों की सब्जी (गन्ना एवं औद्योगिक समितियों को छोड़कर)	20,574	20,574	20,576	20,576	20,629	20,644	20,431	20,437	20,437
2-	सदस्यता अभियान व्यवित्तन (लाखों मे)	151	27	159	00	165	21	169	63	169
3-	निजी टूंगी (करोड़ रु० मे)	371	15	383	15	391	25	394	04	401
4-	कारोबार पूँजी (करोड़ रुपये मे)	3267	75	3512	75	3529	96	4712	10	4347

चेत-‘उत्तर प्रदेश मे सहकारिता’ 1996 प्रकाशन रु०पी० कोपरेटिव यूनियन, पृष्ठ 148-149

उत्तर प्रदेश में सहकारिता की कर्तव्यन स्थिति (1985 - 99 तक)-

क्र०सं०	विवरण	85-86	86-87	87-88	88-89	89-90	90-91	91-92	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15													
1- सब प्रकार की सहकारी समितियों की संख्या(गन्ता और औद्योगिक समितियों को छोड़कर)																											
2-	सदस्यता व्यक्तिगत (लाखों मे)	151	21	159	00	165	21	159	63	169	75	173	00	189	28	193	22	202	56	212	56	218	89	219	91	220	8
3-	निजी पैमानी(करोड़ रु० मे)	371	15	383	16	391	25	394	04	401	20	401	94	404	76	437	01	438	01	439	01	440	99	450	90	481	7
4-	कारोबार पैमानी(करोड़ रु० मे)	3267	75	3512	75	3529	96	4712	1	4747	56	4797	06	5260	75	6108	87	7534	84	7798	80	7880	90	7981	81	7992	6

ऐत - 'सहकारिता आन्दोलन' उत्तर प्रदेश मे - वर्ष 1996 पृष्ठ १५० १५१ प्रकाशक, निबध्नक, सहकारी समितियों, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

षष्ठम् अध्याय

भारत मे दुर्घ सहकारी समितियो का अध्ययन

भारतवर्ष में दुग्ध व्यवसाय के विकास में कहा जाता है कि प्राचीन भारत में दूध की नदियों बहा करती थी। यह तत्त्व सत्य है कि असत्य यदि तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, परन्तु यह सत्य है कि इस समय भारतवर्ष में दूध का अभाव है। कारण अभी दुग्ध व्यवसाय पूर्णरूप से विकसित नहीं हुआ है। अभी तक दुग्ध उत्पादन गाँवों में एक या दो पशुओं को रखकर किया जाता है। केवल 5.1% भैंस ही शहरों में पाली जाती है जो कि भारत में समस्त भैंस के दुग्ध का लगभग 7% ही दूध पैदा करती है। वैसे हम जानते हैं कि गाँवों में गाय व भैंस दोनों ही प्रकार के पशु गाँव में पाले जाते हैं। भारत में गाय पालने के दो उद्देश्य हैं - उनसे कृषि हेतु अच्छे बैलों की उत्पातित तथा अपने परिवार हेतु दूध पैदा करना। भैंस केवल दूध व धी के उत्पादन हेतु पाली जाती है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि भारत में दुग्ध व्यवसाय भैंस के दूध पर अधिक निर्भर है। यह तत्त्व नीचे दिये गये आकड़े से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय शहरों एवं गाँवों में पाली जाने वाली गायों से क्रमशः 8,400,000 एवं 470,000 टन तथा भैंस से 10,060,000 एवं 690,000 टन दूध प्रति वर्ष होता है। संख्या की दृष्टि से हमारे देश का पशुधन अधिक है किन्तु गुण की दृष्टिकोण से यह धन अधिक उपयोगी नहीं है। भारत में 17 करोड़ 57 लाख से भी अधिक गाय - बैल और 5 करोड़ 12 लाख से भी अधिक भैंस है। गायों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। सन् 1956 की जनगणनानुसार भारत की पशु (गाय + बैल) संख्या 15 89 करोड़ थी और 1966 में यह 17 59 करोड़ हो गई। अत 10.7% की वृद्धि हुयी। इसी प्रकार दूसरे दूध देने वाले जानवरों की संख्या बढ़ी जो अग्रांकित सारण - 1 से स्पष्ट है ।

सारणी न 6 ।

1956 की जनगणनानुसार, दस वर्ष में भारत के पशुधन में वृद्धि (1956 - 66)

क्र स	पशु	पशु सख्या करोड में			सन् 1956-66 तक % वृद्धि
		1956	1961	1966	
1-	गाय + बैल	15 89	17 57	17 59	10 7%
2-	भैंस	4 49	5 12	5 28	17 5%
3-	भेड़	3 92	4 03	4 20	1 7 1%
4-	बकरी	5 54	6 08	6 45	16 4%

" भारत में गायों की यह सख्या ससार की गायों की सख्या का 25% तथा भैंसों की सख्या का 60% है। इस सख्या का अधिक भाग लाभदायक नहीं है। फलस्वरूप ससार के कुल दुग्ध पैदावार का लगभग 12% ही अपने देश में होता है। " । भारत वर्ष में लगभग प्रतिवर्ष 2 करोड टन दूध पैदा होता है। इसमें 40% गायों से 55% भैंसों से और शेष 5% दूध देने वाले अन्य पशुओं से आशा की जाती है। अकेले यू पी में 545 215 टन दूध प्रतिवर्ष पैदा होता है जोकि समस्त राज्यों में सर्वाधिक है। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम 89.170 टन दूध पैदा होता है। विभिन्न प्रदेशों दुग्ध उत्पादन सारणी 2 से स्पष्ट होती है। "

1- 1956 की जनगणनानुसार ।

2 " भारत में दूध की पैदावार का मुख्य कारण यहीं के प्रति पशु की कम दूध उत्पादन क्षमता है। जो कि 0.5 सेर गायों में तथा 1.5 सेर भैंसों में है। ² यहाँ पर एक गाय का प्रति वर्ष दूध उत्पादन औसतन 220 किलों तथा भैंस का 558 किलों है। यह विदेशी पशुओं से बहुत कम है। जैसे - नीदरलैण्ड में 422 किलो डेनमार्क में 2400 किलों, इंग्लैण्ड में 3000 किलो हैं तथा अमेरिका में 4250 किलों हैं। भारत में दूध की कम मात्रा पशुओं की खराब नश्ल, उनका आहार, चारे की कमी तथा उचित प्रबन्ध न होने के कारण है। देश में दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु अनेक प्रयत्न जारी हैं। अधिक दुग्ध उत्पादन हेतु केन्द्रीय व राज्य सरकारों की मदद से फार्म पर अच्छी नश्ल के पशु पाले जाते हैं। उन्नतिशील तरीकों से उनका विकास किया जाता है। पजाब में करनाल फार्म पर भारपारकर और लाल सिथी, देहली में साहीवाल, कृषि महाविद्यालय आनंद में कॉकरेज, सैनिक फार्म पर हरियाना, होसुर फार्म बगलोर पर गिर तथा कंगायाम, आरे दुग्ध बस्ती में मुर्रा नश्ल के पशुओं का पालन व प्रजनन होता है। इसके अतिरिक्त भारत में अच्छी नश्लों का आयात किया जाता है। इन पशुओं में स्स्करण (क्रास ब्रीडिंग) करके स्वदेशी पशुओं की दूध देने की क्षमता बढ़ाई जा रही है। ये आयातित मुख्य जातियाँ - जर्सी, हाल्सटन, फ्रीजन, एरसायर, क्रोसट्रोमसकाय (रूस), डेनमार्क की लाल गाय इत्यादि हैं। इस प्रकार अधिक दुग्ध उत्पादन हेतु हर सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

सारणी 6 2

भारत में गाय व भैंस के दुग्ध - उत्पादन का सन् 1960-61 की एक प्रमूलि

राज्य	भैंसों की संख्या (हजार)	कुल वार्षिक उत्पादन (हजार टन)	गायों की संख्या (हजार)	कुल वार्षिक उत्पादन (हजार टन)
आन्ध्र प्रदेश	2636	1081	3035	667
असम	142	35	1632	121
बिहार	1484	778	3770	1023
गुजरात	1523	1012	1656	553
जम्मू कश्मीर	193	59	595	51
केरल	110	44	924	175
मध्य प्रदेश	2172	575	6805	477
मद्रास	976	410	2284	604
महाराष्ट्र	1379	622	3968	700
मैसूर	1424	339	2582	238
उडीसा	194	58	2222	292
पंजाब	2073	1661	1600	610
राजस्थान	1763	920	4178	1664
उत्तर प्रदेश	5136	2969	5942	1142
पश्चिम बंगाल	224	128	3316	436
देहली	56	107	28	28
हिमाचल प्रदेश	128	60	358	30
मनीपुर	9	2	47	3
त्रिपुरा	14	2	132	10
अडमान निकोबार	2	नगण्य	2	नगण्य
लका एवं मालदीप	-	-	2	नगण्य
योग	21,641	10,862	40,578	8,635

हमारे देश में उत्पादन दूध का कम होने से समस्त प्राणियों को पीने के लिए दूध उचित मात्रा में नहीं मिल पाता है। प्रत्येक भारतीय को ओसत रूप से लगभग 187 ग्राम दूध प्रतिदिन मिलता है। वैज्ञानिकों के वृष्टिकोण से शरीर पोषण के लिए कम से कम 454 ग्राम दूध प्रतिदिन मिलना आवश्यक है। विश्व के अन्य देशों में भारत की अपेक्षा दूध का उपभोग प्रतिदिन अधिक है। यह हम सारणी 6.3 से स्पष्ट देखते हैं। नीचे दी हुई सारणी 6.3 से भारत एवं दूसरे देशों की पशु सख्या दूध का कुल उत्पादन प्रति व्यक्ति उपभोग का तुलनात्मक अध्ययन स्पष्ट है।

भारत एवं दूसरे देशों की प्रश्न सुख्या, दृश्य का कुल उत्पादन, प्रति व्यक्ति उपभोग का तुलनात्मक अध्ययन

देश	पशु स० (हजार)	जनसंख्या (हजार)	भौगोलिक प्रति वर्ग किमी०	पशु स० हजार वर्ग किमी०	दूध उपभोग प्रति व्यक्ति (ग्राम)	गाय का औसत औसत उत्पादन प्रति वर्ष के जी०	% कृषक सध्या	
आस्ट्रेलिया	15,229	8,479	7,616	2 ००	1 ८०	1,323	2,178	12(1950)
ब्राजील	52,655	53,377	8,417	6 २५	० ११	-	-	-
कनाडा	8,292	14,009	9,334	० ८४	० ५९	1,965	1,999	16(1956)
अर्जेंटाइना	41,268	17,644	2,775	14 ८७	२ ३४	-	-	-
भारत वर्ष	1,55,100	3,56,829	3,251	47 ७६	० ४३	229	187	70(1951)
न्यूजीलैण्ड	5,097	1,947	266	१९ १५	२ ६२	2,076	2,567	-
ओमेरिका	84,179	1,54,353	7,736	१० ८५	० ५५	1,875	1,460	13(1955)
हेल्समार्क	3,110	4,304	44	७। ५६	० ७२	1,394	2,400	94(1950)

दूध को काम में लाने वाली सबसे उत्तम तथा कम खर्च वाली विधि इसको तरल रूप में उपभोग करना है। देश के उन भागों में जहाँ दूध के सरक्षण व वितरण की व्यवस्था नहीं है, उन स्थानों पर इससे अन्य दुग्ध पदार्थ बना लिये जाते हैं। किन्तु लाभ कम मिलता है। नवीनतम् सूचनानुसार दिल्ली में 80% ताजे दूध की खपत है, प० बगाल में 69%, बिहार, जम्मू कश्मीर, केरल व मद्रास में 50% है। बम्बई, गुजरात, मध्य प्रदेश, मैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश में लगभग 33% है। आन्ध्र प्रदेश तथा असम में ताजे दूध की खपत सबसे कम 25% है। समस्त भारत में दूध (तरल) की खपत कुल उत्पादन का 39.8% के लगभग है। भारत में दूध तथा दूध से बने पदार्थों का उपभोग सारणी 4 में स्पष्ट रूप से दिये हैं।

सारणी 6 4

भारत में दूध तथा दुग्ध पदार्थों का उपभोग वर्ष (1961)

दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ	दूध की % मात्रा	उपभोग किये हुए दूध की मात्रा हजार टन में
दूध (तरल रूप में)	39.8 %	8,342.60
घी	38.8	446.70
मक्खन	6.08	87.80
दही	8.90	1608.60
खोआ (मावा)	4.72	205.50
आइसक्रीम	0.75	115.90
क्रीम	0.42	15.60
अन्य पदार्थ	0.48	22.30

भारत में कुल उत्पादन का मुख्य भाग तरल रूप में प्रयोग किया जाता है। शेष दूध से विभिन्न दुग्ध पदार्थ बनाये जाते हैं। सारणी 5 में विभिन्न प्रदेशों में दूध तथा दूध पदार्थों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। दूध की मात्रा आद्योलिखित वर्णित है।

भारत के विभिन्न प्रदेशों में दूध की वार्षिक उपभोग (हजार टन में)

1961 की पशु यथा के अनुसार

प्रदेश	कुल दूध दूध का तरल		दूध प्रदर्शन के लिए प्रयोग की हुई दूध की मात्रा		आइसक्रीम			
	उत्पादन	उपभोग	घी	दही	मक्खिन	खोआ	क्रीम	
।	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	1,782	713	631	210	210	18	-	-
असम	168	95	42	9	8	14	-	-
बिहार	1,915	986	607	230	69	23	-	-
गुजरात	1,629	523	852	127	89	23	10	5
जम्मू कश्मीर	115	59	39	16	500टन से कम	1	-	-
केरल	233	110	95	26	1	1	-	500 टन से कम
मध्य प्रदेश	1,093	366	586	80	33	25	1	2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
महाराष्ट्र	1,038	693	121	101	73	16	3	3	31
महाराष्ट्र	1,407	940	115	107	112	46	11		23
झेसउ	591	207	237	47	77	17	3		3
उडीसा	370	222	37	37	-	18	-		-
पंजाब	2,485	870	969	124	248	149	25		75
राजस्थान	2,524	883	1,136	252	51	177	-		25
उत्तर प्रदेश	4,212	2,106	842	211	295	421	84		211
प० बाल	517	269	47	52	26	10	5		5
केन्द्र शां प्रदेश	269	174	93	13	5	7	1	500 टन से कम	
योग	20,375	9,126	6,489	1,642	1,297	966	143		380

सारिपी ६६

भारत में दुर्घट पदार्थों का उत्पन्नन वार्षिक (हजार टन मे) (१९६। पश्च गणनानुसार)

प्रदेश	घी	मक्खन	दही	खोआ	क्रीम	आइसक्रीम	छेना
१	२	३	४	५	६	७	८
आन्ध्र प्रदेश	२९ २	१३ २	-	४ १	-	-	-
অসম	২ ।	০ ৫	১৮। ৪	৩ ৪	-	-	-
बिहार	३६ ००	५ २	७ ७	५ ८	-	-	-
गुजरात	४७ ३	५ ७	२०। ।	५ ७	० ५	१२ ।	-
जम्मू कश्मीर	२ ००	-	१०८ ६	० २	-	-	-
केरल	३ ९	० ।	१३ ८	० ।	० २	-	-
मध्य प्रदेश	२९ ४	२ ४	२२ ०	६ ।	३ ।	। ।	-
महाराष्ट्र	४ ७	४ ६	६४ ९	३ ९	२ ३	३ ९	-

	1	2	3	4	5	6	7	8
महाराष्ट्र	8 6	7 2	85 6	11 5	0 3	14 0	2 8	
मेसूर	11 6	4 8	91 4	4 4	-	3 6	-	
उडीशा	1 7	-	40 7	4 6	7 2	-	13 9	
पंजाब	58 9	18 5	31 4	32 1	3 2	31 1	6 2	
राजस्थान	56 8	3 5	119 6	44 2	21 1	-	-	
उत्तर प्रदेश	47 4	18 4	227 2	84 2	0 6	88 4	10 5	
प० बागल	2 5	1 7	179 0	2 3	-	6 5	23 3	
केरल शा० प्र०	5 1	0 3	11 0	1 5	-	0 9	0 8	
योग	347 2	86 1	1,427 0	214 1	38 5	161 6	57 5	

भारत में दूध का कुल उत्पादन 1956 में 1,95,83,902 8 टन था। अब यह उत्पादन 2,07,22,284 4 टन हुआ है। इस हिसाब से अमेरिका + रूस के बाद भारत का ही स्थान आता है। भारत की जनसंख्या अधिक होने से दूध की मात्रा प्रति व्यक्ति बहुत कम है। कुल दूध उत्पादन में से 7688744 टन दूध तरल में प्रयोग होता है। शेष उपरोक्त में दुग्धशाला उद्योग की सफलता दूध प्रति पर निर्भर है। सरकारी व निजी फर्मों पर पोषित नस्लों से यह सिद्ध हो चुका है कि भारतीय पशु क्षमता दूध में अन्य देशों से कम नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने अपनी 4 पच वर्षीय योजना में दुग्ध व्यवसाय को प्रोत्साहन दिया है।

4 प्रथम पच वर्षीय योजना में दुग्ध व्यवसाय को उन्नत करने के लिए भारत सरकार ने 78। लाख रु० खर्च किया था। इस रकम से 600 लाख रु० बम्बई में और मिल्क कालोनी ऐसे दुग्ध बस्ती के स्थापित करने में व्यय हुआ। इसी प्रकार दूसरी दूध योजना पूना, हुबली, धारावार में शुरू की गई। इसी काल में यू०एन०आई०सी०ई०एफ० तथा न्यूजीलैंड की सहायता से आनन्द जिला खेरा (गुजरात) में मक्खन, भी और दूध चूर्ण की फैक्ट्रियों भी स्थापित की गई। प० बगाल की सरकार ने दूध देने वाले पशुओं को कलकत्ता से निकालकर हेरिंगटा में बसाने पर लगभग 50 लाख रु० खर्च किया। मध्य प्रदेश में डेरियों की संख्या 7 से बढ़ाकर ।। कर दी गई। उडीसा सरकार ने भी अपने क्षेत्र में 8 डेरियों आरम्भ की। अन्य प्रदेश की सरकार ने भी डेरियों स्थापित की। इसने कर्नूल तथा गटूर में सहकारी दुग्ध सघ स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुई। मद्रास सरकार ने भी सहकारी दुग्ध वितरण योजनायें बनाई तथा सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता प्रदान की। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने 9 बडे शहरों में सहकारी दुग्ध सघ स्थापित किये। इसी प्रकार विहार में 3 सहकारी दुग्ध सघ स्थापित हुए। इन योजनाओं को शुरू करने के बाद यह अनुभव किया गया कि इनसे शहरों को अधिक लाभ नहीं हुआ। अत प्रत्येक शहर में एक दुग्ध मण्डल मिल्क बोर्ड

शुरू करने की योजना बनाई गई। साथ ही यह निर्धारित किया गया कि यह दुग्ध मण्डल अपने क्षेत्र में दुग्ध की समस्याओं का पूरा समाधान करेगा तथा दुग्ध योजनाओं को लागू शुरू करने में सहायक होगा। इसी योजनान्तर्गत अनुसधान हेतु अधिक सुविधाये देने पर भी विचार किया गया जिसके फलस्वरूप करनाल में एक 'राष्ट्रीय डेरी अनुसधान केन्द्र (नेशनल डेरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट) स्थापित किया गया। "

द्वितीय पच-वर्षीय योजना में प्रथम योजना की अपेक्षा दुग्ध व्यवसाय ने अधिक उन्नति की। भारत ने दुग्ध उद्योग को और अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1779 लाख रु0 खर्च किया था। कृषि कार्य पर खर्च होने वाली रकम का यह 52% था। इस रकम में 372 लाख रु0 की वह धनराशि सम्मिलित नहीं थी, जो योजना कमीशन (प्लानिंग कमीशन) ने दिल्ली एवं अहमदाबाद दुग्ध योजनाओं पर व्यय किया था। प्रान्तों के पुर्नगठन के बाद दुग्ध उद्योग पर व्यय होने वाली रकम में कुछ कमी करके यह धनराशि 209। 48 लाख कर दी गई थी। इस धनराशि को 3 प्रकार की योजनाओं पर खर्च किया गया था।

प्रथम इसके अन्तर्गत 52 बडे - बडे शहरों में दुग्ध सघ स्थापित किया गया था। स्थापित करते समय इन दुग्ध सघों की क्षमता इस प्रकार थी।

तालिका 6 7

भारत वर्ष के 52 बडे - बडे शहरों में दुग्ध स्रोतों की क्षमता

शहर	क्षमता
1 - अहमदाबाद, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई दिल्ली (5)	559 8615 से 2602 687 कुन्तल दूध प्रतिदिन
2 - बगलौर, हैदराबाद, लखनऊ, पूना, अमृतसर (5)	186 6205 कुन्तल दूध प्रतिदिन
3 - पटना, भोपाल, चण्डीगढ़, नागपुर ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर (7)	93 31022 कुन्तल प्रतिदिन
4 - अन्य 31 शहर जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक थी (31)	55 98622 कुन्तल दूध प्रतिदिन
5 - 4 अन्य शहर जिनकी आबादी 1 लाख से कम थी।	55 98622 कुन्तल दूध प्रतिदिन

ऊपर की दुग्ध योजनाओं की क्षमता को कायम रखने के लिए पर्याप्त मात्रा प्रतिदिन मिलती रहे, के लिए इन शहरों के निकटवर्ती गाँवों में दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों स्थापित की गई। पहले वर्ग के 5 शहरों में इन समितियों के अतिरिक्त दूध पशु कालोनी से भी प्राप्त किया जाता था।

द्वितीय, इसके, अन्तर्गत 12 क्रीमीज ऐसी जगहों पर स्थापित करना था।

जहाँ पर फालतू दूध को बाजार तक भेजने के उत्तम साधन पर्याप्त नहीं है। वहाँ पर इस दूध से मक्खन, घी, केसीन बनाया जा सके। इन क्रीमरीज में से प्रत्येक की कार्यक्षमता 74 8682 से 186 6205 कुन्तल दूध प्रतिदिन रखी गई। इसके अतिरिक्त 7 दुग्ध चूर्ण फैक्ट्रियों (मिल्क पाउडर फैक्ट्रीज) उन स्थानों पर आरम्भ की गई, जहाँ पर फालतू दूध की मात्रा अधिक उपलब्ध हो। इन फैक्ट्रियों को मक्खन, दूध, घी, चूर्ण एवं केसीन बनाने की वही सुविधायें दी गई जो सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ, आनन्द (कोआपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन, आनन्द) को प्राप्त थी। इनकी कार्यक्षमता 186 6205 कुन्तल दूध प्रतिदिन की थी। आवश्यकता पड़ने पर इन फैक्ट्रियों से बच्चों हेतु दुग्ध, चूर्ण एवं संघनित दूध (कन्सेन्ट्रेटेड) भी बनाया जाता था।

तीसरे, इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान (नेशनल डेरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट) करनाल एवं बगलौर को और अधिक उन्नति करने की योजना पूरी की गई। इसी प्रकार के दो और केन्द्र एक देश के पूरब तथा दूसरा परिश्चम में स्थापित किया गया था। इससे दुग्ध सधों तथा दुग्ध योजनाओं में कार्य करने के लिए करनाल में एक डेरी साइंस कालेज स्थापित है। क्रीमरीज फैक्ट्री अलीगढ़, बरोनी, झूनागढ़ में स्थापित है। चूर्ण फैक्ट्रियों विशेषकर अमृतसर तथा राजकोट में शुरू हैं।

तृतीय पच-वर्षीय योजनान्तर्गत डेरी योजनाओं के लिए 36 करोड रूपया खर्च किया गया। दुग्ध सध एवं फैक्ट्रियों स्थापित करने में डेरी - सज्जा (डेरी इक्यूपमेन्ट एण्ड मशीनरी) बनाने की सुविधा प्राप्त है। इस योजना में 4 फार्मों को डेरी स्थापित यंत्र बनाने के लिए लाइसेन्स प्राप्त है। इस योजनाकाल में 55 नई दुग्ध योजनाये, 8 क्रीमरी 4 दुग्ध पदार्थ फैक्ट्री, 2 पनीर फैक्ट्री स्थापित थी। इस काल में 2 योजनाये जिसमें से प्रत्येक की क्षमता 900 टन प्रतिवर्ष होगी, बच्चों के लिए दुग्ध चूर्ण बनाने लगी। इसी प्रकार 3 और योजनाये अपनी कार्यक्षमता 5300 टन से प्रतिवर्ष दोगी संघनित

दूध बनाना आरम्भ कर देगी तथा एक योजना 670 टन प्रतिवर्ष दुग्ध पेय (मिल्क बीवरेज) तैयार करने की भी बनाई गई।

चतुर्थ पच-वर्षीय के अन्तर्गत 34 नई दुग्ध योजनाये शुरू की गई। इनकी कार्यक्षमता 6,000 से 10,000 लीटर दूध प्रतिदिन थी। इसी प्रकार 57 दुग्ध सघ योजनाओं का प्रसार किया गया। यह अपने पूर्ण क्षमता से कार्य करता है। इसके अतिरिक्त 26 दुग्ध पदार्थ तथा क्रीमरीज, 198 ग्रामीण डेरी केन्द्र जिनकी क्षमता 500 से 4000 लीटर प्रतिदिन एवम् पशुओं के लिए चारा तैयार करने की 12 फैक्ट्रीज शुरू की गई थी। पशुओं के लिए चारे की फैक्ट्रीयों बड़ी डेरियों के सन्निकट शुरू की गई। इस पच-वर्षीय योजना में डेरी प्रसार कार्यक्रम शुरू करके ये अपने कार्य से सहकारी समितियों बनाने में सहायक होना, ग्रामीणों को दुधारू पशु क्रय करने हेतु ऋण देना, चारा बोटने हेतु यूनिट की स्थापना करना तथा प्रसार कार्यक्रम से कर्मचारियों की सहायता से अधिक दुग्ध उत्पादन में कृषकों की राष्ट्रायता करना द्वेष्टा है। गाय ही गाय द्वारा दूध उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया गया।

चतुर्थ पच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत अनुसधान शिक्षण के अन्तर्गत डेरी अनुसधान की अपनी विशेषता में पहले शुरू किये गये कार्यों को सुदृढ़ बनाने तथा अनुसधान कार्यक्रम में उन्हे प्रयोग में लाया जाय और उनके कार्यों को बढ़ावा दिया गया। केन्द्रीय क्षेत्रान्तर्गत 'राष्ट्रीय डेरी अनुसधान संस्थान' (नेशनल डेरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट) करनाल का विकास इसलिए किया गया ताकि वह डेरी उद्योग के विकास की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इस प्रकार सारणी 8 से विभिन्न प्रदेशों में जो दुग्ध योजनाये, ग्रामीण डेरीज तथा ग्रामीण क्रीमरीज पर जो व्यय किया गया को स्पष्ट करते हैं।

सारणी 6 8

चौथी पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत के विभिन्न प्रदेशों में दुग्ध व्यक्तिगत का विकास

प्रदेश	नई दुग्ध योजनाये	ग्रामीण डेरियों	ग्रा० क्रीमरीज	औद्योगिक क्षेत्र में दुग्ध वितरण	कुल व्यय लाख रु० में
आन्ध्र प्रदेश	2	6	-	-	-
असम	2	-	-	-	-
बिहार	1	25	-	3	-
गुजरात	3	6	-	-	-
जम्मू कश्मीर	-	-	-	-	-
केरल	5	2	-	-	-
गढ़ारा	4	1	-	-	-
महाराष्ट्र	-	20	4	-	-
मध्य प्रदेश	2	05	-	-	-
मैसू	-	18	-	-	-
उडीसा	-	05	-	-	-
पंजाब	-	-	20	-	-
हरियाणा	-	-	-	-	-
राजस्थान	2	2	-	-	-
उत्तर प्रदेश	6	100	2	-	-
बंगाल	4	-	-	-	-
योग	31	198	26	03	

सारणी 6 9

भारतवर्ष में विभिन्न डेरियों की क्षमता तथा प्रतिदिन उत्पादन (दिन सन् 1967)

क्रमांक	स्थान	क्षमता	प्रतिदिन औसत उत्पादन
1	अहमदाबाद	70,000	70,146
2	अल्मोड़ा	6,000	-
3	आगरा	6,000	3,853
4	अगरतला	2,000	4,132
5	इलाहाबाद	5,400	-
6	बम्बई	4,60,000	3,79,560
7	बंगलौर	50,000	51034
8	बडौदा	55,000	32,446
9	भोपाल	10,000	8,361
10	भाव नगर	6,000	1,334
11	भागलपुर	6,000	467
12	बेरली	6,000	860
13	कलकत्ता	200,000	137,521
14	कोयम्बटूर	13,000	12,245
15	कालीकट	6,000	6,304

क्रमांक	स्थान	क्षमता	प्रतिदन और सत उत्पादन
16	कटक	6,000	4,048
17	चण्डीगढ़	20,000	16,269
18	दिल्ली	2,55,000	2,21,332
19	गाया	6,000	633
20	गन्टूर	4,000	791
21	हेदराबाद	50,000	37,312
22	हिसार	4,000	2,589
23	हल्द्वानी	3,000	1,952
24	जयपुर	20,000	5,207
25	जमुनापार	6,000	1,187
26	कोडिया कनाल	4,000	507
27	करनाल	4,000	1,434
28	कुडिग	4,000	-
29	कोल्हापुर	46,000	24,927
30	मद्रास	75,000	33,556
31	लखनऊ	40,000	19,756

क्रमांक	स्थान	क्षमता	प्रतिदन और सत उत्पादन
32	मुंबई	50,000	-
33	नासिक	6,000	11,022
34	ननजिलनाड	3,200	3,404
35	पूना	1,20,000	1,13,712
36	पटना	10,000	1,990
37	पालघाट	6,000	3,811
38	श्रीनगर	10,000	492
39	सुरेन्द्र नगर	6,000	1,342
40	त्रिवेन्द्रम	6,000	7,929
41	त्रिचनापल्ली	16,000	3,951
42	वाराणसी	1,000	1,394
43	ईर्नाकुलम	10,000	2,400

तालिका 6 10

पायलेट दुर्घ योजनाये विभिन्न नगरों की क्षमता दर

क्रमांक	नगर	क्षमता
1 -	अकोला	4,858
2 -	ओरगाबाद	1,989
3 -	बोच	1,600
4 -	भद्रावती	809
5 -	बेलगम	2,214
6 -	धूलिया	46,000
7 -	देहरादून	९२४
8 -	देवनगरी	-
9 -	गवालियर	1,085
10 -	अमरावती	4,141
11 -	हुबली धावर	8,054
12 -	इन्दौर	300
13 -	जबलपुर	1,112
14 -	कानपुर	5,510
15 -	बंगलोर	2,549
16 -	मडी	1,927

क्रमांक	नगर	क्षमता
17-	मिराज	42,699
18-	मैसूर	1,018
19-	नागपुर	10,546
20-	पंजिम	2,071
21-	नाहन	400
22-	शिलाग	-
23-	शालापुर	10,024
24-	सूरत	-
25-	तनजोर	6,600
26-	गुलबर्ग	1,022
27-	जरहत	454
28-	महाबलेश्वर	2,045
29-	गोहाटी	-
30-	कालापुर	491
31 -	चिपलम	2,695
32 -	रत्नगिरी	1,457
33 -	माहद	1,579
34 -	विशाखापत्तनम	1,234

भारत देश के राष्ट्रीय आय में दूध और दूध के उत्पादन का योगदान करीब 8033 मिलियन है। यह 230 मिलियन मवेशी और भैंसों से होता है। दूध उत्पादन के अलावा । वर्ष में गाय से 157 किलों तथा भैंस से 405 किलो मिलियन तथा दुधारू जानवरों से 8। मिलियन (35%) होता है। दूध उत्पादन के रेज का अधिकतम् दूध औसत (गाय व भैंस से प्रति जानवर) पंजाब में 2.28 किलो और 3.99 किलो क्रम से प्रतिदिन है। दूध उत्पादन का प्रति गाय वार्षिक औसत यू0एस0ए0 में 4,154 किलो, यूनाइटेड किंगडम में 3,959 किलो तथा डेनमार्क में 3,902 किलो है। 1978-80 में विश्व में भारत का दूध उत्पादन करीब 29 मिलियन टन से चौथा स्थान है। यह दूध 60% विपणन में तथा 40% घर के उपभोग तथा जानवरों के बच्चों के पिलाने में जाता है। दूध का प्रति व्यक्ति उपभोग कम से कम प्रति व्यक्ति प्रत्येक प्रदेश में 1979-80 में 120 ग्राम अनुमानित किया गया। भारत में डेरी प्लाटस की संख्या 1979-80 में करीब 190 बताई गई है जिसमें 94 फ़ान्टस तरल दूध में 30 दूध पैदा करने की फैक्ट्री में, शेष 66 प्लाटस 6.6 मिलियन लीटर प्रतिदिन दूध योजना ग्रामीण डेरी के लिए थी। दूध उपयोगिता क्षमता 66% निर्धारित थी। अभी हाल ही में महाराष्ट्र और गुजरात में आपरेशन प्लड के तहत दूध पैदा करने में योजनाये लगी हुई है। इस योजना का उद्देश्य 2 मिलियन दूध देने वाली गाय, बकरी (मवेशी जानवर) व भैंसों के गोशाले के लिए चयनित राज्यों में 18 दूध गोशालाये से था।

पहली आपरेशन प्लड योजना । जुलाई 1970 से शुरू करके 30 जून 1981 में पूरी की गई। इस प्लड योजना से । 3 मिलियन ग्रामीणों से दूध प्राप्त कर लाभान्वित किया गया। 18 ग्रामीण दुग्ध गोशाला 10 राज्यों में स्थापित किया गया। पशुओं के रख-रखाव पर भी ध्यान दिया गया। दूध की कानूनी कार्यवाही व वितरण का कार्य 4 मुख्य शहरों में किया गया।

द्वितीय आपरेशन प्लड योजना 4 मुख्य दूध बाजारों और आधुनिक दूध बाजार हेतु 144 देश के शहरों में, जिनकी जनसंख्या 1971 में 100,000 लाख थी, शुरू की गई। इन शहरों में औसत 52.9 मिलियन लोगों के लिए 7.8 मिलियन लीटर दूध उपभोग हेतु प्रतिदिन पेदा होता था। जबकि इन शहरों में माँग 11.2 मिलियन लीटर दूध प्रतिदिन की थी। जब दूध पेदा करने में शहरी जनसंख्या लगी तो दूध की मात्रा 65। मिलियन प्रतिदिन था। द्वितीय आपरेशन प्लड में 25 गोशालाये 125 जिले में स्थापित थी। दूध पेदा करने वालों का सघ, साधारणतया 200,600 गांवों में सहकारिता समाज स्थापित किया। इस प्रकार 25 दुग्ध सघों का ज्ञुण्ड 4 जिलों में स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य कर सके। 1985 तक के लिए गठित किया गया। इसमें 115 मिलियन लीटर रोज दूध मवेशियों से लेने के प्रभावकारी प्रयास थे। 1985 में प्रतिव्यक्ति दूध उपभोग 144 ग्राम का प्रतिदिन का था।

द्वितीय आपरेशन प्लड में 1985 के मध्य तक 10 मिलियन ग्रामीण दूध उत्पादकों ने स्वयं से डेरी बनाने का निश्चय किया। 1985 के मध्य तक 1.5 मिलियन गायों एवं अच्छे नस्ल के भैंसों को बीज धारण कराये गये। 150 मिलियन शहरी जनसंख्या राष्ट्रीय दूध स्थापित करने में ग्रामीणों को जोड़ते हुए मिल्क बोर्ड बनाये गये। पशुओं के उचित रख-रखाव के साथ बच्चों के बनने वाले दूध भी बनाये जाने लगे। 183 ग्राम दूध प्रतिव्यक्ति का प्रयास भी सफल रहा। 1976-77 तक 24,000 कोआपरेटिव डेरी सोसाइटी कार्यरत थी। गुजरात राज्य में संघ कार्यरत है। कुछ अन्य राज्यों में भी राज्य दुग्ध विकास समिति गुजरात, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडू, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में स्थापित हैं।

सारिणी 6 ॥

5 1979 में दूध प्लाट्स सर्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्रों में क्रम से शहरों एवं कस्बों में
अद्योतिथित मात्रा में प्रतिदिन के औसत से थे

प्लाट्स डेरी राज्य	कस्बा	क्षमता	औसत उपलब्धि	प्रतिदिन प्रोली०
आन्ध्र प्रदेश	अनंतपुर	20,000	7,800	7,800
	चित्तौड़	50,000	44,550	44,550
	कर्नाल	25,000	22,400	22,400
	करीम नगर	12,000	3,700	3,700
	मधुकर	25,000	19,950	19,950
	निल्लौर	40,000	20,750	20,750
	निजामाबाद	12,000	6,650	6,650
	राजमुन्दरी	25,000	12,600	12,600
	विशाखा पत्तनम्	50,000	23,450	23,900
	बरगाल	12,000	5,550	6,750
	खमाम	12,500	1,450	3,600
आसाम	गोहाटी	10,000	11,050	11,050
बिहार	दरभगा	6,000	1,150	1,150
	गया	8,000	-	-
	रॉची	6,000	3,350	3,350

प्लाट्स डेरी राज्य	कस्बा	क्षमता	औसत उपलब्धि	प्रतिदिन प्रोली०
	भागलपुर	2,000	650	650
चण्डीगढ़	चण्डीगढ़	40,000	18,900	53,650
दिल्ली	दिल्ली दूध योजना	3,75,000	1,46,400	2,37,100
	मदर डेरी (दिल्ली)	4,00,000	1,93,050	3,36,200
गुजरात	अहमदाबाद	1,40,000	1,57,100	1,75,400
	बड़ोदा	1,00,000	74,850	74,050
	भावनगर	10,000	7,000	9,600
	सूरत	1,50,000	1,38,050	1,39,050
	जूनागढ़	25,000	10,050	10,050
	बरोंच	30,000	22,750	23,000
	जाम नगर	5,000	5,150	6,100
गोवा	पोंडा	10,000	7,450	8,450
हरयाणा	अम्बाला	20,000	12,250	12,250
हिमाचल प्रदेश	मण्डी	10,000	4,300	4,300
	नहान	18,00	3,400	3,400
जम्मू कश्मीर	जम्मू	10,000	1,800	2,500
	श्रीनगर	10,000	2,350	2,450

प्लाट्स डेरी राज्य	कस्बा	क्षमता	औसत उपलब्धि	प्रतिदिन प्रोलौंग
कर्नाटक	बगलौर	1,50,000	89,601	43,650
	बेल्जयम	10,000	8,900	8,900
	भद्रावती (सिमोगा)	10,000	7,550	7,550
	कलवर्गा	10,000	1,900	2,000
	हुबली धरवार	10,000	11,000	12,550
	कुदीगी	4,500,	16,750	16,750
	मगलौर	10,000	6,100	6,100
	मेसूर	10,000	24,200	24,200
	देवानगरी	6,000	1,850	1,850
केरला	अलेप्पी	2,000	5,450	5,450
	ईर्नाकुलम	10,000	14,400	14,400
	त्रिवेन्द्रम	20,000	38,600	38,600
	कालीकट	6,700	6,050	6,100
	पालघाट	6,000	3,150	3,150
	कोट्टायम	6,000	5,450	4,200
मनीपर	इम्फाल	6,000	2,600	3,500
महाराष्ट्र	औरंगाबाद	35,000	33,300	33,300

प्लाट्स डेरी राज्य	कस्बा	क्षमता	औसत उपलब्धि	प्रतिदिन प्रोली०
	बास्बे अरे	2,50,000	85,890	8,58,950
	बास्बे कुर्ला	4,00,000	85,890	8,58,950
	बास्बे वर्ली	4,50,000	85,890	8,58,950
डेरी प्लाट्स	धुलिया	1,60,000	1,18,500	1,18,300
	कोल्हापुर	85,000	63,400	63,850
	नागपुर	1,00,000	55,050	55,050
	नासिक	50,000	39,250	42,850
	पुणे	1,00,000	1,09,350	1,16,300
	शोलापुर	60,000	58,250	58,250
मध्य प्रदेश	भोपाल	20,000	20,000	23,350
	ग्वालियर	10,000	5,600	5,600
	इन्दौर	20,000	23,600	23,600
	जबलपुर	10,000	4,250	5,430
उडीसा	कटक	6,000	3,450	3,450
पाण्डेचेरी	पाण्डेचेरी	10,000	9,200	9,750
पंजाब	जालधर	50,000	25,650	25,650
राजस्थान	जयपुर	20,000	25,650	25,650

प्रांत संघी राज्य	कस्बा	क्षमता	औसत उपलब्धि	प्रतिदिन प्रोली०
	अजमेर	50,000	32,700	32,700
तमिलनाडू	मद्रास महादेव वर्म	1,25,000	85,850	1,41,300
	मद्रास अम्बाटर	2,00,000	57,900	68,000
	इरोड	1,60,000	68,150	68,150
	चितम्बरम्	5,000	1,550	1,550
	कोयम्बटूर	16,000	15,700	17,250
	कोडाइकनाल	2,000	1,900	1,900
	कन्याकुमारी	2,000	11,050	11,050
	तन्जौर	16,000	5,800	6,800
	ट्रीची श्रीनगर	16,000	5,850	5,850
त्रिपुरा	अगरतल्ला	2,000	1,400	1,650
उत्तर प्रदेश	आगरा	10,000	10,050	10,050
	इलाहाबाद	10,000	2,350	2,350
	अल्मोड़ा	3,000	500	500
	हल्द्वानी	10,000	3,850	3,850
	मथुरा	10,000	3,600	3,600

प्लाट्स डेरी राज्य कस्बा	क्षमता	औसत उपलब्धि	प्रतिदिन प्रोली०
लखनऊ	4,000	11,250	11,250
देहरादून	20,000	2,600	2,600
वाराणसी	4,000	1,260	1,260
गोरखपुर	10,000	300	300
कानपुर	50,000	10,500	10,500
बरेली	10,000	1,900	1,900
पश्चिमी बगल कलकत्ता हरीघाट	3,00,000	45,750	2,22,550
धनकुनी	4,000	12,250	23,750
दुर्गापुर	55,000	5,500	9,150

स्रोत - उपरोक्त "भारत में दुर्घट विज्ञान 1979 "

6- जैन, गिरीलाल - " डाइरेक्ट्री एण्ड इयर बुक इन्कूडिंग हूज हू 1982
 डेयरिंग इन इंडिया 1979, पेज 34 - 35 द टाइम्स
 आफ इण्डिया, फेस इन बाम्बे "

तालिका 6 12

भारत में दूध पैदावार फैक्ट्रीज सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्रों में विभिन्न राज्य, कस्बे में दूध की क्षमता, प्रतिशत उपलब्धि, प्रतिदिन लीटर क्षमता में क्रमशः 1979 में प्रगति

दूध कारखाने पैदावार		क्षमता	प्रतिशत	प्रतिदिन उत्पादन ली०
आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	2,00,000	1,33,750	1,33,750
	विजयवाडा	1,50,000	81,500	81,500
	सगम जगरेलमुडी	1,50,000	32,000	34,150
बिहार	बरौनी	1,00,000	10,450	10,450
	पटना	1,00,000	7,260	7,260
गुजरात	आनन्द	7,00,000	4,69,450	4,69,450
	बनासकथा	1,50,000	1,13,750	1,13,750
	मेहसाना	4,50,000	3,48,950	3,48,950
	सबरकथा	1,50,000	1,95,450	1,95,450
हरयाणा	राजकोट	45,000	23,060	23,060
	भिवानी	25,000	9,000	9,000
	जिंद	50,000	19,600	19,600
	रोहतक	1,00,000	29,750	29,750

दूध कारखाने पेदावार		क्षमता	प्रतिशत	प्रतिदिन उत्पादन ली०
महाराष्ट्र	मिराज	1,20,000	85,550	85,550
	जलगांव	1,00,000	70,550	70,550
	वर्नानगर	1,00,000	38,200	38,000
	उदगिर	1,20,000	35,900	35,900
राजस्थान	बीकानेर	1,00,000	56,050	56,050
	जोधपुर	1,00,000	64,700	64,700
पंजाब	अमृतसर	65,000	47,250	47,250
	भटिण्डा	60,000	23,150	23,150
	लुधियाना	1,00,000	46,350	46,350
	होशियारपुर	75,00	28,450	28,450
उत्तर प्रदेश	अलीगढ़(क्रीमरी)	25,000	31,700	31,700
	मुरादाबाद	55,000	16,400	16,400
	भेरठ	1,00,000	42,250	42,250
प0 बगाल	सिलिगुडी	1,00,000	11,850	11,850
तमिलनाडू	मदुरई	31,50,000	92,150	92,150

स्रोत - डेरी डिवीजन (मिनिस्ट्री आफ एग्रीकल्चर) गर्वनमेन्ट आफ इण्डिया ।

नीचे लिखी हुई योजनाये जनवरी 1977 से प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत लागू की गई।

अरुणाचल प्रदेश	एटा नगर	आन्ध्र प्रदेश	चित्तौड़
एम पी एफ (न्यू)आसाम	जोरहट	डिबूगढ	तेजपुर
बिहार	बोकारो, जमशेदपुर	गुजरात	पनोमहल गोदरा
हरियाणा	फरीदाबाद	हिमाचल प्रदेश	कगरा, शिमला
कर्नाटका	बीजापुर	बंगलोर	प्रसार में
मैसूर	प्रसार में	केरला	केनानौरा, क्यूलन
	दुमकुर, हसन		

मध्य प्रदेश - भोपाल, इन्दौर, रतलाम, उज्जेन, राजपुर।

महाराष्ट्र - उदगी भेघालय - शिलाग मिजोरम - अझावल, उडीसा - बेरहमपुर।

पंजाब - गुरुदामपुर, जुलुन्दर, मोहाली, सेन्गरूर। राजस्थान - अलवर, अजमेर, कोटी, जयपुर (डेरी सेकेन्ड) क्रिपुरा - अगरतल्ला (डेरी सेकेण्ड) उत्तर प्रदेश - मेरठ रायबरेली, वाराणसी, इलाहाबाद (द्वितीय डेरी), फेजाबाद, आजमगढ, जौनपुर, प्रतापगढ, उन्नाव, सीतापुर, शाहजहानपुर, फरुखाबाद, बदायूँ विजनौर। पश्चिम बगाल - बदवान, कलकत्ता (द्वितीय डेरी) कृष्णनगर, बेलदाग।

7 " 1967 से 1980 के बीच बच्चों के लिए दूध का पाउडर और शिशुओं का पौष्टिक भोजन प्रतिदिन करीब 123 टन उत्पादित होता था।

विभिन्न प्रकार के दूध बच्चों के लिए 1967 से 1980 के बीच जो उत्पादित थे, उनको क्षमतानुसार वर्णित है। ”

सारिणी 6 13

उत्पादन (उपज)	1967 (क्न में)		1980 (टन में)	
	क्षमता	उत्पादन	क्षमता	उत्पादन
मिल्क पाउडर	22,416	4,050	-	32,000
इन्फेट मिल्क फूड	12,398	9,182	-	35,500
(तरल) मार्लेड मिल्क फूड	8,915	6,766	-	22,500
(गाढ़ा) कन्डेन्सेड मिल्क	13,860	6,600	-	5,600
(मक्खन) बटर	एन ए	एन ए	-	10,800

भारत में दुग्ध सहकारिता

एन डी डी बी नेशनल डेवलपमेन्ट डेरी बोर्ड, राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद (आनंद, गुजरात 388001) भारत में राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद, गुजरात में एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में, कृषि व सिचाई मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। रा०ड०वी०स० का उद्देश्य प्रार्थना एवं सूचना पर बुराईयों व तकनीकी सेवाओं के लिए दूध की मात्रा बढ़ाने, पैदा करने, दूध की मात्रा में तेजी से विकास कर खपत करना, प्रक्रिया, वितरण व शोध से सम्पन्न होता है।

दर्पन, आ०सी० दत्त रिटायर्ड, "भारत में दुग्ध सहकारिता" बडोदरा 390005 गुजरात

1975-76 में 10,346 पशु अस्पताल और दवा केन्द्र थे। 149 चेक पोस्ट, 60 चौकसी इकाइया और 33 टीकाकरण केन्द्र थे। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश के इज्जतनगर में, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हरियाना व पंजाबराय कृषि विद्यापीठ, अकोला (महाराष्ट्र) में पोस्ट ग्रेजुयेट पशु चिकित्सा विज्ञान हेतु संस्थान है। दूसरा, केन्द्रीय भेड़ व उन शोध संस्थान मालपुरा, राजस्थान में स्थापित है। तीसरा, नेशनल डेरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट प्रधान कार्यालय करनाल, हरियाणा में है।

भारत में 24 'कृषि विश्वविद्यालय' पशु द्वारा खेती कार्य में जुड़े हैं।

आन्ध्र प्रदेश में तिरुपति, हैदराबाद।

आसाम में खन्नापारा, गोहाटी।

बिहार में पटना, कनके राची, गुजरात में आनन्द, हरियाणा में हिसार। कर्नाटक में बंगलोर, केरला में मनोथी, त्रिचर, मोप्र० में म्यो, जबलपुर, तमिलनाडू में मद्रास सिटी, महाराष्ट्र में बाम्बे, नागपुर, प्रभानी, उडीसा में भुवनेश्वर, पंजाब में लुधियाना, राजस्थान में बीकानेर, उत्तर प्रदेश में मथुरा, पतनगर। प० बगाल में बेलगाची, कलकत्ता।

भारत में टीकाकरण प्लाट्स हेतु बेहरिंग संस्थान ने एक होचेस्ट फर्मासुइटिकल लिंग के माध्यम से बाम्बे में पशुओं के पैर व मुँह के रोग सबधी टीकाकरण का कारखाना स्थापित है। टीकाकरण की वार्षिक क्षमता 3 मिलियन है जो जरूरत पड़ने पर यदि आवश्यक हुआ तो 10 मिलियन तक बढ़ाया जा सकता है। भारतीय एग्रो इन्डस्ट्री ने पुणे में एक पैर व मुँह के टीकाकरण हेतु बघोली में प्लाट स्थापित किया। यह 3.2 मिलियन 10 मिलियन के बीच टीकाकरण की क्षमता रखता है। 1980 में एक अन्य पैर व मुँह के टीकाकरण का प्लाट बगलौर में इंडियन वेटनरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट ' नाम से स्थापित है। भारत में दुग्ध सहकारिता बडोदरा अभी हाल में पैर व मुँह के रोग हेतु टीकाकरण बड़े पैमाने पर हैदराबाद में 25 मिलियन वार्षिक क्षमता से स्थापित किया गया। यह 1982 से कार्यरत है।

सरियी ६ ।४

भारत में दूध का आयात और भारत में दूध का पैदावार (टन में

1972 से 1977 तक प्रति

समूह	मद	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76
दूध और मक्खन	मखनिया चाषित दूध	324 2	325 1	446 0	775 1
चाषित मखनिया	पूरा दूध चाषित	540 2	33 1	19 9	778 8
दूध	अन्य	504 0	83 4	136 9	742 9
	समूचा दूध हवा से टाईट	1 7	1 6	2 9	9 0
दूध और मक्खन सुखाकर	पूरा दूध सुखाकर (एन इ एस)	1190 9	2851 6	240 3	5660 3
	दूध मक्खन सुखाकर	725 6	120 2	61 2	61 8
	मखनिया दूध सुखाकर	37669 4	26846 8	27527 7	32531 2

8 सेत - इण्डियन डेरी मेन (मन्यली) एण्ड इण्डियन जूरनल आफ साइस क्वार्टरली बोथ ब्रेट बाई इण्डियन डेरी ऐसोशियेशन

8- जैन, गिरिलाल - "डायरेक्ट्री हूज हू इयर बुक 1982 डेरी उद्योग, पेज 35,36 द टाइम्स आफ इण्डिया प्रेस इन बाम्बे "

सप्तम् अध्याय

उत्तर प्रदेश में दुग्ध सहकारी समितियों का अध्ययन

दुग्ध सहकारिता ने आजकल दूध को गाँवों से एकत्र करने तथा इसका सतोषजनक वितरण करने में काफी सहायता की है। प्राय सभी बड़े-बड़े नगरों में सहकारी दुग्ध सघ एवं सहकारी डेरियाँ स्थापित हैं। उत्तर प्रदेश में दुग्ध व्यवसाय सहकारिता के माध्यम से आवश्यक है। दूध का व्यवसाय मुख्यत गाँवों में होता है तथा दूध की सवाधिक मात्रा गाँवों से ज्यादा शहरों में उपभोग की जाती है। दुग्ध सहकारिता से दूध का उपभोग करने वालों को बाजार में दूध कम दामों पर प्राप्त होता है, क्योंकि दुग्ध व्यवसाय में जो मध्यजन होते हैं वे नहीं रहते तथा दूध की बड़ी मात्रा का आदान-प्रदान होने से दूध परिव्यय भी कम हो जाता है। दूध बेचने वालों को लाभ भी होता है। क्योंकि दूध जल्द बिक जाता है तथा दूध की मौग भी अधिक रहती है कारण प्रत्येक दूध का उपभोक्ता यह जानता है कि दूध हमें सरकारी समितियों से मिल रहा है जो अच्छे प्रकार का है। इसलिए दूध व्यवसाय में ३०प्र० सहकारिता के माध्यम से है एवं बड़े-बड़े शहरों में दूध के सहकारी संघ स्थापित होकर कार्य कर रहे हैं। सहकारिता की सहायता से अच्छी मशीनें तथा यातायात हेतु अच्छे साधन प्रयोग किये जाते हैं। इससे गाँव के छोटे-छोटे दूध पैदा करने वाले किसानों को भी लाभ पहुँचता है। गाँव से दूध सहकारिता माध्यम से दूसरे स्थान पहुँचाकर दूध एकत्र करना तथा बेचना बड़ी सुगमता से सम्भव हो जाता है। जहाँ पर यातायात साधन नहीं है वहाँ पर सहकारिता द्वारा दूध को दुग्ध पदार्थों में बदलकर धी पैदा करके धनोपार्जन कर भली-भांति उसका क्रय विक्रय करते हैं। उत्तर प्रदेश में दूध के डेरी सहकारिता ३ चरणों में पहला - दूध का उपभोग करने वालों की सहकारिता दूसरा - दूध बेचने वालों की सहकारिता तीसरा - दूध पैदा करने वालों की सहकारिता के माध्यम से दुग्ध व्यवसाय करता है।

सन् १९१२ में सहकारिताधिनियम बनने के तुरन्त बाद यह उत्तर प्रदेश का सोभाग्य है कि भारत में सर्वप्रथम नगरीय क्षेत्र में सहकारिता के माध्यम से १९१३ ₹० में 'कटरा सहकारी दुग्ध समिति' लिओ ; इलाहाबाद में स्थापित तथा रजिस्टर्ड हुई।

इसके बाद दुग्ध व्यवसाय के क्षेत्र में 1938 में लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी सघ लिंगो की स्थापना हुई। इस दुग्ध सघ की स्थापना के बाद 1948 में कानपुर, 1949 में हल्द्वानी, 1950 में भेरठ तथा वाराणसी में सहकारी दुग्धशालाओं की स्थापना हुई। इन सहकारी दुग्धशालाओं का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण अचलों के कृपक वर्ग, कृपक मजदूर एवं भूमिहीनों को आर्थिक रूप से स्वालम्बी बनाने हेतु अतिरिक्त रोजगार प्रदान करना तथा नगरीय क्षेत्र के उपभोक्ताओं को स्वच्छ एवं निरोगीकृत दूध उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना होता है। सहकारिताधार पर दुग्धशालाओं को चलाने का तात्पर्य किसानों को प्राथमिक सहकारी समितियों का सदस्य बनाकर उनका दूध उचित मूल्य पर क्रय कर, उनके मार्ग में दुग्ध विचोलियों के शोषण से मुक्त कराकर उनकी आय में वृद्धि करता है। 1960-1961 में उत्तर प्रदेश में भैसों से 2969 हजार टन और गायों से 1142 हजार टन दूध पैदा किया गया था। भैस दूध पैदावार में उत्तर प्रदेश, भारत में प्रथम तथा गाय दूध पैदावार में उत्तर प्रदेश स्थान है। 1960-61 में भारत में गाय-भैसों से, गाय 8635 हजार टन व भैस 10862 हजार टन दूध पैदावार में था। भारत के कुल दूध उत्पादन का (19,497 हजार टन) का लगभग 22% अर्थात् 4,111 हजार टन अकेले उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। दूध की पैदावार प्रति भैस प्रतिदिन 3 किलो है। पूर्वी जिलों में दूध की पैदावार की अपेक्षा पश्चिमी जिलों में अधिक होती है। उत्तर प्रदेश में दूध से प्राप्त अन्य दुग्ध पैदावार नीचे की सारणी से हम स्पष्ट करते हैं -

तालिका ७ ।

सन् 1961 की पश्च गणनानुसार भारत एवं उत्तर प्रदेश में दुग्ध पदार्थ की प्रतिवर्ष
पेदावार की तुलना

दुग्ध पदार्थ	भारतवर्ष	उत्तर प्रदेश	प्रतिशत
घी	3,16,586 टन	35,164 टन	11 1
मक्खन	64,466 टन	17,320 टन	18 2
मावा	2,40,761 टन	87,910 टन	36 4
दही	15,68,027 टन	1,40,655 टन	8 8
आइसक्रीम	1,49,765 टन	49,230 टन	32 8
क्रीम	58,797 टन	26,373 टन	44 8
छेना	75,745 टन	8,791 टन	10 5

तालिका से स्पष्ट है कि भारतवर्ष में प्रतिवर्ष दुग्ध पदार्थ की पेदावार में ३०प्र० का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश अकेला व प्रथम राज्य है। जहाँ पर डेरी विकास योजनाये सहकारी विभाग द्वारा चलाई जाती है। बिना सहकारी सहायता के 1938 में प्रथम सहकारी दुग्ध सघ, लखनऊ में स्थापित हुआ था। प्रथम पंच-वर्षीय योजना में केवल 2 दुग्ध सप्लाई योजनाये एक हल्द्वानी दूसरी अल्मोड़ा में स्थापित हुई। द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में एक दुग्ध सप्लाई योजना आगरा में खोली गई, निजी क्षेत्र की सहायता से दुग्ध पदार्थ बनाने की पैषट्री खोलने की योजना बनाई गई। यह फैक्ट्री अलीगढ़, आगरा, एटा और मुजफ्फरनगर में क्रमानुसार गिलकसो, हिन्दुस्तान

लीवर एवं इडोडन की सहायता से स्थापित की गई। सन् 1960 में अलीगढ़ में स्थापित गिल्कसो फैक्ट्री की क्षमता प्रतिवर्ष 25000 टन दुग्ध चूर्ण बनाने एवं 1,00,000 टन प्रतिदिन दूध निरोगन करने की है। दूध 600 सहकारी समितियों द्वारा इकट्ठा किया जाता है। यह समितियों अलीगढ़, मथुरा एवं बुलदशहर जिलों में 40 दुग्ध सग्रह केन्द्रों पर चारों ओर स्थापित हैं। आजकल इस फैक्ट्री पर 60,000 किलो दूध आता है।

दुग्ध वितरण के साथ दुग्ध से निर्मित पदार्थ की विक्री का कार्य बड़ा ही जटिल था परन्तु इस जटिल कार्य को 1962 में प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना करके किया गया। शुरू में फेडरेशन एक सलाहकार (प्राविधिक) के रूप में कार्य किया। इसकी अनुशासा पर लखनऊ, आगरा, बेरली, देहरादून, मथुरा व गोरखपुर में दुग्धशालाओं की स्थापना का कार्य किया गया। सन् 1964 में हिन्दुस्तान लीवर की सहायता से एक दुग्ध पदार्थ फैक्ट्री, एटा में स्थापित की गई। इसका शुद्ध देशी भी एवं सम्प्रेटा दुग्ध चूर्ण ऐदा करने का उद्देश्य था। अब यह फैक्ट्री बच्चों तथा प्रति रक्षा सेना (डिफेन्स फोर्सेस) के लिए दुग्ध चूर्ण भी ऐदा करती है। इस फैक्ट्री में 50 प्रतिशत केन्द्रों द्वारा इकट्ठा किया हुआ दूध आता है। इस फैक्ट्री द्वारा किसानों को अच्छे प्रकार के पशु रखने एवं उनके लिए रातब क्रय करने की सहायता भी दी जाती है।

सन् 1963 में इन्डोडन दुग्ध पदार्थ बनाने की फैक्ट्री मुजफ्फरनगर में स्थापित हुई। इसमें भीठा संघनित दूध केसिन व दुग्धम बनाया जाता है। फैक्ट्री की क्षमता प्रतिदिन 4 टन संघनित दूध की है। इसमें प्रतिदिन 15000 लीटर दूध आता है। इस फैक्ट्री में सम्प्रेटा दूध चूर्ण, मक्खन व पनीर बनाने की योजना है।

तृतीय पच-वर्षीय योजना में केन्द्र की ओर से दुग्ध विकास योजनाओं पर खर्च होने वाली 35 85 करोड रुपया खर्च होने वाली कुल मुद्रा में से उत्तर प्रदेश

को केवल 4 50 करोड रुपया की नियतन रकम प्राप्त हुई, जिसकी सहायता से उत्तर प्रदेश में डेरी उद्योग की नींव मजबूत हुई।

तालिका 7 2

सन् 1966 तक स्थापित 30 प्र० में विभिन्न दुग्ध योजनाओं की स्थिति लीटर में

जगह	प्लाट की किस्म	क्षेत्र	क्षमता	अवस्था
			लीटर में	अब तक
लखनऊ	मिश्रित दुग्ध प्लाट	सहकारी	40,000	चालू है।
कानपुर	" "	" "	50,000	" "
इलाहाबाद	दुग्ध प्लाट	" "	10,000	" "
वाराणसी	" "	" "	10,000	" "
आगरा	" "	सरकारी	10,000	" "
देहरादून	" "	सहकारी	20,000	" "
बरेली	" "	" "	10,000	" "
मथुरा	" "	" "	10,000	" "
गोरखपुर	" "	" "	10,000	" "
हल्द्वानी	" "	" "	20,000	" "
अल्मोड़ा	" "	" "	4,000	" "

जगह	प्लाट की किस्म	क्षेत्र	क्षमता लीटर मे	अवस्था अब तक
अलीगढ़	दुग्ध चूर्ण	निजी	1,00,000	चालू है।
एटा	घी, दुग्ध चूर्ण	" "	1,00,000	" "
मुजफ्फरनगर	सघनित दूध	" "	15,000	" "
डेरी फार्म अलीगढ़	मक्खन, घी	सरकारी	3,000	"
10 अवशीतन केन्द्र (देहली दुग्ध योजना)	दुग्ध प्राट	" "	1,50,000	" "
लखनऊ	फुहार शुष्क दुग्धचूर्ण	निजी	15,000	" "
नेनी(इलाहाबाद)	दुग्ध प्लांट	" "	5,000	" "
मुरादाबाद	दुग्ध चूर्ण एवं हत जीवाणु दुग्ध प्लाट	सहकारी	60,000	" "

चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना में केन्द्र ने 10प्र० की दुग्ध योजनाओं पर खर्च करने के लिए 10 करोड़ मुद्रा देने की सिफारिश की है। जिसके अन्तर्गत नीचे की योजनाये पूरी की जा चुकी है।

ग्रामीण पदार्थ फैक्ट्रीज - 2, शहरी दुग्ध सप्लाई योजनाये - 6, ग्रामीण दुग्ध केन्द्र - 100 स्थापित योजनाओं का विकास। लाख ली० प्रतिदिन। प्रथम पंच-वर्षीय योजनात तक भारत में केवल 2 स्थाये थी, जहाँ पर इण्डियन डेरी डिप्लोमा (आई डी डी)

की उपाधि मिली थी। इनमें एक बगलोर तथा दूसरी इलाहाबाद में थी। तृतीय पचवर्षीय योजना में कृषि संस्था (नेनी), इलाहाबाद को यूएन आई सी ई एफ एवं केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई जिससे वहाँ पर इण्डियन डेरी डिप्लोमा कोर्स डेरी प्रबंध (डी एच) के अतिरिक्त डेरी टेक्नालोजी (डी टी) में भी जुलाई 1967 से कार्य करना शुरू किया गया है।

दुग्ध सघ के आयोजन में (शुरूआत) सबसे पहले एक आयोजन कमीशन बनता है। जो गाँव के प्रतिष्ठित तथा प्रसिद्ध मनुष्यों के गाँव में चक्कर लगाकर वहाँ के लोगों को सहकारी सघ बनाने का अनुरोध करता है। इसके बाद सहायक रजिस्ट्रार तथा सहकारी इन्स्पेक्टर गाँवों में जाते हैं, स्थिति का अध्ययन करते हैं। इसका प्रचार कर दूध की उपयोगिता का ज्ञान कराते हैं। इसके बाद सहकारी समिति बनाई जाती है जो महीनों तक नाम निर्दिष्ट कमेटी (नामिनेटेड कमेटी) द्वारा चलाई जाती है। समिति का मुख्य कार्य दूध को एकत्र करना, उसको शीघ्रता से यातायात साधनों से पहुँचाने वाले स्थान पर पहुँचाना तथा दूध का घरों या डिपोज में विक्रय करना होता है। शुरू में दूध गाँवों से एकत्र किया जाता था परन्तु अब साधनों की उपलब्धता से दूर दराज तक भी गाँवों से दूध लिया जा रहा है। दुग्ध सघ बहुत सी सहकारी समितियों के मिलने से बनता है। दुग्ध सघ सहकारी समितियाँ ही नहीं होती वरन् व्यक्तिगत मनुष्य होते हैं जिन्हें "इन्डीवीजुअल शेयर होल्डर" कहते हैं। सदस्यता के लिए इन्हें 100/- का शेयर लेना पड़ता है। इस प्रकार सहकारी समिति बनाने के लिए कम से कम 10 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है तथा प्रत्येक समिति में एक सचिव सेक्रेटरी होता है जो दूध को एकत्र करके सघ को दूध भेजता है। इस प्रकार से दुग्ध सघ में एक सचालकों का मण्डल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) होता है जो इसके कार्यभार को सभौलता है तथा इसी को शासी निकाय (गवर्निंग बोर्डी) भी कहते हैं। सचालक मण्डल में मुख्यतः शहर का प्रतिष्ठित एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। तीन व्यक्तिगत सदस्य होते

है। छह दूध पैदा करने वाली समितियों के सदस्य। एक सहकारी बैंक का सदस्य, एक सहकारी विभाग का सदस्य तथा एक दूध का विशेषज्ञ होता है। इस प्रकार दुग्ध सघ कार्य करने में दुग्ध सघ मण्डल में 13 सदस्य होते हैं।

दूध सहकारी सघ अपने कार्यों में दूध को विभिन्न समितियों तथा डिपोज में एकत्र करता है, दूध की गुणवत्ता का परीक्षण करता है, दूध की विधा तथा इसका विक्रय करता है, सघ की देखभाल करना तथा आर्थिक स्थिति को अच्छी हालात में बनाये रखता है, लाभ को सघ के सदस्यों में बांटता है। दूध व्यवसाय के साथ - साथ दूसरा व्यवसाय मक्खन, केसीन बनाने का भी कार्य करता है।

दुग्ध सघ के कार्यक्रम में हर गाँव के अन्दर सुबह 3 बजे से 7 बजे तक तथा शाम को 4 बजे से 7 बजे तक दूध दुहा जाता है। इस दूध की मात्रा को समिति या सेक्रेटरी नापता है तथा प्रत्येक समिति से 40 या 60 किलो दूध एक समय में सघ के लिए इकट्ठा करने वालों के द्वारा एकत्र कर लिया जाता है। वहाँ पर इस दूध की मात्रा व वसा का प्रतिशत मात्रा डिपो सुपरवाइजर द्वारा नापी जाती है। दूध केवल उसकी वसा प्रतिशत पर ही ग्रहण किया जाता है। इसके लिए दूध की वसा प्रतिशत पहले ही निर्धारित की जाती है। इस प्रकार दूध की वसा प्रतिशत परिक्षित दूध को सुपरवाइजर मोटर चालक को देता है, इसमें हर समिति से प्राप्त दूध अलग वर्तनों में रखा जाता है। दुग्ध संघ केन्द्र पर जब दूध प्राप्त किया जाता है तो इसके गुणवत्ता को मालूम करने के लिए बहुत से परीक्षण किये जाते हैं जिनसे दूध की शुद्धता ज्ञात की जाती है। यहाँ पर दूध अधिक तापक्रम पर कम समय वाले निरोगक से किया जाता है और बाजार में दूध बिकने चला जाता है। इस प्रकार दूध 5 से 8 बजे तक उपभोक्ता के निवास स्थान तक पहुँच जाता है। 1970-71 में सरकार के सहयोग से मुरादाबाद के दलपतपुर में फेडरेशन ने एक दुग्ध शिशु आहार निर्माण

केन्द्र की स्थापना की ।

पौष्टिक आहार का मनुष्य जीवन¹ में एक-एक महत्वपूर्ण अग होने के नाते दुग्ध विकास कार्यक्रम को और अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से 1971 में 'विश्व खाद्य कार्यक्रम' के अन्तर्गत 'आपरेशन' फ्लड - । योजना को कार्यान्वित किया गया। इस योजना को प्रभावी ढग से काम करने का दायित्व प्रादेशिक डेरी फेडरेशन को दिया गया। इस योजना के अन्तर्गत चार पश्चिम के (मेरठ, मुजफ्फर, गाजियाबाद एवं मुरादाबाद) के अलावा चार पूर्वी जनपदों - वाराणसी, गाजीपुर, बलिया एवं मिर्जापुर को सम्मिलित किया गया। इस योजना की परिधि में मेरठ व वाराणसी जनपदों में एक एक लाख लीटर दैनिक दुग्ध हैडलिंग क्षमता की 2 दुग्धशालाओं के अतिरिक्त 100 मीटर टन क्षमता की 2 पशु आहार निर्माणशालाये स्थापित की गई। इसी के साथ रायबरेली में एक जर्सी गौ प्रजनन इकाई भी गई। 1975 वर्ष में एच एफ सी ब्रिटेन एवं प्रदेश सरकार से प्राप्त अनुदान से संघ द्वारा एक मुरादाबाद में संकर प्रजनन परियोजना चलाई गई। इस योजना ने अपने उद्देश्य में नस्ल सुधार करके गायों में गायों की दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना रहा है। मेरठ तथा बनारस जनपदों में लगभग 300 आनंद पद्धति पर कार्यरत सहकारी दुग्ध समितियों का गठन हुआ। वर्ष 1982 में इस योजना की समीक्षा करने के बाद दुग्ध उत्पादनकर्ता को उसके उत्पादन का पर्याप्त मूल्य विचौलियों के कारण न मिलने पर शासन द्वारा नीति - विषयक निर्णय लेकर कार्यक्रम को गति प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय डेरी निगम व राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के सहयोग से 'आपरेशन फ्लड ॥ नवम्बर 1982 ' में शुरू करके कार्य किया गया ।

आपरेशन फ्लड ॥ ने प्रदेश के मुख्य नगरों लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, वाराणसी, आगरा, इलाहाबाद आदि में तरल पदार्थों (दूध) की आपूर्ति 29,000 से

बढ़कर 85,000 हो गई। दुग्ध बाहुल्य वाले क्षेत्रों को दुग्ध की दैनिक आपूर्ति "स्टेट मिल्क ग्रिड" के अन्तर्गत सुनिश्चित उत्तम गुणवत्तायुक्त दूध की उचित मूल्य पर आपूर्ति भी था। इससे पराग, मक्खन, घी की ग्राहयता बढ़ी है, सतुरित आहार (पशु) की विक्री बढ़कर चार गुना हुई थी। इस योजना से दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में सदस्यों की संख्या 30,000 से बढ़कर 84,000 हो गई है। इससे दूध उत्पादकों की सहकारिता में आस्था व निष्ठा बढ़ी है। परियोजना में 22 नियमित 8 आपातकालीन सचिल पशु चिकित्सालयों के माध्यम से जनवरी, 1984 से अगस्त 1984 तक 53,000 पशु चिकित्सा की गई और 70,000 दुधारू पशुओं को रोग निरोधक टीके लगे। 1980 से कानपुर डेरी बंद होने से, उसे 20 फरवरी, 1983 से पुन चालू कर दुग्ध आपूर्ति शहर में 17,000 लीटर किया गया। लखनऊ दुग्ध सघ देश की प्रथम सहकारी संस्था है जो नवम्बर, 1982 तक बद होने की स्थिति में पहुँचने पर पी सी डी एफ के प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय नियंत्रण में लाकर एक स्वस्थ व्यवसाय संस्था का रूप दिया गया। वर्तमान समय में लखनऊ सघ द्वारा दूध की आपूर्ति नवम्बर 1982 में 13,000 से बढ़कर 30,000 लीटर प्रतिदिन हो गई है। रायबरेली की बुलमेंदर फार्म की व्यक्ति को सुदृढ़ करके देश में द्वितीय स्थान प्राप्त है।

दुग्ध व्यवसाय के आधुनिकीकरण से प्रदेश के लघु कृषक, सीमात कृषक तथा भूमिहीन मजदूर दुग्ध उत्पादकों के विचालियों के शोषण से मुक्त करके उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार करके विकास हो रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के नगरों व महानगरों के उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर निश्चित गुणों का तरल दूध तथा दुग्ध पदार्थ की सामयिक उपलब्धि सुनिश्चित हो रही है।

तालिका संख्या - 7

लखनऊ दुग्ध सघ प्रगति (82 से 89 तक)

विवरण	1982	1984	1989
	ओएक-1से	वर्तमान	वर्तमान
	पूर्व		
आनन्द पद्धति पर गठित ग्रामीण समितियों की संख्या	---	198	1650
उत्पादक समितियों सदस्यों की संख्या	----	13,000	187000
वर्तमान प्रस्थापित 40,000 लीटर दुग्ध प्रतिदिन क्षमता	15,000	31,000	88,000
मध्यम विक्रय प्रतिमास (किलोग्राम)	7,150	9,084	1,189
धी विक्रय प्रतिमाह (किलोग्राम)	2,523	3,686	4,859
टन ओवर (लाख में)	212	394	489

दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध विक्रय हेतु दुग्ध समितियों के माध्यम से सीधा दुग्ध बाजार में विक्रय कराने की व्यवस्था की गई। उनके दुधारू पशुओं हेतु निवेश सेवाएं भी समितियों के स्तर पर उपलब्ध कराने से उत्पादकों के कार्यक्रम के प्रति विश्वास भाव जागृत होता है। सितम्बर 1987 से यह योजना समाप्त होकर अक्टूबर 1987 से आपरेशन फ्लड तृतीय योजना प्रदेश में प्रथम योजना उद्देश्य के साथ प्रारम्भ की गई। इस योजना में दुग्ध विकास कार्यक्रम के साथ दुग्ध - उत्पादकों की आर्थिक स्थिति को सदृश करने पर भी दिया गया ध्यान अनवरत है। आपरेशन फ्लड क्षेत्र में 9 प्लाट्स और 12 अवशीत गृह स्थापित किये गये जिनकी हैण्डलिंग क्षमता 7 80 लाख लीटर 4 80 लाख लीटर प्रतिदिन रही।

दुग्ध उत्पादन एवं वितरण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश प्रादेशिक कोआपरेटीव डेरी

ढग से बेरोजगारी को समाप्त करने के उद्देश्य से सघन मिनी डेरी परियोजना का क्रियान्वयन 1991-92 में किया गया। इसके अन्तर्गत 1995 तक 54 जनपदों को ही सम्मिलित किया जा सका है। इस अवधि में ग्रामीण स्तर के लाभार्थियों हेतु 5370 87 लाख रुपये का क्रृष्ण बैंकों के माध्यम से 32271 पशु क्रय कराते हुए 46,567 व्यक्तियों परिवारों को रोजगार हेतु सुविधा उपलब्ध करायी गई।

दुर्घट उत्पादन में महिलाओं का श्रम पुरुषों की अपेक्षा अधिक लगता है। श्रम के अनुपात में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा मात्र 10% ही धन प्राप्त होता था। इसका मात्र कारण शिक्षा की कमी से था। अत इस बात को ध्यान में रखते हुए सन् 1991-92 में यूनीसेफ व भारत के सरकार द्वारा सम्मिलित सहयोग से "महिला डेरी परियोजना" को प्रारम्भ कर ग्राम स्तर पर महिला सदस्यों की दुर्घट उत्पादक सहकारी समितियाँ गठित की गई। महिलाओं को शिक्षित व प्रशिक्षित करके उनमें स्वास्थ, स्वच्छता व परिवार कल्याण जैसे विषयों के प्रति जागरूकता पैदा की गई।

1995 तक प्रदेश के 34 जनपदों में महिला डेरी परियोजनाओं को प्रारम्भ किया गया। वर्षात 1990 तक इस परियोजना में 990 समितियाँ कार्यरत थीं। इस परियोजना में 39755 ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्राप्त है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से दुर्घट विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कराया गया। इसके पहले से उच्च वर्ग के यहाँ खेतों में कार्य करते थे जिससे उनका शोषण होता था। इस योजना के क्रियान्वयन से उन्हे शोषण मुक्त कराया गया। पी०सी०डी०एफ० द्वारा सितम्बर 1995 तक सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 23,393 अनुसूचित जाति की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया। वर्षान्त 1995-96 तक 76,921 अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं को दुर्घट सहकारिता विकास कार्यक्रम माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया।

डा० अम्बेडकर भीमराव शताब्दी वर्ष में प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति तथा पिछड़ी जाति बाहुल्य ग्रामों में सघन विकास को ध्यान में रखते हुए ग्राम्य विकास

विभाग के अन्तर्गत गावों में सहकारी दुग्ध समितियाँ कार्यरत हैं।

गांधी ग्राम विकास योजना में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर चलाये जा रहे कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में एक गांधी ग्राम का चयन किया गया है। इस प्रकार हमें सहकारिता माध्यम से दुग्ध व्यवसाय में वृद्धि करके किसानों की आय में वृद्धि करके लोगों को रोजगार प्रदान करके, उपभोक्ताओं की सस्ते दाम व गुणवत्ता पर दूध उपलब्ध करा दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश में सहकारिता माध्यम से दुग्ध विकास का कार्यक्रम का इतिहास तो 80 वर्ष पुराना है। परन्तु योजना बद्ध कार्यक्रम का क्रियान्वयन आपरेशन फ्लड योजना के माध्यम से ही हुआ। इस योजना में दूध उत्पादक सहकारी समितियाँ बनाकर अच्छे नस्त के गाय व भैंस के उत्पादित दूध को दूध सघ को बेचकर अच्छे आमदनी प्राप्त की गई। धीरे-2 इस योजना का विस्तार होने से लोगों ने दुग्ध व्यवसाय किया। जनसख्या बढ़ने के साथ-2 निरन्तर दूध की मौँग व सभावनाएँ बढ़ी। दुग्ध सहकारी समितियों में पुरुष/महिला सदस्य बने। वर्ष 1990 में प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी दुग्ध सघ के प्रबंध निदेशक श्री आर०एस० टोलिया ने कार्यभार ग्रहण के बाद दुग्ध सहकारी समितियाँ को ग्रामीण महिलाओं को एक मच पर लाकर उनके सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए प्रयास किया और एक महिला डेरी परियोजना का शुभारम्भ किया गया। पहले चरण में यह परियोजना उत्तर प्रदेश के 5 जनपदों में सीतापुर, बेरली, शाहजहाँपुर, हरदोई व फरूखाबाद में लागू करके ग्रामीणों के बीच स्वयं सेवी सम्प्रदायों का सहारा लिया गया। हरदोई में सर्वोदय सेवाश्रम तथा शाहजहाँपुर में विनोभा सेवाश्रम से महिला कार्यकर्ताओं को इन जिलों प्रसार कार्यकर्ता तथा महिला प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त करके यहाँ ग्रामीण महिला डेरी फेडरेशन महिला उत्थान कार्य शुरू हुआ। महिलाओं को सदस्य बनाने में बहुत कठिनाई होने के बाद भी इन कार्यकर्ता महिलाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को एकता कर महिला दुग्ध समितियाँ बनाई। जहाँ अशिक्षित महिलाएँ थीं, उन्हें साक्षर बनाकर सहकारिता माध्यम से परिवार एवं समाज का प्रमुख अग होने

के बाद भी उन्हे आत्म विश्वास की कमी के स्थान पर जागरूकता एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करके उन्हे समाज के कुठित लोगों से उबारकर उन्हे विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया। इस परियोजना में महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करके दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं को दुग्ध व्यवसाय से जोड़कर सहकारी डेरी, प्रशिक्षण तथा शोध केन्द्रों के माध्यम से प्रबन्ध कमेटी महिला सचिव, दुग्ध, टेस्टर पशुपालन चारा, प्राथमिक चिकित्सा कृत्रिम गर्भाधान सम्बन्धी प्रशिक्षण से लाभान्वित कर उनका मनोबल बढ़ाया।

प्रबन्ध कमेटी के माध्यम से प्रत्येक महिला दुग्ध समिति की 9 महिलाओं को दुग्ध समिति का दुग्ध हेतु कुशल सचालन नेतृत्व, विकास का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में महिलाओं को समिति के निबधन, नियमों, दुग्ध व्यवसाय की तकनीकी जानकारी, नेतृत्व व आत्मविश्वास को बढ़ाया गया। महिला दुग्ध समितियों में सारा कार्य महिला सदस्यों द्वारा ही होता है। अत दुग्ध समिति के कार्यों में स्फूर्ति लाने हेतु उसी गाव की महिला सदस्य को दुग्ध समिति क्रियाकलापों की जानकारी का प्रशिक्षण देकर दुग्ध कार्य का क्रियान्वयन भी वही करे। इस प्रशिक्षण को सचिव प्रशिक्षण का नाम दिया गया। इसमें महिला सचिव दुग्ध सकवन, दुग्ध परीक्षण, रिकार्ड रख-रखाव का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। महिलाओं को प्रशिक्षण माध्यम से अच्छे चारे का प्रबन्ध अच्छे नस्ल के जानवर व उनका रख-रखाव प्रारम्भिक चरण में आवश्यक होता है। पशु बीमारी का महिलाओं को उनके लक्षण देखकर प्राथमिक उपचार का इलाज बताया गया।

गाँवों में देशी नस्ल के पशु सख्या में सर्वाधिक होने से अच्छे नस्ल के जानवर रखकर दुग्ध उपार्जित किया जाय। इसके लिए कृषक वर्ग गाँव का गरीब होता है। अत उनके लिए गाँव में ही नस्ल सुधार कार्यक्रम बनाई गई। देशी पशुवर्ग को अच्छे

सीमन (बीज) से गर्भाधान कराकर नस्ल सुधारा गया । इस कार्य हेतु दुग्ध समिति स्तर पर ही एक कार्यकर्ता को प्रशिक्षित किया गया । इसके अलावा नैसर्जिक अच्छे साड़ व भैंसा उपलब्ध कराकर नस्ल/पीढ़ी सुधारा गया । समिति मे दुग्ध समिति व्यवसायिक कार्य के साथ-2 सामाजिक दायित्व जैसे टीकाकरण स्वास्थ, भोजन, पोषण, सफाई शिशु व माह कल्याण की जानकारी हेतु प्रशिक्षण दिलाती है । इस प्रशिक्षण को स्वास्थ शिक्षा कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है । इस प्रशिक्षण से ग्रामीण पशु रख रखाव व स्वास्थ के साथ-2 महिला दुग्ध समिति अपने परिवार का भी कल्याण करती है । महिला दुग्ध समिति के सदस्यो को प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ स्वास्थ विभाग से बाल एव महिला टीकाकरण, दवा, वितरण , ब्लाक एव जिक्स एजेन्टी सहयोग से निर्धूम चूल्हा, स्वच्छ पेयजल, पौढ शिक्षा अल्प बचत इत्यादि महिला दुग्ध समिति माध्यम से बचत होने लगी ।

वर्तमान मे भारत सरकार द्वारा सचालित महिला समृद्धि योजना मे प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 300/- जमा करने पर 75/- ब्याज का विशेष लाभ होता है। इस योजना मे भी (महिला दुग्ध समितियाँ) खाते खुलवाया गये । गरीबी रेखा से नीचे जीवन का निर्वाह करने वाले अनुसूचित जाति / जनजाति एव पिछड़ी जाति की महिला सदस्यो को एकीकृत ग्राम्य विकास परिधि योजनान्तर्गत ब्लाक स्तर से ग्रामीण पशुओ हेतु क्रण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है । इसके अलावा दुधारू पशुओ को क्रण प्रदान कराने हेतु क्रण प्रदान करने की एक योजना सघन मिनी डेरी परियोजना भी लागू करके पशुओ के यूनिट हेतु क्रण प्रदान किया गया ।

इस योजना मे प्रारम्भिक स्तर पर कठिनाइयाँ अनुभव करते हुए महिला सदस्यो अधोलिखित सुविधाएँ प्रदान की गई ।

प्रथम सुविधा मे सदस्यो के पोषण हेतु भारत सरकार ने वित्त से पोषित परियोजना जनपदो मे 300 किंग्रा व व विशेष रोजगार योजनान्तर्गत आच्छादित जनपदो मे 150 किलोग्राम पशु आधार पर 50% अनुदान दिया जाता है। द्वितीय सुविधा मे सदस्यो के पशुओ को उचित मात्रा मे खनिज लवण उपलब्ध कराने हेतु प्रति सदस्य 2 यूरिया मोलासिस लिक पर अनुदान दिया जाता है। तृतीय स्तर पर सदस्यो को 2 बछिया/पडिया के डिबमिंग की दबा हेतु अनुदान का प्रावधान था। चतुर्थ सुविधा मे सदस्यो के पशुओ को 2 डोज खुरपका। मुँहफका रोग के टीकाकरण हेतु अनुदान था। पाँचवे मे हरे-चारे की उपयोगिता एव महत्व को बताने हेतु प्रत्येक समिति के 30 सदस्यो को एक-2 बार रखी व खरीफ मे चारे के उन्नतिशील बीज का मिनीकट अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है। छठवे मे भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित जनपदो मे सदस्यो के दुधारू पशुओ बछिया/पडिया का बीमा कराये जाने का प्रावधान किया गया है। इससे महिला सदस्यो को अर्जित किये हुए पशुधन की समुचित सुरक्षा प्राप्त हो सके। सातवे सुविधा मे महिला समिति सदस्यो को समग्र विकास हेतु विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण व्यवस्था की गई।

वर्तमान मे इस परियोजना का विस्तार 33 जनपदो मे हो चुका है। इसमे भारत सरकार के प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन उत्तर प्रदेश, उ0प्र0 सरकार के यूनीसेफ द्वारा वित्तीय सहयोग विभिन्न चरणो मे प्रदान किया गया है। परियोजना का विकास अब तक 7 चरणो मे हो चुका है जिसका विवरण अधोलिखित निम्नवत है -

तालिका स0 - 7 4

भारत सरकार के पी0सी0डी0एफ0य0पी0, उ0प्र0 सरकार के यूनीसेफ द्वारा 33 जनपदो मे 1991 से 95 तक चरणो मे वित्तीय सहयोग

चरण जनपद	आच्छादित	वित्तीय स्रोत	प्रारम्भ वर्ष	परियोजना व्यय	
				(लाख रु0 मे)	5
1	2	3	4	5	
प्रथम	1 हरदोई	90%	1991-92	2 92	506

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

2 सीतापुर (महिला एवं बाल विकास विभाग

भारत सरकार)

3- बरेली

4- शाहजहाँपुर 10%

5- फरूखाबाद महिला एवं बाल विकास कल्याण

विभाग उ०प्र० सरकार/आर०सी०डी०एफ०

द्वितीय 1- फैजाबाद 1992-93 292 00

2- बस्ती

3- गोण्डा

तृतीय 1-सुल्तानपुर तदैव 1993-94 295 33

2- गाजीपुर

3- जौनपुर

चतुर्थ 1- देवरिया तदैव 1993-94 271 679

2- गोरखपुर

3- आजमगढ़

पचम 1- प्रतापगढ़ 1994-95

2- बाराबकी तदैव

296 466

3- वाराणसी

1	2	3	4	5
षष्ठम्	1-	रायबरेली तदैव	1994-95	441 368
	2-	इटावा		
	3-	फतेहपुर		
	4-	जालौन		
	5-	बिजनौर		
सप्तम्	1-	गाजियाबाद तदैव	1994-95	247 938
	2-	एटा		
	3-	इलाश्चाबाद		
अष्टम्	1-	लखनऊ अम्बेडकर विशेष रोजकार योजना	157 128	
{1}	2-	उन्नाव एवम् यूनीसेफ		<u>125 268</u>
	3-	मथुरा	282	396
	4-	मेरठ		
	5-	मुरादाबाद		
	6-	बलिया		
अष्टम्	1-	आगरा अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना	70	479
	2-	बदायूँ		

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

नवम् 1- कानपुर नगर प्रस्तावित
 2- कानपुर देहात
 3- मैनपुरी
 4- फिरोजाबाद

श्रीवास्तव शैलेन्द्र कुमार "सहकारिता विशेषाक" अक्टूबर-नवम्बर 97 प्रभारी (प्रकाशन)
 पी०सी०डी०एफ० 29 पार्क लखनऊ प्रधान यू०पी० को आ०
 यूनियन लि० पेज स० 77 78

इन प्रयासों के फलस्वरूप जो महिला उत्थान का बीड़ा उठाया गया था उसने
 शनै-3 दुर्घ सहकारिता माध्यम से विस्तार पाया जो अपने-आप में सफलता का परिचायक
 है। वर्ष 1991-92 में शुरू हुई परियोजना का विकास पथ अब छह वर्षों का सफर
 तय कर चुका है। वर्ष 1996-97 तक वर्षावार इसकी प्रप्तियाँ निम्नवत
 हैं -

तालिका स० ७ ५

महिला दुध उत्थान प्रणति ॥ कर्ष १९९१ से १९९७ तक ॥

	1991-92	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97
आच्छादित जनपद	5	18	22	30	33	33
महिला दुध समितियें	119	248	266	966	1,303	1,433
कुल महिला सदस्य	4679	10762	18966	38753	54791	60704
अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्य	-----	2363	4316	8299	13634	15931
औसत दुध उत्पादन						
प्रतिदिन {लीटर}	3254	12488	13170	30291	46450	52384
उपलब्ध करायी गई सुविधाएँ -						
चारा बीज मिनी						
किट वितरण	1617	10553	30378	40912	67774	79062

तालिका स० ७ ६

पशु आहार अनुदान कुन्तलवर्ष १५ से १७ तक प्रदत्त मुविधा –

{क} गांभिन पशु ६ ५ हेतु	1087 6	4294 5	14053 2	27735 8	44583 69
{ख} बडिया/पडिया ८० हेतु	342 1	2664 63	6695 2	13407 9	17005 0
एफ०एम०डी० टीकाकरण ११९३	9824	18992	44564	74701	98480
कीटनाशक दवा वितरण	4017	12525	34954	65577	87853
बीमा {क} दुधारू पशु	3052	3931	6454	12987	21766
{ख} बडिया/पडिया	494	1152	1602	3308	3139
साड क्रय	---	---	---	156	253

तालिका ७७

महिला सदस्यों को प्रदत्त एक प्रशिक्षण सुविधाएँ ९१ से ९७ तक

प्रबंध कमेटी	4991	1707	2494	5639	9913	11609
सचिव	33	166	266	548	940	1166
प्र० चिकित्सा	10	91	152	258	432	1134
कू0वौ0का0 कर्ता	10	91	152	358	618	691
पशुपालन व चारा	665	6180	8137	16682	26229	34038
महिला शिक्षा	3089	12810	14380	25655	35444	61125
स्नात्य शिक्षा	---	8165	8309	21701	29409	35218
फर्मसि इण्डक्शन	---	---	33	139	149	675
रोजगार सुरक्षा						
प्रत्यक्ष	357	744	1338	2898	3309	4299
अप्रत्यक्ष	<u>4679</u>	<u>10762</u>	<u>18873</u>	<u>38753</u>	<u>54791</u>	<u>60704</u>
योग -	5036	1106	20211	41651	58100	65003

इन प्रयासों के फलस्वरूप इस परियोजना ने 65003 महिलाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित किया गया था तथा प्रतिदिन उन्हें गाँव में घर बैठे उनके द्वारा उपार्जित 45 लाख ₹० प्रतिदिन दूध मूल्य के रूप में प्राप्त हो रहा है। इस आर्थिक उपलब्धि से उन गाँवों में एक आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन की लहर आ गई है। जहाँ पर महिला दुग्ध समितियाँ कार्यरत हैं, उनके पारिवारिक रहन-सहन, जीवन-स्तर, शिक्षा, स्वस्थ एवं आचार - विचार में व्यापक रूप दिखाई दिया है। इस महिला दुग्ध परियोजना ने हमें एक सामाजिक रास्ता दिखाया है, जिस पर हमेशा चलते हुए ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक चेतना को जागृत कर जोड़ जा सकता है। जहाँ रुद्धियों, परम्पराओं ने महिलाओं को समाज का एक प्रमुख अग होने के बाद भी उसमें भागीदारी न होने दी थी, इस महिला दुग्ध समिति परियोजना ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करके उनका आत्म विश्वास जगाया है तथा निर्णय लेने की क्षमता प्रदान की है।

महिला दुग्ध सहकारी समितियाँ महिला कल्याण में अभी मजिल नहीं हैं, बल्कि एक उदाहरण हैं। हमें इन उपलब्धियों की सहायता से प्रेरणा लेकर प्रदेश के हर कोने में इसका विस्तार करके लाभ पहुँचाना है। प्रारम्भिक अनुभवों से यह कार्य बहुत कठिन प्रतीत हुआ था। मगर प्रसार कार्यकर्ताओं, फील्ड एवं प्रबन्धकीय स्टाफ के कठिन परिश्रम से यह सफलता मिली है कि अब हमें दुग्ध उत्थान में इसी पथ पर निरतर आगे बढ़ते रहना चाहिये।

साधन मिनी डेरी परियोजना में 1,28,376 ग्रामीणों को रोजगार मिलने की सुविधा प्रदान की गई है। ३०प्र० के कुल 32 जिलों में सघन मिनी डेरी परियोजना

लागू की गई है। प्रथम चरण में 15 जिलों में लागू की गई थी फिर द्वितीय चरण में 17 जनपदों में लागू किया गया। तीन वर्षों की इस परियोजना में 128,376 ग्रामीण जनों को रोजगार मिला है।

सघन मिनी डेरी परियोजना के प्रथम चरण में 15 जनपदों में 4 दुधारू पशु प्रति इकाई की दर से 7050 मिनी डेरी स्थापित किया गया था। द्वितीय चरण के 17 जनपदों के 4 दुधारू पशु की 3200 इकाइयाँ एवं 2 दुधारू पशुओं की 5600 कुल 8,800 मिनी डेरी परियोजना स्थापित की गई थी। इस प्रकार दोनों चरणों में 15850 मिनी डेरी स्थापित किया गया। इससे कुल 42,792 लोगों को रोजगार प्राप्त है। रोजगार परक सघन मिनी डेरी परियोजना का शुभारम्भ 1991 से प्रदेश के 17 जनपदों में शुरू करके सघो के माध्यम से क्रियान्वित किया गया था। इस परियोजना की माँग बढ़ने पर सरकार ने इसे अप्रैल 1993 से प्रदेश के 13 अन्य जनपदों में लागू करके बढ़ाई गई। माँग बराबर बनी रहने से सितम्बर 1993 में 10 और जनपदों में शुरू किया गया। अप्रैल 1994 से पिथौरागढ़ सहित प्रदेश के 14 और जनपदों में परियोजना सचालित की गई। अब तक प्रदेश के 54 जनपदों के दुग्ध उत्पादकों को कृषकों को सघन मिनी डेरी परियोजना से लाभान्वित किया गया। इस अवधि में कुल 24,118 मिनी डेरी परियोजना स्थापित करके 86714 व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया। परियोजना के अन्तर्गत कुल 51 10 करोड़ रूपये बैंकों से ऋण के रूप में उपलब्ध कराकर 60,112 दुधारू पशुओं को क्रय कराया गया है।

मुख्यमंत्री कहते हैं कि कम पूजी वाले ग्रामीण तथा कम जोत वाले किसान सघन मिनी डेरी परियोजना का लाभ उठाकर अपने आप के स्रोत में वृद्धि करे। उनका मानना है कि कम आदमी वाले, ग्रामीणों की जेब में पैसा होने से उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और बेरोजगारी दूर करने में काफी मदद मिलेगी। सघन मिनी डेरी परियोजना के अन्तर्गत पहली बार छोटे दुग्ध उत्पादकों तथा कृषकों को लाभान्वित करने के

उद्देश्य से दो दुधारू पशुओं को ही इकाई मान लिया गया। इससे पूर्व चार दुधारू पशुओं की इकाई का ही प्रावधान था सरकार द्वारा किये गये इस महत्वपूर्ण निर्णय से बुन्देलखण्ड तथा पर्वतीय क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों को काफी लाभ हुआ। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के बुन्देलखण्ड तथा पर्वतीय क्षेत्रों में हरे चारे तथा पानी की समस्या है।

सघन मिनी डेरी परियोजना के अन्तर्गत परियोजना की इकाई लागत और लाभार्थियों को देय अनुदान की धनराशि भी बढ़ा दी गयी है। परियोजना के अधीन लाभार्थियों को बैकों से व्यवसायिक दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रत्येक लाभार्थी को चार दुधारू पशुओं के क्रय हेतु 39,750 रूपये तक का ऋण एवं मार्जिन मनी दिलायी जा रही है। इकाई लागत बढ़ाकर अब चार पशुओं के लिए 45,630 रूपये एवं दो पशुओं के लिए 22,815 रु० कर दी गयी है।

इस परियोजना की विशेषता यह भी है कि अनुसूचित जाति/जानजाति के लाभार्थी के लिए 33% एवं अन्य वर्ग के लाभार्थी के लिए 25% अनुदान की धारणा है जबकि पहले लागू की गयी परियोजना में लाभार्थी को 2000/= प्रति मिनी डेरी पर मार्जिन मनी उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान था।

सघन मिनी डेरी परियोजनान्तर्गत गरीबी व बेरोजगारी प्रबन्ध की 2 भयावह समस्याएँ हैं। गरीबी बेरोजगारी का परिणाम है घर में रोजगार मिल जाने पर बेरोजगारी स्वतं पलायन कर जाती है। जिस घर में बेरोजगारी रहती है गरीबी स्वतं बनी रहती है। अतएव उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबी मिटाने के लिए प्रदेश में बेरोजगारी मिटाने को प्राथमिकता दी। इसमें सघन मिनी डेरी परियोजना का प्रमुख स्थान है। इस योजना में रोजगार सृजन की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1997-98 में सघन मिनी डेरी परियोजना

दो चरणो मे क्रियान्वित कर प्रथम चरण मे 15 जिले तथा द्वितीय चरण मे 17 जनपद शामिल किये गये हैं -

तालिका 7 8

प्रथम चरण के जनपद

1-	मऊ
2-	हरदोई
3-	नैनीताल
4-	बदायूँ
5-	कानपुर
6-	सीतापुर
7-	गाजीपुर
8-	फतेहपुर
9-	फिरोजाबाद
10-	बरेली
11-	मेरठ
12-	बलिया
13-	लखनऊ
14-	इलाहाबाद
15-	बाराबकी

द्वितीय चरण के जनपद

- | | |
|-----|------------------------|
| 1- | लखीमपुर खीरी |
| 2- | उन्नाव |
| 3- | बुलन्दशहर |
| 4- | एटा |
| 5- | महामायानगर |
| 6- | मथुरा |
| 7- | अम्बेडकर नगर |
| 8- | सुल्तानपुर |
| 9- | उधम सिंह नगर |
| 10- | चन्दौली |
| 11- | जौनपुर |
| 12- | जालौन |
| 13- | बिजनौर |
| 14- | ज्योतिबाद राव फूले नगर |
| 15- | देवरिया |
| 16- | हमीरपुर |
| 17- | फरूखाबाद |
-

इससे पूर्व भी हम 1992 में सघन मिनी डेरी परियोजनाओं को तरीके से प्रदेश के कई जनपदों में देख चुके हैं। इस योजना में 26,238 लाभार्थियों को 90 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करके 83,355 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराया गया था।

सघन मिनी डेरी परियोजना के अन्तर्गत चारा दुधारू पशुओं की ईकाई हेतु ऋण दिये जाने की व्यवस्था की गई है जिसके अन्तर्गत न्यूनतम 8 लीटर दूध देने वाली चार ग्रेड मुर्ग भेसो/चारा क्रास बोड गाय हेतु 40,000 रु0 2 पशुओं के एक माह के चारे - दाने हेतु 1200/- रूपये, दो पशुओं के मासिक चिकित्सा हेतु 300/- रूपया पशु बीमा हेतु मास्टर पालिसी के अन्तर्गत रियायती व्यवस्था हेतु 2,130रु0 पशुओं के लाने हेतु 2,0,00 रूपये अर्थात् 45,630 रु0 ऋण की व्यवस्था है।

इस सघन मिनी डेरी परियोजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पर्वतीय क्षेत्र के लाभार्थियों को लागत का 33% तथा अधिकतम 10,000 रु0 का अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान नकद न देकर पशु बीमा प्रीमियम एवं बैक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। इससे दुरुप्रयोग को रोका जाता है। वास्तविक लाभ लाभार्थी को ही मिलता है। लाभ के सहायतार्थ बैक की ऋण राशि पर सरकार द्वारा 45,000/- रु0 भूमि बधक अभिलेखों पर स्वाम्ब शुल्क प्रभार से छूट प्रदान की गई है।

इस परियोजनान्तर्गत ऐसे सदस्य पशुपालक जिनके पास इस परियोजना के लिए उपलब्ध कराये जाने वाले ऋण बैक की राशि के मूल्य के बराबर सिचित/असिचित भूमि उपलब्ध हो, वह किसी बैक का बकायेदार न हो तथा कम से कम एकड़ भूमि बैक ऋण के सापेक्ष बधक रखने में सक्षम हो अथवा पर्वतीय जनपदों में जहाँ 2 पशुओं की योजनाओं का आधा एकड़ या 10 नाकी भूमि बैक के पक्ष में बधक रखने में सक्षम हो, उन्हीं को ऋण प्राप्त हो सकता है।

इस परियोजना मे लाभार्थियो हेतु गाँव-2 मे स्थापित सहकारी दुग्ध समितियों पर पूरे वर्ष दूध विक्रय की सुविधा हो, जहाँ पर इस योजनान्तर्गत ऋण प्राप्त करके दुग्ध व्यवसाय प्रारम्भ कर सकते है जिससे तल्लीन आय मिलना शुरू हो जाता है। किसी भी व्यवसाय से इतनी शीघ्र प्राप्ति सम्भव नहीं है।

तीन वर्षीय परियोजना के प्रथम चरण - द्वितीय चरण मे प्रत्येक वर्ष क्रमश 7050 एव 8800 डेरियों स्थापित की गई। जिसमे सापेक्ष जनवरी 1998 तक प्रथम चरण के अन्तर्गत 10765 तथा द्वितीय चरण के अन्तर्गत 13032 लाभार्थियो को चयनित किया गया। इसके द्वारा क्रमश 8431, 9953 प्रार्थना पत्र प्राप्त हो चुके है। जनवरी 1998 प्रथम चरण के अन्तर्गत 3952 प्रार्थना पत्रो पर क्रमश 1562 52 लाख का ऋण स्वीकृत हो चुका है। तथा 1828 लाभार्थियो को 416 36 लाख का ऋण वितरित कराके 1778 पशुओ का क्रय कराके 2,565 व्यक्तियो हेतु रोजगार सृजित किया जा चुका है।

द्वितीय चरणान्तर्गत 3102 प्रार्थना पत्रो पर 829 76 लाख रु० का ऋण स्वीकृत कराकर 360 पशुओ का क्रय कराके 520 व्यक्तियो हेतु रोजगार सृजित किया जा चुका है। इस परियोजनान्तर्गत ग्रामीण स्तर पर रोजगार की व्यापक सम्भावनाए विद्यमान है इसे तो अपने दरवाजे पर ही प्रारम्भ किया जा सकता है। इतनी कम लागत मे कोई उद्योग धन्धा स्थापित करना सम्भव नहीं है। साथ ही साथ इतनी सुगमता से न तो कोई रोजगार या आय का साधन ही सुलभ कराकर लाभार्थियो को लाभ एव आय का साधन ही सुलभ कराया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत दुग्ध विकास के सन्दर्भ मे यदि हम उत्तराखण्ड राज्य जो अलग राज्य बनने वाला है के क्षेत्र मे गो जाति 19,78,331 एव महिय जाति

की 846,577 पशु है। पर्वतीय क्षेत्र मे प्रति हजार सख्या पर दुधारू पशुओं की सख्या वर्ष 1993-94 मे 178 है जोकि न केवल प्रदेश की 108 से बहिक बुदेलखण्ड 167 पश्चिमी 115, केन्द्रीय 106 एव पूर्वी 87 से अधिक है। इसी प्रकार प्रति लाख दुधारू पशुओं पर दुग्ध देने वाले पशुओं पर दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों की सख्या सर्वाधिक केन्द्रीय क्षेत्र मे 87 है। पर्वतीय क्षेत्र 85 का दूसरा स्थान है। तथा सबसे कम बुदेलखण्ड मे 22 है। पश्चिमी एव पूर्वी क्षेत्र के क्रमशः 79 एव 56 हैं—

तालिका स० - ७ ९

उ०प्र० को प्रति हजार, जनसख्या पर दुधारू पशु स० तथा प्रति लाख दुधारू पशुओं पर दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की सख्या वर्ष 93 से 94 तक प्रगति

आर्थिक सम्भाग	प्रति हजार जनसख्या पर दुधारू पशुओं की सख्या वर्ष १९९३-९४	प्रति लाख दुधारू पशुओं पर दुग्ध समितियों की सख्या १९९३-९४
---------------	--	---

पर्वतीय क्षेत्र	178	85
बुदेलखण्ड	167	22
पूर्वी क्षेत्र	87	56
केन्द्रीय क्षेत्र	186	87
पश्चिमी क्षेत्र	115	79
उत्तर प्रदेश	108	69

स्रोत — उ०प्र० के आर्थिक स्थिति के अभिज्ञान हेतु जिलेवार विकास सकेतक १९९५।

उत्तराखण्ड मे प्रति हजार जनसंख्या पर दुधारू पशुओ की संख्या सर्वाधिक है। उत्पादन के दृष्टिकोण से उत्पादकता अत्यन्त कम है। अत दुग्ध विकास कार्यक्रम को सर्वाधिक प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे दुग्ध उत्पादन बढ़ने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रो मे स्थानीय लोगो की आय एव रोजगार मे वृद्धि हो सके। यह व्यवसाय कृषि के बाद दूसरा मुख्य व्यवसाय है। इसलिए दुग्ध उत्पादन के साथ ही साथ इसके परिवहन, प्रस्तुकरण एव विपणन के लिए भी सुविधाओ का विस्तार करना आवश्यक है। पर्वतीय क्षेत्र मे गाव दूर दूर होने तथा पहाड़ी स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कच्चा माल के जाने मे काफी परेशानी होती है। दूध खरब होने का भी डर बना रहता है। अत इसके प्रस्तुकरण व विपणन की सुविधाओ का विस्तार होना अति आवश्यक है। उत्तराखण्ड क्षेत्र मे आठवी योजना पचवर्षीय योजनावधि मे दुग्ध विकास की दिशा मे किये गये प्रयासो को निश्चुलिखित तालिका मे दर्शाया गया है।

तालिका 7 10

आठवी पचवर्षीय योजना मे विकास प्रगति

मद	इकाई	भौतिक उपलब्धियाँ
1	2	3
ग्रामीण दुध समितियो	संख्या	1045
कार्यरत ग्रामीण दुग्ध समितियाँ	"	1006
औसत दुग्ध उत्पादन	लीटर प्रतिदिन	36310
शहरो मे तरल दुग्ध विक्री	" "	45000
राज्य दुग्ध श्रिड की विक्री	" "	7000
ग्रामीण दुग्ध स0 मे पजीकृत दुग्ध	" "	56550

1	2	3
उत्पादक सदस्य	हजार मीटन	2124
पशु आहार की विक्री	सख्ता	6
दुध सयन्त्र	"	10
दुग्ध शतिकरण केन्द्र		
दुग्ध सयन्त्रों की दुग्ध प्रोसेसिंग क्षमता	लीटर प्रतिदिन	90,000
दुग्ध शतिकरण केन्द्रों की शक्तिकरण क्षमता	" "	45,000
दुग्ध सयन्त्रों के दुग्ध प्रोसेसिंग क्षमता का उपयोजु	प्रतिशत	33-55%

डॉ निगम सुधीर कुमार - "सहकारिता" जिलेवार विकास सकेतक मासिक प्रगति ज०फ० 98 पेज 27 प्रकाशन यू०पी० कोआपरेटिव यूनियन लि० 14 डॉ अम्बेडकर मार्ग, लखनऊ।

गरीबी व बेरोजगारी इस समय देश व प्रदेश की सबसे बड़ी विकराल समस्या है। यह दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू है। क्योंकि गरीबी बेरोजगारी का ही जटिल रूप है। भयावह बेरोजगारी ही गरीबी का एक मात्र कारण है। रोजगार अवसर बढ़ाये जाने पर ही गरीबी उन्मूलन सम्भव है। इस अभियान में दुधारू पशुपालन ही अह भूमिका निभाती है। दुधारू पशु-पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य धुरी है। क्योंकि लघु एव सीमात कृषक के लिए पशुपालन एक बहुत बड़ा सहारा है। दुधारू पशु एक प्रकार उद्योग मेरे विचार से है जो सहजता से एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानान्तरित किया जा सकता है। पशुपालन जहाँ कुपोषण व अल्प-पोषण का सुगम उपाय है, वही

स्वरोजगार के अवसर भी सृजित करता है। इसे अपनी क्षमतानुसार बढ़ाया जा सकता है। हर परिवार द्वारा पशु पालन करके अपने परिवार के उपभोग के अतिरिक्त दुग्ध का विक्रय किया जा सकता है। और दूध का सकलन, उपार्जन, परिवहन, प्रस्तकरण एवं दुग्ध उत्पादकों के बाजार से लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं एवम् नगरीय क्षेत्रों में भी रोजगार सृजित होता है। दुग्ध, प्रस्तकरण, परिवहन और उत्पादन से कृषि आधारित दुग्ध उद्योगों की अवस्थापना को भी बल मिलता है, जिससे रोजगार के अवसर निरतर बढ़ते रहते हैं।

दुग्ध क्षेत्र में निजी व सहकारी क्षेत्र दोनों द्वारा कार्य किये जा रहे हैं। निजी क्षेत्रों द्वारा ग्रामीण एजेट बनाये जाते हैं, जिसके द्वारा दूध क्रय किया जाता है। उनका विक्रेता से दूध क्रय न्न विक्रय का सबध रहा है। जबकि सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जनतान्त्रिक आधार पर दुग्ध उत्पादक किसानों का सहकारी संगठन बनाया जाता है। इसमें कम से कम एक दुधारू पशु रखने वाले 30 सदस्यों की सदस्यता जरूरी होती है। इन्हीं सदस्यों को मिलाकर एक दुग्ध समिति बनाई जाती है। तथा इस 30 सदस्यों में से एक दुग्ध समिति के प्रबध समिति के 7 सदस्यों का चुनाव करते हैं। ये 7 सदस्य अपने में से एक सचिव चुनकर दुग्ध संग्रह केन्द्र से एकत्र कर परिवहन से दुग्ध सघ डेरी भेजवाने का कार्य करते हैं। अवशीतन केन्द्र से साप्ताहिक प्रत्येक दुग्ध समिति को दुग्ध मूल्य का भुगतान बैक एडवाइज के माध्यम से किया जाता है जिसे सचिव बैक में जमा करके धनराशि निकाल करके सदस्यों में उनकी मात्रा व सृजकताधार पर वितरित करता है। सचिव, दुग्ध समिति का वैतनिक कर्मचारी के साथ उसे दुग्ध समिति द्वारा किये जा रहे व्यवसाय अनुपात में वेतन प्राप्त करता है।

उपरोक्त के अलावा दुग्ध समिति के सदस्यों को और भी सुविधाएं प्राप्त होती है। ये सुविधाएं निजी क्षेत्र द्वारा नहीं प्रदान की जाती हैं। दुग्ध सहकारिताएं अपनी

समिति के सदस्यों से सिर्फ व्यावसायिक जुडाव न रखकर उनकी उन्नति व सुरक्षा पर भी पर्याप्त ध्यान रखती है। क्योंकि बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएँ हैं, जो भूमिहीन एवं लघु सीमात् कृषक स्वतं नहीं कर पाते हैं। दुग्ध समितियों के माध्यम से हरा चारा, बीज, सतुलित पशु 'आहार, कृत्रिम गर्भाधान, पशु चिकित्सा तथा आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिक पशु चिकित्सा व्यवस्था व सक्रामक रोगों से बचाव हेतु पशुओं के टीकाकरण की व्यवस्था उचित मूल्य पर करायी जाती है जिसके लिए सदस्यों को अलग से कोई भागदौड़ नहीं करनी पड़ती है। इसके अलावा सहकारी डेरी प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से सदस्यों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण भी दिये जाते हैं जिससे वे हरा चारा उगाने, पशुओं की उचित देख-रेख आदि के सबध में उचित जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा विभिन्न क्रृषि योजनाओं जैसे सघन मिनी डेरी योजना तथा ग्राम्य विकास योजनाओं के माध्यम से पशुओं के क्रृषि की व्यवस्था हेतु भी दुग्ध सहकारिताएँ मददगार साबित होती हैं।

इसके अलावा दुग्ध समिति को वर्षान्त में जो भी व्यावसायिक लाभ प्राप्त होता है, उसमें से काफी हिस्सा पुनः सदस्यों के बीच में बोनस के रूप में बॉट देती है। जबकि निजी व्यावसायियों को इस प्रकार का कोई भी विकास एवं उन्नति का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध क्रम के अलावा नहीं किया जाता है। इस प्रकार दुग्ध सहकारिता, दुग्ध उत्पादकों की, दुग्ध उत्पादकों द्वारा तथा दुग्ध उत्पादकों को हितों की रक्षार्थ बनायी गई स्स्था है, जोकि आनन्द पद्धति पर आधारित होने के साथ-साथ सहकारी सिद्धान्तों पर कार्य करती है।

सहकारी दुग्ध समिति व्यक्तियों की एक ऐसी स्वायत्त शासी स्स्था है, जो सयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतान्त्रिक आधार पर नियत्रित उद्यम के जरिये अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक, और सास्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट होते हैं। हम अपने विचार से सहकारी दुग्ध समितियों को स्वालम्बन

स्वउत्तरदायित्व तथा दूसरों के हितों को चिन्तन करने जैसे नैतिक मूल्यों पर विश्वास करते हैं।

इस प्रकार सहकारी दुग्ध समितियाँ सहकारिता के सात सिद्धान्तों जैसे स्वेच्छिक व खुली सदस्यता/प्रजातान्त्रिक सदस्य नियन्त्रण/सदस्यों की आर्थिक भागीदारी/स्वायत्तता एवं स्वतन्त्रता/शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना/सहकारी समितियों में परस्पर सहयोग/समुदाये के प्रति निष्ठा जैसे नैतिक मूल्यों पर विश्वास करती हैं।

वर्ष 1992-93 में उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पार्जन 5 79 लाख लीटर प्रतिदिन था इसी प्रकार 93-94 में 5 80 लाख लीटर प्रतिदिन वर्ष 94-95 में 5 52 लाख लीटर प्रतिदिन व वर्ष 1995-96 में 6 73 लाख लीटर प्रतिदिन था।

उत्तर प्रदेश में कार्यरत दुग्ध समितियाँ वर्षवार निम्नवत् सख्त्या हजार थीं। वर्ष 1992-93 में 6,686 वर्ष 1993-94 में 70,17 वर्ष 1994-95 में 7827 वर्ष 1995-96 में 8,933 हजार थीं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में कार्यरत दुग्ध समितियों के सदस्यों की सख्त्या वर्षवार सदस्यता लाख की सख्त्या में निम्नवत् रही। वर्ष 92-93 में 3 83 लाख, वर्ष 93-94 में 3 99 लाख, वर्ष 94-95 में 4 29 लाख तथा वर्ष 95-96 में 4 86 लाख थीं।

तालिका - 7 11

उत्तर प्रदेश मे वर्ष 1992-93 से लेकर वर्ष 1995-96 तक कृतिम वीर्यदान सेवा व सीमेन डोजेज वितरण एव उत्पादन प्रगति

वर्ष	कृतिम वीर्यदान	सीमेन डेजेज	दुग्ध सघ वितरण	पशु पालन (सीमेन)
	सेवा लाख मे	कुल उत्पादक (लाख)	सीमेन डेजेज	
1992-93	186,378	347,554	2041,168	152,941
1993-94	229,326	381,642	210,474	375,692
1994-95	2001,001	403,203	2020,90	724,077
1995-96	228,983	430,899	242,736	807,603

उत्तर प्रदेश मे औसत दुग्ध विक्रय (लाख लीटर प्रतिदिन) वर्ष 1992-93 मे 3 14 वर्ष 93-94 मे 3 61, वर्ष 94-95 मे 3 76 व वर्ष 95-96 मे 3 66 लाख लीटर प्रतिदिन रहा। इस प्रकार वर्ष 1995-96 मे दुग्ध विक्रय की मात्रा वर्ष 94-95 की अपेक्षा कम आई है। इसका प्रमुख कारण भारत सरकार की

पी0सी0डी0एफ0 - "पराग वार्षिक विवरण 1995-96" पेज स0 13 प्रकाशक, प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लिमिटेड 29 पार्क रोड, लखनऊ।"

उदारीकरण के फलस्वरूप निजी व्यवसायों का दुग्ध व्यवसाय में प्रवेश है। निजी व्यवसायियों का सहकारिता क्षेत्र से कड़ी स्पर्धा रही है। परन्तु अपेक्षित गुणवत्ता को बनाये रखते हुए पूरे प्रयास किये गये। वर्ष 95-96 में विभिन्न दुग्ध उत्पादों का विक्रय [मीटरन] निम्नवत रहा जोकि मक्खन 2063.66, धी 2883.21, एस एम पी 71.8, डेरी हवाइटनर 36.62 मीटरीटन उत्पादन किया गया।

वर्ष 1994-95 की अपेक्षा वर्ष 1995-96 में मक्खन के विक्रय में 4.8 तथा धी के विक्रय में 43.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1983 के बाद पराग शिशु आहार का उत्पादन कतिपय कारणों से नहीं किया जा रहा था परन्तु इसकी आवश्यकता को देखते हुये सामान्य निकाय की बैठक में इसका उत्पादन पुन व्यापक करने का निर्णय लिया गया तथा वर्ष 1995-96 में इसकी विक्री शुरू करते हुए 4.3 मीटरीटन की विक्री की गई। इस वर्ष क्षेत्रीय विपणन कार्यालयों के माध्यम से वर्ष 1995-96 में उत्पाद विक्रय के समक्ष सर्वाधिक शुद्ध लाभ लगभग 70.17 लाख रु.0 अर्जित किया गया। वर्ष 1985 से अर्जित की जा रही विपणन कार्यालयों के माध्यम से यह अर्जित की जाने वाली राशि से सर्वाधिक राशि की है।

- प्रस्तकरण एवं उत्पादन प्रक्रिया द्वारा प्रदेश की समस्त इकाइयों में स्टेट मिल्क ग्रिड में तरल दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों के परिवहन सचालन प्रक्रिया कार्य हेतु प्रतिमाह प्रोडक्शन प्लान के माध्यम से कार्य सम्पादित किया जाता है। दुग्ध उत्पार्जन के अनुसार मौंग को देखते हुए दूध एवं दुग्ध पदार्थ विपणन हेतु योजना बनाकर समय-समय पर विभिन्न इकाइयों को प्रेषित करता है। इस अनुभाग द्वारा उत्तर प्रदेश की दोनों पुश्च आहार इकाइयों को वार्षिक योजना, प्रगति, मासिक, प्रोडक्शन प्लान, एवं प्रस्तकरण कार्य का दिशा निर्देशन भी किया जाता है। समय -2 पर प्रदेश की बाहरी फेडरेशनों, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, एन०सी०डी०एफ०आई० योजना दिल्ली दुग्ध योजना, परिवहन हेतु टैकरों की व्यवस्था, आपरेशन फ्लड श्रम डेरियों के साथ-2 नोएडा डेरी प्लाट के कार्य नियोजन की समीक्षा व नियत्रण निरीक्षण करते हुए सचालन कार्य का विश्लेषण कर प्रभावी कार्य योजना प्रस्तुत की जाती है -

उदारीकरण के फलस्वरूप निजी व्यवसायों का दुग्ध व्यवसाय में प्रवेश है। निजी व्यवसायियों का सहकारिता क्षेत्र से कड़ी स्पर्धा रही है। परन्तु अपेक्षित गुणवत्ता को बनाये रखते हुए पूरे प्रयास किये गये। वर्ष 95-96 में विभिन्न दुग्ध उत्पादों का विक्रय (मीटरन) निम्नवत रहा जोकि मक्खन '2063 66, घी 2883,21, एस एम पी 71 8, डेरी हवाइटनर 36 62 मीटरीटन उत्पादन किया गया।

वर्ष 1994-95 की अपेक्षा वर्ष 1995-96 में मक्खन के विक्रय में 48 तथा घी के विक्रय में 43.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1983 के बाद पराग शिषु आहार का उत्पादन कतिपय कारणों से नहीं किया जा रहा था परन्तु इसकी आवश्यकता को देखते हुये सामान्य निकाय की बैठक में इसका उत्पादन पुन ग्राम्भ करने का निर्णय लिया गया तथा वर्ष 1995-96 में इसकी विक्री शुरू करते हुए 43 मीटरीटन की विक्री की गई। इस वर्ष क्षेत्रीय विपणन कार्यालयों के माध्यम से वर्ष 1995-96 में उत्पाद विक्रय के समक्ष सर्वाधिक शुद्ध लाभ लगभग 70 17 लाख ₹0 अर्जित किया गया। वर्ष 1985 से अर्जित की जा रही विपणन कार्यालयों के माध्यम से यह अर्जित की जाने वाली राशि से सर्वाधिक राशि की है।

- प्रस्तकरण एवं उत्पादन प्रक्रिया द्वारा प्रदेश की समस्त इकाइयों में स्टेट मिल्क ग्रिड में तरल दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों के परिवहन संचालन प्रक्रिया कार्य हेतु प्रतिमाह प्रोडक्शन प्लान के माध्यम से कार्य सम्पादित किया जाता है। दुग्ध उत्पार्जन के अनुसार मौँग को देखते हुए दूध एवं दुग्ध पदार्थ विपणन हेतु योजना बनाकर समय-समय पर विभिन्न इकाइयों को प्रेषित करता है। इस अनुभाग द्वारा उत्तर प्रदेश की दोनों पश्च आहार इकाइयों को वार्षिक योजना, प्रगति, मासिक, प्रोडक्शन प्लान, एवं प्रस्तकरण कार्य का दिशा निर्देशन भी किया जाता है। समय -2 पर प्रदेश की बाहरी फेडरेशनों, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्डों, एन०सी०डी०एफ०आई० योजना दिल्ली दुग्ध योजना, परिवहन हेतु टैकरो की व्यवस्था, आपरेशन फ्लड श्रम डेरियों के साथ-2 नोएडा डेरी प्लाट के कार्य नियोजन की समीक्षा व नियन्त्रण निरीक्षण करते हुए संचालन कार्य का विश्लेषण कर प्रभावी कार्य योजना प्रस्तुत की जाती है -

वर्ष 1995-96 मे विभिन्न दुग्ध सघो हेतु अभियन्त्रण के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्य सम्पन्न कराये गये । लखनऊ डेरी क्षमता को विस्तारीकरण 50,000 ली0 प्रतिदिन से 150,000 लीटर प्रतिदिन कराया गया । कानपुर, डेरी क्षमता का विस्तारीकरण 60,000 ली0 प्रतिदिन से 150,000 ली0 प्रतिदिन कराया गया । अलीगढ़ मे 60,000 ली0 प्रतिदिन दुग्ध शाला ने कार्य प्रारम्भ किया । इलाहाबाद मे 60,000 लीटर प्रतिदिन दूध दुग्धशाला ने कार्य आरम्भ किया ।

तालिका स0 7 13

अवशीतन केन्द्र	लीटर प्रतिदिन क्षमता के अवशीतन केन्द्र स्थापना/कमिशनिंग
----------------	---

बलिया	20,000
बुलन्दशहर	100,000
एटा	20,000
गाजियाबाद (हापुड़)	30,000
गाजीपुर	20,000
हरदोई	30,000
सहारनपुर	30,000
उन्नाव	20,000
सुल्तानपुर	20,000
मथुरा	क्षमता विस्तारीकरण कार्यक्रम पूर्ण कराते हुए व्वायलर की स्थापना
फतेहपुर (खागा)	20,000
बिल्हौर (कानपुर)	20,000
अकबरपुर (कानपुर)	30,000

निम्नलिखित दुग्ध शालाओं/अवशीतन केन्द्रो पर ₹०टी०पी० की स्थापना का कार्यपूर्ण कराया गया जो निम्नवत है ----- इलाहाबाद, अलीगढ़, बिदकी [फतेहपुर] इटावा, रायबरेली, इत्यादि इसके साथ ही साथ निम्न अवशीतन केन्द्रो पर ₹०टी०पी० कार्य प्रारम्भ किया गया जो निम्नवत है - मथुरा, बुलन्दशहर, बलिया, आगरा, सीतापुर, उन्नाव, फतेहपुर [खागा] सुल्तानपुर, जौनपुर इत्यादि ।

पशु आहार गोदाम निम्न दुग्ध सघो ओ०एफ०-३ के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय सहायता से पशु आहार गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया जो निम्नवत है। उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, हरदोई, सुल्तानपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, सहारनपुर, बाराबकी इत्यादि ।

प्रौद्योगिकी मिशन डेरी विकास की स्थापना विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत अगस्त 1988 में की गई । यह कार्यरत विभिन्न संस्थाओं को एक साथ लाने एक जुट होकर समन्वित करने के तरीके से कार्य करने का एक फोरम है । ताकि प्रदेश के कास्तकारों को चालू योजनाओं का अधिकतम लाभ कम व्यय पर प्रदान किया जा सके । इस कार्यक्रम के प्रथम चरण 1991-92 में 17 दुग्ध सघो, द्वितीय चरण वर्ष 1992-93 में 10 दुग्ध सघो तथा तृतीय चरण वर्ष 93-94 में 02 दुग्ध सघो को वित्तीय सहायता शत प्रतिशत अनुदान रूप में उपलब्ध कराई गई है । वर्ष 1991-92 में 171, वर्ष 92-93 1049, वर्ष 1993-94 में 1232 वर्ष 94-95 में 1622 एवं 95-96 में 2096 समितियों को आच्छादित किया गया ।

इस कार्यक्रम से सम्बद्ध पशु चिकित्सालयों के पशु चिकित्साधिकारी तथा प्रत्येक जनपद से 2 वरिष्ठ जिला स्तरीय अधिकारियों एवम् मुख्य विकास अधिकारियों के ओरियेन्टेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ओरियेन्टेशन भी कराया गया । अब तक 154 पशु चिकित्साधिकारियों को लखनऊ से 47 वरिष्ठ जिला स्तरीय अधिकारियों एवं 27 मुख्य विकास अधिकारियों को आनन्द से ओरियेन्टेशन कराया जा चुका है।

निम्नलिखित दुग्ध शालाओं/अवशीतन केन्द्रो पर ₹०टी०पी० की स्थापना का कार्यपूर्ण कराया गया जो निम्नवत है ----- इलाहाबाद, अलीगढ़, बिदकी (फतेहपुर) इटावा, रायबरेली, इत्यादि इसके साथ ही साथ निम्न अवशीतन केन्द्रो पर ₹०टी०पी० कार्य प्रारम्भ किया गया जो निम्नवत है - मथुरा, बुलन्दशहर, बलिया, आगरा, सीतापुर, उन्नाव, फतेहपुर (खागा) सुल्तानपुर, जौनपुर इत्यादि ।

पशु आहार गोदाम निम्न दुग्ध सघो ओ०एफ०-३ के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय सहायता से पशु आहार गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया जो निम्नवत है। उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, हरदोई, सुल्तानपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, सहारनपुर, बाराबकी इत्यादि ।

प्रौद्योगिकी मिशन डेरी विकास की स्थापना विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत अगस्त 1988 मे की गई । यह कार्यरत विभिन्न संस्थाओं को एक साथ लाने एक युट होकर रागचित करने के तरीके से कार्य करने का एक फोरम है । ताकि प्रदेश के कास्तकारों को चालू योजनाओं का अधिकतम लाभ कम व्यय पर प्रदान किया जा सके । इस कार्यक्रम के प्रथम चरण 1991-92 मे 17 दुग्ध सघो, द्वितीय चरण वर्ष 1992-93 मे 10 दुग्ध सघो तथा तृतीय चरण वर्ष 93-94 मे 02 दुग्ध सघो को वित्तीय सहायता शत प्रतिशत अनुदान रूप मे उपलब्ध कराई गई है । वर्ष 1991-92 मे 171, वर्ष 92-93 1049, वर्ष 1993-94 मे 1232 वर्ष 94-95 मे 1622 एव 95-96 मे 2096 समितियो को आच्छादित किया गया ।

इस कार्यक्रम से सम्बद्ध पशु चिकित्सालयो के पशु चिकित्साधिकारी तथा प्रत्येक जनपद से 2 वरिष्ठ जिला स्तरीय अधिकारियो एवम् मुख्य विकास अधिकारियो के ओरियेन्टेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ओरियेन्टेशन भी कराया गया । अब तक 154 पशु चिकित्साधिकारियो को लखनऊ से 47 वरिष्ठ जिला स्तरीय अधिकारियो एव 27 मुख्य विकास अधिकारियो को आगरा से ओरियेन्टेशन कराया जा चुका है।

प्रौद्योगिकी मिशन भारत सरकार के माध्यम से मार्च, 1996 तक कुल 93 444 लाख रूपया प्राप्त हुआ। जिसके समुख 78 186 लाख रु० का उपयोग किया गया। तथा 14 628 लाख रु० का उपयोग किया जाना अवशेष रकम पूरी की गई।

आजादी के 50वीं वर्षगाठ पर दुर्घट विकास की प्रगति 93 से मई 98 तक

तालिका 7 14

दुर्घट विकास प्रगति की एक झलक (1997-98)

आच्छादित जनपद-71

आपरेशन फ्लड जनपद-36

प्रमुख गतिविधियाँ	1993-94	94-95	95-96	96-97	97-98	%	%
	1	2	3	4	5	6	7
1 कार्यरत दुर्घट समितिया	9,641	10,950	12,647	14,107	14,592	14	-
ओ०एफ०	7,071	7,827	8,933	9621	10,501	09	-
दुर्घट परिषद	2,624	3,123	3,714	3938	4,614	19	
2 सदस्यता (लाख में)	5 40	5 97	6 77	7 25	7 66	10	
ओ०एफ०	3 99	4 29	4 88	5 14	5 45	9	
दुर्घट परिषद	1 41	1 68	1 89	2 03	2 32	11	

अन्य महत्वपूर्ण दुग्ध कार्यक्रमों का विवरण निम्नवत् है -

अन्य परियोजनाएँ -

माह मार्च 97 तक {

। माह दिसंबर 97 तक }

परियोजना	आच्छादित जनपद	रोजगार सूजन	आच्छादित जनपद	रोजगार सूजन	%पूर्ति
	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	
सघन मिनी डेरी परियोजना	54	81,672	87,081	15	1,691
महिला डेरी परियोजना	33	42,870	60,541	33	45,060
अनसूचित जाति/जनजाति	64	99,250	69,651	64	69,103
					61,549
					89

रोजगार सूचना	1996-97	1997-98	लक्ष्य	पूर्ति	%पूर्ति
सेन्ट्रल सेक्टर योजना	लक्ष्य	पूर्ति			
समिति सङ्ख्या	1,000	876		1,000	997 100
सदस्यता	33,900	31,278		33,900	32,965 97
औसत दुग्ध उत्पार्जन	31,000	22,000		23,500	22,361 95
लौटर					
कृषिगत वर्षाधान केन्द्र	200	189		200	200 100

गौंथी ग्राम योजना	76 माह दिसम्बर 97 तक
आन्ध्रादित ग्राम।	
योजना प्रारम्भ से क्रमिक	458
प्रगति	
आन्ध्रेडकर ग्राम्य विकास योजना	275 } माह दिसम्बर 97 तक।
योजना प्रारम्भ से क्रमिक	2301
सेन्ट्रल सेक्टर प्रगति	0 } 1997 इुध समितियाँ आन्ध्रादित।
अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं हेतु	

71 86762

{ रोजगार मूजन }

चारा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुओं के पोषण एवं उत्पादन (दुग्ध) लागत में कमी लाने हेतु पी०सी०डी०एफ० द्वारा चारा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देकर अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। चारा बीज वितरण हेतु चारे हेतु प्रयुक्त भूमि में परम्परागत चारा फसलों के स्थान पर चारे की उन्नतिशील/सकर किस्मों का बीज दुग्ध उत्पादकों को वितरित किया जाता है। योजनावार प्रगति निम्नवत है –

तालिका स० 7 15

पी०सी०डी०एफ० द्वारा पशुओं के पोषणमें योजनावार चारा प्रगति (वर्ष 92 से 96 तक)

वर्ष	चारा बीजवितरण (कुन्तल में)
------	----------------------------

1992-93	232 50
1993-94	3538 10
1994-95	5141 33
1995-96	5141 00

चारा बीजोउत्पादन हेतु चारे के उन्नतिशील प्रजातियों के बीजों का अभाव चारा उत्पादन में बाधक रहा है। इस कमी को पूर्ण करने के लिए पी०सी०डी०एफ० द्वारा बीजोउत्पादन कराया जा रहा है। यह कार्यक्रम वर्तमान में मुख्यतः बुलदशहर अलीगढ़ एवं आगरा दुग्ध सघों में बीज विद्यायन इकाई अलीगढ़ के माध्यम से क्रियान्वित हो रहा है।

तालिका स० 7 15 ए

पी०सी०डी०एफ० द्वारा पशुओं के पोषण में योजनावार बीजोत्पाद कुन्तल में 92 से
96 तक प्रगति

वर्ष	बीजोत्पादन [कुन्तल में]
------	-------------------------

1992-93	1210
1993-94	1500
1994-95	1937
1995-96	2380

हरा चारा प्रजाति प्रदर्शन में वर्ष 1991 - 92 में एन०डी०डी०बी० के सहयोग से चलायी जा रही इस योजनान्तर्गत उत्पादकों को नि शुल्क बीज उपलब्ध कराया जाता है।

तालिका स० 1 15 बी

एन०डी०डी०बी० द्वारा हरा चारा प्रजाति में 91 से 96 तक नि शुल्क बीज उपलब्ध प्रगति

वर्ष	हरा चारा प्रजाति प्रदर्शन सख्त्या
------	-----------------------------------

1991-92	8152
1992-93	13062

वर्ष	हरा चारा प्रजाति प्रदर्शन सख्ता
------	---------------------------------

1994-95	17570
1994-95	6593
1995-96	9682

चारा बीज मिनीकिट वितरण भारत सरकार से प्राप्त मिनीकिट प्रोग्राम के अन्तर्गत प्राप्त मिनीकिट को दुग्ध उत्पादकों में वितरित किया जाता है।

तालिका स0 7 15 सी

भारत सरकार से चाराबीज वितरण मिनीकिट दुग्ध उत्पादकों में 94 से 96 तक प्रगति

वर्ष	वितरित मिनीकिट
------	----------------

1994-95	5333
1995-96	11750

पी0सी0डी0एफ0 - वार्षिक विवरण पराग 1995-96 हरा चारा विकास कार्यक्रम पेज

स्वयके दायित्वों के कुशल निर्वहन की रणनीति के अन्तर्गत प्रदेश के नौ जनपदों में सहकारिता विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिसमें 171 सदस्य शिक्षा कार्यक्रम आयोजित कर 12081 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया और 102 फालोअप कार्यक्रम आयोजित किया गया। 180 महिला शिक्षा कार्यक्रम आयोजित कर 14,375 सदस्यों को शिक्षित किया गया। 118 महिला शिक्षा कॉर्टर्क्रम आयोजित कर 6,124 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। 50 प्रबंध कमेटी प्रशिक्षण आयोजित कर 667 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया 26 प्रबंध कमेटी फालोअप कायक्रम आयोजित कर 381 किया गया 26 प्रबंध कमेटी फालोअप कार्यक्रम आयोजित कर 381 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। 15 सचिव प्रशिक्षण आयोजित कर 289 सचिवों को प्रशिक्षित किया गया। स्कूल चिल्ड्रेन कार्यक्रम आयोजित कर 31 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। 29 नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित कर 565 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त 100 क्षेत्रीय दुग्ध दिवस आयोजित कर 20,065 सदस्यों तथा 15 जनपदीय दुग्ध दिवस आयोजित कर 20,065 सदस्यों तथा 15 जनपदीय दुग्ध दिवस आयोजित कर 10,747 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। इस प्रकार उपरोक्त कार्यक्रमों के परिणाम बड़े ही उत्साहवर्धक रहे तथा समितियों की कार्य प्रणाली में आशातीत सुधार परिलक्षित हो रहा है।

दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों का तकनीकी निवेश, सेवाओं तथा कृतिम गर्भाधन, पशु स्वास्थ रक्षा एवं चिकित्सा हरा चारा बीज, सतुरित पशु आहार, डेरी विकास, नई योजनाओं, प्रदेश व जनपदीय गतिविधियों की जानकारी हेतु प्रतिमाह "दुग्ध सहकारियों समाचार पत्र" का इस अनुभाग द्वाया प्रकाशन किया जा रहा है। इसका विक्रय आपरेशन फ्लड एवं दुग्ध परिषदीय जनपदों के सदस्य किसानों को जनपदीय दुग्ध सघों के माध्यम से किया जाता है।

दुग्ध समाचार पत्र की यह व्यवस्था स्वालम्बी है तथा प्रकाशन अनुभाग के स्टाफ का वेतन एवं समाचार पत्र की छपाई का व्यय निकालने के बाद वर्ष 95-96 में

एक लाख रुपये की बचत की गई। इसके अतिरिक्त वर्ष 1995-96 में इस अनुभाग द्वारा 1428,452 रु० की बचत की गई।

सघो से सेवक दुग्ध समितियों की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख एवं सतुलन पत्रों को 1995-96 तक तैयार करने की दिशा में प्रयत्न किये गये। फलस्वरूप 8833 पञ्जीकृत कार्यरत समितियों में से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर करीब 1995-96 तक पूर्ण करवाई जा चुकी है।

आयकर अधिनियम की धारा-44 के अधीन समस्त दुग्ध सघों एवम् पी०सी०डी०एफ० मुख्यालय में टैक्स आडीट सत्यापन का कार्य सहकारी सम्प्रेक्षकों के माध्यम से पूर्ण कराकर आयकर रिटर्न ससमय विभाग में टैक्स प्लानिंग करवाते हुए जमा करवाया गया वर्ष 95-96 में दुग्ध सघों (ओ०एफ० क्षेत्र) तथा पी०सी०डी०एफ० मुख्यालय में एवम् उसकी समस्त इकाइयों का समर्वता आडीट, चार्टर्ड लेखाकार फार्मों के माध्यम से करवाया गया।

तालिका स० 16

1995-96 में निम्नानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन -

नाम प्रशिक्षण	आगरा	कानपुर	लखनऊ	मेरठ	वाराणसी	रायबरेली
सचिव	244	24	226	111	127	55
टेस्टर	102	12	70	62	09	11
प्रबन्ध कमेटी	2226	124	1687	1089	1323	823
कृत्रिम गयदिस	62	59	120	31	83	68
प्रा०प०चि०	299	122	179	912	134	50
मू० गयदिस स्टेफेर	03	--	02	38	02	--

नाम प्रशिक्षण	आगरा	कानपुर	लखनऊ	मेरठ	वाराणसी	रायबरेली
प्रगतिशील कृषक	2243	1207	1750	1750	11201	1110
मूँगर्या०कलस्तर	15	17	38	64	08	14
पशुपालन एवं हरा						
चारा विकास	351	--	293	1440	1485	--
दुर्घट उपार्जन एवं						
तकनीक निविम	--	--	13	--	--	--
पशुपालन कार्यकर्ता	19	--	06	--	62	--
कुल कास्टोडियन	--	--	--	84	--	--
एफ०आई०पी०	17	--	104	--	--	--
सघन मिनी लाभार्थी	602	127	184	--	760	--
अन्य	--	--	87	--	--	--
लाभ की स्थिति						
लाख रूप मे	4 05 6 62	9 85	9 36	5 78	7 73	

वर्ष 1995-96 मे परियोजना द्वारा फेज-7 के अन्तर्गत 3 अन्य जनपद एटा, गाजियाबाद एवं इलाहाबाद आच्छादित करके मार्च 1998 तक कुल 135

समितियों का सगठन किया गया। इस फेज में कुल सदस्य 4050 तथा 6690 लीटर प्रतिदिन दूध उपार्जन किया जाता है। इस फेज की लागत कुल 247 930 ₹ है इस वर्ष फेज-7 के आच्छादन से कुल आच्छादित जनपदों की संख्या 30 से 33 होकर 33 जनपदों में 8 जनपद उ0प्र0 ग्राम्य विकास विभाग की अम्बेडकर ग्राम्य विकास की विशेष रोजगार योजना वित्त पोषित है। तथा 25 जनपद भारत सरकार के महिला एवं ग्राम्य विकास विभाग, मानव संसाधन मन्त्रालय के स्टेज कार्यक्रम द्वारा पोषित है।

वर्ष 1995-96 में अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना ग्राम्य विकास प्रशिक्षण विभाग उ0प्र0 शासन के अन्तर्गत 4 जनपदों यथा फिरोजाबाद, मैनपुरी, कानपुर, कानपुर देहात में महिला डेरी योजना के सचालन हेतु शासन से स्वीकृति प्राप्त की गई। इसके साथ ही साथ महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन मन्त्रालय, भारत सरकार स्तर से स्टेप कार्यक्रम के अन्तर्गत 3 जनपदों यथा अलीगढ़, सहारनपुर, बुलदशहर हेतु महिला डेरी परियोजना प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

पूरे वर्ष कुल 333 समितियों का सगठन करके 16038 अतिरिक्त महिला दुग्ध सघ सदस्यों को लाभान्वित किया गया जिसका औसत दुग्ध उत्पार्जन प्रतिदिन 4 6450 लीटर रहा। हरा बीज का कुल 26862 मिनीकिट सदस्यों को अनुदान (सदस्यों को) में वितरित कर 20395 35 कुन्तल पशु आहार 50% अनुदान रूप में सदस्यों को बोटा गया। सदस्यों के पशुओं की स्वास्थ रक्षा हेतु 30137 एफ0एम0डी0 के टीक तथा 30623 डोज कृमिनाशक दवा समिति सदस्यों को नि शुल्क उपलब्ध करायी गई।

पशुधन की सुरक्षा हेतु 8854 पशु बीमा (अनुदान) कराया गया। कुशल कार्य सचालन हेतु वर्ष 1995-96 हेतु 4274 प्रबंध कमेटी सदस्य 402 सचिव, 260ए0आई0/ए0एफ0ए0 वर्कर तथा 7547 महिलाओं को पशु पालन व हरा चारा उपलब्ध कराया गया। बहुमुखी उद्देश्यों को देखते हुये सदस्यों को स्वास्थ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 7,708 लाभार्थियों को प्रशिक्षित करके महिलाओं को भी 9789 की सख्ता में प्रशिक्षित किया गया।

इस योजना में 17,049 अतिरिक्त महिलाओं को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराके बच्चों के पल्स पोलियो टीकाकारण के अन्तर्गत 95-96 में 0 से 5 वर्ष के बच्चों को 25,000 की सख्ता में टीकाकरण कराया गया।

सघन मिनी डेरी परियोजना के अन्तर्गत गावों में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराके शहरों की तरफ पलायन को रोकने हेतु सघन मिनी डेरी परियोजना लागू की गई है। इस योजना का प्रारम्भ 17 जनपदों से हुआ था जिसका विस्तार विभिन्न चरणों में हेतु हुए 54 जनपदों तक हुआ। योजना की चरणवार प्रगति निम्नवत है –

तालिका स०- 7 17

सघन मिनी डेरी परियोजना का स्वरोजगार विस्तार हेतु 54 जनपदो में प्रगति -

	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पचम	योग
	चरण	चरण	चरण	चरण	चरण	
आच्छादित जनपद	17	47	10	13	01	54
स्वीकृत प्रार्थना पत्र	140,33	7044	2510	1198	124	24909
लाभार्थी	11041	5222	1793	810	111	18977
मिनी डेरी स्थापना						
〔क〕 चारा पशु	5,757	3,324	811	201	50	10,143
〔ख〕 दो पशु	5,284	1,898	982	609	61	8,834
रोजगार सृजन	46147	23901	7278	2109	222	98639

उक्त के अतिरिक्त बड़े पशुपालको हेतु तीन जनपदो में मिनी डेरी ब्रोडर परियोजना क्रियान्वित है जिसकी प्रगति निश्चुलिखित है।

तालिका स० ७ १८

स०मि०डेरी परियोजना का ३ जनपदो में प्रगति -

जनपद	स्वीकृत	वितरित	क्रय किये	रोजगार
	प्रार्थना पत्र	ऋण	गये पशु	सृजन
सीतापुर	04	01	05	07
बलिया	06	06	048	69
मुरादाबाद	14	10	55	79
योग	24	17	108	155

पी०सी०डी०एफ०	ग्रामीण	परिवार	कल्याण	परियोजना	सिप्सा
--------------	---------	--------	--------	----------	--------

(१) जो कि उ०प्र० सरकार की एक एजेन्सी के रूप में कार्यरत है, द्वारा पोषित है। इसके लिए धन यू०एस०एड० द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इसके अन्तर्गत ग्राम स्तर पर परिवार नियोजन के अस्थाई साधन उपलब्ध कराना, परिवार कल्याण, शिक्षा, ग्रामीण परिवेश में नवयुवक और नवयुवतियों को पारिवारिक, ग्रामीण टीकाकरण एवं नसबदी हेतु योग्य दम्पत्तियों को प्रोत्साहित कर उनकी मदद की जाती है।

पी0सी0डी0एफ0 द्वारा

इस परियोजना का पासलत चरण मार्च, 1994 से अगस्त 1995 तक क्रियान्वित किया गया । पयालट चरण मे सीतापुर, मेरठ जनपद के क्रमतश 22 एवं 43 दुग्ध समितियो का चयन कर उनमे कार्य किया गया, जिसमे ₹0 30 843 लाख उपयोग हुआ ।

सिप्सा द्वारा इन्ही 2 जनपदो मे एक विस्तार परियोजना भी स्वीकृत की गई है। जिसका कार्यकाल सितम्बर 95 से प्रारम्भ होकर 5 वर्ष के लिए है। इस परियोजना हेतु लगभग ₹0 28 करोड का बजट स्वीकृत है । विस्तार परियोजना मे दोनो जनपदो मे पी0सी0डी0एफ0 वर्ग के स्टाफ की तैनाती की जा चुकी है। अन्य स्टाफ की चयन प्रक्रिया भी पूरी की जा चकी है । इनकी तैनाती का कार्य भी अंतिम चरण मे पूरा हो गया है।

दोनो जनपदो मे लगभग 100 नई दुग्ध समितियो का चयन किया गया है। इनके लिए ग्राम्य स्वास्थ एवं सेविकाओ का चयन कर उनका प्रशिक्षण कराया जा चुका है । इसके अलावा यही कार्य 100 अन्य दुग्ध समितियो मे युद्ध स्तर पर चल रहा है। मेरठ एवं सीतापुर जनपद मे परियोजना की सफलता को देखते हुए सिप्सा द्वारा इसी प्रकार का परिपेक्षण शाहजहाँ जनपद मे स्वीकृति मिलने पर कार्यारम्भ है। उपरोक्ताधार पर अन्य 4 जनपदो (दुग्ध सघों) के लिए परियोजना प्रस्ताव विचाराधीन है इसमे मुरादाबाद इटावा, कानपुर ओर उन्नाव सम्मिलित है ।

नगरीय उपभोक्ताओ को शुद्ध, प्राकृतिक एवं स्वास्थ्यप्रद दूध उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को पूर्ण करने के लिए दुग्ध सहकारिताएँ निरतर प्रयास कर रही है। गुणवत्ता की साख के कारण ही सहकारी क्षेत्र से बदली हुई । जन अपेक्षाओ के अनुरूप निरतर इसे आगे बढ़ाना है । यह विचार उ0प्र0 शासन के दुग्ध विकास सचिव, आयुक्त

एवं पी०सी०डी०एफ० के प्रबंध निदेशक श्री अशोक प्रियदर्शी ने तरल दुग्ध विपणन हेतु आयोजित दुग्ध सघो की 2 दिवसीय कार्यशाला में व्यक्त किये। उन्होने विभिन्न दुग्ध सघो के लिए आगामी वर्ष हेतु अधिक मात्रा में तरल दुग्ध हेतु आपूर्ति के निर्देश दिये। प्रदेश का प्रतिदिन औसत दुग्ध विक्रय 4 33 लाख लीटर करने का लक्ष्य रखा गया। इसके पूर्व 97-98 में औसत 3 58 लाख लीटर प्रतिदिन दूध की विक्री की गई थी। इस कार्यशाला में दुग्ध विकास सचिव श्री प्रियदर्शी ने गत वर्ष की अपेक्षा सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत प्राप्त करने वाले तीन दुग्ध सघो में मुरादाबाद, बिजनौर तथा सुल्तानपुर को भी पुरस्कृत किया गया। मुरादाबाद दुग्ध सघ ने सर्वाधिक 25 5% वृद्धि करते हुए 16 7 हजार लीटर दुग्ध प्रतिदिन की विक्री की थी।

तालिका स० 7 19

क्षेत्रीय विपणन कार्यालय लखनऊ ने अपने पुराने कीर्तिमान तोड़ते हुए अपने लिए हैट्रिक प्लस अर्थात् 4 कीर्तिमान स्थापित किये हैं।

1-	घी बिकी	101 425 मीटर टन
2-	घी टिन (15 किलोग्राम)	46 470 मीटर टन
3-	टर्न ओवर	129 66
4-	फन्ड ट्रान्सफर	100 51

लखनऊ विपणन कार्यालय की स्थापना वर्ष 1983 से लेकर माह सितम्बर 96 में सर्वाधिक बिक्री 77 52 लाख रु० थी जिसे माह अगस्त, 1997 में 41 46 लाख की बिक्री कर इस रिकार्ड को तोड़ा गया तथा इसे सितम्बर 1997 तक में 100 03 लाख रु० हुई। इससे पूर्व घी की बिक्री अधिकतम अगस्त 1996 में 57 99 मित्रिक टन की गई थी जिसमें 19 49 मीटरी टन घी 15 किग्रा० टिन पैक था। शेष 39 5 मीटर टन कन्जूमर पैक था। माह 1998 में की गई घी की बिक्री 101 425 मीटर टन 15 किग्रा० पैक में 54 955 मीटर टन कन्जूमर पैक में थी।

पी०सी०डी०एफ० द्वारा 1995-96 मे 42 58 लाख रु० का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया । यह विगत वर्ष 74 95 की तुलना मे 28 57 लाख रु० अधिक है । पी०सी०डी०एफ० द्वारा सचालित जे०सी०बी०य०सी०य० रायबरेली इकाई को छोड़कर समस्त इकाइयो द्वारा लाभार्जन किया जा रहा है । क्षेत्रीय (विपणन) कार्यालय द्वारा अपने कार्यकलापो मे आशातीत वृद्धि की गई है । विगत वर्ष 1994-95 मे सापेक्ष वर्ष लाभ 61 28 रु० लाख की वृद्धि की गई है । वर्ष 94-95 मे दूध की अनुलब्धतो के कारण व्यवसाय काफी बाधित रहा है । इसलिए व्यवसायिक दृष्टिकोण से दोनो वर्ष की धनराशि तुलनात्मक नही है । उपरोक्त के अलावा पी०सी०डी०एस० लि० मुख्यालय द्वारा अर्जित हानि मे काफी वृद्धि हुई । इसका प्रमुख कारण राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड एव राज्य सरकार से प्राप्त ऋणो पर देय ब्याज को प्रविधान किया जाना है । उपरोक्त के अतिरिक्त जी०सी०बी०य० रायबरेली जो वर्तमान मे एक प्रशिक्षण केन्द्र के रूप मे कार्य कर रही है के द्वारा भी अपने कार्य कलापो मे आशातीत सुधार किया गया है ।

तालिका स० 7 20

धनराशि रु० लाख मे

	1993-94	1994-95	1995-96
एफ०एफ०सी०	+ 2 74	+ 2 60	+ 4 01
जे०सी०बी०य०रायबरेली	-13 53	- 5 69	- 4 89
तरल दुग्ध इकाई, नोयडा	+25 09	-41 56	+2710
बीज विधायन इकाई	+ 3 97	+ 6 43	+ 6 91
पशु आहार निर्माण शाला बनारस	-----	+ 73	+11 37
क्षेत्रीय विपणन कार्यालय लखनऊ	+ 49 75	+ 8 89	+70 17

	1993-94	1994-95	1995-96
प्रशिक्षण केन्द्र	+53 28	+43 45	+31 22
पशु आहार निर्माण शाला मेरठ	-----	+16 22	+31 22
मुख्यालय	-28 34	-17 06	-137 17
योग	+92 96	+14 01	+42 58

तालिका स० ७ २१

दुग्ध सहकारिता के विगत 2 वर्षों की तुलनात्मक दुग्ध-स्थिति दुग्ध-सघों के गाध्यग से वित्तीय स्थिति निम्नवत है -

क्र०स०	एम०एफ०डेरी इकाई	1995-96 टर्न ओवर	1995-96 नकद लाभ/हानि
(३)	दुग्ध एवं	22150 76	402 27
1-	आगरा	1215 83	22 09
2-	इलाहाबाद	878 75	21 41
3-	कानपुर	2941 57	84 11
4-	लखनऊ	4150 65	80 33
5-	मेरठ	6596 74	163 56
6-	मुरादाबाद	4783 26	33 42
7-	वाराणसी	1583 96	-2 64

(ब)	दुग्ध - सघ	14710 25	97 31
1-	अलीगढ	1388 22	29 50
2-	बलिया	225 86	17 72
3-	बदायूँ	635 47	1 95
4-	बाराबकी	1078 42	11 77
5-	बिजनौर	392 18	46
6-	बुलदशहर	2933 43	33 05
7-	एटा	310 83	3 86
8-	इटावा	327 52	3 06
9-	फरुखाबाद	430 60	2 64
10-	फतेहपुर	868 86	26 61
11-	फिरोजाबाद	1038 53	16 67
12-	गाजियाबाद	1171 10	24 83
13-	गाजीपुर	223 08	-13 53
14-	हरदोई	495 20	8 04
15-	जौनपुर	253 34	2 20
16-	मथुरा	649 92	18 16

1	2	3	4
17-	मुजफ्फर नगर	660 93	22 56
18-	रायबरेली	212 33	-12 38
19-	सहारनपुर	431 45	=4 96
20-	सीतापुर	409 00	-2 07
21-	सुल्तानपुर	313 03	- 2 58
22-	उन्नाव	254 95	10 05
23-	मैनपुरी	244 56	0 26
योग		3686 07	499 58
द-	कुल दुग्ध सघ		30
	लाभ मे		21
य-	डेरी इकाई वाले सघ		6
	उपार्जन वाले सघ		15
र-	फेडरेशन	6319 11	34 20
ल-	कुल योग	43180 12/533 18	
पी०सी०डी०एफ०		पराग वार्षिक विवरण 1995-96	पेज 44-45
प्रकाशक पी०सी०डी०एफ० लि० 29 पार्क रोड लखनऊ।			

अष्टम अध्याय

इलाहाबाद दुर्घ उत्पादकता सहकारी संघ लिमिटेड का दुर्घ व्यक्तिगत में योगदान

यह हमारे उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि भारत में सर्वप्रथम नगरीय क्षेत्र में सहकारिता के माध्यम से दुग्ध वितरण का कार्य इलाहाबाद में सन् 1914 में कटरा मुहल्ले में सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना करके शुरू किया गया। इसके बाद दुग्ध उत्पादक सहकारी सघ इलाहाबाद में सहकारिता के माध्यम से डेरी उद्योग के रूप में 17 जून 1976 से कार्य कर रहा है। तभी से दुग्ध सघ, इलाहाबाद उत्तरोत्तर प्रगति के रास्ते पर चलकर दुग्ध उत्पादकों, किसानों के आर्थिक उत्थान प्राथमिकता देकर ग्रामीण बेरोजगारी को कम करके दुग्ध सहकारिता आन्दोलन को सफल बना रहा है। अपने शरीर को स्वस्थ व शक्ति सम्पन्न बनाये रखने के लिए दूध और दूध से बने पदार्थ की मानव जीवन में बहुत ही उपयोगिता है। दुग्ध उत्पादन सघ के नित्य निष्ठ प्रयत्नों के फलस्वरूप हमारा जिला इलाहाबाद दुग्ध क्षेत्र में आत्म निर्भर व खुशहाल है। दुग्ध क्रान्ति को सफल बनाने में हमारा उत्तर प्रदेश शासन पशु बढ़ोत्तरी व चारागाहों के विकास पर विशेष बल दे रहा है। दुग्ध व्यवसाय द्वारा ही हम श्वेत क्रान्ति लाकर जिले के समस्त नागरिकों को स्वस्थ जीवन दे सकते हैं।

इलाहाबाद जनपद में सर्वप्रथम सहकारिता सिद्धान्त पर 25 फरवरी 1941 में इलाहाबाद मिल्क सप्लाई के नाम से दुग्ध सघ की स्थापना की गई थी। इसका निबध्नन दिनांक 12 2 75 को निबध्नन संख्या 3177/108 द्वारा इस संस्था का परिवर्तन कर 20,000 लीटर क्षमता (दैनिक) का एक सयत्र स्थापित करके संस्था का नाम बदल करके ' इलाहाबाद सहकारी मिल्क बोर्ड ' रखा गया। उत्तर प्रदेश सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत दुग्ध सहकारिताओं की उपलब्धियों में ' आनन्द पद्धति ' के आधार पर कतिपय मूलभूत परिवर्तन करके संस्था का नाम 1979 में ' इलाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी सघ लिमिटेड ' रखा गया, जो इलाहाबाद के 165, बाई का बाग, स्टेशन के पीछे स्थापित किया गया। इस संस्था में 20,000 लीटर दैनिक क्षमता की दुग्धशाला के स्थान पर वर्तमान समय में 60,000 लीटर दैनिक क्षमता का एक नया सयत्र स्थापित

करके एक नई दुग्धशाला की स्थापना 'राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड' द्वारा की गई है। यह नई - नई दुग्धशाला इसी नाम से इलाहाबाद/कानपुर राष्ट्रीय मार्ग पर शहर से 13 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस नई दुग्धशाला का कार्य आरम्भ 17 नवम्बर 1995 से प्रारम्भ हुआ। यह दुग्धशाला शासन द्वारा नवनिर्मित जनपद कौशाम्बी में स्थित है। इलाहाबाद और कौशाम्बी दोनों जनपदों में दुग्ध विकास कार्यक्रम एवम् समस्त कार्यों का सम्पादन दुग्ध उत्पादकता सहकारी सघ लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा है। इस दुग्धशाला का मुख्य उद्देश्य सहकारिता माध्यम से जनपद के ग्रामीण अचलों के निवाल वर्ग के कृषकों, कृषक, मजदूरों एवम् भूमिहीन किसानों को स्वालम्बन व जागरूक बनाने हेतु दुग्ध समिति के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार प्रदान करना एवम् नगरीय क्षेत्र के उत्पादकों को, उपभोक्ताओं को स्वच्छ एवम् विस्त्रित दूध एव दुग्ध पदार्थ उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना है। वर्तमान समय में इलाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी सघ लिमिटेड नई दुग्धशाला, इलाहाबाद व कौशाम्बी जनपद के 14 मार्गों पर 28 विकास खण्डों में से 27 विकास खण्डों में दुग्ध समितियों के माध्यम से प्रतिदिन औसतन 12,000 लीटर दूध उपार्जित किया जा रहा है। दुग्धशाला द्वारा लगभग 28,000 (हजार) लीटर दूध प्रतिदिन तरल नगरीय दूध की विक्री 600 (सौ) विक्रय केन्द्र समितियों के माध्यम से किया जा रहा है।

इस प्रकार भेरे विचार से इलाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी सघ लिमिटेड जनपद/नगर की दुग्ध उत्पादकों की जिला स्तरीय सहकारी संस्था है। यह सस्या ग्रामीण अचलों में स्थापित प्राथमिक स्तर की दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से सीधे उत्पादकों द्वारा दूध प्राप्त करती है। वर्तमान में दुग्ध सघ का औसत दुग्ध उर्पाजन 50,000 लीटर प्रतिदिन है। दुग्ध सघ दूध को प्राप्त कर दूध को प्रोसे कर, पाश्चुराइज्ड (दूध को निष्कीट करना) कर विभिन्न उत्पाद जैसे - पाश्चुराइज्ड तरल दूध, घी, मक्खन, पनीर, मट्ठा, दही एवम् फ्लोर्वर्ड दूध (स्वादिष्ट, जायकेदार) आदि का उत्पादन

करती है। ये समस्त पदार्थ जनता को 24 घंटे पूर्व की माग पर सुलभ रहता है। कार्यालयों में विभिन्न आयोजनों एवं अवसरों पर प्रयोग होने वाले ठड़े पेय पदार्थों के स्थान पर उपरोक्त स्वदेशी उच्च गुणवत्तायुक्त, प्राकृतिक पेय पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। शासन की मंशा भी यही रहती है कि स्वदेशी पर विशेष बल देकर जन स्वास्थ्य को उच्चतम स्तर का रखा जाय न कि विदेशी वस्तु अधिक दर पर प्राप्त कर क्षणिक तृप्ति की जाय। स्वदेशी के प्रयोग से जहाँ अधिक पौष्टिकता कम मूल्य पर उपलब्ध होगी, वहीं स्वदेशी के उपयोग से देश प्रेम भी मजबूत होगा। उपरोक्त दुग्ध पदार्थ नई डेरी मन्दर रोड, विकास भवन मिल्कवार, उत्तर मध्य क्षेत्र सास्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद स्थित मिल्कवार एवं पुरानी डेरी (पराग) 165, बाई का बाग, इलाहाबाद नगर में स्थित हर मुहल्लों कालोनियों में स्थित एजेन्सियों के माध्यम से उपलब्ध है। अभी तक दूध उपार्जन एवं नगरीय दूध की विक्री की व्यापक सम्भावनाये विद्यमान हैं जिसके लिए अथक प्रयास की आवश्यकता है। निजी व्यवसाइयों से दुग्ध सहकारिताओं की प्रतिस्पर्धा निरंतर बढ़ रही है। अत आवश्यकता है कि दुग्ध सहकारिताये अपने दूध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता को श्रेष्ठता बनाये जिससे उपभोक्ताओं में 'पराग' 'उत्पादों की साख स्थापित हो सके। अत पराग दुग्ध पदार्थ, पराग दूध पेय का प्रयोग कर अपने अद्योलिखित उत्पादों से देश प्रेम की भावना मजबूत बनाये रखने के लिए जन स्वास्थ्याधिक उत्पाद इस प्रकार करती है। दुग्ध सघ के दुग्ध पदार्थ निम्न पैक में उपलब्ध हैं।

तालिका ८ ।

क्रमांक	नाम पदार्थ	मात्रा	पैक का प्रकार	मूल्य
1	पराग ढोड दूध	500 मिलीलीटर	पाली पैक	7 00 प्रति पैक
2	पराग देशी धी	500 ग्राम	पाली पैक	72 50 प्रति पैक
3	पराग देशी धी	1 किलोग्राम	पाली पैक	145 00 प्रति पैक
4	पराग मक्खन	500 ग्राम	कार्टन पैक	60 00 प्रति पैक
5	पराग मक्खन	100 ग्राम	कार्टन पैक	122 00 प्रति पैक
6	पराग मक्खन	20 व 40 ग्राम	रैपरके पैक	123 00 प्रति पैक
7	पराग पनीर	100 व 500 ग्राम	पाली पैक	90 00 प्रति केजी
8	पराग भीठा दही	200 ग्राम	कुल्हड में	6 00 प्रति कुल्हड
9	पराग मट्ठा	200 मिलीग्राम	पाली पैक	2 50 प्रति पैक
10	पराग फ्लेवर्ड दूध	200 मिली ग्राम	पाली पैक	3 00 प्रति पैक

इलाहाबाद जनपद में सहकारिता के माध्यम से 1984 में आपरेशन फ्लड-11 योजना के लागू होने के बाद दुग्धशाला के क्षेत्र में सीमित साधनों द्वारा काफी परिवर्तन हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जनता का विश्वास भी दुग्धशाला विकास की ओर बढ़ता गया है। वर्ष 1992 के अंत तक इलाहाबाद जनपद के 28 विकास खण्डों में से 22 विकास खण्डों में लगभग 360 सहकारी दुग्ध समितियाँ संगठित की गई थीं।

इन समितियों के माध्यम से लगभग 16,000 समिति सदस्यों द्वारा औसत 15,000 लीटर दूध प्रतिदिन उपार्जित किया जाता था। उस समय सभी दुग्ध सहकारी समितियों लाभ पर चल रही थी। बोनस आदि का वितरण सदस्यों को किया गया था। विगत कुछ वर्षों से दूध की मात्रा में कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय विकास बोर्ड • समितियों के माध्यम से कुछ नये कार्यक्रम (जैसे - सहकारिता विकास कार्यक्रम, साधन मिनी डेरी परियोजना, आई आर डी पी) के अन्तर्गत पशु क्रय हेतु क्रय प्रणाली अपनाई गई। इस प्रकार इन कार्यक्रमों से दुग्ध उत्पार्जन अस्थिरता समाप्त होकर वृद्धि हो रही है। दुग्ध समिति में तकनीकी निवेश को विशेष वढ़ावा देने के लिए कृतिम गर्भायान, पशु चिकित्सा सेवा, चारा विकास, सतुलित पशु आहार वितरण, बॉझपन निवारण कैम्प, प्राथमिक तथा पशु आकस्मिक चिकित्सा आदि की व्यवस्था यथा सम्भव करायी गई है। इसका विस्तारीकरण भी किया जा रहा है।

कृषक संगठन व पशु सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 के अन्तर्गत औसत दुग्ध उत्पार्जन 1452 किलो रहा। वर्ष 1990-91 के विगत बीच 13114 किलो था। मार्च 1992 के अत तक कुल संगठित कुल 387 दुग्ध समितियों में 16400 सदस्य थे। कार्यरत 270 समितियों में सदस्यों की संख्या 13900 तक थी। दूध देने वाले सदस्यों का प्रतिशत 40 तक था। दुग्ध उपार्जन के दृष्टिकोण से इसे और बढ़ने की आशा है। विपणन क्षेत्र में वर्ष 1991-92 के अत तक शहर में तरल दुग्ध आपूर्ति का औसत 163.47 लीटर था। जबकि विगत वर्ष में (90-91) में यह औसत 20487 लीटर था। धी, मक्खन, पनीर का विपणन क्रमशः 37 मीटरी टन, 38 मी टन एवं 12 मीटरी टन था। विपणन क्षेत्र में आई इस गिरावट का विस्तृत विश्लेषण करके वर्ष 1992-93 में शहर दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ में विक्री में वृद्धि लाई जा सके।

इस प्रकार दुर्घट सघ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए मैं अवगत कराना चाहूँगा कि वर्ष 1940 से 1975 तक इलाहाबाद जनपद में दुर्घट संघ कार्यरत था। इस अवधि तक 5,000 लीटर क्षमता का दुर्घट उपार्जन पुरानी डेरी में किया जाता था। क्षमता से अधिक दुर्घट हैडलिंग को देखते हुए वर्ष 1982-83 से 20,000 लीटर क्षमतायुक्त नई डेरी को प्रारम्भ किया गया। वर्तमान समय में फलश सीजन में इससे अधिक क्षमता का उपभोग होता देख करके, 'राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड' द्वारा शीघ्र ही एक 60,000 लीटर की एक नई क्षमतायुक्त डेरी का कार्यारम्भ योजना बनाई गई।

इलाहाबाद दुर्घट उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड को जनवरी 1984 से आपरेशन फलड ॥ के अन्तर्गत सम्मिलित करके दुर्घट सघ व उससे सबैधित दुर्घट सघ समितियों को आनन्द पद्धति पर सचालित किया गया। इस प्रकार इन सशोधनों के फलस्वरूप दुर्घट समितियों एवं दुर्घट सघ के प्रबंध में उत्पादकों का सर्वोपरि हित प्रति-स्थापित किया जा सके। फलस्वरूप दुर्घट सघ के कार्य-कलापों में तीव्र प्रगति हुई। विगत एक दशक में दुर्घटशाला विकास कार्यक्रम का एक स्थाई स्वरूप उभरकर ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्घट उत्पादकों को एवं शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को दिखाई देने लगा है। मेरे विचार से ग्रामीण व शहरी सभी लोगों का मत है कि ग्रामीण अचलों में विकास हेतु दुर्घटशाला विकास कार्यक्रम एक उद्योग रूप में विकसित हो गया है।

इलाहाबाद दुर्घट सघ ने विगत वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में जो भी प्रगति आलोच्य वर्ष में की है, उसका हम तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करते हैं। मार्च 1991 तक 260 समितियों तथा 1992 के अंत तक 360 सहकारी दुर्घट समितियों कार्यरत थी। वर्ष 1984-85 में 110, 1985-86 में 180, वर्ष 1986-87 में 240 तथा 1991-92 में 360 सहकारी दुर्घट समितियों कार्यरत थीं। मार्च 1991 तक समिति सदस्यता संख्या 16589 थी। इनमें 2505 अनुसूचित जाति 11028 पिछड़ी जाति के सदस्य हैं।

इलाहाबाद दुग्ध सघ का दुग्ध उर्पार्जन क्षेत्र 3 भागों में बटों हुआ है। प्रथम भाग - गगापार द्वितीय - जमुनापार तृतीय - द्वाबा। इन्हीं क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न दुग्ध समितियों के माध्यम से दुग्ध उपार्जन किया जा रहा है। इसके अलावा प्रतापगढ़/कर्बा से भी दूध स्टेट ग्रिड के अन्तर्गत आता है। जरूरत पड़ने पर मौंग फतेहपुर, मुरादाबाद, लखनऊ व कानपुर से भी की जाती है।

। वर्ष 1990-91 में इलाहाबाद स्वय का दुग्ध उपार्जन औसत 13114 किलोग्राम जिसमें गत वर्ष की अपेक्षा 15% की गिरावट आई थी। वर्तमान वर्ष (1991-92) का दुग्ध उपार्जन औसत 13473 किलो रहा। दुग्ध उपार्जन क्षमता में आई गिरावट के कारण दूध देने वाले सदस्यों की संख्या में आई कमी के कारण हुई, विपरीत उपर्जित दर अन्य सभी वर्षों की तुलना में काफी अधिक रही। 1984 में आपरेशन फ्लड के क्रियान्वयन के बाद दुग्ध समितियों के माध्यम से दुग्ध उपार्जन का विवरण अद्योतितिव्य है। वर्ष 1984-85 में 4844 लीटर, 85-86 में 9,781, 1986-87 में 9,880 लीटर, 1987-88 में 7,885 लीटर, वर्ष 1988-89 में 10276 लीटर, वर्ष 1989-90 में 15703 लीटर, वर्ष 1990-91 में 13114 लीटर, वर्ष 1991-92 में 13473 लीटर रहा। उपरोक्त स्थितियों की विवेचना करते हुए इस तत्त्व पर पहुँचा जा सकता है कि इलाहाबाद में दुग्ध उर्पार्जन/सदस्यता आदि में एक स्थिरता उत्पन्न हो गई है, जिसे बढ़ाने हेतु सभी के सहयोग से अपेक्षित है।

प्रदेश में सहकारिता माध्यम पर अग्रसारित दुग्ध समितियों प्रतिवर्ष अर्जित लाभ से दुग्ध उत्पादक सदस्यों को बोनस वितरण करने वाली प्रथम समितियों हैं। विगत वर्षों से सबधित आकड़े निम्नवत् हैं।

। पराग प्रगति प्रतिवेदन - " 16वा वार्षिक अधिवेशन " 17 जून 1992 पृष्ठ
सं0 4 प्रकाशक ' इलाहाबाद दुग्ध सहकारी संघ
लि0, 165, बाई का बाग, इलाहाबाद।

तालिका 8 2

विवरण	1986-87	87-88	88-89	89-90	90-91	91-92
समिति संख्या	06	53	29	29	31	40
वितरित बोनस	14296	97	73337	62	67724	14
राशि(रु० मे)	31044	30	51472	85	95522	90

वर्तमान समय में दुग्ध मूल्य निर्धारण की स्वायत्तता दुग्ध सधों को दी गई है। जिसके कारण एक क्रान्तिकारी परिवर्तन इस क्षेत्र में आया है। अत दुग्ध सघ दर निर्धारण नीति का अधिकाधिक लाभ सबैधित समितियों का दुग्ध उपर्जन बढ़ाते हुए लेना चाहेगे। विगत वर्षों में समितियों व एस०एम०जी० के माध्यम से क्रय किये जाने वाले दुग्ध मूल्य राशि निम्न है -

तालिका 8 3

क्रमांक	वर्ष	समितियों व एस०एम०जी० के माध्यम से	कुल आय का %	औसत क्रय दर संख्या
1	1988-89	234 17 लाख	51%	4 02
2	1989-90	264 51 "	58%	4 07
3	1990-91	316 08 "	62%	4 25
4	1991-92	320 62 "	56%	5 26

- 2- पराग प्रगति प्रतिवेदन - " 16वा वार्षिक अधिवेशन " 17 जून 1992 पृष्ठ स० 4
प्रकाशक 'इलाहाबाद दुग्ध सहकारी संघ लि०' 165 बाई का बाग, इला० ०
- 3- उपरोक्त पृष्ठ स० 5

4 दुर्घट सहकारिता के उत्थान एवं आमदाव धूम्रसि में संकलीकी चिकित्सा काश्मीरमें की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान समय में ही समिति स्तर पर ही प्रशिक्षित दुर्घट उत्पादक कार्यकर्ताओं द्वारा प्राथमिक पशु चिकित्सा द्वारा प्राथमिक पशु चिकित्सा/टीकाकरण आदि की सुविधाये उपलब्ध कराई गई। पूर्व में सचल पशु चिकित्सा भी उपलब्ध करायी जा रही थी। परतु अधिक व्यय भार के कारण इसे स्थगित करना पड़ा।

तालिका 8 4

आकस्मिक पशु चिकित्सा शत% समितियों के लिए उपलब्ध (1986-92)

क्र0स0	विवरण	86-87	87-88	88-89	89-90	90-91	91-92
1	पशु चिकित्सा के अन्तर्गत समितियों	210	260	250	251	260	270
2	सुचल पशु चिकित्सा इकाई	30	-	-	-	-	-
3	आकस्मिक पशु चिकित्सा द्वारा उपचारित पशु स0	2212	2223	2065	2080	2996	3863
4	प्राथमिक पशु चिकित्सा इकाई उपचारित पशुओं की स0	922	5081	8151	7189	6588	4749
5	कैम्प संख्या	78	89	94	83	58	36
6	कैम्प से इलाज किये गये पशुओं की संख्या	1225	2319	3113	2708	1788	887

4- पराग प्रगति प्रतिवेदन " 16वा वार्षिक अधिवेशन " 17 जून 1992, पृष्ठ स05, प्रकाशक, इलाहाबाद दुर्घट सहकारी समिति लि0 ।

आधिक से आधिक दुग्ध उत्पादन हेतु नस्ल सुधार कार्यक्रम सर्वाच्च महत्व रखता है। इसके लिए समिति स्तर पर ही हिमीकृत वीर्य संसाधन सुलभ करकर ग्राम के ही प्रशिक्षित युवक द्वारा कृतिम गर्भाधान सेवा दुग्ध उत्पादकों को सुलभ करायी जा रही है। इस कार्यक्रम को व्यापक स्वरूप प्रदान करने हेतु वर्तमान समय में ग्राम समूह के अन्तर्गत ए0आई0 केन्द्र बनाये जा रहे हैं। प्रगति निम्नवत है -

तालिका 8 5

हिमीकृत वीर्य ग्राम समूह के अन्तर्गत ए0आई0 केन्द्र प्रगति 1986 से 1992 तक

क्रमांक	विवरण	86-87	87-88	88-89	89-90	90-91	91-92
1	कृत्रिम गर्भाधान के अन्तर्गत						
	दुग्ध समितियाँ	41	41	38	35	32	45
2	कृतिम गर्भाधान कृत						
	संख्या	1,589	3,598	4,613	4,470	5,135	5,686
3	उत्पन्न वशज (गाय)	84	264	508	770	688	842
	(भौस)	68	175	521	616	705	562

बॉझपन निवारण शिविर एवं टीकाकरण केन्द्र कार्यक्रम का आयोजन समय-समय पर समिति स्तर पर ही होता है। इससे दुग्ध उत्पादकों के पशुओं को प्रमुख

महामारी बीमरियों से बचाया जाता है। वर्ष 1990-91 में 6100 खुरपका मुँहप का एवं 7,925 गलाधोटू के टीके तथा वर्ष 1991-92 में 13,896 खुरपका मुँहपका एवं 7,900 गलाधोटू के टीके लगे। धीरे-धीरे इस कार्यक्रम की माँग बढ़ती जा रही है।

पशु आहार एवं हरा चारा विकास उत्पादकों को समिति स्तर पर ही पराग पशु आहार बाई पास प्रोटीन, पशु आहार यूरिया, मोलोसिस, लिक आदि दुग्ध सघ के माध्यम से उपलब्ध कराये जा रहे हैं। हरा चारा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्नतिशील बीज की व्यवस्था भी दुग्ध सघ, समितियों के माध्यम से करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा सचालित 150 किसान वन का गठन भी इलाहाबाद जनपद में किया जा चुका है। इलाहाबाद दुग्ध सघ द्वारा सहकारिता विकास कार्यक्रम सघन मिनी डेरी परियोजना, तकनीकी मिशन के अन्तर्गत कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

विपणन प्रगति क्षेत्र में इलाहाबाद शहर के प्रत्येक भाग में पराग दुग्ध एवं पदार्थों की आपूर्ति व्यवस्था को क्रियान्वित किया गया है। वर्तमान समय में लगभग 450 कमीशन ऐजेन्टों के माध्यम से दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ की विक्री की गई थी। विपणन भौतिक परिलक्ष्यों का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत है -

इलाहाबाद विपणन प्रगति १९८४ से १९२ तक

क्रमांक	विवरण	१९८४-८५	१९८५-८६	१९८६-८७	१९८७-८८	१९८८-८९	१९८९-९०	१९९०-९१
१-	तरल दूध औसत विक्री (लीटर)	३,२३७	८,३०४	१८,७०७	१८,४०८	१७,४२३	१५,८२८	२०,४९७
२-	पराग ची (मी० टन)	१८	८८	४०	३७	८५	५१	४०
३-	पराग मक्खन (मी० टन)	०५	२४	३७	२७	२४	२८	२३
४-	पराग पनीर (मी० टन)	०५	२०	२१	१८	२८	३४	२१
५-								

- पराग प्रगति प्रतिवेदन - " १६वाँ चार्षिक अधिवेशन ", सत्रह जून बानेये, पृष्ठ स० ७, इलाहाबाद दुध उत्पादक सहकारी सघ लिमिटेड, प्रकाशक सुशीम प्रिन्टर्स,
४/२, चाई का बाग, इलाहाबाद ।

प्रसंगित आय व्यय विवरण (वर्ष 1992-93 तक)

(ମେଲାପତ୍ର)

आय (रूपये में)

ਮਾਹ	ਸਮਿਤਿਆਂ ਦੇ	ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ	ਏਸ0ਏਸ0ਜੀ0	ਯੋਗ	ਫੁੱਲ	ਬੀ	ਮਕਖਣ	ਪਨੀਰ	ਏਸ0ਏਸ0ਜੀ0
ਅਪ੍ਰੈਲ 1992	164419 00	00	1260000 00	2904192 00	4800000	195000	160000	50000	-
ਮਈ 92	1501573 35	00	1519000	3020573 35	5022000	195000	160000	35000	219800 00
ਜੂਨ 92	1356259 80	00	1470000	2826259 80	4860000	312000	160000	100000	-
ਜੁਲਾਈ 92	1487196 48	00	1302000	2789196 48	5022000	273000	200000	150000	-
ਅਗਸਤ 92	1766045 82	929449 78	1085000	2943995 60	4743000	234000	240000	150000	-
ਸਿਤੰਬਰ 92	2248785 00	143922 24	00	2392707 24	4590000	240000	280000	150000	-
ਅਕਟੂਬਰ 92	2831664 00	171616 00	00	3003280 00	4743000	240000	320000	150000	-
ਨਵੰਬਰ 92	3155520 00	2492 00	00	3404640 00	4590000	320000	320000	125000	327840

तालिका 87

प्रस्तावित आय व्यय विवरण (वर्ष 1992-93 तक)

आय (रुपये में)

आय (रुपये में)

माह	समितियों से	प्रतापगढ़	एस०एम०जी०	योग	दृष्टि	धी	मक्खन	पनीर	एम०एम०जी०	योग
अप्रैल 1992	164419 00	00	12600000 00	2904192 00	4800000	195000	160000	50000	-	5205000
मई 92	1501573 35	00	1519000	3020573 35	5022000	195000	160000	35000	219800 00	5631800
जून 92	1356259 80	00	1470000	2826259 80	4860000	312000	160000	100000	-	5432000
जुलाई 92	1487196 48	00	1302000	2789196 48	5022000	273000	200000	150000	-	5595000
अगस्त 92	1766045 82	929449 78	1085000	2943995 60	4743000	234000	240000	150000	-	5317000
सितम्बर 92	2248785 00	143922 24	00	2392707 24	4590000	240000	280000	150000	-	5260000
अक्टूबर 92	2831664 00	171616 00	00	3003280 00	4743000	240000	320000	150000	-	5453000
नवम्बर 92	3155520 00	2492 00	00	3404640 00	4590000	320000	320000	125000	327840	5707840

माह	समितियों से	प्रतापगढ़	एस०एम०जी०	योग	दूध	घी	मखन-	पनीर	एस०एम०जी०	योग
दिसंबर 92	3947168 00	257424 00	00	4204592 00	4743000	320000	320000	125000	1039952 82	6572295
जनवरी 93	466787 00	371799 12	00	5019288 12	4743000	280000	280000	125000	1654864 82	7082864
फरवरी 93	3694004 16	201491 14	00	4895495 30	4284000	240000	280000	125000	843301 40	5772301
मार्च 93	3203356 48	160167 82	420000	3783524 30	500600	200000	280000	125000	-	5611500

दुध/दुध पदार्थ विक्रय एवं एस एम जी
दुध का समितियों द्वारा एस एम जी के अन्तर्गत क्रम 40187744 19

ੴ ਪਾਖ ਜੀ ਕਾਗ

四百三

2434033 37

लाभ अर्जित 296 25 लाख ₹०

卷之三

हुकारी रसा ॥४॥

द्वेषप्रबन्धं शास्य प्रशाक्ति उल्लभत्वाद् ।

卷之三

तालिका ४८

समीक्षियों से प्राप्त दूध की उपलब्धि दरे तथा दुग्ध/दुग्ध पदार्थों की विक्रय दरे

वर्ष 1992 से 1993 तक प्रभावि

माह	ओसत/दर	फैट किलो	एस एन एफ किलो	स्टेणडर्ड दूध प्रति लीटर	टोणड दूध प्रति लीटर	धी प्रति किलो	मखबन प्रति किलो	पनीर प्रति किलो
अप्रैल 92	6 60	52 80	35 20	-	8 00	78	80	50
मई 92	7 00	56 00	37 33	-	9 00	78	80	50
जून 92	7 00	56 00	37 33	-	9 00	78	80	50
जुलाई 92	6 50	52	34 66	-	9 00	78	80	50
आगस्त 92	6 50	52	34 66	-	8 50	78	80	50
सितम्बर 92	6 50	52	34 66	-	8 50	78	80	50
अक्टूबर 92	6 00	48	32 00	8 50	-	80	80	50

माह	ओसत/दर	फेट किलो	एम०एन०एफ०	स्टेणडर्ड द्रूष	टोण्ड द्रूष	घी प्रति किलो	मव्वन प्रति किलो	पनीर प्रति किलो
नवम्बर 92	6 00	48	32 00	8 50	-	80	80	50
दिसंबर 92	6 00	48	32 00	8 50	-	80	80	50
जनवरी 93	6 50	52	34 66	8 50	-	80	80	50
फरवरी 93	6 50	52	34 66	8 50	-	80	80	50
मार्च 93	7 00	56	37 33	8 50	-	80	80	50

चोत प्रभारी - एम०आई०एस०, इलाहाबाद दुध उत्पादक सहकारिता लिमिटेड, 1992

दुर्गं उत्पादक सहकारी सघ लिमिटेड, इलाहाबाद जिस मनोयोग से दुर्गं उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की सेवा में रत रहते हुए उनके सर्वांगीण विकास में योगदान दे रहा है। नि सन्देह एक सराहनीय कदम है। कृषि प्रधान देश में पशुओं का सीधा सम्बन्ध कृषि से है। भारतीय कृषि से यदि पशुओं को अलग कर दिया जाय तो सम्भवत इलाहाबाद दुर्गं उत्पादकता सहकारी सघ, लिमिटेड का स्वरूप ही समाप्त हो जायेगा। दुर्गं विकास में इलाहाबाद दुर्गं उत्पादकता सहकारी सघ लिमिटेड का स्थान प्रथम श्रेणी व उच्च कोटि का है। इस प्रकार दुर्गं सघ उत्पादकों व उपभोक्ताओं के मध्य एक सुदृढ़ कड़ी के रूप में कार्य करते हुए अपने जिम्मेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इलाहाबाद, कोशाम्बी की जनता की सेवा में कार्यरत है। साथ ही साथ अपने उत्पादकों के हितों की रक्षार्थ सदैव तत्पर रहकर दुर्गं सहकारिता आन्दोलन में अपनी सक्रिय एवं सार्थक भूमिका निभाकर स्वालम्बी बना हुआ है।

जब से आपरेशन फ्लड योजना के तहत आनन्द पद्धति पर गौव-गौव में दुर्गं उत्पादक सहकारी समितियों का गठन हुआ है, तब से ग्रामीण क्षेत्रों में दूध व्यवसाय के प्रति अधिक उत्साह एवं आकर्षण का दृष्टिपात हुआ है। उपरोक्त बातों के वर्णन के पश्चात् आज मैं बड़े दोवे के साथ कह सकता हूँ कि इस योजना ने न केवल दुर्गं व्यवसाय के प्रति आकर्षण पेदा किया है, बल्कि आर्थिक ग्रामीण विकास में जनपद में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। दुर्गं सघ, दुर्गं उत्पादन एवं उपार्जन के क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि करता हुआ एक ऐसा मिशाल कायम कर रहा है जिस पर हम गर्व करते हैं। ऐसा तभी सम्भव है, जब दुर्गं उत्पादकगण दूध उत्पादन में एकरूपता बनाये रखेंगे। इसके लिए जरूरी है कि समस्त उत्पादकगण भैंस पालन के साथ - साथ शकर नस्ल की गायों को भी पालने का सकल्प लें ताकि वर्ष भर दूध की उपलब्धता बनी रहे। इससे जहाँ उत्पादकों का वर्ष भर नगद आमदनी होने से आर्थिक स्तर ऊँचा होगा, वहीं शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को वर्ष भर ताजा दूध उपलब्ध रहेगा।

आलोच्य वर्ष 1992-93 में लगभग 267 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियाँ कार्यरत रही हैं, जिनके माध्यम से औसतन 13,389 लीटर दूध प्रतिदिन उपर्जित किया जाता रहा है। वर्ष 93-94 में 290 कार्यरत समितियाँ रही हैं। जिनसे 15,261 लीटर दूध उपर्जित किया गया। सन् 93-94 तक 21,000 लीटर दूध का उपार्जन प्रतिदिन रहा है जो अपने आप में दुग्ध सघ की प्रगति को प्रतिबिम्बित करता है। इलाहाबाद जनपद के सभी गोव योजना के तहत आच्छादित होकर लाभ प्राप्त कर रहा है। समितियों के माध्यम से तकनीकी निवेश सेवाये, कृत्रिम गर्भायान, प्राथमिक चिकित्सा, आकस्मिक चिकित्सा, बाझपन निवारण केम्प, हरा-चारा एवं पशु आहार विपणन आदि की व्यवस्थाये की गई हैं। पशु स्वास्थ्य एवं सेवाओं को और अधिक व्यापक एवं उपयोगी बनाने के विचार से गगापार क्षेत्र की 50 दुग्ध समितियों को टेक्नालॉजी मिशन के अन्तर्गत वहाँ के राजकीय स्थानीय पशु चिकित्सालयों से सम्बद्ध कर समिति स्तर पर सुविधा उपलब्ध करायी गई है ताकि त्वरित स्थानीय सेवा पशु चिकित्सालयों से दुग्ध उत्पादकों को मिल सके। इसी प्रकार द्वाबा क्षेत्र की 50 दुग्ध समितियों को टेक्नालॉजी मिशन के तहत स्थानीय पशु चिकित्सालयों से सम्बद्ध किया गया है। सामुदायिक विकास योजना के तहत महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का विशेष प्रयास किया जा रहा है।

वर्तमान में सत्र (92-93) तक दुग्ध सघ, इलाहाबाद द्वारा लगभग एफ ओ एम 15000 लीटर दूध प्रतापगढ़ निवासियों को भी उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा पावन नगरी प्रयाग स्थल पर लगने वाले अर्द्ध कुम्भ मेले के तीर्थ यात्रियों एवं कल्पवासियों को दुग्ध आपूर्ति करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी दुग्ध सघ की है। कुम्भ मेला व अर्द्ध कुम्भ मेले के अवसर पर दुग्ध आपूर्ति की सम्पूर्ण तैयारियाँ पहले ही पूरी कर ली जाती हैं। मेले के दौरान लगभग 25 से 35 हजार लीटर दूध प्रतिदिन आपूर्ति करता है। शहर में दुग्ध आपूर्ति की व्यापक विस्तार योजनाये हैं, इसके लिए विपणन व्यवस्था

को सुदृढ़ करते हुए इस ओर विशेष प्रयास करने का प्रयत्न किया गया है। वर्ष 1993-94 में दुग्ध सघ ने 17 लाख रु० लाभ शुद्ध अर्जित किया है।

इस प्रकार दुग्ध सघ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए मेरे अवगत करना चाहूँगा कि इलाहाबाद जनपद में सर्वप्रथम कटरा मुहल्ले में इलाहाबाद मिल्क सप्लाई यूनियन के नाम से दुग्ध सघ ने दिनांक 25/2/41 को नियंत्रण रख्या 547/3 के अन्तर्गत कार्य करना शुरू किया। इसके बाद दिनांक 12/2/75 को इसी इलाहाबाद मिल्क सप्लाई यूनियन का नाम पजीकृत सख्त्या 3177/108 के तहत दुग्ध के अन्तर्गत इलाहाबाद कोआपरेटिव मिल्क बोर्ड के नाम से नामित होकर पुनर्वर्तमान में इलाहाबाद मिल्क प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड जनपद की शीर्ष स्थान के रूप में कार्यरत है। इलाहाबाद मिल्क सप्लाई यूनियन के गठन से लेकर अब तक की अवधि में दुग्ध सघ ने अनेक प्रकार के उत्तर-चढाव देखे हैं। इलाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी सघ लिमिटेड, इलाहाबाद को जनवरी 1984 से आपरेशन फ्लड द्वितीय योजना से आच्छादित करके दुग्ध सघ एवं दुग्ध सघ में उत्पादकों का सर्वोपरि महत्व प्रतिस्थापित किया गया है। इसके फलस्वरूप दुग्ध सघ के कार्य-कलापों में तीव्र प्रगति हुई है। विगत् एक दशक में दुग्धशाला विकास कार्यक्रम का एक स्थाई स्वरूप उभरकर ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादकों को एवं शहरी क्षेत्रों में दिखाई देने लगा है। ऐसे विचार से सभी इस पर सहमत है कि ग्रामीण अचलों में आर्थिक विकास हेतु दुग्ध शाला विकास कार्यक्रम एक उद्योग के रूप में विकसित होने लगा है।

जनवरी 1984 आपरेशन फ्लड द्वितीय योजना से पूर्व दुग्धशाला का कार्य 4000 लीटर क्षमता वाली दैनिक पुरानी डेरी में किया जाता था वही आपरेशन फ्लड द्वितीय के लागू होने के बाद 20,000 लीटर दैनिक क्षमता डेरी की स्थापना करके 30,000 लीटर प्रतिदिन तक विस्तारित की गई थी। वर्तमान में दुग्धशाला विकास कार्यक्रम

की सफलता एवं उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हितलाभ को ध्यान में रखते हुए एक नई डेरी क्षमता 60,000 लीटर प्रतिदिन है, की स्थापना राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के द्वारा टर्न के आधार पर की जा रही है, जिसकी स्थापना कमिशनिंग वर्ष जुलाई 1995 में की गई। उक्त डेरी की स्थापना/कमिशनिंग के बाद इलाहाबाद मण्डल के अन्य दुग्ध सघों का दूध भी प्रोसेस किया गया। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि दुग्ध सघ द्वारा हर वर्ष सर्वप्रथम 1991-92 में नगद लाभ की स्थिति में आते हुए वित्तीय प्रबंधन हेतु 1991-92 की चल बैजन्ती प्राप्त की। उसी क्रम में वर्ष 1992-93 में भी दुग्ध सघ ने । 75 लाख रु० का नगद लाभ अर्जित किया। वर्ष 1993-94 में नगद लाभ ।। 67 लाख रु० एवं शुद्ध लाभ ।। 17 लाख रु० रहा। सस्य वर्ष 1993-94 में नगद लाभ के साथ-साथ शुद्ध लाभार्जन की तरह अग्रसर रही है। वर्ष 1994-95 में शुद्ध लाभ 7 लाख रु० हुआ।

इलाहाबाद दुग्ध सघ के विभिन्न कार्य-कलापों की जो प्रगति आलोच्य वर्ष में हुई है, उसका विगत वर्ष के साथ-साथ तुलनात्मक विवरण निम्नवत् सामान्य निकाय के सज्जान हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। समिति के सदस्यों का सगठन, सदस्यता एवं दुग्ध उपार्जन निम्नवत् है।

सारियी ८९

इलाहाबाद जनपद के 28 विकास खण्डों में से 22 विकास खण्डों में 286 समितियाँ कार्यरत रहीं -

मंद	१९८५-८६	८६-८७	८७-८८	८८-८९	८९-९०	९०-९१	९१-९२	९२-९३	९३-९४
कार्यरत समितियाँ	185	210	260	250	251	260	270	268	286
संगठित समितियाँ	185	249	283	314	339	372	387	389	398

छोत - पराग प्रगति प्रतिवेदन - " १८वें, १९वें चार्षिक अधिवेशन वर्ष १९९२-९३, १९९३-९४ इलाहाबाद दुध उत्पादक सहकारी सम लिमिटेड पूर्ण रख्या ०३, प्रकाशक सिंह एस०पी० आदित्य स्टेशनर्स ८६, साउथ मलाका, इलाहाबाद ।

आपरेशन फ्लड योजना आरम्भ होने के वर्ष 1984-85 में दुग्ध समितियों की सदस्यता मात्र 3885 थी। जो अब 17000 हो गई है। सदस्यता बढ़ाने का अभियान सतत जारी है और प्रयास यही है कि समिति में दूध दे रहे समस्त दुग्ध उत्पादकों को उसकी सदस्यता के अन्तर्गत आच्छादित किया जाय। दुग्ध समितियों के सदस्यों की सदस्यता का तुलनात्मक विवरण (1985 से 95 तक)।

तालिका 8.10

मात्र	1985-86	86-87	87-88	88-89	89-90	90-91	91-92	92-93	93-94	94-95
कुल सदस्यता कार्यरत	6966	7894	12108	12122	11772	11504	13956	13677	14949	14582
कुल सदस्यता अकारत	360	1403	760	2468	3440	4085	2441	3244	3216	3617

योत - पराग प्रगति प्रतिवेदन - " 18वीं, 19वीं वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1992-93, 93-94 इलाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी सम लिमिटेड, पृष्ठ संख्या 03, प्रकाशक सिंह एस0पी0 'आदित्य स्टेशनर्स, 86, साउथ गलाका, इलाहाबाद ।

इलाहाबाद दुध सघ का दुग्धोपर्जन 3 क्षेत्रों गगापार, यमुनापार एवम् द्वाबा में बटे होते से इन क्षेत्रों में कार्यरत दुध समितियों के माध्यम से दुग्धोपर्जन किया जाता है। इसके अलावा प्रतापगढ़ एवम् कर्बा का भी दूध स्टेट मिलक गिड (एस एस जी) के अन्तर्गत आता है। जखरत पड़ने पर लखनऊ, कानपुर तथा फतेहपुर से भी दूध आता है। वर्ष 1992-93 में इलाहाबाद दुध सघ का स्वयं का दुग्धोपर्जन औसत 13839 लीटर प्रतिदिन रहा। यह विगत वर्ष की तुलना में 2% अधिक रहा। दूध उत्पादन में अनुकूल वृद्धि न होने के कारण दूध देने वाले सदस्यों की सख्त्या कम रही जबकि अन्य वर्षों की तुलना में दूध क्रय दर अधिक रही।

तालिका 8 ॥

आपरेशन पलड़ योजना के क्रियान्वयन बाद दुग्धोपर्जन का विवरण (1985 से 1995 तक प्रभाग)

माद	1985-86	86-87	87-88	88-89	89-90	90-91	91-92	92-93	93-94	94-95
औसत दुग्धोपर्जन	9865	9998	7736	10722	15244	13118	13570	13839	15261	11220

उपरोक्त स्थिति की विवेचना करते हुए हम इस तत्त्व पर पहुँचते हैं कि इलाहाबाद में दुग्धोपार्जन, दूध देने वाले सदस्यों की तुलना में एक स्थिरता सी उत्पन्न हो गई है जिसे बढ़ाने के लिए जनता एवं दुग्धोत्पादकों का सहयोग अपेक्षित है।

प्रादेशिक सहकारी दुग्ध विकास सघ, लखनऊ द्वारा दुग्ध मूल्य निर्धारण की स्वायत्ता दुग्ध सघ को दी गई है जिसके कारण इलाहाबाद दुग्ध सघ द्वारा नियमित रूप से उचित दर पर दुग्ध मूल्य देना सम्भव हुआ है। यही नहीं प्रबंध तन्त्र आगे आने वाले दिनों के लिए भी कृत सकल्प है कि अधिकाधिक दुग्ध क्रय दर दिया जाय, जिसके लिए अनेक व्यवसायिक रणनीति अपनाई जा रही है। वर्तमान में सन् 1993-94 में दूध मूल्य में बाजार भावों में अचानक गिरावट आने से प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर डेरियों के कार्य प्रभावित हुये हैं। ऐसी दशा में भी दुग्ध सघ लाभ की स्थिति में बरकरार है। दुग्ध सघ संस्था की लाभालाभ की स्थिति से जनता सीधे जुड़ी है। दूध अधिक उपार्जन पर अधिक लाभ, कम उपार्जन पर कम लाभ स्वाभाविक है। ग्रामीण अचलों में दुग्ध मूल्य के रूप में जो राशि 1986 से 95 तक विभिन्न वर्षों में समितियों को दी गई है, का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है।

ग्रामीण अचलों में दुध मूल्य के रूप में रयि (1986 से 95 तक प्रगति)

विवरण	86-87	87-88	88-89	89-90	90-91	91-92	92-93	93-94	94-95
दुध मूल्य भुगतान	174 ।।	172 25	273 00	28। 20	224 02	295 25	3।0 42	312 30	।।। 00

प्रदेश में सहकारिता माह्यम पर अग्रसरित दुध समितियों प्रतिवर्ष लाभ से उत्पादक सदस्यों को बोनस वितरण करने वाली प्रथम समितियाँ हैं। अधिकाशत समितियाँ अपने अर्जित लाभ से 2 सप्ताह का नियमित दूध का मूल्य भुगतान करने में सक्षम हैं।

तालिका 8 ।३

समितीं द्वाय क्रितरित बोनस धनरक्षि 1986 ऐ 94 तक

	मद	86-87	87-88	88-89	89-90	90-91	91-92	92-93	93-94
बोनस वितरण अन्तर्गत समितीं	60	68	43	33	49	37	40	40	06
वितरित धनरक्षि	-	-	14764	37657	100175	93070	64762	15055	

इलाहाबाद दुर्घ सघ में आनन्द पद्धति पर कार्यरत दूध सहकारिताओं में तकनीकी निवेश कार्यक्रम की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान समय में स्था स्तर पर ही प्रशिक्षित दुर्घ उत्पादक कार्यकर्ताओं द्वारा आकस्मिक पशु चिकित्सा, कृतिम गर्भाधान, टीकाकरण आदि सुविधाये उपलब्ध करायी गई है। पहले सचल पशु चिकित्सा की सुविधाये थी, किन्तु व्यय भार अधिक पढ़ने पर बद कर दी गई। सचल पशु चिकित्सा के जगह पर आकस्मिक पशु चिकित्सा की सुविधाये शत % समितियों के लिए उपलब्ध है। यह आकस्मिक पशु चिकित्सा भारत सरकार द्वारा डेरी तकनीकी मिशन के अन्तर्गत राजकीय पशु-पालन विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है। इसके अलावा समितियों में सतुरित पशु आहार वितरण, हरा-चारा विकास, किसान वन, ग्राम वन आदि कार्यक्रम के अन्तर्गत सुविधियों उपलब्ध करायी जा रही है। समय-समय पर समिति द्वारा बाज़पन निवारण कैम्प एवं टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इससे दुर्घ उत्पादकों के पशुओं को प्रमुख महामारी की बीमारियों से बचाया जाता है। अधिक दुर्घोपार्जन हेतु नस्ल सुधार कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके लिए समिति स्तर पर ही अति हीमीकृत वीर्य ससाधन सुलभ कराकर ग्राम के ही प्रशिक्षित युवकों द्वारा प्रशिक्षित कृतिम गर्भाधान सेवा दुर्घ उत्पादकों को सुलभ करायी जा रही है। इस कार्यक्रम को व्यापक समूह/स्वरूप देने के लिए वर्तमान समय में ग्राम - समूह के अन्तर्गत ए0आई0 केन्द्र बनाये जा रहे हैं। तकनीकी निवेश कार्यक्रम के अन्तर्गत हुई प्रगति वर्षवार निम्नवत् है।

तकनीकी निवेश कार्यक्रम के अन्तर्गत हुई प्रगति (1985 - 95 तक)

	विवरण	85-86	86-87	87-88	88-89	89-90	90-91	91-92	92-93	93-94	94-95
पशु चिकित्सा समितियाँ	185	210	260	250	251	260	270	268	286	286	280
इलाज किये गये पशु सख्त्या	8957	11989	6387	7211	7090	6938	4747	3995	8821	3693	
आकृतिक इलाज पशु सख्त्या	903	2212	2233	2065	2080	2988	1976	766	961	306	
बाह्यपन निवारण केम्प	06	03	58	105	183	139	45	34	62	11	
केम्प में उपचारिता पशु सख्त्या	231	131	2319	3212	3669	2956	931	509	870	284	
वेक्षीनेशन	4506	10340	19080	12560	11480	14425	31450	18202	23710	19250	
कृतिम ग्राहितन समिति	30	30	40	40	35	35	31	31	31	31	32
कृत ग्राहितन	927	1915	3599	4613	4485	5135	6266	6862	7249	2784	

9- पराग प्रगति प्रतिवेदन - " 18वीं, 19वीं वार्षिक अधिवेशन वर्ष 92-93, 93-94 इलाहाबाद द्वाध उत्पादन सहकारी स0 लि0, पृष्ठ सभ्या 6, प्रकाशक

सिंह एस०पी०

" आदित्य रसेशनर्स, 86 साउथ मलाका, इलाहाबाद ।

वर्तमान समय में इलाहाबाद में दुग्ध सघ में सघन मिनी डेरी परियोजना कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लघु एवं सीमात कृषकों के लिए जहाँ एकीकृत ग्राम्य विकास अभिकरण से दुधारू पशु क्रय करने की योजना चल रही है, वहीं राष्ट्रीयकृत बैंकों से एक-एक कृषक व्यक्ति को चार-चार दुधारू पशु एक साथ अथवा 2 किस्तों में क्रय कराकर स्वरोजगार का साधन सुलभ कराकर सघन मिनी डेरी परियोजना से चलाया जा रहा है। आईआरडीपीओ कार्यक्रम में जो दुधारू पशु से सेवा जो ग्रामीणाच्छालों में उपलब्ध कराये जा चुके हैं और उनका जो भावी प्रस्ताव है उनका विवरण निम्नवत् है।

1- लक्ष्य 300	2- तेयार फार्म 1056	3- बैंकों को प्रेषित फार्म 1056
4- स्वीकृत फार्म 426	5- ऋण वितरित 178	

मेरे विचार से यह सत्य है कि दुग्धशाला विकास कार्यक्रम ने ग्रामीणाच्छालों में सहकारी माध्यम से दुग्ध व्यवसाय की ओर किसानों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण सफलता पाई है लेकिन अभी तक जहाँ आच्छादन का प्रश्न है वह सहकारी क्षेत्र में मात्र 25 से 30 प्रतिशत से अधिक सामान्यतया नहीं पाया जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि अभी तक सहकारिता के प्रति जो आस्था (विश्वास) किसानों के बीच होनी चाहिए वह पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई है। इस दिशा में वांछित प्रगति लाने के लिए जो राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की सहायता से एवं मार्ग-दर्शन में सहकारिता विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया जिसके फलस्वरूप बड़े उत्साहवर्धक परिणाम हमें देखने को मिले हैं। जहाँ पर पूर्व में दुग्ध व्यवसाय में महिलाओं की भागीदारी न के बराबर भी वहीं पर शने शने बड़ी तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। उसने दुग्ध सहकारी समितियों के सचालन, भावी नियोजन तथा प्रगति में, प्रबद्ध में सीधे भागीदारी का भाव प्रचुर मात्रा में विकसित हुआ है।

विपणन प्रगति क्षेत्र में इलाहाबाद शहर के प्रत्येक भाग में पराग दूध पदार्थों

की आपूर्ति व्यवस्था क्रियान्वित कर वर्तमान समय में 544 कमीशन एजेन्टों के माध्यम से दुग्ध पदार्थों की विक्री की जा रही है। इसके अन्तर्गत कच्चे हरी, हाईकोर्ट, ए0जी0 आफिस जैसे महत्वपूर्ण स्थलों पर पराग मिलक बार निर्माण कराये गये हैं। विपणन की प्रगति दूध क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी साबित हुई है। विपणन व्यवस्था की भौतिक परिवर्तियों का तुलनात्मक विवरण नीचे प्रस्तुत है।

तालिका ८ ।५

विपणन दुग्ध व्यवसाय की १९८६ से १९५ तक प्रगति

विवरण	८६-८७	८७-८८	८८-८९	८९-९०	९०-९१	९१-९२	९२-९३	९३-९४	९४-९५
ओसत दुग्ध विपणन (प्रतिदिन ली०)	१६६६।	१६३८२	१७५३२	१५८४२	२०४९७	१६३८९	१५६६८	१६६९	१६।६२
भी विपणन (मीटरी टन मे०)	४९ १६	३६ ९८	६५ ४७	५० ५।	३९ ६७	३५ ०२	४। ४६	६४ ४०	४८ १२
मक्खन विपणन (मीटरी टन मे०)	३७ ३०	२६ ५३	२४ २४	२६ २५	२३ ४।	३६ ४५	३९ ४४	५५ ९	२३ ७३
फनीर विपणन (मीटरी टन मे०)	१९ ९५	१८ ५६	२५ ५।	३५ ६५	२० ९९	१० ७८	१२ ५९	२। ६	१५ ५३
एजेन्टों की संख्या	३४२	३८५	३९८	४३२	५१८	४३।	४५२	५२५	५४४

- १०- शिंह एस०पी० - "पराग प्रगति प्रतिवेदन १९२-१३, १३-१४ ।८वों व ।९वों चार्षिक अधिवेशन पृष्ठ संख्या ७, प्रकाशक आदित्य प्रिन्टर्स,
८६, साउथ मलाका, इलाहाबाद ।

दुग्ध प्रणति का व्यवसायिक टर्न औवर सम्मानित सदस्यों की जानकारी हेतु निम्नवत् है ।

तालिका 8 । 6

दुग्ध प्रणति का व्यक्स्तायिक टर्न औवर (1985 से 94 तक प्रणति)

मद	85-86	86-87	87-88	88-89	89-90	90-91	91-92	92-93	93-94
व्यवसायिक टर्न औवर(करोड रु० मे)	0 98	2 45	3 06	3 61	4 56	5 08	5 66	5 80	6 07

इलाहाबाद दुर्गद संघ के बढ़ते हुए व्यवसाय, प्रभावी प्रबन्धन एवं अपेक्षित जागरूकता के फलस्वरूप संस्था की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। वर्ष 92-93 में जहाँ 174 लाख रु० का शुद्ध लाभ हुआ था, वहीं पर वित्तीय वर्ष (93-94) में 117 लाख रु० का शुद्ध लाभ हुआ था। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की सहायता से इलाहाबाद दुर्गद संघ में आधुनिकता कम्प्यूटर प्रणाली लोकल नेटवर्क एरिया की स्थापना की गई जिसकी सहायता से समितियों के दुर्गद मूल्य भुगतान हेतु विलिंग, वेतन, एम०आई०एस०, विपणन, वित्त स्टोर उत्पादन जैसे अति महत्वपूर्ण विभागों के कार्य कम्प्यूटर की मदद से किये जा रहे हैं। दुर्गद संघ को आधुनिकतम् प्रबन्ध प्रणाली की ओर ले जाने हेतु यह एक सफल प्रयास है। समितियों के प्रतिनिधिगण दुर्गद व्यवसाय को बढ़ाने हेतु अपने-अपने क्षेत्रों में प्रयासरत हैं। महिला डेरी में महिलाओं की भागीदारी हृतगति से बढ़ाकर बल्कि बच्चों को भी दुर्गद व्यवसाय हेतु प्रशिक्षित व प्रोत्साहित किया जा रहा है। दुर्गद व्यवसाय को ग्रामीणाचलीय आर्थिक विकास का आधार बनाकर अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर देश हित में श्वेत क्रान्ति का सपना साकार किया जा रहा है।

तालिका 8 17

सहकारिता विकास कार्यक्रम (वार्षिक प्रगति/वित्तीय व्यय विवरण) 1991 से 94 तक

पांक	वर्ष 1991 - 92		वर्ष 1992 - 93		वर्ष 1993 - 94	
	पूर्ति प्रतिभागी दिवस	कुल व्यय (रु0मे)	कुल पूर्ति दिवस	कुल प्रतिभागी दिवस (रु0मे)	कुल व्यय (रु0मे)	कुल प्रतिभागी दिवस (रु0मे)
2	3	4	5	6	7	8
सदस्य फालोअप	14/14	1129	42	81600	38978	30/23
शिक्षा कार्यक्रम	15/03	185	03	4800	676	30/07
महिला शिक्षा	15/14	1358	42	816000	40366	30/23
फालोअप महिला						
शिक्षा कार्यक्रम	15/03	179	03	4800	6243	30/07
प्रशिक्षण	07/04	45	12	9450	1918	15/08

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
6	फालोअप प्रबन्ध कमेटी	-	-	-	-	-	-	-	15/01	112	01	4050	104	15/06	76	06	312
7	सदस्य प्रशिक्षण	-	-	-	-	-	-	-	30/1	119	02	4200	104	30/07	140	14	1566
8	नेतृत्व विकास कार्यक्रम	15	-	-	-	1000	-	-	30/11	295	14	3000	728	30/07	142	07	472
9	युवा मडल	15/02	43	02	1500	130	30/11	222	14	3000	728	30/07	150	07	472		
10	महिला कलाब	15/02	45	02	1500	130	30/14	15	02	3300	609	02/01	17	02	974	35	6
11	सचिव औरियेटेशन प्रोग्राम	01	-	-	1650	-	02/01	/101	146	01	-	208	01/01	166	01	224	
12	स्कूल छात्र कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493	-	01/01	30	03	4197

11 - सिह एमोरीo - "पराग प्रतिवेदन 92-93, 93/94 18वीं, 19वीं वार्षिक अधिवेशन वृष्ट सभ्या 8, प्रकाशक आदित्य स्टेजनर्स,

1965 में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य डेरी उद्योग को कोआपरेटिव सेक्टर के रूप में संगठित करने के उद्देश्य से किया गया था। इसके लिए आपरेशन फ्लड - प्रथम योजना का प्रारम्भ मूलत डेरी संघर्षों की स्थापना व अवस्थापन सुविधाओं को बढ़ाने तथा आपरेशन फ्लड द्वितीय योजना का शुभारम्भ मुख्यत दुग्धोत्पादन बढ़ाने हेतु दुग्ध उत्पादकों के तकनीकी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के मन्तव्य से किया गया था। तकनीकी सेवाये दुग्ध उत्पादकों तक पहुँचे इस आशय से दुग्ध महासंघों, दुग्ध संघों, दुग्ध समितियों का त्रिस्तरीय ढाँचा पूरे देश में मजबूत किया गया, इसे ही आपरेशन फ्लड चलाने की जिम्मेदारी दी गई तथा इवेत क्रान्ति का नाम बुलद किया गया।

12 " आज इलाहाबाद ही नहीं, पूरे विश्व में सहकारिताधार पर दुग्ध व्यवसाय को संगठित करने में प्रथम स्थान पर तथा दुग्धोत्पादन में द्वितीय स्थान है। आजादी पूर्व जहाँ प्रति व्यक्ति दुग्ध आपूर्ति 75 मिली ग्राम थी। वृष्टि बढ़कर आज 195 मिलीग्राम हो गई है। वर्ष 1947 से 1947 तक जहाँ दुग्धोत्पादन में वार्षिक वृद्धि दर 1% से भी कम रही है वहीं पर आपरेशन फ्लड योजना लागू होने से औसत वार्षिक वृद्धि पर 450 है। इस प्रकार दुग्ध व्यवसाय में प्रबंध तंत्र को मजबूत करते हुए अधिक मेहनत, लगन व ईमानदारी से कार्य करने की आवश्यकता है, तभी हम उत्पादकों व उपभोक्ताओं के बीच आत्मविश्वास कायम कर सकेंगे। "

इलाहाबाद जनपद कृषि प्रधान जनपद है इसमें कुल जनसंख्या का 80% जनसंख्या गाँवों में रहती है। गाँवों के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, जिसकी आमदनी से ही परिवारिक खर्चों की पूर्ति होती है। इलाहाबाद जनपद की जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है। उसके अनुसार कृषि के अतिरिक्त अन्य आय के स्रोतों पर ध्यान देने से बेरोजगारी व अर्थिक सकट उत्पन्न की स्थिति से निजात दिलाई जा

सकती है। ग्रामीण विकासार्थ सफल पशुपालन व कृषि से ही गाँवों में आर्थिक व सामाजिक क्रान्ति लाई जा सकती है। आपरेशन फ्लड प्रथम व द्वितीय लागू किये जाने से दुग्धोत्पादन व नस्ल सुधार कार्यक्रम में आशातीत सफलता मिलने से इलाहाबाद दुग्धोत्पादन में अपनी एक निजी पहचान व साख बनाये है। पशुओं की जनसख्यानुपात में चूंकि दुग्धोत्पादन कम है अत पशु रख-रखाव व नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। दुग्ध उत्पादन में नस्ल सुधार एवं संतुलित खान-पान तथा पशु इलाज में बीमारियों से बचाव एक महत्वपूर्ण पहलू है। पशुओं में घातक बीमारी से पूर्व इलाज होना जरूरी है। आज के दैनिक भेंहर्गाई के जीवन में पशुओं के दाम इतने बढ़ गये है कि एक भी गाय/भैंस (पशु) के मरने पर परिवार की स्थिति डगमगा जाती है। कभी - कभी पशुओं के लगतार 2-3 वर्ष गर्भ धारण न करने पर भी आर्थिक नुकसान होता है। अत पशुपालन को दूध की वृष्टि से व्यवसाय में लेना चाहिए। इससे पशुओं के अच्छे प्रबन्ध एवम् संतुलित खान-पान से आधे से अधिक बीमारियों स्वत समाप्त हो जाती है। वर्तमान समय में क्रास बीड़ की गायों के रख-रखाव एवम् पालने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन अधिकतर गाये क्रास बीड़ जर्सी एवम् एच०एफ० गाये खराब हो जा रही है तथा वर्षा गाभिन नहीं होती है, विना दुग्धोत्पादन के रहती है। मृत्युदर भी अधिक है जिसके कारण कृषकों को क्रास बीड़ के जानवर पालने में झिझक होने लगी है। अत अधिक दुग्धोत्पादन के लिए क्रास बीड़ की गायों को पालने में वर्ष में ऐट में होने वाले कीड़ों की दवा पिलानी चाहिए। दूसरा क्रास बीड गायों का शरीर जू एवं किलनी रहित होना चाहिए। तीसरा गन्दे पानी पीने से ऐट में कीड़े के प्रवेश को बचाने हेतु गायों को स्वच्छ पानी दिया जाय। चौथा पशुओं के स्थान को माह में कम से कम एक बार डी०डी०टी० या गेमेक्सीन से साफ करना चाहिए। पाँचवा पशुओं को संतुलित आहार दें। छठा पशुओं में बीमारियों से बचाव हेतु समय-समय पर टीके लगवायें। क्रास बीड गायों को लगने वाले टीकों का विवरण निम्नवत् है।

क्रम बौद्ध शायों को रहने वाले टीकों का विवरण

क्रम संख्या	बैक्सीन का नाम	प्रथम टीकाकरण	मात्रा	अवधि
1-	रक्षा एच०एस० बैक्सीन	4 माह के बाद	2 एम०एल० मास में	वार्षिक
2-	रक्षा बौ०क्य० बैक्सीन	4 माह के बाद	2 एम०एल० मास में	वार्षिक
3-	रक्षा एफ०एम०डी० बैक्सीन	3 माह के बाद	3 एम०एल० खाल के नीचे	6 माह में
4-	आर०पी० बैक्सीन	3 माह के बाद	1 एम०एल० खाल के नीचे	वार्षिक
5-	एन्ड्रेस्स स्पोर बैक्सीन	4 माह के बाद	1 एम०एल० खाल के नीचे	वार्षिक
6-	ब्रेसेला बैक्सीन स्टेन - 19	6 माह के बाद	5 एम०एल० खाल के नीचे	वार्षिक

उपरोक्त के आधार पर हम कह सकते हैं कि तथागत वर्तमान अर्थिक दोड में हमारे किसान भाइ बहुत पीछे हैं। हमारी गरीबी का मुख्य कारण हम सब में आत्म सोच व आत्म विश्वास की कमी है। सभी साधन भेरे पास सुलभ हैं, कार्यरूप देने की बात है। अत हम सभी को दुग्ध सघ के माध्यम से कृषक भाइयों को अर्थिक स्रोत के जीविकोपार्जन हेतु रोजगार सुलभ करने हेतु अच्छी नस्ल की गायों व भेसों को पालने हेतु अधिक दुग्धोत्पादन हेतु प्रोत्साहन देना चाहिए। इताहावाद डेरी उद्योग हर किसान के लिए आय का स्रोत मुझेया करने का सबसे सरल एवं कम लागत का स्रोत है। इसी कार्यक्रम का व्यापक पैमाने पर चलाकर सफल बनाने का जो अभियान चलाया जा रहा है। इसी को श्वेत क्रान्ति के नाम से जाना जा रहा है। इस श्वेत क्रान्ति को सहकारिताधार पर ग्रामीण अचलों में लाने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के माध्यम से देश के कोने-कोने में आपरेशन फ्लड योजना चलाया है। प्रत्येक जिले में विभिन्न दुग्ध सघों के माध्यम से तथा प्रदेश स्तर पर प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन के माध्यम से इसका सचालन किया जाता है। इस योजना में ग्रामीण अचलों में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन आनन्द पद्धति पर किया जाता है। इसमें प्रत्येक जाति-पांति, धर्म, छोटा-बड़ा आदि भेदभाव को भुलाकर मात्र दुग्धोत्पादक के हैसियत से खुली सदस्यता सुलभ होती है। इन दुग्ध सहकारी समितियों का सचालन दुग्ध उत्पादक स्वयं अपने द्वारा निर्वाचित प्रबंध कमेटी के माध्यम से करते हैं। सत्र 1994-95 का दुग्ध पदार्थ दर व आय-व्यय निम्न है।

सन् 1994-95 का दुध पदर्थ दर व आय-व्यय निम्न प्रस्तावित उपर्जन दर/समिति ३०डु०४०स०४०लि०, इलाहाबाद द्वाय प्रस्तावित दुध/दुध पदर्थ की विक्री

1994-95	ओस्त दर	फंट प्रति किलो	एस०एन०एफ० प्रति किलो	टोड दूध प्रति किलो	फुल क्रीम दूध प्रति किलो	भी प्रति विलो	मखन प्रति किलो	मखन प्रति किलो	पनीर प्रति किलो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
अप्रैल 94	6 50	52	34 66	7 70	9 70	80 00	85 00	85 00	50 00
मई 94	6 50	52	34 66	8 70	10 70	80 00	85 00	85 00	60 00
जून 94	7 00	56	37 33	8 70	10 70	80 00	85 00	85 00	60 00
जुलाई 94	7 00	56	37 33	8 70	10 70	80 00	85 00	85 00	60 00
आगस्त 94	6 50	52	34 66	8 20	9 70	75 00	85 00	85 00	50 00
सितम्बर 94	6 50	52	34 66	8 20	9 70	75 00	85 00	85 00	50 00
अक्टूबर 94	6 50	52	34 66	8 20	9 70	75 00	85 00	85 00	50 00

	2	3	4	5	6	7	8	9
नवम्बर 94	6 00	48	32 00	8 00	9 70	75 00	85 00	50 00
दिसम्बर 94	6 00	48	32 00	8 00	9 70	75 00	85 00	50 00
जनवरी 95	6 00	48	32 00	8 00	9 70	75 00	85 00	-
फरवरी 95	6 00	48	32 00	8 00	9 70	80 00	85 00	50 00
मार्च 95	6 00	48	32 00	8 00	9 70	80 00	85 00	50 00

13 - पराम प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 1992, 93, 94 । ४८वीं, १९वीं वार्षिक अधिवेशन पुष्ट सख्ता 46, प्रकाशक आदित्य स्टेशनर्स,

86, सारथ मलाका, इलाहाबाद ।

आय - व्यय विवरण वर्ष १९९४-९५ (₹०३००००० सम्पूर्ण इलाहाबाद)

व्यय (रुपये में)		आय (रुपये में)	
वर्ष १९४-९५	समीतियों से	प्रतापगढ़	योग
अप्रैल १५	2518639	० ००	2518639
मई १५	1487196	० ००	1487196
जून १५	1453135	96876	1550011
जुलाई १५	1701783	100104	1801888
अगस्त १५	2044895	92946	2137844
सितम्बर १५	2608590	143922	2752512
			दृष्टि
			भक्षण
			पनीर
			योग
		560000	170000
		560000	170000
		560000	212500
		480000	212500
		560000	120000
		340000	12000
			6392500
		500000	500000
		42000	42000
		120000	120000
		150000	150000
			5663000

क्रमशः

वर्ष 94-95	समितियों से	प्रतापगढ़	योग	दूध	घी	मक्खन	पनीर	योग
अक्टूबर 94	3439141	185899	3625041	4715100	675000	340000	150000	5380100
नवम्बर 94	3487680	249120	3736800	4317000	600000	340000	150000	5407000
दिसम्बर 94	4462016	251424	4719440	4206700	525000	340000	150000	5221700
जनवरी 95	5148480	343232	5491712	5477700	720000	340000	125000	5662700
फरवरी 95	3875200	186009	4061209	4718000	720000	340000	1125000	5903000
मार्च 95	3432320	171616	3603936	4715100	560000	255000	125000	5655100
योग	35659077	1827153	3748623।	60087800	7120000	3315000	1427000	71949800

14 - पराग प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 1992, 93, 94 । 18वाँ, 19वाँ वार्षिक अधिवेशन पृष्ठ सख्त्या 46, प्रकाशक आदित्य स्टेशनर्स,

86, साउथ मलाका, इलाहाबाद ।

वर्ष 1994-95 में दुग्ध आमदनी, दुग्ध - दुग्ध पदार्थ विक्री निर्माण व संग्रहित आकड़े

वर्ष 1994-95	दुग्धोपर्जन किलो में		प्राप्त फेट किलो ५०	प्राप्त एस०एन०एफ०	फुल क्रीम टोण	प्रति दिन नगर आपूर्ति (लीटर में)			
	समियों से	प्रतापगढ़/कर्वी				बी मात्रा	धी फेट		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अप्रैल 94	14000	0	812	1204	3000	17000	20000	70000	7210
मई 94	8000	0	464	680	3000	18000	21000	70000	7212
जून 94	7500	500	464	688	3000	19000	22000	7000	7210
जुलाई 94	8500	500	522	774	3000	17000	20000	60000	6180
अगस्त 94	11000	500	687	989	3000	17000	20000	70000	7210
सितंबर 94	14500	800	887	1315	3000	15000	18000	6000	8240

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आकट्टूबर 94	18500	1000	1131	1677	3000	15000	18000	6000		8240
नवम्बर 94	21000	1500	1305	1935	3000	14000	17000	8000		8240
दिसंबर 94	26000	1500	1595	2365	3000	13000	16000	-	7000	7210
जनवरी 95	30000	2000	1856	2752	3000	18000	21000	9000		9270
फरवरी 95	25000	1200	1519	2253	3000	17000	20000	9000		9270
मार्च 95	20000	1000	1218	1806	3000	15000	18000	7000		7210
औसत प्रदिन 0	17000	875	1036	1537	3000	-	-	91000		9370

तालिका ८ २२

अ- अधिक फेट व एस०एन०एफ०, एस०एन०एम०जी० के अन्तर्गत प्रेषित किये गये।

ब- १९९४-९५ में फेट एस०एन०एफ० की कमी एस०एम०पी० एवं इवाइट बटर से पूरी की गई।

वर्ष/माह	मध्यखन्न	फेट	पनीर	फेट	एस०	आवश्यकता	कमी	कमी	एस०एम०	एस०एम०जी०	इवाइट	कनवर्जन	इवाइट	बटर	व्यय	बटर	व्यय
१९९४-९५	मात्रा				एन०	अधिकता	अधिकता	आवश्यकता	किग्रा०	किग्रा०	बटर	व्यय	बटर	व्यय			
					एफ०		एफ०	एफ०	एस०	एन० एफ०	किग्रा०						
१		२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
अप्रैल ९४	२०००	१६६०	१०००	३००	४३०	९६८	१७१४	१५६	५१०	१७५६	५८३७						
मई ९४	२०००	१६६०	७०००	२१०	३०१	६९८	१७९५	२३४	११०७	३८०८२	८७७१						
जून ९४	२५००	२०७५	२०००	६००	८६०	१०५४	१८९९	५९०	१२११	४१६५९	२२१०६						
जुलाई ९४	२५००	२०७५	२०००	६००	८६०	९४८	१७२८	४२६	९५४	३२८१८	१५९६२						
अगस्त ९४	३०००	३४९०	२०००	६००	८६०	१००२	१७२८	५३५	७३९	२५४२०	१२५६३						

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
सितम्बर	94	4000	3320	3000	600	1290	1015	1573	128	257	8850	4797			
अक्टूबर	94	4000	3320	3000	900	1290	1035	1572	96	- 105	-	-	325।	3623	105499
नवम्बर	94	4000	3320	3000	900	1290	984	1488	32।	447	-	-	13343	11732	262102
दिसम्बर	94	4000	3320	3000	900	1290	907	1402	688	963	-	-	- 29710	26219	521833
जनवरी	95	4000	3320	2500	750	1075	1125	1820	733	932	-	-	28757	27699	519205
फरवरी	95	4000	33।20	2500	750	1075	1138	1738	38।	515	-	-	14343	130।6	28000।7
मार्च	95	3000	2490	2500	750	1075	937	1565	28।	-24।	-	-	7444	10620	188699
औसत ग्रति															
देन	39000	3270	27200	8160	1।696	984	1668	-	-	-	184390	70037	96853	92710	1।877356

368

5-- पराग प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 1992, 93, 94 वर्षों वार्षिक अधिवेशन पृष्ठ सख्ता 47, प्रकाशक आदित्य स्टेशनर्स,

86, सारक्य मलाका, इलाहाबाद ।

सन् 1995-96 वर्ष के दूध की मात्रा तथा फैट और एस0एन0एफ0 के उपयोग की स्थिति

वर्ष/माह 1995-96	समिति से प्राप्त दूध(किलो में)	एस0एन0जी0 में प्राप्त दूध (किलो में)	कुल प्राप्त फैट 5 8%	कुल प्राप्त एस0एन0एफ0 8 8	दूध विक्री में फैट प्रयोग (किलो में)	दूध विक्री में एस0एन0एफ0 (किलो में)	घी में फैट उपयोग(किलो में)
1	2	3	4	5	6	7	8
अप्रैल 95	450000	-	26100	39600	22020	51300	8240
मई 95	253500	-	15283	23188	25474	63810	10300
जून 95	185000	-	11310	17160	55089	59400	12360
जुलाई 95	279000	155000	25172	38192	26598	54170	14420
अगस्त 95	341000	155000	28768	43648	27559	66950	10300
सितम्बर 95	510000	155000	38280	58080	24496	66700	8240

	1	2	3	4	5	6	7	8
अक्टूबर 95	620000	155000	44950	68200	20894	50220	6180	
नवम्बर 95	900000	150000	60900	92400	21027	48500	5100	
दिसंबर 95	1054000	155000	70122	106304	20984	50220	5100	
जानवरी 96	1178000	155000	77314	117304	24738	61380	8240	
फरवरी 95	868000	140000	58464	88704	20445	49590	6180	
मार्च 95	620000	155000	44950	68200	20928	50310	6180	
योग	7358500	1370300	501613	761068	281109	672660	100840	

16 - पराग प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 1992, 93, 94 18वाँ, 19वाँ वार्षिक अधिवेशन पृष्ठ संख्या 78, प्रकाशक आदित्य स्टेशनर्स,

86, सातुरा मलाका, इलाहाबाद ।

तालिका 8 24

1995-96 के कठट वित्तीय वर्ष का दुग्ध क्रय-विवरण प्रभाति

माह/वर्ष	समीति दूध	दर रु0	मूल्य रु0	एस०एम०जी० की	दर रु0	मूल्य रु0 में	पशु आहार	दर	मूल्य मूल्य किलो में	रूपये में
	किलो में	दूध मात्रा, किलोमें								
1	2	3	4	5	6	7	8	-	9	10
ऑगस्ट 95	45000	7 00	3150000	-	-	-	-	-	65000	3 30 214500
सितंबर 95	253500	7 00	1844500	-	-	-	-	-	36500	3 30 120450
जून 95	195000	7 00	1365000	-	-	-	-	-	28000	3 30 92400
जुलाई 95	279000	7 00	1953000	155000	8 50	1317500	39500	39500	3 30 127050	
अगस्त 95	347000	7 00	2379000	155000	8 50	131500	47000	47000	3 30 155100	
सितम्बर 95	510000	7 00	3570000	150000	8 50	1275000	73000	73000	3 30 240900	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
અક્રદૂબર 95	620000	6 50	4030000	155000		8 50	1240000	86000	3 30	283800
નવમ્બર 95	900000	6 50	5850000	150000		8 50	1200000	128500	3 30	424050
ડિસ્મબર 95	1054000	6 50	5951000	155000		8 50	1240000	146000	3 30	491800
જાનવરી 96	1178000	6 50	7657000	155000		8 50	1240000	163000	3 30	537900
ફરવરી 96	868000	6 50	5642000	140000		8 50	1120000	133000	3 30	438900
માર્ચ 96	620000	6 50	4030000	155000		8 50	1240000	86000	3 30	28380000
યોગ	7278500	48329500	1370000	11190000		1030500	3400650	-	-	-

૧૬ - પરાગ પ્રગતિ પ્રતીવેદન વર્ષ ૧૯૯૨, ૭૩, ૭૪ ૮૪થી, ૭૯થી વાર્ષિક અધિવેશન પૂર્વ સુછય ૭૯, પ્રકાશક ઓર્ડિન્ટ્ય સ્ટેશનર્સ,

तालिका 8 25

दूध की मात्रा तथा फेट व प्र००एन्न०एफ० के उपयोग की स्थिति । १९९५-९६ बजट स्वत्र प्रभाग

महाराष्ट्र	मम्बखन में पर्नीर में पर्नीर में योग प्रयुक्ति	योग प्रयुक्ति	अवशेष	अवशेष	आवश्यक	कनवर्जन	एस०एम०पी०				
	प्रयुक्ति फेट प्रयुक्ति फेट एस०एन०एफ० के जी के फेट, के जी	एन एन एफ आवश्यक	एन एन	सफेद	एन एम पी	सफेद मम्बखन	किलो में				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अप्रैल ९५	1660	900	1290	32820	52590	6720	12990	7930	13380	-	-
मई ९५	1668	1050	1505	39434	55315	24201	42127	28557	43391	-	-
जून ९५	2075	1200	1720	40724	61120	29414	43960	34709	45279	-	87
जुलाई ९५	2075	1050	1505	44143	65675	18971	27483	22386	23307	-	16189
अगस्त ९५	2460	1050	1505	40984	68465	12216	24817	19415	25562	-	41434
सितंबर ९५	2460	900	1290	36046	57990	2234	90	-	-	2569	53444

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अक्टूबर 95	2460	900	1290	30434	51510	14516	16690	-	-	16694	53204	
नवम्बर 95	2460	750	1075	29337	49675	31563	42725	-	-	36297	36893	
दिसंबर 95	2460	750	1055	29204	31295	40973	55099	-	-	47056	16311	
जनवरी 96	2460	750	1075	36188	62455	41126	54849	-	-	47295	25309	
फरवरी 96	2460	750	1075	29835	50665	28629	38039	-	-	32923	24406	
मार्च 96	2460	750	1075	30315	51385	14635	16815	-	-	16830	21209	

16 - परग प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 1992, 93, 94 18वें, 19वें वार्षिक अधिवेशन पृष्ठ संख्या 80, प्रकाशक आदित्य स्टेशनर्स,

86, साउथ मलाका, इलाहाबाद ।

सारिया 8 26

वर्ष 1995-96 का दुष्प पदर्थ विक्री प्रगति

एफडीसीएम०ट्टूष विक्री - टोपड़ दुधा की विक्री भी की विक्री

ग्राह/वर्ष	मात्रा किलो में	दर रु० में	मूल्य रु० में	मात्रा किलो में	दर रु० में	मूल्य रु० में	मात्रा किलो में	दर रु० में	मूल्य रु० में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अप्रैल 95	150,000	10 70	160,5000	420,000	8 70	3654000	8000	101	980000
मई 95	155000	10 70	1658500	554000	8 70	4919800	10000	101	1100000
जून 95	150000	10 70	1605000	510000	8 70	4437000	12000	101	1320000
जुलाई 95	155000	10 70	1658500	558000	8 70	4854600	14000	101	1540000
अगस्त 95	155000	10 70	1658500	589000	8 70	5124300	10000	101	1100000
सितम्बर 95	150000	10 70	1605000	480000	8 70	4176000	8000	101	800000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अक्टूबर 95	124000	10 70	1326800	434000	8 70	3775800	6000	101	600000	
नवम्बर 95	120000	10 70	1284000	420000	8 70	3654000	5000	101	500000	
दिसम्बर 95	124000	10 70	1326800	434000	8 70	3775000	5000	101	500000	
जनवरी 96	124000	10 70	1326800	558000	8 70	4854600	8000	101	880000	
फरवरी 96	116000	10 70	1241200	435000	8 70	3784500	5000	101	860000	
मार्च 96	124000	10 70	1326800	435000	8 70	3784500	5000	101	669000	
संग =	1647000		16017900	5927000		5069100			10760000	

16 - पराग प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 1992, 93, 94 । 8वें, 19वें वार्षिक अधिवेशन पुस्त सभ्या 8।, प्रकाशक आदित्य स्टेशनर्स,

86, साझ्य मलाका, इलाहाबाद ।

इलाहाबाद दुध उत्पादक सहकारी सघ लिमिटेड, 165, बाई का बांग, इलाहाबाद का बजट
वित्तीय वर्ष । 1995-96 का मध्यन, पनीर विक्री विवरण

मध्यन विक्री	पनीर विक्री	मूल्य रु० मे०					
		मात्रा किलो भे०	दर रु० भे०	मूल्य रु० मे०	मात्रा किलो भे०	दर रु० भे०	मूल्य रु० मे०
माह/वर्ष	1	2	3	4	5	6	7
अप्रैल 95	2000	90000	180000	3000	6000	180000	
मई 95	2000	90000	180000	3500	6000	210000	
जून 95	25000	90000	225000	4000	6000	240000	
जुलाई 95	2500	9000	225000	3500	6000	210000	
अगस्त 95	2500	9000	225000	3500	6000	210000	

	1	2	3	4	5	6	7
सितम्बर 95	3000	90000	270000	3000	60000	60000	180000
अक्टूबर 95	3000	90000	270000	2500	60000	60000	150000
नवम्बर 95	3000	90000	270000	2500	60000	60000	150000
दिसम्बर 95	3000	90000	270000	2500	60000	60000	150000
जनवरी 96	3000	90000	270000	2500	60000	60000	150000
फरवरी 96	3000	90000	270000	2500	60000	60000	150000
मार्च 96	300	90000	270000	2500	60000	60000	150000

16 - परग प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 1992, 93, 94 । ८वों, । ९वों वार्षिक अधिवेशन पृष्ठ संख्या 82, प्रकाशक आदित्य स्टेशनर्स,

86, सारथ मलाका, इलाहाबाद ।

उपरोक्त के अध्ययन को विस्तारपूर्वक नई डेरी, इलाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी सघ लिमिटेड के माध्यम से 17/11/95 से अपनी देनिक क्षमता 60,000 लीटर प्रतिदिन के माध्यम से 1994-95 में 300 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से वर्षान्त तक 54 लाख लीटर दूध एकत्र करके दूध देने वाले 7634 सदस्यों के माध्यम से 33.83 करोड़ रु. की आय अर्जित की गई। दुग्ध समितियों से सम्बद्ध समस्त दुग्ध उत्पादकों के लिए तकनीकी निवेश सेवाये व्यापक तौर पर उपलब्ध कराकर सीमित ससाधनों के होते हुए भी सभी समितियों में प्राथमिक पशु चिकित्सा, टीकाकरण जैसी अनेक सुविधाये उपलब्ध कराई गयी। सभी दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश की सुविधा उपलब्ध हो इसके लिए प्रोद्योगिकी मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 150 दुग्ध समितियों को उसी क्षेत्र के अन्तर्गत जिला पशु चिकित्सालयों से सम्बद्ध किया गया। उत्तम पशु स्वास्थ व रख-रखाव हेतु पराग दुग्ध पशु आहार एवं हरा चारा बीज का भी वितरण करके वर्ष 1994-95 में 245.25 मीटर टन पशु आहार विक्री रही जो एक प्रसन्नता का विषय है।

दुग्ध व्यवसाय में ग्रामीण महिला भागीदारी करके उनकी आय बढ़ाने हेतु दुग्ध सघ के माध्यम से आनन्द पद्धति पर महिला डेरी परियोजना के अन्तर्गत महिलाये ही डेरी का संचालक एवं सदस्य होती है। वर्ष 1994-95 में महिला डेरी समितियों की संख्या 06 थी जो आज तक बढ़कर 26 हो गई है। नये मार्गों का गठन करके जनपद के अधिकतम् अनाच्छादित क्षेत्र का आच्छादान सहकारिता विकास एवं महिला डेरी परियोजना प्रोद्योगिकी मिशन कार्यक्रम ग्रामीण अचलीय प्रगति की महान उपलब्धि रही है।

इस प्रकार दुग्ध संघ द्वारा ग्रामीण स्तरीय प्रगति में उत्तरोत्तर एवं आशाजनक वृद्धि करके शहर की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया। उपभोक्ताओं को विचोलियों

के शोषण से मुक्ति दिलाने हेतु शहरों में कमीशन एजेन्टों के माध्यम से विक्री की गई। आपरेशन फ्लड के पश्चात् तरल दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ में उत्तरोत्तर वृद्धि होने से वर्ष 1994-95 में पूरे वर्ष दुग्ध 'सघ द्वारा 6647250 लाख लीटर दूध का विक्रय किया गया। इसी के साथ धी, मक्खन, पनीर की भी विक्री जोरों पर है। दुग्ध सघ की वित्तीय प्रगति में भी लगातार सुधार हो रहा है। वर्ष 93-94 में 117 लाख ₹० के शुद्ध लाभ प्राप्त करने के बाद वर्ष 94-95 में दुग्ध सघ को 2270 लाख ₹० का शुद्ध अर्जित लाभ एक महान् उपलब्धि रही है।

इलाहाबाद दुग्ध उत्पादक सम्मिलिति अपनी स्थापना से लेकर आज तक अनेक विषम परिस्थितियों का सामना करके आज सर्वांगीण विकास की जो उपलब्धि प्राप्त की है, इसमें सर्वांगीणता व आपसी सहयोग की बहुत महत्त्व रही है। दुग्ध सघ अपने उद्देश्यों का निर्वाह करते हुए दुग्ध विकास की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनपद में प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति गठन करके उनमें दुग्धोपार्जन, पशु-चिकित्सा पशुधन सुधार, पशु आहार व हरा चारा अदि सुविधाओं के द्वारा जनपद में शवते क्रान्ति को नई दिशा देना है। दुग्ध सघ पाश्चुराझज कर दूध, धी, मक्खन, पनीर, फ्लेडर्वर्ड मिल्कादि शहरी नागरिकों, स्कूली बच्चों, मरीजों तथा पुलिस व सेना के अमर सपूत्रों, सिपाहियों को विक्री के माध्यम से उचित मूल्य पर दुग्ध उपलब्ध कराता है।

दुग्ध सघ, इलाहाबाद ने अन्य दुग्ध सघों की तुलना में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। दुग्ध सघ की इस उपलब्धि में जनपद के उत्पादनकर्ता सदस्यों, प्रबंध कार्यकारिणी एवं समिति कर्मचारियों की निष्ठा एवं कठोर परिश्रम की अहम् भूमिका रही है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन, दुग्ध सघ आयुक्त कार्यालय, जिला प्रशासन का समय - समय पर सहयोग व मार्ग-दर्शन का भी बड़ा योगदान रहा है। इलाहाबाद व कोशास्त्री जनपद के सर्वांगीण

विकास हेतु नई डेरी प्लाट प्रथम बार 17/11/95 को दुग्ध प्राप्ति का कार्य शुरू करके 25 दिसंबर 1995 को सम्पूर्ण प्लाट राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड से हस्तातिरित कर लिया था। इस नई डेरी प्लाट की प्रतिदिन की दुग्ध हैण्डलिंग क्षमता 60000 लीटर है जिसे । लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाया जा सकता है। यह डेरी प्लाट अपनी स्थापना के तुरन्त बाद राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के सहयोग से यहाँ पर गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम लागू करके प्लाट आधुनिक तकनीक से बने उपकरणों से सचालित होता है। हमारी इस नई डेरी का अध्ययन आस्ट्रेलिया के एफ ए ओ विशेषज्ञ श्री मर्टिन ने करके गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम लागू करके पूरी रूप-रेखा तेयर करके हमें दी, जिसका क्रियान्वयन दुग्ध सघ द्वारा प्रभावी रूप से किया जा रहा है।

इलाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था बमरोली, मदर रोड पर स्थित नई डेरी प्लाट की स्थापना एवं इसके सुचारू सचालन के कारण प्रदेश के उत्कृष्ट इकाईयों में से इस इकाई को मान्यता प्राप्त हुई है। इस डेरी प्लाट का उदाहरण हमारी संस्था के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह हम सभी के लिए गौरव की बात है। अधिकारियों का लक्ष्य इस प्लाट के लिए आईएसओ० 9000 प्राप्त करना है जो कि अभी तक उत्तर प्रदेश के किसी इकाई को प्राप्त नहीं है। सन् 1994-95 से दुग्ध सघ अधिकारियों ने मदर डेरी, कलकत्ता तथा मदर डेरी, दिल्ली को टैकर के माध्यम से दूध भेजना प्रारम्भ किया है। इस कार्य से हमें वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में सफलता मिलेगी। दुग्ध संघ ने मट्ठा एवं फ्लेवर्ड मिल्क का उत्पादन व विक्रय भी प्रारम्भ किया है। शीघ्र ही मिल्केक व मीठा दही का उत्पादन कार्य भी शुरू होने का कार्य किया जा रहा है जो अब सत्र 1995-96 से शुरू है। जिला योजनान्तर्गत डेरी परिसर के अन्दर ही एक किसान भवन का निर्माण जिलाधिकारी महोदय से प्रस्ताव स्वीकृति पर किया जा रहा है। इस भवन के निर्माण हो जाने से हमारे दुग्ध उत्पादक इसमें बैठकर विकास कार्यों पर चर्चा कर सकते हैं।

वर्ष 1994-95 तक कुल समितियों की संख्या 402 तथा कार्यरत दुग्ध समितियों की संख्या 300 रही है। दुग्ध उत्पादक सदस्यों की संख्या 18326 थी। इन समितियों से प्रतिदिन औसत 15828 किंगडम दूध उपार्जित किया गया तथा पूरे वर्ष में कुल 5395781 लाख लीटर दुग्धोपार्जन हुआ। सस्या द्वारा पूरे वर्ष में 33.83 करोड़ रु0 की धनराशि भुगतान दुग्धोपार्जन के बाद किया गया। तकनीकी निवेश सेवाओं के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 में 402 समितियों आच्छादित रहीं। इनके माध्यम से 4919 पशुओं का इलाज, 566 पशुओं का आक्रिमिक चिकित्सा तथा 32 बाइपन निवारण केम्प लगाकर 993 पशुओं का इलाज किया गया। कुल 21891 पशुओं का टीकाकरण हुआ। कृत्रिम गर्भाधान के अन्तर्गत समितियों की संख्या 32 थी। इन समितियों के अन्तर्गत 4995 पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान कराया गया। साथ ही साथ सहकारिता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 में सदस्यों की शिक्षा कार्यक्रम, महिला शिक्षा कार्यक्रम व अन्य कार्यक्रम आयोजित करके समितियों के दुग्धोपार्जन कार्यक्रम पर अनुकूल प्रभाव डाला गया।

1994-95 में इलाहाबाद में कुल 544 दुग्ध विक्रय एजेन्ट थे, इनके माध्यम से औसत 18245 लीटर प्रतिदिन दूध, 4899 किंगडम धी, 2779 किंगडम मक्क्यन, 1832 किंगडम पनीर, 416 किंगडम के फ्लैट्वर्ड मिल्क का विक्रय किया गया। वर्ष 1994-95 में कुल टर्न ओवर 744 07 लाख रु0 रहा। इसमें पूरे वर्ष में 154 56 लाख रु0 का व्यापारिक लाभ तथा 22 60 लाख रु0 का शुद्ध लाभ रहा था।

वर्ष 1994-95 के पूर्व वर्षों के आँकड़े के साथ विवरणी, प्रगति प्रतिवेदन स्मारिका संलग्न है, इसके अध्ययन से स्वतं स्पष्ट हो जायेगा कि दुग्ध सघ, इलाहाबाद दिन-प्रतिदिन प्रगति पथ की ओर अग्रसर है, इसके लिए दुग्ध समितियों के सभी सम्मानित अध्यक्ष तथा दुग्धोत्पादक वर्ग का अथक प्रयास अग्रणी रहा है। लेखा परीक्षा के अन्तर्गत

प्रथम बाद वर्ष 1994-95 में दुर्गद्ध संघ को लेखा परीक्षा अनुभाग 'ख' श्रेणी प्रदान करके बड़े हर्ष एवं गोरव का काम किया गया है। वर्ष 1994-95 का तुलनात्मक अध्ययन प्रगति प्रतिवेदन स्मारिका निम्नवत् है।

तालिका 8 28

वर्ष 1990 से 95 तक सहकारी समितियों की प्रगति

क्रमांक	मद	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-94
1	2	3	4	5	6	7
1-	कुल संगठित दुध समितियाँ	372	387	389	398	402
2-	कुल कार्यसत्र दुध समितियाँ	260	277	270	290	300
3-	कुल सदस्यों (कार्यसत्र समितियाँ)	11610	14148	13804	14949	15229
4-	दूध देने वाले सदस्यों की सख्त्या	5371	6303	6554	7531	7634
5-	ओसत दूधोपर्जन प्रतिदिन (लीटर में)	13118	13603	13839	15261	14824
6-	कुल दूधोपर्जन पूरे वर्ष (लीटर में)	47 88	49 79	50 51	55 70	54 11
7-	समितियों के दुध भुगतान (लाख में)	213 54	268 09	286 91	312 86	432 83
8-	पशु चिकित्सान्तर्गत समितियों की सख्त्या	260	277	270	290	300

	1	2	3	4	5	6	7
9-	इताज किये गये पशुओं की संख्या	6938	4747	3995	6621	4919	
10-	आकर्षिक चिकित्सान्तर्गत पशुओं की संख्या	2988	-1976	746	361	566	
11-	वाङ्गपत निवारण केम्प	139	45	34	62	32	
12-	केम्प मे किये गये पशु इलाज	2956	931	509	870	993	
13-	टीकाकरण	14675	31450	17202	23710	21891	
14-	कृतिम गर्भधान अन्तर्गत समीति संख्या	32	31	31	31	31	
15-	कृतिम गर्भधान मे पशुओं की संख्या	5139	6096	6952	7250	4695	
16-	दैनिक धी विक्री (किग्रा मे)	3306	2961	3455	5281	4899	
17-	दुध विक्रय एजेन्टो की संख्या	518	440	484	529	544	
18-	ओसत दुध विक्री (लीटर मे)	20479	16389	15688	16657	18245	

	1	2	3	4	5	6	7
19-	दैनिक मख्खन विक्री (किग्रा मे)	1950	2954	-	3311	4667	2679
20-	दैनिक पनीर विक्री (किग्रा मे)	1750	898	1049	1838	1832	
21-	व्यवसायिक टर्न ओवर (करोड रुपये मे)	5 08	5 66	5 80	6 07	7 45	
22-	लाभालाभ (लाख रुपये मे)	(-)35 00	(-)16 28 '	(-)9 98	1 17	22 60	

21 - लौकर ₹०१०० (सामान्य प्रबंधक) 20वें वार्षिक सामाचर निकाय अधिवेशन वर्ष 1994-95 (इलाहाबाद दुग्ध उत्पादक सम लिमिटेड, इलाहाबाद, नई ढेरी)

पृष्ठ संख्या 14, प्रस्तकरण पुस्ती आफसेट ।

पशु हमारे धन है, कृषि हमारा जीवन है। उत्तर प्रदेश में कृषकों, विशेषकर सीमात़/लघु कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की कृषि बाद दुर्घट व्यवसाय ही एकमात्र ऐसा साधन है जो कि ग्रामीण अचलों में दुर्बल वर्ग को आर्थिक रूप से स्वालम्बी बना सकता है। दुर्घट विकास कार्यक्रम भूमिहीन कृषकों तथा सीमात़ एवं लघु कृषकों को वास्तव में अतिरिक्त आय का साधन उपलब्ध कराता है। प्रदेश सरकार भी इस बात पर बल दे रही है कि कृषकों द्वारा कृषि कार्य के साथ दुर्घट व्यवसाय को भी एक सहायक धन्धे के रूप में अपनाया जाय। दुर्घट विकास कार्यक्रम जहाँ एक ओर ग्रामीण दुर्बल वर्ग को आर्थिक रूप से स्वालम्बी बनाने में सहायक होता है, वहीं दूसरी ओर नगर में रहने वाले उपभोक्ताओं को शुद्ध, स्वच्छ एवं कीटाणु रहित दूध तथा दुर्घट पदार्थ उचित मूल्य पर उपलब्ध कराता है।

वर्तमान समय में सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है कि ग्रामीण अचलों में योजनाये चलाये जाने पर 2 लाभ है प्रथम किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, दूसरी अधिकाधिक रोजगार का सृजन होगा। इन कार्यों के विकास में दुर्घशाला विकास कार्यक्रम महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इलाहाबाद दुर्घट सघ ने आपरेशन फ्लड द्वितीय 1984 से जनपद के ग्रामीण अचलों में आनन्द पद्धति पर कार्य दुर्घट उत्पादक सहकारी समितियों का गठन करके सघ ने अपना कार्य विस्तृत रूप से कर रही है। सहकारी दुर्घट समितियों का ढौंचा त्रिस्तरीय रूप में प्रथम प्रारम्भिक दुर्घट समितियों द्वितीय जिला स्तर, तृतीय प्रदेश स्तर पर होता है। गाँव में समिति संगठन से पूर्व सर्वेक्षण कर गाँव में दुधारू गाय व भैंस की सख्त्या, गाँव में कुल उत्पादित दूध की मात्रा, गाँव के उपयोग में लिये जाने वाले दूध की मात्रा, विक्री योग्य दूध की मात्रा के साथ - साथ गाँव के सड़क तक आने-जाने के साधन, गाँव में दूध का स्थानीय भाव, उपजाऊ भूमि की स्थिति तथा गाँव के नागरिकों की स्थिति, गाँव में शिक्षा संस्थान एवं सामान्य स्थिति का अध्ययन किया जाता है। इन उपरोक्त बातों का सर्वेक्षण बिन्दु सामान्य होने पर समिति गठन

हेतु आम बैठक पूरी ग्रामसभा की उपस्थिति में प्रवर्तक का चुनाव करके कम से कम 30 सदस्य (अधिकतम् सीमा नहीं) प्रत्येक सदस्य सदस्यता शुल्क एक रुपया तथा हिस्सा पूँजी 10.00 जमा कराते हुए प्रारम्भिक दुग्ध समिति गठित करके दुग्ध सघ को दुग्ध आपूर्ति की जाती है। सहकारिता विकास योजनान्तर्गत वर्तमान सहकारिता ढाँचे को सुदृढ़ किया जाता है। इस योजना में दुग्ध उत्पादक सदस्यों की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष बल दिया जाता है। दुग्ध उत्पादक सदस्यों, सहकारिता के नेतृत्व, कार्यकर्ताओं तथा व्यवसायिक विशेषज्ञों आदि के सफलतापूर्वक सहयोग से सहकारी प्रबन्ध में आवश्यक सुधार लाकर इलाहाबाद जनपद में कुशलतापूर्वक सचालित है।

देश-प्रदेश सरकार द्वारा 'महिलाओं की सहकारिता के प्रति भागीदारी सुनिश्चित करने की विशेष व्यवस्था पर बल दिया जा रहा है। परिवार के साथ -साथ सामाजिक अर्थव्यवस्था में भी महिलाओं का महत्वपूर्ण सहयोग है। अत इमें इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार एवं विकास हेतु सहकारिता में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला डेरी परियोजनान्तर्गत लाभान्वित कर पशु-प्रबन्ध, पशु प्रजनन, चारा व्यवस्था एवं रोगों से बचाव की तकनीक से महिलाओं को जागरूक किया जाता है।

वर्ष 1996-97 में दूध की मात्रा फेट व एस एन एफ के उपयोग की स्थिति का क्रमावार विवरण निम्नवत् है ।

तालिका ८ २९

इलाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, इलाहाबाद का वर्ष १९९६-९७ का उपार्जन दर समितियों का एवं दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय दर

माह/वर्ष १९९६-९७	ओस्त दर	फेट/फिल्टे	एस एन एफ किलोग्राम	स्ट्रेंडर्ड दूध/लीटर	टोण्ड दूध प्रति ली०	धी प्रति किलो	टेबल बटर	पनीर प्रति किलो	प्रति किलो
१	२	३	४	५	६	७	८	९	
अप्रैल ९६	८ ५०	६८ ००	४५ ३३	१० ६०	-	९२ ००	९५ ००	६५ ००	
मई ९६	८ ५०	६८ ००	४५ ३३	१० ६०	-	९२ ००	९५ ००	६५ ००	
जून ९६	८ ५०	६८ ००	४५ ३३	१० ६०	-	९२ ००	९५ ००	६५ ००	
जुलाई ९६	८ ५०	६८ ००	४५ ३३	१० ६०	-	९२ ००	९५ ००	६५ ००	
अगस्त ९६	८ ५०	६८ ००	४५ ३३	१० ६०	-	९२ ००	९५ ००	६५ ००	
सितम्बर ९६	८ ००	६४ ००	४२ ६७	१० ६०	-	९२ ००	९५ ००	६५ ००	
अक्टूबर ९६	८ ००	६४ ००	४२ ६७	१० ६०	-	९२ ००	९५ ००	६५ ००	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
नवम्बर 96	8 00	64 00	42 67	10 60	-	92 00	95 00	65 00	
दिसंबर 96	7 50	60 00	40 00	11 60	-	92 00	95 00	65 00	
जनवरी 97	7 50	60 00	40 00	11 60	-	92 00	95 00	65 00	
फरवरी 97	7 50	60 00	40 00	11 60	-	92 00	95 00	65 00	
मार्च 97	8 00	64 00	42 67	11 60	-	92 00	95 00	65 00	

22- 28वां वार्षिक सामान्य अधिवेशन, वर्ष 1996-97 इलाहाबाद दुध उत्पादक सहकारी सम लिमिटेड (नई डेरी प्लाट, पृष्ठ संख्या 52)

प्रस्तकरण पुस्ती आफसेट ।

तालिका ८ ३२

इलाहाबाद दुर्घ उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, इलाहाबाद का आय व व्यय विवरण वर्ष १९९६-९७ का दृष्ट प्रगति

माह/वर्ष	समिति से	प्रतापांड	एस एम जी	योग	दृष्ट	धी	टेबल बटर	पनीर	एस एम जी	योग
1996-97										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अप्रैल ९६	३०५८६४०	११७६४०	-	३१७६२८०	७२२९२००	४६००००	१९००००	१३००००	-	८००९२००
मई ९६	२३३१२२७	१२१५६१	-	२५५२७८८	७५५७८००	४६००००	१४२५००	१९५०००	-	८३५३००
जून ९६	२३५२८००	११७६४०	-	२४७०४४०	७५५७८००	४६००००	१४२५००	१९५०००	-	८७४४९००
जुलाई ९६	२९१७४७२	१२१५६१	-	३०३९०३३	७८८६४००	५०६००००	१९००००	१६२५००	-	९११९५००
अगस्त ९६	३६४६८४०	१२१५६१	१६२७५००	५३९५९०१	८२१५०००	५५२००००	१९००००	१६२५००	-	१०१९८७६८
सितम्बर ९६	४२२८८००	१७७१५२	१५७५०००	६१८०९५२	७२२९२००	५५२००००	१९००००	१६२५००	२०६५०८८	१२०८७३३२

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अक्टूबर 96	5720533	228821	1627500	7576855	7229200	644000	237500	195000	3781632	1214880	
नवम्बर 96	5757440	332160	1575000	7664600	6360000	598000	237500	162500	4786880	15171552	
दिसंबर 96	6864640	321780	1575000	8761420	6832400	598000	237500	162500	7341152	16662401	
जनवरी 97	7508200	429040	1575000	9512240	8638400	598000	237500	195000	70011504	13191264	
फरवरी 97	5812800	290640	1575000	7678440	6820800	552000	237500	162500	5418464	12685126	
मार्च 97	5720533	183057	1575000	7478590	7911200	736000	237500	130000	3670426	8355300	
योग -	56219925	2562614	1627500	71487539	89459400	6716000	2470000	2015000	34565146	135225546	
दुग्ध क्रय (यमिती व एस एम जी से)			71487540				दुग्ध एवं दुग्ध पदर्थ विक्रय एस एम जी मे	135225546			
एस एम फी क्रय			12730933				अन्य आय योग	200000			
सफेद मक्खन का क्रय			10208199				सकल लाभ	41008874			
				योग =	94416672						94416672

23 - परग प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 1992, 93, 94, 18वीं, 19वीं वार्षिक अधिवेशन पृष्ठ सेहया 54, प्रकाशक आदित्य स्टेशनरी,

तालिका 8 31

इलाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी सघ लिमिटेड, इलाहाबाद की वित्तीय प्रगति
माह/वर्ष जून 1998 तक का विवरण

संख्या	विवरण	उपलब्ध	वर्तमान में कार्यरत
1 -	कार्यरत समितियाँ	483	1500 कार्यरत समितियाँ
	1 - रजिस्टर्ड 210		
	2 - प्रस्तावित 273		
2 -	औसत दैनिक दुग्ध उत्पादन	7,047	11000 ली/दिन
3 -	सदस्य संख्या	21,212	
4 -	महिला सदस्य	8,106	
5 -	अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्य	5,989	
6 -	अनुसूचित महिला सदस्य	2,612	
7 -	पशु चिकित्सान्तर्गत समितियाँ	460	
8 -	कृतिम गर्भाधान के अन्तर्गत समितियाँ	1 - सिगल	13
		2 - कलस्टर	10
9 -	टीकाकरण	1 - एक एम0डी0 990	
		2 - एच0एच0 15,000	
10 -	पशु आहार विक्री (मीटरी टन में)	39 2	
11 -	औसतन दैनिक नगर दुग्ध विक्री	29065	27000 ली0/प्रति
12	वित्तीय स्थिति (वर्षवार) शुद्ध लाभ हानि		
	1995 - 96	7 50 लाख रूपये	
	1996 - 97	- 49 47 लाख रूपये	
	1997 - 98	03 60 लाख रूपये	

संख्या	विवरण	उपलब्धि	वर्तमान में कार्यरत
13-	नकद लाभ-हानि (माह मई 1998 में)	43655। रूपये	
14-	कुल शुद्ध लाभ हानि (माह मई 1998 में)	5,218 रूपये	
स्रोत - प्रभारी एम0आई0एस0 (महाप्रबधक)			

तालिका 8 32

1 - दुग्ध विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य योजनाओं में सधन मिनी डेरी परियोजना 97 से 78 तक यह योजना इलाहाबाद में अप्रैल 1997 से शुरू हुई और 15 07 1998 तक प्रगति इस प्रकार से निम्नवत् है -

क्रमांक	विवरण	वर्ष 1998-99 15-7-98 तक	योजना शुरू से अब तक
1 -	निर्धारित लक्ष्य	582	1000
2 -	आवेदन पत्र प्रेषण	456	1711
3 -	स्वीकृत संख्या	112	704
4 -	स्वीकृत धनराशि (लाख रूपये में)	51 10	351
5 -	वितरण संख्या	64	482
6 -	वितरित धनराशि (लाख रु0 में)	14 60	116 56
7 -	पशु क्रम	196	1106 00

8-	स्थापिते इकाई	81	456
9-	पशु बीमा	178	1088
10-	प्रशिक्षण	40	1690
11-	लाभार्थी चयन	945	2200
12-	रोजगार सृजन	163	920
2-	महिला डेरी परियोजना मई 1998 की प्रगति -		
1-	कार्यरत समितियाँ	45	
2-	सदस्य संख्या	1901	
3-	अनुसूचित महिला सदस्य	-	
4-	दूध देने वाले महिला सदस्य		
5-	औसत दैनिक दुग्धोपार्जन	579	
3-	अम्बेडकर ग्राम योजना 1997-98 वर्ष से अद्यतन प्रगति -		
	<u>जनपद</u>	<u>लक्ष्य</u>	<u>उपलब्धि</u>
	इलाहाबाद	29	21
	कौशाम्बी	11	09
4-	गोंधी ग्राम योजना वर्ष 1997-98 से अद्यतन प्रगति -		
	इलाहाबाद	13	13
	कौशाम्बी	05	05
5-	स्वर्ण जयन्ती ग्राम योजना -		
	इलाहाबाद	08	05

तालिका 8 33

इलाहाबाद दुर्घट उत्पादक सहकारी सघ लिमिटेड के क्षेत्र, मार्ग स० व कार्यरत समितियाँ

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	संबंधित मार्ग का नाम व मार्ग	स० विवरण	कार्यरत समितियाँ
1 -	यमुनापार	१ - मिर्जापुर ए- मार्ग	०१	३१
-		२- मिर्जापुर बी- मार्ग	११	४२
		३- प्रतापपुर मार्ग	०२	२८
		४- नारी-बारी मार्ग	१२	२४
		५- माण्डा मार्ग	१३	३७
२-	गगापार	१- होलागढ़ मार्ग	०९	२८
		२- नवाबगंज मार्ग	१४	३०
		३- बाराणसी मार्ग	०४	४४
		४- नवाबगंज ए मार्ग	०५	३८
		५- सहसो मार्ग	०६	४३
३-	द्वाबा	१- तिलहापुर मार्ग	०३	२६
		२- कानपुर मार्ग	०७	३३
		३- कोशास्बी मार्ग	०८	४५
		४- मझनपुर मार्ग	१०	३४
<hr/>				
कुल = १४ दुर्घट मार्ग				483

कार्यालय इलाहाबाद दुग्ध उत्पादकता सहकारी संघ लिमिटेड, इलाहाबाद

ब्लाक स्तर पर कार्यरत समितियों की सूच्या

क्रमांक	जनपद	ब्लाक का नाम	गठित समिति सूच्या
1	इलाहाबाद	करछना	46
2	"	उरुवा	52
3	"	जसरा	27
4	"	शकरगढ़	17
5	"	कोधियारा	28
6	"	चरका	03
7	"	सेदाबाद	28
8	"	बहादुरपुर	13
9	"	फूलपुर	30
10	"	धनुपुर	28
11	"	बहरिया	43
12	"	सोराव	16
13	"	हण्डिया	08
14	"	प्रतापपुर	30
15	"	मउआइमा	16
16	"	होलागढ़	19
17	"	कोरेव	02
18	"	मेजा	13
19	"	माणडा	07
कुल			436

संख्या	जनपद	ब्लाक का नाम	गठित समिति सं
1 -	कौशाम्बी	नेवादा	42
2 -	"	कौशाम्बी	44
3 -	"	सरसवां	32
4 -	"	चायल	23
5 -	"	मूरतगज	05
6 -	"	कडा	01
7 -	"	मझनपुर	20
8 -	"	सिरथू	17
कुल			184

स्रोत - प्रभारी एम0आई0एस0, (महाप्रबधक, इलाहाबाद दु0उ0स0स0 लि0, इलाहाबाद)

दुग्ध सघ, इलाहाबाद को विपणन अनुभाग की प्रगति विवरण एक दृष्टि मे -
इलाहाबाद नगर मे लगभग 600 एजेन्टों व लगभग 20 स्थाओं के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 28,000 लीटर दूध की विक्री की जा रही है। जो गत वर्ष की अपेक्षा लगभग 30% अधिक है। उपरोक्त की प्राप्ति निम्नवत् बाजार सरचना से की जा रही है। इलाहाबाद नगर की जनसंख्या करीब 10 लाख है।

1 -	कुल एजेन्टों की संख्या	600
2 -	स्थाओं की संख्या	20
3 -	तरल दुग्ध आपूर्ति मार्ग का विवरण	-

मार्ग स० । -

- 1- राजरूपपुर से खुल्दाबाद वाया लूकरगंज, हिम्मतगज ।
- 2- प्रीतम नगर से बेली अस्पताल वाया अशोर नगर, राजरूपपुर ।
- 3- कटरा, मम्फोर्डगज, रसूलाबाद, भेहदौरी कालोनी, तेलियरगज ।
- 4- कर्नलगज, टेगोर टाउन, एलनगंज, बघाडा, प्रयाग, चौदपुर सलोरी, गोविदपुर।
- 5- जार्ज टाउन, सोहबतिया बाग, बैरहना, अल्लापुर, दारागज ।
- 6- सिविल लाइन्स, नवाब युसूफ रोड, मलाकराज, बैरहना, झूंसी ।
- 7- कीडगंज, नैनी क्षेत्र ।
- 8- मुट्ठीगंज, गजघाट, भारती भवन, स्टेनली रोड ।
- 9- नूरुल्ला रोड, नकास कोहना, चौक, रानीमण्डी ।
- 10- करेली, अतरसुइया, करेलाबाग, शहराराबाग कालोनी ।

मिल्क बूथ

प्रस्तावित बूथ

- 1- महालेखाकार कार्यालय
- 2- हाईकोर्ट
- 3- पुलिस लाइन्स

कार्यरत बूथ

- 1- विकास भवन, इलाहाबाद
- 2- उत्तर मध्य सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद
- 3- नई डेरी गेट, इलाहाबाद
- 4- एयर फोर्स बमरोली ।

इस प्रकार दुग्ध संघ, इलाहाबाद 28,000 लीटर तरल दूध, 200 किलो धी, 200 किलो मक्खन, 100 किलो पनीर, 500 कुर्लहड दही एवं 300 पैकेट मट्ठा प्रतिदिन विक्री कर दुग्ध सघ नगर की जनता को आवश्यक दूध एवं दुग्ध पदार्थ उचित मूल्य पर उचित उच्च गुणवत्ता को उपलब्ध कराकर जनस्वास्थ बढ़ावदारी कर रहा है। इससे आज दूध एवं दुग्ध पदार्थ के मामले में जहाँ आत्मनिर्भर है, वहाँ जनपद में दुग्ध व्यवसाय से 2000 लोगों को स्वरोजगार एवं सुविधा उपलब्ध करा रहा है जिससे हजारों लोगों का जीवन-यापन कर रहा है।

इलाहाबाद दुग्ध उत्पादकता सहकारी सब लिमिटेड की प्रगति एक दृष्टि में
कार्यरत ग्रामीण समितियाँ (1992 से 98 तक)

वाह	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99
अप्रैल	268	265	279	297	366	502	561
मई	253	261	264	280	348	491	665
जून	247	251	254	269	341	473	565
जुलाई	249	358	258	285	338	480	587
अगस्त	260	264	261	291	340	495	590
सितम्बर	262	264	271	299	354	514	-
अक्टूबर	265	278	275	303	385	552	-

	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99
नवम्बर	266	277	280	310	390	570	-
दिसम्बर	268	285	290	318	410	579	-
जनवरी	268	287	300	347	430	580	-
फरवरी	270	290	300	363	490	575	-
मार्च	267	286	298	371	500	571	-
कुल	270	290	300	371	500	580	

तालिका 8 36

इलाहाबाद दुष्प्र उत्पादकता सहकारी सम लिमिटेड से दुग्धोपर्जन दर प्रतिदिन, लीटर में⁴

(वर्ष 1992 से 1998 तक)

माह	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99
अप्रैल	8859	12651	12263	11715	13848	20395	14987
मई	7094	6651	6663	6646	8083	8842	15981
जून	5854	6142	5717	5772	8125	8504	18609
जुलाई	5209	6840	9671	7222	10076	14042	23839
अगस्त	7771	8123	8990	9053	10173	15600	24009
सितम्बर	13631	13048	12175	14885	14303	23926	-
अक्टूबर	15226	16836	15706	17697	19269	28418	-

माह	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99
नवम्बर	17854	19069	18587	21716	22979	33218	-
दिसंबर	21998	23308	22425	26992	27414	39543	-
जनवरी	24292	27316	25281	32653	34486	37051	-
फरवरी	20972	25794	23665	28694	33890	32186	-
मार्च	17310	17355	16765	21706	27486	23145	-
कुल	13839	15261	14824	17063	19178	23739	-

स्रोत - प्रभारी एम०आई०एस० (महाप्रबंधक) ८०८०८०८०८० लिमिटेड, इलाहाबाद ।

तालिका ८ ३७

५८

इलाहाबाद दुग्ध उत्पादकता सहकारी संघ लिमिटेड, दुग्धपार्जन प्रति ग्रामीण उत्पादन समीति (1992 से १९९८ तक)

मह	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99
अप्रैल	33 05	47 74	43 95	39 44	37 84	40 62	26 71
मई	28 04	25 48	25 23	23 73	23 22	18 01	32 2
जून	23 70	24.47	22 30	21 45	23 83	17 98	31 7
जुलाई	20 92	26 51	37 45	25 34	29 81	29 25	32 8
अगस्त	29 89	30 ..	3 ..	31 11	29 92	31 35	39 6
सितम्बर	52 03	4 ..	44	49 78	40 18	46 54	-
अक्टूबर	35 50	46 ..	57 1	39	50 04	51 48	-

माह	92-93	93-94	94-95	95-96	86-97	97-98	98-99
नवम्बर	35 75	68 84	66 37	70 05	58 92	58 27	-
दिसम्बर	46 70	81 78	77 33	84 88	66 86	68 30	-
जनवरी	90 64	95 18	84 27	94 10	80 20	63 88	-
फरवरी	77 67	88 94	78 82	79 05	69 16	55 97	-
मार्च	64 88	60 68	56 26	58 51	54 97	40 53	-
कुल	144 89	54 88	52 39	52 39	47 08	43 52	-

तालिका ८ ३८

इत्याहावाद त्रुप्त उत्पादकता सहकारी सम लिमिटेड, सदस्यता कार्परत ग्रामीण उत्पादन समिति (१९९२ से १९९८ तक)

माह	९२-९३	९३-९४	९४-९५	९५-९६	९६-९७	९७-९८	९८-९९
अप्रैल	१३८०४	१३६००	१४५२४	१५१२२	१७४८३	२२०७१	२३३३७
मई	१३१२२ ~	१३४८।	१३८६९	१४२५०	१६७६३	२१६४९	२३६३७
जून	१२८५७	१३०९६	१३३४।	१३८०३	१६५४०	२०९६।	२३८३८
जुलाई	१२९४३	१३५१४	१३५७८	१४५६।	१६४९०	२१२६६	२३८३९
आगस्त	१३३९६	१३८९६	१३७६५	१४८।७	१६५२४	२१७१०	२३८४०
सितम्बर	१३४९६	१४२२९	१४१९४	१५३२६	१७२५७	२२४५९	-
अक्टूबर	१३६२७	१४३९९	१४३८८	१५४६५	१८।१५	२३६८७	-

माह	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99
नवम्बर	13636	14297	14582	15813	18275	24296	-
दिसम्बर	13640	14587	14889	16144	19063	24311	-
जनवरी	13621	14735	15208	17074	19817	24526	-
फरवरी	13733	14949	15229	17580	21778	24336	-
मार्च	13677	14798	15176	17760	22068	24165	-
योग	13804	14949	15229	17760	22068	24526	-

स्रोत - प्रभारी, एमओआईएस० (महाप्रबन्धक), इलाहाबाद दुध उत्पादकता सहकारी संघ लिमिटेड, इलाहाबाद ।

इलाहाबाद दुग्ध उत्पादकता सहकारी सम लिमिटेड के अन्तर्भूत अनुसूचित जाति सदस्यता (1992 से १९९८ तक)

वर्ष	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99
श्रील	2911	2894	3090	3113	3810	5048	5962
मई	2911	2894	3090	3123	3833	5084	5980
जून	2911	2960	3095	3123	3873	5087	6001
जुलाई	2911	2973	3095	3135	3894	5108	6012
अगस्त	2890	3048	3095	3181	3899	5306	6500
सितम्बर	2890	3053	3095	3228	3995	5364	-
अक्टूबर	2890	3069	3104	3239	4148	5525	-

माह	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99
नवम्बर	2890	3069	3096	3279	4204	5741	-
दिसम्बर	2890	3079	3096	3357	4377	3810	-
जनवरी	2890	3087	3096	3564	4525	5869	-
फरवरी	2890	3089	3113	3662	4875	5894	-
मार्च	2894	3089	3113	3783	4988	5944	-
योग	2894	3089	3113	3783	4988	5944	-

स्रोत - प्रभारी, एमओआईଓএলো (মহাপ্রবক্ত), ইলাহাবাদ দুর্য উন্নয়নকর্তা সহকারী সচিব লিমিটেড, ইলাহাবাদ ।

तालिका ८.४०

सहकारी दुग्ध ऊप के अन्तर्गत कार्यरत मधिलाओं की सदस्यता (१९९२ से १९९८ तक)

माह	१९२-१९३	१९३-१९४	१९४-१९५	१९५-१९६	१९६-१९७	१९७-१९८	१९८-१९९
ऑफिस	1230	230	572	588	7091	8663	9016
मई	1230	230	559	572	6838	8504	9016
जून	1230	230	543	582	6820	8288	9016
जुलाई	1230	355	538	437	6802	8261	9016
अगस्त	1230	356	536	683	6882	8440	9100
सितम्बर	1230	373	551	642	7097	8574	-
अक्टूबर	1230	391	597	841	7457	9032	-

माह	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99
नवम्बर	1230	397	601	945	7537	9123	-
दिसम्बर	1230	428	603	1031	7797	9163	-
जनवरी	1230	506	619	4043	8017	9229	-
फरवरी	1230	372	623	5295	8600	9150	-
मार्च	1230	572	619	7124	8758	9137	-
योग	1230	572	623	7124	8758	9229	-

स्रोत - प्रभारी, एमोआई०एस० (महाप्रबंधक), इलाहाबाद दुग्ध उत्पादकता सहकारी सघ लिमिटेड, इलाहाबाद ।

तालिका ८-४।

मिल्क देने वाले सदस्यों की संख्या वर्ष १९९२ से १९९८ तक

माह	९२-९३	९३-९४	९४-९५	९५-९६	९६-९७	९७-९८	९८-९९
अप्रैल	4394	4330	3189	5632	6870	8765	9016
मई	3726	3834	5078	4121	5302	8060	9020
जून	3144	3441	3521	3867	5006	5797	9078
जुलाई	2850	3849	4081	4155	5551	6667	9998
अगस्त	3226	4116	4146	4938	5810	7856	10000
सितम्बर	4944	4560	5025	6037	6770	11290	-
अक्टूबर	5337	3931	5639	7127	7780	12785	-

माह	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99
नवम्बर	4227	6279	6373	7516	8770	14320	-
दिसंबर	6508	7133	7245	8259	9344	13720	-
जनवरी	6554	7531	7634	9254	10690	14551	-
फरवरी	6043	7423	7297	8974	11352	13156	-
मार्च	5463	6509	6477	8302	10331	11214	-
योग	6554	7531	7634	9254	11352	15720	-

चोत - प्रभारी, एमओआईएस० (महाप्रब्लधक), इलाहाबाद दुग्ध उत्पादकता सहकारी सम लिमिटेड, इलाहाबाद ।

तालिका 8 42

दूध देने वाले प्रति व्यक्तियों से दूध की उपलब्धि वर्ष 1992 से 1998 तक

माह	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99
अप्रैल	2 02	2 78	2 36	2 07	2 01	-	2 33
मई	1 90	1 73	1 31	1 61	1 52	1 25	2 50
जून	1 86	1 78	1 62	1 49	1 62	1 47	3 40
जुलाई	1 83	1 78	2 37	1 74	1 82	2 11	4 00
अगस्त	2 20	1 97	2 17	1 83	1 75	1 99	5 20
सितम्बर	2 76	2 86	2 42	2 47	2 11	2 12	-
अक्टूबर	2 83	2 84	2 78	2 48	2 48	2 22	-

क्रमांक

गाह	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99
नवान्बर	4 22	3 04	2 92	2 89	2 62	2 32	-
दिसम्बर	3 38	3 27	3 10	3 27	2 93	2 52	-
जनवरी	3 71	3 43	3 31	3 53	3 23	2 55	-
फरवरी	3 43	3 47	3 24	3 20	2 99	2 45	-
मार्च	3 17	2 67	2 59	2 61	2 66	2 06	-
योग	12 11	2 03	1 94	1 84	1 69	2 11	-

क्रेत - प्रभारी, एस0आई0एस0 (महाप्रबंधक), इलाहाबाद दुग्ध उत्पादकता सहकारी सम लिमिटेड, इलाहाबाद ।

तालिका ८ ४३

इलाहाबाद दुग्ध उत्पादकता सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा वर्ष १९९२ से १९८ तक प्रशुचाय विक्री (भौटी दन में)

	माह	१९२-१९३	१९३-१९४	१९४-१९५	१९५-१९६	१९६-१९७	१९७-१९८	१९८-१९९
ओप्रेल	१५ ३५	४६ ८८	४३ २३	१८ ७०	३१ ३०	८५ ००	६३ ९५	
भई	६ ६८	१७ ८५	१ ९५	१६ ७५	२१ ६०	३२ ६०	७९ ९०	
जून	९ ६०	२१ ३३	१५ १३	१८ १०	२० ३५	२७ ८०	१०४ ४०	
जुलाई	१५ २०	२४ ९२	१२ १०	१९ ७०	१८ ४०	२७ ००	१९२ ३०	
अगस्त	१३ ७५	२२ ३०	१० १३	१४ ७५	२६ १५	४६ ०५	२०० १०	
सितम्बर	३५ ५०	३२ ४८	२५ ८५	५३ ५३	४२ ९५	६२ २०	-	
अक्टूबर	३९ ५०	४८ ४८	३७ ९५	५५ १०	७५ २५	९६ ७५	-	

	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99
माह							
नवम्बर	42 38	40 60	45 65	61 20	66 45	95 65	-
दिसम्बर	50 83	58 00	54 85	35 70	102 50	149 95	-
जनवरी	32 65	86 73	45 10	105 70	110 85	140 00	-
फरवरी	44 90	63 68	30 65	71 25	90 70	98 85	-
मार्च	20 63	16 75	22 60	32 65	74 05	92 00	-
योग	328 95	481 97	345 25	5027 95	480 75	953 85	-

पशु विकित्सा उपचार प्राथमिक विकित्सा सेवाये वर्ष १९९२ से १९८ तक

वर्ष	१९२-१९३	१९३-१९४	१९४-१९५	१९५-१९६	१९६-१९७	१९७-१९८	१९८-१९९
	माह						
अप्रैल	३१४	३९७	५६४	३०४	६०४	६४५	५२७
मई	३०४	३८५	४१६	२९६	५७४	६१५	५३०
जून	३०४	५७६	३०४	३०२	५२४	६२५	५६५
जुलाई	३१६	५१४	५२१	५१५	५४१	६५९	६७०
अगस्त	३७२	६०४	५२२	३०२	५६०	५७२	५९०
सितम्बर	३२७	५८५	५३६	५०८	५७७	५३६	-
अक्टूबर	३४२	५४६	३२०	५०७	५३६	५७२	-

माह	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99
नवम्बर	304	513	310	527	542	584	-
दिसंबर	312	687	312	514	578	588	-
जनवरी	310	654	310	524	573	592	-
फरवरी	405	584	318	502	602	582	-
मार्च	385	576	286	585	618	588	-
योग	3995	6621	4919	5587	6821	7158	-

स्रोत - प्रभारी, एमोआईएस० (महाप्रबन्धक), इलाहाबाद दुर्घट उत्पादकता संहिता संघ लिमिटेड, इलाहाबाद ।

ताँरेका 8 45

पशु चिकित्सा आकृतिक उपचार वर्ष 1992 से 99 तक प्रभति

माह	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99
ओपेल	73	29	60	27	40	39	31
मई	59	41	47	19	33	57	39
जून	27	104	38	39	38	60	48
जुलाई	57	127	31	65	43	51	52
अगस्त	97	83	34	40	78	52	58
सितम्बर	119	91	26	25	96	51	-
अक्टूबर	74	92	36	39	45	115	-

क्रमण

माह	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99
नवम्बर	63	99	34	19	76	60	-
दिसम्बर	55	61	44	42	63	65	-
जनवरी	48	56	28	64	60	43	-
फरवरी	41	90	78	75	66	20	-
मार्च	31	88	110	49	86	21	-
योग	746	961	566	523	744	634	-

शेत - प्रभारी, एमोआई0एस० (महाप्रबंधक), इलाहाबाद दुध उत्पादकाता सहकारी सघ लिमिटेड, इलाहाबाद ।

औसत यातायात लाख्त प्रति वाह वर्ष १९९२ से १९८ तक प्रभावी

माह	९२-९३	९३-९४	९४-९५	९५-९६	९६-९७	९७-९८	९८-९९
ओप्रेल	53	37	46	49	54	52	85
मई	66	70	86	86	92	1 20	96
जून	81	76	1 00	97	97	1 25	1 00 ⁴²²
जुलाई	91	67	59	78	74	76	1 36
अगस्त	60	38	63	62	79	68	1 40
सितम्बर	34	40	47	38	56	52	-
अक्टूबर	31	31	36	32	46	44	-

क्रमशः

माह	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99
नवम्बर	26	27	30	26	39	38	-
दिसम्बर	21	24	26	21	32	32	-
जनवरी	19	20	23	23	26	34	-
फरवरी	22	22	24	26	31	40	-
मार्च	27	32	34	34	30	55	-
योग	11 44	42	48	48	54	61	-

सेत - प्रभारी, एमओईटॉ (महाप्रबक), इशाहाबाद दुध उत्पादकता सहकारी सम लिमिटेड, इशाहाबाद ।

तालिका ८ ४७

सेवा के अन्तर्भूत समितियाँ वर्ष १९९२ से १९९८ तक

माह	१९२-१९३			१९३-१९४			१९४-१९५			१९५-१९६			१९६-१९७			१९७-१९८		
	एस आई सी आई																	
अप्रैल	27	4	27	4	27	4	27	4	27	4	15	10	10	10	10	10	10	13
मई	27	4	27	4	27	4	27	4	27	4	15	10	10	10	10	10	10	14
जून	27	4	27	4	27	4	27	4	27	4	10	10	10	10	10	10	10	14
जुलाई	27	4	27	4	27	4	27	4	27	4	10	10	10	10	10	10	10	15
अगस्त	27	4	27	4	27	4	27	4	27	4	10	10	10	10	10	10	10	16
सितम्बर	27	4	27	4	27	4	27	4	27	4	10	10	10	10	10	10	10	-
अक्टूबर	27	4	27	4	27	4	27	4	27	4	10	10	10	10	10	10	10	-

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
नवम्बर	27	4	27	4	27	4	27	4	27	4	10	10	10	10
दिसम्बर	27	4	27	4	27	4	27	4	27	4	10	10	10	10
जनवरी	27	4	27	4	27	4	27	4	27	4	10	10	10	10
फरवरी	27	4	27	4	27	4	27	4	27	4	10	10	10	10
मार्च	27	4	27	4	27	4	27	4	27	4	10	10	10	10
योग	27	4	27	4	27	4	27	4	27	4	10	10	10	10

स्रोत - प्रभारी, एम०आई०एस० (महाप्रबन्धक), इलाहाबाद दुग्ध उत्पादकता सहकारी सम लिमिटेड, इलाहाबाद ।

માહ	92-93			93-94			94-95			95-96			96-97			97-98			98-99		
	એસ૦આઈ૦	સી0આઈ૦	એસ૦આઈ૦	મી0આઈ૦	એસ૦આઈ૦	સી0આઈ૦															
	એન૦	એફ૦એસ૦																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
અપ્રેલ	409	118	423	118	410	134	105	50	157	132	-	187	227	179	-						
માર્ચ	344	138	433	116	483	151	118	65	74	40	189	235	200	-							
જૂન	379	139	402	113	286	122	280	164	55	54	191	225	223	-							
જુલાઈ	365	155	434	156	187	72	224	230	288	354	231	252	225	-							
અગસ્ત	486	187	409	135	091	75	245	257	283	340	123	226	240	-							
સિત્મબર	477	185	475	114	217	17	277	276	265	347	166	269	-	-							
અક્ટૂબર	391	181	492	123	332	32	226	274	250	338	186	297	-	-							

426

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
नवम्बर	519	138	382	152	294	46	290	320	253	364	254	289	-	-	-
दिसम्बर	527	168	413	211	409	105	354	280	311	370	228	306	-	-	-
जनवरी	519	132	455	205	360	216	387	307	346	372	253	328	-	-	-
फरवरी	595	89	525	249	314	163	197	203	306	422	226	284	-	-	-
मार्च	379	141	484	231	130	49	185	221	270	379	224	273	-	-	-
बोग	5181	141	5327	1923	3513	1182	2888	2674	2858	3532	2458	3211	-	-	-

शेत - प्रभारी, एमोआईटी० (महाप्रबधक), इलाहाबाद द्वाध उत्पादकाला सहकारी सघ लिमिटेड, इलाहाबाद ।

दूध देने वाले सदस्यों की संख्या, प्रतिशत अक्ष, वर्ष १९९२ से १९९८ तक प्रगति विवरण

428

माह	92-93			93-94			94-95			95-96			96-97			97-98			98-99		
	दूध सदस्य	%	दूध सदस्य	%	दूध सदस्य	%	दूध सदस्य	%	दूध सदस्य	%	दूध सदस्य	%	दूध सदस्य	%	दूध सदस्य	%	दूध सदस्य	%			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४								
अप्रैल	4394	32	4550	33	5189	36	5652	37	6890	39	8765	40							9998		
मई	3726	28	3824	28	4078	29	4121	29		30	7060	33							9990		
जून	3144	24	3441	26	3521	26	3867	28	5006	30	5797	28							9952		
जुलाई	2850	22	3849	28	4081	30	4155	33	5551	34	6667	31							9998		
अगस्त	3526	26	4115	30	4146	30	4938	39	5810	35	7856	36							10090		
सितम्बर	4944	37	4560	32	5025	36	6037	46	6770	39	11290	50							-		
अक्टूबर	5337	39	5931	41	5659	39	7127	48	780	43	12785	54							-		

क्रमशः

	1	- -	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
नवम्बर	4227	31	6279	44	6373	44	7516	51	8772	48	14320	60	-	-	-
दिसंबर	6503	48	7133	49	7445	49	8259	54	2344	49	15720	64	-	-	-
जनवरी	6554	48	7531	51	7634	50	9254	51	10690	54	14551	59	-	-	-
फरवरी	6043	44	7425	50	7297	48	8974	28	11352	52	13156	54	-	-	-
मार्च	5463	40	6509	44	6477	43	8302	47	10331	47	11214	46	-	-	-
योग	6554	48	7531	51	7634	50	9254	54	11352	52	15720	64	-	-	-

तालिका ८ ५०

पशु टैकाकरण कर्ता १९९२ से १९८ तक पशु सव्या

माह	१९२-१९३	१९३-१९४	१९४-१९५	१९५-१९६	१९६-१९७	१९७-१९८	१९८-१९९						
	एफ०एस० डौ०	एच०एस० डौ०	एफ०एस० एच०एस० डौ०										
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
अप्रैल	-	-	१०१०	-	-	-	-	-	०५६२	-	-	-	६३०
मई	०	५६००	८००	२५०	०	६०	४५५	०	०	२२८०	१८३	०	६२५
जून	०	४४००	१३०	७०००	४१०	३००	०	०	०	७७२०	०	१४३७०	६३९
जुलाई	०	०	२००	२७५०	५८०	५२७०	०	४८५०	०	५३५०	०	१०६३०	९८०
अगस्त	१००	११०२	०	२७००	२९०	४४२०	५०६	९३००	०	४६५०	०	०	९९०
सितम्बर	१९००	१३००	९१०	१३००	५१०	४३००	६४०	३३५०	१५९०	०	१५६०	०	-
अक्टूबर	३३९	०	१२७०	७५०	२३०	२०१०	३०१	०	०	०	१६००	०	-

करार

४३०

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
नक्षत्र										0	540	0	1100	0
दिसम्बर	400	0	1180	0	440	0	0	0	0	0	1735	0	915	0
जनवरी	1603	0	1500	0	430	0	0	0	0	0	2445	0	755	0
फरवरी	458	0	100	0	701	0	770	0	0	0	2147	0	1060	0
मार्च	0	0	260	0	690	0	1808	0	0	0	2100	0	1140	0
गोण	4800	12402	7960	15750	5531	16360	9520	17500	11119	20000	8313	25000	630	431

चेत - प्रभारी, एम०आई०एस० (महाप्रबक्त), इलाहाबाद दुध उत्पादकता सहकारी सघ लिमिटेड, इलाहाबाद ।

इलाहाबाद शहर में दुध वितरण (लीटर में) का तुलनात्मक वर्षवार औसत 1985 से 1998 तक प्रगति

	माह	1984-85	85-86	86-87	87-88	88-89	89-90	90-91	91-92	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99
ओप्रेल	1783	5049	13636	18129	16506	15433	20525	20647	20164	15089	19154	19809	20597	20099	25197	
गर्भ	2004	6568	18081	19981	18783	17563	20601	18718	18706	16920	18876	21395	21570	23504	26490	
जून	2949	8384	18817	20344	18983	14652	216288	15765	17819	16888	17096	20624	19513	21583	29055	
जुलाई	3339	9298	15569	19335	16283	14455	21203	16318	18563	16054	16707	21052	19947	19717	32001	
अगस्त	3181	10703	20133	18537	17586	13772	23439	16100	16521	18469	19342	21000	21300	20555	23094	
सितम्बर	3714	10226	17444	15722	16128	14533	21544	15742	14696	16742	17522	18592	19905	18578	-	
अक्टूबर	3633	9892	16234	14581	14045	16305	19004	16318	14440	16665	16352	17418	17300	18541	-	

માહ	1984-85	85-86	86-87	87-88	88-89	89-90	90-91	91-92	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99
નાનાબર	3076	9374	14998	14334	12897	15212	19085	14950	13799	15354	14448	16263	16746	17382	-
દિસ્મબર	3145	9328	14079	13454	12096	14646	17815	13699	13604	14869	13837	14916	16161	16672	-
જાનવરી	4296	9369	15973	15165	22300	18003	23006	14772	14438	14775	25127	20108	17149	19997	-
ફરવરી	3893	11514	17294	13412	32681	18652	19222	17885	12861	19350	23848	18197	24055	21017	433
માર્ચ	3727	11650	14677	13584	12180	16876	18618	15855	12668	16706	16428	17797	18407	20334	-

શોસ્ત્ર યોગ	3228	9280	16661	16382	17532	15842	20479	16389	16688	16657	18245	18948	19395	19783	-
-------------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

શૈત - પ્રભારી એવમ વિપળન પ્રબધક, એમ૦આઈ૦પ્સ૦ ઇલાહાબાદ દુઃખ ઉત્પાદકતા સહકારી સંય લિમિટેડ, ઇલાહાબાદ ।

शहर में तुलनात्मक वर्षवार भी विक्री औसत 1984 से 1998 तक प्रगति (किलोग्राम में)

माह	1984-85	85-86	86-87	87-88	88-89	89-90	90-91	91-92	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99
अप्रैल	-	2686	3722	2122	3524	4779	4140	2357	2391	3900	7812	2255	3427	5025	6983
मई	-	2092	4446	2718	2541	2742	4443	2524	2224	3257	5300	2130	3623	4622	5329
जून	-	4973	5523	2843	2825	4548	3930	5765	2210	4513	20816	3832	5773	4073	3760
जुलाई	-	7515	6200	3546	3567	4156	3383	3484	3222	3753	7289	3101	6135	4600	5324
अगस्त	-	4957	4516	3208	4209	4774	1118	3620	3025	4933	1204	3275	6469	5104	4962
सितम्बर	-	4745	5125	3050	3153	4642	3532	2544	5025	6665	937	4951	6231	7057	-
अक्टूबर	-	7075	3008	2451	3960	4568	2578	3995	3840	7761	3063	4652	5771	7182	-

माह	१९८४-८५	८५-८६	८६-८७	८७-८८	८८-८९	८९-९०	९०-९१	९१-९२	९२-९३	९३-९४	९४-९५	९५-९६	९६-९७	९७-९८	९८-९९
नवंबर	-	6888	3032	3514	4215	3606	5130	2464	3159	6236	1701	3553	7065	5629	-
दिसम्बर	-	10008	4580	4372	4481	4007	4527	1836	4126	5661	1506	3338	4914	4972	-
जनवरी	1935	8070	3699	3238	16012	4870	2778	2943	5318	5565	3823	3439	4191	6156	-
फरवरी	1656	5357	3390	1942	13172	3734	2116	2177	3529	7412	3046	3250	4359	5080	-
मार्च	1907	3700	2218	3965	3818	4049	2096	1825	3390	3511	2288	3763	3631	5739	- 435

योग औसत 1832 5672 4122 3081 5456 4210 3306 2961 3455 5281 4899 3462 5132 5441 5324

चोत - प्रभारी एवम् विषयन प्रबधक, एम०आई०एस० इलाहाबाद दुध्य उत्पादकता सहकारी सम लिमिटेड, इलाहाबाद ।

वर्षावर तुलनात्मक अस्थन विक्री प्रमाणि (किलोग्राम में) वर्ष 1984 से 98 तक

माह	1984-85	85-86	86-87	87-88	88-89	89-90	90-91	91-92	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99
अप्रैल	-	1685	2075	1486	1255	1919	1782	911	2766	2743	2280	1455	2246	1885	3389
मई	-	1665	2552	1384	1235	1515	677	1106	2792	2444	1837	1473	2220	2093	3211
जून	-	1667	2856	1344	1290	1942	1544	1141	2642	2925	1885	1340	2493	2380	2175
जुलाई	-	1940	3623	2568	1629	2380	2812	2608	4985	4287	3935	2076	3006	3165	2230
अगस्त	-	1833	2995	4130	1547	3172	2412	4905	4383	5650	4900	2138	2969	3185	2365
सितम्बर	-	1658	2293	2942	1564	2751	2901	4460	3954	7253	3913	2936	2496	2842	-
अक्टूबर	-	1981	3329	2113	2177	2506	2671	4263	2820	4587	2674	2207	2620	3414	-

	माह	१९८४-८५	८५-८६	८६-८७	८७-८८	८८-८९	८९-९०	९०-९१	९१-९२	९२-९३	९३-९४	९४-९५	९५-९६	९६-९७	९७-९८	९८-९९
नवाखर	-	2444	5172	1734	2170	2287	1882	3848	3215	6556	2306	2794	2494	3371	-	
दिसम्बर	-	2626	3615	2953	2220	2036	2407	3536	3415	5882	2617	2938	2261	3196	-	
जनवरी	837	2192	4621	1842	4359	2140	1942	3066	3066	4702	7731	1839	1870	3150	-	
फरवरी	1800	2090	2749	2300	2702	1699	1393	2703	3019	4682	2668	1464	1905	2997	-	
मार्च	1565	2074	1425	1730	2092	1875	1344	2906	2673	4282	1604	1948	1600	2802	-	

योग औसत 1565 2074 1425 1730 2092 1875 1344 2906 2673 4282 1604 1948 1600 2802 -

स्रोत - प्रभारी एवम् विषयन प्रबन्धक, एम०आई०एस० इलाहाबाद दुध उत्पादकता सहकारी सघ लिमिटेड, इलाहाबाद ।

माह	१९८४-८५	८५-८६	८६-८७	८७-८८	८८-८९	८९-९०	९०-९१	९१-९२	९२-९३	९३-९४	९४-९५	९५-९६	९६-९७	९७-९८	९८-९९
नवम्बर	-	1814	1959	1536	2138	2721	915	1227	1423	1553	1086	1179	1731	1774	-
दिसंबर	-	3150	1797	1413	2285	2805	2277	987	865	793	1696	1279	1740	1913	-
जनवरी	592	1569	1457	1604	3382	2968	2323	937	1304	1484	2296	1250	1540	1398	-
फरवरी	2091	1598	2381	3711	4629	5386	2495	1368	1692	2038	2889	1606	2058	1906	-
मार्च	1190	2831	1447	2317	1798	2843	155	1173	1363	2915	2536	1447	1883	1992	-
योग औसत	1284	1740	1820	1549	2126	2804	1750	898	1049	1838	1832	1747	2010	2020	2467

चेत - प्रभारी एवं विपणन प्रबधक, एम०आई०एस० इलाहाबाद दुध उत्पादकता सहकारी सघ लिमिटेड, इलाहाबाद ।

दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान 9 अक्टूबर, 1998 दिन शुक्रवार में प्रकाशित माननीय मुख्य मंत्री, श्री कल्याण सिंह के मुख्यमन्त्रित्व काल में एवं माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गोरख प्रसाद निषाद के दिशा निर्देशन में पशुधन विकास की ओर बढ़ते कदम में पशु जन्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि वर्ष 1997-98 में दुग्ध उत्पादन, अण्डा उत्पादन व ऊन उत्पादन क्रमशः 129 लाख, 7280 लाख तथा 21 40 लाख किलोग्राम रहा। वर्ष 1998-99 हेतु 141 83 लाख भैट्रिक टन दूध, 84 70 लाख भैट्रिक टन अण्डे तथा 22 70 लाख किग्रा० ऊन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

पशुओं के उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु व्यापक उन्नत प्रजनन रोग नियन्त्रण चारा उत्पादन तथा आधुनिक प्रवधन विधाओं के फलस्वरूप पशुओं की उत्पादकता में उत्साहपूर्वक वृद्धि हुई है। वर्ष 1980-81 में गाय व भैंस की दुग्ध उत्पादकता क्रमशः 1 56 किलोग्राम तथा 2 87 किलोग्राम थी जो 1997-98 में बढ़कर क्रमशः 2 49 किलोग्राम तथा 3 79 किलोग्राम हो गई है।

उन्नत पशुओं की प्रजनन सुविधाओं में वृद्धि हेतु प्रदेश में 746 कृतिम गर्भाधान केन्द्र/उपकेन्द्र कार्यरत है। तरल नत्रजन उत्पादन तथा अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन हेतु क्रमशः 21 एवं 6 केन्द्र स्थापित हैं। प्रजनन आच्छादन को वर्तमान 23 5% से 40% तक पहुँचाने का लक्ष्य नौवीं पच-वर्षीय योजना हेतु रखा गया है। वर्ष 1997-98 में 30 24 लाख कृतिम गर्भाधान सम्पादित किये गये तथा वर्ष 1998-99 हेतु 39 426 लाख का कृतिम गर्भाधान का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार की सहायता से गाय व भैंस प्रजनन परियोजना चलाकर प्रजनन आच्छादान बढ़ाया जायेगा।

पशु चिकित्सा व पशु स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि हेतु प्रदेश में 2044 पशु चिकित्सालय 3 पालीक्लीनिक, 280 द ऐणी औद्यासालय, 2693 पशु सेवा केन्द्र तथा एक केन्द्रीय तथा 13 मण्डलीय रोग, निदान प्रयोगशालाये कार्यरत हैं। वर्ष 1997-98 में 215 लाख पशुओं का उपचार 11 41 लाख बथियाकरण तथा 281 75 लाख सुरक्षात्मक

टीकाकरण किया गया। साथ ही 222 करोड पशु चिकित्सालय, 2 पाली क्लीनिक 10 'द' श्रेणी औषधालय तथा 10 पशु सेवा केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य एवं 254 59 लाख पशु उपचार, 1375 लाख बधियाकरण तथा 284 68 लाख सुरक्षात्मक टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। 16 रोग निदान प्रयोगशालाये स्थापित की जायेगी।

पौष्टिक तथा उन्नत चारा उत्पादन में वृद्धि हेतु वर्ष 1997-98 में 310773 कुन्तल चारा बीज वितरण तथा 4309 90 हेक्टेयर भूमि उन्नत चारा फसलों से आच्छादित की गई। वर्ष 98-99 में 5550 कुन्तल चारा बीज वितरण 24200 मिनी कट वितरण का लक्ष्य रखा गया है। बायो मास उत्पादन में वृद्धि तथा सिल्वीपासवर की स्थापना के अन्तर्गत 159 किसान बनों की स्थापना की जा रही है। प्रति जनपद 200 कृषकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि लाने हेतु कृतिम गर्भाधान आदि सेवाये पशु-पालनों के द्वारा पर उपलब्ध कराने हेतु 1829 इन्सेमिनेटर कार्यरत है। वर्ष 98-99 हेतु 105 इन्सेमिनेटर को प्रशिक्षित काके तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जायेंगे। विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश विविधीकरण परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 98-99 में 200 पेरेवेट को भी स्वरोजगार प्रदान किया जायेगा। लगभग सभी जनपदों में 93 करोड की लागत से 22000 व्यक्तियों को पशुधन ईकाइयों की स्थापना कराकर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

गोवशीय पशुओं के संरक्षण एवं सम्बर्धन हेतु कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। तथा गोवर्धन एवं गो-तस्करी पर पूर्ण नियन्त्रण हेतु शीघ्र ही गो-सेवा आयोग का गठन किया जा रहा है।

पशुधन कार्यक्रम में कृषकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य

से ' कृषक समूहों तथा पशुपालक सगठन समिति किये जायेगे। पशुधन तथा पशु उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु ' रोग रहित क्षेत्रों की स्थापना किया जायेगा।

गोवश की स्वदेशी प्रजातियों के सरक्षण एव सर्वर्धन हेतु गोशाला/गोसदनों को सहायता प्रदान की जायेगी तथा पशुधन प्रक्षेत्रों को सुदृढ किया जायेगा।

समन्वित कुक्कुट उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत परम्परागत ' वैकर्यार्ड कुक्कट ' उत्पादन को बढ़ावा दिया जायेगा। पशुपालन विभाग द्वारा प्रसरित - ललित श्रीवास्तव सचिव, पशुधन एव मत्स्य उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।

इलाहाबाद दुध उत्पादकता सहकारी सब लिमिटेड, नई डेंगी प्लाट्स, मन्दर गोह, बमरेली, इलाहाबाद की वर्षावार (1996 से अप्रैल 98 तक) की

प्रगति - प्रतिवेदन स्थिति का विवरण

क्रमांक	विवरण	अप्रैल 1996		मार्च 1997		अप्रैल 1997		फरवरी 1998		मार्च 1998		अप्रैल 1998		अगस्त 1998	
		तक	तक	तक	तक	तक	तक	तक	तक	तक	तक	तक	तक	तक	तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
1-	कुल संगठित समितियाँ	630	630	641	641	751	751	753	753	766	766				
2-	कार्यरत दुध समितियाँ	500	500	502	502	571	580	580	581	587	587	443			
3-	ओसत दैनिक दुग्धोपार्जन	19178	27486	20395	23145	23739	14987	14987	14987	199994					
4-	सदस्यता (कार्यरत श्रमिक समिति)	22068	22068	22071	24165	24526	23839	23839	23839	23839					
5-	महिला सदस्य	8758	8758	8663	9137	9229	9016	9016	9016	9016					
6-	पोरर सदस्य दूध	11352	10331	8765	11214	15720	9998	9998	9998	9998	9998				
7-	पोरर सदस्य का प्रतिशत	52%	47%	40%	46%	64%	42%	42%	42%	42%	42%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8-	गणवत्ता	1- फेट	6 10	6 00	5 90	6 00	5 90	6 40
	2- एस०एन०एफ०	8 70	8 64	8 66	8 63	8 66	8 65	8 80
9-	प्राथमिक पशु चिकित्सा	1- समितियाँ	420	420	450	450	450	450
	2- केसेज	6821	628	645	588	7158	527	2079
10-	कृतिम गर्भधान चिकित्सा	एक + अनेक	एक + अनेक	एक + अनेक	एक + अनेक	एक + अनेक	एक + अनेक	एक + अनेक
	1- समितियाँ(एक-दो)	10 + 10	10 + 10	10 + 10	13 + 10	13 + 10	13 + 10	13 + 10
	2- केसेज(एक-दो)	2858 + 3532	270 + 379	187 + 227	224 + 273	2458 + 3211	179 + 144	994 + 776
11-	टीकाकरण	1- एफ०एम०ड०	11119	2100	183	1140	8313	630 990
	2- एच०एस०	20,000	-	-	-	25,000	-	20,000

कृमण

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12- आपातकालीन पशु सेवा	744	86	39	21	634	31	52	52
13- पशु आहार विक्री (मिठान)	680	75	74 05	85 00	92 00	953	85	63 75
14- फून्सोर्ट व्यय (प्रति किग्रा/लीटर)	0 55	0 38	0 52	0 55	0 61	0 85	-	1 36
15- हरा चारा विक्री (किग्रा)	11596	5	7000	-	-	2025	-	-
16- दूध क्रय दर प्रति लीटर	7 67	7 89	8 03	8 03	8 06	8 31	9 54	4 45
17- उचिस्टर्ड समितियां	220	220	228	236	236	234	209	
18- तरल दूध देनिक विक्री	19398	19790	18407	20099	20334	26198	27650	
19- शे विक्री औसत प्रतिमाह	5132	3631	5025	5789	5440	6757	5214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

20- पनीर औसत प्रति माह	2010	1883	1951	1992 2	2020	3074 2	2707
21- मखन औसत प्रतिमाह	2349	1600	1885	2801 5	2849	3389	2210
22- मट्ठा औसत प्रतिमाह पौरी	1641	11940	48378	14709	21599	75030	131469
23- मीठी दही प्रति कप औसत	-	-	835	6375	2402	25391	20387

स्रोत - प्रभारी एवम् विषयन प्रबन्धक, एमोआईएस० इलाहाबाद दुध उत्पादकता सहकारी सघ लिमिटेड, इलाहाबाद ।

नवम् अध्याय

सहकारिता एवम् दुर्घ सहकारिता - समाधान और सुझाव

आज हमारा देश अकल्पनीय आर्थिक सकट की स्थिति से गुजर रहा है।

अनेक गम्भीर एवं जटिल समस्याओं की विभीषिका से जनमानस सत्रस्त है। गरीबी, बेरोजगारी, भीषण मैंहगाई, चोरबाजारी तथा दैनिक जीवन से सबंधित उपभोग की वस्तुओं की कमी आदि अनेक ऐसी कठिन तथा भयावह समस्याएँ हैं जिनके कारण समाज के 80 प्रतिशत नागरिकों में चिंता, निराशा तथा भय की भावना व्याप्त है। देश में जीवन की आवश्यक वस्तुओं का अभाव सर्वत्र दिखाई पड़ता है, यह सत्य है कि इन वस्तुओं की कुछ सीमा तक कमी अवश्य है, किन्तु इतनी नहीं जितनी हम अनुभव करते हैं। समाज का स्वार्थी तत्व इस समस्या को और गम्भीर बनाने में पूर्णतया लगा दुआ है। पूँजीपति और व्यापारी वर्ग नकली कमी की हालत पैदा करके अपनी तिजोरियों भर रहा है तथा वस्तुओं में मिलावट करके जन-जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। रूपये की क्रय शक्ति घटकर एक तिहाई रह गई है और दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुओं का मूल्य बढ़कर दिन-प्रतिदिन मैंहगाई की चरण सीमा पार कर रहा है। मैंहगाई 'सुरसा के मुख' की भाँति बढ़ती जा रही है। निम्न तथा मध्यम वर्ग के लोग टूटते जा रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह झकझोर उठी है।

हमारा देश, 'कृषि प्रधान देश' है। इसमें 80% लोग कृषि पर निर्भर है। कृषि उपज बढ़ाने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। हमारी उपज भी बढ़ी है, किन्तु देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकी है। हमारी खेती अनेक पंच-वर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद भी प्रकृति पर निर्भर है। अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि के कारण उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह निर्विवाद सत्य है कि हमारी केन्द्र व राज्य सरकारे समस्याओं के निराकरण में लगी है किन्तु यह एक बड़ा काम है और केवल सरकारी मशीनरी द्वारा इसका निदान सम्भव नहीं है। देश की जनता वह चाहे जिस वर्ग की हो या धर्म की हो, को सामूहिक रूप से मिल-जुलकर इसका मुकाबला करना होगा और तभी हम सभी इस भयानक

आर्वत से निकल सकेगे।

अब सवाल इस बात का है कि इन समस्याओं से केसे निपटा जाय। 'आवश्यकता अनुसधान की जननी होती है।" गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर हम इस नतीजे पर पहुँच जाते हैं कि अधिकांश समस्याये खाद्यान्न एवं उपभोग में आने वाली अन्य वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने से ही हल हो जायेगी। कृषि उपज तथा औद्योगिक उत्पादन दोनों को बढ़ाने से समस्या का समाधान काफी हद तक सम्भव है। उपभोक्ता वस्तुये जब बाजार में सुलभ हो जाय और पर्याप्त मात्रा में मिलने लगे तो कीमतें स्वतं गिर जायेगी। समाज में ऐसी स्थिति लाने के लिए हमें एक मात्र सहकारिता का ही सहारा लेना होगा। हमारे देश के साधन सीमित हैं। अधिक उत्पादन के लिए श्रम के साथ - साथ अधिक धन की भी आवश्यकता पड़ेगी। सरकार द्वारा विनियोजन करने पर आम जनता पर करों का बोझ बढ़ेगा। अत देश के सीमित साधनों और उसके ऊपर छाई आर्थिक सकट की विभिन्निका को देखते हुए केवल सहकारी समितियाँ ही (त्राण) छुटकारा दिला सकती हैं।

इस समय देश के कृषि उत्पादन तथा अन्य औद्योगिक उत्पादनों को बढ़ाने में सहकारी समितियों का महत्वपूर्ण स्थान है। किसानों को सस्ते कर्ज की सुविधा नगद तथा वस्तु के रूप में उपलब्ध है। हमारे देश के ग्रामीण अचलों में लगभग 20 हजार सहकारी ऋण समितियाँ कार्य कर रही हैं जिनमें लगभग 75 हजार ग्रामीण नागरिक सदस्य हैं, किन्तु यह सदस्यता पर्याप्त नहीं है। कारण हमें समस्त आर्थिक समस्याओं का समाधान सहकारिता के माध्यम से करना है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रदेश में रहने वाले समस्त परिवार इसकी सदस्यता से आच्छादित हों। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि उपज के लिए उर्वरक, कृषि यत्र, औषधियों आदि के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध होते हुए भी उनका सम्यक उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण उत्पादन

पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके लिए जरूरी है कि सदस्यों को मिलने वाली सुविधाओं की पूर्ण जानकारी उन्हें करायी जाय तथा इस बात के लिए उन्हें अनुप्रमाणित किया जाय कि वे समय से आवश्यकतानुसार विभिन्न ऋणों को प्राप्त करे, उसका सदृपयोग करें तथा निर्धारित अवधि के अन्दर उसकी अदायगी भी करे।

उपभोक्ता वस्तुओं को सामान्य लोगों को उपलब्ध कराने की दिशा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक न्याय पचायत स्तरीय सहकारी समिति द्वारा एक उपभोक्ता भण्डार चलाने की व्यवस्था की गई है जिसके लिए वित्तीय सहायता भी जिला सहकारी बैंक तथा एन सी डी सी के माध्यम से दी जा रही है, किन्तु यह योजना अभी व्यवहारिक रूप नहीं ले सकी है जिसके कारण योजना का मन्तव्य अद्यूरा है। इस दिशा में भी पूर्ण गम्भीरता एवं सक्रियतापूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। यदि इस व्यवस्था में गम्भीरता एवं सक्रियतापूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। यदि इस व्यवस्था को निर्धारित योजना के अनुसार कार्यान्वित हो सके तो नि सदृह सामान्य जनता को दिन-प्रतिदिन की आवश्यक वस्तुओं की शुद्ध एवं स्त्री आपूर्ति सम्भव हो सकेगी।

प्रत्येक न्याय पचायत को इकाई मानकर प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को आर्थिक यूनिट के रूप में व्यवस्थित करने की योजना कार्यान्वित हो चुकी है। इनके माध्यम से उपर्युक्त विवरण के अनुसार कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति कर ली जायेगी किन्तु साथ ही साथ यह भी उचित होगा कि इन्हीं समितियों को आधार मानते हुए सबधित क्षेत्र के स्थानीय सर्वेक्षण के आधार पर उपर्युक्त औद्योगिक इकाईयों भी स्थापित की जाय, जिससे ये समितियों अपने क्षेत्र में उपलब्ध कच्चा माल का एक ओर उपयोग करके आवश्यक उत्पादन कर सके। दूसरी ओर उस क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को रोजगार देने में भी सक्षम हो सके। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित बातों का यदि सरकारी मशीनरी तथा जन प्रतिनिधि एवं जनता पूर्ण सहयोग एवं

नैतिक उदात्त भावनाओं से ओत-प्रोत होकर कार्य आरम्भ कर दें। पग-पग पर अनुचित एवं शोषण मूलक कार्यों का ससदीय ढग से विरोध करें तथा देश एवं समाज को आर्थिक सकट से उबारने का ब्रह्म ले लें तो कोई कारण नहीं कि हम वर्तमान आर्थिक असमानता एवं बेरोजगारी, जखीरेबाजी तथा मुनाफाखोरी जैसी बुराइयों को नष्ट करने में सफल न हों। इस प्रकार मेरे विचार से "जिस तरह प्राकृतिक दृश्य सूरज की रोशनी के अनुसार अपना रूप ग्रहण करते हैं, उसी तरह हमारे सभी सहकारिता सब्धी कार्य हृदय की रोशनी के अनुसार ही बनते हैं।"

सहकारिता का मूल तत्व, दर्शन और आधार है। सहकारिता स्वालम्बन, आत्मनिर्भरता तथा पारस्परिक सहायता पर टिकी है। सहकारिता ही निजी तथा सामूहिक हितों में सम्यता स्थापित करती है। दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन लाती है। शताब्दियों से चली आ रही लाभ, अधिसूचिता तथा अर्थव्यवस्था को सेवा प्रेरित अर्थव्यवस्था में प्रेरित करती है। सहकारिता को नियोजन और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है। पचवर्षीय योजनाओं के द्वारा उसका उत्तरोत्तर विकास और विविधकरण हुआ है। सहकारिता सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के बीच संतुलन स्थापित करती है। प्रशासनिक सहायता तथा प्रेरणा से सहकारी समितियों की सछ्या में पर्याप्त वृद्धि उर्ज है। आर्थिक संतुलन स्थापित करने के लिए सहकारी समितियों की एक दूसरे के प्रति पूरक है। यह तभी सम्भव है जब सहकारिता में स्वचालित प्रबंध उसके विकास की व्यवस्था, कार्यकारी निर्देशन के सिद्धान्तों से सक्षम होगी। साथ ही साथ सहकारिता में अपनी सरचना में अपने दोष को पहचानने और सुधार करने की व्यवस्था के साथ ही साथ सम्पूर्ण समाज की सेवा की क्षमता और सम्भाव्यता हो। सामूहिक प्रयत्नों या कार्यों के लिए सहकारी कार्यकर्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से प्रत्येक समिति और समूचे सहकारी क्षेत्र के कार्यों और कार्य प्रणाली में आत्मानुशासन और आत्म-विनियम द्वारा कारगर प्रयत्नों के माध्यम से सहकारिता स्वरूप को उज्ज्वल बनाने के लिए व्यापक

प्रयास किये गये हैं। प्रबंधन द्वारा ऋणों की वसूली के प्रति उदासीनता, ऋण बकाया की गम्भीर समस्याएँ, स्वार्थी तत्वों की अधिरुद्धिता, पारस्परिक गुटबदी, कुर्सी के लिए सघर्ष पदावधि समाप्त हो जाने के बाद भी पदारूढ़ बने रहने के लिए दावपेच, प्रबंधन पर कुछ एक व्यक्तियों, व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष की अधिसत्ता, एकाधिकार व शास्वत नियन्त्रण वित्तीय अनियमितताएँ, दुर्बल वर्गों की सख्त्या, वित्त के लिए प्रशासन पर निर्भरता, सम्पन्न एवं सम्भ्रान्त सदस्यों द्वारा अधिकांश सेवाओं के उपभोग को बनाये रखना सभी सहकारिता की समस्या को समाधान में महत्वपूर्ण घटक है।

सहकारिता के विभिन्न क्षेत्र अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़ी सीमा तक, आज भी वाह्य साधनों पर निर्भर है। सरलता से मिलने वाले वाह्य ऋण (सहायता) से व्यक्तिगत पहलू और प्रयत्नों में शिथिलता आ जाती है। इन सभी पहलुओं का सहकारिता समाधान में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उपरोक्त बातों के होने पर राजकीय कर्मचारी ऐसे शिथिल हो जाते हैं। जैसे गुड़ की भेली की साथ मधु-मक्खियों हो जाती है। राजकीय साधनों से सुलभ धन के लिए मौलिक सिद्धान्तों का परित्याग एक ऐसी क्षति है, जिसे सहज पूरा नहीं किया जा सकता है। इसको तब तक पूरा नहीं किया जा सकता है जब तक सहकारी क्षेत्र के वित्तीय साधन उस सीमा तक विकसित न हो जायें। जहाँ वह स्वालम्बी हो सके।

किन्तु स्वालम्बन की धारणा का यह अभिप्राय कदमपि नहीं लगाया जा सकता है कि देश में उपलब्ध साधनों, सामान्य वित्त पोषक साधनों, संस्थाओं और सुविधाओं से पूर्णतया अलग रहा जाय क्योंकि ऐसा करने से विकास में ही गतिरोध आ जायेगा। अत उसे ही स्थाई साधन मानकर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त आर्थिक सहायता ऋण रूप में ली जानी चाहिए, अश पूँजी के रूप में नहीं। यदि अश पूँजी के रूप में सहायता का लिया जाना अपरिहार्य हो तो समिति के लिए अपने साधनों

को, समुचित रूप से विकसित करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। अपने आन्तरिक रूप से ऐसे साधनों को जुटाना चाहिए, जिससे शीघ्रताशीघ्र इसे लोटाया जा सके। अत स्वालम्बी बनने के लिए सहकारिता समस्याओं को समाधान करने के लिए अद्योलिखित साधनों को अपनाने पर विचार करना चाहिए, जो निम्न है -

प्रथम - सहकारी साख समितियों को अपनी जमा पैंजी बढ़ाने के लिए सुनियोजित प्रबंध करना चाहिये।

द्वितीय - समिति वर्तमान और भावी सदस्यों में बचत व जमा की भावना उत्पन्न करना और उसे व्यवहार में लाने के लिए अभिप्रेणात्मक कार्यों का, कार्यक्रमों का सचालन किया जाना चाहिये।

तृतीय - प्राथमिक स्तर पर व्यक्तिगत सदस्यों को अतिरिक्त अश प्रदान करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

चतुर्थ - बचत को समिति में ही जमा करने के लिए अन्य थाकर्षक सुविधायें देना चाहिये। जैसे - बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर सुविधा से अधिक ब्याज दर देना।

पंचम - वर्ष में कम से कम 2 बार बचत अभियान आयोजित करना चाहिये।

षष्ठम् - सहकारी समिति के प्रत्येक पदाधिकारी तथा निदेशक मण्डल या प्रबंधन समिति का सदस्य बनने के प्रत्याशी के लिए अपनी कुल बचत को केवल सहकारी समिति में ही जमा करना अनिवार्य करना चाहिए। चुनाव के समय प्रत्याशी द्वारा नामांकन पंत्र के साथ-साथ उसने 'अन्यत्र कहीं राशि जमा नहीं की है' से सर्वाधित

शपथ-पत्र को भरा जाना चाहिए।

सप्तम - सहकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों में उनके द्वारा अपनी बचत सहकारी समिति या सहकारी बैंक में जमा करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। उपरोक्त वर्णित सुझावों के होने के बाद सहकारिता स्तर पर ऐसा कोई भी कारण नहीं बचता जिससे सम्पूर्ण आर्थिक जीवन सहकारिता का केन्द्र बिन्दु बने, प्रत्येक गाव में एक स्वालम्बी सहकारी समिति कार्यशील न हो सके। कभी-कभी कई छोटी-छोटी समितियों को मिलाकर एक बहुत समिति का गठन कर लिया जाता है। इसके फलस्वरूप लघु आकार की समितियों को सक्षम व सशक्त होने का अवसर नहीं मिल पाता। आज के वस्तुस्थिति के परिप्रेक्ष्य को सरल व उपयोगी बनाने के लिए निश्चुलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना परमावश्यक है।

प्रथम - सहकारी बैंकों को अपने जनपद की प्रत्येक सहकारी समिति के विषय में पूर्ण सूचना एकत्रित करना चाहिए।

द्वितीय - आकड़ों व सूचनाओं के आधार पर बैंक द्वारा सम्बद्ध समिति के विकास के लिए उसी के परामर्श से समयबद्ध और लक्ष्योन्मुख वार्षिक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए।

तृतीय - प्राथमिक रागितियों के कार्यक्रम के अनुरूप या सहकारिता के क्रियान्वयन में सहायक के रूप में सहकारी बैंकों द्वारा अपना कार्यक्रम बनाना चाहिए।

चतुर्थ - सहकारिता माध्यम से कृषि अदायगी की पूर्ति के लिए कार्यों में विविधता लाने का प्रयास करना चाहिए। जनपद के लिए बनाये गये कार्यक्रमों में बच्चों, व्यक्तियों, युवकों और महिलाओं की भागीदारी भी करना चाहिए और उनमें उपरोक्त

कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने का प्रयास भी करना चाहिए।

पचम - कार्यक्रम में जनसम्पर्क और शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन भी करना चाहिए।

षष्ठम् - बैकों द्वारा जनपद स्तरीय सहकारी संघों, विशेषकर कृषि विपणन संघों, उपभोक्ता संघों या थोक भण्डारों से सम्पर्क बनाये रखना चाहिए।

सप्तम् - प्रशासनिक व्यय को न्यूनतम् करना चाहिए।

अष्टम् - सहकारी समितियों द्वारा सम्बद्ध प्राथमिक समितियों से लेन-देन, क्रय-विक्रय करने में सहायता प्रदान करना चाहिए।

नवम् - लाभ का वितरण सदस्यों में न करके उसको विभिन्न निधियों में प्रयुक्त करना चाहिए।

दसम् - वृहद समितियों को अपनी अधिकाधिक सहकारी समितियों को खोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

एकादस - वेतनिक प्रबंधकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।

इस प्रकार सहकारिता समाधान, पद्धति का वास्तविक और व्यापारिक रूप तभी प्राप्त कर सकती है, जब इसके सघटक संककों में पारस्परिक सहयोग और कार्यशील समन्वय हो जिससे वे एक-दूसरे के पूरक हो सके। इस सबध में 2 पहलू हैं। प्रथम- अन्तर स्थागत, द्वितीय- अभ्यतर स्थागत। अन्तर स्थागत अभिप्राय सहकारिता के विभिन्न क्षेत्रों जैसे (साख, उत्पादन, विनियम, वितरण, यातायात) की समितियों में सभी स्तरों पर पारस्परिक सबध से है। अभ्यतर स्थागत में सहकारिता के एक ही क्षेत्र में विभिन्न स्तरों की समितियों में पारस्परिक सहयोग संबध से होता है। स्वायत्तता

के नाम पर प्रत्येक समिति अपने एकाकी हितों को ध्यान में रखकर कार्य करती है। सहकारिता प्रबंध के व्यवसायीकरण की आवश्यकता भारत वर्ष में शनै शनै सहकारिता का प्रबंध, योग्य अनुभवी प्रतिभाओं को सौंप देना चाहिए। वर्तमान सहकारी संगठन में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के संबंध में समय-समय पर सुझाव दशायि जाते रहे हैं।

- ॥1॥ भविष्य में सहकारी समितियों का निर्माण सरकार द्वारा सख्त बढ़ाने के उद्देश्य से न करके सदस्यों की योग्यता एवं उनके द्वारा बनाई जाने वाली समिति के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर करना चाहिए।
- ॥2॥ पुरानी मृत प्राय समितियों को आवृत्ति देने के बजाय समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
- ॥3॥ समितियों को पंजीकृत करने से पूर्व सहकारिता के उद्देश्य एवं प्रबंध का प्रशिक्षण देना अनिवार्य होना चाहिए।
- ॥4॥ सहकारी विभाग के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को पद के अनुसार पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण केन्द्र कोर्स का पूरा करना आवश्यक होना चाहिए।
- ॥5॥ प्रशासनिक सेवाओं की भाँति सहकारिता विभाग में चयनित किये जाने वाले कर्मचारियों का अलग सर्वर्ग होना चाहिए और उसमें मात्र वहीं कर्मचारी चुने जायें, जिन्होंने स्नातक तथा स्नात्कोत्तर शिक्षा प्रबंध में पूर्ण किया हो।
- ॥6॥ विश्वविद्यालय स्तर पर वाणिज्य संकाय के अधीन एम बी ए की भाँति सहकारी प्रबंध में स्वतंत्र उपाधि प्रदान करने का पाठ्यक्रम सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- ॥7॥ प्रतिनियुक्ति पर स्टाफ लेते समय इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए कि उक्त कर्मचारी ने सहकारी प्रबंध के क्षेत्र में कार्य किया है तथा उसकी रुची इस प्रकार के कार्यक्षेत्र में है।

(८) पर्जीयक के अधिकार क्षेत्र को पुन परिभाषित किया जाना चाहिए। उनका कार्य नीतियों के क्रियान्वयन को देखना चाहिए न कि स्वयं करना चाहिए।

(९) सहकारी सेवाओं (स्थागत) के नियमों में परिवर्तन करके मात्र सहकारिता प्रबंध में व्यवसायिक पाठ्यक्रम पास करने वाले छात्र ही इस विभाग के उम्मीदवार बन सकेंगे, ऐसा संशोधन किया जाना चाहिए।

इस प्रकार उपरोक्त बातों को ध्यान से देखने पर दृष्टिगोचर होता है कि सहकारिता संबंधी सहकारी प्रबंध का व्यवसायीकरण करना समय की मांग है। वर्तमान परिवर्तनशील परिस्थितियों में सहकारिता के बढ़ते हुये दायित्व इस ओर इशारा कर रहे हैं कि समय रहते यदि व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो एक दिन सहकारिता में बदल जायेगा या सहकारिता का वही हाल होगा जो कि सेवियत सघ में समाजवाद का हुआ है। "सहकारिता माध्यम ही जन साधारण को सामाजिक न्याय सुलभ करने के प्रयास किये हैं। स्व० पडित नेहरू की सहकारिता के प्रति अटूट आस्था थी। वह सहकारिता को भारतीय जीवन में एक सागोपाग जीवन प्रणाली के रूप में विकसित करना चाहते थे। उनको दृढ विश्वास था कि सहकारिता न केवल अर्थिक गतिविधियों को सुरंगठित करने का प्रतीक है। बल्कि जनतत्र में नागरिकों की भागीदारी के दृष्टिकोण का सर्वव्यापक बनाने का प्रतीक स्वरूप है।"

सहकारिता की समस्या के समाधान में भविष्य में आने वाली बातों का चिंतन एवम् मनन करना चाहिए। एक निर्देशक सूची प्रसार निर्देशकों एवम् पर्यवेक्षकों तथा अन्य कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित कर देनी पड़ेगी, इसमें क्या प्रगति हो रही है यह भी देखना पड़ेगा। निर्धारित योजना के जिस स्थान पर कमी है या साधारण अवरोध है तो भी उसे पुन जाँच कर आगे की एक निश्चित योजना निर्धारित करना पड़ेगा। यदि इन योजनाओं को निर्धारित योजनाबद्ध तरीके से चलाया जाय तो इसके ठोस परिणाम

अवश्य दृष्टिगोचर होगे। ऐसा करने में उपर्युक्त दायित्व योग्य एवम् कर्मठ व्यक्तियों को सौंपा जाना चाहिए जिसे हमारा भावी इतिहास साफ-साफ देख सके तथा जिसे भविष्य के कार्यकर्ता एक चुनौती के रूप में ग्रहण कर सके तभी सहकारिता की वास्तविकता सफलता प्राप्त हो सकेगी।

सहकारितान्दोलन भारत वर्ष में सन् 1904 से अपने विभिन्न सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कार्यरत है। किन्तु जो कल्पना साकार रूप में जनमानस के बीच की गई थी, सहकारितान्दोलन ने अपना स्थान नहीं बना पाया है। प्रारम्भ से ग्रामीण स्तरीय ऋण समितियों कार्यरत थीं। समितियों को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से क्षेत्रीय सहकारी समितियों की स्थापना दी गई है। इसका उद्देश्य आकार वृद्धि नहीं था अपितु इसके अन्तर में मात्र आत्मनिर्भरता की भावना थी। क्षेत्रीय सहकारी समितियों के स्थापना बात पर यह विचार सामने आया कि आकार वृद्धि से जनतात्रिकता पर प्रभाव पड़ेगा। फलस्वरूप यह निर्णय लिया गया कि आकार न तो इतना छोटा हो न ज्यादा बड़ा कि आत्मनिर्भरताहीन हो पाये या जनतात्रिकता विश्वास समाप्त हो जाये। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तरीय समितियों की स्थापना की गई। इसी प्रकार व्यवसाय प्रधान सहकारी समितियों, क्रय-विक्रय समितियों भी क्षेत्रीय सहकारी समितियों के साथ ही गठित की गई। प्रारम्भिक उपभोक्ता समितियों, केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार आदि भी सहकारी विधा के अन्तर्गत जनता सेवार्थ अस्तित्व में आये किन्तु वित्तीय एव आर्थिक सुदृढ़ता एवं आत्मनिर्भरता के अभाव में सहकारिता का भविष्य आज भी ऊहापोह की स्थिति में है। इसके 2 प्रमुख कारण में प्रथम कारण - समस्याओं की जानकारी का अभाव तथा सुसमय उसके समुचित समाधान तथा निदान का अभाव। सहकारी संस्थाओं के तुलनात्मक प्रगति का अध्ययन का अभाव। सहकारी संस्थाओं के सफल सचालन हेतु 4 प्रकार के अस्त्र बनाये जाते हैं।

1 - सहकारी अधिनियम ।

- 2- सहकारी नियमावली ।
- 3- सहकारी संस्थाओं के पंजीकृत उपविधियों का प्रावधान ।
- 4- सहकारी समिति निबंधक, उत्तर प्रदेश एवं शीर्ष सहकारी संस्था के समय-समय पर प्रसारित परिपत्रों के माध्यम से निर्देश ।

उपरोक्त संसाधनों में आकड़ों को समय से सेवार्पित करने का स्पष्ट प्राविधान किया गया है। सत्य तो यह है कि कोरे सिद्धान्तों से सहकारिता, पैंजीवादिता के स्थान पर समाजवादी समाज की स्थापना करने एवं उसे प्रतिस्थापित करने का एक मात्र विकल्प है, से कार्य चलने को नहीं जब तक जनता के हितों को सुनिश्चित करने को दृढ़ न हो। सहकारी क्रय-विक्रय समितियों से कृषक समुदाय के हित हुये हैं। फलस्वरूप सहकारी क्रय-विक्रय समितियों के प्रति जनता की आस्था बढ़ी है। किन्तु बिना सम्यक अध्ययन एवं वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के इन सहकारी क्रय-विक्रय समितियों पर प्रक्रियात्मक इकाइयों को दोष देने की जो प्रक्रिया अपनाई गई उसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारी अच्छी क्रय-विक्रय समितियों द्यनीय स्थिति में आ गई और जनता की वे सेवाये कर रही थीं। उसके योग्य नहीं रह गई। सहकारी आन्दोलन की कमियों को दूर करने के लिए निश्चुलिखित उपाय दृष्टिव्य हैं।

प्रथम - शोध कार्य जिससे समस्याओं का सही अध्ययन एवं सुचित समाधान एवं सुसम्य निदान होना चाहिए।

द्वितीय - प्रबंध विज्ञान का सुचित सदुपयोग होना चाहिए ।

उपरोक्त समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है कि आकड़ों का एकत्रीकरण किया जाय तथा उसका सुचित अध्ययन किया जाय तभी हम समस्याओं को जड़ तक पहुँचने में सुविधा होगी और उनका सुव्यवस्थित समाधान भी होगा। साथ ही साथ सहकारी

स्थाओं में लगे लोग उनकी सम्यक जानकारी कर तदनुसार समुचित व्यवस्था भी कर सकेंगे। उदाहरणार्थ - यदि कोई स्था अच्छे (सहकारी स्था) ढग से कार्य करते हुये चल रही है तथा अचानक उसमे कोई अप्रत्याशित हानि हो जाय, तो तत्काल उसके विषय में सहकारिताधार पर प्राथमिकता देकर यह जानकारी की जानी चाहिए कि एकाएक हानि के क्या कारण है। क्या अपहरण दुरुपयोग जैसी घटनाये घट गई कि अप्रत्याशित रूप में हानि हो गई। यह प्रबंधकीय व्यय अधिक होने से भी हानि होती है। इसकी जानकारी आकड़ों के एकत्रीकरण एव अध्ययन से ही होती है, अन्य कोई उपयाय है। जैसे आकडे व संख्याये अपने आप मे मूल+बाहिर कही गई है। फलस्वरूप जब उन्हे अध्ययन की कसोटी पर कसा जाता है तब वे स्वत बोलने लगती है तथा इस सीमा तक मुखर हो जाती है कि गम्भीर गडबडियों, अपहरण व दुरुपयोग को स्वत स्पष्ट करती है। यद्यपि संख्याओं एव आकड़ों का परिणाम इतना विशाल है कि सार का सारा देखना एव्म बोधेगम्य करना सहज नहीं है, किन्तु यदि उन्हे वर्गीकृत करके देखा जाय तो रोग की जड़ व रोग का निदान दोनों ही सहज बोध गम्य हो जाते है।

सहकारी स्थाओं का सबध जन साधारण सदस्यगण स्था के प्रबंध मे जुडे लोगों के वित्त पोषक स्थाओं उस स्था मे कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ ही निरीक्षण पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारियों से भी होता है। यदि ये सारे लोग सतत सजग रहें तो संस्थाये निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर होती रहेगी। इसमे 2 मत नहीं हो सकते। फिर भी इसमे विशेष महत्व संस्था में जुडे कर्मचारियों/अधिकारियों तथा प्रबंध मे जुडे लोगों को ही होता है। आकड़ों की विभिन्न पद्धतियों को हम नीचे लिखे क्रम से वर्णनात्मक, वर्गीकृत, तालिका, चित्रात्मक तथा ग्राफिक पद्धति 5 की संख्या मे पाते है।

तात्पर्य यह है कि किसी भी सहकारिता के सहकारी स्था से जुडे आकड़ों

के रख-रखाव एकत्रीकरण, प्रस्तुतीकरण के साथ ही उसके सतत् अध्ययन एवं परीक्षण से सस्था की सही स्थिति की जानकारी सदैव सस्था के प्रबंध से जुड़े लोगों तथा सस्था के मुख्य अधिकारियों को रहती है। परिणाम यह होता है कि सस्था की कठिनाइयों, समस्याओं सस्था में पनपने वाले रोगों की समय से जानकारी हो जाती है तो उसका समाधान तथा सम्यक निदान भी सम्भव हो जाता है। इस प्रकार सस्था की प्रगति में दुर्गति के अवसर नहीं आने पाते हैं बल्कि उस सस्था की उत्तरोत्तर प्रगति होती रहती है। स्पष्ट है कि सहकारी सस्थाओं की प्रगति में सस्थाओं के आकड़ों का प्रमुख स्थान होता है। जब सहकारी सस्था उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर होती रहेगी तो सुनिश्चित रूप से उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तथा आत्मनिर्भरता आयेगी तथा जब वे आत्मनिर्भर होगी तब शासन और सरकार पर निर्भर नहीं होगी। इसका परिणाम यह होगा कि अपने स्वविवेक व निर्णय ये जनता की अधिकाधिक सेवा कर सकेगी और ऐसी सहकारी सस्थाओं के माध्यम से सहकारिता समाज में एक प्रमुख स्थान बनाने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करेगी तथा सहकारी आन्दोलन, जन आन्दोलन बनने में समर्थ होगा तथा उसके माध्यम से समाजवादी समाज की स्थापना भी सम्भव हो सकेगी।

स्वीकार्यतया आद्य से अद्यतन तक इस मानवीय चेतना (सहकारिता) का दिग्दर्शन समाज में पूर्णतया परिलक्षित होता है। यह मानवीय चेतना है, इस राजनैतिक परिसीमा में परिवेष्टित नहीं किया जा सकता है न ही किसी बात तक सीमित किया जा सकता है। सहकारिता मानवीय आवश्यकता है, विकास की कुन्जी है, इससे आर्थिक लाभ तो परिलक्षित होता है, नैतिक लाभ भी है। लोगों में मद्यपान, जुआखोरी आदि प्रवृत्तियों का अन्त होता है। इसके स्थान पर परिश्रम, लगन, निष्ठा, परस्पर सहयोग एवं स्वालम्बन के गुण पल्लवित तथा पुष्टि होते हैं। सहकारिता समाधान से सामाजिक परिवर्तन होकर, समाज में यह प्रक्रिया नव जीवन का संचार भी करती है।

दुग्ध सहकारिता सम्बन्धी सुझाव

(1) वर्तमान समय में सस्था में ही निर्माण कार्य ग्लीसरीन सिस्टम् से कराया जा रहा है। इसमें समय अधिक लगने के साथ ही साथ गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। अत धी की गुणवत्ता में बौद्धिक सुधार हेतु एक मिनी वाइलर को क्रय करके स्थापित किया जाना अति आवश्यक है। मिनी वाइलर स्थापित होने से धी की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ अन्य डेरियों की भाँति अन्य प्रोडक्शन जैसे - मिल्क केक, पेड़ा आदि का निर्माण भी कराया जा सकता है। मिनी वाइलर स्थापित करने में सम्भावित खर्च निम्न प्रकार है।

मिनी वाइलर	15 लाख रु०
खोआ पैन	1.5 लाख रु०
कमरा निर्माण खर्च	2 लाख रु०

(2) वर्तमान समय में फ्लस माहो में इस सस्था ने आवश्यकता से अधिक दूध आता है जिसे अन्य सस्थाओं में भेजा जाता है जिससे तापमान धी समस्या बनी रहती है। यदि एक चीलर क्षमता 20,000 अथवा 10,000 लीटर प्रति घटा क्रय कर प्रोसेस लाइन में लगा दिया जाय तो सस्था में दूध को कम तापमान पर प्रोसेस कर एन०एम०जी० के अन्तर्गत दूध प्रेषित किया जा सकता है। इससे संस्था की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है।

चिलर एवम् फिटिंग 6 लाख रु०

(3) वर्तमान समय में सस्था के पास मात्र 250 के०वी०ए० का जनरेटर है जिससे पावर फेल हो जाने के बाद कारखाने के समस्त कार्य एक साथ सञ्चालित

नहीं हो पाते हैं। अत स्था में एक नये जनरेटर की अतिआवश्यकता है। इस मद में लगभग 18 लाख रुपया खर्च होने की आवश्यकता है।

- (4) 63 एम०एम० के 12 भ्री बेवाल्व क्रय किया जाना भी नितान्त आवश्यकता है। कारण वर्तमान में लगे वाल्व खराब हो चुके हैं। इस मद में लगभग 50,000 मद खर्च करने की आवश्यकता है।

अति महत्वपूर्ण सुझाव - वर्तमान में स्था के पास 4 पाउच फिलिंग मशीन स्थापित है। इसमें से 3 प्री पैक मशीने सन् 1987 से स्थापित है, इनका जीवन समाप्त हो चुका है। इनके मरम्मत में प्रतिवर्ष अधिक खर्च आ रहा है। अधिक खर्च होने से कार्य बाधित हो जाता है। अत 3 प्री पैक मशीनों का क्रय नये सिरे से किया जाना नितान्त आवश्यक है। इसमें करीब 24 लाख रुपया खर्च करने का अनुमान है।

- (5) स्क्रेप मटेरियल के भण्डारण हेतु संस्था में कोई कमरा नहीं है जिसे सामान को खुले आसमान में छोड़ दिया जाता है। इससे उसकी कीमत में लगातार ह्यस व गिरावट की कमी होती रहती है। संस्था को इससे हानि होती है। अत छत के ऊपर एक टीनशेड का निर्माण करना आवश्यक है। इस मद में लगभग एक लाख खर्च होने का अनुमान है।

विवरणों से बात स्पष्ट है सहकारिता एवं दुग्ध सहकारिता का वर्तमान ढाँचा साधन सम्पन्न है। नई चुनौतियों को स्वीकार करने में सक्षम है और अवसर आने पर इससे भी बड़ा और अधिक जिम्मेदारी का कार्य करने में समर्थ है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सहकारिता एवं दुग्ध सहकारिता अन्य विशिष्ट अपने

क्रिया-कलापों के सहयोग से शीर्षस्थ स्वय में वित्तीय स्थान के रूप में भूमिका उचित ढंग से निभाते हुए जन खुशहाली व आत्मनिर्भरता बनाने में अपने वित्त व्यवस्था व दूध व्यवसाय से समाज का सुदृढ व साधन सम्पन्न आधार प्रदान करेगा ।

श्वेत क्रान्ति पर स्वहस्तलिखित स्वरचित रचना सादर सेवा मे भेट

- ॥१॥ कृषि प्रधान है देश हमारा, कृषक मूल आधार है ।
जिसकी उन्नति ही, हम सबकी उन्नति का आधार है ॥

- ॥२॥ कठिन परिश्रम के द्वारा, जो देश का पोषण करते हैं ।
दानव रूपी भ्रष्ट विचौलियें, उनका ही शोषण करते हैं ॥

- ॥३॥ मूल मत्र जब यह जाना था, नेहरू राष्ट्र निर्माण ने ।
दिया था नारा सहकारिता का, भारत भाग्य विधाता ने ॥

- ॥४॥ "राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड" से, कृषकों का उन्नति मार्ग खुला ।
"पी०सी०डी०एफ०" के ही द्वारा, उनको उद्भुत लाभ मिला ॥

- ॥५॥ जिस देश का बचपन स्वस्थ होगा, वह देश कभी क्या मिट सकता ।
बस यही भावना को लेकर, है शुद्ध 'पराग' उत्पादकता ॥

- ॥६॥ सबको सेहत समृद्धि मिले, जन - जन का उन्नति मार्ग खुले ।
व्यापार हमारा ध्येय नहीं, सहकारिता को उचित सम्मान मिले ॥

- ॥७॥ सहकारी भावना पनप रही, 'सूरज' 'पराग' चमक रहा ।
स्वादिष्ट, पौष्टिक शुद्धता से, यह सबके मन को मोह रहा ।

- ॥८॥ ग्रामों मे खुशियों पनप रही, पशुओं मे नस्ल सुधार हुआ ।
शोषण से छूटा पोषण अब, अन्तयोदय का उद्धार हुआ ॥

(१७) है "ऐत क्रान्ति" सेहत का प्रहरी, समृद्धि, समानता नारा है ।
शोषण से मुक्ति मिले सबको, सब यही दुर्ग उद्देश्य हमारा है ॥

"जय जवान, जय किसान, जय भारत भूमि"

झंति

॥ सुरेश चन्द्र यादव ॥
शोध छात्र, इ0विविठ0, इलाहाबाद
311/11बी, चौंपुर सलोरी, इलाहाबाद
वाणिज्य विभाग, इलाहाबाद
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ।

परिशिष्ट

विगत भारतीय सहकारिता आन्दोलन के करीब 80 वर्ष के इतिहास को जानकारी हेतु हम एक संक्षिप्त दृष्टिकोण बनाकर उनका बृहद् अध्ययन करते हैं। यह संक्षिप्त है।

- 1904 गाँव वासियों को ऋण देने के सन्दर्भ में सहकारिता का व्यावसायिक स्थान के रूप में प्रवर्तन तथा पहला सहकारी कानून तैयार।
- 1912 सहकारी अधिनियम 1904 की अधिक विस्तृत एवं व्यापक रूप में पुर्णस्थापना।
- 1914 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सहकारी उपभोक्ता भण्डारों पर विशेष बत्त।
- 1915 भारत सरकार द्वारा मैकलेग्न कमेटी नियुक्त तथा गाँवों में प्रारम्भिक समितियाँ तहसील स्तर पर कोआपरेटिव यूनियन, जिला स्तर पर सहकारी बैंक केन्द्रीय तथा प्रदेश स्तर पर शीर्ष सहकारी बैंक युक्त चार स्तरीय ढाँचा तैयार।
- 1916 भारत सरकार द्वारा औद्योगिक सहकारिता का संगठन।
- 1919 सहकारिता को राज्य सरकार का विषय बनाया गया तथा इसके विकास हेतु विशेषज्ञों की ओकदन कमेटी उत्तर प्रदेश में गठित की गई।
- 1923 भारत सरकार द्वारा हैण्डलूम सहकारियों को वित्त पोषण सुविधा की शुरूआत।
- 1929 राजकीय कृषि आयोग की रिपोर्ट में सहकारिता की सफलता पर विशेष बल तथा भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ का गठन।
- 1931 केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा ऋण विभाग में भारत सरकार की बैंकिंग जांच समिति द्वारा समन्वय स्थापना।

- 1937 प्रारम्भिक समितियों के पुर्नगठन योजनान्तर्गत बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों का गठन।
- 1945 सहकारिता के विकास के योजना हेतु सरैया कमेटी गठित।
- 1947 सहकारी समिति निबन्धकों के प्रथम सम्मेलन का संयोजन तथा प्रत्येक राज्य के द्वारा सहकारी विकास की योजना तैयार।
- 1949 ठाकुरदास कमेटी द्वारा गावो में बैंकिंग सुविधाओं के सहकारीकरण की जोरदार सिफारिश।
- 1951 प्रथम पच-वर्षीय योजना में सहकारिता को जीवन आवश्यक दर्जा प्रदान किया गया।
- 1952 बम्बई में प्रथम भारतीय सहकारी काग्रेस सम्पन्न।
- 1954 राज्यों की सहकारितान्वेतान में भागीदारी की धारणा का प्रार्द्धभाव।
गांव स्तर पर बृहदाकार कृषि ऋण सहकारी समिति युक्त विस्तरीय है।
सहकारी परीक्षण पर केन्द्रीय समिति गठित।
प्रथम अधिल भारतीय सहकारी सलाहकार का आयोजन।
- 1955 सहकारिता मंत्रियों का प्रथम सम्मेलन सम्पन्न।
पटना में दूसरी भारतीय सहकारी काग्रेस।
- 1956 सहकारी शिक्षा कार्यक्रम शुरू।
- 1958 राष्ट्रीय डाक परिषद द्वारा सहकारी नीति का प्रस्ताव।
राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन संघ गठित।
तीसरी भारतीय सहकारी काग्रेस दिल्ली में।
- 1959 भारत सरकार के द्वारा सहकारी नीति के सबध में कार्यकर्ता दल की नियुक्ति।
- 1960 सहकारी ऋण समिति की मेहता कमेटी की रिपोर्ट में सहकारियों के अनुरूप ढॉलने पर बल।
- 1961 तृतीय पंचवर्षीय योजना में सहकारी गतिविधियों में साधन समितियों के गठन द्वारा आवश्यक बदलाव पर अधिक जोर।

- 1962 सहकारी प्रशिक्षण कार्य भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ को हस्तान्तरित।
चतुर्थ भारतीय सहकारी कांग्रेस का दिल्ली में अधिवेशन।
- 1968 औद्योगिक सहकारिता पर दूसरी कार्यकारी दल की रिपोर्ट का कार्यान्वयन।
अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी एलायस द्वारा सहकारिता सिद्धान्त का पुनर्निरूपण।
- 1964 राज्य सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय संघ स्थापित।
- 1965 सहकारिता पर मिश्रा कमेटी गठित।
राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की स्थापना।
- 1966 औद्योगिक सहकारियों का राष्ट्रीय संघ स्थापित।
बैकुण्ठ मेहता नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ कोआपरेटिव मैनेजमेन्ट पूना में स्थापित।
- 1967 पाचवी भारतीय सहकारी कांग्रेस दिल्ली में सम्पन्न।
- 1968 इफको Indian Farmers Fertilizer Co-operative की स्थापना।
- 1971 छठी भारतीय सहकारी कांग्रेस दिल्ली में।
- 1972 अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी संघ की बैठक भारत में।
- 1976 सहकारी कानून से प्रतिबन्धात्मक उपबंधों को हटाये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को निर्देश।
राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद का गठन।
सातवीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का आयोजन।
- 1977 सहकारी आन्दोलन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई सरकारी नीति निर्धारित।
बहुराज्यीय सहकारी समिति बिल लोक सभा में।
नगरीय सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय संघ गठित।
- 1979 आठवीं भारतीय राष्ट्रीय सहकारी कांग्रेस का आयोजन।
- 1980 अखिल भारतीय मत्स्य सहकारी समिति संघ स्थापित।

- 1981 बीस सूत्रीय कार्यक्रम मे सहकारिता का योगदान।
- 1982 निर्बल वर्ग को ऋण वितरण मे देश भर मे उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान तथा नवी भारतीय सहकारी कांग्रेस सम्पन्न।
- 1983 एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के ऋण वितरण में उपर्युक्त प्रथम।
- 1984 स्वीडिश कोआपरेटिव के सन्दर्भ मे इसके सहयोग से रिवाडी (हरियाणा) तथा आगरा (उपर्युक्त) मे महिला प्रेरणादायक परियोजना का भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के माध्यम से शुभारम्भ।

सहायक ग्रन्थ सूची

क्रमांक	लेखक	किताब का नाम
1	वाटकिंस, डब्ल्यू पी	"आल इण्डिया कोआपरेटिव रिविव" इक्लेसिएडस, चतुर्थ संस्करण बैलूम 9-10 मार्च, 1955
2	कुमारप्पा, जे सी	"हवाट इज कोआपरेशन"? इन द इण्डियन कोआपरेटिव रिविव, प्रथम संस्करण, 1949
3	बेदी, आर डी कंसल, भरत भूषण	"थियरी, हिस्ट्री एण्ड प्रैक्टिस आफ कोआपरेशन" द्वितीय संस्करण, 1966 "सहकारिता देश और विदेश में" नवयुग साहित्य सदन, लोहामण्डी, आगरा-2 चतुर्थ संस्करण, 1980
4	माथुर, डा बी एस डान, वाई	"सहकारिता" साहित्य भवन हास्पिटल रोड, आगरा सप्तम संस्करण, 1984 "कन्जुमर्स कोआपरेशन" ए फन्कशनल एप्रोच रिविव आफ इंटरनेशनल कोआपरेशन बैलूम 63 चतुर्थ संस्करण, 1970
5	डिगवाई, एम मिस	"कोआपरेशन विटविन कोआपरेटिव" इण्डियन कोआपरेटिव रिविव, पंचम संस्करण, अप्रैल 1969
6	मेहता, वी एल	"फन्डामेटल कोआपरेटिव प्रिंसिपल" इण्डियन कोआपरेटिव रिविव, छठा संस्करण, जुलाई 1965
7	नायक, डा के एन	"कोआपरेटिव मूवमेंट इन बाम्बे स्टेट", पंचम संस्करण, 1948

- 8 नियोगी, जे पी "द कोआपरेटिव मूवमेट इन बगाल", द्वितीय सस्करण 1940
- 9 गुप्त, डा अम्बिका प्रसाद "भारत मे सहकारितान्दोलन" उत्तर प्रदेश ग्रथ अकादमी, लखनऊ प्रथम सस्करण, 1977
- 10 खान, एम वाई "इण्डियन फाइनेसियल सिस्टम थोरी एण्ड प्रैविट्स" विकास पब्लिशिंग हाऊस, प्राइवेट लिलो प्रधान कार्यालय विकास हाउस, 20/4 औद्योगिक क्षेत्र सहीबाबाद, द्वितीय सस्करण, 1980
- 11 प्रकाश , जगदीश "व्यावसायिक सगठन एवं प्रबंध" विकास पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिलो, असारी रोड नई दिल्ली, चतुर्थ सस्करण, 1983
- 12 सिंह, आर एन व्यावसायिक सगठन एवं प्रबंध, विजडम पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद प्रथम सस्करण, 1978
- 13 भाटी, एस एस "दुर्गध-विज्ञान" पञ्च पालन व दुर्गध विज्ञान विभाग भारतीय भण्डारण, बडौत, मेरठ प्रथम संस्करण, 1970
- 14 खुरोदी, डी एन "इण्डियन डेरीमैन" द्वितीय सस्करण, 1962
- 15 मुनीगप्पन, वी टी "इण्डियन डेरीमैन" नवा सस्करण, 1965
- 16 रस्तोगी, वी के "इण्डियन डेरीमैन", आठवा सस्करण, 1966

- 17 मुखर्जी, एस के
स्वामीनाथन, के
विश्वनाथन, बी
"द इण्डियन जनरल आफ वेटनरी साइंस
एण्ड एनीमलहसबेन्ड्री", चतुर्थ सस्करण,
1944
- 18 सोमर, एच एच
"मार्केट मिल्क एण्ड रिलेटेड प्रोडक्ट्स"
तृतीय संस्करणद्व 1952
- 19 हार्वे डब्लू सी
हिल, एच
"मिल्क प्रोडक्शन एण्ड कन्ट्रोल", तृतीय
सस्करण 1951

पेपर एवं पत्रिकाये

अमर उजाला	1995	राष्ट्रीय सहारा	1996
अमर उजाला	1996	राष्ट्रीय सहारा	1997
अमर उजाला	1997	राष्ट्रीय सहारा	1998
अमर उजाला	1998	N.I.P.	1998
दैनिक जागरण	1994	टाइम्स आफ इण्डिया	1995
दैनिक जागरण	1995		
दैनिक जागरण	1996		
दैनिक जागरण	1997		
दैनिक जागरण	1998		
हिन्दुस्तान	1996		
हिन्दुस्तान	1997		
हिन्दुस्तान	1998		

रिपोर्ट आफ द कमेटी आन कोआपरेशन, 1965

सहकारिता मासिक 1994 से 1998 तक

सहकारिता विशेषाक 1996 से 1998 तक

पराग वार्षिक, विवरण (पी सी डी एफ लखनऊ) 1994 से 1997 तक

पराग वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (इ द उ स.संघ लि इलाहाबाद) 1994 से 1997 तक

कोआपरेटिव प्लानिंग, 1946

रिपोर्ट आफ द कोआपरेटिव इन्डेपेन्डेस कमीशन 1958

प्लानिंग कमेटी, रिपोर्ट - 1946

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) द्वारा सहकारिता एवं दुर्घ सहकारिता प्रगति प्रतिवेदन

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61) द्वारा सहकारिता एवं दुर्घ सहकारिता प्रगति प्रतिवेदन

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66) द्वारा सहकारिता एवं दुर्घ सहकारिता प्रगति प्रतिवेदन

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74) द्वारा सहकारिता एवं दुर्घ सहकारिता प्रगति प्रतिवेदन

पंचम पंचवर्षीय योजना (1974-79) द्वारा सहकारिता एवं दुर्घ सहकारिता प्रगति प्रतिवेदन

षष्ठ्म पंचवर्षीय योजना (1980-85) द्वारा सहकारिता एवं दुर्घ सहकारिता प्रगति प्रतिवेदन

सप्तम पञ्चवर्षीय योजना

अष्टम पञ्चवर्षीय योजना

भारतीय एवं विदेशी सहकारिता विकास की वार्षिक प्रतिवेदन ।
